दशम माला, खंड 29, अंक 13

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

24 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

15 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
32	13	श्री शिवलाल नावजो भाई वेकारिया	श्री शिवलाल नागजोभाई वेकारिया
69	28	वित्त मंत्रालय के राज्यमंत्री और संसद में कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद)	वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद)
89	5	श्री राम पूजन पटले	श्री राम पूजन पटेल
89	8	श्री धर्मण्णा मोंडग्या सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल
136	13	श्री गोविन्द निकम	श्री गोविन्द राव निकम
144	24	श्री डी॰ वेंकटेश्वर राम	श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव
168	28	श्री रामदयाल सिंह	श्री रामपाल सिंह
253	11	श्री एस॰ बी॰ धोरात	श्री संदीपन भगवान थोरात
258	27	आय	धाय
270	10	श्री रमेश रवेन्नित्तला	श्री रमेश वेन्नित्तला
271	25	2694	2670
272	12	श्री गुमान मल लोढा	श्री गुमान मल लोढा
274	22	श्री हाराधन राव	श्री हाराधन राय
306	27	7209	2709
307	19	मोबाइन वैन	मोबाइल वैन
430	12	डा॰ खुशीराम डुंगरोमल	डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी
454	12	(क)	(क) से (ग)

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
461	21	(क)	(क) और (ख)
463	6	श्री छोतू भाई गाभोत	श्री छोतू भाई गामोत
482	17	तथा किए जाने	तैयार करने
482	18	श्री जगमोत सिंह बराइ	श्री जगमोल सिंह बरार
515	9	(श्री पोटर जो• सरविनआंग पोठासोन हुए)	श्री पाटर जो• मरबनिआंग पोठासोन हुए)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 29, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 13, मंगलवार, 15 मार्च, 1994/24 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 242–244, 246 और 247	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20-478
तारांकित प्रश्न संख्या : 221–240 (11-3-94) और 241, 245 और 248–260 (15-3-94)	20-60
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2447-2678 (11-3-94) और 2679–2885 और 2887-2909 (15-3-1994)	60-478
सभा पटल पर रखे गए पत्र	479-82
नियम 377 के अधीन मामले	482
कर्नाटक के उत्तर कन्नड जिले में काली नदी पर बने पुल को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता श्री ओस्कार फर्नान्डीज	482
(दो) संपूर्ण विश्व द्वारा मान्य नदी–तटीय सिद्धांत के अनुसार पंजाब में रावी व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता श्री जगमीत सिंह बरार	482

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) पश्चिम बंगाल के एक स्वायत्त जनजातीय विकास परिषद के गठन की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी 482-83

(चार) कानपुर के निकट गंगाघाट कस्बा क्षेत्र को "गंगा कार्य योजना" के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह 483

(पांच) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तामेश्वर नाथ, कोपिया और सिद्धार्थ नगर का पुरातत्ववेताओं द्वारा सर्वेक्षण कराने तथा इन स्थानों का बौद्ध महतव के केन्द्रों के रूप में विकास" करने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल 483-84

(छः) भारत में एड्स के प्रकोप को रोकने के लिए "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन" के अंतर्गत सरकार द्वारा तुरंत उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक 484-85

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन

तथा

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक संबंधी सांविधिक संकल्प 485-524

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो. रासा सिंह रावत 485

डा. अबरार अहमद 487

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 490

श्री गुमान मल लोढा 493

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 496

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 499

श्री अमल दत्त 501

श्री तेज नारायण सिंह 504

श्री राम नाईक 506

श्री चित्त बसु 510

डा. कार्तिकेश्वर पात्र 512

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 514

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन के संबंधी सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत
और
विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण संशोधन विधेयक) **524**

विचार करने के लिए प्रस्ताव
खंड 2 से 6 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव

डा. अबरार अहमद 524

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य **524 और 534-36**

(एक) चीनी का आयात

श्री कल्पनाथ राय 524

(दो) संदिग्ध प्रदूषित मिट्टी के तेल के प्रयोग के कारण राजस्थान के कुछ भागों में हुई मौतें

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा 534-36

संदिग्ध प्रदूषित मिट्टी के तेल के प्रयोग के कारण राजस्थान के कुछ भागों में हुई मौतों के बारे में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में **536-45**

विषय पृष्ठ

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
कॉफी (संशोधन) विधेयक **525-34 और 546-60**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नीतीश कुमार 525

श्री प्रणब मुखर्जी 527

श्री वी. धनंजय कुमार 529

श्री ओस्कार फर्नान्डीज 546

श्री थाइल जॉन अंजलोज 547

श्री पी.सी. थामस 549

श्री याइमा सिंह युमनाम 550

श्री एच.डी. देवगौडा 551

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प-वापस लिया गया **558**

कॉफी (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 558
खंड 2 से 15 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रणब मुखर्जी 559

श्री जार्ज फर्नान्डीज 559

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 559-60

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प **560-61**

श्री भोगेन्द्र झा 561

लोक सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1994/24 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री वी. मुनीस्वामी थिरूकुरालर एवं आर.वी. रेडैयर के निधन के संबंध में सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है।

श्री वी. मुनीस्वामी थिरूकुरालर 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। वह तमिलनाडु के टिंडिवनाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वह तमिल के विद्वान थे। उन्होंने "थिरूकुराल" का विशेष अध्ययन किया था जो तमिल वेदांत के रूप में माना जाता है। जिसके लिए उन्हें "थिरूकुरालर" की उपाधि से सम्मानित किया गया।

व्यवसाय से वह पत्रकार थे, वह तमिल साप्ताहिकी "कुराल मलार" के संपादक थे। उन्होंने तमिल में "थिरूकुराल" पुस्तक की रचना की और कुराल के सरल अध्ययन के लिए लघु पुस्तकों की भी रचना की।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु कार्य किए।

श्री वी. मुनीस्वामी थिरूकुरालर का निधन 78 वर्ष की अवस्था में 4 जनवरी, 1994 को टिंडिवनाम में हुआ।

श्री आर.वी. रेडैयर तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। 1962-67 के दौरान वह टिंडिवनाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 1945 से 1947 तक वह केंद्रीय विधान सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व 1937 में वह राज्य विधान मंडल के सदस्य थे।

व्यवसाय से एक कृषक और वकील होने के साथ-साथ श्री रेडैयर सहकारी आंदोलन के समर्थक भी थे। वह दक्षिण भारतीय गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष थे और 1947-59 तक वह भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के सदस्य भी थे।

श्री आर.वी. रेडैयर का निधन 97 वर्ष की अवस्था में 19 फरवरी, 1994 को टिंडिवनाम में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि, सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेगी।

दिवंगत सदस्यों के प्रति सम्मान में यह सभा अब थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

11.03 म.पू.

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

11.05 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ब्रेक पावर

*242. **श्री †अजय मुखोपाध्याय :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त ब्रेक पावर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं, गाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त ब्रेक पावर की व्यवस्था की जाती है

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि गाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त ब्रेक पावर उपलब्ध करई जाती हैं। उनके उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में बार बार हो रही रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी दुर्घटनाएं घटीं और क्या इन दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है ?

श्री के.सी. लेंका : ब्रेक पावर की कमी के कारण रेल दुर्घटनाएं शायद ही होती हैं। भारतीय रेलों में असंतोषजनक ब्रेक पावर के कारण औसतन नौ गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यह कुल खड़ी गाडियों का मात्र 0.15 प्रतिशत है। जो भी दुर्घटनाएं घटीं हैं रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार एयर ब्रेक के कारण न्यूनतम दुर्घटनाएं घटीं हैं। एयर ब्रेक के अभाव में दुर्घटनाओं के संबंध में हमारे पास कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं है।

मैं आपको ब्यौरे की सूचना दूंगा। दुघटनाओं का मूल कारण श्रम शक्ति की विफलता

है न कि ब्रेक की विफलता पचास प्रतिशत दुर्घटनाएं मानव की गलती के कारण होती हैं। बाकी पचास प्रतीशत दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से होती हैं जैसे पटरियों में खराबी, पटरियों के नवीनीकरण की कमी, तोड़-फोड़ फिश प्लेट का निकाल लिया जाना आदि। अन्य दुर्घटनाएं यांत्रिकी एवं तकनीकी व्यवस्था में खामियों के कारण होती है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : दूसरे पूरक प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने ठीक से नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनसे पूछना चाहेंगे, क्या यह सच है या नहीं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मंत्री जी अभी ही यह कहा है कि रेल दुर्घटनाएं ब्रेक के विफल होने से नहीं होती हैं बल्कि श्रम शक्ति की विफलता के कारण होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल कर्मियों का निर्धारित कार्य समय क्या है विशेषकर चालकों का। उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होते है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि कुछ महीने पहले एक ही साथ राजधानी एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियों में बम विस्फोट हुए। क्या इन विस्फोटों के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाया गया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न के पहले भाग का ही उत्तर दें।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : यह प्रश्न व्यवस्था के एक विशेष संघटक से जुड़ा है। ब्रेक पावर का उपयोग लोको मोटिवों अथवा बैगनों अथवा कोचों में किया जाता है।

एक वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक होता है। यह प्रश्न माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके दूसरे पहलू से जुड़ा नहीं है। उसके लिए अलग नोटिस देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि दुर्घटनाएं मानव गलती के कारण होती हैं। उसी प्रश्न से यह पूरक है। इंजन चालक कितने घंटे कार्य करते हैं।

श्री के.सी. लेंका : चालकों को प्रतिदिन आठ घंटा कार्य करना होता है विशेष परिस्थितियों में उन्हें दस घंटे भी कार्य करना पड़ता है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मुझे खेद है कि हमें सामान्यतया मूल प्रश्न की जानकारी दी जाती है और उस प्रश्न से पैदा होने वाले पूरक प्रश्नों की जानकारी नहीं दी जाती है। यह सामान्य प्रथा है। **(व्यवधान)** बहुत से पूरक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, मुद्दा यह नहीं है। चालकों को दस घंटे तक कार्य करना पड़ता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह कहना सही नहीं है कि सभी गाड़ियों में पर्याप्त ब्रेक पावर उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य उसके लिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय ने सभा में जो कुछ भी कहा है उसे आपको चुनौती नहीं देना है।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि उत्तर सही न हो..

अध्यक्षमहोदय : आपके पास कई तरीके हैं। कृपया बहस न करें। अब आप प्रश्न पर चर्चा करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि चालकों को निर्धारित मानक ब्रेक पावर से कम ब्रेक पावर के साथ मजबूरन गाड़ियां चलानी पडती हैं जो मानदंडों के विरुद्ध है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से कारण जान सकता हू ?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जितनी दुर्घटनाए घटी हैं उनकी तुलना में ब्रेक पावर की अनुपलब्धता के कारण घटी दुर्घटनाएं नगण्य हैं। कृपया अब बहस न करें। यह प्रश्न काल के दौरन नहीं होता है।

श्री बसुदेव आयार्च : न्यूनतम निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। सीकरी समिति ने न्यूनतम ब्रेक पावर के संबंध में सिफारिश्या की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपको सहयोग करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ब्रेक पावर के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंड क्या हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सीकरी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

श्री के.सी. लेंका : माल गाड़ियों के लिए ब्रेक पावर का निर्धारित स्तर 85 प्रतिशत रखा गया है और यात्री गाड़ियों के लिए यह स्तर 100 प्रतिशत है। उच्च ब्रेक पावर सुरक्षा प्रयोजनों के लिए रखा गया है।

श्री किरिप चलिहा : माननीय मंत्री महोदय के अनुसार दोषपूर्ण पटरिया दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण है। हाल ही मे असम में तीन बड़ी दुर्घटनायें घटी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या असम में नई निर्मित बड़ी रेल लाइनों में दोषपूर्ण पटरियों को लगाए जाने के कारण मुख्य तौर पर यह दुर्घटनायें घटी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सामान्य मुद्दे से मुद्दा विशेष की चर्चा पर आ गए हैं।

श्री लोक नाथ चौधरी : इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ब्रेक पावर की विफलता के कारण न्यूनतम दुर्घटनाएं घटी हैं और उन्होंने अन्य दुर्घटनाओं के कारण बताए हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, कि क्या उन्होंने माननीय दोष सहित विभिन्न कारणों से हुई दुर्घटनाओं का कोई आकलन किया है ? यदि आकलन किया है तो जिन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से प्रत्येक के संबंध में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री के.सी. लेंका : रेलवे में एतिहायती उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है। जो भी दोष होते हैं उन्हें दुर्घटनाओं की जांच से बता दिया जाता है, हम इस मामले पर आगे कार्यवाही करते हैं और फिर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। आपके पास सूचना तैयार रहनी चाहिए। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं बिजली आपूर्ति में व्यवधान मानव दोष, रेलमार्ग में खराबी और ऐसे ही कारणों से हुई ? यदि आपके पास इस संबंध में सूचना है तो बताइए अन्यथा आप इसे उनके पास भेज सकते हैं।

श्री के.सी. लेंका : पचास प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं मानव दोष के कारण हुईं। अन्य दुर्घटनाओं के बारे में मैं सूचना माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

श्री अन्ना जोशी : प्रश्न का भाग (ग) दुर्घटनाएं रोकने के संबंध में है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या रेल दुर्घटनाएं उसी स्थान पर अथवा उसके आस पास होती हैं, जहां रेलमार्ग में खराबी होने के कारण पहले दुर्घटना हुई थीं।

अध्यक्ष महोदय : संभवत उनके पास यह सूचना नहीं होगी।

श्री अन्ना जोशी : श्रीमन, उन्होंने हाल ही में इस संबंध में जांच कराई है। एक ही स्थान पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाया, इसे अस्वीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि दुर्घटनाओं के अनेक कारणों में से एक कारण पावर ब्रेक की गड़बड़ी भी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1993 94 में कितने रेल एक्सीडेंट्स पावर ब्रेक की गडबड़ी से हुए हैं। इसके अलावा, पावर ब्रेक को अत्याधुनिक बनाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ? क्या इसके बारे में एक्सपर्ट्स से टेक्नीकल राय ली गई है। इसके साथ साथ, चैन पुलिंग और पावर ब्रेक, जो बराबर इस्तेमाल होते रहते हैं और उत्तर भारत में चैन पुलिंग की घटनाओं को देखते हुए इनकी रोकथाम के लिए क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अंतिम प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के.सी. लेंका : अब हम एअर ब्रेक सिस्टम शुरू कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पहले वेक्यूम एयर ब्रेक सिस्टम था, अब इस ब्रेक सिस्टम को शिफ्ट कर रहे हैं। नए ब्रेक सिस्टम में फेल्योर ज्यादा नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें यह जानकारी दीजिए कि 1993-94 के दौरान ब्रेक पावर खराब होने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं।

श्री के.सी. लेंका : मैं उन्हें इसकी सूचना भेज दूंगा।

[हिन्दी]

उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग

*243. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली) में "उर्वरकों के असन्तुलित प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में किसानों को समुचित जानकारी दिलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) फॉसफेट युक्त तथा पोटासयुक्त उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण उनकी खपत में कमी आयी है, जिसके परिणामत : एन.पी.के. के अनुपात में वृद्धि हुई है। इसका खाद्यान्नों के उत्पादन पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार दीर्घावधि में इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :

(1) फॉसफेट युक्त तथा पोटासयुक्त उर्वरकों की कीमतों में रियायत को 1993 94 के दौरान जारी रखना;

(2) महत्वपूर्ण फसलों के लिए खरीद मूल्यों को बढ़ाकर आदान और पैदावार के बीच के संबंध को किसानों के अनुकूल बनाना;

(3) केंद्रीय क्षेत्र की एक विशेष योजना के माध्यम से उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। देश भर में किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जैव-उर्वरक, कार्बनिक खादी तथा पोषक तत्वों के सस्ते वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग की सिफारिश की गई है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि फास्फेट *और पोटाशयुक्त उर्वरकों की खपत में कमी आई है और अन्य उर्वरकों के मूल्यों से नियंत्रण हटा लिया गया है। कल ही मंत्री तथा प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि शुरू में इसका*

प्रयोग 4 : 2 : 1 में होता था, जो अब 14 : 4 : 1 होता है। परन्तु इस उत्तर में सरकार ने कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन पर इसका तत्काल प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है क्योंकि देश के अधिकांश भागों में जलवायु के अनुकूल परिस्थितियां हैं, ऐसा हो सकता है कि इसका अधिक प्रभाव महसूस नहीं किया गया हो, परन्तु इस वर्ष हमने तीस लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया है। हमारे किसानों में 58 प्रतिशत सीमांत और 18 प्रतिशत छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास बिक्री के लिए खाद्यान्नों की बचत नहीं होती है। मूलतः उन पर इसका प्रभाव पड रहा है और इसकी क्षतिपूर्ति न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके की जा सकती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने की बजाए फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों के, जिनका भूमि उपयोग और भूमि की उर्वरक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, मूल्यों में कमी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी ?

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों को नियंत्रण युक्त कर दिया गया है। इन उर्वरकों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए यह कहना कठिन है कि इन उर्वरकों के मूल्यों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा। परन्तु किसानों को प्रोत्साहन दिए गए हैं। जैसा कि मूल उत्तर में बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है और फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर 1,000 रुपये प्रति टन की रियायत दी गई है। 1992-93 के दौरान राज्यों को छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये थे। सरकार ने इस संबंध में यही कदम उठाए हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, उच्चाधिकारी प्राप्त समिति अर्थात जी.वी.के. राव समिति पहले ही उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसके संभावित प्रभाव संबंधी विषय की गहराई से जांच कर चुकी थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि एक बार में पांच से सात प्रतिशत के बीच वृद्धि की जानी चाहिए। परन्तु फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों में 100 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि की गई थी। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि नियंत्रण हटाने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। इससे पहले वाणिज्य मंत्री ने सभा में यह कहा था कि डंकल प्रारूप के अनुसार हमारे देश में 30,000 करोड़ रुपये तक की राजसहायता दी जा रही है। परन्तु आप उर्वरक पर केवल 500 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे हैं। क्या सरकार इस दृष्टि से उर्वरक मूल्यों पर राजसहायता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ताकि इसका हमारे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि हमें अपने उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राव समिति के बारे में पूछा है। परन्तु हमने एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी और उस समिति की सिफारिशों के अनुसार इन उर्वरकों को नियंत्रण युक्त किया गया है तथा यूरिया के मूल्य में दस प्रतिशत की कटौती की गई है। हमने यह अनुभव किया है कि फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों की खपत में कमी आयी है। जहां तक भूमि की उर्वरा शक्ति का संबंध है, दीर्घावधि में हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसमें संतुलन बना रहे और हम इसके बारे में चिंतित हैं। इनका प्रभाव धीरे-धीरे पड़ेगा, क्योंकि फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरक बेकार नहीं जाएगीं। इनका प्रभाव मिट्टी पर रहेगा। कुछ भाग की खपत हो जाएगी परन्तु शेष भाग का प्रभाव मिट्टी पर बना रहेगा। परंतु ऐसा नाइट्रोजन के मामले में नहीं है। इसलिए इससे फसल उत्पादन में तत्काल कमी नहीं आयी थी। पिछले वर्ष

हमने फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर 1,000 रुपये प्रतिटन का प्रोत्साहन दिया गया था और मेरे विचार से हम यह प्रोत्साहन देते रहेंगे।

जहां तक छोटे और सीमांत किसानों का संबंध है, उन्हें उत्पादन बढ़ाना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ता रहे। अन्यथा किसी भी रोग के लिए कोई रामवाण नहीं है। मैंने यह अनुभव किया है कि यदि समुचित प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी दी जाए तो एक और दो एकड़ जोत में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कल जब पश्चिम बंगाल गया और राजारामपुर क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने यह देखा था मैं। वहां किसानों से मिला लघु सिंचाई और व्यावहारिक विज्ञान के जरिए खारी जल-बांधों का प्रयोग किया जाता है। एक एकड़ भूमि में 60 टन से अधिक टमाटर और करीब 30 टन धान पैदा किया जाता है और लोग यही तरीका अपना रहे हैं। यदि हमारे पास शक्ति है और ऐसा करने का इरादा है तो यह हर जगह संभव है। यह राज्य के नेतृत्व पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन है। हम इस असंतुलन किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं ? इसमें क्या किया जा सकता है ? मुझे आशा है कि इस संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछा जाएगा।

श्री उमराव सिंह : यूरिया के अत्यधिक उपयोग का मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है और इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने के कारण किसान सामान्यतः यूरिया का ही उपयोग करते हैं। सरकार यह समस्या किस प्रकार हल करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : इस दिशा में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हम उर्वरकों के उपयोग में संतुलन बनाए रखें। वस्तुतः पूरे विश्व में जैव उर्वरकों के उपयोग की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है इसलिए हमें भी इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। इस समय हम प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नाइट्रोजन उपयोग करते हैं, जबकि विश्व के अन्य लोग 330 किलोग्राम अथवा 350 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। बाग्लादेश में भी हम से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। परन्तु हम आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में भूमि की बेहतर उर्वरा शक्ति बनाने के लिए अनुकूल कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। हमने जो कुछ कदम उठाए हैं उन्हें मैं बता सकता हूं।

मिट्टी, उर्वरक, बीज और जल की परीक्षण सुविधा को सुदृढ़ बानाने हेतु केंद्र द्वारा राज्य सरकारों का इस संबंध में समग्र अर्थात् शत-प्रतिशत वित्त पोषण किया जाएगा।

देश में चुने गए 60 जिलो में लघु पोषण न्यूनता के प्रदर्शन हेतु हम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर देने जा रहे हैं।

देश में मझोली नगरपालिकाओं द्वारा कम्पोस्ट उर्वरक बनाना। 20 नगरपालिकाओं को बीस-बीस लाख रुपये की सहायता देना। यह प्रयोग के तौर पर किया जाएगा।

कार्बनिक उर्वरकों और अपशिष्ट पदार्थों के कुशल उपयोग के लिए कृषकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

हम 200 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु 25,000 रुपये देंगे। जितने भी संभव हों उतने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।

देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 6 प्रक्षिशण शिविर आयोजित किया जाना।

संगठित खेती और टिकाऊ कृषि के लिए पुरुस्कारों की विशेष योजना।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दो सर्वश्रेष्ठ पंचायतों और कृषकों का चयन करना और पुरुस्कार देना। हम राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत को एक लाख रुपये और दूसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत को 50,000 रुपये पुरुस्कार में देंगे। सर्वश्रेष्ठ कृषक को 10,000 रुपये और दूसरे सर्वश्रेष्ठ कृषक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर, हम सर्वश्रेष्ठ पंचायत को 5 लाख रुपये और दूसरी सर्वश्रेष्ठ पंचायत को 2 लाख रुपये और सर्वश्रेष्ठ कृषक को 25,000 रुपये और दूसरे सर्वश्रेष्ठ कृषक को 15,000 रुपये देंगे।

1996-97 तक लगभग 5000 से 6000 टन जैव उर्वरकों के उत्पादन हेतु जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग हेतु योजना, प्रत्येक जैव उर्वरक इकाइयों को 13 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। अभी तक 22 इकाईयों की स्थापना कर दी गई है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम और अधिक अनुदान देंगे ताकि जमीन की उर्वरा क्षमता को बनाए रखा जा सके और कृषकों को और अधिक लाभ प्राप्त हों।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल : उर्वरक का असंतुलित प्रयोग होता है क्योंकि मिट्टी का परीक्षण नहीं होता है। क्या सरकार मिट्टी का परीक्षण बड़े स्तर पर करवायेगी जिससे किसान सही खाद का प्रयोग कर सके।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी बताया है कि कर रहे हैं।

डा. परशुराम गंगवार : पोटाश खाद महंगी होने के कारण किसानों ने उसका प्रयोग कम कर दिया है। ज्यादातर वे यूरिया का प्रयोग करते हैं जिससे किसानों की जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में इस साल हजारों एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, आप प्रश्न पूछिये।

डा. परशुराम गंगवार : अभी मंत्रीजी ने कहा कि क्षेत्रों में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे है। हमारे यहां कोई ऐसा परीक्षण नहीं चल रहा है। क्या सरकार किसानों के लिए ट्रेनिंग पंचायत स्तर पर देने का इरादा रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी उत्तर दिया है, आपने सुना नहीं, सब कह दिया है।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान फर्टिलाजर के क्षेत्र में 30 प्रतिशत निवेश करता है जबकि डी.ए.पी.एम.ओ.पी. और यूरिया के अलग-अलग उपयोग हैं। सिर्फ सवाल इतना है कि जहां डी.ए.पी.एम.ओ.पी. डालना चाहिए वहां किसान ने इन दोनों के बढ़ते हुए दामों को देख कर

यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल किया। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई तो उसके दो कारण हुये-एक तो इन दोनों खादों के बढ़ते दामों और दूसरा किसान की खाद के उपयोग के बारे में अज्ञानता। तो मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि किसानों को खाद के उपयोग के बारे में जाग्रत करना और डी.ए.पी.एम.ओ.पी. के दामों को कम करने के बारे में सरकार की क्या नीति और कोशिश है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले पश्न का उत्तर तो दे दिया है और अगर दूसरे का चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि डी.ए.पी.एम.ओ.पी. सारा का सारा बाहर से आयातित है। हमारे यहां थोड़ा-सा फोस्फेट और पोटास एक टन भी नहीं बनता है, वह मंहगा होता है अब हमें यह देखना है कि उसका विकल्प क्या ढूंढें और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है फिर भी आगे के लिए हम उसका विकल्प ढूंढकर काम करेंगे। एक बात और बता दूं कि हमने पिछले साल इसकी बढोत्तरी के लिए 756 करोड़ रु. की सबसिडी दी थी और डी.ए.पी.एम.ओ.पी. के लिए हमने 500 करोड़ रु. अनुदान छोटे मझले किसानों के लिए दिया था। यह सब छोटे और मंझले किसानों के लिए इसलिए दी थी कि वे एक साथ महसूस न हो। यदि एक एकड़ में 20 टन धान हो और 50 रु. प्रति क्वंटल अधिक दाम दे तो 1000 रु. बनता है और यदि खाद का दाम 200 या 300 रु. भी बढ़ा तो उसको 700 रु. का फायदा होगा। इन सब के लिए कृषि विकास केंद्र बनाकर किसान को समझाना चाहिए। हमें तो उनसे मांगना नहीं है, हम दाता हैं, हमारी कमायी है, हमारे खून पसीने की कमायी है और हमारी कमायी का बराबर हिस्सा हमें मिलना चाहिए। उसके लिए आपकी सहायता मांगते हैं और आप देते भी हैं।

श्री विजय एन. पाटील : अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि मंत्री जी ने बताया कि आर्गनिक फर्टिलाजर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिन होते हैं और इस सिलसिले में गोबर गैस प्लांट, पोटाशियम और फास्फेट के लिए नीम सीड केक और अलगी के लिए कल्टिवेशन की बात है। आपने बताया कि बायो टैक्नीकल यूनिट लगाने के लिए 25 25 लाख रुपये दे रहे हैं लेकिन एक तरफ तो आप तो आप उरवर्कों के लिए हजारों-करोड़ों रुपये की सबसिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बायो टैक्नीकल यूनिट लगाने के लिए बहुत कम पैसे दे रहे हैं। क्या आप इस बारे में पुनर्विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पाटील जी, यह तो असंतुलित उपयोग के बारे में है।

श्री विजय एन. पाटील : बायो फर्टिलाजर बढ़ाते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिन फसल में मिलकर उसका (उर्वरक का असंतुलित प्रयोग) कम होता है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बायो टैक्नीकल यूनिट के लिए 25 से ज्यादा रकम बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कपडा होगा, वैसा ही कोट बनेगा तो कोशिश की जायेगी।

रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

*244. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा अर्जित लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे के लाभ में वृद्धि करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ उपाय ये हैं, गाड़ी/माल डिब्बा भार से कम यातायात के लिए गहन विपणन, राजस्व की हानि की रोकथाम, चल स्टाक का गहन उपयोग, संचालन व्यय में किफायत, ऊर्जा की बचत, आदि।

[हिन्दी]

श्री महेश कनौडिया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में रेलवे द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है तथा वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 में लाभ कितना प्रतिशत रहा है और यह किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट की रिपोर्ट में यह सब दिया है आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री महेश कनौडिया : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यात्रियों पर कर लगाने और माल भाड़े की वृद्धि करने की कोई सीमा होनी चाहिए। क्या यह सच है कि सारे देश में इस समय रेलवे की अपनी भूमि फालतू पड़ी हुई है ? यदि हां तो वह कितनी फैली है और कितनी उपयोग में लाई गई है तथा कितनी भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा है ? जिस भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए तथा फालतू भूमि को उपयोग में लाने के लिए क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, इसका चर्चा से कोई संबंध नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हर वर्ष रेल किराया बढ़ा

दिया जाता है। मंत्री जी जवाब देते हैं कि रेलवे से लाभ हो रहा है, तो यह किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है ?

(श्री के.सी. लेंका) : अध्यक्ष महोदय, क्या लॉस करने के लिए ट्रेन चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से पूछ रहे हैं ?

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि घाटे को ये दाम बढ़ा कर पूरा कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे यह बात नहीं निकलती।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थ्मस : क्या आप मानते हैं कि बिना टिकट यात्रियों के कारण रेलवे की आय में हानि होती रही है। यदि हां, तो क्या रेलवे ऐसे उपाय कर रही है जिससे बेटिकट यात्रियों को, यदि ऐसे यात्री हैं, बिना टिकट यात्रा करने से रोका जा सके।

श्री के. सी. लेंका : लाभ में कोई गिरावट नहीं आई है। यह सच है कि कमाई में गिरावट आई है। कमाई में गिरावट आने के कारणों में यात्रियों की संख्या का आशा के अनुरूप न बढ़ना; यातायात प्रचालन का महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर से नीचे रहना और माल भाड़े में कमी आना है। रेलवे के अर्जन में कमी आने के यही कारण हैं।

जहां तक बेटिकट यात्रियों का प्रश्न है हम ऐसे यात्रियों को पकड़ने के लिए रेल गाड़ियों में लगातार छापे मारते हैं। इन लगातार छापों के कारण भी अर्जन में बढ़ोत्तरी हुई है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि रेल माल ढुलाई में गिरावट आई है और आपकी विश्वसनीयता घटी है ट्रकों से माल भेजने में जनता ज्यादा राहत महसूस करती है क्योंकि उसकी गारंटी है समय से माल पहुंचाना और कोई चोरी वगैरह भी नहीं होती लेकिन आपके रेलवे से ढुलाई में चोरी, विलम्ब से पहुंचना और असावधानी से माल लिखा भी है और इस वजह से आपकी विश्वनीयता घटी है। आप इस विश्वसनीयता को कैसे पूरा करेंगे ?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : बहु आमान प्रणाली के साथ वाहना-तरण मार्ग विरोध के कारण से समस्या थीं। अब हम समआमान प्रणाली की नीति को धीरे-धीरे लागू कर रहे हैं, ये वाहनान्तरण मार्ग विरोध हटाए जा रहे हैं और चोरी का कोई गुंजाइश नहीं है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से पहुंचाने की गारंटी भी है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने खान पान खाते में हुई कुल हानि के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ? लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ रेलवे के लिए लाभ कमाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, खान-पान की व्यवस्था के निजी क्षेत्र और विभाग दोनों के द्वारा की जा रही है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विभागीय खानपान व्यवस्था की बात कर रहा हूं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : जहां, तक निजी खानपान व्यवस्था का प्रश्न है, हमें उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है और जहां तक विभागीय खान-पान व्यवस्था का प्रश्न है इसमें कोई हानि नहीं हुई है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं है। यदि कोई हानि नही है तो वे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्त चटर्जी : सांसदों के लिए खान पान की व्यवस्था में रेलवे को हानि होती है इतना तो हमें पता है।

मूल्यों में उतार चढ़ाव रहता है। क्या यह कहा जा सकता है कि रेल किरायों में बढ़ोतरी होने के कारण बेटिकट यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है रेल किराया ढांचे का एक सिद्धान्त यह है कि रेल किरायों को इतना बढ़ाया जाय। जितना कि यात्री वहन कर सकें। यदि यात्री किराया वहन नहीं कर सकते हैं, तो यह संभावना बनी रहेगी कि बेटिकट यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो। क्या ऐसा हो रहा है ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : बेटिकट यात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कृषि उद्योग निगम

*246. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन किन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) घाटे में चल रहे निगमों की राज्य वार संख्या क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उनकी अर्थ क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

(ख) अब तक प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों और परीक्षित लेखा के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के कृषि उद्योग निगमों को संचयी हानि हुई है।

(ग) इन निगमों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन करके और उनके निदेशक मण्डलों की बैठकों में केन्द्रीय सरकार के पतिनिधियों को भेज कर उनकी जीवनक्षमता में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री शांताराम पोतदुखे : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल किया था, वह स्टेडिंग कमेटी आन एग्रीकल्चर की तीसरी रिपोर्ट पर आधारित था जिसके चेयरमैन श्री नीतीश कुमार जी हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था;

[अनुवाद]

> "समिति ने पाया कि अधिकतर कृषि उद्योग निगम नुकसान में चल रहे थे। तथापि केन्द्रीय सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। समिति सिफारिश करती है कि केन्द्रीय मंत्रालयों को राज्यों को समय-समय पर निर्देश और दिशा निर्देश देने चाहिए और कृषि उद्योग निगमों में सुधार लाने के लिए उपाय तलाशने चाहिए।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कौन-कौन से कंक्रीट स्टैप्स उठाये और क्या-क्या गाइडलांइस स्टेट गवर्नमेंट्स को जारी कीं। मैं उन गाइडलाइंस के बारे में जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इन कार्पोरेशन का ताल्लुक है, पहले इन्हें 50 : 50 की रेश्यों के आधार पर स्टेट्स और सैंटर में चलाया गया लेकिन बाद में सब का सब प्रान्तीय सरकारें ही चला रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और पंजाब आदि 4 ऐसे कार्पोरेशन्स भी हैं जो नफे मे चलते हैं। जैसा नीतीश कुमार जी की कमेटी ने इनके काम के बारे में कहा है, उसके मुताल्लिक हम विचार कर रहे हैं कि एक मौनिटरिंग कमेटी बनाई जाये ताकि उनको कहा जा सके कि तुम ठीक तरह से काम करके रिपोर्ट दिया करो क्योंकि अब सारे का सारा काम उनके ही जिम्मे हो गया है, इसलिए सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स से सम्पर्क करके ही काम करना पडेगा और बताना पडेगा कि तुम इन कार्पोरेशन्स का औडिट भी कराओ क्योंकि इनकी औडिट रिपोर्ट्स भी हमें काफी समय से प्राप्त नहीं हुई है, बार-बार कहने के बावजूद भी, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं हो सका कि पूरी उनकी मौनिटरिंग की जा सके। अब मैं चाहता हूं और मैं आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि आइंदा हम चाहेंगे कि एक कमेटी बनाकर, मैं अपने मंत्रालय को कहूंगा कि उनके साथ रिश्ता कायम करें, उनका औडिट भी कराएं और सारा काम ठीक करने की कोशिश करें। साथ, यह भी देखा जाये कि यदि कोई भला आदमी कमाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम उस पर विचार करें कि किस तरह से इनको फायदेमंद बनाया जा सकता है।

श्री शांताराम पोतदुखे : अध्यक्ष महोदय, कुल 17 राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है जिनमें से 12 राज्यों में वे घाटे में चल रही हैं तथा आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में फायदे में चल रही हैं। वे कितने फायदे में चल रही हैं, यदि इसका ब्यौरा मिल जाए तो ठीक रहेगा। बाकी मेरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने यह कहा है–

[अनुवाद]

वे इन निगमों की निदेशक मंडल की बैठकों में केन्द्रीय सरकार के नामित सदस्यों की भागीदारी और कार्य निष्पादन की निगरानी करने जा रहे हैं। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाहें, तो मैं सारा ब्यौरा दे सकता हूं कि किसमें कितना मुनाफा है और कितना घाटा है और यह तो उनसे बात कर के ही किया जा सकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। उसमें तो हम सहायता ही कर सकते हैं और जो जानकारी वे लेना चाहें दे सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था और उसकी स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है। मैं आपके माध्यम से इससे ही सम्बन्धित एक बात जानना चाहता हूं कि एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के द्वारा जो कृषि स्नातक बेकार बैठे थे उनको एग्रो सर्विस सेंटर बनाने के लिए अनुदान और ऋण मुहैय्या कराया गया था और बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स एग्रो सर्विस सेंटर्स में लगे थे,

लेकिन पिछले कई वर्षों से उनकी यूनिट वाएबल नहीं रही और उनको काम नहीं मिलता है जिसके चलते उन पर बैंक का कर्ज बढ़ा चला जा रहा है और इस सिलसिले में कई बार उन लोगों का शिष्ट मंडल माननीय मंत्री जी और अनेक सांसदों से मिलता रहता है, तो जो बेरोजगार कृषि स्नातक थे जिन्होंने एग्रो सर्विस सेंटर लगाने की कोशिश की और अब जिन पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ता चला जा रहा है और इस सिलसिले में कई बार उन लोगों का शिष्ट मंडल माननीय मंत्री जी और अनेक सांसदों से मिलता रहता है, तो जो बेरोजगार कृषि स्नातक थे जिन्होंने एग्रो सर्विस सेंटर लगाने की कोशिश की और अब जिन पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ चुका है; उसको अदा करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या सरकार ऐसे एग्रो सेंटर को मदद देकर उनकी सहायता करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, एग्रो बेस्ड कंसोर्शियम हमने बनाया है। उसमें हम चाहेंगे कि एग्रो बेस्ड प्रोसैस को वैल्यू एडीशन किया जाए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : इन दो कृषि उद्योग निगमों में हुए घाटे का एक कारण केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इन निगमों के उत्पादों के लिए सप्लाई आर्डर का न दिया जाना है। इन सरकारी कृषि उद्योग निगमों के लिए मूल्यों में प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नही है। उत्पादों के विविधीकरण के लिए कोई कोष नहीं है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों में समय पर कोई सहायता नहीं दी जाती है। इन बातों के अलावा ये कृषि निगम निजी क्षेत्र के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं हैं। क्या सरकार इन निगमों को समय पर सहायता प्रदान करेगी तथा वर्तमान स्थिति से उबरने हेतु इनके उत्पादों के लिए मूल्यों में प्राथमिकता प्रदान कर इन निगमो के साथ अन्य सरकारी निगमों के समान व्यवहार करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : यह राज्य सरकार का प्रश्न है। केन्द्र सरकार का दायित्व उन्हें अर्थक्षम बनाना है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वे आत्मनिर्भर हैं। अब कुछ अन्य निगम यह करने में समर्थ हैं तो फिर ये निगम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? अतः यह प्रश्न प्रबंधन कौशल का है। यह प्रश्न उद्देश्य के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी का है। मैं समझता हूं कि केन्द्र राज्य सरकारों को इस मामले पर गौर करने के लिए कुछ कृषि उद्योग उदाहरण हैं लिए गुजरात के कृषि उद्योग ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है, तथा वे लाभ भी कमा रहे हैं। उन्हें ट्रैक्टर अथवा अन्य चीज बेचने हेतु कमीशन एजेन्टों जैसी बिचौलियों की ही भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए।

सरकार चाहती है कि वास्तविक रूप में कुछ काम हो तथा खेतिहर समुदाय की सेवा भी हो। लक्ष्य यही होना चाहिए और यही है भी। जहां तक मूल्यों में प्राथमिकता दिया जाने का सवाल है, इसके लिए राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए चूंकि यह उन्हीं के अधीन आता है।

निरक्षरता उन्मूलन

*247. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में निरक्षरता उन्मूलन हेतु राज्य वार कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; तथा 1993-94 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम मे लगे स्वय सेवी संगठनों को गत दो वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए तीन प्रमुख नीतियां हैं। पूरे देश के लिए लागू सामान्य योजनागत योजनाओं के अलावा, पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गई हैं। तथापि, सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। अब तक ऐसे अभियानों में 258 जिलों को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से शामिल किया गया है। आठवीं योजना के अन्त तक 345 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1993-94 में 60 जिलों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के मुकाबले में 108 जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में शामिल किया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1991-92	18.72
1992-93	13.69

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों में अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक निरक्षरता है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इन राज्यों से निरक्षरता उन्मूलन के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाया गया है। यदि हां, तो सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान का स्वरूप क्या है ?

श्री अर्जुन सिंह : असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक निरक्षरता है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 1993-94 के लक्ष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा पहचान किए गए साठ जिलों में से क्या पिछड़े क्षेत्र वाले किन्हीं जिलों को भी उस सूची में शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि 1993-94 के दौरान निरक्षरता उन्मूलन के लिए किया गया कुल परिव्यय क्या है अथवा कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि देश से निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या सरकार ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय क्या है ?

श्री अर्जुन सिंह : क्या मैं (ग) अथवा (क) से शुरू करें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि (ग) से शुरू करना बेहतर होगा। (क) के सम्बन्ध में पहले से ही बजट में जानकारी दी हुई है।

श्री अर्जुन सिंह : केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 1990 91 में 96 करोड़, 1991 92 में 120 करोड़ 1992 93 में 120 करोड़, 1993 94 में 177.97 करोड़ और 1994 95 में प्रस्तावित 214 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है जिसमें से 1991 92 के दौरान 101 करोड़, 1992 93 के दौरान 98 करोड़ 1993 94 के दौरान 4 3 94 तक 146 करोड़ रुपये नियत किए हुए थे।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में क्या है ?

श्री अर्जुन सिंह : इसके बारे में हम लोगों ने इस शताब्दी के अन्त तक 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है।

श्री राम कापसे : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जिस स्थान पर निरक्षरता सबसे अधिक है वहां के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहां के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि विभिन्न संगठनों की सहायता प्रदान करते समय क्या उन राज्यों का विशेष ध्यान दिया रखा जाता है जहां निरक्षरता अधिक है।

श्री अर्जुन सिंह : कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में पहचान की गयी है। स्वाभाविक रूप से वहां अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

मैं उन राज्यों के नाम पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करता चूंकि हम सब उससे अवगत हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े इन राज्यों के लिए साक्षरता कार्यक्रम के अलावा सरकार ने शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि शुरू किया है। एक साथ ये सब कार्य करने से निरक्षरता उन्मूलन होगा।

श्री राम कापसे : महोदय, मैंने स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने के बारे में पूछा है। उन्होंने इसका जबाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, देश से निरक्षरता उन्मूलन शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा बीच में ही स्कूली पढाई छोड़े जाने की घटना को रोकने हेतु प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि के लिए की जाने वाली तीन तरफा पहल सचमुच बड़ी ही उत्साहवर्धक तथा अच्छी बात है। लेकिन यह जानकर बड़ा ही दुख होता है। 1991 92 में देश से निरक्षरता उन्मूलन हेतु 18.72 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। जबकि 1992 93 के लिए इस राशि को घटाकर 13.69 करोड कर दिया गया है। मंत्री महोदय ने भी यह कहा है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत जिला शिक्षा कार्यक्रम के लिए 258 जिलों को शामिल किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बिहार जैसे सर्वाधिक पिछड़े राज्य जहां मात्र 38 प्रतिशत साक्षरता है के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है। जहां तक दक्षिण बिहार का प्रश्न है वह सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है तथा वहां कई जिले शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि दक्षिण बिहार के कितने जिले इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 345 जिलों को शामिल करने

का प्रस्ताव था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसमें दक्षिण बिहार के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब इसे न दुहराएं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं सर्वप्रथम तो माननीय सदस्य की इस धारणा को दुरुस्त करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए 1992 93 के दौरान आवंटन में कोई कमी की गई है। मैं यह नहीं कहता हूं। मैंने जो आंकडे पढ़े हैं वह एकदम स्पष्ट हैं।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, उन्होंने उत्तर में कहा है कि वर्ष 1991 92 के लिए आवंटित राशि 18.72 करोड़ रुपये है, और 1992 93 के लिए यह 13.69 करोड है। यह वहां कहा गया है।

श्री अर्जुन सिंह : वहां जो कहा गया है कृपया उसे पढें। वह स्वयंसेवी संगठनों का व्यय है, यह सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए कुल खर्च नहीं है। **(व्यवधान)** उसके लिए, दूसरा सवल कारण है।

|हिन्दी|

श्री नीतीश कुमार : यह तो पूरा खत्म कर दीजिये...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने बताया वह मिनिस्टर साहब की समझ में आ गया है।

|अनुवाद|

श्री अर्जुन सिंह : हो सकता है कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की जा रही भावनाओं में कुछ तथ्य हों, मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं, कि बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को एक ही झटके में उनके महल को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनें। **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं। यह जानना चाहूंगा कि इनकी जांच करने के लिए क्या कोई तंत्र है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, वह भी हो सकता है लेकिन प्रश्न काल के दौरान नहीं । मैं तो यही कह रहा था। लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे थे वह स्वतः होगा। इन आंकड़ों से यही परिलक्षित होता है। ज्योंही किसी जिले की पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अर्न्तगत लिया जाता है तब जिला साक्षरता समिति ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे कार्य को करने का भार ग्रहण करती है। अन्य सभी स्वयं सेवी संगठन अलग से काम करना बन्द कर देते हैं। धीरे धीरे बिल्कुल यही सब हो रहा है। अतः यही होगा। और मैं प्रत्येक की आलोचना करना ठीक नहीं समझता हूं। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रुई और सूती धागे

221. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई और सूती धागे के मूल्य में वृद्धि होने के कारण वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मूल्य वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है, और

(ङ) सरकार द्वारा रुई के मूल्य में वृद्धि को रोकने और हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कपास और सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि होने से सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है। फिर भी यार्न की कीमतों में वृद्धि होने के कारण देश के कुछ भागों में विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों के बुनाई अनुभाग बन्द होने शुरू हो गए हैं। कीमतों में हाल ही में हुई तेजी से वृद्धि के मुख्य कारण कपास उपजाने वाले प्रमुख राज्यों में कपास की फसल को बड़े पैमाने पर हुई क्षति की रिपोर्टों से बनाई गई मनोवैज्ञानिक कमी सहकारी परिसंघों तथा व्यापारियों द्वारा कपास की सट्टेबाजी वाली खरीदारी करना, व्यापारियों द्वारा स्टाक जमा करना तथा कपास की विश्व-व्यापी कमी आदि हैं। मार्च, 1993 से फरवरी, 1994 से तक की अवधि के दौरान अपरिष्कृत कपास की कीमतों में 64.1 प्रतिशत तक, सूती हैंक की कीमतों में 13.8 प्रतिशत तक तथा कोन यार्न की कीमतों में 21.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

(ग) से (ङ) हथकरघा, विद्युतकरघा तथा मिल मालिकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार ला करके तत्काल कपास और सूती यार्न की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोके। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :

(1) कताई मिलों द्वारा कपास की 5 लाख गांठों तक के शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देने का निर्णय;

(2) वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यात के लिए रिलीज किए गए कपास के 5 लाख गांठों के कोटे में से कपास के अप्रयुक्त निर्यात कोटे को बंद करना;

(3) निर्यात के लिए पहले से अनुबंधित की गई तथा अभी तक लदान न की गई कपास की मात्रा के संबंध में 9 फरवरी, 1994 से निर्यात का आस्थगन करना;

(4) कपास पर चुनिन्दा ऋण संबंधी नियंत्रणों को दुबारा लागू करना;

(5) राज्य सरकारों से अनुरोध करना कि वे कपास की जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाएं; तथा

(6) जनवरी, 1994 की कीमतों से कम से कम 8 रुपये प्रति कि.ग्रा. कम कीमतों पर कताई मिलों द्वारा हैंक यार्न की सप्लाई की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

*222. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वर्ष 1994 95 के लिए विस्तृत कोष सुविधा और रियायती विस्तारित संरचनात्मक समायोजन सुविधा के अंतर्गत ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन सुविधाओं के अंतर्गत प्राप्त वर्तमान ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) हालांकि, विस्तृत कोष सुविधा और विस्तारित संरचनातमक समायोजन सुविधा के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ प्रारम्भिक बातचीत हुई थीं, फिर भी भारत ने वर्ष 1994 95 के लिए उक्त सुविधाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) भारत ने वर्ष 1981 से 1984 के दौरान विस्तृत कोष सुविधा के अंतर्गत 3900 मिलियन एस.डी.आर. की राशि आडरित की थी। लेकिन सिवाय 8,333,337 एस.डी.आर. की अंतिम किस्त के, जिसकी वापसी अदायगी अप्रैल, 1994 में देय है, पूरी राशि की वापसी अदायगी कर दी गई है।

[अनुवाद]

पर्यटकों का आगमन

*223. **श्री रामदेव राम :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1993 में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आए थे;

(ग) गत वर्ष की तुलना में इनकी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार को अगामी वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिसम्बर, 1993 के दौरान, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों सहित, पर्यटकों के आगमन में, गत वर्ष के उसी माह की तुलना में 23.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(घ) और (ङ) माह जनवरी और फरवरी 1994 के दौरान पर्यटकों के आगमन में क्रमशः 28.4 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई पर्यटकों के आगमन में इस सकारात्मक रुख के वर्ष के दौरान बने रहने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र का कर अंशदान

*224. **प्रो. सुशांत चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किए गए कुल कर में निगमित कर के रूप में तथा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में सरकारी क्षेत्र का कितना अंशदान रहा है;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन बेहतर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों के वापस बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में निगमित कर की कुल वसूली में सरकारी और निजी क्षेत्रों का अंशदान निम्नलिखित रहा है :

(रुपये करोडों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र का अंशदान	निजी क्षेत्र का अंशदान	कुल वसूली
1990-91	2228	3106	5334
1991-92	2032	6126	8158
1992-93	3157.89	6457.11	9615(X)

सरकारी उद्यम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त तीन वर्षों में उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वसूली में सरकारी क्षेत्र का अंशदान निम्नलिखित रूप में रहा है

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क
		(रुपये लाखों में)
1990 91	9075	7069
1991 92	8652	7269
1992 93	8200.89	8008

(ग) और (घ) स्रोतों को जुटाने, व्यापक सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन देने और अधिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयर के विनिवेश (शेयरों के बेचे जाने) के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। कर राजस्व में अंशदान एक प्रमुख कारक नहीं है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

*225. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नायक समिति की सिफारिशों के अनुरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कतिपय जिलों के लघु, अति लघु और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये जिले के किन किन राज्यों में हैं और प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या क्या है,

(ग) जनता को इस बारे में सूचित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इन संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की कुल राशि में से अलग अलग लघु, अति लघु और कुटीर उद्योगों, को ऋण राशि का एक निश्चित प्रतिशत दिए जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) क्या सरकार का विचार कुटीर उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर कम करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 20 लाख रुपये की परियोजना लागत के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना के अंतर्गत बैंक लघु क्षेत्र के उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण प्रदान करते हैं।

यह योजना राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किए थे कि उन्हें एकल खिड़की योजना के अंतर्गत देश के 85 जिलों में 45 जिलों में वित्तपोषण करने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करना होगा और इनमें से प्रत्येक जिले में 2000 से अधिक लघु क्षेत्र की इकाइयां होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने तदनुसार 20-11-1993 को वाणिज्यिक बैंकों को 14 राज्यों में 45 जिले आबंटित किए। इसके बाद फरवरी 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को 17 और जिले आबंटित किए। 14 राज्यों के नाम और ऐसे जिलो की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऋण नीति में परिवर्तन और बैंकों द्वारा ऋण संवितरण तंत्र में सुधार के लिए की गयी पहल को सामान्यतः पर्याप्त प्रेस कवरेज मिलता है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 1993 की अपनी ऋण नीति में अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षा की कि प्रत्येक बैंक द्वारा एस.एस.आई. को दिए जाने वाले कुल ऋण का 40 प्रतिशत भाग कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, कारीगरों और 5 लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाले अन्य लघु उद्योगों को दिया जाना चाहिए।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान ब्याज दर नीति के अनुसार ब्याज दर को ऋण के आकार से जोड़ा गया है और प्रयोजन&वार वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश	जिलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3
बिहार	3
गुजरात	3
हरियाणा	2
जम्मू व कश्मीर	1
कर्नाटक	4
केरल	8
मध्य प्रदेश	12
तमिलनाडु	6
महाराष्ट्र	1

1	2
पंजाब	4
राजस्थान	3
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	8

[अनुवाद]

स्विट्जरलैण्ड के साथ व्यापार

*226. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में भारत-स्विटजरलैंड व्यापार संबंध स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्विटजरलैण्ड को भारत से निर्यात की प्रमुख मदें हैं हाथ से बुने गलीचे, परिधान, वस्त्र, काफी, चाय पालिश किए हुए एवं तराशे हुए हीरे और बहुमूल्य पत्थर, खनिज, कार्बनिक रसायन, चमड़े के परिधान और यात्रा की वस्तुएं। स्विट्जरलैण्ड से भारत में आयात में मुख्यतः शामिल हैं, मशीनरी और उपस्कर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) प्रिसिजन उपकरण, रंग और रसायन।

(ख) और (ग) सरकार का सतत् प्रयास है कि स्विट्जरलैंड तथा अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाए जाएं। कुछ संभावित क्षेत्रों में शामिल है साफ्टवेयर, परिधान, गलीचे, चमड़े के परिधान/यात्रा की वस्तुएं उपभोक्ता मदें, आदि।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

*227. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने कुछ वर्षों से पारादीप पत्तन से निर्यात लक्ष्य, विशेषतः लौह अयस्क क्षेत्र का निर्यात लक्ष्य कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारादीप पत्तन से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से किए गए आयात के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं

(मूल्य करोड़ रुपये)

वर्ष	मूल्य
1991-92	902.59
1992-93	875.43
1993-94 (अप्रैल नवम्बर, 1993)	332.92

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.3.1994 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से निर्यात हेतु खनिज एवं धातु व्यापार निगम के लौह अयस्क के निर्यात लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	मात्रा
1991-92	20.10
1992-93	18.50
1993-94 (अप्रैल नवम्बर 1993)	14.00

स्रोत—डी. जी. सी. आई. एंड एस.

पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले जिस अयस्क का निर्यात पारादीप पत्तन से किया जाता है उसके लिए हमारा प्रमुख खरीदार जापान है। जापान ने वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993-94 के लिए इस क्षेत्र के माल की खरीद कम कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के लिए पारादीप पत्तन के जरिए इसके निर्यात लक्ष्य कम कर दिए गए थे।

इसकी निर्यात मात्रा में जो कमी आई है उसे बढ़ाने के उद्देश्य से चीन, पाकिसतान, मलेशिया, आदि जैसे वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने के प्रयास दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

*228. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए सरकार को अब तक प्राप्त प्रस्तावों का तथा आवेदकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन किन प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं;

(ग) ये बैंक कब से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे,

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए कितने प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों और ट्रेड यूनियनों ने बैंकिंग क्षेत्र का गैर सरकारीकरण करने का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियमन 1949 के उपबंधों के अधीन निजी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है, न कि सरकार द्वारा। निजी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित फार्म में 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का विस्तृत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (घ) उन 23 आवेदनों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक दिनांक 28 2 94 को यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड को लाइसेंस जारी किया है। "सिद्धांत रूप में" 8 आवेदकों (अनुबंध में दर्शाया गया क्रम संख्या 2 से 9) को भी मंजूरी दे दी गई है। शेष 14 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक में जांच के विभिन्न चरणों में है।

(ग) यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड की पहली शाखा शीघ्र ही अहमदाबाद में खोले जाने की आशा है। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व शेष आवेदकों (जिन्हें "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृति दे दी गई है) को कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने, 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम चुकता पूंजी की व्यवस्था करने, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पहचान इत्यादि जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा।

(ङ) से (छ) ट्रेड यूनियनों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जनवरी, 1994 में ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ हुई वित्त मंत्री की बैठक के दौरान ट्रेड यूनियन के नेताओं की आशंका को दूर कर दिया गया था।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में प्राप्त आवेदनों का विस्तृत विवरण

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.)
2. आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.)
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.)
4. जयन्त माधव एण्ड एसोशियेट्स
5. ट्वन्टीयथ सैन्चुरी फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
6. बेनेट कोलेन एण्ड कं. लि.
7. इन्डस इंड इन्टरप्राइजेज एण्ड फाइनेंस लि. (आई.ई.एफ.एल.)
8. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लि.
9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (आई.डी.बी.आई.)
10. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
11. डा. इन्द्रजीत सिंह
12. आई.टी.सी. लि.
13. फिनिक्स ओवरसीज लि.
14. एस.पी.वाई. रेड्डी
15. पद्मजा फाइनेंसियल सरविज लि.
16. रॉस मुररका फाइनेंस लि.
17. पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि.
18. एच.टी. पटेल
19. रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि.
20. सहारा इंडिया फाइनेंसियल कार्पोरेशन लि.
21. इस्पात फाइनेंस लि.
22. माडर्न ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज
23. आर.सी. सुनेजा

[अनुवाद]

चमड़ा-उत्पाद

*229. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उत्पादों विशेष रूप से जूतों और चप्पलों का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार निर्यात संवर्धन के लिए एक विशेष ध्यान योग थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में चमड़ा क्षेत्र पर प्राथमिकता आधार पर ध्यान दे रही है। इसमें फुटवियर तथा चमड़े से बनी वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने जो उपाय किए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि आवश्यक कच्चे माल की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित मानवबल की कमी और डिजाइन तथा उत्पाद विकास सुविधा की कमी जैसी वृद्धि में बाधक प्रमुख कठिनाईयों को दूर किया जाए। आयात टैरिफों को कम किया गया है जिससे कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं तथा मशीनरी के आयात को सुगम बनाया जा सके और एक एकीकृत उत्पाद विकास का संवर्धन किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय समुदाय जैसे हमारे प्रमुख बाजारों में विपणन अभियान आरंभ किए गए हैं। सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से इस उद्योग की प्रगति के लिए एक विस्तृत परियोजना भी लागू कर रही है।

राष्ट्रीय बैंक

*230. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान विधियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का है ताकि जिन खामियों के कारण घोटाले होते हैं उन्हें दूर करने के लिए अपेक्षित परिवर्तना का पता लगाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) धोखाधड़ियों और कदाचारों को रोकने और वर्तमान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, औचक निरीक्षण और सतर्कता मशीनरी जैसे विभिन्न नियंत्रण तंत्र निरंतर आधार पर कार्य करते हैं। जब कभी किसी बैंक में धोखाधड़ी करने के लिए किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा कोई नया तरीका अपनाया जाता है, तब वर्तमान प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्य प्रणाली की जांच करता है और इसे सभी बैंकों को परिचलित करता है।

बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने जून, 1992 में अपनी सिफारिशें जमा कर दी थीं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन किए जाने हेतु कुछ नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान की गई थी। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकारी खर्च

*231. **श्री गुमानमल लोढा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिक मुद्रा प्रचलन में लाकर तथा बैंकों से धनराशि निकालकर अपने बढ़ते हुए खर्चों को पूरा कर रही है; जैसा कि 28 दिसम्बर, 1993 के टेलीग्राफ में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 93 और 1993 94 के प्रथम नौ महीनों की अवधि के दौरान सरकार को कुल कितना ऋण दिया;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में थी; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1993 और 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति में कितना कितना ह्रास हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण (एल.आर.सी.सी.सी.जी.) 1992 93 के पहले नौ महीनों की अवधि के दौरान 6485 करोड़ रुपये के मुकाबले 1993 94 की तदनुरूप अवधि में 7842 करोड रुपये था। केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच समकालिकता नहीं है और इसलिए रिजर्व बैंक उधार किसी विशेष समय बिन्दु पर संभावित वर्ष एवं आंकड़ों का द्योतक नहीं है। फिर भी सरकार स्थिति की ध्यानपूर्वक मानिटरिंग कर रही है।

(ग) कुल मुद्रा पूर्ति (एम 3) 25 दिसम्बर, 1992 के 3,53,949 करोड़ रुपये के मुकाबले 24 दिसम्बर, 1993 को 4,08,413 करोड़ रुपये पर स्थिर रही।

(घ) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार=1982=100) पर आधारित स्फीति दर के अनुसार भारतीय रुपये की क्रय शक्ति अनुमानतः दिसम्बर, 1992 में 41.15 पैसे और दिसम्बर, 1993 में 37.88 पैसे थी।

विमान किराये में वृद्धि

*232. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान किराये में वृद्धि करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के विमान किरायों मे वृद्धि करने का है,

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों के विमान किरायों के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है,

(घ) यदि हां, तो संबंधित देशों के घरेलू और विदेशी एयरलाइनों के वर्तमान विमान किराया ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विमान किराये में और वृद्धि होने से भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) संबंधित सरकारों के अनुमोदन के लिए पेश किए जाने से पहले विभिन्न तथ्यों जैसे राष्ट्रीय नीतियां, आर्थिक प्राचल, प्रचालनों की लागत तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्य एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ टैरिफ सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर किरायों के संबध में चर्चा की जाती है।

सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रचालनों में बढ़ी लागत को पूरा करने के लिए अंतर्देशीय किरायों में वृद्धि की जाती है।

(ख) वर्तमान में, किरायों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुण वत्ता जांच केन्द्र

*233. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का चयनित स्थानों पर समान स्वरूप वाले औद्योगिक समूहों के लिए गुणवत्ता जांच केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) किन किन स्थानों पर गुणवत्ता जांच केन्द्रों की स्थापना की गई है, और इन केन्द्रो की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) गुणवत्ता परीक्षण केन्द्रों (क्यू.टी.सी.) की स्थापना हेतु, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1986 में एक योजना शुरू की थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) द्वारा स्थापित किए जाने वाले 11 केन्द्रों में से कोयम्बतुर, कोचीन, हावड़ा, बंगलूर, मपुसा, गाजियाबाद तथा नई दिल्ली में सात केन्द्र स्थापित किए गए हैं। भुवनेश्वर तथा रूड़की में गुणवत्ता परीक्षण केन्द्रों (क्यू.टी.सीस) की स्थापना का कार्य चल रहा है। धनबाद तथा श्रीनगर में क्यू.टी. सीस के क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(घ) प्रचालनाधीन सात क्यू.टी. सीस में से, तीन लगभग एक वर्ष पूर्व स्थापित किए गए हैं तथा अभी पूर्ण रूपेण प्रचालन में नहीं आए हैं। शेष क्यू.सी. सीस को सामान्यतया, लघु औद्योगिक यूनिटों द्वारा उनकी सेवाओं के सीमित उपयोग की समस्या का मुकाबला करना पड़ रहा है।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना

*234. **श्री छेदी पासवान :**
श्री शिवलाल नावजी भाई वेकारिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत अब तक लाभान्वित हुए किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, दस्तकारों और बुनकरों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी गयी है,

(ग) क्या किसी राज्य के दावे सरकार की स्वीकृति के लिए अभी भी लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दावों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, कारीगरों और बुनकरों की कुल संख्या 316.29 लाख है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के सम्पूर्ण भार की जिम्मेवारी लेने और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई राहत के लिए अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का वादा किया था। सहकारी ऋण संस्थाओं के संबंध में योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत का शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। नाबार्ड को प्राप्त दावों और बैंकों को स्वीकृत राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड ने सभी सहकारी बैंकों को उनके द्वारा अपात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की गई राहत को छोड़ने के बाद संशोधित/अंतिम दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके प्राप्त होने के बाद ही नाबार्ड बैंकों को शेष राशि जारी करने पर विचार करेगा।

विवरण-I

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अंतर्गत हिताधिकारियों की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	हिताधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29,93,964
2.	अरूणाचल प्रदेश	11,977
3.	असम	5,30,512
4.	बिहार	37,43,821
5.	गोवा	19,185
6.	गुजरात	13,44,130
7.	हरियाणा	5,98,939
8.	हिमाचल प्रदेश	2,86,032
9.	जम्मू व कश्मीर	33,721
10.	कर्नाटक	16,10,030
11.	केरल	8,51,429
12.	मध्य प्रदेश	19,84,504
13.	महाराष्ट्र	28,74,476
14.	मणिपुर	79,244
15.	मेघालय	71,679
16.	मिजोरम	6,450
17.	नागालैंड	24,959
18.	उड़ीसा	21,53,968

1	2	3
19.	पंजाब	4,55,870
20.	राजस्थान	20,20,723
21.	सिक्किम	9,394
22.	तमिलनाडु	19,74,731
23.	त्रिपुरा	2,09,641
24.	उत्तर प्रदेश	51,81,996
25.	पश्चिम बंगाल	24,89,825
26.	चंड़ीगढ़	3,280
27.	दादरा व नगर हवेली	2,798
28.	दमन व दीव	1,115
29.	दिल्ली	10,592
30.	लक्षद्वीप	91
31.	पांडिचेरी	45,396
32.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,754
	कुल	3,16,28,929

विवरण-II

कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत प्राप्त दावों और अब तक मंजूर की गयी राशियों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सहकारी बैंक दायर दावे	(एस.सी.बी.) स्वीकृत राशि	राज्यभूमि दायर दावे	विकास बैंक स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	302.63	255.47	48.90	41.64

1	2	3	4	5	6
2.	कर्नाटक	94.89	80.10	39.15	33.35
3.	मध्य प्रदेश	225.44	190.31	45.68	38.90
4.	उड़ीसा	149.62	108.46	36.88	31.41
5.	पश्चिम बंगाल	112.90	95.31	25.46	21.69
6.	अंडमान और निकोबार (सहायता)	0.20	0.08	–	–
7.	पंजाब	102.19	100.00	9.25	7.87
8.	हरियाणा	96.36	82.00	34.52	29.41
9.	हिमाचल प्रदेश	28.52	22.37	2.57	2.05
10.	असम	32.17	17.90	2.43	1.29
11.	मेघालय	9.80	6.17	–	–
12.	त्रिपुरा	11.28	5.53	1.69	0.89
13.	मणिपुर	8.07	2.98	–	–
14.	मिजोरम	0.18	–	–	–
15.	नागालैंड	3.81	2.33	–	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	1.29	1.00	–	–
17.	आन्ध्र प्रदेश	235.75	199.04	118.14	100.66
18.	राजस्थान	193.52	247.78	32.62	27.78
19.	उत्तर प्रदेश	543.17	458.53	100.27	85.40
20.	तमिलनाडु	211.21	190.71	73.60	62.69
21.	पांडिचेरी (सहायता)	3.59	1.51	0.18	0.76
22.	बिहार	400.91	186.74	148.15	88.00

1	2	3	4	5	6
23.	महाराष्ट्र	378.88	319.84	111.38	94.86
24.	गोवा	1.51	1.21	-	
25.	जम्मू व कश्मीर	33.80	28.11	1.78	0.89
26.	केरल	69.71	58.85	11.70	10.00
27.	नई दिल्ली		0.10		
28.	चंडीगढ़	0.36	0.29	-	-

[अनुवाद]

विमान यातायात के नियंत्रण संबंधी सुविधाएं

*235. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानपत्तनों पर मानसून और कोहरे के दौरान, जब कम दिखाई देता है, किस प्रकार उड़ानों को संचालित किया जाता है;

(ख) किन-किन विमानपत्तनों पर विमान यातायात नियंत्रण भवन और अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और वहां प्रतिदिन घरेलू विमान सेवायें चलती हैं;

(ग) क्या कुछ विमानपत्तनों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विमान यातायात नियंत्रण और वी.एच.एफ. प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मानसून और कोहरे के मौसम के दौरान जब दृश्यता कम होती है, उड़ानें, उपस्कर उड़ान नियम की शर्तों के अधीन प्रचालित की जाती हैं।

(ख) से (घ) उन सभी हवाई अड्डों पर जहां वाणिज्यिक उड़ानें प्रचालित की जाती हैं, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आवश्यक हवाई यातायात सेवाओं की व्यवस्था की है जिनमें हवाई यातायात नियंत्रण, संचार और दिक्चालन सुविधाएं शामिल हैं।

बीमा क्षेत्र

*236. **श्री हरिलाल ननजी पटेल** :
श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बीमा क्षेत्र में सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किन किन सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है;

(घ) कौन कौन सी सिफारिशें अब भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(ङ) क्या बीमा कर्मचारियों ने इस समिति की सिफारिशों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां। 7 जनवरी, 1994 को।

(ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें सलंग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (च) सूचित किया गया है कि जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों की कुछ कर्मचारी यूनियनों के सदस्यों ने बीमा क्षेत्र में सुधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

विवरण

समिति की मुख्य सिफारिशें

(1) राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र के वर्तमान ढांचे में भी बीमा विनियामक तंत्र को सक्रिय बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ और एक अन्तरिम उपाय के रूप में, बीमा नियंत्रक के कार्यालय को बीमा अधिनियम के अधीन उसके पूरे कार्यकलाप वापस सौंप दिए जाने चाहिए और इसकी उच्च प्राथमिकता को देखते हुए इसे एक पृथक कार्यालय के तौर पर गठित किया जाना चाहिए। इसी बीच एक सुदृढ और कारगर बीमा विनियामक प्राधिकरण की, सेबी (ए.ई.बी.आई.) के सिद्धान्तों पर एक सांविधिक स्वायत्त बोर्ड के रूप में स्थापना करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(2) जीवन बीमा निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, को कम्पनी अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया जाए। जीवन बीमा निगम की मौजूदा 5 करोड़ रुपये की पूंजी, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है, को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया जाए जिसमें सरकार की धारिता 50 प्रतिशत होगी और शेष राशि का एक उचित भाग जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा जुटाए जाने के लिए आरक्षित छोड़कर, सामान्यतः जनता द्वारा दी जाएगी।

(3) जीवन बीमा निगम का केन्द्रीय कार्यालय नीति निर्माण, निवेश, उत्पाद विकास, बीमाकिंक मूल्याकंन, कार्मिक नीतियों, प्रणाली विकास और निगम के खातों संबंधी कार्यकलापों पर संकेन्द्रित होना चाहिए। जीवन बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रदान करके उन्हें बीमा कारोबार और अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में सम्बद्ध मामलों के लिए मुख्य कार्यालय बना दिया जाए। क्षेत्रीय प्रबंधकों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाए। केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया छह माह की अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। पुनः संरचना करने पर केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में जो स्टाफ फालतू हो उसे विशेष रूप से उन शाखाओं में पुनः नियोजित किया जाए जहां कारोबार का सवंर्द्धन तत्काल किए जाने की जरूरत महसूस हो।

(4) साधारण बीमा निगम का उसकी चारों सहायक कम्पनियों अर्थात् न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी और ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी की नियंत्रक कम्पनी के रूप में दायित्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन्हें अपनी जिम्मेदारी पर स्वतंत्र कम्पनियों के रूप में कार्य करना चाहिए। साधारण बीमा निगम बीमा अधिनियम के अन्तर्गत केवल एक पुनर्बीमा कम्पनी के रूप में और भारतीय पुनर्वीमाकर्त्ता के रूप में काम करेगी।

(5) साधारण बीमा निगम की पूंजी बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक कर दी जानी चाहिए जिसमें से सामान्यतः 50 प्रतिशत सरकार द्वारा और शेष जनता द्वारा धारित की जाए और एक उपयुक्त अंश साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। सहायक कम्पनियों को साधारण बीमा निगम से पूरी तरह अलग करने के लिए सरकार को उनमें से प्रत्येक का पूरा पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। प्रत्येक कम्पनी की पूंजी 100 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिए जिसमें से 50 प्रतिशत पूंजी की धारक सरकार हो, शेष सामान्यतः जनता द्वारा धारित हो। संबंधित कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए भी एक उपयुक्त समानुपात में राशि आरक्षित कर दी जाए।

(6) जीवन बीमा और साधारण बीमा कम्पनियों की धनराशियों के अधिदेशाधीन निवेश को 75 और 70 प्रतिशत के वर्तमान स्तरों से घटाकर क्रमशः 50 प्रतिशत और 35 प्रतिशत दर्ज कर दिया जाना चाहिए।

(7) निजी क्षेत्र को बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। किसी भी कम्पनी को जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों तरह का कारोबार करने की अनुमति न दी जाए। नए प्रवेशकों की संख्या नियंत्रित की जाए। किसी भी नए प्रवेशकर्त्ता के लिए चूकता पूंजी कम से कम 100 करोड़ रुपये कर दी जानी चाहिए। प्रवर्तकों का हिस्सा चूकता पूंजी का 26 से 40 प्रतिशत हो सकता है। प्रर्वतकों के अलावा कोई भी व्यक्ति एक प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी धारित नहीं कर सकता। यदि कभी विदेशी बीमा कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें इस प्रयोजन

के लिए भारतीय कम्पनी तरजी ही तौर पर, भारतीय साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी प्रचालित करनी होगी। निजी क्षेत्र की बीमा क्षेत्र में आने की अनुमति देने से पूर्व बीमा नियंत्रक को चाहिए कि वह कुशलतापूर्वक कार्य करना प्रारंभ करे।

(8) प्रत्येक राज्य में एक सहकारी समिति को जीवन बीमा कारोबार का कार्य सम्पादन करने के लिए अनुमति दी जाए। डाक जीवन बीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कारोबार का कार्य निष्पादन करने के लिए अनुमति दी जाए।

(9) साधारण बीमा कारोबार के अनुरोधों पर सहकारी संस्थाओं से राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर साधारण बीमा का कारोबार करने के अनुरोधों पर विचार किया जाए बशर्ते कि वे निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों।

(10) जीवन बीमा में नए प्रवेशकों से अपेक्षा की जाए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित न्यूनतम कारोबार निष्पादित करें।

(11) जीवन से सम्बद्ध भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा (एल.ए.एल.जी.आई.) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) लाभग्राही योजनाएं और साधारण बीमा निगम की व्यक्तिगत दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा (पी.ए.एस.एस.) तथा झोंपड़ी बीमा योजना राहत प्रदान करने वाली कल्याण योजनाएं हैं तथा बीमा का कोई भी भाग इनमें शामिल नहीं है। इन्हें संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को अंतरित किया जाना चाहिए।

(12) इस अवस्था में साधारण बीमा में शुल्क की प्रणाली समाप्त करना अनुचित होगा। लेकिन, शुल्क प्रणाली में से व्यक्तिगत कवच की सीमा को शीघ्रातिशीघ्र अलग किया जाना चाहिए। साधारण बीमा को बीमांकन क्षमता में सुधार लाने और प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए शुल्क के अंतर्गत क्षेत्र को उत्तरोत्तर घटाया जाए। बाजार समझौतों को बन्द किया जाना चाहिए।

(13) शुल्क (टैरिफ) सलाहकार समिति को साधारण बीमा निगम से अलग कर दिया जाना चाहिए और उसे यथावश्यक बीमा विनियामक प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अंतर्गत उसका कोई भाग बने बिना एक अलग सांविधिक निकाय के रूप में काम करना चाहिए।

(14) बीमा नियंत्रक द्वारा सर्वेक्षकों को लाइसेंस देने की प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए और बीमा कम्पनियों की उचित कार्य के लिए उचित सर्वेक्षक नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए।

(15) पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से पेंशन निधियों में बचतों को उन लाभों से हटकर विशेष कर राहत दी जानी चाहिए जो अपेक्षाकृत अल्पावाधिक बचतों को दिए जाते हैं। जीवन बीमा कम्पनियों के प्रबंध वाली पेंशन निधियों से होने

वाली निवेश की आय को कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए जैसा कि नियोजकों के प्रबंध वाली निजी पेंशन निधियों को यह सुविधा दी जाती है।

(16) प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए सभी स्तरों पर कारोबार का प्रचालन करने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा कम्पनियों में व्यापक रूप से संगणकीकरण (कम्प्यूटराइजेशन) कर दिया जाना चाहिए और उसे आगामी 12 से 18 महीनों के अंदर पूरा कर दिया जाए।

(17) मुकदमेबाजी कम करने के लिए, साधारण बीमा उद्योग द्वारा लोकपाल प्रथा स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत दावों पर इसी मंच पर विचार किया जाए।

(18) संभवतः नए बीमा कानून में संशोधनों और समेकनों के लिए उपयुक्त सदस्यता एक समिति गठित की जाए तो मौजूदा बीमा कानूनों, नियमों और विनियमों की विस्तृत संवीक्षा कर सके।

स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल की यात्रा

*237. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के कुछ देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन देशों में पर्यटन के विकास की भारी संभावनाएं हैं और इसमें भारत बड़े पैमाने पर भाग ले सकता है;

(घ) क्या भारत और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल देशों के बीच होटल के क्षेत्र में विदेशी निवेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में पर्यटन संवर्धनात्मक प्रतिनिधि मंडल ने स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के निम्नलिखित देशों की यात्रा की है :

(1) उज्बेकिस्तान

(2) किरघस्तान

(3) कजाख्स्तान

(4) तुर्कमेनिस्तान

(5) रूस

(ग) स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के देशों से भारत के लिए पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस संबंध में स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के कुछ देशों यथा उज्बेकिस्तान और बेलारूस, के साथ द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में पर्यटक केन्द्रों के बारे में सूचना हमारे मिशनों के जरिए दी जाती है। उज्बेकिस्तान के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल का आतिथ्य भारत द्वारा किया जा रहा है। कजाख्स्तान, उज्बेकिसतान, किर्घस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ द्विपक्षीय वायु से करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत में होटल उद्योग ने कजाख्स्तान और किर्घस्तान में होटलों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की पेशकश की है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

आनुमानिक कर योजना

*238. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयकर का भुगतान किए जाने के लिए आनुमानिक कर योजना चलाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस योजना के प्रसार प्रचार में 31 जनवरी, 1994 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) अब तक इस योजना के अंतर्गत आयकर के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां।

उक्त योजना किसी माल के खुदरा व्यापार अथवा किसी भोजनालय को चलाने अथवा मोटर कार, तिपहिया मोटर वाहन आदि को चलाने के कारोबार अथवा किसी व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले उन व्यष्टियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों पर लागू होती है, जिनका अभी तक कर निर्धारण नहीं किया गया है। उक्त योजना केवल उस स्थिति में लागू होती है यदि खुदरा व्यापार का कुल कारोबार 5 लाख रुपये से अधिक न हो और आय 37,000 रुपये (कर निर्धारण वर्ष 1994 95 के लिए) से अधिक न हो। दूसरे मामलों में उक्त योजना केवल तब लागू होगी यदि आय 37,000 रु. (कर निर्धारण वर्ष 1994-95) से अधिक न हो। उक्त योजना में एक सरलीकृत फार्म को दायर करने की एक बहुत ही आसान प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें नाम, पता कारोबार अथवा पेशे का प्रकार और हैसियत का उल्लेख करते हुए यह घोषणा करनी होती है कि आय विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं हैं उक्त योजना के अंतर्गत संदेय कर की रकम सामान्यतया 1400 रुपये होगी जबकि हिन्दू अविभाजित परिवारों, जिनके एक सदस्य की आय कर योग्य हो तथा अन्य स्रोतों से 5000 तक की आय वाले व्यक्तियों द्वारा थोड़ी सी अधिक धनराशि अदा करनी पड़ेगी। उक्त योजना पूर्णतया वैकल्पिक है और इस योजना को अपनाने वाले व्यक्तियों के संबंध में, उन मामलों को छोड़कर जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण को असत्य पाया जाता है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

(ग) वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान 1.03 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में दिनांक 31-1-94 तक 1.55 करोड़ रुपये की धनराशि इस पर खर्च की गई थी।

(घ) वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान 16.47 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष में दिनांक 28-2-1994 तक 6.33 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

नागर विमानन में सुरक्षा

*239. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के मामले में मानव-गल्तियों की घटनाएं बार-बार घटित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उड़ान क्षेत्र में संचालन प्रबंध और प्रौद्योगिकी स्तर पर कोई उन्नयनात्मक कार्यवाही की गई है तथा देश के विमानन उद्योग में उड़ानों में सुरक्षा के रिकार्ड में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या नगर विमानन में सुरक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया, वायुदूत, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमाननपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एअर टैक्सी आपरेटरों की सुरक्षा संबंधी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो सरकार का किस तरह से विमान कम्पनियों की सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों में हुई कुछ घटनाएं मानव चूक के कारण हो सकती हैं।

(ख) और (ग) घटनाओं के कारणों का पता लगाने के संबंध में विनियामक प्राधिकारियों का निरंतर प्रयास रहता है। जांच प्राधिकारियों के निष्कर्षों के आधार पर इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। विमान प्रचालनों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाने और मानवचूक को रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) कलाइट रिकार्डरों को मानिटर करना।

(2) एग्जेक्यूटिव विमान चालकों द्वारा पर्यवेक्षण उड़ानें।

(3) लेट डाउन प्रक्रियाओं का पालन करना।

(4) संवेदन शील प्रचालनात्मक क्षेत्रों की निगरानी।

(5) विमान की लोड और ट्रिम शीट बनाने में सभी सुरक्षा उपायों और पूर्वोपयों का पालन।

(घ) और (ङ) एयरलाइन्स/एअर टैक्सी प्रचालक, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अनुरक्षण एजेंसियों की सुरक्षा संबंधी जांच नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा गठित सुरक्षा जांच दलों द्वारा की जाती है। नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा अब तक इंडियन एयरलाइन्स, प्रमुख एअर टैक्सी प्रचालकों और विमानों के अनुरक्षण में लगी एजेंसियों की जांच की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चाय पर लेवी

*240. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय पर लेवी लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चाय बोर्ड ने सरकार से प्रस्तावित खेती को चाय के वर्तमान उपकर में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ङ) लेवी लगाने से प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी;

(च) क्या सरकार ने इस धनराशि के उपयोग हेतु कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (छ) चाय बोर्ड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि चाय के विकास के लिए चाय पर 15 पैसे प्रति किलोग्राम उपकर की दर को बढ़ाकर 45 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया जाए, साथ ही भारतीय बागान प्रबंध संस्थान के वित्त पोषण के लिए भी 5 पैसे प्रति किलोग्राम की लेवी लगाई जाए। किन्तु, अतिरिक्त विकास योजनाओं के लिए अथवा संस्थान के लिए उपकर बढ़ाने की वांछनीयता अथवा स्वरूप के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ ऐसे निश्चित उद्देश्य हैं जिनके लिए चाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकर से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर चाय बोर्ड के उपकर बजट में से विभिन्न खातों में उपकर राशि का औसत उपयोग निम्नलिखित है :

(1) विदेश में संवर्धन कार्य	43.5 प्रतिशत
(2) अनुसंधान अनुदान	13.5 प्रतिशत
(3) विकास अनुदान	3.8 प्रतिशत
(4) श्रमिक कल्याण	1.7 प्रतिशत

(5) प्रशासन कार्य जिसमें वेतन तथा भत्ते, पेंशन, कार्य तथा अन्य प्रभार शामिल हैं	37.5 प्रतिशत
योग :	100.0 प्रतिशत

[अनुवाद]

जम्मू-ऊधमपुर रेल सम्पर्क

*241. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और ऊधमपुर के बीच रेल सम्पर्क स्थापित हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी की वजह से और साथ ही दुर्गम क्षेत्र होने के कारण प्रगति धीमी रही है, जम्मू और कश्मीर राज्य के तेजी से विकास के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में समुचित रेल व्यवस्था करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, इस लाइन को उच्च प्राथमिकता दी गई है और 1994-95 के बजट प्रस्तावों में इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। धन की तंगी अब इस काम में आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा कार्य पूरी गति से किया जाएगा।

(ग) दुर्गम क्षेत्र तथा किए जाने वाले कार्य की मात्रा को देखते हुए आशा है कि इस कार्य को पूरा होने में 3 वर्ष लगेंगे।

रेल विकास परियोजनाएं

*245. **श्री रवि राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रेल विकास परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया है और इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि दूसरे राज्यों को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्थगित करने से इनकी लागत बढ़ जाएगी; और

(घ) राज्य में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में कई परियोजनाएं चल रही हैं और वे प्रगति तथा समापन के विभिन्न चरणों में हैं। संसाधनों की तंगी के कारण, उनमें से दो परियोजनाओं को फिलहाल निम्नतर प्राथमिकता दी गई है। धन के आवंटन के मामले में, मेट्रो रेल परियोजना को, जो अब पूरी होने वाली है, उच्च प्राथमिकता दी गई है।

धन की आवश्यकता तथा कार्य की प्रगति को देखते हुए, इस वर्ष निम्नतर प्रथमिकता वाली इन परियोजनाओं को आवंटित 2 करोड़ रुपये की राशि का रेलवे की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अन्य परियोजनाओं में पुनर्विनियोग किया गया और इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई क्योंकि इस कार्य को 1995 के दौरान पूरा किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।.

विवरण

रेलवे की विकास परियोजनाएं

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य में चल रही 5 करोड़ रुपये तथा इसे अधिक लागत वाली रेल परियोजनाओं पर 31 3 94 तक खर्च की जाने वाली राशि नीचे लिखे अनुसार होगी :

क्र॰ सं॰	परियोजना	खर्च की गई राशि
1	2	3
		(करोड़ रुपये में)
1.	मेट्रो रेल परियोजना, कलकत्ता	1185.84
2.	लक्ष्मीकांतपुर नामखाना, नई लाइन	32.70
3.	तामलुक डीघा, नई लाइन	22.01
4.	इकलाखी-बालूरघाट, नई दिल्ली	2.97
5.	बंडेल कटवा का विद्युतीकरण	1.05
6.	हाबरा-बोंगांव, दोहरी लाइन बिछाना	12.50
7.	साहिबगंज-न्यू फरक्का-माल्दा टाउन, दोहरी लाइन बिछाना	40.68
8.	दत्तपुकुर-हाबरा, दोहरी लाइन बिछाना	6.50
9.	खाना-झापटेरढाल, दोहरी लाइन बिछाना	2.10
10.	झापटेरढाल गुसकरा, दोहरी लाइन बिछाना	2.00
11.	अलुआबाड़ी-किशनगंज, दोहरी लाइन बिछाना	17.99

1	2	3
12.	हावड़ा-सेवड़ाफुली और भद्रेश्वर-बंडेल-खंडीय क्षमता में वृद्धि	23.39
13.	बर्धमान यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	19.99
14.	डानकुनी-नोडल माल यातायात टर्मिनल का विकास	1.00
15.	कलकत्ता क्षेत्र यात्री आरक्षण प्रणाली	21.04
16.	शालीमार कोचिंग टर्मिनल	1.91
17.	बंडेल-ई.एम.यू. कार शेड	10.76
18.	अंडाल-बॉक्स एन. मरम्मत डिपो	5.96
19.	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना-बिजली रेल इंजन निर्माण क्षमता में वृद्धि करना	2.48

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग

*248. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि लागत और मूल्य आयोग के वर्तमान ढांचे में आमूल परिवर्तन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैगन आवंटन प्रणाली

*249. **प्रो. उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न रेल जोनों को नये वैगनों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है,

(ख) 1992-93 के दौरान और 1993-94 में 31 जनवरी, 1994 तक दक्षिण मध्य रेलवे को कितने नए वैगनों का आवंटन किया गया,

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे की मांग पूरी कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त जोन की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न रेलों को नये माल डिब्बों का आबंटन उनके स्वामित्व, नाकारा घोषित किए जाने, आदि को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकता के अनुपात में किया जाता है।

(ख) 1992-93 और 1993-94 (जनवरी 1994 तक) के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे को क्रमशः 3285 और 1950 नये माल डिब्बे आवंटित किए गए थे।

(ग) से (ङ) भारतीय रेलों पर उपलब्ध सभी माल डिब्बों को समेकित किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रीय रेल प्रणालियों को उनका वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, माल यातायात की दुलाई के लिए दक्षिण मध्य रेलवे की माल डिब्बों की आवश्यकता पूर्णतः पूरी की गई है।

शिक्षा का विकास

*250. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों/शिक्षार्थियों को देश और विदेशों मे आगे अध्ययन करने के लिए दी जाने वाली राष्ट्रीय एवं विदेशी छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास हेतु विदेशी सहायता से देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाएं हैं :

I. आंतरिक छात्रवृत्तियां

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना।
3. स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू अध्येतावृत्ति।
4. संस्कृत के अलावा अन्य श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगे पारंपरिक संस्थानों के छात्रों के लिए शोध छात्र वृत्तियां
5. हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए गैर हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां।
6. आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना (केवल उन छात्रों के लिए चलाई जा रही है जिन्हें पहले भी दी जा चुकी है)

II. विदेशी छात्रवृत्तियां

(क) द्विपक्षी/बहुपक्षी व्यवस्था के अंतर्गत दी जा रही छात्रवत्तियां :

	देश	1993-94 में प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या
1.	राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां (इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि)	66
2.	नेहरू शताब्दी ब्रिटिश अध्येतावृत्तियां	
3.	ब्रिटिश उद्योग विदेशी छात्रवृत्ति संगठन	1
4.	अगाथा हेरिसन स्माकर छात्रवृत्तियां	1
5.	आस्ट्रेलिया विकास सहयोग छात्रवृत्तियां	23
6.	जर्मन शैक्षिक विनियम सेवा छात्रवत्तियां	11
7.	जापान मोनबुशो छात्रवृत्तिया	14
8.	नोर्वे (नोराड)	8

(ख) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियां :

1.	आयरलैंड	3
2.	फ्रांस	2
3.	चीन	15
4.	तुर्की	2
5.	इटली	3

3. विभाग निम्नलिखित बाहर से सहायता प्राप्त शैक्षिक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :

1. पोलिटेक्निक स्तनोन्नयन के लिए परियोजना
2. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना
3. मध्य प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना
4. बिहार बुनियादी शिक्षा परियोजना

5. आंध्र प्रदेश शिक्षा परियोजना

6. लोक जुम्बिश राजस्थान परियोजना

7. शिक्षाकर्मी राजस्थान परियोजना

8. महिला समाख्या परियोजना

रेलवे का आधारभूत ढांचा

*251. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) रेल अवसंरचना का विकास का एक सतत् प्रक्रिया है और इस कार्य को पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की दो वार्षिक योजनाओं के कुल योजना आकार तथा कुछ महत्वपूर्ण योजना शीर्षों पर किए गए वास्तविक खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वार्षिक योजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

		1990-91	1991-92
1		2	3
	कुल योजना	4,814.92	5,393.27
	वास्तविक खर्च		
1.	चल स्टाक	1,908.98	2,297.98
2.	नई लाइनें	293.94	269.36
3.	आमान परिवर्तन	88.56	133.84
4.	दोहरीकरण	275.01	284.48

1		2	3
5.	यातायात संबंधी अन्य सुविधाएं	170.94	180.94
6.	रेल विद्युतीकरण	233.55	231.16
7.	सिगनल और दूर-संचार	127.22	133.82

रेल परिवहन आउट पुट में प्रक्षेपित वृद्धि, जो 1991-92 में राजस्व उपार्जक माल यातायात के 250.24 बिलियन टन कि.मी. और यात्री के 314.72 मिलियन यात्री कि.मी. से बढ़ाकर 1996 97 में 318.47 बिलियन टन कि.मी. और 377.74 यात्री कि.मी. होने की संभावना है, को संभालने हेतु रेल अवसंरचना के विकास के लिए रेलवे की आठवी पंचवर्षीय योजना में 27,202 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में उद्योग

*252. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों में कुछ उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए का उपयोग करने संबंधी अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पार्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के कटक जिले में समन्वित इस्पात संयंत्र और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गैस पर आधारित पेट्रो कम्पलैक्स की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच करेन के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 क तहत क्रमशः 1419.95 हेक्टेयर ओश्र 35.52 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की औपचारिक स्वीकृतियां प्रदान की गई।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे के कार्यों का गैर-सरकारीकरण

*253. **श्री हाराधन राय :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्टेशनों के कार्यों तथा अन्य कार्यों के गैर-सरकारीकरण के कारण रेलवे के कितने कर्मचारी फालतू हो गए हैं;

(ख) उन्हें किस प्रकार पुनः खपाया जाएगा;

(ग) क्या रेलवे ने गैर-सरकारी लोगों को भी पूंजी निवेश करने की अनुमति दी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) हाल ही में कुछ स्टेशनों पर शुरू की गई सौंदर्यवर्धन-एवं-अनुरक्षण योजना के कारण कोई कर्मचारी फालतू नही हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

प्रत्यायन परिषद

*254. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों को ऐसे महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, जिनमें वे प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, का चयन करने में सहायता करने हेतु देश में स्थिति महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों का मूल्यांकन और वर्गीकरण करने के लिए एक प्रत्यायन परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सी.सी.सी.) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के गठन किए जाने पर सहमत हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रस्तावित परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाने की अपेक्षा है :

(क) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा उनके एककों अथवा शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न वर्गों के मूल्यांकन हेतु मानदंड निर्धारित करना और उनका प्रकाशन करना;

(ख) उच्चतर शैक्षिक संस्थनों के मूल्यांकन हेतु एक सक्षम व्यावसायिक निकाय का गठन करना;

(ग) मूल्यांकन हेतु स्वीकार्य पद्धतियों और प्रचालन नीतियों का विकास करना;

(घ) संस्थानों द्वारा स्व मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का विकास करना;

(ङ) इन उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा उनके एककों अथवा विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमो का आवधिक मूल्यांकन और स्तर-निर्धारण करना जिन्हें इस प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता हो।

(च) मूल्यांकन के आधार पर संस्थानों और कार्यक्रमों को विशिष्ट शैक्षिक स्तर प्रदान करना।

(छ) मूल्यांकन परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वे प्रशासनिक कार्रवाई, संशोधन और सुधार और स्व--सुधार के लिए उपयुक्त हों; और

(ज) उच्चतर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण संबंधी व्यापक नीति निर्णय तैयार करना।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित परिषद के संघ ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को राष्ट्रीय सेमिनार में सर्व-सम्मति से लिए गए निर्णय से अवगत कराया, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन और मूल्यांकन हेतु एक पद्धति का विकास करने का संमर्थन किया गया था।

कृषि विकास के लिए सहायता

*255. **श्री के प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता राशि मिलने की आशा है; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता किये जाने वाले विकास-कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तमिलनाडु एवं राजस्थान में चलाई जा रही दो कृषि विकास परियोजनाओं के लिए 213.53 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की कृषि विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मांगी गई है। असम और कर्नाटक की परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त होने की आशा है। मध्य प्रदेश के संबंध में कोई आंकड़े पेश करना अभी जल्दबाजी होगी।

(घ) विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं- विकास में पेश आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करने की राज्य सरकारों की दक्षता को बढ़ावा एवं वरीयता क्रम का निर्धारण करना, किसानों को क़िफायती दरों पर सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का विकास करना, राज्य कृषि संदर्श योजनाओं में अभिनिर्धारित कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित निवेश कार्यक्रमों को मदद देना, संसाधनों के तकनीकी, वित्तीय एवं आर्थिक उपयोग में सुधार करके कृषि विकास की दर को बढ़ाना एवं उत्पादक संसाधन आधार की सततता में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

महिला कल्याण कोष

*256. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला कल्याण कोष से गरीब महिलाओं को ऋण देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1993 94 में अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितनी महिलाओं को ऋण दिया गया है ओर उसकी राशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी. हां।

(ख) ऋण हेतु अब तक 75 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) 14 संगठनों के कुल 336.00 लाख रुपये ऋण, जिनसे लगभग 28.995 निर्धन महिलाएं लाभान्वित होंगी, के 14 आवेदन पत्र मंजूर किये गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थानीय रेलगाड़ियां

*257. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कौन-कौन से नगरों में स्थानीय रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या देश में लगातार बढ़ती जनसख्या की मांग को पूरा करने के लिए ये स्थानीय रेलगाड़ियां पर्याप्त नहीं हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार महानगरों की यातायात की समस्या को हल करने के लिए अधिक स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने हेतु कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, पुणे ई.एम.यू. किस्म की स्थानीय गाड़ियों द्वारा सेवित हैं।

(ख) कुल मिलाकर, ये सेवाएं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, तथापि, व्यस्त अवधियों के दौरान, खासतौर पर बंबई और कलकत्ता की उपनगरीय प्रणालियों में काफी भीड़-भाड़ होने की खबरें हैं।

(ग) और (घ) इन नगरों में स्थानीय ई.एम.यू. गाड़ियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा, कलकत्ता/मद्रास में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली को पूरा किया जायेगा ताकि और अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाई जा सकें। बंबई में गाड़ियों के चालन अन्तराल में कमी करने तथा अधिक ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने, 12 ई.एम.यू. कार वाले और अधिक रेक शुरू करने, आदि कुछ उपायों की योजना बनाई जा रही है ताकि महानगरों में यातायात की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास के लिए धनराशि

*258. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री राम बदन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार तथा राज्य-वार, कृषि विकास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ और अधिक सहायता की मांग की है और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना परिव्ययों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केंद्रीय प्रायोजित और कुछ विशेष योजनाओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आदान खरीदने के लिए अल्प-कालिक ऋण दिए जाते हैं।

(ख) और (घ) योजना आयोग द्वारा योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके दिया जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटनों का निर्धारण राज्यों की आवश्यकता और उनके द्वारा दिए जाने वाले खर्च के ब्यौरे के आधार पर किया जाता है। राज्यों के अतिरिक्त कोष की आवश्यकता की पूर्ति समग्र बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना परिव्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

राज्य	1990 91	1991 92	1992 93
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5500	4236	4123
अरुणाचल प्रदेश	2435	3635	3466
असम	11282	1200	13331
बिहार	14742	14830	15037
गोवा	868	1232	1073
गुजरात	9350	12048	12626
हरियाणा	7522	7592	7126
हिमाचल प्रदेश	6426	7496	8660
जम्मू व कश्मीर	7461	7545	8086
कर्नाटक	10076	16149	15202
केरल	8597	13731	15455
मध्य प्रदेश	15120	20172	18845
महाराष्ट्र	14200	21796	25650
मणिपुर	1999	2519	2147
मेघालय	2567	3887	3756
मिजोरम	1847	2103	2248

1	2	3	4
नागालैंड	2202	3035	2240
उड़ीसा	16974	10805	16142
पंजाब	9050	9715	9645
राजस्थान	8267	9833	17120
सिक्किम	1295	1427	1330
तमिलनाडु	16029	18796	21567
त्रिपुरा	4113	4625	6885
उत्तर प्रदेश	31868	38230	37751
पश्चिम बंगाल	8446	9084	8972
अंदमान व निकोबार	772	1033	1136
चंडीगढ़	303	368	268
दादर व नगर हवेली	394	725	354
दमन एवं दीव	144	184	47
दिल्ली	878	1260	1200
लक्षद्वीप	438	492	513
पाण्डिचेरी	655	942	1000
कुल योग	221841	261525	283101

महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना

*259. **श्री केशरी लाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आज तक महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्य व्यावसायिक शिक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए जमा दो स्तर पर फरवरी, 1988 से शुरू की गई थी।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की एक नई योजना भी 1993 94 में शुरू की गई है।

अलग अलग राज्यों/संघशासित प्रदेशों के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः सलंग्न-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

संस्वीकृत सेक्शनों तथा स्कूलों की संख्या और अब तक जारी की गई निधियां

राज्यों/संघ शासित प्रदेश का नाम		कुल सेक्शन	कुल स्कूल	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1680	649	5592.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	6.355
3.	असम	360	150	687.397
4.	बिहार	753	251	1110.86
5.	गोवा	96	33	441.362
6.	गुजरात	1032	364	4919.823
7.	हरियाणा प्रदेश	536	75	1518.475
8.	हिमाचल प्रदेश	82	40	424.480
9.	जम्मू और कश्मीर	16	16	32.30
10.	कर्नाटक	1027	464	2602.87
11.	केरल	572	235	1913.187
12.	मध्य प्रदेश	1121	390	3148.06
13.	महाराष्ट्र	2296	767	6907.868

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	57	10	70.253
15.	मेघालय	20	10	20.75
16.	मिजोरम	30	17	92.023
17.	नागालैंड	16	8	22.84
18.	उड़ीसा	924	231	2001.53
19.	पंजाब	846	282	1361.79
20.	राजस्थान	435	145	1869.618
21.	सिक्किम	7	5	17.839
22.	तमिलनाडु	1840	600	2403.29
23.	त्रिपुरा	2	2	4.125
24.	उत्तर प्रदेश	1950	700	3312.6775
25.	पश्चिम बंगाल	39	39	40.69
26.	अंडमान और निकोबार	6	6	6.478
27.	चंडीगढ़	30	8	149.928
28.	दादरा और नगर हवेली	2	2	8.04
29.	दमन और दीव	3	2	3.09
30.	दिल्ली	93	38	31.24
31.	लक्षद्वीप			
32.	पांडिचेरी	16	12	34.07
	कुल योग :	15918	5588	40946.48

विवरण -II

1993-94 में निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए जारी की गई राशि तथा स्कूलों की संख्या की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्कूलों की संख्या	अनुमोदित/संस्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	कैफियत यदि कोई हो तो
1.	दिल्ली	11	5.62	
2.	असम	5	3.30	
3.	मणिपुर	--	2.30	
4.	कर्नाटक	50	18.20	
5.	पंजाब	15	7.58	
6.	राजस्थान	15	7.28	
7.	उत्तर प्रदेश	47	44.61	
8.	मध्य प्रदेश	30	23.91	
	योग	173	113.80	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

*260. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह वर्ष में कम से कम एक बार सरकार को अपने कार्यकलापों और इन पर की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(ख) क्या अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे संसद में प्रस्तुत

किए जाने का प्रावधान है। किन्तु, राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि (क) आयोग कार्य संचालन के पहले वर्ष, 1992-93 में अपने कार्यकलापों की प्राथमिकता निर्धारित नहीं कर पाया और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

2447. **श्री मोहन रावले** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा॰ पी.बी. गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) डा.पी.बी. गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अनेक सिफारिशें की थीं। नीति निर्माण और श्रम से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में विधान बनाते समय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। जिन प्रमुख सिफारिशों को कतिपय श्रम कानूनों में संशोधन करके कार्यान्वित किया गया उनमें निम्नलिखित कानून शामिल हैं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (व्याप्ति के लिए मजदूर सीमा को हटाने के लिए) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (मुख्यतः अनुचित श्रम व्यवहार के संबंध में) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (कर्मचारियों के अंशदान के भुगतान से, छूट के लिए मजदूरी सीमा में वृद्धि) कारखाना अधिनियम, 1948 (सुरक्षा शर्तों के उल्लंघन के लिए ज्यादा कठोर शास्तियां और कल्याण सुविधाओं के प्रावधान के लिए), कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (अंशदान की दर में वृद्धि तथा बकाया राशि में चूक को सज्ञेय अपराध बनाने के लिए)। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 लौह अयस्क, मैगनीज और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनिमय, 1976, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 जैसे कुछ नये कानून भी बनाये गये हैं। मजदूरी नीति और न्यूनतम मजदूरी, रोजगार सेवा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, श्रम सांख्यिकी और अनुसंधान और श्रमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में सुधार करते समय आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1972 में राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना की गयी थी।

इंडियन एयर लाइन्स के यात्रियों को भारत पर्यटन विकास निगम होटलों द्वारा दी जाने वाली छूट

2448. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पर्यटन विकास निगम ने इंडियन एअरलाइंस के यात्रियों को अपने होटलों में छूट देने की कोई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर क्या प्रतिक्रिया रही है और साथ ही भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और इंडियन एअरलाइन्स के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। 1-12 93 से भारत पर्यटन विकास निगम ने इंडियन एअरलाइन्स के यात्रियों को अपने होटलों (अशोक यात्री, निवासी नई दिल्ली को छोड़कर) के प्रकाशित टैरिफ पर 15 प्रतिशत की छूट देने की योजना आरम्भ की है।

(ख) इस योजना की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है तथा भारत पर्यटन विकास निगम के 20 विभिन्न होटलों में इसे सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है; जिनमें 1069 अतिथि यात्रियों का विक्रय किया गया तथा 1-12 93 से 18 2 94 तक 11.96 लाख रुपए की आय हुई। जहां तक इंडियन एअरलाइन्स का संबंध है, इस योजना के आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप आय में हुई वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज

2449. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध और इसके कार्यकरण में कुछ कमियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सेबी ने कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज की जांच के दौरान एक्सचेंज के कार्यकरण और प्रशासन में कुछ कमियां पाई थीं। अन्य बातों के साथ साथ ये कमियां निम्नलिखित थी :

(1) एक्सचेंज में कार्यकारी निदेशक का पद एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहा है;

(2) एक्सचेंज अपने संकल्पों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है;

(3) सदस्यों द्वारा मार्जिन धन की अदायगी को अनुवीक्षित नहीं किया गया;

(4) एक्सचेंज में सदस्यों की कारोबार संबंधी बकाया स्थितियों को अनुवीक्षित करने की व्यवस्था नहीं है;

(5) एक्सचेंज प्रतिभूतियों में लेन-देन हेतु निपटान अवधियों का पालन करने में अक्षम रहा;

(6) एक्सचेंज ने चूककर्ता स्टाक-ब्रोकरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अरंभ नहीं की;

(ग) एक्सचेंज ने अब तक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की है और इसके शासी निकाय के संघठन की पुर्नरचना की है। "सेबी" ने एक्सचेंज ने अपने कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए कहा है और "सेबी" एक्सचेंज पर निगरानी रख रहा है।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलें

2450. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलें घाटें में चल रही हैं;

(ग) क्या घाटे में चल रही मिलों को गैर सरकारी क्षेत्र को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मिलों को अर्थक्षम बनाने तथा इनका आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) माहराष्ट्र में एन.टी.सी. द्वारा चलाई जा रही 35 वस्त्र मिलों में से 34 मिलें घाटा उठा रही हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट में एन.टी.सी. की घाटा उठाने वाली किसी भी मिल को निजी क्षेत्र को बेचने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) वस्त्र मंत्रालय के अनुदेशों पर सूती वस्त्र अनुसंधान संघों ने एन.टी.सी. का पुनरुद्धार करने के लिए एक नई आधुनिकीकरण योजना बनाई है जिसे क्रियान्वयन से पहले रुग्ण ओद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

वायुदूत सेवाएं

2451. **डा. बसंत पवार** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन किन क्षेत्रों में वायुदूत इस समय अपनी सेवाएं चला रहा है;

(ख) क्या देश में एयर टैक्सी संचालकों के आगमन से वायुदूत सेवाओं पर कोई असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय वायुदूत जिन स्टेशनों के लिए प्रचालन कर रहा है; उनकी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उन स्टेशनों की सूची जहां के लिए वायुदूत प्रचालन कर रहा है।

पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिण क्षेत्र
अगरतला	बेलगाम	अगत्ती
एजवाल	बंबई	कोचीन
बागडोगरा	दयू	
कलकत्ता	काण्डाला	
कूच बिहार	केशोद	
शिलांग	कोल्हापुर	
	पोरबन्दर	
	पुणे	
	राजकोट	

[हिन्दी]

वाणिज्यिक बैंकों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

2452. **श्री मृत्यंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** 10 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत में राष्ट्रीय कृषि सांवधि ऋण कार्यक्रम के समर्थन में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना का विश्लेषण करने वाली हाल ही की आंतरिक रिपोर्ट में बैंक ने सूचित किया है कि परियोजना के उत्पादन लक्ष्यों का काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है लेकिन संग्रहण दरों जैसी प्रणालीगत समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रगति कम उत्साह जनक थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार करार और ए.पी.ई.सी.

2453. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के उन परिवर्तनों पर ध्यान दिया है कि जिनकी वजह से एन.ए.एफ.टी.ए. और ए.पी.ई.सी. का गठन हुआ;

(ख) यदि हां, तो विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार के विकास एवं उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन परिवर्तनों का संशोधित "गैट" के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिजय मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) हालांकि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को अरुग्वे दौर के तहत हाल ही में संबत समझौता वार्ताओं द्वारा सुदृढ़ बना दिया गया है; किन्तु इसके साथ साथ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति भी चल रही है।

2. यदि ऐसे क्षेत्रीय समूह बनाने से आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर में सामान्य वृद्धि होती है तो इससे समूह के बाहर के देशों को भी नए व्यापार अवसर मिल सकते हैं।

3. ये सभी व्यवस्थाएं गाट के परम मित्र राष्ट्र के सिद्धान्त से हटकर की गई है। और गाट ने इसकी अनुमति दे दी है बशर्ते कि कुछ आवश्यक मानदंड पूरे दिए जाएं। ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं से बाहरी विश्व के साथ व्यापार की रुकावटों को दूर किए बिना संबंधित देशों के बीच व्यापार को सुकर बनाया जाएगा, क्योंकि ये अन्तर्मुखी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकती हैं। यह प्रावधान उरुग्वे दौर करार में बना हुआ है यह देखना बाकी है कि बहुपक्षीय प्रणाली की तुलना में क्षेत्रीय व्यवस्थाएं किस तरह कार्य करेंगी।

मुद्रा तिजोरियां

2454. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा कितनी मुद्रा तिजोरियां रखी गयी हैं। और

(ख) 30 जून 1993 तक की स्थिति के अनुसार इन तिजोरियों में कितने मूल्य की मुद्रा थी ?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से विभिन्न बैंक 3563 करेंसी चेस्टों का रख-रखाव कर रहे हैं।

(ख) इन करेंसी चेस्टों में 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार 36811.65 करोड़ रुपए थे।

बिक्री कर की दरों में भिन्नता

2455. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिक्री कर की दरों और छूटों में अत्यधिक भिन्नता को समाप्त करने अथवा उन्हें कम करने और बिक्री-कर अवरोधकों के माध्यम से कर अपवंचन रोकने की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) एक राज्य में की गयी बिक्रियों अथवा खरीदारों पर कर लगाना राज्य का विषय है तथा माल की गयी अन्तः राज्य बिक्री पर लगाए गए केंद्रीय बिक्री-कर का प्रशासन भी कानून द्वारा राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। इसे मद्देनजर रखते हुए, केवल उन्हें (राज्य सरकारें) ही बिक्री-कर के अपवंचन को रोकने के लिए शुल्कद्वार (बेरियर्स) स्थापित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के बिक्री-कर कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास करती रही है। कुछ समय पूर्व एक मॉडल कानून तैयार किया गया था तथा इसे राज्यों को परिचालित किया गया था। केंद्रीय सरकार ने बिक्री-कर तथा उत्पाद शुल्क संबंधी क्षेत्रीय परिषदों के विभिन्न सम्मेलनों तथा बैठकों में राज्यों को यथा-संभव सीमा तक दरों में एक-रूपता लाने के लिए भी राजी कर लिया है।

[हिन्दी]

रुग्ण लघु एकक

2456. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य वार कितने लघु एककों को रुग्ण और कितने एककों को अर्थक्षम घोषित किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में औद्योगिक रुग्णता रोकने के लिए तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा कया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1991 और मार्च, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार रुग्ण घोषित किये गए लघु एककों और संभावित रूप से अर्थक्षम एककों की राज्यवार संख्या सलंग्न विवरण में दी गयी है। मार्च, 1990 के अन्त तक की स्थिति से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के संबंध में भरतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम पहले ही मार्गनिर्देश जारी कर रखे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण एककों, अर्थक्षमता संबंधी मानदंडों, प्रारंभिक रुग्णता की परिभाषा तथा साथ-साथ संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में तैयार किये गये पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए बैंको/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली राहतों और रियायतों का ब्यौरा दिया हुआ है।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्यवार वर्गीकरण

राज्य का नाम	मार्च, 1991 के अंत में	मार्च, 1992 के अंत में
1	2	3
असम	4892 (624)	531 (690)
मेघालय	66 (22)	68 (24)
मिजोरम		4
बिहार	5171 (418)	7823 (368)
अरुणाचल प्रदेश	10	50
पश्चिम बंगाल	30748 (5751)	32022 (6186)
नागालैंड	47	2039 (658)
मणिपुर	2278 (70)	2277 (78)
उड़ीसा	7443 (298)	8415 (406)
सिक्किम	75	75
त्रिपुरा	605 (3)	670 (8)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	22	22
उत्तर प्रदेश	27477 (326)	34150 (479)
दिल्ली	4364 (147)	4705 (183)
पंजाब	5288 (337)	5485 (162)
हरियाणा	2720 (86)	3467 (54)

1	2	3
चंडीगढ़	305 (20)	342 (21)
जम्मू व कश्मीर	720 (12)	769 (6)
हिमाचल प्रदेश	848 (83)	1481 (76)
राजस्थान	12196 (187)	14420 (186)
गुजरात	6240 (426)	6581 (447)
महाराष्ट्र	20332 (2132)	20153 (2147)
दमन व दीव	70 (1)	41 (1)
गोवा	1148 (179)	1066 (48)
दादरा व नगर हवेली	7	5
मध्य प्रदेश	17146 (273)	2233 (340)
आंध्र प्रदेश	2948 (830)	29586 (1435)
कर्नाटक	12858 (831)	17316 (2511)
लक्षद्वीप		
तमिलनाडु	10757 (1842)	9797 (1404)
केरल	17973 (1232)	14883 (1276)
पांडिचेरी	179 (10)	216 (16)
कुल	221472 (16140)	245575 (19210)

नोट : कोष्टकों में दिए गए आंकड़े संभावित सक्षम एककों की संख्या को दर्शाते हैं।

मुम्बई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

2457. **श्री गाविन्दराम निकम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर सरकार ने मुम्बई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण में सहायता करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सिंगापुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मुम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों पर सामान की जब्ती

2458. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मुम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों पर जब्त किये गये सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसका मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में हथकरघा/विद्युतकरघा

2459. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत करघा और हथकरघा एककों के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नए बैंक की स्थापना

2460. **श्री हाराधान राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में राज्य सरकार और/अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के साथ नए बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया है या करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए बैंक की स्थापना के प्रस्ताव भी किन्हीं अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे बैंकिंग कारोबार शुरू

करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस हेतु संयक्त क्षेत्र की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लि. से एक आवेदन प्राप्त हुआ है इसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव की जांच की है और कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 27-1-1994 को आवेदक कंपनी को "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना करने के लिए किसी राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

फूल के बीजों का आयात

2461. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फूल के बीजों का आयात करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने गैर-सराकरी क्षेत्र के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति 1992-97 के तहत, बीज बोने का पौधे लगाने के लिए सब्जियों, फूलों, फलों, एवं पौधों के बीज, फूलों के कन्द, फूलों और फलों की कलमें, छोटे वृक्ष, आंग वाली टहनी आदि के आयात की अनुमति पौध, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियम) आदेश, 1989 के तहत दी गई आयात की अनुमति के अनुसार बिना लाइसेंस के दी जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में ऋण-जमा अनुपात

2462. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेष रूप से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण जमा अनुपात में निरंतर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री और ससंद में कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा साथ ही साथ अखिल भारत ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :-

	मार्च, 1991	मार्च, 1992	मार्च, 1993
गुजरात	59.7	53.5	52.4
अखिल भारत	66.2	61.0	60.5

किसी खास क्षेत्र में ऋण का अभिनियोजन आर्थिक कार्यकलापों के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, अन्य निवेश के अवसर और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। अलबत्ता भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऋण अभिनियोजन में व्यापक क्षेत्रिय असमानताओं को कम किया जाये और अलग-अलग क्षेत्रों में सभी उत्पादक तथा पता लगाये गये अर्थक्षम प्रस्तावों के संबंध में दिये जाने वाले ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायें। बैंकों द्वारा ऋण संवितरण अथवा किसी निर्धारित ऋण जमा अनुपात को बनाये रखने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। अलबत्ता, बैंक को अखिल भारत आधार पर समूचे रूप से ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात हासिल करना होता है।

अर्जित कर और विदेशी मुद्रा की हानि

2463. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक्स रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1991-92 के वाहनों के नकली कल-पुर्जे बनाने वालों ने प्रत्यक्ष कर के रूप में करोड़ों रुपये की चोरी की है और हाल ही के महीनों में देश को 946.59 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वाहनों के नकली कलपुर्जों के बाजार की व्याप्ति और उसके परिणामों का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने दिल्ली, गुडगांव फरीदाबाद, करनाल मेरठ और गाजियाबाद में दस विनिर्दिष्ट वाहन-कलपुर्जों का एक पायलट अध्ययन किया था। यह अध्ययन अनेक अनुमानों एवं आंकलनों पर आधारित है। इस अध्ययन में वर्ष 1991-92 में 134.67 करोड़ रुपये के निगम कर और 619.47 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क और कुल 754.14 करोड़ रु के नुकसान को बताया गया है। केंद्रीय बिक्री राज्य बिक्रीकर एवं चुंगी के मामले में 431.63 करोड़ रु. की हानि का अनुमान किया गया है अध्ययन रिपोर्ट में वर्ष 1990-91 में 946.59 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि का भी अनुमान लगाया गया है।

(ख) यह रिपोर्ट आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय में उचित फील्ड प्राधिकारियों के पास भेज दी गई है।

(ग) सरकार कर अपवंचन को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कानूनी उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ कर दरों में कटौती आयकर स्लैब को युक्तिपूर्ण बनाना और विदेशी मुद्रा विनियमन आयकर अधिनियम को कम कठोर बनाना शामिल है आयकर अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण सूचनाओं के सत्यापन, तलाशी और जब्त करने और संवीक्षा के लिए चुनी गयी आय को छिपाने वाले मामलों की गहन जांच सहित अनेक प्रशासनिक उपाय निहित हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम

2464. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक आवेदन कर्त्ताओं के लिए निर्यात ऋण संबंधी अधिकतम ।।म. की शर्त को हटा लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश के निर्यात को प्राथमिकता देने और विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों से सबंधित निर्यात प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, सीमा शुल्क कार्यालय से शीघ्र नेकासी आदि के बारे में कुछ निर्णय लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्यातों को राष्ट्रीय प्राथमिकता का स्थान दिया जा रहा है तथा निर्यात संबंधी सभी क्रियाकलापों के संबंध में तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अतः मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जाती हैं नीतियों और क्रियाविधियों का सरलीकरण की सतत् प्रक्रिया है तथा व्यापार और उद्योग से प्राप्त आधार सामग्री के आधार पर प्रयास किए जाते हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से निर्यात निष्पादन में वृद्धि होगी।

बिहार में सीमा शुल्क केंद्र

2465. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में लौकहा बाजार, हारलखी और माधवपुर में जो कि भारत और नेपाल के बीच माल लाने ले जाने के महत्वपूर्ण रास्ते हैं, सीमा शुल्क केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। इस समय बिहार के मधुबनी जिले के लौकहा बाजार, हारलखी तथा माधवपुर में सी.शु. स्टेशन स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में पर्यटन विकास

2466. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से पर्यटन महत्व के स्थलों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1993-94 के दौरान केंद्रीय पर्यटन विभाग को कर्नाटक सरकार से राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हाल ही में नीचे दिए गए पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

क्रम सं.	प्रसताव का नाम
1.	धारवाड़ में यात्री निवास
2.	10 विभिन्न पर्यटक केंद्रों पर जन-सुविधाएं
3.	बसवकल्याण में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन
4.	श्री रंगापट्टनम में ध्वनि-प्रकाश प्रदर्शन
5.	मैसूर के सेंट फिलोमिया के चर्च में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन

[हिन्दी]

"नाबार्ड" द्वारा बुनकरों को दिये ऋण पर ब्याज दर कम करना

2467. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बुनकरों को दिये ऋणों पर ब्याज दर कम करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सहकारी बैंकों/राज्यों सरकारों/समितियों से बहुत से अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के पश्चात् प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को उत्पादन और विपणन कार्यों के पुनर्वित्त और शीर्षस्थ/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों द्वारा कपड़े की प्राप्ति और विपणन के पुनर्वित्त का पोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा दिये गए पुनर्वित्त पर ब्याज की दर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दिनांक 1-2-1994 से 11.5 प्रतिशत से कम करके 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया था। राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है। कि वे नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों पर हथकरघा बुनकर समितियों से ब्याज की वही दर वसूल करें।

पश्चिम बंगाल में तम्बाकू नीलामी केंद्र

2468. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार/जलपाईगुड़ी जिलों में तम्बाकू नीलामी केंद्र खोलने हेतु राज्य के तम्बाकू उत्पादकों से अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

2469. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों द्वारा नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की वर्तमान 13000 रुपये की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि ऋण राहत

2470. **प्रो उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नाबार्ड ने कृषि राहत न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाबार्ड ने कृषि आदानों की लागत में भारी वृद्धि के कारण कर्ज में फंसे हुए किसानों की सहायता हेतु कोई सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गयी कृषि (फार्म) ऋण राहत योजना को लागू करने के संबंध में इस आधार पर आपत्ति की थी कि कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत (ए आर डी आर) योजना 1990 के कार्यान्वयन से, सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा की जाने वाली वसूलियों पर प्रभाव पड़ा था और इसके परिणामस्वरूप निधियों का पुनर्निवेश कम हो गया। कुछ राज्य अभी भी ए.आर.डी.आर. योजना के कुप्रभावों से उभर नहीं पाये हैं। इसके अलावा, ऋण ब्याज सब्सिडी को बट्टे खाते डालने के संबंध में की गयी नयी घोषणा से किसानों के बीच ऋण संस्थानों को की जाने वाली अदायगी को स्थगित करने तथा अच्छी फसल होने के बावजूद भविष्य में ऐसी और राहतों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है। उससे वसूलियों पर प्रभाव पड़ा और परिणामतः अधिकांश राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा निधियों का पुनर्निवेश कम किया गया और इसके कारण नये चूक न करने वाले सदस्य इन संस्थानों से सामयिक ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रह जाते।

(ग) से (ङ) नाबार्ड ने बैंकों को इस आशय की हिदायतें जारी की हैं कि निवेशों की कीमत उत्पादन के सकल मूल्य, ऋणकर्त्ता को अदायगी संबंध क्षमता आदि बातों को मद्देनजर रखते हुए, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए वित्त का स्तर, तकनीकी ग्रुपों द्वारा जिला स्तर पर, वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में, किसानों द्वारा वहन की जाने वाली कृषि निवेशों की उच्च लागत तथा उनके द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी को भी ध्यान में रखने की आशा है। इसके अलावा, अगर ऋणकर्त्ता, प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब फसल होने की सूरत में बैंक ऋणों को अदायगी करने की स्थिति में नहीं है, तो उस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने बैंकों को, ऐसी संभाव्यता से निपटने के लिए अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणो में बदलने और लगातार दो खराब फसलों के मामलों में, परिवर्तन ऋणों की किस्तों का पुनर्निर्धारण/पुनर्व्यवस्था करने के लिए आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किये हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त बैंक शाखाएं

2471. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकृत शाखा लाइसेंस नीति के अंतर्गत बैंकों ने (विशेषतौर पर लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु उद्योग शाखा सहित) अपनी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां कहां पर खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं का ब्यौरा और उनके स्थान का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि विशेषज्ञता प्राप्त शाखायें खोलने के लिए बैंकों को उनकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसी शाखाएं खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

बैंकों द्वारा खोली गई/खोलने के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञ शाखाओं के राज्यवार ब्यौरे और स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	केंद्र का नाम	श्रेणी	आबंटन/लाइसेंस की तारीख	खोलने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	आंध्रा बैंक	हैदराबाद	औ. वित्त शाखा	15-11-91	–
2.	बैंक आफ बड़ौदा	–तदैव–	–तदैव–	17-10-92	–
3.	बैंक आफ इंडिया	विशाखापत्तनम	विदेश व्यापार शाखा	20-11-91	16-10-92
4.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	हैदराबाद	एनआरआई	11-12-91	25-11-92
5.	–तदैव–	–तदैव–	वि. व्या. शा.	17-9-92	20-8-92
6.	बैंक आफ बड़ौदा	–तदैव–	व्या. बैंकिग शाखा	19-7-93	–
7.	भा. स्टेट बैंक	–तदैव–	कृषि व्या. शाखा	24-1-94	–
8.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	विजयवाड़ा	एसआईबी शाखा	क्षे.का. द्वारा उदारीकृत निति के अंतर्गत आबंटित	4-8-93

9.	—तदैव—	वारांगल	—तदैव—	तदैव	
10.	—तदैव—	विशाखापत्तनम	ओ.वित्त शाखा	—तदैव—	28-10-92
	आसाम				
1.	भा. स्टेट बैंक	गुवाहाटी	औ. वित्त	22-7-93	—
2.	भा. स्टेट बैंक	गुवाहाटी	औ. वित्त	19-8-93	—
	बिहार				
1.	भा. स्टेट बैंक	धनबाद	विशेष एस.एस.आई.	27-1-92	18-11-92
2.	भा. स्टेट बैंक	पटना	औ. वित्त शाखा	—	3-5-92
	गोवा				
1.	केनरा बैंक	पणजी	एन.आर.आई. शाखा	26-8-92	28-1-93
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक	पणजी	एन.आर.आई. शाखा	24-12-93	—
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	मपुसा	एन.आर.आई. शाखा	16-12-92	15-2-93
	गुजरात				
1.	भा. स्टेट बैंक	अहमदाबाद	एन.आर.आई. शाखा	13-1-92	—
2.	बैंक आफ इंडिया	अहमदाबाद	एन.आर.आई. शाखा	13-1-92	22-6-92
3.	भा. स्टेट बैंक	अहमदाबाद	ट्रैजरी शाखा	12-12-91	—
4.	बैंक आफ बड़ौदा	अहमदाबाद	वि.व्या. शाखा	23-10-92	-

1	2	3	4	5	6
5.	बैंक आफ बड़ौदा	अहमदाबाद	का. बैंकिंग शाखा	16-2 94	
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	भावनगर	एसएसआई शाखा	19-12 91	25-5-92
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	भावनगर	टे. शाखा	12-12-91	27 7-93
8.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	जूनागढ़	–तदैव–	12 12 91	27-7-93
9.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	राजकोट	एसएसआई शाखा	19-12-91	
10.	भार. स्टेट बैंक	बड़ौदा	औ. वित्त शाखा	12-12-91	
11.	भार. स्टेट बैंक	बड़ौदा	ट्रे. शाखा	12-12-91	–
12.	बैंक आफ बड़ौदा	बड़ौदा	विदेश व्यापार शाखा	9-10 92	1-2-93
	कर्नाटक				
1.	स्टैट बैंक आफ हैदराबाद	बैंगलौर	आईएफ	15 11-91	9 2-93
2.	इंडियन बैंक	बैंगलौर	तदैव–	15 11-91	
3.	इंडियन बैंक	बैंगलोर	वि.व्या. शाखा	20-11-91	
4.	बैंक आफ बड़ौदा	बैंगलौर	आई एफ	उदारीकृत नीति के अंतर्गत	
5.	केनरा बैंक	बैंगलौर	एनआरआई	तदैव	1-1-93
6.	बैंक आफ बड़ौदा	बैंगलोर	का. बै. शा.	20 8-93	–

7.	केनरा बैंक	बंगलोर	कृ. वि. शा.	11 9 93	
8.	केनरा बैंक	मैसूर	एनआर शाखा	—	3-2-93
9.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	मंगलूर	एनआरआई	उदारीकृत नीति के अंतर्गत	–
10.	दी कैथोलिक सिरियन	मंगलूर	एनआरआई	उदारीकृत नीति के अंतर्गत आब.	–
11.	केनरा बैंक	मंगलूर	एनआरआई	"	–
12.	कारपोरेशन बैंक	"		"	
	केरल				
1.	केनरा बैंक	चेगान्नूर	एनआरआई	—	
2.	केनरा बैंक	मावालीकारा	एनआरआई		–
3.	केनरा बैंक	इर्नाकुलम	वि. व्या.		14 12 92
4.	इंडियन बैंक	कोचीन	वि. व्या.	20-11-91	
5.	इंडियन बैंक	इर्नाकुलम	औ. वित्त	15-11 91	
6.	भार. स्टेट बैंक	इर्नाकुलम	वि. व्या.	6 5 92	16 3 92
7.	भार. स्टेट बैंक	कोचीन	एन.आर.आई.	30 3-92	
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	कोचीन	ओ.वित्त	5-11-92	
9.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	कोचीन	एन.आर.आई.	20 5 92	–
10.	साउथ इंडियन बैंक	इर्नाकुलम	एन.आर.आई.	30 3 92	

1	2	3	4	5	6
11.	केनरा बैंक	तिरूवल्ला	एनआरआई	15-12-92	–
12.	कैथोलिक सिरियन बैंक	पुलीकरज	एन.आर.आई.	20-5-92	–
13.	केनरा बैंक	बरकला	एन.आर.आई.	–	27-11-92
14.	बैंक आफ इंडिया	त्रिस्सर	एनआरआई	20-5-92	–
	मध्य प्रदेश				
1.	भार. स्टेट बैंक	भोपाल	औ. वि. शा.	22-5-92	29-1-93
2.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इंदौर	"	8-8-90	–
3.	भार. स्टेट बैंक	इंदौर	"	23-1-91	–
	महाराष्ट्र				
1.	बैंक आफ बड़ौदा	अहमदाबाद	ओ. वित्त	30-10-91	–
2.	कारपोरेशन बैंक	बंबई	–तदैव–	30-10-91	–
3.	दी यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	बंबई	वि. व्या. शा.	4-12-91	7-8-92
4.	बैंक आफ इंडिया	बंबई	औ. वि. शा.	30-7-90	
5.	सिंडिकेट बैंक	बंबई	औद्योगिक वित्त शाखा	16-8-90	30-3-91

6.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	बंबई	ओवरसीज शा.	16-8-90	23-6-93
7.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	बंबई	—तदैव—	16-8-90	3-9-90
8.	कारपोरेशन बैंक	वही	ओवरसीज	4-12-91	7-10-92
9.	भारतीय स्टेट बैंक	वही	आई.एफ. शाखा	10-9-91	9-12-91
10.	बैंक आफ इंडिया	वही	एनआरआई शाखा	23-12-91	–
11.	भारतीय स्टेट बैंक	वही	ट्रेजरी शाखा	3-12-91	–
12.	ओरियंटल बैंक आफ कोमर्स	वही	आई.एफ. शाखा	8-1-92	–
13.	कारपोरेशन बैंक	वही	एनआरआई शाखा	30-1-92	–
14.	कर्नाटक बैंक लि.	वही	ओवरसीज शाखा	18-2-92	12-8-93
15.	भारतीय स्टेट बैंक	वही	विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिभूति सेवा शाखा	3-4-92	–
16.	केनरा बैंक	वही	एनआरआई शाखा	8-1-93	20-10-93
17	बैंक आफ इंडिया	वही	डाइमंड का कारोबार करने वाली विशेषज्ञता प्राप्त शाखा	3-4-93	–
18.	वैश्य बैंक लि.	वही	इंडिस्ट्रियल सेवा शाखा	10-5-93	–

1	2	3	4	5	6
19.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	वही	एनआरआई शाखा	6-11-93	–
20.	बैंक आफ इंडिया	वही	आई एफ शाखा	30-8-93	–
21.	बैंक आफ इंडिया	वही	विशेषज्ञता प्राप्त पूंजी बाजार शाखा	9-11-93	6-12-93
22.	केनरा बैंक	वही	एन.आर.आई. शाखा	6-8-93	25-11-93
23.	भारतीय स्टेट बैंक	नागपुर	आई.एफ. शाखा	4-12-91	–
24.	भारतीय स्टेट बैंक	वही	आई.एफ.शाखा	10-9-93	–
25.	बैंक आफ इंडिया	वही	आई.एफ. शाखा	31-1-94	–
26.	भारतीय स्टेट बैंक	पुणे	ट्रैजरी शाखा	3-12-91	–
27.	बैंक आफ महाराष्ट्र	पुणे	विशेष वसूली केंद्र	8-4 91	–
28.	बैंक आफ इंडिया	पुणे	विशेषज्ञता प्राप्त कृषि वित्त शाखा	28-1-94	–
29.	बैंक आफ बड़ौदा	पुणे	कारपोरेट बैंकिंग शाखा	11-1-94	–

30.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	पुणे	विशेषज्ञ एस.एस.आई. शाखा	18-1-94	–
	उड़ीसा				
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	भुवनेश्वर	आई.एफ. शाखा	4-2-92	–
	पंजाब				
1.	पंजाब नेशनल बैंक	अमृतसर	विदेश व्यापार	–	15-1-93
2.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	जलन्धर	एन.आर.आई.	–	24-2-93
3.	पंजाब नेशनल बैंक	जलन्धर	विदेश व्यापार	–	19-1-93
4.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	जलन्धर	एन.आर.आई.	–	1-9-93
5.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
6.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	लुधियाना	ट्रेजरी	–	4-9-93
7.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	लुधियाना	एस.एस.आई.	–	–
8.	पंजाब नेशनल बैंक	लुधियाना	विदेश व्यापार	–	15-1-93
9.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	लुधियाना	आई.एफ. शाखा	–	–
10.	इलाहाबाद बैंक	लुधियाना	अन्तर्राष्ट्रीय	–	22-3-93
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	लुधियाना	विदेश व्यापार	–	–
12.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	लुधियाना	विदेश व्यापार	–	–

1	2	3	4	5	6
13.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लुधियाना	एस.एस.आई.	–	–
14.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	पटियाला	ट्रेजरी	–	21-10-93
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	आदमपुर जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	भोगपुर जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
17.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	नूर महल जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
18.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	फिलौर जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
19.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	जनडियला जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	गोरया जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	लाम्बरा जलन्धर	एन.आर.आई.	–	–
	हरियाणा	शून्य	–	–	–
	जम्मू और कश्मीर	शून्य	–	–	–
	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	
	राजस्थान				
1.	बैंक आफ बड़ौदा	जयपुर विदेश व्यापार शाखा	विदेश व्यापार	18-12-91	16-12-92

2.	पंजाब नेशल बैंक	जयपुर	विदेश व्यापार	18-12-91	–
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	जयपुर	लघु उद्योग	6-8-93	–
	तमिलनाडु				
1.	इंडियन बैंक	अम्बातुर	लघु उद्योग	28-11-91	9-9-92
2.	केनरा बैंक	तिरूपुर	विदेश व्यापार	20-5-92	–
3.	केनरा बैंक	कोयम्बतुर	आई.एफ. शाखा	15-11-92	–
4.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	तिरूपुर	विदेश व्यापार	–	–
5.	भारतीय स्टेट बैंक	कोयम्बतुर	आई.एफ. शाखा	–	–
6.	साउथ इंडियन बैंक	कोयम्बतुर	आई.एफ. शाखा	–	–
7.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	मद्रास	विदेश व्यापार	20-11-91	3-8-92
8.	भारतीय स्टेट बैंक	मद्रास		17-12-91	–
9.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	मद्रास	विदेश व्यापार	20-11-91	18-12-92
	उत्तर प्रदेश				
1.	केनरा बैंक	आगरा	विदेश व्यापार	21-4-93	28-10-93
2.	भारतीय स्टेट बैंक	गाजियाबाद	विशेष लघु उद्योग शाखा	23-12-91	3-4-92
3.	केनरा बैंक	कानपुर	विदेश व्यापार	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	इलाहाबाद बैंक	मुरादाबाद	विदेश व्यापार	9-7-90	–
5.	बैंक आफ बड़ौदा	मुरादाबाद	विदेश व्यापार	6-4-93	–
	पश्चिम बंगाल				
1.	भारतीय स्टेट बैंक	कलकत्ता	आई.एफ. शाखा	–	6-9-93
2.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कलकत्ता	विदेश व्यापार	–	19-2-93
3.	भारतीय स्टेट बैंक	कलकत्ता	एन.आर.आई.	21-1-92	24-8-93
4.	इलाहाबाद	कलकत्ता	लघु उद्योग वित्त	11-2-92	5-2-93
5.	सिंडिकेट बैंक	कलकत्ता	विदेशी मुद्रा से संबंधित मामले	26-3-93	–
6.	भारतीय स्टेट बैंक	कलकत्ता	आई. एफ. शाखा	19-8-93	
	संघ राज्य क्षेत्र और सिक्किम				
1.	भारतीय स्टेट बैंक	चण्डीगढ़	एन.आर.आई.	5-5-93	–
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	–	–	30-10-91	23-8-93
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	चण्डीगढ़	-	9-10-91	–
4.	इलाहाबाद बैंक	नई दिल्ली	–	30-10-91	20-6-92

5.	इलाहाबाद बैंक	नई दिल्ली	ओवरसीज	30-10-91	6-5-92
6.	कारपोरेशन बैंक	नई दिल्ली	आई.एफ.	7-1-92	15-3-93
7.	कारपोरेशन बैंक	नई दिल्ली	ओवरसीज	7-1-92	–
8.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	नई दिल्ली	आई.एफ.	7-12-91	–
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	नई दिल्ली	ओवरसीज	17-3-92	3-5-92
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	नई दिल्ली	आई.एफ.	16-4-92	–
11.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	नई दिल्ली	एस.एस.आई.	12-2-94	–
12.	वैश्य बैंक लिमिटेड	नई दिल्ली	ओवरसीज	28-3-92	–
13.	बैंक आफ मुदूरै लिमिटेड	नई दिल्ली	ओवरसीज	3-1-92	–
14.	बैंक आफ इंडिया		एन.आर.आई.	–	12-1-93
15.	कैनरा बैंक		विशेषज्ञता एन.आर.आई.		26-3-93

निर्यातोन्मुखी एकक

2472. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना करने के कितने प्रस्ताव मिले और ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी; और

(ख) ऐसे कितने-कितने एककों को उत्पादन शुरू करने हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) निम्नलिखित एककों की योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1993 से 28 फरवरी 1994 के बीच 521 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 329 स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) निर्यातोन्मुखी योजना में एककों को आयात-शुल्कों से छूट तथा पूंजीगत माल एवं कच्ची सामग्री के देशी प्रबंध जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें अवस्थापना सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है और इनकी व्यवस्था उद्यमियों द्वारा की जाती है।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों को बंद करना

2473. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ कपड़ा मिलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा की गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31-1-94 की स्थिति के अनुसार उनके पास 13 मिलों को पंजीकृत किया गया था। 6 मामलों में परिसमापन की सिफारिश की गई है, 5 मामलों की जांच की जा रही है, एक मामला नयायाधीन है और एक मामले में पुनरुद्धार योजना मंजूर की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के पश्चात् सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(घ) कपड़ा मिलों के पूर्णतः/अशंतः बंद किये जाने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए **कपड़ा कर्मचारी पुनर्वास निधि** की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

2474 **श्री हरिन पाठक :**
श्री प्रतापराव बी. भोंसले :
श्री मनोरंज भक्त :
श्री राम पूजन पटले :
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री धर्मण्णा मॉडग्या सादुल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 की तुलना में 1993 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण कृषि आधारित निर्यात को धक्का लगा है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि आधारित निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जायेंगे ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणज्यि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) वर्ष 1991-92 से विविध कृषिजन्य मदों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वस्तु	1991-92	1992-93	1993-94 (अप्रैल-नवम्बर)
1	2	3	4	5
1.	चावल	754.98	971.93	775.63
2.	गेहूं	121.47	10.18	0.18
3.	अन्य अनाज	6.74	10.14	46.03
4.	तंबाकू	377.29	489.06	339.13

1	2	3	4	5
5.	मसाले	370.40	368.82	367.18
6.	काजू गिरी	671.51	766.85	675.58
7.	तिल तथा रामतिल	101.19	116.20	32.12
8.	मूंगफली	7.40	7.95	84.34
9.	तेल खाद्य तथा वार गोंद खाद्य	1013.94	1642.15	1345.87
10.	शैलेव	25.70	40.69	47.07
11.	चीनी तथा सीरा	157.25	325.09	170.90
12.	फल सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य आदि	785.06	867.70	667.54
	योग	4392.93	5608.76	4551.55

(ग) तथा (घ) जैसा कि उपरोक्त विवरण में देखा जा सकता है, कृषिजन्य मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है। लेकिन, वायु वार्गो सुविधाओं में प्रगति न होना, अपर्याप्त नौवहन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी हवाई-भाड़े की ऊंची दरें तथा वाष्प उपकार की सुविधाओं का अभाव आदि ऐसी कठिनाइयां हैं जो कृषिजन्य, मदों की निर्यात संभाव्यता का पूरा उपयोग करने में बाधक हैं। आठवीं योजना अवधि के दौरान इन बुनियादी सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जो कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर चयनात्मक आधार पर वायु भाड़े में आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मजदूरी का निर्धारण

2475. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी के निर्धारण संबंधी मानदंडों में उत्पादन तथा उत्पादकता को भी शमिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) उद्योग के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित करने के मानकों में उत्पादन तथा उत्पादकता को शामिल करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अप्रैल, 1993 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक उद्यम/इकाई संसाधन/लाभ

सृजन के सामनजस्य को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन, मजदूरी ढांचे के बारे में बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है तथा मजदूरी में संशोधन इस शर्त पर होगा कि उत्पादन की प्रति इकाई श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों का विस्तार

2476. **प्रो. प्रेम धूमल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश में शिमला, मुन्तर (कूल्लू), गग्गल (कांगड़ा) में हवाई अड्डों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण की कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, इन हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

छंटनी के मुआवजे

2477. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों के छंटनी के मुआवजे के रूप में पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए इस समय किये जा रहे एक माह के मुआवजे में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) नए औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा विभिन्न मंचों पर आयोजित विचार विमर्श और औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रुग्ण एककों को ऋण

2478. **श्रीमती दीपिका एच. टोपोवाला :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बड़े और लघु रुग्ण औद्योगिक एकक हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इन एककों को कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) इन एककों पर ऋण की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) उक्त एककों से ऋण की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1992 अद्यतन उपलब्ध के अंत तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त हुई अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर गैर-लघु रूग्ण औद्योगिक एककों/कमजोर औद्योगिक एककों और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या तथा बकाया बैंक ऋण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

	श्रेणी ए	एककों की संख्या	बकाया बैंक ऋण
1.	गैर-लघु रुग्ण औद्योगिक एकक	1536	5786.55
2.	गैर-लघु औद्योगिक कमजोर एकक	813	2646.08
3.	लघु रुग्ण औद्योगिक एकक	245575	3100.67
	जोड़	247924	11533.30

1992-93 के दौरान इन एककों को दिए गए ऋणों से संबंधित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंको को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार बैंक रुग्ण/कमजोर एककों की अर्थक्षमता का निर्धारण करने के लिए अध्ययन करते हैं। बैंक ऐसे एककों के लिए पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित करते हैं जिन्हें संभावित रूप से अर्थक्षम पाया जाता है। पुनर्वास पैकेजों में वर्तमान देय राशियों और नए सावधि ऋणों की वसूली बढ़ी हुई अवधि में चरण बद्ध ढंग से करने का निर्धारण किया जाता है जो एकक की नकदी उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जहां तक अक्षम एककों का संबंध है, वर्तमान कानूनी प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध उपायों के अंतर्गत बैंक अपने अग्रिमों की वसूली करने के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

बैंक कार्यों में सुधार

2479. **डा. कृपासिन्धु भोई :**
श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुधार के उपाय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन सुधार उपायों का उपभोक्ताओं और बैंक कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) उपभोक्ताओं और बैंक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या-कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यकुशलता, उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करने और इन बैंकों के स्वास्थ्य को बहाल करने में हुई प्रगति को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक कई उपाय करने का प्रस्ताव कर रहा है। इन उपायों में ये शामिल हैं-सरकारी ऋणों पर मिलने वाली आय को बाजार के बराबर लाकर, एस.एल.आर. और सी.आर.आर. में और कटौती, क्रास सब्सिडी को केवल छोटे ऋणकर्ताओं तक सीमित रखना, सरकार और पूंजी बाजार से अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध करवाना, विशेष वसूली अधिकरणों की स्थापना द्वारा वसूली की सम्भावना में सुधार करना, प्रबंधकीय उत्तरदायित्व और स्वायत्तता में वृद्धि करना, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से बैंको में प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र के आधुनिक व्यावसायिक बैंकों के नियंत्रित प्रवेश द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए और अधिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

(ङ) से (च) सुधारात्मक उपायों से ग्राहक सेवा में सुधार और बैंक कर्मचारियों के कार्य संबंधी वातावरण बेहतर होगा तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की सक्षमता और लाभप्रदता से ग्राहकों और कर्मचारियों को फायदा होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि

2480. **श्री चित्त बसु :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपनी निधि के कुछ अंश को गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों/शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति देने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर टैक्सी ऑपरेटर

2481. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री रमेश चेन्नीत्तला :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री अन्ना जोशी :
श्री राजवीन सिंह :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री रवि राय :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में कौन-कौन-सी कम्पनियों के पस एयर टैक्सी अथवा विमान सेवा संचालन परमिट हैं;

(ख) उपरोक्त तिथि तक कम्पनी वार कितने तथा किस प्रकार के विमान संचालन में है, और क्या उन सभी को नियमों के अनुसार वायु सेवा योग्य प्रमाणित किया गया है;

(ग) कौन-कौन सी कम्पनियां किन-किन क्षेत्रों में विमान सेवा संचालित कर रही हैं;

(घ) 1992 तथा 1993 के दौरान कम्पनी-वार कुल कितने यात्री लाए तथा ले जाये गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इण्डियन एयर लाइंस (बाहरी उड़ानों को छोड़ कर) तथा वायुदूत सेवा द्वारा वर्ष-वार कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 28 फरवरी 1994 की स्थिति के अनुसार, हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट धारक कम्पनियों के नामों, तथा उनके द्वारा प्रचालन में लगाए गए विमानों की संख्या तथा प्रकार को दर्शाने वाला एक विवरण-I में संलग्न है। इन सभी विमानों को उड़ान योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जा चुका है।

(ग) हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रचालित उड़ानों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा वाहित यात्रियों की कुल संख्या विवरण-III में दी गई है।

(ङ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	वाहित यात्रियों की कुल संख्या	
	इंडियन एयरलाइन्स	वायुदूत
1992	80.59 लाख	2.50 लाख
1993	67.45 लाख	1.46 लाख

विवरण-I

28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार, हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट धारक कम्पनियों के नामों, तथा उनके द्वारा प्रचालन में लगाए गए विमानों की संख्या तथा प्रकार

	कम्पनी का नाम	विमान का प्रकार	संख्या
	1	2	3
1.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड लिंक्स, सोफिया 18, कांटवाडी रोड ऑफ पेरी रोड, बांदरा, बम्बई-400050	बी-737 एएफ-27	7 3
2.	जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा.लि. 41/42, मेकर चेम्बर 111, नरीमन प्वाइंट, बम्बई 400021	बी 737	4
3.	मैसर्स दमानिया एयरवेज लि. 103, केशनावा, बांदा खुर्जा काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) बम्बई 400051	बी-737	4

1	2	3
4. मैसर्स एम.जी. एक्सप्रेस निगमित कार्यालय, मध्य तल, हेमकुंट टावर, 92 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बी-737	3
5. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस लि. 7वीं मंजिल, अम्बा दीप, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-1	बी-737 (एक विमान 8-3-94 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया)	2
6. मैसर्स राज एविएशन (प्रा.) लि. द्वारा एवियोन होटल, बम्बई हवाई अड्डा, नेहरू रोड, बम्बई-400057	एफ-27	1
7. मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्रा.लि., 201, लक्ष्मी भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बीच क्राफ्ट-99	2
8. मैसर्स अर्चना एयरवेज लि. 41-ए, फ्रैंड्स कालोनी (ई), मथुरा रोड, नई दिल्ली	एल-410	2
9. मैसर्स जगसन एयरलाइंस, 12-ई, वन्दना बिल्डिंग 11,.टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001	डोर्नियर-228	1
10. मैसर्स मेगापोर एयरलाइंस, जूहू हवाई अड्डा, जूहू, बम्बई-400049	एच.एस.-125 700वी	1
11. मैसर्स एरियर सर्विस प्रा.लि., जूहू हवाई अड्डा बम्बई-400054	बीचक्राफ्ट	2
12. मसर्स इंडियन इन्टरनेशनल एयरवेज प्रा.लि., 710, अरुणाचल बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	एच.एस.-125 जेट रेंजर	1 2
13. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विस प्रा.लि. सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003	एफ. कूयल एस.-350-बी अलूटी (दोनों हेलिकाप्टर)	1 1
14. मैसर्स सराया एविएशन प्रा.लि. 11, पंचशील शॉपिंग सेन्टर, नई दिल्ली-110005	बीचक्राफ्ट बी-58	1

1	2	3
15. मैसर्स यू.बी. एयर प्रा.लि. एफ 4 ए, साऊथ एक्सटैंशन पार्ट I नई दिल्ली-110049	बेल 47 जी	1
16. मैसर्स सिटीलिक एयरवेज, ई 22 पूर्वी मार्ग बंसत विहार नई दिल्ली-110057	कोई प्रचालन नहीं	
17. मैसर्स उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, 14 ए, रतलाम कोठी, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	सेसना-172 सेसना-152	2 1

विवरण-II

हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित स्टेशनों के ब्यौरे

1. मैसर्स एम.जी. एक्सप्रेस लिमिटेड	**स्टेशन**
	1. दिल्ली
	2. जम्मू
	3. हैदराबाद
	4. कोचीन
	5. गोवा
	6. मद्रास
	7. बम्बई
	8. बंगलौर
	9. कलकत्ता
2. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विस (प्रा.) लि.	1. दिल्ली
	2. मोदीपुरम
	3. कोटद्वार

4. पटियाला

5. आगरा

3. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स

1. बम्बई

2. कोचीन

3. कोयम्बतूर

4. कलकत्ता

5. कालीकट

6. दिल्ली

7. बंगलौर

8. जोधपुर

9. मद्रास

10. त्रिवेन्द्रम

11. राजकोट

12. भावनगर

13. औरंगाबाद

14. बड़ौदा

15. पुणे

16. गुवाहाटी

17. बेलगांव

18. गोवा

19. मंगलौर

20. जयपुर

21. मदुरै

4. मैसर्स अर्पणा एयरवेज

1. दिल्ली
2. जम्मू
3. कुल्लु
4. लुधियाना
5. चण्डीगढ़
6. हिसार

5. मैसर्स दमानिया एयरवेज

1. बम्बई
2. कलकत्ता
3. बंगलौर
4. गोवा
5. दिल्ली
6. पूणे
7. इन्दौर
8. मद्रास

6. मैसर्स जेट एयरवेज

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. कोयम्बतूर
4. कालीकट
5. गोवा
6. बड़ौदा
7. अहमदाबाद

8. कोचीन

9. हैदराबाद

10. बंगलौर

7. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस

1. दिल्ली

2. बंगलौर

3. बम्बई

4. कलकत्ता

8. मैसर्स जगसन एयरलाइन्स

1. दिल्ली

2. कुल्लू

3. चण्डीगढ़

9. मैसर्स राज एविएशन

1. बम्बई

2. मंगलौर

3. तिरूपति

4. आगरा

विवरण-III

1992 के दौरान हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा वाहित यात्रियों का सारांश

प्रचालक का नाम		कुल वाहित यात्रियों की संख्या
1		2
1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	—	337113
2. मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज	—	10127

1		2
3. मैसर्स जगसन एयरलाइन्स	—	10402
4. मैसर्स कांटीनेंटल एविएशन	—	51700
5. मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन	—	2691
6. मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज	—	61
7. मैसर्स इंडिया इंटर नेशनल	—	271
8. मैसर्स यू.बी. एयरवेज	—	—
कुल :		412365

1993 के दौरान हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा वाहित यात्रियों का सारांश

क्रम	प्रचालक का नाम		कुल वाहित यात्रियों की संख्या
1	2		3
1.	मैसर्स इंडिया इंटननेशनल एयरवेज लि.	—	221
2.	मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विस प्रा.लि.	—	788
3.	मैसर्स यू.बी. एयर प्रा.लि.	—	—
4.	मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्रा.लि.	—	1190
5.	मैसर्स सिटीलिंक एयरवेज	—	40438
6.	मैसर्स सराया एविएशन	—	52
7.	मैसर्स जगसन एयरलाइन्स	—	3209
8.	मैसर्स उड़ान रिसर्च फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	—	36
9.	मैसर्स दमानिया एयरवेज	—	274843
10.	मैसर्स एरियल सर्विस प्रा.लि.	—	518

1	2		3
11.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	—	1121567
12.	मैसर्स एम.जी. एक्सप्रेस	—	160054
13.	मैसर्स अर्चना एयरवेज	—	7919
14.	मैसर्स जेट एयरवेज	—	4390090
15.	मैसर्स मेगापोडे एयरलाइन्स	—	—
16.	मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस	—	—
17.	मैसर्स राज एविएशन प्रा.लि.	—	—
			2042.844

[अनुवाद]

भारत-अमरीका वस्त्र समझौता

2482. **सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्सी रामय्या :
श्री के.डी. जेस्वाणी :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने किसी नये द्विपक्षीय वस्त्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नये समझौते से अमरीका को वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) नए भारत अमरीकी वस्त्र करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(1) करार की अवधि एक वर्ष अर्थात् 1994 तक होगी, फिर भी यदि 1 जनवरी, 1995 तक वस्त्र क्षेत्र को गाट में शामिल करने के लिए उरुग्वे दौर की संक्रमण व्यवस्था लागू नहीं हो जाती तो इसे एक और वर्ष अर्थात् 1995 तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) विभिन्न श्रेणियों में मौजूदा वृद्धि दरों के अतिरिक्त तय की गई नई व्यवस्था कुल स्तर का 8 प्रतिशत होगी जोकि मौजूदा वृद्धि दर के साथ करार के सामान्य परिवर्तन के आधार पर वर्ष 1994 के लिए उपलब्ध होंगी। ऐसा निम्नलिखित के फलस्वरूप हो गया है।

(1) 3341634 तथा 351 पब्लिक 651 की जो श्रेणियां समूह-2 की सीमा में विशिष्ट सीमा के अन्तर्गत थीं, उन्हें 6 प्रतिशत की नियमित वृद्धि दर के अतिरिक्त क्रमशः 11 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत की वृद्धि करके समूह 1 में अन्तरित कर दिया गया है।

(2) 3381339, 326 तथा 317 की जो श्रेणियां पहले विशिष्ट सीमाओं रहित समूह 2 में थीं, उन्हें 30 सितम्बर, 1993 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के दौरान के आयात आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, तथा 25 प्रतिशत की वृद्धि करके विशिष्ट सीमाओं वाले समूह-1 में अन्तरित कर दिया गया है।

(3) समूह 2 की सीमा को घटा कर 80 मिलियन वर्ग मीटर तक कर दिया गया है जो कि अन्तरित किए जा रहे उत्पादों के मौजूदा व्यापार की तुलना में 10 मिलियन वर्ग मीटर की वृद्धि का परिचायक है।

(4) श्रेणी 365 (ओ) के लिए (हथकरघा मेड अप्स सहित अन्य सूती मेड-अप्स) 15 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गई है।

(3) 3471348 तथा 6471648 के बीच के विशेष अन्तरणों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

(4) धोखाधड़ी को रोकने के समबन्ध मे करार में एक नया पैरा शामिल किया गया है। लदान के अन्तरण के मामलो तथा धोखाधड़ी की अन्य घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक नई शर्त शामिल की गई है।

(ग) ऐसी आशा है कि इस नए करार से करार की गई अतिरिक्त व्यवस्था की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के निर्यात में वृद्धि की गति में सुधार आएगा।

कृषि ऋण

2483. **डा. असीम बाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सरकार द्वारा अपनायी गई वर्तमान आर्थिक नीति के संदर्भ में कृषि ऋण संबंधी कोई नई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि ऋण देने की संभावनाओं के संबंध में भी किसी योजना पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) कृषि में पूंजी विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान करने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर और अधिक बल देने का प्रस्ताव किया है। नाबार्ड ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को तेज करने के लिए उपायों का एक पैकेज आरम्भ किया है और गैर-कृषि विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता देने जैसी योजनाएं आरम्भ की हैं तथा अपनी सहायता स्वयं करने वाले समूह के साथ जोड़ते हुए परियोजनाओं का कवरेज प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उसने मौसमी कृषि परिचालन आदि के लिए राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण सीमाओं में वृद्धि की है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में ऋण के प्रवाह में तेजी से सुधार लाने में की दृष्टि से नाबार्ड ने असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यों में लघु सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली बैंकिंग योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंकों को सीमाएं मंजूर करने के लिए पात्रता मानदंडों में भी ढील दी गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना

2484. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस योजना को वापस लेने से छोटे निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या कोई वैकल्पिक योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आई.पी.आर.एस.) को 1-4-94 से समाप्त कर दिया गया है। इस योजना को समाप्त किया जाना था चूंकि इंजीनियरी सामान निर्यात सहायता कोष (ई.जी.ई.ए.एस.) का पिण्ड लोहे और एकीकृत इस्पात संयंत्रों के इस्पात पर उपकर, जो इस योजना को वित्तीय सहायता देता है, अपर्याप्त हो गया तथा इस योजना को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं की जा सकी। यद्यपि निर्यात संबंधी इस योजना को समाप्त करने के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम पड़ें इसके लिए सरकार सभी संभव कदम उठा रही है।

घरेलू बाजार में कॉफी का विपणन

2485. **श्री जायनल अबेदिन :**
श्री रामचन्द्र घंगारे :
डा. आर. मल्लू :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी का व्यापार करने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने निर्यात के प्रयोजन से की गई कॉफी की खरीद का अधिकांश भाग घरेलू बाजार में भेजा है;

(ख) क्या कॉफी बोर्ड ने सरकार से इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सितंबर, 1993 में कॉफी बोर्ड ने सूचित किया था कि कॉफी का व्यापार करने वाली कई कंपनियों ने निर्यात के लिए पोतलदान करने में वादाखिलाफी दी थी। कॉफी बोर्ड की विपणन समिति ने इस मामले की विस्तृत जांच करने के बाद स्टाकों की मौके पर जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए एक उप समिति का गठन किया।

कृषि ऋण

2486. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993 94 के दौरान अब तक वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और को-आपरेटिव बैंकों द्वारा कृषि ऋण के रूप में राज्य वार कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) सरकार द्वारा कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण का राशि वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, वर्ष 1990-91 और 1991 92 के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) और वर्ष 1991-92 और 1992 93 के दौरान भू विकास बैंकों (एल.डी.बी.) द्वारा दिए गए कृषि ऋणों की अद्यतन उपलब्धि राज्यवार राशि क्रमशः विवरण I, II, III और IV में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल ऋण का 18 प्रतिशत तक कृषि (सम्बद्ध कार्यों सहित) को प्रदान करें। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकासबैंक नियमित आधार पर अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों को मानीटर करते हैं ताकि बैंकिंग प्रणाली कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करें।

विवरण-I

जून, 1991 और जून, 1992 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए कृषि ऋणों की राज्यवार राशियों को दर्शाने वाला विवरण

(राशी लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम/संघ शासित क्षेत्र	जून 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष	जून, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष
1	2	3	4
1.	हरियाणा	23857	23096
2.	हिमाचल प्रदेश	1836	1664
3.	जम्मू एवं कश्मीर	848	890
4.	पंजाब	28953	28065
5.	राजस्थान	16049	16897
6.	चंडीगढ़	2118	1875
7.	दिल्ली	982	919
8	असम	1546	1371
9	मणिपुर	92	92
10.	मेघालय	194	76
11.	नागालैंड	288	102
12.	त्रिपुरा	154	175
13	अरुणाचल प्रदेश	27	75
14.	मिजोरम	12	18
15.	सिक्किम	41	144
16.	बिहार	13158	16419
17.	उड़ीसा	11490	17596
18.	पश्चिम बंगाल	15162	14775

1	2	3	4
19.	अंडमान एवं निकोबार	33	30
20.	मध्य प्रदेश	35291	23094
21.	उत्तर प्रदेश	48703	45327
22.	गुजरात	24733	27063
23.	महाराष्ट्र	42966	36960
24	दमन एवं दीव	7	7
25.	गोवा	768	725
26.	दादर और नगर हवेली	38	26
27.	आन्ध्र प्रदेश	73710	78443
28.	कर्नाटक	31319	34661
29.	केरल	35272	40551
30.	तमिलनाडु	78459	86247
31.	पांडिचेरी	1235	1266
32.	लक्षद्वीप	11	9
	अखिल भारत	489354	498658

विवरण-II

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान दिए गए राज्यवार कृषि ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्यों के नाम/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93
1	2	3	4
1.	हरियाणा	1289	1490

1	2	3	4
2.	हिमाचल प्रदेश	558	157
3.	जम्मू एवं कश्मीर	26	55
4.	पंजाब	2049	1888
5.	राजस्थान	1791	1680
6.	चंडीगढ़	—	—
7.	दिल्ली	—	—
8.	असम	216	410
9.	मणिपुर	4	Neg.
10.	मेघालय	51	52
11.	नागालैंड	0.49	—
12.	त्रिपुरा	5	11
13.	अरुणाचल प्रदेश	96	96
14.	मिजोरम	34	51
15.	सिक्किम	—	—
16.	बिहार	2162	1888
17.	उड़ीसा	2471	1870
18.	पश्चिम बंगाल	1626	1454
19.	अंडमान एवं निकोबार	—	—
20.	मध्य प्रदेश	2655	1652
21.	उत्तर प्रदेश	10388	9601
22.	गुजरात	2327	2447
23.	महाराष्ट्र	1188	1188
24	दमन एवं दीव		—

1	2	3	4
25.	गोवा		
26.	दादरा और नगर हवेली		
27.	आन्ध्र प्रदेश	14072	15629
28.	कर्नाटक	7020	8786
29.	केरल	7325	7030
30.	तमिलनाडु	2279	2932
31.	पांडिचेरी		
32.	लक्षद्वीप		
	अखिल भारत	59631	60283

विवरण-III

1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किये गये कृषि ऋणों की राज्यवार राशियों को दर्शाने वाला विवरण

(राशी लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम/संघ शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	35011	37183
2.	असम	701	475
3.	बिहार	3647	7425
4	गोवा	92	141
5.	गुजरात	43698	17949
6.	हरियाणा	23285	36792
7.	हिमाचल प्रदेश	1385	1093
8.	जम्मू एवं कश्मीर		

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	22024	3543
10.	केरल	71352	8497
11.	मध्य प्रदेश	17877	57492
12.	महाराष्ट्र	77500	35750
13.	मणिपुर		
14.	मेघालय	136	171
15.	नागालैण्ड	77	501
16.	उड़ीसा	3287	2623
17.	पंजाब	34566	620(68
18.	राजस्थान		22296
19.	सिक्किम	2	
20.	तमिलनाडु	57405	111799
21.	त्रिपुरा	338	787
22.	उत्तर प्रदेश	44704	37979
23.	पश्चिम बंगाल	10201	5772
24	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	--	197
25.	अरुणाचल प्रदेश	12	131
26.	चंडीगढ़		-
27.	दादर और नगर हवेली	10	
28.	दमन और दीव	14	
29.	दिल्ली		61
30	लक्षद्वीप	27	

1	2	3	4
31.	मिज़ोरम	4	–
32.	पांडिचेरी	468	269
	जोड़	467885	450085

विवरण-IV

भूमि विकास बैंकों (एल.डी.बी.) द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान दिए गए राज्यवार कृषि ऋणों की रकम को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13598	22445
2.	असम	116	56
3.	बिहार	168	765
4	गुजरात	7033	8045
5.	हरियाणा	5642	7399
6.	हिमाचल प्रदेश	386	306
7.	जम्मू एवं कश्मीर	465	306
8.	कर्नाटक	9721	12057
9.	केरल	6623	6947
10.	मध्य प्रदेश	5121	5817
11.	महाराष्ट्र	13216	12914
12.	उड़ीसा	626	1745
13	पांडिचेरी	76	82
14.	पंजाब	8222	7839

1	2	3	4
15.	राजस्थान	4722	6178
16.	तमिलनाडु	4132	6410
17.	त्रिपुरा	72	62
18.	उत्तर प्रदेश	18095	19895
19.	पश्चिम बंगाल	2152	1711
20.	मणिपुर		27
	जोड़	100186	121006

रुई की खरीद

2487. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 93, 1993 94 के दौरान अब तक भारतीय रुई निगम ने राज्य वार कितनी रुई की खरीद की, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रुई निगम ने राज्यवार कितनी रुई की आपूर्ति की ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) भारतीय कपास निगम द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान खरीद की गई कपास निम्नानुसार है

(मात्रा गांठों में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

राज्य	1992 93	1993 94 (24 2 94 की स्थिति अनुसार)
1	2	3
पंजाब	3,28,043	68,941
हरियाणा	1,37,737	46,674
राजस्थान	1,62,892	1,28,673
गुजरात	2,26,602	1,45,117
मध्य प्रदेश	1,01,618	1,56,539

1	2	3
कर्नाटक	48,268	26,629
आन्ध्र प्रदेश	1,75,57	1,48,933
तमिलनाडु	5,310	2,085
अन्य	550	
कुल	11,86,598	7,23,591

(ख) भारतीय कपास निगम राज्य-वार रुई की आपूर्ति नहीं कर रहा है। निगम द्वारा निजी मिलों राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा संस्थागत क्रेताओं जैसे देश भर में स्थित राज्य वस्त्र निगमों/सहकारी संस्थाओं को रुई की आपूर्ति की जाती रही है।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु नाबार्ड से सहायता

2488. **श्री हरि भाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कोई पुनर्वित्त सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो 1993-94 में अब तक राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण, कुटीर और लघु क्षेत्र के उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है। 1993-94 (25-2-94 तक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई ऐसी पुनर्वित्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993-94 (25-2-1994 तक) के दौरान ग्रामीण, कुटीर और लघु क्षेत्र के उद्योगों का वित्त पोषण करने के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों को प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये राशि)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि
1	2	3
1.	दिल्ली	3३

1	2	3
2.	हरियाणा	1553
3.	हिमाचल प्रदेश	215
4.	जम्मू एवं कश्मीर	57
5.	पंजाब	216
6.	राजस्थान	987
7.	असम	186
8.	मणिपुर	45
9.	मेघालय	46
10.	मिजोरम	31
11.	बिहार	174
12.	उड़ीसा	314
13.	पश्चिम बंगाल	499
14.	अडमान और निकोबार	2
15.	मध्य प्रदेश	189
16.	उत्तर प्रदेश	1397
17.	दादर और नगर हवेली	4
18.	गुजरात	2764
19.	गोवा	144
20.	महाराष्ट्र	1527
21.	आन्ध्र प्रदेश	729
22.	कर्नाटक	3720
23.	केरल	3167

1	2	3
24.	पांडिचेरी	17
25	तमिलनाडु	3593
	जोड़	21699

उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों का निर्यात

2489. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों की कुछ मांग है।

(ख) से (घ) क्षेत्र वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। सरकार उड़ीसा सहित देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे क्रेता विक्रेता बैठकों को प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन। हाल ही में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने उड़ीसा से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा विनिर्माताओं तथा व्यापारियों का निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में उड़ीसा से हथकरघा उत्पादों के विकास विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था।

रुग्ण एकक

2490. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने रुग्ण एकक हैं;

(ख) इन रुग्ण एककों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की कितनी बकाया राशि फंसी है; और

(ग) इन फंसी हुई राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टॉक मार्केट में नकली डॉलर

2491. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टॉक मार्केट में नकली डॉलर के आने के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्टॉक मार्केट में ऐसे क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्यकलापों में विविधता लाना

2492. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु निगम नौवहन के क्षेत्र मे भी प्रवेश कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उदारीकृत आर्थिक परिपेक्ष में एम.एम.टी.सी. विविध क्षेत्रों में प्रवेश करने की सम्भाव्यता का पता लगा रही है। नौवहन कार्य में निवेश करने के किसी प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

मुखबिरों को पुरस्कार

2493. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरस्कार नियम 1993 में मुखबिरों को बिना आंतरिक लेखा परीक्षा के 99,999 रुपये का अंतरिम पुरस्कार देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 1993 से पूर्व सूचना देने वालों (जिसके आधार पर तलाशियां ली गईं) को इस प्रावधान के अंतर्गत पुरस्कार देने हेतु अयोग्य घोषित करने के क्या कारण हैं;

(ग) विभाग द्वारा मामलों में विलम्ब करने पर कैसे निगरानी रखी जाती है;

(घ) विभाग ने कितने मामलों में अंतिम पुरस्कार दिया है और दिल्ली में तालाशी की तिथि सहित कितने मामले लम्बित हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निर्धारित समय सीमा में पुरस्कार न दिए जाने के लिए संबद्ध अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रेशखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सूचना देने वालों को पुरस्कार की स्वीकृति संबंधी 1993 की मार्ग निर्देशिकाओं, में अंतरिम पुरस्कार की स्वीकृति का प्रावधान है जिसकी धनराशि लगाये गए अतिरिक्त कर या लगाये जाने वाले उचित प्रत्याशित कर के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये होगी।

(ख) 1 12 93 से पहले सूचना देने वालों के पुरस्कार उन मार्ग निर्देशिकाओं द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जो संबंधित सूचना प्राप्त करने के समय लागू थीं।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तलाशी कर निर्धारणों के शीघ्र निपटान और सूचना देने वालों को तुरन्त पुरस्कार देने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

(घ) 1 4 1988 से 31 12 1993 की अवधि के दौरान सूचना देने वालों को 10 मामलों में अंतिम रूप से पुरस्कारों का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 31 12 1993 की स्थिति के अनुसार सूचना देने वालों को पुरस्कारों की स्वीकृति के लिए 114 मामले लम्बित थे।

(ङ), (च) और (छ) मार्ग निर्देशिकाओं के अनुसार पुरस्कारों का अंतिम रूप से भुगतान तभी किया जा सकता है जब अपील, पुनरीक्षा आदि के बाद संबंधित कर निर्धारण अंतिम रूप से कर लिया जाता है और लगाया गया एवं दी गई सूचना के अनुरूप अतिरिक्त कर वसूल कर लिया जाता है। अतः किसी मामले में पुरस्कार की अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। फिर भी सूचना देने वालों को पुरस्कार की स्वीकृति के सभी मामलों की उच्च प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा की जाती है।

पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस की कार्यशाला

2494. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस ने पालम हवाई अड्डे पर जैट इंजन की मरम्मत करने हेतु एक कार्यशाला स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर हुए व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके उद्देश्य क्या हैं,

(ग) क्या उक्त कार्यशाला में कार्य आरंभ हो चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा उठाना पड़ा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) बोइंग 737 विमानों मे प्रयुक्त जे.टी. 8 डी. इंजिनो की ओवर हालिंग करने के मूल उद्देश्य से पालम हवाई अड्डे पर जेट इंजिन ओवर हाल वर्कशाप स्थापित की गई थी। इंडिगन एयरलाइन्स ने उस पर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ग) जी. हां।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि से अर्जित राजस्व

2495. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल सहित विभिन्न मदों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) जन साधारण पर इस मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पडेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पूर्ति किए जाने वाले वृद्धि गेहूं, चावल, चीनी की केन्द्रीय निर्गम कीमतें और केरोसीन के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की बाजार कीमतें जनवरी, फरवरी, 1994 मे संशोधित की गई थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को दी गई आर्थिक सहायता की राशि के अतिरिक्त सरकार को कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा और तेल उद्योग द्वारा घाटा वहन किए जाने से वह राजस्व कुछ सीमा तक कम होगा।

(ग) चावल, गेहूं और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन के बाद थोक मूल्य, सूचकांक 29-1-94 को 251.9 तक पहुंच गया जो सामान्य मूल्य स्तर में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पैट्रोलियम उत्पादों और एल.पी.जी. के प्रशासित मूल्यों पर वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 0.4 प्रतिशत प्राक्कलित किया गया था। इस प्रकार सामान्य मूल्य स्तर पर समग्र प्रत्यक्ष प्रभाव 0.7 प्रतिशत प्राक्कलित किया गया है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन

2496. **श्री आनंद अहिरवार** :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **वित्त मंत्री** 24 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु विभिन्न कर्मचारी संघों से विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। पेंशन योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दालों का निर्यात

2497. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मोटे अनाजों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार विशेषकर महाराष्ट्र से कोई आग्रह प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जो, मक्का, बाजरा जौवार और रागी जैसे मोटे अनाजों के निर्यात की मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन अनुमति है। वर्ष 1993 94 के लिए मोटे अनाजों के निर्यात की सीमा 1.5 लाख मी. टन घोषित की गयी थी और 7 3 94 तक एपीडा ने 1,18,364 मी. टन मोटे अनाज के निर्यात के लिए पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार को 1.6 लाख मी. टन गैर शुद्ध औसत किस्म की जौवार तथा 3.3 लाख मी. टन शुद्ध औसत किस्म की जौवार के कोटे के निर्यात की अनुमति प्रदान की गयी है। 1 3 94 से शंकर जौवार फीड ग्रेड के निर्यात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर बकाया राशि

2498. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार** :
डा. वसंत पंवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ का कपास की सप्लाई के लिए लगभग 72 करोड़ रुपया बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार और सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम से देय राशि के भुगतान के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा देय राशि के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी. को कपास की सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ को भुगतान करने के लिए 74.17 करोड़ रुपये की बकाया राशि देय थी। इस देय राशि का भुगतान करने के लिए अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। एन.टी.सी. उधार की शर्तों पर कपास की खरीद करता है। इसलिए किसी भी समय भुगतान के लिए कुछ बकाया राशि का रहना स्वाभाविक है। संसाधन जुटा करके तथा द्रव्यता तथा नगदी घाटों की प्रतिपूर्ति के लिए निधियां प्राप्त होने पर समय समय पर ऐसी देय बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार इंजीनियर

2499. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज तक इंजीनियरिंग क्षेत्र में बेरोजगार डिप्लोमा और आई.टी.आई. सर्टिफिकेट धारकों की संख्या कितनी कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : अनुप्रयुक्त श्रम शक्ति अनुसंधान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में अभियान्त्रिकी में उपाधि व डिप्लोमाधारी बेरोजगारों की कुल संख्या क्रमशः 971 और 7538 थी। आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारकों के लिए ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 31 दिसम्बर, 1991 तक उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आई.टी.आई. प्रमाण पत्र धारकों की कुल संख्या, जिनमें आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 136.0 हजार थी।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

2500. **डा. साक्षी जी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना को कर्मचारियों के लिए और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि का कार्यकरण, सामान्यतः संतोषजनक है तथापि, अंशदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। सरकार ने विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन करने तथा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लाभ के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना लागू करने का भी निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी एक विधेयक पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

स्वयंसेवी संगठनों को बाल श्रमिकों हेतु वित्तीय सहायता

2501. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु चालू और नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाल श्रम क्षेत्र के कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

योजना का नाम	7वीं योजना में आबंटन	8वीं योजना में आंबटन
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	397.30 लाख रुपये	1185 लाख रुपये
सहायता अनुदान परियोजनाएं	80.45 लाख रुपये	200 लाख रुपये

[अनुवाद]

नागर विमानन के लिए कर्मियों की आवश्यकता

2502. **श्री रमेश चेन्नित्तला** :
श्री राजवीर सिंह :
श्री लाल बहादुर रावल :
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगामी दस वर्षों में नागर विमानन के लिए विभिन्न श्रेणी के कर्मियों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) क्या देश में आवश्यकतानुरूप विमानन कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विमानन शिक्षा एवं सुरक्षा को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल करने का है ताकि नागर विमानन हेतु कर्मियों की मांग को पूरा किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मुगा रेशम

2503. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुगा रेशम की मांग अन्य तीन प्रकार के रेशम की मांग से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मुगा रेशम धागे तथा वस्त्रों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार ने मुगा रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) देश में उत्पादित मूगा रेशम का मुख्यः उपयोग घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान मूगा रेशम के उत्पादों के निर्यात नगण्य रहे हैं।

मूगा रेशम के उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय रेशम निर्यात सवंर्धन परिषद द्वारा किए गए प्रयासों में उनकी "सिल्क इण्डिया" नामक अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रचार करने के साथ साथ नई दिल्ली में आयोजित 'रेशम इण्डिया' तथा थेलेसिंया, स्पेन में आयोजित वस्त्र होमर मेले में उनके प्रदर्शन शामिल हैं।

विदेशी सहायता

2504. **प्रो. मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सकल निवेश की तुलना में वर्तमान विदेशी सहायता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितना विदेशी वाणिज्यिक ऋण लिया गया था; और

(ग) क्या ऋण की अदायगी में कोई घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में हुए विदेशी निवेश और प्राप्त विदेशी सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
विदेशी सहायता (सरकारी लेखे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय)	9116.25	8095.43	9008.07

1	2	3	4
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	191 1768	477.9541	985 1569
(शत प्रतिशत ई.ओ.यू. सहित भारत सरकार, एस.आई.ए./एफ.आई.पी.वी. द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के संबंध में)			

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी वाणिज्यिक ऋण की मात्रा निम्न प्रकार है :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	स्वीकृत	संवितरित (सकल)
1990 91	1902.62	699.58
1991 92	2126.58	2797.70
1992 93	2200.29	1001.00

(ग) जी नहीं। प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी देय तारीखों पर की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटसन मिलें

2505. **डा. परशुराम गंगवार :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कुल कितनी पटसन मिलें थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी पटसन मिलें बंद हुईं या रुग्ण घोषित की गईं और इस कारण कितने कारीगर बेरोजगार हो गए,

(ग) कितनी पटसन मिलों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो को भेजे गए,

(घ) बी.आई.एफ.आर. ने इस पर क्या कार्यवाही की है,

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से कितने पटसन उत्पादों का निर्यात हुआ और परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई; और

(च) सरकार ने पटसन के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) 28-2 1994 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य वार 73 पटसन मिलों की अब स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य	पटसन मिलों की संख्या
पश्चिम बंगाल	59
बिहार	3
असम	1
त्रिपुरा	1
उड़ीसा	1
मध्य प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	3
आन्ध्र प्रदेश	4
कुल	73

(ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में निर्दिष्ट वित्तीय पैरामीटरों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में 48 पटसन मिलें रुग्ण मिलें बन गईं। उपर्युक्त में से 6 रुग्ण एकक एक वर्ष अधिक समय से बन्द पडे हुए हैं जिससे 12,940 कामगार बेरोजगार हो गये हैं।

(ग) और (घ) अब तक 37 एककों के मामलों को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा गया है। बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए मामलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

1. 11 एककों के संबंध में पुनरुद्धार योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।
2. बी.आई.एफ.आर. द्वारा दो मामलों में कम्पनी की योजना का अनुमोदन कर दिया गया है।
3. एक मामले में योजना मसौदा अनुमोदन के लिए लंबित पड़ा है।

4. 5 एककों के मामलों को निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि वे चलने लायक नहीं थे जिसमें से एक संभाव्य रूप से रुग्ण एकक है लेकिन पूरी तरह से रुग्ण नहीं है और 2 अन्य एकक भारत से बाहर निगमित हैं और इसलिए बी.आई.एफ.आर. के पास भेजने के पात्र नहीं हैं।

5. 8 एककों के मामले जांच पड़ताल के अधीन हैं।

6. अपीलीय अभिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) द्वारा एक एकक का मामला वापस भेज दिया गया है।

7. 4 एककों के संबंध में न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा बी.आई.आर. की कार्रवाई को रोक दिया गया है।

8. 2 एककों के संबंध में बी.आई.एफ.आर. द्वारा समापन के नोटिस जारी कर दिये है।

9. बी.आई.एफ.आर. द्वारा 3 मामलों के समापन के लिए उच्च न्यायालय से सिफारिश की गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन सामान का निर्यात तथा विदेशी मुद्रा अर्जन की धन राशि का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष (अप्रैल मार्च)	कुल मात्रा (हजार टन)	कुल (करोड़ रुपये)
1990 91	219.0	296.37
1991 92	237.1	386.03
1992 93	195.8	358.10

(च) सरकार ने यार्न, रंजित/सजावटी फैबिक्स पटसन के फर्श कालीन दीवार पर टांगी जाने वाली सजावटी वस्तुएं आदि जैसी मूल्य वर्धित विविधीकृत उत्पादों पर जोर देकर उत्पादन और जे.एम.डी.सी. की हानि भागीदारी योजना के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी मूल्यों की पेशकश द्वारा विश्व निविदाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करके निर्यात में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाये हैं।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर अधिनियम, 1957

2506. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन करने के संपत्ति कर अधिकारियों को निदेश जारी कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य में संपत्ति कर लगाया और एकत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो संपत्ति कर के रूप में राज्य से कितनी धनराशि वसूल की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। जम्मू और कश्मीर राज्य में धनकर अधिनियम 1957 को लागू करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को आवश्यक कार्रवाई के लिए धनकर प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

(ग) और (घ) 31.1.1994 तक जम्मू और कश्मीर राज्य के करदाताओं से धनकर के रूप में 14.2 लाख रु. की धनराशि वसूल की गई है।

[हिन्दी]

बिहार को पूंजी अनुदान

2507. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार सरकार का पूंजी अनुदान संबंधी अनुरोध केंद्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पडा है और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका

2508. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये दिशानिर्देश कब जारी किए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना उद्योग का वित्तपोषण, संवर्धन या विकास करने के कार्य में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने, उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन संस्थाओं के विकास में सहायता करने

और इनसे संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक प्रमुख वित्तीय सस्था के रूप मे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत जुलाई, 1964 में की गई थी। जबकि सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका के संबंध में कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर सरकार ने विशिष्ट विषयों पर मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

सस्ते होटल

2509. **श्री एस.एम. लाल जान वाशा :**
श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार सस्ते होटलों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के होटल कहां कहां विशेषतः आंध्र प्रदेश में कहां कहां खोले जा रहे हैं अथवा खोले जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) होटलों का निर्माण करना मुख्यतः निजी क्षेत्र का कार्य है। सरकार अनुमोदित होटलों की सभी श्रेणियों को वित्तीय लाभ देने के अतिरिक्त, एक, दो और तीन सितारा होटल परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट वित्तीय सस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों पर 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की ब्याज इमदाद देती है।

(ग) इस समय आंध्र प्रदेश में अडोनी, कुड्डापाहा, गुंटूर, हनुमानकोंडा, हैदराबाद, काकीनाडा, कुर्नूल, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, ओंगोल, पत्तनचेरू, राजामुंद्री, ताडापल्लीगुडम, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, करीम नगर, नेल्लौर, प्रोडुत्थूर और तालकुंटा नामक 21 केंद्रों में एक, दो और तीन सितारा श्रेणी की 50 अनुमोदित होटल परियोजनाएं हैं।

आयकर छापे

2510. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री प्रेम चंद्र राम :
श्री चंद्रेश पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने गत छः महीनों के दौरान राज्य वार कितने छापे डाले; और

(ख) इन छापों में बरामद सामग्री जब्त की गई धनराशि और चलाए गए मुकद्दमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संगत और संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उन मामलों में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है जिनमें गत छः महीनों के दौरान तलाशियां ली गई थीं।

विवरण

सितम्बर, 1993 से फरवरी, 1994 के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियां

राज्य	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिग्रहण (लाख रुपयों में)			
		नकदी	जेबर जवाहिरात	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
असम (उ.पू.क्षे.)	62	66.09	5.42	43.94	115.45
आंध्र प्रदेश	259	323.21	356.34	915.42	1594.97
बिहार	37	43.56	99.48	217.43	360.47
चंडीगढ़	41	5.10	21.26	208.23	234.59
दिल्ली	386	1086.69	356.39	754.59	2197.66
गुजरात	384	582.55	586.34	1459.09	2627.98
हरियाणा	25	7.32	11.49	59.08	77.89
पांडिचेरी	18	34.30	202067	16.19	253.16
केरल	70	34.43	39.71	330.95	405.09
कर्नाटक	140	314.61	155.17	515.37	985.15
गोवा	3	27.30	-	-	27.30
मध्य प्रदेश	65	95.75	228.38	780.85	1104.98
महाराष्ट्र	553	458.07	1101.43	2128.73	3688.23

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	3	3.90	55.00	52.45	111.35
पंजाब	197	160.95	183.89	1235.52	1580.36
राजस्थान	80	56.56	263.72	753.20	1073.48
तमिलनाडु	218	134.63	687.15	582.41	1404.19
उत्तर प्रदेश	164	94.72	250.63	172.75	518.10
पश्चिम बंगाल	317	322.48	1470.33	1937.21	3730.02
	3022	3852.22	6074.79	12163.41	22090.42

बैंकों के लिए लाइसेंस प्रणाली

2511. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नई शाखाएं खोलने संबंधी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों ने राज्यवार कितनी शाखाएं खोली हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) शाखा विस्तार नीति, 1990-95 के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में पता लगाए गए ग्रामीण केंद्रों में शाखायें खोलने के प्रस्ताव और उचित रूप से संबद्ध राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक अर्ध शहरी केंद्रों का संबंध है, बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि उन्हें आबंटित किए गए कोटे के अंतर्गत वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार शाखाएं खोल सकते हैं। अर्ध शहरी केंद्रों में शाखायें खोलने के प्रयोजन के लिए कोई राज्यवार कोटा आबंटित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर के केंद्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित कार्यदलों द्वारा पता लगाए गए केंद्रों के आधार पर आबंटन किया जाता है। चालू शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंकों को विशेषज्ञता प्राप्त शाखायें अर्थात् औद्योगिक वित्त, विदेशी, एसआईबी/एसएसआई, एनआरआई, ट्रैजरी आदि शाखायें खोलने की स्वतंत्रता है। यह उस केंद्र में पर्याप्त कारबार सुनिश्चित करने के पश्चात किया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन प्रस्तावों को छोड़कर दूसरे प्रस्ताव, जो विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए

भेजा जाना होता है। बैंक अपने विस्तार काउंटर खोलने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे उस संगठन के प्रमुख बैंकर हों, जिनके परिसरों में विस्तार काउंटर कार्य कर रहा है।

(ग) दिसंबर, 1993 को समाप्त हुए गत वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्य वार संख्या के संबंध में सूचना विवरण में दी गई हैं।

विवरण

दिसंबर, 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 1-1 1993 से 31-12-93 तक खोली गई शाखाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	26
अरुणाचल प्रदेश	
असम	—
बिहार	12
गोवा	2
गुजरात	21
हरियाणा	23
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू एवं कश्मीर	—
कर्नाटक	22
केरल	30
मध्य प्रदेश	23
महाराष्ट्र	35
मणिपुर	
मेघालय	3
मिजोरम	1

1	2
नागालैंड	1
उड़ीसा	9
पंजाब	28
राजस्थान	25
सिक्किम	6
तमिलनाडु	20
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	40
पश्चिम बंगाल	14
अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3
चंडीगढ़	2
दादरा एवं नगर हवेली	–
दमन एंव दीव	–
दिल्ली	6
लक्षद्वीप	–
पांडिचेरी	2
अखिल भारत (योग)	362

[हिन्दी]

जनता कपड़े का उत्पादन

5212. **श्री काशीराम राणा :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्रीमती सुमित्र महाजन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जनता कपड़े के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य पूरा किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन में कमी आई है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जनता कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	600	477.15
1991-92	450	402.69
1992-93	450	328.03

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सब्सिडी प्राप्त योजनाओं को समाप्त करने की भारत सरकार की नीति के अनुसार सरकार ने वर्ष 1991-92 से जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अत : जनता कपड़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय सरकार की नीति के अनुरूप है। तथापि यह सुनिश्चित करेन के लिए जनता कपड़ा उत्पादन में कार्यरत बुनकर बेरोजगार न हो जाऐं इस योजना को धीरे धीरे इस प्रकार समाप्त किया जा रहा ताकि इस अवधि के दौरान जनता कपड़ा उत्पादन में कार्यरत बुनकरों को गैर-जनता कपड़े के उत्पादन के लिए विकल्प उपलबध करा दिया जाए।

[अनुवाद]

काफी उद्योग

2513. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि इसे वाणिज्यिक बैंकों और अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता दिलाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी नही। इस प्रकार, विस्तृत ब्यौरे देने

का प्रश्न नहीं उठता। इस समय, काफी बागानों के विकास के लिए ऋण वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।

आयात-निर्यात नीति

2514. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
डा. परशुराम गंगवार :
श्री डा. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी औद्योगिक नीति के समान निर्यात नीति बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत कुछ महीनों में निर्यात बढ़ाने हेतु कोई ठोस कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयात निर्यात नीति में कोई और परिवर्तन करने से पहले राज्य सरकारों के दृष्टि कोणों पर विचार किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलें एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहां निर्यात संवर्धन सेल/निदेशालय स्थापित किये हैं। कई राज्यों में निर्यात संवर्धन निगम भी स्थापित किए गए हैं। कई राज्यों में मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों और दोनों अधिकारियों और गैर सरकारी अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित बोर्डों/शीर्ष निकायों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकारों को निर्यात प्रयासों में प्रोत्साहित करने एवं उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र ने हाल ही में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना बनायी है।

(घ) एवं (ङ) सभी संबंधितों की राय को ध्यान में रखते हुए ही आयात निर्यात नीति बनायी जाती है।

[हिन्दी]

उजबेकिस्तान के साथ व्यापार

2515. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बातने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति की जनवरी, 1994 में भारत यात्रा के दौरान भारत तथा उजबेक्सितान के बीच कोई व्यापार समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यह कब से लागू होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत तथा उजबेकिस्तान के बीच व्यापार करार पर हस्ताक्षर प्रधान मंत्री के ताशकंद दौरे के समय 24 मई, 1993 को किए गए थे। पिछली जनवरी में, उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति के दौर के समय, दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों के विकास के सिद्धान्तों और व्यापक सहयोग को मजबूत करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) करार का उद्देश्य है : पारस्परिक व्यापार आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहायता को बढ़ाना और सरकारी तथा उद्यमों, संगठनों, सोसाइटियों और प्रतिवेदनों के स्तर पर दोनों देशों के बीच जानकारी का आदान प्रदान।

(ग) यह करार, हस्ताक्षर किए जाने की तारीख अर्थात 5 जनवरी, 1994 से प्रभावी हो गया।

[अनुवाद]

दोहरे कराधान को रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता

2516. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात और भारत के आय तथा पूंजी पर दोहरे कराधान को रोकने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है; और

(ग) इस समझौते से भारत को कितना लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। आय और पूंजी पर करों के मामले में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 29-4-1992 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे और 18-11-1993 को अधिसूचित किया गया था।

(ख) यह समझौता 22-9-93 से लागू हो गया है। भारत में यह पिछले वर्षों के मामलों में 1-4-94 से और इससे आगे लागू होगा। भारत में यह समझौता आयकर पर किसी अधिभार सहित आयकर एवं धनकर पर लागू होगा। नौवहन लाभों के मामले में पूरी पारस्परिक छूट प्रदान की गयी है। इस समझौते के अन्तर्गत पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कर की घटी हुई दर का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में बैंकों आदि के मामले में ब्याज 5 प्रतिशत की दर से और दूसरे मामलों में 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगा। यह विदेशी कंपनियों के मामले में भारतीय आयकर अधिनियम में किये गये 2.5

प्रतिशत के प्रावधान के स्थान पर है। शेयरों के हस्तान्तरण से प्राप्त लाभों पर स्रोत वाले देश में कराधान से छूट दी जायेगी। कर से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए समझौते में पारस्परिक समझौता प्रक्रिया की व्यवस्थ की गयी है। इसमें दो देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) इस समझौते से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी निवेशों एवं निर्यातों की प्रोन्नति और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को प्रोत्साहन और इस प्रकार भारत की अर्थ व्यवस्था के भावी विकास में मदद मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

रबड़ का आयात

2517. **श्री राम पूजन पटेल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, प्राकृतिक रबड़ का किन किन देशों से, कितनी कितनी मात्रा मे और किस किस दर पर आयात किया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान आयात की गई रबड़ बड़ी मात्रा में राज्य व्यापार निगम के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई है, और

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जिन देशों से विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति प्राकृतिक रबड़ आयात की गयी है, उनके नाम और उसकी मात्रा नीचे दी गयी है :

वर्ष	मलेशिया	थाईलैंड	योग
1990 91	20746 मी.टन	10953 मी.टन	31699 मी. टन
1991 92	कोई आयात नहीं		
1992 93	कोई आयात नहीं		

जिस दर पर वर्ष 1990 91 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया वह आर.एस.एस. 3 ग्रेड के लिए 796 अमरीकी डालर से 856 अमरीकी डालर प्रति मी.टन के बीच, तथा एस.एम.आर. 20 ग्रेड के लिए 790 अमरीकी डालर से 812 अमरीकी डालर प्रति मी.टन के बीच थी।

(ख) फिलहाल, एस.टी.सी. के पास प्राकृतिक रबड़ का कोई स्टाक नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिक्षेत्र/व्यापार जिले

2518. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापत्तनम में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिक्षेत्र और हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जिला खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनकि वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वाणिज्य मंत्रलाय को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के बीड़ी मजदूर

2519. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :**
श्री गोविन्द निकम :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ बीड़ी मजदूर संगठनों ने केंद्रीय सरकार को अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये गए मुख्य मुद्दे बीड़ी व सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों; भविष्य निधि की व्याप्ति; एक समान न्यूनतम मजदूरी; पहचान पत्र जारी करने, कच्चे माल की आपूर्ति, घरखाता प्रणाली का उत्पादन; बिना ब्रांड की बीड़ियों पर उपकर उगाही और कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन आदि से संबंधित हैं।

(ग) बीड़ी व सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम सहित श्रम कानूनों के उपबंधों के प्रवर्तन और कच्चे माल के मानकीकरण तथा अस्वीकृति की समस्या हेतु त्रिपक्षीय समिति का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गये हैं। विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने और उनकी व्याप्ति बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। भविष्य निधि योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ओर अधिक बीड़ी कर्मकारों को लाने के लिए

भी प्रयास किये जा रहे हैं। बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी करने और विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत व्याप्ति बढ़ाने में तीव्रता लाने के लिए आयुक्तों को निर्देश दे दिये गये हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का आधुनिकीकरण

2520. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण करने के कदम का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर टैक्सी आपरेटरों के परिचालन

2521. **श्री संतोश कुमार गंगवार** :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :
श्री भीमसिंह पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूर-दराज के क्षेत्रों और छोटे एवं मझौले नगरों में न्यूनतम क्षमता लगाने के लिए एयर टैक्सी आपरेटरों पर न्यूनतम सेवा उत्तरदायित्व का निर्धारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर टैक्सी आपरेटरों ने इन वायुमार्गों पर परिचालन के लिए राज सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 1-3 1994 से, यह आवश्यक कर दिया गया है कि निर्दिष्ट मुख्य मार्गों पर सेवाओं का प्रचालन करने वाले प्रत्येक अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालक को, मुख्य मार्गों पर नियोजित क्षमता के कम से कम एक निर्धारित प्रतिशत तक संलग्न विवरण के अनुसार दूर दराज के क्षेत्रों में और देश के शेष भागों में प्रचालन करना होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मार्गों की विभिन्न श्रेणियों में सेवाओं की व्यवस्था

श्रेणी-1

सीधे जुड़े मार्ग

बंबई-बंगलौर	कलकत्ता दिल्ली
बंबई कलकत्ता	कलकत्ता बंगलौर
बंबई-दिल्ली	कलकत्ता मद्रास
बंबई हैदराबाद	दिल्ली बंगलौर
बंबई मद्रास	दिल्ली हैदराबाद.
बंबई त्रिवेन्द्रम	दिल्ली मद्रास

श्रेणी-2

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप।

श्रेणी-3

श्रेणी 1 और श्रेणी 2 से भिन्न मार्ग

जो भी प्रचालक श्रेणी 1 के अन्तर्गत एक अथवा अधिक मार्गों पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालित करता है, उसे नीचे बताए अनुसार श्रेणी 2 और 3 में ऐसी सेवाएं चलानी अपेक्षित होगी

प्रचालक को श्रेणी 1 में मार्गों पर उल्लिखित नियोजित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी 2 में उल्लिखित मार्गों पर लगाना होगा और इस प्रकार श्रेणी 2 के मार्गों पर नियोजित की जाने वाली क्षमता को कम से कम 10 प्रतिशत सर्वथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के अन्दर प्रचालित सेवाओं पर अथवा उनके खंडों पर नियोजित किया जाएगा।

प्रचालक को श्रेणी 1 में नियोजित क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत श्रेणी 3 में उल्लिखित मार्गों पर लगायेगा।

नोट 1 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के अंग के रूप में श्रेणी 1 में प्रचालित सेवा की गणना उपर्युक्त प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

नोट 2 नियोजित क्षमता की गणना उपलब्ध सीट किलोमीटर (ए.एस.के.एम.) में की जाएगी।

नोट 3 दिल्ली-कलकत्ता-गुवाहटी इम्फाल जैसे बहुत सैक्टर मार्गों पर, दिल्ली-कलकत्ता सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी 1 के अन्तर्गत मानी जाएगी, कलक्ता-गुवाहाटी सैक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता श्रेणी-2 के अन्तर्गत मानी जाएगी और गुवाहाटी इम्फाल सेक्टर पर प्रदान की गयी क्षमता सर्वथा श्रेणी 2 के अंतर्गत मानी जाएगी।

[हिन्दी]

इराक से बकाया ऋण की वसूली

2522. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को इराक में इसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए रुकी हुई धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इराक की ओ अभी भी कितनी धनराशि देय है;

(ग) क्या सरकार ने इराक के साथ "बिलम्बित भुगतान समझौता" किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की बकाया धनराशि का भुगतान इस समझौते के अन्तर्गत किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इराक में किए गए कार्यों और भारत-इराक आस्थगित भुगतान करार के अन्तर्गत कवर होने वाली 4,585,960.25 अमरीकी डालर (ब्याज सहित लगभग 14.21 करोड़ रुपये) की राशि बकाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को देय धनराशि की वसूली आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं (डी.पी.ए.) के तहत इराक से तेल की खरीद करके की जाएगी। चूंकि, इराक के खिलाफ अगस्त, 90 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के परिणामस्वरूप जो अब भी लागू है, डी.पी.ए. को पुनः अस्तित्व में लाना है, इसलिए जुलाई, 1990 के पश्चात इराक से बकाया राशि की कोई वसूली नहीं की जा सकी। इराक से और भुगतानों की वसूली के लिए व्यवस्थाएं तभी की जा सकेंगी जब इराक से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध उठा लिये जाएगे।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटन परियोजनाएं

2523. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी परियोजनाओं को मंजूर किया गया और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जाना था;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और उनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(घ) शेष परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सांतवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए चौदह परियोजनाओं हेतु 138.49 लाख रुपए अनुमोदित किए गये थे।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन स्थानों के नाम जहां परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी थी, प्रत्येक परियोजना पर अब तक किए गए खर्च और पूरा होने की संभावित तारीख दर्शाई गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि	अवमुक्त राशि	स्थिति/पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	नंदनकानन के लिए नौकाएं	1985-86	1.50	1.35	पूरी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शेष राशि अवमुक्त कराने के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
2.	मोटर याट की खरीद	1985-86	3.54	3.54	पूरी हो गई है।
3.	सिमिलीपाल वन्य जीव अभयारण्य के लिए मिनी बसों, चौपहिया गाड़ी और हाथियों की खरीद	1985-86	4.04	3.64	शेष राशि को अवमुक्त कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
4.	सतपदा में यात्री निवास	1985-86	26.50	25.00	पूरी हो गई है। शेष राशि अवमुक्त कराने के लिए भूमि हस्तान्तरण कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	भूवनेश्वर और कोणार्क (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा) में शौचालय और पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था	1985-86	3.00	2.00	पूरी हो गई है।
6.	कोणार्क में यात्री निवास	1986-87	29.25	16.00	पूरी हो गई है। शेष राशि अवमुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तान्तरण के कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं।
7.	कोणार्क में ओपन एयर थिएटर	1986-87	7.10	6.60	पूरी हो गई है। शेष राशि अवमुक्त कराने के लिए भूमि हस्तान्तरण कागजात प्रस्तुत किए जाने हैं।
8.	सूनाबेड़ा में मार्गस्थ सुविधाएं	1986-87	6.98	6.15	पूरी हो गई है। शेष राशि अवमुक्त कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तान्तरण कागजात प्रस्तुत किये जाने हैं।

9.	तप्तपानी में मार्गस्थ सुविधाएं	1986-87	6.98	5.00	दिसम्बर, 1994 तक पूरा होने की संभावना है।
10.	अंगुल में मार्गस्थ सुविधाएं	1986-97	6.98	5.00	–वही–
11.	रामेश्वर में मार्गस्थ सुविधाएं	1986-87	11.27	10.00	दिसम्बर, 1994 तक पूरी होने की संभावना है।
12.	भिटारकणिका वन्य जीव अभयारण्य के लिए नौकाएं	1986	4.30	3.50	पूरी हो गई है। शेश राशि अवमुक्त कराने के लिए राज्य सरकार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।
13.	चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं	1987-88	21.90	20.00	–वही–
14.	भदरक में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	1988-89	9.09	8.01	दिसम्बर, 1994 तक पूरी होने की सभावना है।
	जोड़		138.49	115.79	

वस्त्र मशीनरी

2524. **श्री ए. वेकटेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में 1993 94 की अवधि में वस्त्र मशीनरी का कुल कितना उत्पादन और निर्यात हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) वस्त्र मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल-दिसंबर, 1992 की तुलना में अप्रैल दिसम्बर, 1993 के दौरान वस्त्र मशीनरी के उत्पादन और निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
अप्रैल-दिसंबर, 92	720.00	103.50
अप्रैल-दिसम्बर,93	795.00	85.0

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

(अनन्तिम)

(ख) वस्त्र मशीनरी के निर्यात के लिए प्रमुख बाजार हैं; स्विजरलैंड, सी.आई.एस. बंग्लादेश,नाइजीरिया, इंडोनेशिय, श्रीलंका, जर्मनी, थाईलैंड, मिस्र, केन्या तथा सूडान।

(ग) वस्त्र मशीनरी सहित इंजीनियरी मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है, अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयात अन्तर्निविष्टियों के लिए सुविधा, निर्यात-उत्पादन के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामान का रियायती शुल्क पर आयात की सुविधा, निर्यातकों को शुल्क वापसी तथा आयकर में राहत उपलब्ध करना इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषदों तथा इन्टरनेशनल ट्रैड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन सहायता भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

2525. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री डी. वेकटेश्वर राय :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को कुछ राज्यों के मुख्य मत्रियों से गैट समझौते पर विचार करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, सरकार चाहती है कि इच्छुक मुख्य मंत्रियों के लाभ के लिए प्रस्तावित उरुग्वे दौर के करार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाए और उन्हें स्पष्ट किया जाए, लेकिन इस उद्देश्य से सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

चेयरमैनों की नियुक्ति

2526. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सभी चार एकक अर्थात एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, नेशनल एयरपोर्टस अथोरिटी आफ इंडिया और इन्टरनेशनल एयरपोर्टस अथोरिटी आफ इंडिया बिना पूर्ण कालिक चेयरमैन के कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) पूर्व पदधारी की सेवा निवृत्ति के परिणामत : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद इस समय खाली पड़े हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव, जो इन दोनों प्राधिकरणों के निदेशक मंडलों में सदस्य हैं, अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ओर भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यों का निर्वाह भी कर रहे हैं।

उपर्युक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण

2527. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की मद्रास से कालीकट तक की उड़ान संख्या आई.सी.-955 के हाल ही में किये गये अपहरण का प्रयास सुरक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कि अपहरणकर्ता विमान में किस प्रकार प्रवेश कर गए, कोई जांच कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) किन्ही श्री एम. अनन्त कुमार ने इंडियन एयरलाइस की उडान आई.सी. 995 (मद्रास कालीकट) का 13.1.94 को अपहरण करने का असफल प्रयास किया गया था। उसने अपने बेल्ट में एक प्लास्टिक बम्ब के होने का ढोंग किया जो झूठ साबित हुआ तथा उसने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया।

(ग) और (घ) अपहरणकर्ता ने वास्तविक यात्री के रूप में यात्रा की थी।

सीमाशुल्क पासों का नवीकरण

2528. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क पासों का बार-बार नवीकरण करने से छोटे मछुआरों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पासों, विशेषकर गैर-यान्त्रिकृत नावों और ओ.बी.एम./आई.बी.एम. लगी छोटी नावों के पासों के नवीकरण की अवधि वार्षिक करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सीमाशुल्क पासों के बार-बार आवधिक नवीकरण के कारण, बंबई क्षेत्र को छोड़कर छोटे मछुआरों की किसी समस्या की कोइ रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) बंबई में बताई गई स्थानीय समस्या के उपचार के रूप में यांत्रिकृत नावों के संबंध मे बंबई मे सीमाशुल्क पासों के नवीकरण की अवधि एक पखवाड़े से बढ़ाकर एक मास कर दी गई है। तथापि, इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर (क) और (ख) को देखते हुए नहीं उठता।

(घ) एक उचित अन्तराल के बाद मछली पकड़ने के पासों का आवधिक नवीकरण, पहचान के लिए तथा मछली पकड़ने के पोतों की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर सीमाशुल्क नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे कि तस्करी क्रियाकलापों में उनके भाग लेने पर रोक लगाई जा सके।

रुग्ण एककों को बंद करना

2529. **श्री शरद दिघे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी अथवा रुग्ण एककों को बंद करने

सबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संसद के पिछले सत्र के बाद औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गयी हैं;

(ख) समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) संसद के पिछले सत्र के पश्चात् निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों की 5 बैठके आयोजित की गई है :

	समिति का नाम	बैठक की तिथि
1.	रसायन उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	4-2-94
2.	इंजीनियरी क्षेत्र संबंधी औद्योगिक समिति	4-2-94 और 14-2-94
3.	जूट उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति	5-2-94
4.	सूती वस्त्र उद्वोग संबंधी औद्योगिक समिति	9-2-94

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) दिनांक 4 2 94 को रसायन उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक में यह टिप्पणी की गयी थी कि प्रबंधन, कर्मकार तथा उनके संघ और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन फार्मास्युटिकल्स तथा उर्वरक उद्योग को वास्तव में पुनरुज्जीवित करना चाहतें हैं और इसके लिए वास्तविक प्रयास करते हैं। आई.डी.पी.एल. के मामले में प्रबंधन तथा कर्मकार संघों (45 संघों में से 40 संघों ने) उस कंपनी को पुनरुज्जीवित करने के लिए समझौते किये गये हैं जिसमें कंपनी के पुनरुज्जीवित हो जाने की अवधि तक कर्मकार कतिपय लाभों का त्याग करने पर सहमत हैं। भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के संबंध में एक स्वीकार्य पुनरुज्जीवन पैकेज तैयार करेन के लिए व्यवसाय संघों के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है।

4-2-94 और 14-2-94 को आयेाजित इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी ओद्योगिक समिति की बैठक में ओद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के संदर्भाधीन 15 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय व्यवसाय संघों द्वारा इन 15 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में अपनी टिप्पणियां सचिव, इटंक के पास भेजनी चाहिए जो कि व्यवसाय संघों की समेकित टिप्पणियां सरकार के पास भेजेगा। व्यवसाय संघों से प्राप्त टिप्पणियों को सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। इन्जीनियरिंग क्षेत्र में 15 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में व्यवसाय संघों की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं और भारी उद्योग विभाग के पास भेजी जा चुकी हैं।

दिनांक 5-2-94 को आयोजित जूट संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक में यह उल्लेख किया गया कि यू.एन.डी.पी. के सहयोग से इस उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रोडक्ट मिक्स के विविधिकरण के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। समिति ने यह पाया कि जो इकाइयां उनकी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं वे अच्छा निष्पादन कर रही हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि जूट विशेष विकास निधि और आधुनिकीकरण निधि से निधियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग वांछनीय है।

सूची वस्त्र संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक 9-2 94 को आयोजित की गयी थी। इस बैठक में एन.टी.सी. मिलों की आमूलचूल परिवर्तन नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए वस्त्र राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति की सिफिरिशों पर विचार विमर्श किया गया था। बैठक के अंत में निम्नलिखित प्रारूप संकल्पों का सुझाव दिया गया :

(क) वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा दी गयी रिपोर्टों से यह पता चलता है कि एन.टी.सी. मिलों और अधिग्रहित मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

(ख) अत : उप समिति मिलों के आधुनिकीकरण के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है।

(ग) यदि कतिपय मिलों का संपूर्ण ढांचा बनाये रखना संभव नहीं हो तो जहां संभव हो स्पिनिंग इकाइयों को चालू करके उनको अर्थक्षम बनाया जाये।

(घ) अतिरिक्त भूमि बेच दी जाये और इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग आधुनिकीकरण, कार्यकारी पूंजी आदि में किया जाये।

(ङ) अत : संघों से विचार-विमर्श करके प्रबंधन द्वारा बिना किसी परेशानी के आधुनिकीकरण किया जाये।

(च) होल्डिंग कंपनी और सहायक स्तर पर व्यावसायिक प्रबंधन आरंभ किया जाना चाहिए। प्रबंधन के सभी स्तरों पर कर्मकारों को प्रभावी सहभागिता के लिए बोर्ड स्तर पर व्यवसाय संघों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चूंकि उप समिति के कुछ सदस्य, जो सिफारिशें तैयार करने से सक्रिय रूप से संबद्ध थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे अत : यह निर्णय लिया गया कि सदस्य सिफारिशों के प्रति अपनी सहमति सरकार को लिखित रूप में देंगे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत कपड़ा मिलों को लाभ

2530. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के श्रमिकों की तरह राज्य में अन्य कपड़ा मिलों के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अन्तर्गत डेढ़ महीने के वेतन की दर से अनुग्रह राशि देने का प्रावधान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हा। एन.टी.सी. के कामगारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान करने का प्रावधान करने के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। नोडिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रूपकात्मकताओं के ढांचे के भीतर ऐसे अनुरोध पर विचार करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पेंशन भोगी

2531. **श्री हाराधन राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो इस समय भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से पेंशन ले रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी।

तम्बाकू क्षेत्र की निर्यात क्षमता

2532. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :**
श्री एस.एम. लालजान वाशा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने नेशनल काउसिंल आफ एप्लाईड इकानामिक रिसर्च की तम्बाकू क्षेत्र की निर्यात क्षमता संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर तम्बाकू बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड को इस बात की जानकारी है कि नेशनल काउसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च ने भारतीय तम्बाकू संस्थान जो एक गैर सरकारी निकाय है; के अनुरोध पर तम्बाकू क्षेत्र की निर्यात सम्भावनाओं पर अध्ययन किया है। किंतु तम्बाकू बोर्ड को नेशनल काउंसिल आफ एप्लाईड इकानामिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.) की पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) सरकार, तम्बाकू बोर्ड के जरिये तम्बाकू क्षेत्र से अधिकतम निर्यात करने के लिए कार्य करती रही है इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित कार्य नीति अपनाई है :

(1) एफ.सी.वी. तम्बाकू की उपज और गुणवत्ता में सुधार करना;

(2) कृषि/उपचार की लागत कम करना,

(3) कीटाणुनाशी अपशिष्ट को नियन्त्रित एव मानीटर करना;

(4) श्रेणीकरण में सुधार करना;

(5) एफ.सी.वी. तम्बाकू एवं उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार करना,

(6) सिगरेट, हुकका में पिया जाने वला तैयार तम्बाकू आदि जैसी मूल्यावर्धित मदों का निर्यात बढ़ाना;

(7) विदेशों में विपणन प्रयासो में गति लाना।

निजी एअरलाइनों के सार्वजनिक निर्गम

2533. **श्रीगंगाधर सनिपल्ली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एअरलाइनों को सार्वजनिक शेयर जारी करने की अनुमति दी है अथवा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एअरलाइनों को यह अनुमति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ निजी एअरलाइनो ने इस प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी एअरलाइनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के रद्द हो जाने से, निर्गमकर्ता प्रकटन और निवेशक के सरक्षण संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पूंजी बाजार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं सेवी के दिशानिर्देशों निजी एयरलाइनों को (जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित हैं) जनता को शेयर जारी करने से नहीं रोकते।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण

2534. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण मंजूर किये हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंकों ने इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि वितरित की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार

अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) में स्व-रोजगार योजना (एस.ई.ई.यू.वाई.) के अंतर्गत बैंकों (सरकारी बैंकों सहित) द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। सभी बैंकों द्वारा इन तीन वर्षों के दौरान संवितरित ऋणों की राशि इस प्रकार है

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1990 91	15,478.27
1991 92	10,711.66
1992 93 (अनन्तिम)	6,377.29

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण वितरण की राज्य-वार राशि उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92, तथा 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों के मामलों की संख्या पर, राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	के दौरान, बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की संख्या		
		1990 91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8047	6849	5271
2.	असम	3067	3480	2470
3.	बिहार	11545	8975	6475
4.	गुजरात	2419	1145	434
5.	हरियाणा	2545	2502	1957

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	870	937	850
7.	जम्मू व कश्मीर	236	310	212
8.	कर्नाटक	5415	4717	3894
9.	केरल	6249	4936	2949
10.	मध्य प्रदेश	6751	7229	6173
11.	महारष्ट्र	9027	10131	8953
12.	मणिपुर	750	750	600
13.	मेघालय	24	73	75
14.	नागालैंड	100	83	79
15.	उड़ीसा	4578	4353	3217
16.	पंजाब	7453	7167	5773
17.	राजस्थान	5330	5779	4470
18.	सिक्किम	28	55	18
19.	तमिलनाडु	8015	8245	6597
20.	त्रिपुरा	502	420	342
21.	उत्तर प्रदेश	13201	11888	9770
22.	पश्चिम बंगाल	4225	3056	825
23.	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	23	30	15
24.	अरुणाचल प्रदेश	22	12	19
25.	चंडीगढ़	127	151	89
26.	दादर एवं नगर हवेली	20	36	37
27.	गोवा	199	73	60

1	2	3	4	5
28.	मिजोरम	136	68	95
29.	पांडिचेरी	305	299	214
30.	लक्षद्वीप	12	14	14
31.	दमन एवं दीव	12	7	18
	योग	101233	93874	71972

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

[हिन्दी]

निर्यात-आयात नीति की समीक्षा के लिए समिति

2535. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :
कुमारी क्रिडा सोपनो :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात संबंधी वर्तमान प्रक्रियाओं और प्रलेखनों की समीक्षा करने और सरल, व्यापक और सुस्पष्ट प्रणाली विकसित करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) संघटन

अध्यक्ष

डा. वाई वेणुगोपाल रेड्डी

अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

सदस्य

वाणिज्य मंत्रलाय

1. श्री जे.एस. गिल, संयुक्त सचिव

2. डा. आर.के. धवन, अपर महानिदेशक विदेश व्यापार

आई.आई.एफ.टी.

3. प्रोफेसर सहगल

व्यापार तथा उद्योग

4. अध्यक्ष, फिओं

5. महानिदेशक, सी.आई.आई.

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित

वित्त मंत्रलाय

7. सचिव, राजस्व विभाग द्वारा नामित

8. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक, कार्य विभाग द्वारा नामित।

सदस्य-सचिव

9. सुश्री एल.एम.वास निर्यात आयुक्त

(2) **समिति के विचारार्थ विषय**

(क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली वर्तमान प्रक्रियाओं और अभिलेखन की समीक्षा;

(ख) ऐसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अब तक किए गए प्रयास और उनके प्रभाव की समीक्षा;

(ग) व्यापार अभिलेखन तथा प्रक्रियाओं के मूल उद्देश्य को पता लगाना;

(घ) एक सरल, व्यापक तथा स्पष्ट प्रणाली विकसित करना जिससे प्रशासन और अनुपालन आसान हो सकेगा तथा जिसके प्रक्रिया विषयक लागत और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विलम्ब को समाप्त किया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(ङ) संबंद्ध मामलों पर सिफारिशें करना जिससे प्रस्तावित प्रणाली का ईष्टतम संचालन तथा कार्यचालन संभव हो सकेगा।

(ग) समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

बैंकिग सेवाओं के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना

2536. **श्री एस.बी. थोरात** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना के दौरान बैंकिंग सेवाओं के व्यापक कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी रशि सन्निहित है ?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अगले 2/3 वर्षों के दौरान लगभग 400 शाखाओं का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। भारतीय बैंक संघ ने बैंकों की कर्मचारियों की यूनियनों के साथ 29 अक्तूबर, 1993 को एक समझौता किया है जिससे बैंक इन योजनाओं को कार्यान्वित कर पायेंगे। लागत का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह बैंको द्वारा किये जाने वाले स्वचलीकरण के आकार और स्तर पर निर्भर करेगा।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

2537. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों में प्रचार करने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आया; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप 1993 94 और 1994 95 में पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन का संवर्धन किया जाना एक सतत प्रकिया है। विदेशों में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं प्रिंट ओर इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देना, प्रचार सामग्री का मुद्रण और वितरण करना, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं को सहायता देना, पर्यटकों के लिए हवाई उड़ानों की संख्या में वृद्धि करना, मेलों ओर उत्सवों में भाग लेना, सीधे डाक के माध्यम से संवर्धन करना और फिल्मों, श्रव्य दृश्यों; पोस्टरों, मल्टी वीजन प्रस्तुतियों तथा निजी संपर्क करके देश के पर्यटक आकर्षणों को उजागर करना।

(ग) वर्ष 1992 93 के दौसन विदेशों में प्रचार और विपणन पर कुल 4000.00 लाख रुपए खर्च किए गए। चालू वर्ष के दौरान 4250.00 लाख रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1993 94 और 1994 95 के दौरान पाकिस्तान और बंग्लादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, पर्यटकों के आगमन के क्रमश 6.2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा बीमा योजना

2538. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के निर्धन वर्ग के लोगों की चिकित्सा खर्च वहन करने हेतु बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों द्वारा देश में 3 नवमबर 1986 से एक "मेडीक्लेम" नामक चिकित्सा बीमा योजना पहले से ही लागू की जा चुकी है। यह योजना प्रति व्यक्ति 200/- रुपये से 1300/- रुपये तक वार्षिक प्रीमियम पर 13,600/- रुपये से 96,500/- रुपये तक के लाभों की छः श्रेणियों में विभक्त है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों के लिए आयु सीमा 5 पर्ष से घटा कर 3 माह कर दी गई है बशर्ते कि संबंधित बच्चे के माता पिता भी इस योजना में शामिल हों। यह पालिसी अब 70 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है कुल लाभ की राशि 70 वर्ष और 75 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्तियों के संबंध में 10 प्रतिशत तक और 75 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के संबंध में 20 प्रतिशत तक घटा दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी संस्था

2539. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक निगरानी संस्था गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संस्था के क्या कार्य होंगे; और

(ग) निगरानी संस्था कब से कार्य करने लगेगी ?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक पर्यवेक्षी निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस निकाय की संरचना तथा कार्य संबंधी कार्रवाई चल रही है।

[हिन्दी]

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

2540. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ख) आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रमिकों को शामिल करने के लिए एक सहायक के रूप में प्रबन्धन में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना सरकार को श्रम नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 30 मई, 1990 को राज्य सभा में, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता विधेयक, 1990 लाया गया। यह विधान सहभागी प्रबन्धन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा जो न केवल श्रम उत्पादकता में वृद्धि करेगा और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा देगा अपितु श्रमिकों की आत्म-अभिव्यक्ति की प्रेरणा की तुष्टि भी करेगा एवं उनमें उद्यम में अन्तर्ग्रस्तता की भावना उत्पन्न करेगा। विधेयक पर सदन में विचार नहीं किया गया है क्योंकि विधेयक में संशोधन करने के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में नोटिस प्राप्त हुए हैं। कई संसद सदस्यों ने यह भी राय व्यक्त की है कि मामले को जटिलता एवं मतैक्यता के अभाव को ध्यान में रखते हुए विधेयक को चयन समिति अथवा दोनों सदनों को संयुक्त समिति के पास भेज दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विद्यमान सहभागी मंचों के कार्यकलापों एवं प्राप्त किए गए प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात्, यह प्रस्ताव है कि मामले को मंत्रिमंडल की सलाह लेने एवं अगली कार्रवाई के लिए उनका निर्देश प्राप्त करने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दावों का निपटान

2541. **श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों/ग्रामीण विकास बैंको जैसे अनेक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उक्त बैंको के दावों का निपटान समय से किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार इस संबंध में कौन से दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर ही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 के दौरान, मध्य प्रदेश में स्थिति 24 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) में से 18 बैंको को मुख्यतः खराब वसूलियों, लेनदेन की उच्च लागत, ऋण में नकारात्मक मार्जिन, ऋण परिचालनों के न्यून स्तर और लेखा परीक्षा की उच्च लागत आदि के कारण हानियां उठानी पड़ी। हानि उठाने वाले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको का ब्यौरा जिसमें वर्ष 1992-93 के दौरान उनकी हानियां दर्शायी गयी हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में, सहकारी बैंको द्वारा कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत (ए.आर.डी.आर.) योजना, 1990 के तहत दर्ज कराये गये दावों तथा नाबार्ड द्वारा अब तक मंजूर की गयी रकमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपये में)
दर्ज किए गए दावे	271.128
नाबार्ड द्वारा मंजूर की गयी रकम	229.216

नाबर्ड ने बैंको से कहा है अपात्र ऋणकर्ताओं को दी गयी राहत की रकम अलग करने के पश्चात्, वे संशोधित/अंतिम दावे प्रस्तुत करें। बैंको से ऐसे अंतिम दावे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में घाटे में चल रहे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(लाख रुपए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1992 93 के दौरान घाटा
1	2	3
1.	दमोह	40
2.	दातिया	25
3.	राजगढ़	48
4.	रायसेन	50
5.	शिवपुरी	26
6.	टीकमगढ़	49
7.	देवास	87
8.	पन्ना	22
9.	सागर	06
10.	उज्जैन	70
11.	धार	36
12.	छिंदवाड़ा	12

1	2	3
13.	मानसिंहपुर	25
14.	खारगोन	46
15.	खंडवा	44
16.	विदिश	47
17.	रतलाम	27
18.	साजपुर	53

बिहार में रबड़ का उत्पादन

2542. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान बिहार में रबड़ का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ; और

(ख) रबड़ की खेती कुल कितने एकड़ भूमि में होती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बिहार की कृषि-जलवायु रबड़ की खेती के उपयुक्त नहीं है।

कृषि सहायक

2543. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पृष्ठभूमि वाले लिपिक और खजांची के पदों को कृषि सहायक के पद में परिवर्तित करने की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमान यात्रियों की शिकायतें

2544. **श्री भीम सिंह पटेल :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमान यात्रियों से, एयर टैक्सियों से यात्रा के दौरान उन्हें होने वाली असुविधाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार विमान यात्रियों की उचित शिकायतों के समाधान के लिए लोक अदालतों का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यात्रियों की शिकायत को दूर करने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश को पुनर्वित्त

2545. **श्री गयाप्रसाद कोरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश को योजनाबद्ध ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त की कितनी राशि उपलग्ध कराई गई; और

(ख) इस पर कितना ब्याज लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश में वित्त पोषण करने वाले बैंकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित्त की राशि नीचे दी गई है :

(लाख रुपये)

वर्ष	राशि
1990 91	33947
1991-92	38176
1992-93	41224

(ख) नाबार्ड की पुनर्वित्त दर अंतिम हिताधिकारी द्वारा उपलब्ध की गई राशि की मात्रा से जुड़ी हुई है। नाबार्ड द्वारा अपने पुनर्वित्त पर वसूल की जा रही वर्तमान ब्याज दरें नीचे दी गई हैं :

वार्षिक ब्याज दर

	ऋण राशि	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1.	25,000 रुपये तक	7.5 प्रतिशत	6.5 प्रतिशत
2.	25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	11.0 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ संबंधी लागत अध्ययन

2546. **प्रो. के.वी. थामस :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री पी.सी. थामस :
श्री रमेश चेन्नितला :
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत संबंधी वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की लागत अध्ययन रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ के बेंचमार्क मूल्य में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) किसानों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने दिनांक 22 फरवरी, 1994 से प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत संशोधित करके आर.एम. ए 4 ग्रेड के लिए 24,000 प्रति मी. टन तथा आर.एम. ए 5 ग्रेड के लिए 24400 प्रति मी. टन कर दी है। ऐसा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों का बन्द होना

2547. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद कपड़ा मिलों को वास्वत में बन्द कर दिया है जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद में कुल कितनी कपड़ा मिलें बन्द कर दी गई हैं; और इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक अतिरिक्त हुए हैं;

(ग) अहमदाबाद कपड़ा उद्योग की बढ़ती रुग्णता के किन प्रमुख कारणों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) सरकार ने अहमदाबाद कपड़ा उद्योग की रुग्णता से छुटकारा दिलाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) तथा (ख) 31 12 1993 तक की स्थिति के अनुसार अहमदाबाद में 25 सूती 1 मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिले बंद पड़ी बताई गई हैं। 17 मिलें कम्पनी अधिनियम के अनुच्छेद 56 के अन्तर्गत बंद हैं तथा वित्तीय कठिनाइयों और विद्युत सप्लाई के कारण 8 मिलें अस्थाई रूप से बंद पड़ी हुई बताई गई हैं। आई.डी. अधिनियम के अन्तर्गत अहमदाबाद में कोई भी मिल बंद नहीं है। मिलों के बंद होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या लगभग 54000 है।

(ग) रुग्णता के मुख्य कारण हैं : विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युतकरघा से प्रतिस्पर्द्धता, मशीनों और श्रमिकों की कम उत्पादकता, आधुनिकीकरण की कमी तथा फालतू श्रमिक, निवेश की लागत में वृद्धि तथा अतिरेक क्षमता।

(घ) सरकार ने रुग्ण बंद मिलों के संबंध में पुर्नस्थापना पैकेज बनाने तथा उसका संचालन करने के लिए नोडीए अभिकरण औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

[हिन्दी]

भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन

2548. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का किन-किन देशों के साथ भुगतान संतुलन/व्यापार संतुलन उसके पक्ष में है; और

(ख) सरकार द्वारा देश का भुगतान संतुलन अथवा व्यापार संतुलन उन देशों के पक्ष में लाने के लिए, जहां हमारे संतुलन घाटे में है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भुगतान सन्तुलन के देशवार ब्यौरे/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान जिन व्यापार साझीदारों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन सकारात्मक रहा था, उसमें प्रमुख ये हैं अफगानिस्तान, बंगलादेश, चैकोस्लाविया, यूनान, हांगकांग,

जापान, केन्या, नेपाल, नीदरलैण्ड, नार्वे, ओमान, फिलीपीन, पुर्तगाल, सी.आई.एस., स्पेन, श्रीलंका, सीरिया, तंजानिया, थाइलैण्ड, तुर्की, संयुक्त राज्य अमरीका, आदि।

(ख) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार उदारीकरण के लिए जो उपाय किए हैं उनमें ये शामिल हैं-निर्यात से जुड़े आयात बढ़ाना, आयात लाइसेंसिंग में कमी करना, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, नीति एवं क्रियाविधियों का सरलीकरण और निर्यात की निषेधात्मक सूची कांट छांट करके क्रियाविधि की बाधाएं समाप्त करना। वर्ष 1994-95 के बजट में इन उपायों को पुनः प्रवृत्त किया गया है। इसके लिए चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता आरंभ की गई है, सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है और उनके ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, निर्यातकों को इस बात की अनुमति है कि वे अपनी-अपनी विदेशी मुद्रा आय का अपेक्षतया अधिक प्रतिशत (15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत) भाग अपने पास रखते हैं जिससे कि वे आयात का भुगतान करते समय परिवर्तन लागत से बच सकें। 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों, इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर तकनालाजी पार्टों तथा साफ्टवेयर तकनालाजी पार्टों में स्थित एककों के मामले में विदेशी मुद्रा आय का जो भाग अपने पास रखा जा सकता है, उसकी सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।

[अनुवाद]

औद्योगिक संबंध विधि

2549. **श्री जे. चोक्काराव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन में वृद्धि और निवेश में संवर्धन करने के उद्देश्य से विद्यमान औद्योगिक संबंधी विधि में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) "नए औद्योगिक संबंध विधान" पर रामानुजम समिति को सिफारिशों के आधार पर तथा विभिन्न मंचों पर आयोजित विचार-विमर्श तथा औद्योगिक पुर्नसंरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करना है।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में उड़ान के दौरान भोजन सेवा

2550. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को उड़ान के दौरान भोजन सेवा की अपनी योजना के लिए कोई प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि अन्य देशों की अन्य घरेलू विमान कम्पनियों की तुलना में इंडियन एयरलाइन्स उड़ान के दौरान भोजन सेवा का अपना स्तर बनाये रखें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने, एयर इंडिया की भोजन सकल्पना पख्तूनी दावत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान खान-पान संघ से, 1993 के लिए श्रेणी I में सरकरी गोल्ड पुरस्कार जीता।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि वे अपनी भोजन सेवा के स्तर का इस क्षेत्र में अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार उन्नयन करें।

[हिन्दी]

इजराइल में निवेश

2551. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल ने इजराइल में अनुषंगी इकाइयां/संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) इजराइल सरकार इजराइल में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने तथा उसके साथ हमारे व्यापार संबंध सामान्य हो जाने के बाद दोनों देशों के व्यापारी इजराइल में संयुक्त उद्यमों की स्थापना सहित व्यापार सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक दूसरे से लगातार सम्पर्क स्थापित करते रहे हैं। जब भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर सरकार मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेगी।

[अनुवाद]

निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

2552. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्यात हेतु दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों को अधिक औचित्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) निर्यात के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों सहित राजकोषीय प्रावधानों को युक्तिसंगत और सुस्पष्ट बनाने का कार्य निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्यात के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के बारे में निगरानी रखी जाती है और वाणिज्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जाता है।

।हिन्दी।

हथकरघा क्षेत्र

2553. **श्री राम बदन :**
श्री प्रवीण डेका :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र का विकास करने हेतु राज्य वार कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों की ओर से अपने अपने राज्यों में चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध की गयी धनराशि में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट का आबंटन राज्यवार नहीं अपितु योजनावार किया जाता है। इस प्रावधान को प्रर्याप्त समझा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94 24-2-94 तक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2177.993	1586.215

1	2	3	4
2.	असम	1579.173	564.815
3.	बिहार	394.25	383.61
4.	गुजरात	174.03	161.72
5.	हरियाणा	17.79	41.64
6.	हिमाचल प्रदेश	88.74	60.93
7.	जम्मू व कश्मीर	142.93	40.01
8.	केरल	241.998	452.23
9.	कर्नाटक	1407.28	896.90
10.	महाराष्ट्र	872.56	1152.59
11.	मणिपुर	16.35	112.16
12.	मध्य प्रदेश	651.66	166.365
13.	मिजोरम	–	
14.	नागालैण्ड		...
15.	उड़ीसा	1116.73	1243.38
16.	पंजाब	112.70	90.62
17.	राजस्थान	195.595	262.61
18.	त्रिपुरा	177.102	115.29
19.	तमिलनाडु	3007.489	1745.18
20.	उत्तर प्रदेश	3619.138	1977.72
21.	पश्चिमी बंगाल	2251.375	417.44
	कुल	18244.883	11471.425

1	2	3	4
	संघ शासित प्रदेश		
22.	दिल्ली	57.30	53.22
23.	पांडिचेरी	17.60	28.18
	कुल योग	18319.783	11552.825

[अनुवाद]

बदला प्रणाली

2554. **श्री तारा सिंह :**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सरकार से "बदला" प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 13-12-1993 को बंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कलकत्ता स्थित स्टाक एक्सचेंजों को निदेश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सदस्यों के मौजूदा वायदा कारोबार संबंधी स्थितियों के निपटान के प्रयोजन को छोड़कर, प्रतिभूतियों में लेन-देन संबंधी कोई वायदा व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अब से, प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन प्रत्येक सौदे के अन्त में सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा निपटाए जाएंगे।

(ख) सरकार स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों में व्यापार, जिनमें बदला प्रणाली शामिल है, को विनियमित करने हेतु "सेबी" द्वारा किए जा रहे उपायों का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

ईरान के साथ व्यापार

2555. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ईरान के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या भारत और ईरान ने लौह-अयस्क के निर्यात के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईरान को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का लौह-अयस्क निर्यात किया जाएगा;

(घ) क्या ईरान ने भारत से अन्य विभिन्न वस्तुओं का आयात करने में रूचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) ईरान सरकार के खान तथा धातु उपमंत्री, महामहिम श्री अली शेखरिंज और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल ईरानियन स्टील कंपनी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 15 से 19 जनवरी, 1994 के दौरान इस्पात मंत्रालय के हमारे विभिन्न सरकारी उपक्रमों का दौरा किया। हालांकि इस शिष्ट मंडल की भारत यात्रा के दौरान ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं; लेकिन भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच अगस्त, 1989 में सम्पन्न दीर्घावधि के एक समझौता ज्ञापन के तहत ईरान 1989-90 के आरंभ होने वाली एक 15 वर्षीय अवधि के भीतर कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड से 25 मिलियन मी. टन लौह अयस्क सान्द्रण खरीदेगा। इस दीर्घावधि संविदा के तहत प्रतिवर्ष संविदाकृत मात्रा की तुलना में वास्तविक सप्लाई मात्रा और उसके मूल्य के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	संविदाकृत मात्रा (टन)	वास्तविक लदान मात्रा (टन)	पोतलदान का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1989-90	45,000	31,015	1.05
1990-91	750,000	331,992	14.00
1991-92	1,250,000	1,000,000	64.07
1992-93	1,500,000	656,861	51.09
1993-94 (जनवरी 94 तक)	1,500,000	963,106	60.02

(घ) तथा (ङ) ईरान द्वारा भारत से चाय, तेल खाद्यों, मूल तथा अवशिष्ट रसायनों, इंजीनियरी माल, सूती तथा मानव निर्मित यार्न, फैब्रिकों, मेडअप्स, जूट उत्पादों, गैर बासमती चावल, आदि का आयात किया जा रहा है।

भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार

2556. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री रामदयाल सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारत के व्यापार केन्द्र और भारत में दक्षिण अफ्रीका के व्यापार केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ये केन्द्र कब तक खोल दिए जाएंगे ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। इंजीनियरिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, भेषज और औषधियां, टायर और ट्यूब्स, आटोमोबाइल और स्पेयरपार्टस, वस्त्र और सिले सिलाए परिधान, रसायन और रंग रोगन, खाद्य और खाद्य उंत्पाद, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मशीनरी और परियोजनाएं, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और परामर्शी सेवाएं आदि के क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ निर्यात की काफी सम्भावना है।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों में शामिल हैं प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी, अनन्य भारतीय प्रदर्शनियां और क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करना, द्विपक्षीय वार्तालाप आयोजित करना, प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान बाजार सर्वेक्षण करना, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका के फैंकोफोन जैसे क्षेत्रों में, जिनसे हमारे व्यापार सम्पर्क अपेक्षाकृत कम थे, नए बाजार खोलना।

(घ) से (च) अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार के विकास के वर्तमान स्तर और लागत लाभ अनुपात की दृष्टि से इस स्तर पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापार केन्द्र खोलना सम्भव नहीं पाया गया है। इस समय दक्षिण अफ्रीका का भारत में कोई व्यापार केन्द्र नहीं है। फिर भी, भारत में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी योजना शीघ्र ही एक परामर्शदाता (व्यापार) नियुक्त करने की है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास करने हेतु सहायता

2557. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 92 तथा 1992 93 के दौरान उत्तर प्रदेश को राज्य में चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर आवास तथा अन्य परिवर्ती सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कुल कितनी केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य द्वारा मांगी गई सहायता की तुलना में उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता राशि बहुत कम थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य को और अधिक सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आवास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 160.59 लाख रुपये और 97.34 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करना

2558. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार अपनी घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में घाटे में चल रही शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वह घाटे में चल रही शाखाओं के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए नीतियों की समीक्षा कर रहा है। सुधार या बेहतरी की कोई भी सम्भावना न होने पर ही, आखिरी उपाय के रूप में शाखाओं को बंद करने के बारे में सोचा जाएगा।

(घ) 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 2421 शाखाएं घाटे में चल रही थीं। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घाटे में चल रही शाखाओं की संख्या
1	2
पश्चिम बंगाल	269
महाराष्ट्र	245
170	

1	2
उड़ीसा	236
मध्य प्रदेश	215
आन्ध्र प्रदेश	214
बिहार	210
उत्तर प्रदेश	201
तमिलनाडु	134
असम	118
गुजरात	111
कर्नाटक	97
जम्मू एवं कश्मीर	65
मेघालय	61
केरल	53
हिमाचल प्रदेश	37
नागालैण्ड	27
अरुणाचल प्रदेश	20
त्रिपुरा	19
राजस्थान	19
पंजाब	17
अन्य	53
जोड़	2421

इंडियन एयरलाइंस द्वारा निःशुल्क टिकट दिया जाना

2559. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में पालक्कल, केरल में आयोजित संगीत समारोह में भाग लेने वाले संगीतकारों को निःशुल्क टिकट दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह छूट दिए जाने के क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पालक्कड में हुए "मानव मैत्री संगीतिका" कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मद्रास बम्बई सैक्टर पर यात्रा हेतु विख्यात संगीतकारों और संगीत शास्त्रियों के एक दल को दस मानार्थ टिकट जारी किए गए थे।

(ग) जन सम्पर्क बनाए रखने के लिए सद्भावना प्रदर्शन के रूप में और इंडियन एयरलाइन्स के लिए विख्यात व्यक्तियों के विशाल जनसमूह में पर्याप्त प्रचार पाने हेतु विशेष रूप से मौजूदा प्रतियोगी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, मानार्थ टिकट जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की कमी

2560. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे कर्मचारियों की कमी के कारण ग्राहकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों और अधिकारियों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है/उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) बैंक अपनी शाखाओं के कारबार की जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। कार्य की अनिवार्यता/उसकी अधिकता को ध्यान में रखते हुए अधिशेष पाकेटों के कर्मचारियों को कमी वाले पाकेटों में पुनर्नियोजित किया जाता है। जब कभी प्रबंधकों/अधिकारियों से अतिरिक्त कर्मचारियों के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो या तो पुनर्नियोजन से या नयी भर्ती से आवश्यकता पर आधारित कर्मचारी प्रदान करने के लिए बैंकों के संबंधित नियंत्रक कार्यालयों द्वारा इसकी जांच की जाती है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें कि अधिशेष कर्मचारियों को कमी वाले क्षेत्रों में पुनर्नियोजित किया जाये। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न पंचाटों/समझौतों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भाषा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। चूंकि कर्मचारियों की कमी की बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी बैंकों से कहा गया है कि वे अगले वर्ष के लिए आवश्यक कर्मचारियों का आकलन काफी पहले कर दें ताकि वे समय पर अपनी जरूरतों के अनुसार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

होटल के कमरों के लिए एकल शुल्क

2561. **श्री शरत् पटनायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होटल के कमरों के लिए एकल शुल्क की जांच करने हेतु एक समिति बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों से एक समिति गठित कि गई है जो होटलों द्वारा दोहरे टैरिफ लेने के मामलों पर विचार करेगी।

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मशीनों का आयात

2562. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सटाइल इंजिनियरिंग की पुरानी मशीनों के आयात पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न एजेंसियों तथा व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में ऐसी मशीनें लाई जा रही हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ऐसी मशीनों पर कुछ जुर्माना लगाकर ही इन्हें छोड़ा जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या सरकार का ऐसे अवैध आयातों पर नियंत्रण हेतु सख्त उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है,

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और,

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ऐसी पुरानी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मशीनों को, जो 7 वर्षों से अधिक पुरानी न हो और जो कम से कम पांच वर्ष और चल सकती हों, निशुल्क आयात करने के लिए अनुमति दी जाती है। अन्य मामलों में, आयात के लिए विशेष आयात लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाती है। हाल ही में ऐसी कुछेक मशीनों के आयात का मामला ध्यान में आया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में आयात की सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है। जब कभी आयात नीति के उपबन्धों का उल्लंघन करके आयात करने का कोई मामला ध्यान में आता है तो माल को जब्त करने के लिए और आयातकों पर अर्थदंड

लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ की जाती है। तथापि, आयातकों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के अनुसार माल की जब्ती के स्थान पर उचित जुर्माने की अदायगी करने पर माल छुड़ाने का विकल्प दिया जाता है।

(ङ) से (छ) किसी भी तरह की पुरानी टैक्सटाइल मशीनरी के अनधिकृत आयात पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा उपबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

'एन्डी' और 'मूंगा' धागों का उत्पादन

2563. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में 'एन्डी' और 'मूंगा' धागों के उत्पादन में वृद्धि करने और बुनकरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) तात्कालिक लखीमपुर जिले में मूगा रेशम उद्योग का विकास तथा विस्तार करने के लिए असम सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक प्रयोगिक योजना अग्रेषित की है। इस परियोजना में मूगा खाद्य पोधों को बढ़ाना, रोपण कर्ताओं, कीट पालकों, धागाकारों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ रोलिंग व वीविंग कालोनियों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी संपुष्टि प्राप्त होने पर संघ सरकार द्वारा इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

विमान यातायात में कमी

2564. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यातायात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, भारत को/भारत से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में अथवा अन्तर्देशीय हवाई यातायात में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा विकास केन्द्र

2565. **डा. विश्वनाथम कैनिथी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के लिए 3000 हथकरघा विकास केन्द्र और 500 क्वालिटी डाइंग यूनिट स्थापित करने संबंधी योजना को कार्यान्वित करने पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) चार वर्षों की अवधि के लिए कुल अनुमानित लागत 849 करोड़ रुपये है जिसमें से 321 करोड़ रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में और 528 करोड़ रुपये नाबार्ड पुनर्वित्त के माध्यम से रियायती ऋण के रूप में होंगे।

(ख) हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना और प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अनुदान घटक के लिए 19 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। बजट राज्यवार आवंटित नहीं किया जाता।

माइक्रो-आर्गेनिज्मों को पेटेंट करना

2566. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल अमरीकी फर्मों ने भारत से एकत्र किए गए माइक्रो आर्गेनिज्मों को सरकार के आदेश के बिना पेटेंट किया है;

(ख) कितनी माइक्रो आर्गेनिज्मों को अमरीकी फर्मों ने पहले ही पेटेंट किया है; और

(ग) बड़े पैमाने पर और अनियमित रूप से अन्य देशों को जैव विविधता के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है जबकि जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन के अनुसार भारतीय कानूनों में अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय पेटेंट अधिनियम में सूक्ष्म जैव पदार्थों की पेटेंटिंग की व्यवस्था नहीं है। विदेशों में अमरीकी फर्मों द्वारा पेटेंट किए जाने वाले सूक्ष्म जैव पदार्थों की संख्या की सूचना सरकार नहीं रखती है। भारत ये सूक्ष्म जैव पदार्थों के संग्रह के लिए फिलहाल सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है।

(ग) सरकार जैव विविधता संबंधी कनवेंशन, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता संरक्षण के लिए कानून बनाने जा रही है।

मुद्रा स्फीति

2567. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** :
श्री जीवन शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान प्रत्येक महीने की पहली तारीख के अथवा इसके आसपास थोक मूल्य के सूचकांक कितना कितना हैं;

(ख) उन तिथियों को वार्षिक मुद्रा स्फीति दर कितनी कितनी थी;

(ग) इन तिथियों को मासिक मुद्रा स्फीति दर कितनी कितनी थी;

(घ) 1992 के अन्त तथा 1993 के अन्त के बीच कुल मुद्रा स्फीति कितनी थी, और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किस समूह अथवा उप समूह में कुल मुद्रा स्फीति के मुकाबले अधिक मुद्रा स्फीति हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है।

महीने के आरंभ में	थोक मूल्य सूचकांक	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)	मासिक घटबढ (प्रतिशत)
जनवरी	231.5	7.7	0.1
फरवरी	232.1	7.6	0.3
मार्च	233.1	7.6	0.4
अप्रैल	233.8	6.8	0.3
मई	236.0	6.9	0.9
जून	238.9	7.0	1.2
जुलाई	241.4	6.9	1.9
अगस्त	246.0	7.6	1.9
सितम्बर	250.9	9.2	2.0
अक्तूबर	252.7	8.8	0.7
नवम्बर	252.3	8.7	0.2
दिसम्बर	251.4	8.7	0.4

(घ) और (ङ) सभी वस्तुओं और मुख्य समूहों के संबंध में 1992 और 1993 के अंत के बीच बिन्दु-प्रति बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की दर की सूची नीचे दी गई है।

	1992 के अन्त तथा 1993 के अन्त के बीच मुद्रास्फीति की दर
सभी वस्तुएं	8.6
प्राथमिक वस्तुएं	7.8
ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहक	13.8
विनिर्मित वस्तुएं	8.0

ईंधन, विद्युत बिजली तथा स्नेहक समूह ने 8.6 प्रतिशत पर समग्र मुद्रास्फीति की तुलना में 1992 के अन्त तथा 1993 के अन्त के दौरान 13.8 प्रतिशत की उच्चतर मुद्रास्फीति प्रदर्शित की है।

विमान ईंधन की खपत

2568. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअरबस 300, एअरबस 320 तथा बोईंग में विमान ईंधन की प्रतिघंटा खपत कितनी है;

(ख) विमान ईंधन की प्रति मीट्रिक टन लागत कितनी है;

(ग) क्या "पैसेंजर लोड फेक्टर" प्रचालन लागत के अनुरूप है; और

(घ) वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान इंडियन एअरलाइन्स में क्रमशः कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान विमान टर्बाइन ईंधन की (विमानवार) औसत खपत इस प्रकार है :

विमान	प्रति घंटा (लिटर में)
एअरबस ए 300	7721
एअरबस 300	3060
बोईंग-737	3550

(ख) भारत में विमान टर्बाइन ईंधन की लागत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग है जो रुपये 11756.77 से 14644.99 रुपये प्रति किलोमीटर के बीच है।

(ग) समग्र यात्री भार गुणक द्वारा प्रचालनों की लागत पूरी नहीं हो पाती।

(घ) इंडियन एअरलाइन्स ने वर्ष 1992 में 8.669 मिलियन यात्री और वर्ष 1993 में 7.307 मिलियन यात्री वाहित किए।

[हिन्दी]

बैंकिंग व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की टिप्पणी

2569. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की टिप्पणियों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में बैंकिंग प्रणाली पर कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों से पर्यटकों का आगमन

2570. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों से 1992 तथा 1993 के दौरान, देश वार कितने पर्यटक भारत आये;

(ख) क्या इन देशों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) इन देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों से पिछले दो वर्षों के दौरान, आए पर्यटकों के आंकड़े निम्नानुसार थे :

वर्ष	आए पर्यटक	अंतर प्रतिशत
1992	39,409	—
1993	48,644	23.4

राष्ट्रकुल देशों में प्रत्येक देश के लिए आए पर्यटकों के आंकड़े अलग से उपलग्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रकुल देशों से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं-अधिक संवर्धनात्मक प्रयास करना, पर्यटन करारों और व्यापक संबंधों को स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का यात्रा करना और पर्यटन को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विशिष्ट सहयोग और व्यापारिक आदान-प्रदान हेतु कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

कपड़ा तंत्र को कारगर बनाना

2571. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त ने सरकार से इलेक्ट्रोनिक्स का उपयोग करके कपड़ा तंत्र को तकनीकी दृष्टि से कारगर बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिक विभाग ने वस्त्र उद्योग में रिट्रोफिटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए रिट्रोफिट आटोमेशन कार्यक्रम बनाया था। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के तत्वाधान में मशीन विनिर्माता उद्योग वस्त्र उद्योग तथा वस्त्र अनुसंधान संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं। इसके परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रोनिक और नियंत्रण उपस्करों का उत्पादन तथा विकास समन्वय कार्य के लिए निर्णय लिए गए हैं।

भारत और युगांडा के बीच संयुक्त उद्यम

2572. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगांडा के बीच कुछ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) युगांडा के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत-युगान्डा संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) युगान्डा के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :

द्विपक्षीय बातचीत करना;

— प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करना;

— सितंबर, 1993 में कम्पाला में भारत युगान्डा संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक आयोजित करना।

विवरण

क्रमांक	भारतीय प्रवर्तक का नाम	संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल इक्विटी (युगांडा शालिंग लाख में)	भारतीय इक्विटी (युगांडा शालिंग लाख में)	प्रतिशत	क्षेत्र	अनुमोदन की तारीख	टिप्पणी
1.	मैसर्स बिड़ला जूट इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड	2100	935.55 (70.15 लाख रुपये के बराबर)	44.55	पटसन का विनिर्माण	25-4-68	मैसर्स बिड़ला जूट इंडस्ट्रीज (प्रा.)लिमि. ने बाद में संयुक्त उद्यम कंपनी से अपना नाम वापस लेना चाहा था और सरकार ने अब दिनांक 4-2-94 को नाम वापस लेने की अनुमति दे दी है।
2.	मैसर्स कैल्कोम एक्सपोर्ट (प्रा.) लिमि.	6.15	0.15 (4.73 लाख रुपये के बराबर)	2.44	टी.वी. का विनिर्माण	2-8-93	

इलायची का निर्यात

2573. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 1994-95 के दौरान इलायची के निर्यात में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 के दौरान अब तक कितनी और कितने मूल्य की इलायची का निर्यात किया गया; और

(घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक इलायची का कितना उत्पादन हुआ ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। स्पाइसेज बोर्ड का वर्ष 1994-95 के दौरान इलायची के निर्यातों में मूल्य के रूप में लगभग 20 प्रतिशत की वद्धि करने का विचार है।

(ग) अप्रैल 93 से जनवरी, 94 की अवधि के दौरान, 12.75 करोड़ रुपये मूल्य को 302 मी॰ टन इलायची का निर्यात किया गया है।

(घ) उत्पादन के अनुमान निम्नानुसार है :

1992-93	4250 मी॰ टन
1993-94	6700 मी॰ टन

तंबाकू और इसके उत्पादों पर प्रतिबंध

2574. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तंबाकू और इसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) क्या इस संबंध में तंबाकू बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तंबाकू और इसके उत्पादों के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाने का काई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

2575. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और एक रूसी कंपनी के बीच अखबारी कागज के आयात के संबंध में हुए ठेके में कथित अनियमितताओं की जांच की गई है जिसके परिणामस्वरूप देश को लगभग सात करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

इंडियन शुगर एंड जनरल इन्डस्ट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

2576. **श्री गुमान मल लोढ़ा** :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन शुगर एंड जनरल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड देश में चीनी का निर्यात करने वाली एकमात्र संस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को 1991 92 और 1992 93 के दौरान चीनी के निर्यात में घाटा उठाना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार उदारीकरण नीति के अन्तर्गत चीनी के निर्यात को उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सामान्य मुद्रा क्षेत्र एवं अधिमानी कोटा को चीनी का निर्यात मुक्त बिक्री वाले हिस्से से किया जाता है। इसलिए हानि/लाभ निर्यातक अभिकरणों अर्थात इंडियन शुगर एंड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कारपोरेशन लि. (आई.एस.जी.आई.सी.) द्वारा फैक्टरियों को भुगतान किए गए मूल्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि एवं बिक्री से प्राप्ति के आधार पर निकाली जाती

है। आई.एस.जी.आई.ई.आई.सी. ने 1991-92 और 1992 93 के दौरान एफ.ओ.वी. मूल्य निम्न प्रकार से सूचित किया है।

वर्ष	एफ.ओ.वी. लागत रु./प्रति एम.टी.	प्राप्ति रु./प्रति एम.टी.
1991-92	8472	8104
1992-93	8950	8440

(घ) से (च) चीनी के घरेलू उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ई.ई.सी. को सीमित अधिमानी कोटा तथा नेपाल को सीमित मात्रा को छोड़कर, 1994 95 के दौरान घरेलू चीनी का मुक्त रूप से निर्यात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। किंतु, कच्ची चीनी जिसका पुनः निर्यात के लिए प्रसंस्करण किया जाता है, के आयात के तहत अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

शुल्क वापसी योजनाएं

2577. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई शुल्क वापसी योजनाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान अनेक आयातित आदानों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में और वृद्धि के कारण 161 मदों में संशोधन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) 1 जून, 1992 को 161 मदों की प्रतिअदायगी दरों में संशोधन करके वृद्धि की गयी थी, जबकि 1 जून, 1993 को 84 मदों की प्रतिअदायगी दरों में संशोधन करके वृद्धि की गयी थी। वे मदें जिनके लिए 1 जून, 1992 से दरों में संशोधन किया गया था, उनमें इंजीनियरी उद्योग, रसायन इलैक्ट्रानिक उद्योग, टैक्सटाइल उद्योग की विभिन्न वस्तुएं तथा कतिपय विविध उत्पाद शामिल हैं। वे 84 मदें जिनके लिए 1 जून, 1993 से संशोधन करके दरों में वृद्धि की गयी थी, उनमें खेलों का सामान, वस्त्र सामग्री, ऐस्बेस्टोंस सीमेन्ट उत्पाद, इस्पात पाइप, कटिंग टूल्स, कृषि मशीनरी आदि शामिल हैं।

निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा झींगा मछली का निर्यात

2578. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : आन्ध

प्रदेश में झींगा मछली पालन में लगे हुए शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कि गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2579. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ विकास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं की सूची

(मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण		राशि ऋण/अनुदान
1	2	3		4
1.	उत्तर प्रदेश राज्य III	नीदरलैंड	डच फलोरीन	16.70 अनुदान
2.	उत्तर प्रदेश राज्य IV	नीदरलैंड	डच फलोरीन	17.00 अनुदान
3.	उत्तर प्रदेश राज्य V	नीदरलैंड	डच फलोरीन	5.21 अनुदान
4.	उत्तर प्रदेश राज्य VI	नीदरलैंड	डच फलोरीन	25.00 अनुदान
5.	उत्तर प्रदेश नलकूप	नीदरलैंड	डच फलोरीन	92.10 अनुदान
6.	ऊपरी गंगा आधुनिकी करण सिंचाई	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	135.33
7.	राष्ट्रीय जल प्रबंध	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	127.27

1	2	3		4
8.	एन.ई.ए.पी. II (बहु राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	78.93
9.	एन.ई.ए.पी.-III (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	80.84
10.	उ.प्र. सोडा-क्षारीय भूमि सुधार	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	54.7
11.	जनसंख्या VI (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	75.3
12.	तकनीकी शिक्षा I (बहुराज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	218.215
13.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	165.00
14.	उ.प्र. शहरी विकास	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	135.05
15.	शिशु उत्तरजीविता सुरक्षित मातृत्व (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	219.72
16.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	84.00
17.	संयुक्त चक्रीय विद्युत (बहु-राज्यीय)	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	485.00
18.	बस्ती जिला अस्पताल परियोजना	ओपेक	अमरीकी डालर	6.50
19.	भीमताल अंतर्राज्यीय जल-विभाजक प्रबंधन	ई.ई.सी.	ई.सी.यू.	4.4
20.	दक्षिण भागीरथी चरण II	ई.ई.सी.	ई.सी.यू.	8.4
21.	दून घाटी अंतर्राज्यीय जल-विभाजक प्रबंधन	ई.ई.सी.	ई.सी.यू.	22.5
22.	परिवार नियोजन सेवाओं में परिवर्तन	अमरीकी (सहायता)	अमरीकी डालर	225.00
23.	सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत	जर्मन	ड्यूश मार्क	171.20
24.	संयुक्त चक्रीय विद्युत (दादरी)	जर्मन	ड्यूश मार्क	484.90
25.	अनपारा विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	येन	19318
26.	अनपारा "बी" तापीय विद्युत	जापान	येन	13,224
27.	पर्यटन आधार ढांचा विकास	जापान	येन	9244
28.	अनपारा "बी" तापीय विद्युत V	जापान	येन	17638
29.	अनपारा तापीय विद्युत III	जापान	येन	49801

विकलांगों के लिए बीमा योजना

2580. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिए कोई विशेष बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के लिए विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लोगों का पलायन

2581. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन देशों में कितने कितने लोग भेजे गए; और

(ग) उन लोगों से प्रति वर्ष अर्जित होने वाली आय का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल स्थित उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय से क्लीयरेंश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की देश वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे उत्प्रवादियों से प्राप्त राशियों से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

वर्ष	बहरनी	ओमान	साऊदी अरबिया	यू.ए.ई.	कुवैत	कतार	अन्य
1991	2618	11623	1776	2624	108	58	325
1992	6190	19593	3670	9756	1060	152	468
1993	6436	13072	8344	18974	2482	140	398

[हिन्दी]

कॉफी का निर्यात

2582. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कॉफी का निर्यात घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी बोर्ड ने कॉफी के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कई उदारीकृत उपाय किए हैं। उसने निर्यात के लिए स्वीकृति जारी करने से पहले कागजी-कार्रवाई और दस्तावेज संबंधी अपेक्षाओं को कम करने के लिए उपाय किए हैं। उसने कुछ प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं समाप्त करके निर्यात के लिए कॉफी की सुपुर्दगी के स्थान से काफी के निर्यात से संबंधित नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं को कम करने के लिए भी उपाय किए हैं। सरकार ने हाल ही मे काफी उपजकर्ताओं को उत्पादन के 50 प्रतिशत तक मुक्त बिक्री कोटा देने के लिए कार्रवाई की है ताकि वे निर्यात के लिए स्वयं पहल कर सकें। निर्यात और घरेलू दोनों बाजारों के लिए एकल नीलामियां शुरू की गई हैं। इन सभी से कॉफी का निर्यात बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

जर्मनी के साथ समझौता

2583. **श्रीमती शीला गौतम :**
प्रो. प्रेम धूमल :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने दोहरे कराधान से बचने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता किस तिथि से लागू हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) संशोधित दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौता को अन्तिम रूप देने के लिए 3 से 10 फरवरी, 1994 तक नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के कर प्राधिकारियों के बीच बातचीत आयोजित की गयी थी, यह समझौता विद्यमान समझौते का स्थान लेगा। यह संशोधित समझौता आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा।

(ख) भारत और जर्मनी के बीच विद्यमान समझौते में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कर की दरों में कमी करने का प्रावधान है ताकि दोनों देशों के बीच पूंजी निवेश एवं प्रौद्योगिकी की प्राप्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। उदाहरण के लिए सकल धनराशि के 15 प्रतिशत की दर से लाभांशों पर कर लगाया जाएगा, तकनीकी सेवा शुल्क पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और कुछ परिस्थितियों में सकल धनराशि पर ब्याज के लिए 10 से 15 प्रतिशत के बीच कर लगाया जाएगा। यह दरें घरेलू कर दरों से कम हैं। नौवहन लाभों के मामले में पहले पांच वित्तीय वर्षों के लिए कर में 50 प्रतिशत की कटौती और बाद के पांच वर्षों में 75 प्रतिशत की कटौती और इसके बाद स्रोत वाले देश में पूरी कटौती का भी प्रावधान है। स्रोत देश में विमान परिचालन से प्राप्त लाभों पर पूरी छूट का प्रावधान है। इस समझौते में आपसी समझौता प्रक्रिया के द्वारा दूसरे देश में करदाताओं की समस्याओं को हल करने के लिए भी प्रावधान रखा गया है। दोनों देशों के कर प्राधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की भी व्यवस्थाएं हैं।

(ग) जर्मन गणराज्य के साथ मूल समझौता भारत में 1 4 1958 से लागू किया गया। बाद में 1 4 1984 से नया चार द्वारा इसमें संशोधन किया गया। एकीकृत जर्मनी के मामले में जो यह 1 1 1991 से लागू है।

(घ) [illegible]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रुग्ण एकक

2584. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने रुग्ण एककों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया तथा जिन्हें बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पूर्व बंद किया गया था; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 23 2 94 की स्थिति के अनुसार उसने निम्नलिखित चार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है।

1. [illegible] साइसिकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

3. कर्नाटक इम्प्लिमेंट्स एण्ड मशीनरी कंपनी लिमिटेड

4. जहयाद्री ग्लास वर्क्स लिमिटेड

बाईफर के पास उपर्युक्त चार कम्पनियों को बन्द करने की सिफारिश से पहले या उसके बाद उनके किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंक

2585. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय सरकारी क्षेत्र के कितने बैंक काम कर रहे हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वर्ष मे राज्य में उक्त बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कितने नए लाइसेंस जारी किए हैं; और

(ग) इन शाखाओं को किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) संभवतः माननीय सदस्य, मध्य प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या का हवाला दे रहे हैं। 30-6-1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यरत ऐसी शाखाओं की संख्या 2781 हैं। जहां तक इन शाखाओं की अवस्थितियों का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त बैंकों को राज्य में अपनी शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए नवीन लाइसेंसों की संख्या तथा उनकी अवस्थितियां संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	पूल बागड़ा	भोपाल
2.	बैंक आफ इंडिया	केटेगोराईज्ड मार्केट	भोपाल
3.	कार्पोरेशन बैंक	जे.पी. नगर	भोपाल
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पुरी बजार	भोपाल
5.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	वधुवाड़ा	भोपाल
6.	देना बैंक	कोहेफिजा	भोपाल

1	2	3	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	न्यू मार्केट ऐरिया	भोपाल
8.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड	टी.टी. नगर	भोपाल
9.	बैंक आफ इंडिया	कल्पना नगर	भोपाल
10.	फेडरल बैंक लिमिटेड	एम.पी. नगर	भोपाल
12.	पंजाब नेशनल बैंक	नेहरू नगर	भोपाल
13.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	महाराणा प्रताप नगर	भोपाल
14.	आन्ध्रा बैंक	झोन 1 एवं 2	भोपाल
15.	भारतीय स्टेट बैंक	बैरागढ़ मेन मार्किट	भोपाल
16.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बैरागढ़ मेन मार्किट	भोपाल
17.	भारतीय स्टेट बैंक	कस्तुरबा हास्पिटल	भोपाल
18.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	जेल रोड़	भोपाल
19.	भारतीय स्टेट बैंक	इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच	भोपाल
20.	भारतीय स्टेट बैंक	राजकिशोर नगर	बिलासपुर
21.	आन्ध्रा बैंक	विनोबा नगर	बिलासपुर
22.	इंडियन बैंक	रविशंकर नगर	देवास
23.	भारतीय स्टेट बैंक	राणी बाग, उज्जैन रोड़	देवास
24.	बैंक आफ महाराष्ट्र	अमदीनगर	डी.एम.जी.
25.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	रूबांदा (मैत्रीनगर)	डी.एम.जी.
26.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	ट्रांसपोर्ट नगर	डी.एम.जी.
27.	देना बैंक	जपुल	डी.एम.जी.
28.	केनरा बैंक	स्मृतिनगर	डी.एम.जी.
29.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इंडस्ट्रियल एरिया	डी.एम.जी.
30.	देना बैंक	मोहन नगर	डी.एम.जी.

1	2	3	4
31.	भारतीय स्टेट बैंक	मलयीया नगर	डी.एम.जी.
32	इंडियन बैंक	आदर्श नगर	डी.एम.जी.
33.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	सिंधिया नगर	डी.एम.जी.
34.	केनरा बैंक	इंदिरा कालोनी	पूर्वी निमार
35.	सिंडिकेट बैंक	इंडस्ट्रियल एरिया (नियर गुरुद्वारा)	पूर्वी निमार
36.	भारतीय स्टेट बैंक	लाल चौकी	पूर्वी निमार
37.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	गांधी नगर	ग्वालियर
38.	बैंक आफ महाराष्ट्र	गोला का मंदिर	ग्वालियर
39.	इलाहाबाद बैंक	जिवाजी युनिवर्सिटी	ग्वालियर (सिटी सेंटर)
40.	बैंक आफ इंडिया	माणिक विलास	ग्वालियर
41.	पंजाब नेशनल बैंक	चेतक पुरी	ग्वालियर
42.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सिकंदर कम्पु	ग्वालियर
43.	भारतीय स्टेट बैंक	शिंदे की छावनी	ग्वालियर
44.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इंडस्ट्रियल फाइनेंस	इंदौर
45.	भारतीय स्टेट बैंक	इंडस्ट्रियल फाइनेंस	इंदौर
46.	भारतीय स्टेट बैंक	निलकांत कालोनी (बाडा गणपती) हिग मिग रविशंकर	इंदौर
47.	बैंक आफ बड़ौदा	शुक्ला नगर	इंदौर
48.	देना बैंक	इंडस्ट्रियल एरिया (सनवार रोड)	इंदौर
49.	बैंक आफ इंडिया	सैफी नगर	इंदौर
50.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	स्कीम 78	इंदौर

1	2	3	4
51.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	कालोनी, इंद्रलोक नगर	इंदौर
52.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	इंदिरा काम्प्लेक्स	इंदौर
53.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	सर हकीमचंद मार्ग	इंदौर
54.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	उषा नगर	इंदौर
55.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	इंद्रपुरी/विष्णुपुरी	इंदौर
56.	पंजाब नेशनल बैंक	एम.पी.एच.बी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	इंदौर
57.	देना बैंक	रोडी चौक (आनंद नगर)	जबलपुर
58.	भारतीय स्टेट बैंक	मदन महल	जबलपुर
59.	बैंक आफ महाराष्ट्र	सरजवानी नगर	जबलपुर
60.	देना बैंक	ताती बांध	रायपुर
61.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	समता कालोनी	रायपुर
62.	सिंडिकेट बैंक	चौक/त्रिक्रपूर लिलि	रायपुर
63.	बैंक आफ बड़ौदा	विवेकानंद नगर	रायपुर
64.	इलाहाबाद बैंक	श्याम नगर (तेलीबांधा)	रायपुर
65.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पंडारी (कृषि उपज मंडी समिति)	रायपुर
66.	बैंक आफ इंडिया	एस.आर.सी. कालोनी	रायपुर
67.	भारतीय स्टेट बैंक	शास्त्री मार्केट	रायपुर
68.	पंजाब नेशनल बैंक	अनुपम नगर	रायपुर
69.	इंडियन ओवरसीज बैंक	जवाहर नगर	रतलाम
70.	इंडियन बैंक	सैलाना बस स्टैंड	रतलाम
71.	आन्ध्रा बैंक	बिछिया	रिवा
72.	युनियन बैंक आफ इंडिया	सिरमौर गौराहा	रिवा

1	2	3	4
73.	इलाहाबाद बैंक	सिंधगांव सागर	सागर
74.	भारतीय स्टेट बैंक	बांदी बाजार	सागर
75.	बैंक आफ बडौदा	माक्रोनिया	सागर
76.	पंजाब नेशनल बैंक	सदर	सागर
77.	सिंडिकेट बैंक	भगवान गंज	सागर
78.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	गोपाल कुंज	सागर
79.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	पदमाकर नगर	सागर
80.	भारतीय स्टेट बैंक	महार रेजिमेंट	सागर
81.	पंजाब नेशनल बैंक	सुभाष नगर	उज्जैन
82.	इलाहाबाद बैंक	राशीनगर	उज्जैन
83.	बैंक आफ इंडिया	सेठी नगर	उज्जैन
	मध्य प्रदेश में अर्ध-शहरी केन्द्रों में आबंटन		
1.	बैंक आफ बड़ौदा	कोरबा	बिलासपुर
2.	युनियन बैंक आफ इंडिया	कोरबा	बिलासपुर
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	कोतमा	शाहडोल
4.	भारतीय स्टेट बैंक	कोतमा	शाहडोल
5.	बैंक आफ बड़ौदा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
6.	भारतीय स्टेट बैंक	घंटाघर कटनी	जबलपुर
7.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कटनी	जबलपुर
8.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	धर	धर
9.	बैंक आफ बड़ौदा	गुना	गुना
10.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	पिपरिया	होशंगाबाद
11.	बैंक आफ बड़ौदा	मंदसौर	मंदसौर

1	2	3	4
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	पोरसा	मुरैना
13.	युनियन बैंक आफ इंडिया	पन्ना	पन्ना
14.	पंजाब नेशनल बैंक	पन्ना	पन्ना
15.	बैंक आफ बड़ौदा	पन्ना	सतना
16.	पंजाब नेशनल बैंक	आरठा	सिहोर
17.	बैंक आफ बड़ौदा	शिवपुरी	शिवपुरी
18.	पंजाब नेशनल बैंक	महेन्द्र गढ़	सुरगुजा
19.	भारतीय स्टेट बैंक	अम्बिकापुर कलेक्टोरेट	सुरगुजा
20.	युनियन बैंक आफ इंडिया	टीकमगढ़	टीकमगढ़
21.	केनरा बैंक	विदिशा	विदिशा
22.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	विदिशां	विदिशा
23.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड	संघवा	वेस्ट निमार
	मध्य प्रदेश में ग्रामीण केन्द्रों का आबंटन		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	बल्गी प्रोजेक्ट	बिलासपुर
2.	भारतीय स्टेट बैंक	माणिकपुर	भोपाल
3.	बैंक आफ बड़ौदा	इस्लाम नगर	सहडोल
4.	भारतीय स्टेट बैंक	पालि	रायपुर
5.	भारतीय स्टेट बैंक	उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया	रायपुर
6.	यूको बैंक		रायपुर
7.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	धमकतरी	रायपुर
8.	भारतीय स्टेट बैंक	चौसारा-पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट	छिंदवाड़ा
9.	भारतीय स्टेट बैंक	परासिया	छिंदवाड़ा

1	2	3	4
10.	भारतीय स्टेट बैंक	चिकथारी (नंदन)	छिंदवाड़ा
11.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	राजघाट धाम प्रोजेक्ट साइट	गुना
12.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रतापपुरा प्रोजेक्ट साइट	टीकमगढ़

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास

2586. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1993-94 में केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से नए पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) प्रत्येक स्थलों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जी, हां. वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. मुरादनगर में मार्गस्थ सुख सुविधाएं
2. हापुड़ में मार्गस्थ सुख सुविधाएं
3. फरेंदा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
4. शाहगंज में मार्गस्थ सुख सुविधाएं
5. सरधाना (जिला मेरठ) में पर्यटक गृह
6. खण्डाला में पर्यटक गृह
7. बटेश्वर में पर्यटक-गृह
8. बटेश्वर में घाटों का सुधार
9. ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट
10. जश्न-ए-अवध
11. नोएडा में गोल्फ कोर्स

12. अन्तर्राष्ट्रीय योग उत्सव

13. अकबर उत्सव

14. ताज महोत्सव

15. शिवपुरी के लिए रीवर राफ्टिंग

16. नोड घाटों पर तम्बुओं में आवास

17. झांसी दुर्ग की प्रकाश सज्जा

इनमें से अब तक 7 परियोजनाओं के लिए 101.61 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

[अनुवाद]

सोने का देश में आना

2587. **श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से देश में प्रति सप्ताह औसतन कितना सोना आता है;

(ख) नयी नीति की घोषणा के बाद से देश में सोना कितनी मात्रा में आने लगा है,

(ग) क्या स्वर्ण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो उसकी कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी जायेगी कि वे अनिवासी भारतीयों को सोना विदेशी मुद्रा में बेच सकें;

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है तथा बिक्री कर सहित वर्तमान स्थानीय भारतीय मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश मे प्रति सप्ताह औसतन लगभग दो मीट्रिक टन सोना आया है।

(ख) स्वर्ण आयात योजना के अंतर्गत पहली मार्च, 1992 से 14 फरवरी, 1994 तक लगभग 224 मीट्रिक टन सोने का आयात किया गया था।

(ग) से (च) इस समय स्वर्ण बैंक स्थापित करने या अनिवासी भारतीयों को सोना विदेशी मुद्रा में बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा व्यापारियों को अनुमति देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(छ) 8 मार्च, 1994 को सोने का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लंदन में प्रति 10 ग्राम 121.30 अमेरिकी डालर (लगभग 3863 रुपये) और बम्बई में प्रति 10 ग्राम बिक्री कर सहित 4621 रुपये था।

एन.टी.सी. मिलें

2588. **श्री हरिलाल नन्जी पटेल :**
श्री शिवचरण सिंह चौहान :
श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.टी.सी. की घाटे में चल रही कुछ मिलों को बेचने का कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) एन.टी.सी. की किसी भी घाटा उठाने वाली मिल को निजी क्षेत्र में बेचने का कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव, इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भविष्य निधि संग्रह

2589. **श्री वी. कृष्णा राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में कर्मचारियों और श्रमिकों से भविष्य निधि की कुल कितनी धनराशि का संग्रह किया गया;

(ख) क्या अधिकांश धनराशि का ब्याज कमाने के लिए निवेश किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भविष्य निधि के मामलों को निपटाने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें ऐसी मिलीं; और

(च) इस संबंध में प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि को कुल एकत्र की गयी धनराशि नीचे दी गई है :

1990-91	3666.82 करोड़ रुपये
1991-92	4030.23 करोड़ रुपये
1992-93	4666.42 करोड़ रुपये

कर्मचारियों से एकत्र की गयी भविष्य निधि की कुल धनराशि के बारे में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) भविष्य निधि को एकत्र की गयी धनराशि से निर्गम के उपरांत शेष धनराशि को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पैटर्न के आधार पर ब्याज अर्जित करने के लिए निवेश किया जाता है।

(घ) और (ङ) श्रम मंत्रालय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली को 1991-92 से आगे प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1991 92	88
1992-93	166
1993-94	178
(28-2-1994 तक)	

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्राप्त शिकायतों और निपटायी गयी शिकायतों का ब्यौरा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 1992 93 के अध्याय XVI में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

(च) कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन अंशदाताओं की शिकायतों के निवारण को यथोचित महत्व देता है। संगठन के केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से शिकायतों की सुनवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को ऋण

2590. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के दौरान परियोजना पैकेज योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों को हथकरघा बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ 1993-94 के दौरान राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) प्रोजेक्ट पैकेज योजना में ऋण घटक के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता (ऋण)	
		1992 93	1993 94 (7 3 1994 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश		45.625
2.	असम	25.50	7.250
3.	बिहार	5.00	0.82
4.	गुजरात		5.85
5.	हिमाचल प्रदेश	43.66	5.50
6.	जम्मू और कश्मीर		9.75
7.	कर्नाटक	12.50	
8.	केरल	25.50	
9.	मणिपुर		8.411
10.	उड़ीसा	11.29	18.6475
11.	राजस्थान	25.5075	
12.	तमिलनाडु		5.125
13.	त्रिपुरा		17.80
14.	उत्तर प्रदेश	34.51	43.00
15.	पश्चिम बंगाल		2.00
	कुल योग	183.4675	169.7785

वर्ष 1993-94 के लिए ऋण घटक के अन्तर्गत 300.00 लाख रुपये का बजट प्राविधाएं (आर.ई.) हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत योजना

2591. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इस से जमाकर्ताओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) चूंकि धारा 80 ग ग अ से संबंधित कर संबंधी छूट को वापिस ले लिए जाने से राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी, इसलिए राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है जिससे जमाकर्ता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 और 80 ठ के अन्तर्गत कर संबंधी रियायतों का लाभ उठा सकें।

हथकरघा क्षेत्र

2592. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल :
श्री तारासिंह :
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैंडलूम क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है, और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघा क्षेत्र में समूचे विकास के लिए सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और नई योजनाएं प्रारंभ की गई है।

(ख) सातवीं योजना के बाद लागू की गई योजनाओं में हथकरघा बुनकरों और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सीधा लाभ पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया है। ये योजनाए आवश्यकता आधार पर तैयार की गई हैं और इसमें अधिक लचीलापन है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं का लाभ हथकरघा बुनकरों तक पहुंच रहा है और लाभान्वित बुनकरों की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश योजनाओं में निवेश, अवस्थापना और विपणन सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है जिससे हथकरघा बुनकरों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास की योजनाओं

के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1992-93 के दौरान 183.13 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(घ) इन प्रत्येक योजनाओं की प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष मार्गदर्शिका तैयार की गई है ऐसी प्रत्येक योजना के कार्यों की समय-समय पर देख-रेख भी की जाती है।

बैंक जमा/ऋण

2593. **सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और ऋण वृद्धि-दर क्या है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान अब तक उपरोक्त बैंकों की जमा राशि तथा ऋणों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बैंकों की जमा राशि तथा ऋणों की स्थिति कहां तक सुधर जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबराह्म अहमद) : (क) और (ख) मार्च, 1992 और मार्च, 1993 को समाप्त पिछले दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 (12-1-1994 अद्यतन उपलब्ध) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों और ऋणों में वृद्धि निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपए)

को समाप्त	कुल जमा राशियां	वृद्धि	ऋण	वृद्धि
31-3-1991	200077		119887	-
31-3-1992	236563	36486	131574	11687
31-3-1993	274540	37977	154826	23252
21-1-1994	305758	31218	161980	7154

(ग) उपरोक्त प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 1994-95 में भी बैंक जमा राशियों और ऋणों और सुधार होने की पूरी आशा है।

पटसन उत्पादों के विविधीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सहायता

2594. **डा. असीम बाला** :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पटसन उत्पादों के विविधीकरण में भारत की सहायता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा कितनी सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यह सहायता किन-किन शर्तों पर दी जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने पटसन क्षेत्र की बढ़ोत्तरी और विकास करने के लिए यू.एन.डी.पी. के साथ एक करार किया है। इस करार के अंतर्गत 23 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की यू.एन.डी.पी. की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा इसी के समनुरूप निवेश किया जायेगा।

इस कार्यक्रम में पटसन कृषि के क्षेत्र, नए उत्पादानों का विकास, रोजगार सृजन पटसन मशीनरी क्षेत्र का विकास, अनुसंधान व विकास, संस्थान निर्माण, निजी क्षेत्र विकास, निर्यात संवर्धन, मानव संसाधन विकास तथा समन्वय की कारगर प्रणालियां शुरू करना शामिल है कार्यक्रम का उद्देश्य पटसन समान के कुल उत्पादन में विविधीकृत उत्पादों के अंशदान को बढ़ाना है।

मैन्ड्रेक्स का अवैध व्यापार

2595. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री नीतिश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों के दौरान देश में मैन्ड्रेक्स के उत्पादन और अवैध व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष के दौरान मैन्ड्रेक्स के उत्पादन और अवैध व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं; और

(घ) मैन्ड्रेक्स के अवैध उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) चूंकि मैंड्रेक्स का उत्पादन और अवैध व्यापार एक गुप्त गतिविधि है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि देश में इसका उत्पादन और अवैध व्यापार बढ़ रहा है अथवा नहीं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई मैंड्रेक्स की मात्रा निम्न प्रकार है :-

1991	4415 किलोग्राम
1992	7475 किलोग्राम
1993	14712 किलोग्राम

स्वापक व्यापर में उपलबध आसान धन का प्रलोभन इस व्यापार की समृद्धि का मात्र कारण हैं। तथापि, इन अवैध व्यापारियों की कोशिशों को विफल करने के लिए तस्करी विरोधी प्रयासों को बढ़ाया गया है।

(घ) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहत कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर्तन एजेंसियों को वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं।

एसेटिक एन्हाइड्राइड जो मैथाक्वालोन (मैन्ड्रेक्स) के अवैध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण संघटक है, एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत 1993 में एक 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित किया है।

कृषि श्रमिक संबंधी कानून

2596. **श्री जायनल अबेदिन :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि श्रमिकों के प्रस्तावित व्यापक कानून को अंतिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में तंबाकू की बिक्री की अनुमति

2597. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तंबाकू बोर्ड ने चालू मौसम में कर्नाटक में उत्पादित समस्त तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी है,

(ख) क्या तंबाकू बोर्ड ने कर्नाटक के अनधिकृत क्षेत्रों मे तंबाकू की बिक्री की अनुमति मा ी है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में ऐसी ही सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मूल रूप से प्राधिकृत 20.75 एम. किग्रा. के उत्पादन की तुलना में दिनांक 5.3.94 की स्थिति के अनुसार कुल 32.53 एम.किग्रा. की नीलामी की गई है।

(घ) अभी आंध्र प्रदेश में नीलामी शुरू नहीं हुई है। इसलिए ये प्रश्न नहीं उठता।

रूई का आयात

2598. **श्री विजय एन पाटील :**
श्री ए. आशोक राज :
श्री अनन्त राव देशमुख :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू बाजार की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए रुई का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की रुई का आयात किया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कपास और सूती यार्न की कीमतों में हाल ही में हुई असमान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान प्रचालित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर लगभग 169 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से कपास की 5 लाख गांठों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी है।

भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

2599. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री संतोश कुमार गंगवार :
श्री द्वाराका नाथ दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कारगर बनाने और ग्रामीण वित्त प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं समक्षता (स्टैण्ड एलोन) के आधार पर उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लाकर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण छवि/चरित्र को बनाये रखने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उत्तम समाधान के रूप में सामने आया है। तदनुसार वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी, 1994 को दिये गये अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान पूरे देश में स्थित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों के संबंध में उनके तुलन पत्रों में सुस्पष्टता लाने तथा नयी पूंजी प्रदान करने समेत उनका व्यापक रूप से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। इन 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों से होने वाला अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। इसका लक्ष्य वर्तमान रुग्ण और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेन्द्रित ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से अर्थक्षम और प्रभावी माध्यम में परिवर्तित करने का है।

इसके अलावा, अर्थक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से, दिसंबर, 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया था। इन उपायों में गैर लक्ष्यगत समूह वित्त पोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियां, तालुक/जिला मुख्यालायों, के कृषि उपज केंद्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना, जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गयी है।

हीरों का निर्यात

2600. **श्री शिवलाल नागजी भाई बेकारिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुंजरात के, विशेष रूप से सूरत के हीरा उद्योग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात किये गये हीरों का मूल्य विदेशी मुद्रा में कुल कितना था;

(ख) गुजरात के हीरा उद्योग में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ग) हीरे के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा में से गुजरात में हीरा उद्योग के विकास के लिए कुल कितना निवेश किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रत्न और आभूषण (हीरों सहित) के निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) गुजरात में हीरा उद्योग में लगे कामगारों की संख्या अनुमानत : 5 से 6 लाख के बीच होगी।

(ग) अर्जित विदेशी मुद्रा के बराबर रुपया तो निर्यातक के पास ही रहता है। फिर भी, सरकार भारतीय हीरा संस्थान सूरत को दस्तकारों को रत्न/हीरों को तराशने और उन पर पालिश करने का प्रशिक्षण देने तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को रत्न और आभूषण क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है।

पंजीकृत बेरोजगार

2601. **श्री के. प्रधानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार रोजगार कार्यालयों में कितने कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे;

(ख) 1994 के अंत तक इनमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31 12 1989 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक वृद्धि की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है। इससे कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-12-1989 के अनुसार संख्या	
		कुशल/अर्धकुशल	अकुशल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	110.1	590.8
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम	17.6	117.7

1	2	3	4
4.	बिहार	156.4	332.7
5.	गोवा	8.0	6.0
6.	गुजरात	31.4	108.4
7.	हरियाणा	20.5	137.7
8.	हिमाचल प्रदेश	26.8	74.6
9.	जम्मू और कश्मीर	4.5	40.5
10.	कर्नाटक	40.3	105.8
11	केरल	106.9	187.7
12.	मध्य प्रदेश	43.8	364.7
13.	महाराष्ट्र	100.0	407.0
14.	मणिपुर	1.4	2.1
15.	मेघालय	0.2	3.9
16.	मिजोरम		9.7
17.	नागालैंड	0.4	1.2
18.	उड़ीसा	28.0	86.8
19.	पंजाब	23.6	180.3
20.	राजस्थान	16.5	148.8
21.	सिक्किम*	—	—
22.	तमिलनाडु	115.8	366.3
23.	त्रिपुरा	1.0	23.4
24.	उत्तर प्रदेश	171.2	554.0
25.	पश्चिम बंगाल	101.2	914.2

1	2	3	4
	संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप		
27.	चंडीगढ़	7.7	46.3
28.	दादर एव नगर हवेली	–	–
29.	दिल्ली	45.6	103.2
30.	दमन एवं दीव	-	–
31.	लक्षद्वीप	--	–
32.	पांडीचेरी	3.9	17.2
	योग	1182.9	4930.9

टिप्पणी : 1* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाये।

3. शून्य।

[हिन्दी]

वायुदूत के पायलट

2602. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के अधिकांश पायलटों को छः महीने से अधिक विमान उड़ाने का अवसर नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पायलट हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पायलटों के छः महीने से अधिक समय तक विमान न उड़ाने से उनके लाइसेंसों का नवीकरण प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइसेंसों के नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती छः महीनों के दौरान कैप्टन के पास कम से कम 10 घटें की उड़ान और सह विमानचालक के पास 20 घंटे की उड़ान होनी अपेक्षित है। वायुदूत के विमानचालकों ने अपने लाइसेंसों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उडान की हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उइता।

[अनुवाद]

गौण बाजार में विदेशी पूंजी

2603. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों के एिल पूंजी बाजार खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के गौण बाजार में कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ है;

(ग) इन निवेशों से हुए लाभ में से कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी गई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस तरीके से प्राप्त विदशी पूंजी के उत्पादक उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दे दी है।

(ख) दिनांक 24 2 1994 की स्थिति के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश खातें में निवल अन्तर्प्रवाह 4139 करोड़ रुपए (1.335 बिलियन अमरीकी डालर) था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा सितम्बर, 1992 में घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी कंपनी में किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशकों अथवा इसी समूह की किसी विदेशी निवेशकों की धारित उस कंपनी द्वारा जारी पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित है और समग्र रूप में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को प्रत्येक कंपनी की निर्गमित पूंजी के 24 प्रतिशत तक सीमिति किया जाएगा।

(च) ये निवेश पूंजी बाजार में गहनता और नकदी की व्यवस्था करेंगे ताकि इसे और अधिक गतिशील बनाया जा सके और यह बाजार निधियों में निगमित क्षेत्र की पहुंच को भी बढ़ाएगा।

बीड़ी श्रमिकों की भविष्य निधि

2604. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में सोलापुर में बीड़ी श्रमिकों की भविष्य निधि में फर्जी जमाराशि के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा मामले की जांच पड़ताल करने पर शिकायत को प्रमाणिक नहीं माना गया था। अतः सरकार द्वारा आगे कोई कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सामान की डम्पिंग

2605. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान डम्पिंग की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सामान व अन्य सामग्री की डम्पिंग के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये थे और इस पर क्या कार्रवाही की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में सामान की डम्पिंग प्रमाणित हुई और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी कपंनियों द्वारा डम्पिंग के ऐसे प्रमुख मामले कौन से हैं जिन पर इस समय जांच चल रही है और डम्पिंग की मात्रा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को शीघ्रता तथा प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) अक्तूबर, 1982 में यथासंशोधित भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में सरकार को उन मामलों में एटी डम्पिंग शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है जिसमें डम्प की गई वस्तुओं में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचती हो। ऐसा शुल्क लगाने से पूर्व सरकार द्वारा पदनामित प्राधिकारी डम्पिंग की विद्यमानता तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में और डम्प की गई वस्तुओं और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच परस्पर संबंध के बारे में अपना निर्णय देता है सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ नियम के अधीन पदनामित प्राधिकारी सामन्यतया डम्पिंग, घरेलू उद्योग को क्षति तथा दोनों

के बीच परस्पर संबंध के बारे में प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से साक्ष्य द्वारा समर्पित लिखित अनुरोध के प्राप्त होने पर ही जांच शुरू करता है। चूंकि सरकार ने जांच करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है और हानिकारक डम्पिंग के मामलों में सुधार किया है।

पदनामित प्राधिकारी ने अर्जेन्टीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा यू.एस.ए. मूल के एच.एस. शीर्षक संख्या 39041000, 39042102, तथा 39042109 के अंतर्गत आने वाले पी.वी.सी. रेजिन के भारत में आयात के संबंध में दिनांक 10 जून, 1992 को एंटी-डम्पिंग जांच शुरू की थी। पदनामित प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के आधार पर सरकार ने 18 जनवरी, 1994 को ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा यू.एस.ए. मूल के पी.वी.सी. रेजिन के आयात पर एंटी-डम्पिंग शुल्क लगाया है।

पदनामित प्राधिकारी ने दिनांक 12 अगस्त, 1992 को कोरिया गणराज्य और जापान मूल के स्टाईरिन बुटाडिन रबड़ के आयात के संबंध में पटी-डम्पिंग जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने 17-2-1993 को जांच समाप्त कर दी थी क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पाई गई थी।

पदनामित प्राधिकारी ने जापान से बिसफिनाल ए के आयात के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 1992 को एंटी-डम्पिंग जांच शुरू की थी। पदनामित प्राधिकारी ने 18 फरवरी, 1994 को अधिसूचित अपने अंतिम निर्णय में जापान से बिसफिनाल-ए के आयात पर 23 प्रतिशत की डंपिंग का मार्जिन निर्धारित किया है।

7 जनवरी, 1994 को पदनामित प्राधिकारी ने चीन लोकतांत्रिक गणराज्य से आईसोबुटाइल बेंजीन के आयात के संबंध में एंटी डम्पिंग जांच शुरू की है।

दिल्ली में होटल कैसिनों खोलना

2606. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री.** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने किसी प्रमुख जापानी अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला को दिल्ली में होटल कैसिनों खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या होटल कैसिनों भारतीय भागीदारी से खोला जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) सरकार ने एक 5 सितारा होटल, एक सम्मेलन परिसर, एक विशाल शापिंग प्लाजा, मनोरंजन और सावकाश आदि के लिए सुविधाओं की स्थापना करने के लिए जापान में स्थित विदेशी कंपनी के साथ विदेशी सहयोग करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। यह बताया गया है कि यह अनुमोदित भूमि उपलब्ध कराने और इलैक्ट्रानिक खेल खेलने की सुविधाओं की अनुमति देने की वचनबद्धता की श्रेणी में नहीं आता जिनके लिए कंपनी को संबंधित राज्य सरकार के उचित अनुमोदन हेतु आवेदन करना होता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना

2607. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने की प्रतिशत को वर्तमान 40 प्रतिशत से कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा विदेशी सभी प्रकार के बैंकों के लिए एक से विनियमों को लागू करने का है जिनमें निर्यात, कृषि, लघु उद्योगों तथा अवकलन ब्याज दर योजना के अंतर्गत आने वाले निर्धन कर्जदारों जैसी प्रत्येक प्रमुख श्रेणियों के लिए न्यूनतम प्रतिशतता का निर्धारण किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख), (ग) और (घ) जी, नहीं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए विनियमनों के समान सेट को लागू करने का सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उधार देने संबंधी लक्ष्य और उपलक्ष्य एक समान हैं। बहरहाल, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए विभिन्न लक्ष्य और उपलक्ष्य निर्धारित किये गये हैं क्योंकि इन बैंकों के नेटवर्क केवल महानगरों/पोट केन्द्रों तक ही है और वे ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे कृषि, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, कारीगरों आदि में प्राथमिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को ऋण सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी बैंको के लिए निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर समान रूप से लागू नहीं किया गया है। भारत में कार्यरत स्वदेशी बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी लक्ष्य और उपलक्ष्य निम्नलिखित हैं :

स्वदेशी बैंक

	अग्रिमों की श्रेणी	निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का प्रतिशत
	1	2
1.	प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम	40
2.	कृषि के लिए अग्रिम	18
3.	कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम	10

1		2
4.	लघु क्षेत्र के उद्योग समूह के लघु ऋणकर्ताओं को अग्रिम	लघु उद्योग के अग्रिमों का 40
5.	विभेदी ब्याज दर संबंधी अग्रिम	पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत

भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

	अग्रिमों की श्रेणी	**निवल बैंक ऋण (एनबीसी) की प्रतिशतता**
1.	प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम (जिन्हें मार्च, 1994 के अंत तक प्राप्त करना है)	32
2.	निर्यात ऋण	10
3.	लघु उद्योगों के लिए अग्रिम	10

बोनस का भुगतान

2608. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस का भुगतान 8.33 प्रतिशत से बढ़ाने और भुगतान की सीमा सोलह सौ रुपये से अधिक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) सरकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का विचार कर रही है। इनका आशय इस अधिनियम के अंतर्गत बोनस की अदायगी के लिए पात्रता तथा गणना की अधिकतम सीमा में वृद्धि करना है।

बैंक कर्मियों की हड़ताल

2609. **श्री हरिन पाठक** :
श्री साईमन मरांडी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी ने 17 फरवरी, 1994 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इन हड़ताली कर्मियों की मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार ने किन किन मांगों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार पर पड़ने वाले बोझ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (ए.आई.बी.ई.ए.), भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (बी.ई.एफ.आर.) अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) में निष्ठा रखने वाले बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग ने मुख्य रूप से बैंक के कथित निजीकरण, शाखाओं को बंद करने, नौकरी की सुरक्षा पर आक्रमण का विरोध पेश करने, जनता से शेयर पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको को समर्थ बनाने हेतु संसद में विधेयक पेश करने और शीघ्र वेतन संशोधन के लिए अपनी मांगों आदि के संबंध में दिनांक 17-2-94 को एक दिन की हड़ताल की थी। दिनांक 29 1 94 को वित्त मंत्री ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लीडरों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के दौरान, यूनियनों द्वारा उठाई गई अधिकांश मांगों/मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में, पहले कई अवसरों की तरह, सरकार ने अपने इस मत को दोहराया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने या हानि उठाने वाली सभी शाखाओं को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शाखाओं को बंद करने और/या बैंकों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के परिणामस्वरूप बैंक कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की जाएगी। बैंकिंग उद्योग की कर्मचारी यूनियनों द्वारा वेतन संबंधी वार्ता भारतीय बैंक संघ के साथ की जाती है और सरकार इसमें भाग नहीं लेती। जहां तक वेतन संशोधन का संबंध है, 6वें द्विपक्षीय समझौते के लिए कर्मचारी यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों पर भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के अब तक कुछ दौर पूरे हो चुके हैं। इन विचार विमर्शों के अनुसरण में, अंशदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन और कंप्यूटरीकरण तथा मशीनीकरण के संबंध में प्रमुख कर्मचारी यूनियनों तथा भारतीय बैंक संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वेतन संशोधन के संबंध में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी प्रतिनिधिगो के बीच आगे विचार विमर्श जारी है।

विभिन्न मांगों के वित्तीय निहितार्थ की जानकारी विचार विमर्श पूरा होने और किसी मतैक्य पर पहुंचने के बाद ही होगी।

यूरोपीय आर्थिक संघ के साथ समझौता

2610. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक संघ के साथ एक नये सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यूरोपीय आर्थिक संघ की सहायता से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) समझौता कब तक लागू किया जायेगा,

(ङ) भारत और यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच कुल कितना व्यापार हुआ है, और

(च) भारत और इन देशों के बीच के व्यापार में कहां तक सुधार की संभावना है ?

वाणिजय मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक नए सहयोग करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) तथा (ग) नए सहयोग करार में मौजूदा करार की सकारात्मक बातों को तो रखा ही गया है, इसके अलावा, इसमें सहयोग के कार्यक्षेत्र को और अधिक विस्तृत करते हुए इसमें बहुत से विषय शामिल किये गये हैं। इन विषयों में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने और इयू की इस आश्य की वचनबद्धता के प्रावधान भी शामिल किये गये हैं कि वह अपने एक कारगर साझीदार के रूप में भारत की क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे।

(घ) यह करार दोनों पक्षों द्वारा इसका अनुसमर्थन किये जाने के बाद लागू होगा और अनुसमर्थन किए जाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान भारत तथ ई.यू. के बीच किया गया कुल व्यापार 11789.31 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था।

(च) इस करार में आर्थिक सहयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की अपेक्षा की गई है जिससे इसमें व्यापार सहित अनेक विषयों को कवर किया जा सके।

तंबाकू का समर्थन मूल्य

2611. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान तंबाकू के निर्यात में वृद्धि करने हेतु इसके समर्थन मूल्य की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता हैं चालू वर्ष के दौरान समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

विमान सेवाएं

2612. **डा. परशुराम गंगवार** :
श्री अनंतराव देशमुख :

डा. बसंत पवार :
श्री हाराधन राय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** 29 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने कार निकोबार को अपनी विमान सेवायें बहाल कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान देश में विमान सेवाओं का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ा जायेगा, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, इंडियन एयरलाइंस की अपने अंतर्देशीय नेटवर्क में नये शहरों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुल मिलाकर, उन सभी शहरों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं पहले ही चल रहा हैं, जहां यातायात की पर्याप्त संभावना है और जो इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को सहायता प्रदान करने में सक्षम है।

[अनुदान]

भारत की व्यापार नीति

2613. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अप्रैल, 1993 में विशेष अधिनियम के तहत "प्राथमिकता निगरानी सूची" में भारत को रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की व्यापर नीति में यदि कोई परिवर्तन हुए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और साथ ही अमरीकी प्रशासन द्वारा उठाई गयी बातों/प्रश्नों का सामना करने के लिए उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या दिसंबर, 1993 में हस्ताक्षरित गैट समझौते से स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य प्रशासन ने ब्राजील भारत और थाईलैंड को अप्रैल, 1993 में अपने व्यापार कानून के विशेष 301 प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकता वाले विदेशी देशों के रूप में नामित किया गया है। भारत के खिलाफ किसी व्यापार-कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन संयुक्त राज्य से संबंधित मुद्दों को मानीटर करने के लिए संयुक्त राज्य प्रशासन के अन्त : एजेंन्सी टीम गठित की थी। संयुक्त राज्य की कार्रवाई के परिणामस्वरूप हमने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ग) और (घ) यद्यपि, कोई द्विपक्षीय वार्ता आयोजित नहीं की गई, फिर भी मई, 1993 में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया और यह स्पष्ट किया गया कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों, संधियों और सेवाओं से संबंधित राज्य संधियों और सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की अपेक्षा गाट के बहुपक्षीय मंच पर वार्ता करने की वरीयता देता है।

(ङ) और (च) बौद्धिक संपदा अधिकारी सहित, दिसंबर,1993 में उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामों पर भारत ने भी अपनी सहमति दे दी है। इससे परिस्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

2614. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री काशी राम राणा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र निर्यात में भारत का योगदान केवल दो प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो वस्त्र निर्यात में इतना कम प्रतिशत होने के क्या कारण हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) इस समय उपलब्ध गाट के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के वस्त्र और कलादिंग के निर्यात में लगभग 2 प्रतिशत का अंशदान करता है। इस कम प्रतिशतता का कारण विकसित देशों द्वारा लगाए गए कोटा संबंधी

प्रतिबंध हैं। वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें एकीकृत बाजार विनिश्चित विनियम दर प्रणाली, चालू खाते में रुपए की परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात को सुकर बनाना, निर्यात ऋण की उपलब्धता बढाना, 25 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी मुद्रा आय को विदेशी मुद्रा खातों में बनाए रखने की अनुमति प्रदान करना, क्रेता विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों में निर्यातकों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना शामिल है।

[अनुवाद]

विपणन अधिकारी

2615. **श्री एच.एम. लालजान बाशा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने पर्यटन का विकास करने के लिए पूरे देश में विपणन अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों ने पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए विशेष रूप से आंध्र प्रदेश हेतु क्या सुझाव दिये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पूरे देश में 20 भारत सरकार पर्यटक कार्यालय हैं। कार्यालयों की सूची संलग्न हैं।

(ग) देश में पर्यटन का विकास करना केंद्र और राज्य सरकारों को सयुंक्त प्रयास हैं। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्यों में विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है।

लोक सभा में दिनांक 11-3-94 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.-2615 के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश	कार्यालय की अवस्थिति
1	2	3
1.	**उत्तरी क्षेत्र**	
	1. दिल्ली	1. दिल्ली
	2. राजस्थान	1. जयपुर
	3. उत्तर प्रदेश	1. आगरा
		2. वाराणसी

1	2	3
2.	**पूर्वी**	
	1. पश्चिमी बंगाल	1. कलकत्ता
	2. बिहार	1. पटना
	3. उड़ीसा	1. भुवनेश्वर
	4. अंडमान और निकोबार	1. पोर्ट ब्लेयर
	5. असम	1. गुवाहाटी
	6. मेघालय	1. शिलांग
	7. मणिपुर	1. इम्फाल
	8. अरुणाचल प्रदेश	1. ईटानगर
3.	**दक्षिण क्षेत्र**	
	1. तमिलनाडू	1. मद्रास
	2. कर्नाटक	1. बंगलौर
	3. आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
	4. केरल	1. कोचीन
4.	**पश्चिमी क्षेत्र**	
	1. महाराष्ट्र	1. बंबई
		2. औरंगाबाद
	2. गोआ	1. मणजी
	3. मध्य प्रदेश	1. खजुराहो

विदेशी एयरलाइनों द्वारा विदेशी मुद्रा लौटाना

2616. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में संचालित विदेशी एयरलाइनों द्वारा एयरलाइन-वार कितनी विदेशी मुद्रा लौटाई गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां इस प्रकार थीं :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
1991-92	1147.91	402.28
1992-93	1396.28	490.74

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

2617. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाले एककों से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सहायता प्राप्त एककों का समग्र कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है निजी क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अध्ययन में कवर की गई 505 कंपनियों में से 452 कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान लाभ अर्जित किया। आई.डी.बी.आई. द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य कर रही हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना

2618. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कर्नाटक में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये संस्थान कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कर्नाटक सहित 28 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन भाग ले रहे हैं। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं पर व्यय का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विश्व बैंक परियोजना के विभिन्न संघटकों पर कुल व्यय की कुछ प्रतिशतता को प्रतिपूर्ति भारत सरकार को करता है। परियोजना के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में से एक योजना देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थपना करना है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं :-

1. होसुर रोड़, बंगलौर
2. बगलकोट, जिला बीजापुर
3. गुंडलपेट, जिला मैसूर
4. चित्रदुर्ग
5. गडम, जिला धारवार
6. चेन्नारैयापटना, जिला हसन
7. कोलार, जिला कोलार
8. नलथ्वार, जिला बीजापुर
9. पुट्टुर, जिला डी के,
10. टिप्तुर, जिला टुमकुर

कर्नाटक राज्य से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने विश्व बैंक परियोजना के अधीन उक्त योजना के लिए निम्नलिखित परिव्यय प्रदान किए हैं

1993-94	153 लाख रुपए
1994-95	150 लाख रुपए

पवन हंस लिमिटेड के हेलीकाप्टर

2619. **डा. के.डी. जेस्वाणी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस लिमिटेड के अंन्तर्गत कितने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं;

(ख) ये हेलीकॉप्टर किन किन मार्गों पर चल रहे हैं।

(ग) क्या इन सभी हेलीकॉप्टरों से आय प्राप्त होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पवन हंस लिमिटेड के अधीन प्रचालित हेलिकॉप्टरों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं :

डाफिन एस ए 365 एन	19
एम आई 8	3
बेल 206 एल 4	1

(ख) 12 डाफिन और 3 एम आई 8 हेलिकॉप्टरों का प्रयोग बंबई, मद्रास और राजामुदरी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तटीय प्रचालनों के लिए किया जा रहा है। लक्षद्वीप प्रसाशन तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा एक-एक डाफिन का प्रयोग किया जा रहा है। बेल 206 एल 4 हेलिकाप्टर का प्रचालन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सभी हेलिकाप्टर उपभोक्ताओं के पास लम्बी अवधि के ठेके पर हैं, जिनमें हेलिकाप्टरों को रखने के लिए निश्चित मासिक प्रभार लिया जाता है और इसके अतिरिक्त, उनके प्रयोग के प्रति घंटे के लिए घंटावार प्रभार लिया जाता है। इन प्रभारों में लाभ की यथोचित गुंजायश समाहित होती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

2620. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें रुग्ण हैं और कितनी मिलें बंद कर दी गई हैं;

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष में अब तक की अवधि के दौरान कितनी मिलों के मामले औद्योगिक ओर वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए;

(घ) कितनी मिलें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को अर्थक्षम बनाने की योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं;

(ङ) उन मिलों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और जो अभी तक बंद हैं और जिनके मामले उक्त बोर्ड के पास लम्बित हैं; और

(च) सरकार ने इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) 31.3.1993 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की 31 सूती/मानव निर्मित फाईवर वस्त्र मिल वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बंबई के पास पंजीकृत थी।

(ख) 31.1.1994 की स्थिति के अनुसार 13 मिलें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफ आर) के पास रुग्ण एकक के रूप में पंजीकृत बताई गई हैं। मध्य प्रदश में आई डी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत कोई भी मिल बंद हुई नहीं बताई गई है। तथापि वित्तीय समस्या के कारण 7 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें बंद हुई बताई गई हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान 4 मिलें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत बताई गई हैं।

(घ) मै. डी.डब्ल्यू.वूलन मिल नामक एक मिल औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पुनरुद्धान योजना के अंतर्गत काम कर रही है।

(ङ) अस्थाई रूप से बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण I संलग्न हैं। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत वस्त्र मिलों के नाम उनकी स्थिति को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

(च) सरकार ने रुग्ण/बंद मिलों के संबंध में पुर्नस्थापना पैकेज बनाने और उसका संचालन करने के लिए नौडीय अभिकरण/बी आई.एफ.आर. की स्थापना की है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश राज्य में अस्थाई रूप से बंद सूती मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों के नाम

	मिलों के नाम	बंद होने के कारण
1.	होप टैक्सटाईल्स (नन्दलाल भंडारी)	वित्तीय
2.	होप टैक्सटाईल्स	वित्तीय
3.	बिलासपुर स्पि. मिल्स एंड इण्डस्ट्रीज लि.	वित्तीय
4.	विनोद मिल्स कं. लि.	वित्तीय
5.	हुकुमचंद मिल्स लि.	वित्तीय
6.	बिमल मिल्स	वित्तीय
7.	जियाजीराव काटन मिल्स लि.	वित्तीय

विवरण-II

लोक सभा में दिनांक 11-3-94 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2620 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत मिलों की मौजूदा स्थिति

	मिलें	स्थिति
1.	बिनोद मिल्स	उच्च न्यायालय को उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है।
2.	राजकुमार मिल्स	--वही--
3.	हुकुमचन्द मिल्स	--वही--
4.	होप टैक्सटाइल मिल्स	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश
5.	देवास सिथेटिक लि.	उच्च न्यायालय को इन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है।
6.	श्री सज्जन मिल्स	--वही--
7.	डी.डब्ल्यू. मिल्स	पुनरुद्धार योजना स्वीकृत कर दी गई है।
8.	ग्वालियर सिंथेटिक लि.	उच्च न्यायालय को इन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है।
9.	सतल वूलन प्रा. लि.	जांच की जा रही है।
10.	बिदासारिया मिल्स (प्रा.) लि.	--वही--
11.	एन.टी.सी. (एम.पी.)	--वही--
12.	जियाजीराव काटन मिल्स लि.	--वही--
13.	गंगवाल उद्योग प्रा. लि.	--वही--

[अनुवाद]

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विशाखापत्तनम

2621. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इच्छुक उद्यमियों से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विशाखापत्तनम को परियोजना प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हा।

(ख) उद्यमियों से अन्त : शिरा द्रव (इन्ट्राविनश फ्लूड) मशीन से तैयार चंदन की लकडी के उत्पादन, कंप्यूटर एवं फैक्स पेपर रोल तथा हीरे जडे स्वर्णाभूषण के विनिमार्ण के लिए जोन में एकक स्थापित करने के संबंध से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी अनुमोदित कर दिए गये हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी

2622. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में प्राधिकारियो द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) (मात्रा नजदीकी किलोग्राम तक पूर्णांक कर दी गई है)

प्राधिकारी का नाम	अफीम	हेराइन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन	एसेटिक एन्हाइड्राइड
स्वा.नि.ब्यू.		19	1527	10	1412	
डी.आर.आई.			65		1786	
सी.शु.एवं के.उ.शु.		8	113	58	962	
सी.बी.एन.	13	3	135			
बी.एस.एफ.	6	2.290	326	8		350 (लि.)
सी.बी.आई.		6		1		
राज्य पुलिस	153	85	12015	291	4850	1532 (लि.)
राज्य उ.शु.		1	421			

(दिसबर, 1993 जनवरी तथा फरवरी, 1994)

(ख) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित सख्त प्रावधानों के अन्तर्गत अत्यधिक सतर्कता बरतें और प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं। अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रवर्तन एजेंसियों को वाहन और संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। भारत पाक सीमा के भाग की घेराबंदी की गई है।

एयर टैक्सी संचालकों के लिए सुरक्षा संहिता

2623. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर टैक्सी संचालकों के लिए नई सुरक्षा संहिता जारी की है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों को इस संबंध में जारी किए गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों तथा एयर टैक्सी संचालकों को जारी किए दिशा निर्देशों में कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सुरक्षित विमान प्रचालन के लिए, नागर विमानन महानिदेशलय हवाई सेवा प्रचालकों को समय समय पर नागर विमानन अपेक्षाओं, हवाई संरक्षा परिपत्रों आदि के रूप में अनुदेश जारी करता है। हाल ही में जारी किए गए अनुदेश इस प्रकार हैं :-

(1) एयरलाइन और हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा पट्टे पर लिए गए विदेशी विमानों का उड़न योग्यता और प्रचालनात्मक नियंत्रण।

(2) विमान परिवहन सेवा, प्रचालकों द्वारा आयात किए जाने वाले विमानों की अधिकतम अनुमत्य आयु और आवृत्तियां/उड़ान घंटे निर्धारित करना।

(3) भार और ट्रिम शीट तैयार करने के लिए कर्मीदल और यात्रियों के मानक भार का प्रयोग करना।

(4) विमान के उड़ान भरते समय और उतरने समय सही अधिकतम अनुमत्य भार का निर्धारण करना।

(5) वर्षाकाल और खराब दृश्यता की स्थितियों में किए जाने वाले पूर्वोपाय।

(6) फ्लाइट रिकार्डरों की निगरानी।

(7) पहले से किए गए उपायों के अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में, 5700 कि.ग्रा. अथवा इससे अधिक के आल अप वेट और 30 सीट से ज्यादा यात्री क्षमता वाले सभी टरबाइन इंजन वाले विमानों में मोड एस ट्रांसपोंडर लगाने के अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जाली शेयर

2624. **श्री अष्टभुजा प्रसाद :**
श्री एन.के. बलियान :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों के जाली शेयर बड़े पैमाने पर प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजार में जाली शेयरों की बिक्री करने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो जब्त किए गए ऐसे जाली शेयरों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सहकारी बैंक

2625. **प्रो. राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में गबन के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंकों की संख्या और इन मामलों में शामिल धनराशि सहित गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सूचित किए गये अनुसार दिनांक 31-3-91, 31-3-92 और 30-9-93 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में गबन में शामिल सहकारी बैंकों (राशि समेत) का विस्तृत विवरण संलग्न है। नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उक्त मामले में बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नाबार्ड धोखाधड़ी की पुनरीक्षा करता है और सभी राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आंतरिक नियंत्रण के बारे में निदेश दिया है जिसमें खास ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

विवरण

महाराष्ट्र में गबन में शामिल सहकारी बैंकों के नाम और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि की विस्तृत जानकारी देने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

बैंक का नाम		गबन, धोखाधड़ी में अन्तर्गस्त राशि (संचयी स्थिति)		
		31-3-91 की स्थिति के अनुसार	31-3-92 की स्थिति के अनुसार	30-9-93 (अद्यतन) की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र एस.सी.बी.	0.31	0.31	0.31
2.	अहमदनगर डी.सी.सी.बी.	1.84	0.17	0.17
3.	अकोला डी.सी.सी.बी.	0.67		1.62
4.	अमरावती डी.सी.सी.बी.	2.45	2.45	12.44
5.	चन्द्रपुर डी.सी.सी.बी.	1.44	1.27	1.27
6.	औरंगाबाद डी.सी.सी.बी.	1.88	1.57	1.57
7.	भण्डारा डी.सी.सी.बी.	2.70	2.70	3.49
8.	भुलडाना डी.सी.सी.बी.	5.50	5.30	5.30
9.	बीड डी.सी.सी.बी.	4.58	4.48	5.89
10.	बम्बई डी.सी.सी.बी.	0.05	0.05	8.25
11.	धुले डी.सी.सी.बी.	1.96	2.98	3.45
12.	जलगांव डी.सी.सी.बी.	2.86	2.82	5.83
13.	जालना डी.सी.सी.बी.	6.51	10.51	10.51
14.	कोल्हापुर डी.सी.सी.बी.	1.00	1.00	1.00
15.	नासिक डी.सी.सी.बी.	4.89	3.93	4.91

1	2	3	4	5
16.	सांगली डी.सी.सी.बी.	2.90	1.55	2.66
17.	सतारा डी.सी.सी.बी.	2.17	1.73	2.10
18.	शोलापुर डी.सी.सी.बी.	2.32	0.96	4.33
19.	सिंधुदुर्ग डी.सी.सी.बी.	0.07	3.70	3.70
20.	ठोणे डी.सी.सी.बी.	0.32	0.12	0.12
21.	वर्धा डी.सी.सी.बी.	0.31		--
22.	रायगढ़ डी.सी.सी.बी.		1.06	39.45
23.	रतनागिरी डी.सी.सी.बी.			15.22
24.	सोलापुर डी.आई.सी.बी.		1.36	1.36

एस.सी.बी.--राज्य सहकारी बैंक

डी.सी.सी.बी.--जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

डी.आई.सी.बी.--जिला औद्योगिक सहकारी बैंक

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

2626. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना लाभ मिलेगा;

(ग) देश में कितने शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं तथा उन बैंकों में कुल जमा राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन बैंकों को दी जाने वाली सुविधाएं/रियायतें वाणिज्यिक एवं विदेशी बैंकों की तुलना में कम हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) इन बैंकों के विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) संभवतः, माननीय सदस्यों का आशय राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने से है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक के गठन के लिए कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ग) दिनांक 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार 1399 शहरी सहकारी बैंक (वेतन अर्जित करने वाले 92 सहकारी बैंकों सहित) हैं। दिनांक 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार सूचना देने वाले 1307 बैंकों की कुल जमाराशियां 13,772.76 करोड़ रुपये है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति (मराठे समिति) की सिफारिशों के संदर्भ में नए शहरी सहकारी बैंकों को लाईसेंस देने से संबंधित नीति में संशोधन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीति संबंधी संशोधित मार्गनिर्देश पहले ही मई, 1993 में सहकारी समितियों के आवलिक रजिस्ट्रार को भेज दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऊपर उल्लिखित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में बैंक/शाखा विस्तार के संबंध में पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। पहाड़ी/आदिवासी/मरूभूमि वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए बैंकों के गठन के लिए प्रवेश बिन्दु मानदण्डों (आरम्भिक शेयर पूंजी एकत्र करना और सदस्यों का पंजीयन) में ढील दी गई है। महिलाओं/अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा गठित किए जाने वाले नए बैंकों के लिए प्रवेश बिन्दु मानदंडों में इसी प्रकार की रियायतें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त शहरी बैंकों को जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दर जैसे कुछ मामलों में कुछ रियायत देने की अनुमति दी गई है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी बैंकों को अपने विवेक के अनुसार सावधि जमा राशियों पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने की अनुमति दी गई है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सांविधिक नकदी अनुपात/चल आस्ति के निम्न स्तर निर्धारित किए गए हैं।

आल इंडिया गार्मेंट एक्सपोर्ट असोसिएशन

2627. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आल इंडिया गार्मेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) "अखिल भारतीय परिधान निर्यातक संघ" से हाल ही में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद से अनौपचारिक पूछताछ करने से यह पता चला है कि "अखिल भारतीय परिधान निर्यातक संघ" नामक कोई भी संघ नहीं है हालांकि इसी नाम से मिलते जुलते दो या तीन संघ हैं।

[हिन्दी]

जापान से आने वाले पर्यटक

2628. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जापान से 1991 में 46,655 पर्यटक आए थे जबकि 1992 में इनकी संख्या बढ़कर 60,137 हो गई थी। तथापि, वर्ष 1993 के दौरान, अयोध्या की घटना के बाद देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं के काराण पर्यटकों की संख्या घटकर 49,616 हो गई।

(ख) और (ग) सरकार टोकियो में स्थित पर्यटक कार्यालय के माध्यम से अपने प्रचार प्रयासों को जारी रखे हुए है ताकि जापान से और अधिक पर्यटक आकृष्ट किए जा सकें। इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 के दौरान, जापान से कई मीडिया व्यक्तियों को भारत की यात्रा करने के लिए आमन्त्रित किया गया ताकि उस देश में भारत की अनुकूल छवि प्रस्तुत की जा सके।

[अनुवाद]

सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों के लिए आयकर कार्यालय

2929. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरि जिलों में आयकर कार्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) रत्नागिरी जिले में एक आयकर कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है। सिंधुदुर्ग जिले में एक आयकर कार्यालय खोले जाने के लिए पहले से ही निर्णय ले लिया गया है।

कराड बैंक का विलय

2630. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1994 से बैंक आफ कराड़ का बैंक आफ इंडिया में विलय कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि वापस देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जमाकर्ताओं को ब्याज देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं। यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

किसानों के लिए ऋण योजनाएं

2631. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का विचार किसानों के लिए एक बड़ी ऋण योजना आरंभ करने का है ताकि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बैंकों द्वारा किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) बैंकों से उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण देने की आशा की जाती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्चतर और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए किसानों को सक्षम बनाने हेतु बैंक किसानों को कृषि मशीनरी, सिंचाई के बेहतर तरीकों, संकर बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिन विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनमें ये शामिल हैं : (I) ट्रैक्टर, ट्रेलर आदि जैसे कृषि उपकरणों और मशीन की खरीद, (II) सिंचाई की संभाव्यता का विकास,(III) भूमि उद्धार और भूमि विकास योजनाएं, (IV) कृषि भवन का निर्माण, (V) भण्डारण सुविधाओं के निर्माण एवं संचालन और सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए विकास ऋण। उपर्युक्त के अलावा, बैंक उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों के संवितरण के लिए भी वित्त प्रदान करते हैं जिससे किसानों को इन निविष्टियों को शीघ्र प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाता है, कई उपाय किए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण ये हैं :

(I) बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 25(XX) रुपये तक की ऋण सीमा के सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर और 25(XX) रुपये से अधिक के ऋण आवेदन 8 9 सप्ताह के अन्दर निपटाए जाएं।

(II) आवेदनों के शीघ्र निपटान को सरल बनाने के लिए आवेदन फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं और मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित शर्तें फार्म के दूसरी ओर छपी होती हैं।

(III) उच्च प्राधिकारियों को संदर्भ भेजे बिना कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकपूर्ण शक्तियां सभी शाखा प्रबंधकों को प्रदान की गई हैं।

(IV) राज्य में प्रत्येक जिले के लिए तकनीकी समिति द्वारा विभिन्न फसल ऋणों के लिए वित्त मान निर्धारित किए जाते हैं। लागत में वृद्धि पर ध्यान देने के लिए वित्त मानों और यूनिट लागत की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बन्धुआ मजदूर आयोग

2632. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम मंत्री** यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रियों की समिति ने राष्ट्रीय बन्धुआ मजदूर आयोग के गठन हेतु प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन

2633. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाने और राज्य के बुनकरों के कल्याण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1993 94 (24 फरवरी 1994 तक) बिहार राज्य को जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स.	योजना का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1.	कार्यशाला सह आवास	40.00

2.	विशेष छूट/विपणन विकास सहायता	103.695
3.	जनता कपड़े पर सब्सिडी	22.67
	कुल :	166.365

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें

2634. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान कितनी कताई मिलें स्थापित की गईं; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन एककों को कितना ऋण दिया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी भी नई सूती मानव निर्मित फाईबर कताई मिल की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

यू.टी.आई. के मास्टर गेन एंव अन्य जमा योजनाओं के निवेशक

2635. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के मास्टर गेन और अन्य जमा योजनाओं में भारी राशि जमा करने वाले निवेशकों का पता लगाने और उन्हें आय कर के दायरे में लाने के लिए आयकर विभाग को निदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) की मास्टर गेन और अन्य स्कीमों में जमा की गई धनराशियों पर आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, इन स्कीमों के अन्तर्गत आय कतिपय सीमाओं तक आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के तहत कटौती के अधीन है। आयकर विभाग, यू.टी.आई. की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जमा की गई धनराशियों के बारे मे जांच करने हेतु संक्षम है।

यू.टी.आई. की मास्टरगेन और अन्य स्कीमों में भारी राशि जमा करने वाले निवेशको का पता लगाने के संबंध मे आयकर विभाग को कोई विशेष अनुदेश प्राप्त नहीं हैं। फिर भी यू.टी.आई. से प्राप्त एक संदर्भ पर सरकार ने आयकर विभाग को अनुदेश जारी किए थे कि सिवाए उस मामले के जहां कि किसी यूनिट धारक द्वारा किया गया निवेश। लाख रुपये अथवा इससे अधिक का हो, सामान्य तौर पर यू.टी.आई. की स्कीमों में यूनिट धारकों द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में सूचना न मांगी जाए। यह स्पष्ट किया गया था कि विशिष्ट मामलों में जहां कि चाहे सम्बद्ध राशि थोड़ी हो, सूचना मांगने के विषय में कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

मध्यम आकार का विमान

2636. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की सहायता से मध्यम आकार का विमान चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में किस प्रकार कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीय/निजी हवाई टैक्सी प्रचालकों को मध्यम आकार के विमान चलाने का सुझाव दिया गया था जिसके संबंध में उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2637. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत छः महीनों के दौरान इन बैंको की शाखाएं कहां कहां खुली;

(ग) क्या 1994 95 और 1995 96 के दौरान इन बैंकों की नई शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31 12 93 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 3061 शाखाएं थीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जून, 1993 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 5288 शाखाएं थीं।

(ख) पिछले 6 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोई शाखा नहीं खोली गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकडों के अनुसार 1 1 93 से 30 6 93 की 6 महीने की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 37 शाखाएं निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई थीं :

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहराइच, कैथोली, इब्राहिम पट्टी, बांदा, बारगढ़, नुरपुर, ऋषिकेश, मिहौली, इटावा, नौगांव, पाटा, गाजियाबाद (दो शाखाएं) गाजीपुर, गोरखपुर, श्यामपुर, कानपुर, इमलीखेड़ा, झांसी (दो शाखायें), खानपुर लखनऊ (3 शाखाएं) बड़ौत, गजरौला, कैराना, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रायबरेली, सहारनपुर, चप्का, चत्रा और वाणारसी।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1990-95 की शाखा-विस्तार योजना के अंतर्गत शाखायें खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया गया है। 1990-95 की योजना के अंतर्गत और योजना के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आंबटित केन्द्रों की सूची, जहां पर अभी शाखायें खोली जानी हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1990-95 की योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को आबंटित किये गये और खोले जाने वाले केन्द्रों की सूची

ग्रामीण

जिला	केन्द्र
1	2
देहरादून	बन्दावली सहसत्रधारा
शाहाजहांपुर	नरौठा देवीदास
बाराबंकी	सरहेमान
अर्ध-शहरी	
बस्ती	खालीदाबाद
राय बरेली	जैस
उन्नाव	शुक्लागंज
इटावा	औरया
गाजियाबाद	मोदीनगर
नैनीताल	हल्द्वानी

1	2
नैनीताल	कासीपुर
हरिद्वार	रूड़की
ऋषिकेश	ऋषिकेश
हरिदोई	हरदोई
अलीगढ़	हाथरस
बिजनौर	नजीबाबाद
मुजफ्फर नगर	शामली
मथुरा	कोसीकलां
उन्नाव	उन्नाव
बुलन्दशहर	खुर्जा
हरिद्वार	रूडकी
बुलन्दशहर	खुर्जा
हल्द्वानी	हल्द्वानी
मुजफ्फरनगर	शामली
बाराबंकी	बाराबंकी
नैनीताल	हल्द्वानी
मेरठ	मण्डी बारांत
अल्मोड़ा	रानीखेत
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
देवरिया	रुद्रपुर
मथुरा	वृन्दावन
खेडी	लखीमपुर कन्नाट
फर्रूखाबाद	
आजमगढ़	मुबारकपुर

1	2
नैनीताल	रामनगर
मथुरा	सादाबाद
बरेली	बेहारी
मुजफ्फर नगर	कैराना
मेरठ	बाघपत
गाजीपुर	गाजीपुर
फैजाबाद	अयोध्या
गाजीपुर	सैदपुर
हरिद्वार	रूड़की
सहारनपुर	दओबंद
गाजियाबाद	दादरी
गौण्डा	गौण्डा
गाजियाबाद	मोदीनगर
लखीमपुर	लखीमपुर
खेडी	खेड़ी
हरिद्वार	हरिद्वार
बलिया	बलिया
गौण्डा	गौण्डा
शहरी महानगरीय	
कानपुर	कराही रोड (बुरा)
	टैगोर रोड, छावनी
लखनऊ	सेक्टर 18, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, अमौसी औद्योगिक क्षेत्र

1	2
लखनऊ	सादतगंज
आगरा	राजपुर चुघ
इलाहाबाद	कल्याणी देवी, खुल्दाबाद, सब्जी मंडी
वाराणसी	गोविंदपुर, बी.एच.यू. कैम्पस, शिवाजी नगर
बरेली	नेकपुर बुदौन रोड
रामपुर	तारीनपुर पुरना, सीतापुर
शाहजहांपुर	केन्टोनमैंट लोधीपुर बहादुरगंज जलाल नगर
देहरादून	आर्य नगर दिल्ली रोड धोबाल वाला चौक न्यू मेधानगर नवीन नगर
मुजफ्फरपुर	दक्षिणी सिविल लाइंस
इटावा	सिविल लाइन्स, मनीपुर रोड
फर्रूखाबाद	मेन दरवाजा भोलापुर, फतेहगंज
बहराइच	बसीरगंज
मुरादाबाद	सम्भल रोड
गोरखपुर	भोलातिया मार्केट
मेरठ	बैंकर नगर (हापुड़ रोड)

1	2
गाजियाबाद	वैशाली प्रताप विहार 14 ए, नोएडा सेक्टर
हापुड़	मेरठ रोड
फैजाबाद	सिविल लाइन्स कचहरी
गाजियाबाद	कौशासुबी

उपर्युक्त के अलावा, योजना के बाहर बैंकों को निम्नलिखित केन्द्र आंबटित किए गए हैं।

इलाहाबाद	राजनपुर मौहल्ला
लखनऊ	अमौसी औद्योगिक क्षेत्र
मेरठ	मेरठ
मुरादाबाद	मुरादाबाद
झांसी	रेलवे रोड
मुरादाबाद	मझौला दिल्ली रोड
जौनपुर	शंकर मण्डी
मिरजापुर	सिविल लाइंस

लघु उद्योग के एककों द्वारा किए गए निर्यात

2638. **श्री उदाय सिंह राव गायकवाड** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 में कुल कितना निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या इस निर्यात में लघु औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित उत्पाद शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्षवार प्रतिशतता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे एककों को उनके निर्यात के हिसाब से सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व्यापार आंकडे डी.जी.सी.आई. एण्ड एम., कलकत्ता द्वारा वित्तीय वर्ष आधार पर संकलित किए जाते हैं। वर्ष 1991-92, 92-93 और अप्रैल जनवरी, 1993-94, वह नवीनतम अवधि, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान भारत से हुए कुल निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं

वर्ष	कुल निर्यात	
	करोड़ रुपया	मिलियन अमरीकी डालर
1991-92	44041.81	17865.41
1992-93	53688.25	18537.10
1993-94 (अप्रैल जनवरी)	55824.65	17798.79

(ख) और (ग) जी, हां। लघु उद्योगों से किए गए निर्यात का विवरण निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93	(अप्रैल जनवरी) 1993-94
1	2	3	4
कुल निर्यात	44041.81	53688.36	55824.65
लघु उद्योग सेक्टर से निर्यात	13883.40	17784.82	लागू नहीं
लघु उद्योग सेक्टर का प्रतिशत हिस्सा	31.52%	33.13%	लागू नहीं
लघु उद्योग सेक्टर से परम्परागत उत्पादों का निर्यात	600.73	732.15	लागू नहीं
लघु उद्योग सेक्टर से गैर परम्परागत उत्पादों का निर्यात	13282.67	17052.67	लागू नहीं

1	2	3	4
गैर परम्परागत उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा	95.67%	95.88%	लागू नहीं

(घ) और (ङ) सरकार का इरादा है कि लघु क्षेत्र की इकाइयों को उनके निर्यात के हिसाब से सुविधाएं प्रदान की जाएं। निर्यात घराना/व्यापार घराना/चोटी का व्यापार घराना दर्जा दिए जाने के लिए लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के वास्तविक निर्यात को दोगुना महत्व दिया जाता है। निर्यात संवर्धन एक सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा नीतियों और क्रियाविधियों व्यापार एवं उद्योग के आधार से तैयार की जाती हैं।

श्रम कानून

2639. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन लाने और नए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परिवर्तनों का संबंध कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 से है;

(ग) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों का संबंध कृषि एवं निर्माण में लगे कर्मकारों के कल्याण से भी है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (घ) सामाजिक सुरक्षा कानून, जिनके सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, वे इस प्रकार हैं : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, उपदान संदाय अधिनियम, 1973 और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923

(ग) और (घ) कृषि और भवन-निर्माण कर्मकारों के कल्याण से सम्बन्धित कानूनों के ब्यौरों की जांच की जा रही है।

हथकरघा क्षेत्र

2640. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1994 को राज्यों के हथकरघा निदेशकों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो किन किन राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को कार्यान्वित किया है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को कार्यान्वित करने, विशेष रूप से हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने में अपनी शर्तें रखी हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में विभिन्न हथकरघा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 1992-93 के दौरान जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	कार्यान्वयन राज्य
1	2	3
1.	निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जन मनी योजना	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
2.	प्रोजेक्ट पैकेज योजना	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
3.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मनिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पिश्चमी बंगाल।
4.	थ्रिफ्ट फंड् योजना	बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

1	2.	3
5.	समूह बीमा योजना	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
6.	स्वास्थ्य पैकेज योजना	असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
7.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश।
8.	विपणन विकास सहायता योजना	आंध प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।
9.	जनता कपड़ा योजना	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

[हिन्दी]

लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास

2641. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लक्षद्वीप समूह को पर्यटन केन्द्र के रूप मे विकसित करने के लिए इसे ठेके पर देने हेतु विश्व भर से निविदाएं आमंत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार द्वीप समूह में आधुनकि विमानपत्तन का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) लक्षद्वीप में बंगाराम द्वीप को सितम्बर, 1988 में पट्टे पर दिया जा चुका है और उसे पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने लक्षद्वीप में थिन्नकारा और चेरियम में द्वीप/समुद्र-तट विहार स्थलों के

विकास और संचालन के लिए जनवरी, 1992 में प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। सरकार ने सभी प्रस्तावों को अनुपयुक्त मानकर रद्द कर दिया तथा नए प्रस्तावों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। शर्तें तैयार करने, प्रस्तवों का मूल्यांकन करने, तथा सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। इस समिति ने नए प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिन पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी वित्तीय संस्थाएं

2642. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं को कई सुविधाएं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सुविधाएं भारतीय वित्तीय संस्थाओं को नहीं दी गई हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) सरकार द्वारा सितम्बर, 1992 में घोषित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, "सेबी" के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को इस शर्त पर शेयर बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है कि किसी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा एक ही समूह के विदेशी संस्थागत निवेशकों की अलग अलग धारिता 5 प्रतिशत से अधिक न हो और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की सामूहिक धारित कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक न हो। शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों/वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश मात्रा संबंधी किसी उच्चतम सीमा की शर्त के अधीन नही हैं।

सोना और चांदी की तस्करी

2643. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :
श्री प्रेम चन्द्र राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 92 और 1992-93 के दौरान कितना तथा कितने मूल्य का तस्करी किया हुआ सोना और चांदी जब्त किया गया;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) सरकार ने सोना और चांदी की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1991 92

और 1992-93 के दौरान पकड़े गए तस्करी किए गए सोने और चांदी की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :

मद	1991-92		1992-93	
	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये में)	(मात्रा किलोग्राम मूल्य में)	(लाख रुपयों में)
सोना	4665.4	18856	2339.3	9575
चांदी	199710.0	14774	141340	9859

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सोने और चांदी की तस्करी को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में तस्करी-रोधी कार्यालयों को, तस्करी को रोकने के लिए उन्हें बेहतर साधन मुहैया कराकर, सशक्त बनाना तथा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच और अधिक ताल-मेल बनाना और उचित सीमा शुल्क की अदायगी करने पर कुछेक शर्तों के अन्तर्गत असबाब के रूप में सोने और चांदी का आयात करना शामिल है।

आयात शुल्क रियायतें

2644. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आयात शुल्क रियायतों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी तन्त्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो समय-समय पर दी जा रही आयात शुल्क रियायतों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) उन मामलों में जहां किसी, माल अथवा माल की श्रेणी के संबंध में किसी शर्त के बिना, जो भी हो, उसी रूप में आयात शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जाती है, तो ऐसे सभी माल अथवा माल की श्रेणी पर सामान्य प्रभावी दर के रूप में ऐसी रियायती दर लागू होती है। नीतिगत मामले के रूप में ऐसी रियायती दरें निधारित की जाती हैं और किसी अकेले आयातक द्वारा इनका दुरुपयोग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, उन मामलों में जहां खास अत्यंत उपयोगों के लिए रियाततीं दरें निर्धारित की जाती हैं; निर्धारणकर्ता अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त माल अभिप्रेत प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए, आयातकों से उन मामलों में उपयोग के बारे में वचनपत्र देने या बांड प्रस्तुत करने अथवा दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की गई है, जहां कहीं संगत छूट अधिसूचना में ऐसी शर्त निर्धारित की गई हो। विभाग द्वारा पता लगाए गए रियायतों के दुरुपयोग के मामले में, विधिक कानूनी उपबन्धों के तहत कानूनी कार्यवाहियां की जाती हैं।

बैंकों में घपला

2645. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बैंकों में कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों को घपलों/भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विगत दो माह का ब्यौरा दें; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में अनिवेश

2646. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगराजन समिति ने सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों में शत प्रतिशत अनिवेश करने और कुछ अन्य इकाइयों में मुख्य शेष माल की बिक्री करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत शामिल ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1993-94 के अनिवेश से कितनी राशि जुटाने का प्रस्ताव है और वस्तुतः अब तक कितनी राशि जुटायी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश संबंधी रंगराजन समिति की रिपोर्ट सरकार को 20 अप्रैल, 1993 को प्राप्त हुई थी। समिति की सिफारिशें विनिवेश नीति के अनेक पहलुओं से संबंधित हैं जिनमें विनिवेशित की जाने वाली इक्विटी की सीमाएं, शेयरों के मूल्य निर्धारण हेतु मापदंड, विनिवेश हेतु प्रारंभिक उपाय और कार्यप्रणाली शामिल हैं। सरकार समिति की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

दान पर कर छूट

2647. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री उदय सिंह राव गायकवाड :
श्री प्रेमचन्द्र राम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ अनुदेश जारी किये हैं कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यायों/संस्थाओं को दिए गए दान पर शत-प्रतिशत कर छूट दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव है कि लोकोपकारकों द्वारा दिए गए इस प्रकार के दान को संबंधित संस्थाओं/विश्वविद्यालय के रिकार्डों में दर्ज कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के दान से उच्च शिक्षा के निजीकरण होने की संभावना नहीं है; क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। इस संबंध में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के शैक्षणिक संस्थानों को दिए गए दानों पर 100 प्रतिशत की छूट की अनुमति देने के आयकर अधिनियम में 1 4 1994 से एक प्रावधान किया गया है।

(ख) अभी तक 152 विश्वविद्यालयों, 31 डीम्ड (समझे गए) विश्वविद्यालयों, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राज्य विधि अधिनियम के अधीन स्थापित 3 संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के 29 दूसरे संस्थानों को इस संबंध में अनुमोदन दिया गया है।

(ग) अनुमोदन आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि इस संबंध में विश्वविद्यालयों/दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त दोनों के लिए अलग खाते रखने होंगे, और उनकी प्रतिलिपियां लेखाकरण वर्ष की अंतिम तारीख के बाद आने वाले दिसम्बर, माह की 31 तारीख तक निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद राज्य विधानमण्डल के एक अधिनियम के अंतर्गत की जाती है अतः उनके निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दूसरे संस्थानों के मामले में भी ऐसी आशंका का कोई आधार नहीं है।

हथकरघा विकास केन्द्र

2648. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1993 94 के दौरान उड़ीसा में हथकरघा विकास केन्द्रों और "क्वालिटी ड्राइंग यूनिटों" की स्थापना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : हथकरघा विकास केन्द्रों/उत्कर्ष

रंगाई ईकाइयों की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1993-94 के दौरान 150 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

पर्यटन विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए समिति

2649. **श्री रवि राय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए किसी कोर समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों में कुछ चुनिंदा स्मारकों को नवीकरण का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उसके प्रति केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) पर्यटन के लिए एकीकृत प्रयास कार्यक्रम लागू करने में समन्वय स्थापित करने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति, महत्वपूर्ण स्मारकों के नीवकरण, जिन स्थलों पर स्मारक स्थित हैं, उनका सौन्दर्यीकरण तथा भू-दृश्यांकन, जन सुविधाओं और पेयजल की व्यवस्था, स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों का सुधार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं जैसे क्षेत्रों की जांच करेगी।

14 विश्व दाय स्मारक जिनमें गोआ के चर्च तथा 29 अन्य महत्वपूर्ण परिरक्षित स्मारक शामिल हैं, रख रखाव और नवीकरण के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षित स्मारक

1	2	3
1.	चार मीनार	आन्ध्र प्रदेश
2.	गोलकुण्डा दुर्ग	आन्ध्र प्रदेश
3.	शिवसागर मन्दिर	असम
4.	नालन्दा-राजगीर स्मारक	बिहार
5.	सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा	बिहार
6.	विक्रमशिला प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय	बिहार

1	2	3
7.	अहमदाबाद	गुजरात के पास मडेरा सूर्य मन्दिर
8.	अहमदाबाद में स्मारक	
9.	बेलूर और हेलीबिड	कर्नाटक
10.	श्री रंगापट्टनम दुर्ग	कर्नाटक
11.	गोल गुम्बज	कर्नाटक
12.	मटन चेरी पेलेस, कोचीन	केवल
13.	स्मारकों का समूह मांडू	मध्य प्रदेश
14.	ग्वालियर	दुर्ग
15.	कन्हेरी गुफाएं	महाराष्ट्र
16.	रायगढ़ दुर्ग, पुणे महाराष्ट्र के पास	
17.	उदयगिरी खण्डागिरि गुफाएं	उड़ीसा
18.	चित्तोड़गढ़ दुर्ग	राजस्थान
19.	कुम्भल गढ़ दुर्ग	राजस्थान
20.	रणथम्भौर दुर्ग	राजस्थान
21.	जैसलमेर राजस्थान में दुर्ग	
22.	सिकन्दरा	उत्तर प्रदेश
23.	एतमाद उदू-दौला, आगरा	उत्तर प्रदेश
24.	बाड़ा इमामबाड़ा	लखनऊ
25.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल में हजर तुआरी पैलेस
26.	लाल किला	दिल्ली
27.	कुतुबमीनार	दिल्ली
28.	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली
29.	नकोदार (पंजाब जालन्धर) में मोहम्मद मोमिन और हाजी जमाल के मकबरे	

विश्व दाय स्मारक

1.	अजन्ता की गुफाएं	महाराष्ट्र

1	2	3
2.	एलोरा की गुफांए	महाराष्ट्र
3.	एलीफेन्टा गुफाएं	महाराष्ट्र
4.	आगरा किला	उत्तर प्रदेश एतमाद-उद-दौला
5.	ताजमहल	उत्तर प्रदेश
6.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
7.	कोणार्क सूर्य मन्दिर	उड़ीसा
8.	महाबलीपुरम स्मारक समूह	तमिलनाडु
9.	थन्जावुर में वृहदीश्वर मन्दिर	तमिलनाडु
*10.	गोआ के चर्च और कान्वेंट्स	गोआ
11.	खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
12.	सांची के स्तूप	
13.	हम्पी स्मारक समूह	कर्नाटक
14.	पट्टादकल कर्नाटक के स्मारक समूह	
*1.	चर्च से कैथेड्रल	
2.	सेन्ट अशीशी चर्च	
3.	बेसिलिका ऑफ बाम जीसस	
4.	सेंट कजेटान	
5.	सेंट अगस्टीन चर्च	
6.	लेडी रोजरी चर्च	
7.	सेंट कैथरिन चर्च	

मसालों पर निर्यात उपकर समाप्त करने की मांग

2650. **श्री बी.एस. विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मसाला निर्यातकों ने केन्द्रीय सरकार से मसालों पर लगाने वाला निर्यात उपकर समाप्त करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उपकर वसूली की संकल्पना मसाला बोर्ड जैसे विभिन्न संगठनों के क्रियाकलापों के लिए धन की व्यवस्था करने की दृष्टि से शुरू की गई थी। सरकार का विचार है कि उपकर को समाप्त किया जा सकता है बशर्ते कि, सम्बंधित संगठन आत्मनिर्भर बनने के लिए अपेक्षित निधियां सृजित करने में सक्षम हों और उन्हें वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। सम्बंधित संगठनों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने वित्तीय कार्यक्रमों को नया रूप देने में समय लगेगा।

ब्याज दरों में संशोधन

2651. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री एस.बी. धोरात :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण तथा जमा दरों में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्याज दरों में की गई हाल की कमी का विभिन्न रूप बचत योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या ब्याज दर में कमी किए जाने के फलस्वरूप निगमित क्षेत्र को बैंकों से पर्याप्त ऋण मिल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निगमित क्षेत्र की बढ़ती हुई ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर ढांचे का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था और इसके उप क्षेत्रों की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर, मौद्रिक प्रसार की गति, बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत, बैंकों की लाभप्रदता आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ब्याज दर ढांचे में संशोधन करता है। किसी क्षेत्र में और विशेष रूप से किसी वर्ष विशेष में बैंक जमाराशियों, छोटी बचतों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रिमों की वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर, बचत के दूसरे माध्यमों के लिए तदनुरूपी आकर्षता आदि सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। ब्याज दर में कमी करने से कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा बैंकों से और अधिक ऋण प्राप्त करने की सम्भावना है।

चीन के साथ संयुक्त उद्यम

2652. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। भारत तथा चीन की सरकारों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उज्बेकिस्तान में भाण्डागारों की स्थापना

2653. **श्री शरत पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजबेकिस्तान ने सी.आई.एस. देशों में अच्छी किस्म के भारतीय उत्पादों की बिक्री हेतु भाण्डागारों की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वापक औषधों की तस्करी

2654. **श्री राजबीर सिंह** :
श्री रामपूजन पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान पडौसी देशों से भारत में लाते समय जब्त किए गए स्वापक औषधों की मात्रा कितनी है ?

(ख) भारत में लाते समय जब्त किए गए स्वापक औषधों की अधिकतर मात्रा किस देश से लाई गई थी और इसका अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1993 के दौरान पड़ौसी

देशों से भारत में लाते समय जब्त की गई स्वापकों की मात्रा के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार जानकारी निम्न प्रकार है :

जब्त किए गए स्वापकों का नाम	भारत-पाक सीमा	भारत-म्यांमार सीमा	भारत नेपाल सीमा
हेरोइन	107.(XX)	11.(XX)	0.6(X)
हशीश	944.(XX)		331.(XX)
अफीम	12.(XX)		
गांजा		147.(XX)	4877.(XX)

(ख) पाकिस्तान से संदिग्ध मूल की अधिकतम मात्रा में स्वापक सामग्री जब्त की गई। स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन जो प्रायः अनिर्धारित रसायन मात्रा और मिश्रण का होता है तथा नष्ट किए जाने योग्य होता है, संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 1993 में उपर्युक्त मामलों में सूचना है कि 49 व्यक्तियों को अवैध व्यापार के लिए गिरफ्तार किया गया था।

[अनुवाद]

कॉफी का मूल्य

2655. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कॉफी के मूल्य में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी के लिए कोई सार्थक मूल्य नहीं है और उपजकर्ताओं द्वारा प्राप्त कीमत घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती है।

बेरोजगारी में वृद्धि

2656. **प्रो. मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों से रोजगार के अवसरों में कमी आयेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी पांच वर्षों में बेरोजगारी में वृद्धि की दर का कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) बेरोजगारी की वृद्धि की समस्या का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) आठवीं योजना दस्तावेजों के अनुसार चलाए जा रहे संरचनात्मक सुधार योजनाओं से शुरू के एक या दो वर्षों के दौरान रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट हो सकती है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का, जो योजना अवधि के दौरान लगभग 43 मिलियन होगा, सृजन करने की परिकल्पना की गई है। नवीं योजना अवधि के माध्यम से रोजगार वृद्धि की आठवीं योजना की रणनीति को जारी रखे जाने से वर्ष 2002 तक बेरोजगारी नगण्य स्तर तक पहुंच जाएंगी।

आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुर्नसंरचना आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्रम मांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा नैट प्रदान करने के लिए सरकार ने श्रमिकों को प्रशिक्षण, पुर्नप्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तथा संगठित और संगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं की निधि उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है। सलाह प्रदान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पुनर्नियोजन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है और बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता और इन्दौर में पांच कर्मचारी सहायता केन्द्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। सम्भावित विपणन योग्य कौशल, रोजगार सलाह, पुर्नप्रशिक्षण स्व-रोजगार और पुर्नियोजन/नियुक्ति के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए श्रम बाजार सर्वेक्षण सहित इन केन्द्रों के अन्तर्गत मोटे तौर पर अनेक क्रिया कलाप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन श्रमिकों के लिए, जिन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली है, श्रम मंत्रालय के अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत एक विशेष प्रशिक्षण योजना को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।

[हिन्दी]

बिहार में क्षेत्रीय बैंकों में बकाया राशि

2657. **श्री प्रेमचंद राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991, दिसम्बर, 1992 और दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार बिहार के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्न आय वर्ग के लोगों के ऊपर ऋण की कितनी बकाया राशि है; और

(ख) इन व्यक्तियों से बकाया ऋण राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बकाया ऋणों की रकम मार्च 1991 मार्च 1992 और मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध के अन्त में क्रमशः 380.53 करोड़ रुपये, 448.75 करोड़ रुपये और 497.55 करोड़ रुपये थी)

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है :

(1) गैर सार्वजनिक कारोबार कार्य दिवसों का अन्य बातों के साथ–साथ विशेष रूप से जिन उधारकर्ताओं से वापसी भुगतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं उन उधारकर्ताओं के पास जाकर, उपयोग किया जाए।

(2) सभी अतिदेय अग्रिमों की समीक्षा की जाए और निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम के पास दावे प्रस्तुत किए जाएं और जहां वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए तलवार समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त वसूली अधिनियम पारित कर दिए गए हैं, ऐसे मामलों में साथ ही साथ वसूली मामले दर्ज किए जाएं।

(3) जानबूझकर भुगतान में देरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही।

(4) जहां कहीं लोक अदालत स्थापित की गई है, उनकी सहायता ली जानी चाहिए।

(5) सरकार द्वारा आयोजित स्कीमों के अंतर्गत सभी ऋण खातों की वूसली की स्थिति की खंड स्तर पर वैकर समितियों जिला समन्वय समिति आदि फोरमों द्वारा नियमित समीक्षा की जानी चाहिए और वसूली अभियान में राज्य सरकारों की सहायता लेना।

(6) ऋण देने की गुणवत्ता में सुधार के हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका उचित उपभोग हो और अग्रिम देयों के दुरुपयोग की स्थिति में शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

पटसन का निर्यात

2658. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 के दौरान पटसन के निर्यात में डालर के हिसाब से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पटसन का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 की अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पटसन उत्पादों (अनुमानित) के निर्यात, डालरों में निम्न प्रकार थे :

अप्रैल-दिसम्बर	
1992-93	83.96 मिलियन अमरीकी डालर
1993-94	87.68 मिलियन अमरीकी डालर

(ग) सरकार ने पटसन और पटसन सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, केता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, बाजार अध्ययन शुरू करना, वाणिज्यिक आसूचना का प्रसार करना, प्रचार अभियान चलाना, उपभोक्ता की अभिरुचियों के अनुसार नई श्रृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए वित्त पोषण करना, निर्यात दायित्व के साथ पटसन बोरों की सप्लाई के लिए डी.जी.एस. एण्ड डी. के आर्डरों को संबद्ध करना, बाह्य बाजार सहायता योजनाएं, विश्वव्यापी निविदाओं में हानि अंशदायी योजना आदि शामिल हैं।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

2659. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों में भर्तियों के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंको के लिए कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड/स्केल 1, विशेषज्ञ अधिकारियों तथा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की सीधी भर्ती, 15 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों तथा एक केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, के माध्यम से की जा रही हैं। वित्तीय प्रणालियों पर नरसिंहम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि (क) अधिकारियों के लिए एक समान भर्ती प्रणाली की बजाय, प्रत्येक बैंक अपनी भर्ती करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, (ख) जहां तक लिपिकीय संवर्ग का संबंध है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाने वाली वर्तमान प्रणाली बनी रहनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री डी.आर. मेहता की अध्यक्षता में बनी एक समिति, सरकारी क्षेत्र की बैंकों में वर्तमान भर्ती पद्धतियों और तरीकों की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

असम में आय का उत्पादन और नीलामी

2660. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में चाय का वर्षवार कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र के माध्यम से कितनी जगह में चाय की नीलामी की गई;

(ग) क्या शेष चाय को भी बेच दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आय में चाय उत्पादन और गुवाहाटी नीलामी केन्द्र की मार्फत बेची गई आय मूल की चाय की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन किलो ग्राम)	नीलामी मात्रा (मि॰ कि॰ग्रा॰)
1991	396.60	136.68
1992	387.81 (अनुमानित)	147.33
1993	402.95	149.14

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शेष बची मात्रा की बिक्री कलकत्ता तथा सिलीगुड़ी नीलामी केन्द्रों और निपटान के अन्य माध्यमों द्वारा की गई है। इन अन्य माध्यमों में बागान से सीधे ही निर्यात और घरेलू निर्यात भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

एयर टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान

2661. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** एयर टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा सीमा शुल्क के अपवंचन के बारे में 10 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1416 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) संबंधित प्राधिकरणों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए उन्हें याद दिलाया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटन कार्यालय

2662. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने विदेशी पर्यटन कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) किन-किन स्थानों पर ये कार्यालय खोले गए;

(ग) क्या इन कार्यालयों के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 18 कार्यालयों की सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) पर्यटक कार्यालयों के कार्यकलापों का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाता है ताकि उनकी कार्यकुशलता तथा कारगरता सुनिश्चित की जा सके।

लोक सभा में दिनांक 11-3-94 को पूछे जाने वाले लिखित प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की सूची

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	देश का नाम	पर्यटक कार्यालयों की अब स्थिति
1	2	3	4
1.	अमरीका	1. यू.एस.ए.	न्यूयार्क
			लॉस एंजल्स
		2. कनाडा	टोरांटो
2.	यू. के.	1. यू. के.	लंदन
3.	यूरोप	1. स्विटजरलैण्ड	जिनेवा
		2. फ्रांस	पैरिस
		3. जर्मनी	फ्रैन्कफर्ट
		4. स्वीडन	स्टोकहॉम
		5. स्पेन	मैड्रिक
		6. इटली	मिलान
		7. नीदरलैण्ड्स	एमस्टरडम
4.	आस्ट्रेलेशिया	1. आस्ट्रेलिया	सिडनी

1	2	3	4
		2. सिंगापुर	सिंगापुर
		3. मलेशिया	बुआलालम्पुर
5.	पूर्वी एशिया	1. जापान	टोक्यो
		2. थाईलैण्ड	बैकांक
6.	पश्चिमी एशिया	1. यू.ए.ई.	दुबई
			बहरीन

पूंजी बाजार में विदेशी दलाल

2663. **श्री शैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ने भारतीय स्टाक एक्सचेंजों में विदेशी दलालों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी दलालों के नाम क्या हैं जिनका सेबी और/अथवा किसी स्टाक एक्सचेंज में पंजीकरण किया गया है;

(ग) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय स्टाकों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) क्या विदेशी दलालों के कार्य करने के परिणामस्वरूप स्टाकों के बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) भारतीय स्टाक एक्सचेंजों में विदेशी दलालों के द्वारा अथवा उनके माध्यम से 31 दिसम्बर, 1993 तक कितना अनुमानित निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) विदेशी बोकरों के अभिरक्षकों द्वारा "सेबी" के पास दर्ज की गई मासिक रिपोर्टों के अनुसार, 31-12-1993 तक उनके द्वारा कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं किया गया है।

विवरण

28-2-94 तक सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के नाम

1. आगा खां फण्ड फॉर इकोनोमिक डेवलपमेंट, स्विटजरलैंड

2. बी.जेड.डब्ल्यू. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लि., यू.के.
3. रोबर्ट फ्लेमिंग नोमिनीज लि. यू.के.
4. फ्लेजलिंग नोमिनीज इन्टर नेशनल लि., यू.के.
5. जी.टी. मैनेजमेन्ट (एशिया) लि., हांगकांग
6. लायड जार्ज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बरमूडा
7. मॉटगुमरी एस्सेट्स मैनेजमेंट एल.पी. ग्रुप ट्रस्ट, यू.एस.ए.
8. मॉटगुमरी एमर्जिंग कार्किट्स फण्ड एल.पी. ग्रुप ट्रस्ट, यू.एस.ए.
9. स्काटिश इक्विटेबल इन्टर नेशनल ट्रस्ट, यू.के.
10. स्काटिश इक्विटेबल फार ईस्ट परमार्मेन्स ट्रस्ट यू.के.
11. सन लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी पी. एल.सी.यू.के.
12. जेनीसिस इन्वेस्टमेन्ट मैंनेजमेंट लि.यू.के.
13. स्टिीकार्प इन्वेस्टमेन्ट बैंक (सिंगापुर) लि., सिंगापुर
14. पायनीयरिंग मैनेजमेंट कार्पोरेशन, यू.एस.ए.
15. हिल सैमुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लि., यू.के.
16. ओन्टारियों म्यूनिसिपल एम्प्लाईज रिटायरमेन्ट बोर्ड, कनाडा
17. दि नार्थन ट्रस्ट कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक के स्टाफ सेवा निवृत्ति योजना यू.एस.ए. के अभिरक्षक के रूप में
18. मुरे जॉनस्टोन लि., यू.के.
19. एशियन फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन लि., सिंगापुर
20. मार्गन ग्रेनफेल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेन्ट (एशिया) प्रा.लि., सिंगापुर
21. मार्गन स्टैनले एसेट मैनेजमेन्ट इन्क., यू.एस.ए.
22. एमर्जिंग मार्किट्स ग्रोथ फण्ड इन्क., यू.एस.ए.
23. अलाइड डनबर एश्योरेन्स, पी.एल.सी., यू.के.
24. सन लाइफ फार ईस्ट ग्रोथ पोर्टफोलियो, यू.के.

25. बेरिंग इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट लि., यू.के.

26. बेरिंग इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट लि., हांगकांग

27. मार्टिन करी इन्वेस्टमेन्ट मैनेजमेंट लि., यू.के.

28. एडिनबर्ग इन्टरनेशनल फण्ड, यू.के.

29. एडिनबर्ग इन्टरनेशनल इन्कम ट्रस्ट, यू.के.

30. एडिनबर्ग पैसिफिक फण्ड, यू.के.

31. सन लाइफ मैनेन्ड ग्रोथ ट्रस्ट, यू.के.

32. वैन एक एसोसिटट्स कार्पोरेशन, यू.एस.ए.

33. मेरिल लींच डेवलपिंग कैपिटल मार्किट्स फण्ड, यू.एस.ए.

34. केडिट ल्योनेज पैलिफिक ग्रोथ फण्ड, हांगकांग

35. मार्टिन करी इन्क., यू.एस.ए.

36. चेज मेनहटन ट्रस्टीज लि., गोवेट इन्टरनेशनल ग्रोथ फण्ड, यू.के. के ट्रस्टी के रूप में,

37. चेज मैनहटल ट्रस्टी लि., गोवेट पैसिफिक स्ट्रेटजी फण्ड, यू.के. के ट्रस्टी के रूप में

38. चेज मैनहटन ट्रस्टी लि., गोवेट पैसिफिक इन्कम फण्ड, यू.के. के ट्रस्टी के रूप में

39. कैपिटल इन्टरनेशन एमर्जिंग मार्किटस फण्ड, लक्जमबर्ग

40. पिक्टेट अम्ब्रेला ट्रस्ट एमर्जिंग मार्किट्स फण्ड, लक्जमबर्ग

41. केडिट ल्थोनेज एशियन स्पेशल सिचुराशन्स फण्ड, हांगकांग

42. एकाटिश विडोज साउथ ईस्ट एशिया ट्रस्ट, यू.के.

43. स्कोटिश विडोज ग्लोबल ट्रस्ट, यू.के.

44. द स्टेन्डर्ड लाइफ एस्यरेन्स कम्पनी, स्काटलैंड

45. वार्डले इन्वेस्टमेंट सर्विसेज (हांगकांग) लि., हांगकांग

46. चेस मनहान्तन बैंक (आयरलैंड) पी.एल.सी., जी.टी. एशिया फण्ड, आयरलैंड के ट्रस्टी के रूप में

47. चेस मनहात्तन बैंक (आयरलैंड) पी.एल.सी., .जी.टी. एमरजिंग मार्किट फण्ड आयरलैंड के ट्रस्टी के रूप में

48. चेस मनहात्तन बैंक (आयरलैंड) पी.एल.सी.जी.टी. एशियन स्माल कम्पनी फण्ड, आयरलैंड के ट्रस्टी के रूप में

49. चैस मनहात्तन बैंक (आयरलैंड) पी.एल.सी.जी.टी. टेलीकम्यूनिकेशन्स फण्ड, आयरलैंड के ट्रस्टी के रूप में

50. चेस मनहात्तन ट्रस्टी लि., प्रोलिफोर्ज इन्टरनेशनल यूनिट ट्रस्ट, यू.के. के ट्रस्टी के रूप में

51 चेस मनहात्तन ट्रस्टी लि., प्रोलिफिक टेक्नोलाजी यूनिट ट्रस्ट, यू.के. के ट्रस्टी के रूप मे

52. चेस मनहात्तन ट्रस्टी लि., प्रोलिनिक फार ईस्टर्न यूनिट ट्रस्ट, यू.के. के ट्रस्टी के रूप में

53. इमाजिंग मार्केट्स इन्वेस्टमेंट फण्ड लक्समवर्ग

54. एकोर्न इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यू.एस.ए.

55. ग्रोथ इक्विट म्यूचुअल लि., आस्ट्रेलिया

56. सिंगापुर सरकार निवेश निगम प्राईवेट लि., सिंगापुर

57 फारेन एण्ड कोलोनियल इमर्फिंग मार्किट्स लि., यू.के.

58. गार्ट मोर फ्रन्टियर मार्केट्स फण्ड, यू.के.

59. बुचानन पार्टनस लि., यू.के.

60. ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट (एच.के.) लि., हांगकांग

61. बी.ई.ए. इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी पोर्टफोलियो, यू.एस.ए.

62. बी.ई.ए. इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलिओ, यू.एस.ए.

63. क्वान्टम् फण्ड एन.वी. नीदरलैंड्स

64. जौन गोवेट एण्ड क.लि., यू.के.

65. जी.ए.एस. ईस्ट यूनिट ट्रस्ट, यू.के.

66. एडिनबर्ग फंड मैनेजर्स प्ले., यू.के.

67. ग्लोबल डेवलपिंग मार्केट्स फंड, यू.एस.ए.

68. टैम्पलटन डेवलपिंग मॉर्टस ट्रस्ट, यू.एस.ए.

69. टैम्पलटन एमर्जिंग मार्केट्स फंड इन्का, यू.एस.ए.

70. दि रायल बैंक ऑफ प्ले, स्टीवर्ट आइवरी एमर्जिंग मार्केट्स फंड, यू.के. के न्यासी के रूप में

71. कैपिटल इन्टर नेशनल इन्का., यू.एस.ए.

72. टैम्पलटन एमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्ले, यू.के.

73. रॉयल स्काटिश एश्योरेंस प्ले, यू.के.

74. बैंकों सेन्टन्डर न्यूयार्क ब्रांच, यू.एस.ए.

75. शैल पैन्शन ट्रस्ट, यू.एस.ए.

76. ड्यूनेडिन न्यू एशिया ट्रस्ट, यू.के.

77. पैन्शन्स मैनेजमेन्ट (एस.डब्ल्यू.एफ.) लि., यू.के.

78. अबू धाबी इन्वेस्टमेन्ट अथॉरिटी, यू.ए.ई.

79. लाजार्ड इन्वेस्टमेन्ट लि., यू.के.

80. दि एशिया पैसिफिक फंड, इन्का, यू.एस.ए.

81. दि जैगुआर फंड एन.वी. नीदरलैण्ड्स एन्टीलेज

82. पैन्थर पार्टनर्स एल.पी., यू.एस.ए.

83. सिटीकार्य ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी परपैचुअल वर्ल्डाइड रिकवरी फंड, यू.के.

84. सिटीकार्फ ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी परपैचुअल इन्टरनेशनल एमर्जिंग कंपनीज फंड, यू.के.

85. सिटीकार्प ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी गार्टमोर एमर्जिंग मार्केट्स स्ट्रैटेजी, फंड, यू.के.

86. सिटीकार्प ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी परपैचुअल एशियन स्मालर मार्केट्स फंड, यू.के.

87. सिटी कार्प ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी परपैचुअल इन्टरनेशनल ग्रोथ फड, यू.के.

88. सिटीकार्प ट्रस्टी कंपनी लि., ए/सी परपैचुअल फार ईस्टर्न ग्रोथ फंड, यू.के.

89. ड्राएहौस कैपीटल मैनेजमेन्ट इन्का, यू.एस.ए.

90. ट्रैम्पलटन एमर्जिंग मार्केट्स फंड, कनाडा

91. बी.टी., ओस्ट्रेलिया लि. बी.टी. लम्पसम फंड आस्ट्रेलिया के न्यासी के रूप में

92. दि नार्दर्न ट्रस्ट कंपनी, सनडे स्कूल बोर्ड ऑफ दि साउदर्न बैपटिष्ट कन्वेन्शन, यू.एस.ए. के न्यासी के रूप में

93. दि नार्दन कंपनी, सनडे स्कूल बोर्ड आफ दि साउदर्न बैपटिष्ट कन्वेन्शन, यू.एस.ए. के न्यासी के रूप में

94. बैंकर्स ट्रस्ट लाइफ लि., आस्ट्रेलिया

95. स्काटिश इक्वीटेबल (मैनेज्ड) फंड्स लि., यू.के.

96. स्काटिश इक्वीटेबल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, यू.के.

97. क्लेनवर्ट वेन्सन इन्वेस्मेन्ट मैनेजमेन्ट लि., यू.के.

98. टाईगर मैनेजमेन्ट कार्पोरेशन, यू.एस.ए.

99. एलाएस कैपिटल मैनेजमेन्ट एल.पी., यू.एस.ए.

100. मैरिल लाएन्च पैसिफिक फंड, इन्का, इन्का, यू.एस.ए.

101. मैरिल लाएन्च ग्लोबल एलोकेशन फंड, इन्का, यू.एस.ए.

102. मेरिल लाएन्च ड्रैगन फंड, इन्का, यू.एस.ए.

103. दि एमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टर्स फंड, कनाडा

104. मोर्गन ग्रेनफैल ट्रस्ट मैनेजर्स लि. यू.एस.ए.

105. पायनियर 11, यू.एस.ए.

106. पायनियर इन्टरनेशनल ग्रोथ फंड, यू.एस.ए.

107. जनरल मौटर्स एम्प्लायाज ग्लोबल ग्रुप पेंशन ट्रस्ट, यू.एस.ए.

108. न्यूटन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेन्ट लि., यू.के.

109. स्ट्रॉग होटल रिटर्न फंड, इन्का, यू.एस.ए.

110. स्ट्रांग डिस्कवरी फंड, इन्का, यू.एस.ए.

111. स्ट्रांग अपारच्यूनिटी फंड, इन्का, यू.एस.ए.

112. न्यूटन फंड मैनेजर्स लि., यू.के.

113. नोर्विक यूनियन लाइफ इन्श्योरेंस सोसाइटी, यू.के.

114. श्रोडेर कैपिटल मैनेजमेन्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड, यू.के.

115. श्रोडरे कैपिटल मैनेजमेन्ट इन्टरनेशनल इन्का, यू.एस.ए.

116. परमानेन्ट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बी.टी. प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट फड, आस्ट्रेलिया के न्यासी के रूप में

117. परमानेंट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बी.टी. सेलेक्ट मार्केट्स ट्रस्ट इंटरनेशनल फंड, ऑस्ट्रेलिया के न्यासी के रूप में

118. परमानेन्ट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बी.टी. सेलेक्ट मार्केट्स ट्रस्ट पैसिफिक बेसिन फंड, आस्ट्रेलिया के न्यासी के रूप में

119. परमानेन्ट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बी.टी. मैनेज्ड नॉन टैक्स, पेइंग फंड, आस्ट्रेलिया

120. थार्नटन टाइगर फंड लि., बरगुडा

121. थार्नटन लिटल ड्रेगन्स फंड लि., बरगुडा

122. नोर्विक यूनियन लाइफ आस्ट्रेलिया लिमिटेड, आस्ट्रेलिया

123. ट्रांस अरेबिया इन्वेस्टमेंट बैंक ई.सी. बहरीन

124. अलास्का परमानेंट फंड कार्पोरेशन, यू.एस.ए.

125. चेस्कोर लिमिटेड, यू.के.

126. फिडेलिटी फंड्स एमर्जिंग मार्केट्स, लक्जमबर्ग

127. फिडेलिटी वर्ल्ड फंड, लक्जमबर्ग

128. फिडेलिटी ओरियन्ट फन्ड, लम्जमबर्ग

129. फिडेलिटी ग्लोबल इन्डस्ट्रीज फंड, लक्जमबर्ग

130. फिडेलिटी फार ईस्ट फंड, लक्जमबर्ग

131. स्ट्रांग कॉमन स्टॉक फंड, इन्का, यू.एस.ए.

132. अमास यू.के. लि., यू.के.

133. पैन्थर मैनेजमैन्ट एल.पी., यू.एस.ए.

134. परपैचुअल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बी.टी. स्प्लिट ग्रोथ फंड, ऑस्ट्रेलिया के न्यासी क़े रूप में

135. लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन (इंटरनेशनल) ई.सी. लि., बहरीन

136. स्टिचिंग शैल पेन्शन फंड्स, दि नीदरलैंण्डस

137. एडवान्टेज एडवाइजर्स, इन्का, यू.एस.ए.

138. हैरीटेज एसेट मैनेजमेन्ट इन्का, यू.एस.ए.

139. फिडेलिटी बैरीएबल इन्श्योरेंस प्रोडक्ट्स फंड ए/सी इक्विटी इन्कम फोर्टफोलिया, यू.एस.ए.

140. फिडेलिटी बेरीएबल इन्श्योरेंस प्रोडेक्ट्स फंड ए/सी ओवरसीज पोर्ट फोलियो, यू.एस.ए.

141. फिडेलिटी इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट ए/सी फिडेलिटी न्यू मार्केट्स इन्कम फंड, यू.एस.ए.

142. फिडेलिटी इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट ए/सी फिडोलिटी एमर्जिंग मार्केट्स फंड, यू.एस.ए.

143. फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ए/सी फिडेलिटी जापान फंड, यू.एस.ए.

144. फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ए/सी फिडेलिटी डइवरसीफाइड इन्टरनेशनल फंड, यू.एस.ए.

145. वारबर्ग फिन्कुस काउन्सलर्स इन्का, यू.एस.ए.

पाइप लाइन संबंधी परियोनाओं को यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता [२]

2664. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने पाइप लाइन संबंधी कुछ विकास परियोजनाओं के लिए सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितनी धनराशि की होगी तथा उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; जिन पर इसे खर्च किया जाएगा; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इस सहायता को प्रदान करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) यूरोपीय समुदाय ने वर्ष 1993-94 में भारत को लगभग 168 मिलियन ई.सी.यू. की विकास सहायता देने का संकेत दिया है। उपर्युक्त में से 150 मिलियन ई.सी.यू. के एक वित्तपोषण करार पर यूरोपीय समुदाय और भारत के बीच प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता क्षेत्र कार्यक्रम के

संबंध में हस्ताक्षर किए गए। यह सहायता जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी और जिसका लक्ष्य शिक्षा की दृष्टि से पहचान किए गए पिछड़े जिलों की सहायता देना है अन्य कई परियोजनाओं को विकास सहायता देने के लिए विभिन्न चरणों में विचार किए जा रहा है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय परामर्श और आपसी करार के अधीन होगा। सामान्यतया यूरोपीय समुदाय से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होती है।

रूई निर्यात नीति

2665. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई निर्यात संबंधी स्थिर नीति और मौसम के आरम्भ में रूई निर्यात कोटा घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू कपास मौसम के दौरान अनुमानतः कितनी रूई का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) रूई निर्यात के संबंध में स्थिर नीति बनाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार की कपास विषयक निर्यात नीति है जिसके अंतर्गत कपास मौसम के प्रारंभ में कपास की 5 लाख गांठें रिलीज की जाती हैं। उसके बाद की रिलीज कपास की उनकी मांग और पूर्ति की स्थिति, निर्यात योग्य बेशी कपास आदि का मूल्यांकन करने के बाद की जाती है। सरकार ने चालू कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए कपास की 5 लाख गांठों का कोटा पहले से ही रिलीज कर दिया है। इस मात्रा में से 4 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार 1.83 लाख गांठों का निर्यात किया गया है। 9.2.1994 से अस्थाई रूप से निर्यात आस्थगित कर दिए गए हैं।

कारों के लाने ले जाने पर रियायत

2666. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने कारों को एयर बस ए-300 की उड़ानों में सामान्य प्रशुल्क पर प्रमुख महानगरों के बीच लाने ले जाने पर रियायत देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) प्रोत्साहन उपाय के रूप में, इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में निम्नलिखित मार्गों पर, एयरबस ए-300 उड़ानों द्वारा कारों के वहन के लिए सामान्य कार्गो की दर पर 50 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है :-

बंबई/कलकत्ता/बंबई

बंबई/दिल्ली/बंबई

बंबई/मद्रास/बंबई

बंबई/बंगलौर/बंबई

दिल्ली/कलकत्ता/दिल्ली

दिल्ली/हैदराबाद/दिल्ली

दिल्ली/बंगलौर/दिल्ली

मद्रास/हैदराबाद/मद्रास

मद्रास/दिल्ली/मद्रास

कारों के वहन के लिए प्रभावित न्यूनतम भार 1800 कि.ग्रा. है।

केरल में पर्यटन विकास

2667. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण :**
श्री रमेश रचेन्नितला :
श्री टी.जे. अंजलोज :
श्री एम. रमन्ना राय :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु 1993-94 के दौरान केरल सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पर्यटक स्थल के रूप में बेकल किले के विकास संबंधी प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित चार प्रस्ताव वसूल किए हैं :-

क्रम सं.	प्रस्ताव का नाम
1.	कल्लार में पर्यटक गृह
2.	कुरावीलंगद में पर्यटक गृह
3.	चंगनचेरी में पर्यटक बिहार-स्थल
4.	चेरथाला में समुद्र तट बिहार स्थल

इनमें से, दो प्रस्तावों के लिए अब तक 29.13 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) केरल राज्य सरकार ने केवल क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक बेकल पर्यटन प्राधिकरण गठित किया है।

गुजरात में कताई मिलें

2668. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री काशी राम राणा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में और अधिक कताई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार कुछ स्थान संबंधी प्रतिबंधों के अध्यधीन नई कताई मिलों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, केंद्रीय सरकार का गुजरात में केंद्रीय क्षेत्र में किसी भी कताई मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पट्टे पर विमान लेना

2669. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को पट्टे पर विमान लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अब तक कितने विमान पट्टे पर लिए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में ऐसा कोई विमान नहीं है जिसे पट्टे पर लिया गया हो।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

2694. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम उत्तर प्रदेश और गुजरात में उनचास मिलों में से किसी भी मिल में उत्पादन कार्य न किए जाने के बावजूद इन मिलों के 30,000 श्रमिकों को प्रतिमाह वेतन भुगतान में भारी धनराशि खर्च कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों में सक्रिय रूप से उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उत्तर प्रदेश और गुजरात में एन.टी.सी. की उन मिलों में जहां कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, के लगभग 15000 कामगारों को बिना काम के प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ रु. का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) सूती वस्त्र अनुसंधान संघों ने वस्त्र मंत्रालय के अनुदेशों पर एन.टी.सी. का पुनरुद्धार करने के लिए एक नई आधुनिकीकरण योजना बनाई है। ऐसी आशा है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने पर इस योजना के क्रियान्वयन के दो वर्षों के भीतर एन.टी.सी. अर्थक्षमता प्राप्त कर लेगा।

बेरोजगारी

2671. **श्री गुमाल मल लोढा :**
डा. राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री महेश कनोडिया :
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार अलग-अलग पंजीकृत कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं; और

(ख) 1994 के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्राल के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31 दिसंबर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या (नवीनतम उपलब्ध), यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार थे, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 8वीं योजना में परिकल्पित नीति का उद्देश्य वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना में ऐसे सेक्टरों, सब सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिसमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है। भौगोलिक रूप से और फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि ताथ वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेंद्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

विवरण

31-12-1991 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक)	अशिक्षित (मैट्रिक से कम जिनमें निरक्षर सम्मिलित हैं)	योग
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	1950.0	1258.6	3208.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	4.8	5.7
3.	असम	759.2	573.3	1332.5
4.	बिहार	2225.4	1349.4	3574.9
5.	गोवा	74.2	27.7	101.9
6.	गुजरात	631.1	351.2	982.3
7.	हरियाणा	397.8	269.5	667.3
8.	हिमाचल प्रदेश	295.9	168.5	464.4
9.	जम्मू और कश्मीर	44.0	92.5	136.5
10.	कर्नाटक	865.9	590.5	1456.5
11.	केरल	2287.6	1434.9	3722.5
12.	मध्य प्रदेश	1393.0	597.8	1990.9
13.	महाराष्ट्र	2096.8	1062.5	3159.3
14.	मणिपुर	133.7	63.0	196.8
15.	मेघालय	11.0	13.0	24.0
16.	मिजोरम	13.5	23.5	37.0

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	13.8	9.2	23.0
18.	उड़ीसा	503.3	400.4	903.7
19.	पंजाब	467.8	283.6	751.4
20.	राजस्थान	530.6	362.0	842.6
21.	सिक्किम*			
22.	तमिलनाडु	2068.1	1388.0	3456.1
23.	त्रिपुरा	53.5	112.9	166.4
24.	उत्तर प्रदेश	1902.9	865.0	2767.9
25.	पश्चिम बंगाल	2860.4	2213.2	5073.5
	संघ शासित प्रदेश			
26.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	8.6	8.9	17.5
27.	चंडीगढ़	89.5	70.6	160.1
28.	दादर और नगर हवेली	1.2	1.3	2.5
29.	दिल्ली	678.8	212.0	890.9
30.	दमन और द्वीव	1.3	0.8	2.1
31.	लक्षद्वीप	1.7	4.6	6.3
32.	पांडिचेरी	73.5	51.8	125.3
	योग	22434.5	13865.2	36299.7

टिप्पणी : 1. *राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं

संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार

2672. **श्री हाराधन राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित औद्योगिक क्षेत्र में 1 जुलाई, 1991 से कितने श्रमिकों की छंटनी की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में कितने अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजन किया गया, और

(ग) ऐसे छंटनी तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का क्षेत्रीय वितरण क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार संगठित औद्योगिक क्षेत्र में छंटनीग्रस्त कर्मकारों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

1991(अ)	4396
1992(अ)	3836
1993(अ) (जनवरी-नवबंर)	2185

(ख) और (ग) संलग्न विवरण–I और II में क्रमशः दिसम्बर, 1991 और मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ रज्य क्षेत्रवार संगठित क्षेत्र में कुल नियोजन तथा 1991 93 के दौरान जबरी छुट्टी किए गए कर्मकारों की राज्य वार संख्या दर्शायी गयी है।

विवरण-I

दिसंबर 1991 और मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार रज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संगठित क्षेत्र में पूर्ण नियोजन के तत्काल अनुमान

(हजारो में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछली तिमाही के अन्त में पूर्ण नियोजन (दिसम्बर, 1991)	मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार नियोजन
1.	2.	3	4.
1.	आध्र प्रदेश	1769.8	1791.2
2.	असम	1049.4	1093.3
3.	बिहार	1638.4	1662.4

1.	2.	3.	4.
4.	गोवा	98.6	99.5
5.	गुजरात	1672.1	1669.0
6.	हरियाणा	603.3	607.5
7.	हिमाचल प्रदेश	271.4	276.4
8.	जम्मू और कश्मीर	216.1	217.0
9.	कर्नाटक	1478.4	1476.9
10.	केरल	1174.1	1181.1
11.	मध्य प्रदेश	1679.6	1670.7
12.	महाराष्ट्र	3701.5	3735.1
13.	मणिपुर	57.9	57.7
14.	मेघालय	68.8	69.0
15.	मिजोरम	35.8	37.1
16.	नागालैंड	65.3	65.3
17.	उड़ीसा	793.3	815.5
18.	पंजाब	820.1	791.1
19.	राजस्थान	1181.4	1197.4
20.	तमिलनाडु	2267.5	2286.4
21.	त्रिपुरा	97.5	97.5
22.	उत्तर प्रदेश	2456.5	2469.9
23.	पश्चिम बंगाल	2496.4	2469.3
24.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	36.6	36.6
25.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	78.1	78.1

1.	2.	3.	4.
26.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	843.3	851.8
27.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	53.1	53.1
	कुल	26704.3	26855.9

1. उक्त आंकड़ों में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान उनके नियोजन के आकार को ध्यान दिए बिना, तथा 10 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर कृषि प्रतिष्ठान शामिल हैं।

2. सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

स्रोत : रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय।

विवरण-II

कर्मकारों की संख्या जिन्हें 1991-93 के दौरान जबरी छुट्टी दी गयी (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991	1992	1993 (जनवरी नबंवर)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	15553	53878	21702
अरुणाचल प्रदेश			--
असम	114		308
बिहार	630	2275	439
गोवा	237	37	100
गुजरात	5186	2920	953
हरियाणा	2611	676	3587
हिमाचल प्रदेश	31	359	150
जम्मू और कश्मीर			

1	2	3	4
कर्नाटक	1213	789	495
केरल	1424	1708	1909
मध्य प्रदेश	2528	2525	"
महाराष्ट्र	16552	8806	4252
मणिपुर	16552	8806	4252
मेघालय	21	–	1530
मिजोरम	–	"	"
नागालैंड	"	"	"
उड़ीसा	2571	802	1305
पंजाब	1367	348	1477
राजस्थान	1935	5828	663
सिक्किम		–	–
तमिलनाडु	1344	1657	223
त्रिपुरा	250	250	–
उत्तर प्रदेश	10989	12771	4479
पश्चिम बंगाल	967	504	281
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–
चंडीगढ़			"
दादरा और नगर हवेली	–		"
दिल्ली	134		115
दमन और दीव	35		102

1	2	3	4
लक्ष्य द्वीप			
पाण्डिचेरी	5368	11479	11980
योग	71060	107612	56050

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला =शून्य ''=उपलब्ध नहीं।

रेशम का आयात

2673. **श्री वी. कृष्णराव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम का निर्यात करने वाले कुछ देश भारत को केवल घटिया दर्जे का रेशम दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में बढ़िया किस्म के रेशम के आयात के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) निर्यात-आयात नीति की अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत रेशम निर्यातकों को किसी भी निर्यातक देश से निर्यात उत्पादन के लिए अपनी अभिरुचि की अपरिष्कृत रेशम का सीधा आयात करने की सुविधा प्रदान की गई है। जबकि कुछ रेशम निर्यातक देशों द्वारा केवल घटिया ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम की सप्लाई करने के बारे में अग्रिम लाइसेंस धारकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी निर्यात उत्पादन के लिए देश में निम्न ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम का कथित आयात करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकर ने इन अभ्यावेदनों को नोट कर लिया है तथा रेशम निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए रेशम वस्त्र उत्पादनों की गुणवत्ता के स्तरों में सुधार लाने के लिए कोटि का कच्चा माल प्रयुक्त करने की आवश्यकता के प्रति सचेत किया है।

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटन परियोजनाएं

2674. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(घ) इन परियोजनाओं को कहा कहां पर लागू करने का विचार था;

(ङ) पूरी हो चुकी परियोजनाओं और अभी तक लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(च) ऐसी प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(छ) शेष परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गुजरात राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सत्रह परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति दी गई।

(ख) राज्य सरकारों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर दी जाती है। परियोजनाओं को प्रस्तुत करते समय उनकी अवस्थितियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(ग) से (छ) एक विवरण संलग्न है जिसमें गुजरात राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों के नाम और स्वीकृत धनराशि जारी की गई धनराशि तथा वे स्थान, जहां परियोजनाएं स्थित हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत धनराशि	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अहमदपुर मांडवी समुद्र तट पर हवेली कुटीरें	1985-86	21.02	15.00
2.	द्वारका में केफेटेरिया	वही	6.28	5.00
3.	सोमनाथ में केपेटेरिया	वही	5.00	4.50
4.	नरगोले, बुलसर जिला में 25 समुद्र-तट कुटीरों का निर्माण	वही	30.17	25.00
5.	दकोर में यात्री निवास	वही	41.20	35.00
6.	लिम्बडी में मार्गस्थ सुविधाएं	वही	6.46	5.50

1	2	3	4	5
7.	अंकलेश्वर में राजमार्ग सुविधाएं	1986 87	35.84	33.00
8.	ससनगीर के लिए मिनी बसें	वही	13.00	13.00
9.	मेलों और उत्सवों को प्रोत्साहन	वही	6.38	6.38
10.	पाटन में केफेटेरिया	1987 88	4.25	3.50
11.	तिथल में कुटीरें	1999 89	12.62	11.00
12.	पावागढ़ में शयनगृहों का निर्माण	वही	14.76	13.76
13.	पतंग उत्सव, अहमदाबाद	वही	3.50	3.50
14.	सपुतारा पर्वत बिहार स्थल पर 5 "ए" टाइप तथा "बी" टाइप कुटीरों का निर्माण	1989 90	15.00	10.00
15.	राजकोट में मार्गस्थ सुविधाएं	वही	16.50	5.00
16.	पतंग उत्सव	वही	4.25	4.25
17.	राष्ट्रीय युवा मेला	वही	0.10	0.10
	जोड़		237.29	193.49

फर्जी बैंक खाते

2675. **श्री भीम सिंह पटेल :**
श्री राम बदन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से फर्जी खातों के द्वारा करोड़ों रुपये निकाले गए हैं जैसा कि 12 फरवरी, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" नई दिल्ली और हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ए-320 विमानों की बिक्री

2676. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चार ए-320 विमानों को बेचने का निर्णय लिया है, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान एयरलाइंस में शामिल किए जाने की संभावना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो खरीददार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितना घाटा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नही उठते ।

कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात

2677. **श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विचार मुर्गी पालन, समुद्री खाद्य, मत्स्य खाद्य जैसे कृषि एंव कृषि आधारित उत्पादानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने कुक्कट पालन, समुद्री मछली उत्पाद, पशुधन और बागवानी उत्पादन जैसे कृषि पर आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। अन्य कदमों के साथ-साथ कुछ कदम ये हैं :

(1) नाबार्ड ने 1993-94 के दौरान कृषि संसाधन और निर्यातन्मुख परियोजनाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।

(2) सभी राज्यों में शतप्रतिशत निर्यात्तोन्मुख निवेशों के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त दर को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) 1994-95 के दौरान मत्स्यपालन, पुष्पोत्पादन, बायो प्रौद्योगिकी जैसे उच्च तकनीकी निर्यातोन्मुख और कृषि पर आधारित परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त का आबंटन बढ़कर 250 करोड़ रुपए कर दिया है।

(4) निर्यात्तोन्मुख इकाइयां स्थापित करने के लिए नाबार्ड ने टेक्नोक्रेटों और दूसरे उद्यमियों को मार्जिन राशि की सहायता प्रदान की है।

(5) 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों पर 15 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर से ब्याज लिया जाता है।

(6) नाबार्ड ने निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने के लिए कुछ मॉडल योजनायें तैयार कीं और उन्हें परिचालित किया तथा निर्यातोन्मुख परियोजनाओं के संबंध में कई कार्यशालायें आयोजित की हैं।

औद्योगिक एककों का बंद होना

2678. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में बड़ी संख्या में औद्योगिक एकक बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबंधों के अंतर्गत, 1991-93 (जनवरी-नवम्बर) के दौरान बंद किए गए औद्योगिक एककों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। बन्दी के मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयां, बिजली की कमी, उत्पाद के लिए मांग की कमी, मशीनों का खराब हो जाना आदि हैं।

(घ) सरकार ने समुचित पुनर्वास पैकेजों के तहत बंद पड़े औद्योगिक उपक्रमों को पुनरुजीवित करने के लिए अनेक कदम उठाएं है। जिनमें केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और रियायतें एवं राहत प्रदान किया जाना शामिल हैं रुग्ण ओद्योगिक कारखाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के संबंध में औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को रुग्ण इकाइयों के संबंध में उपचारी एवं अन्य उपायों को निर्धारित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जीवनक्षम की सम्भाव्यता वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयेां के संबंध में पुनर्वास पैकेज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की शर्तों के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर बैंकों तथा संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किए जाते हैं। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों

के प्रबंधनों द्वारा पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन की बैंक तथा वित्तीय संस्था आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं तथा जहां कहीं आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

11-3-94 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2678 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

1991 93 के दौरान राज्य वार
बन्दियों की संख्या (अनन्तिम)

	1991(अ)	1992(अ)	1993(अ) (जन. नव.)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9	4	6
अरुणाचल प्रदेश			
असम,	1		
बिहार	2	3	1
गोवा	4	2	2
गुजरात	26	41	38
हरियाणा	5	7	2
हिमाचल प्रदेश	1	2	1
जम्मू और कश्मीर			
कर्नाटक		1	
केरल	2	3	1
मध्य प्रदेश			--
महाराष्ट्र	33	45	52
मणिपुर			
मेघालय			--
मिजोरम			

1	2	3	4
नागालैंड	..	..	..
उड़ीसा	2	10	6
पंजाब	9		1
राजस्थान	10	7	6
सिक्किम			..
तमिलनाडु			1
त्रिपुरा	84	15	35
उत्तर प्रदेश	33	37	13
पश्चिम बंगाल	2	4	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			1
चंडीगढ़	..	..	..
दादरा और नागर हवेली	..		..
दिल्ली	2		
दमण और दीव	..		1
लक्षद्वीप			
पाण्डिचेरी	13	5	15
कुल योग	238	187	181

स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला = शून्य, .. = उपलब्ध नहीं,

काली मिर्च का उत्पादन

2679. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में काली मिर्च का प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ;

(ख) काली मिर्च के तीन शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) भारत से काली मिर्च के प्रमुख आयातक देश कौन-कौन से हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान देश में काली मिर्च का उत्पादन इस प्रकार रहा :-

(हजार मीटरी टन में)

1990-91	47.95
1991-92	52.01
1992-93	54.93

(ख) काली मिर्च उगाने वाले तीन सबसे बड़े राज्य हैं, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु।

(ग) भारत से काली मिर्च का आयात करने वाले मुख्य देश हैं – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस/स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

2680. **श्री राम नाईक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 को सीमेंट, वनस्पति घी, चीनी, चाय, साबुन, दुपहिया वाहनों और आम व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कपड़े इत्यादि जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लागत मूल्य और बाजार मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्पादकों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अनुचित लाभ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनकि वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सीमेंट, बनस्पति घी, चाय साबुन, दुपहिया वाहनों तथा आम व्यक्ति के उपयोग के कपड़े जैसी वस्तुओं को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और इसलिए उनके मूल्य उनकी मांग व आपूर्ति के अनुसार निर्धारित होते हैं। सार्वजनकि वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जा रही लेवी चीनी के मूल्यों का निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। दिसम्बर, 1993 के अंतिम सप्ताह (31-12-1993 के निकटस्थ तारीख 25-12-1993) के दौरान इन वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक
1	2
	(आधार : 1981-82=100)
सीमेंट	204.3

1	2
वनस्पति	239.1
चीनी	211.7
चाय	361.3
कपड़े धोने का साबुन	183.9
स्कूटर	197.1
सूती कपड़ा (मिल का)	222.9

(ख) सरकार आम खपत की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उपलभ्यता की नियमित आधार पर मॉनीटरिंग करती रही है। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक अन्तर-मंत्रालयिक समिति 12 चुनी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उपलभ्यता, कमी आदि यदि कोई हो, की नियमित आधार पर समीक्षा करती है लाइसेंसयुक्त करने की नीति के जरिए विभिन्न उद्योगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण पैदा हुआ है। इससे अनुचित लाभों के न्यूनतम होने तथा इन वस्तुओं के मूल्य उचित सीमाओं के भीतर रहने की आशा है।

इको-लेबल लगाना

2681. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 21 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के इको-लेबलिंग के लिए अधिसूचित मानदंड के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण रूप से अनकूल उत्पादों पर लेबल लगाने संबंधी स्कीम के तहत खाद्य राज्यों पर इको-लेबल लगाने के लिए प्रारूप मापदंड 15 फरवरी, 1993 को अधिसूचित किए गए थे। इन मापदंडों को तकनीकी समिति द्वारा, प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों की जांच करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है मापदंडों को संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाएगा।

चितरंजन रेल इंजन कारखाना

2682. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चितरंजन रेल इंजन कारखाने को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में किसी विदेशी कंपनी को शामिल करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) 25 करोड रुपये।

(ग) लगभग 3 वर्ष

(घ) 3 फेज ड्राइव सहित 6000 अश्व शक्ति के बिजली रेल इंजनों का निर्माण, जिसके लिए मैसर्स ए.बी.बी. को प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए एक ठेका दिया गया है, करने के लिए आधुनिकीकरण शुरू किया जा रहा है इस कंपनी द्वारा सप्लाई की जाने वाली तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम में किसी भी विदेशी कंपनी को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बे

2683. **डा. असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में पूरवा एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बे पुनः शुरू किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) 2303/2304 और 2381/2382 नयी दिल्ली हावड़ा पूर्व एक्सप्रेस में पहला वातानुकूल मिलाजुला सवारी डिब्बा शीघ्र ही लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात में नवोदय विद्यालय

2684. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात के सभी नवोदय विद्यालयों में अध्यापन कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां अब तक अध्यापन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है,

(ग) क्या गुजरात में सभी नवोदय विद्यालयों के भवन बन गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे भवन कब तक बन जाएंगे; और

(ङ) राज्य में ऐसे विद्यालयों के खोले जाने पर अनुमानित कितना व्यय हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री कुमारी

शैलजा) : (क) और (ख) गुजरात में 10 नवोदय विद्यालयों में शिक्षण पहले ही आरंभ कर दिया गया है तथा शेष 2 विद्यालयों में शिक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ।

(ग) से (ङ) 9 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शेष 3 विद्यालयों के लिए, निर्माण कार्यों की संस्वीकृति से पहले भूमि के आबंटन की प्रतीक्षा है। भवनों के निर्माण के लिए कोई समय-ढांचा नियत नहीं किया गया है क्योंकि वह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि के आबंटन, विस्तृत प्लान और अनुमानों को तैयार करने और उनके अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर हैं। गुजरात में विद्यालयों के निर्माण पर अब तक 10 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे

2685. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झेलम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस में अहमदनगर से दिल्ली तक बहुत कम सीटें उपलब्ध होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहमदनगर के लिए प्रत्येक गाड़ी में एक एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा कोटा के उपयोग के विश्लेषण से पता चला है कि वर्तमान यातायात के स्तर को सम्भालने के लिए यह पर्याप्त है।

[अनुवाद]

मुम्बई में विक्टोरिया टर्मिनस

2686. **श्री मोहन रावले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को महाराष्ट्र से भारतीय रेलवे के जनक, नाना शंकर सेठ की स्मृति में मुम्बई में "विक्टोरिया टर्मिनस" का नाम "नाना शंकर सेठ टर्मिनस" रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार रेलवे स्टेशन के मौजूदा नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन गृह मंत्रालय की विधिवत सहमति और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर ही किया जा सकता है। इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उचित दर दुकानें

2687. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को उचित दर दुकानों का आबंटन अल्पसंख्यक तथा पिछड़े समुदायों को करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार , इन समुदायों को कितनी उचित दर दुकानों का आबंटन किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उचित दर दुकानें खोलने, आबंटन के वास्ते पात्रता के मानदंड नियत करने तथा लाइसेंसधारियों का वास्तविक चुनाव करने से संबंधित मामलों के बारे में निर्णय करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें खोलने के लिए, सहकारी संस्थाओं और नागरिक आपूर्ति निगमों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ` राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह भी दी है कि वे उचित दर दुकानों के आबंटन में कुछ प्रतिशत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित करने पर विचार करें। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किए गए उचित दर दुकानों के श्रेणीवार आबंटन के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

2688. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कौन-कौन से देशों ने द्विपक्षीय समझौते/सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये;

(ख) इसी अवधि के दौरान इन समझौतों/कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत ने कौन-कौन से देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, और

(ग) इन देशों में भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रलय शिक्षा विभाग एंव संस्कृतिक विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

माल की ढुलाई

2689. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों और अन्य संगठनों से भाटापार (दक्षिण पूर्व रेलवे के विलासपुर डिवीजन में) से गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिए माल ढुलाई के लिए निकटवर्ती रेलमार्ग और माल भाड़ा निर्धारित करने की मांग की है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और रायपुर के सीमेंट कारखानों के लिए बैगन उलबध नहीं कराये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भोपाल रेलवे स्टेशन

2690. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशनों के विकास की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) 1993-94 के दौरान विकास योजना क्या है और वित्तीय तथा भौतिक रूप में कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(ग) वित्तीय और भौतिक रूप में 1994-95 और 1995-96 के लिए क्या विकास योजनाएं निर्धारित की गई हैं ?

रेल मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) 1993-94 के दौरान 63.30 लाख रुपये की लागत से भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म न. 3 और 4 पर थुलनीय एप्रेन,प्लेटफार्मों पर सीटों की अतिरिक्त व्यवस्था, अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, पिक्टोग्राम तथा प्लेटफार्म सायबानों का विस्तार, प्लेटफार्म सं. 2 पर साफ-सुथरे शौचालयों की व्यवस्था तथा प्लेटफार्म सं. 3 एंव 4 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था में सुधार संबंधी कार्य पूरे कर दिये गये हैं। 9.46 लाख रुपये की लागत से 110 वोल्ट बैटरी चार्ज करने की सुविधाओं की व्यवस्था का काम भी शुरू किया गया है। आगामी वर्षों में भी, यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप विकास संबंधी निर्माण कार्य शुरू किये जाएंगे बशर्ते कि संसाधन उपलबध हों।

हबीबगंज में 770.11 लाख रुपये की लागत से कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास के कार्य शुरू कर दिये गये हैं। इमारत पहले ही पूरी हो गयी है प्लेटफार्मों तथा परिचलन क्षेत्र

का निर्माण राज्य सरकार द्वारा इन निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि से अतिक्रमण न हटाये जाने के कारण लंबित हैं।

[हिन्दी]

पटना से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी चलाना

2691. **श्री ललित उरांव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पटना, समस्तीपुर और रांची से दिल्ली के लिए तेज गति वाली रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) 1994-95 के दौरान पटना के रास्ते नयी दिल्ली और गुवाहाटी के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण समस्तीपुर और रांची से नयी दिल्ली तक अतिरिक्त गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

"ओन योर वैगन्स" योजना की समीक्षा

2692. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "ओन योर वैगन्स" योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन/समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियों और खामियों संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान निजी निवेश जुटाने हेतु आगामी वर्षों में योजना को व्यापक रूप से सफल बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) "अपने माल डिब्बे के स्वयं मालिक बनें" योजना अपेक्षाकृत नई है। यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है और 890 माल डिब्बों के निजी स्वामित्व के लिए आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। संभावित ग्राहकों से प्राप्त सुझावों और अब तक के अनुभव के आधार पर प्रतिबन्धात्मक पहलुओं को उदार बनाने तथा और अधिक निजी निवेश जुटाने के लिए इस योजना की समीक्षा की गई है। पट्टा प्रभार समुचित रूप से संशोधित किए गए हैं। वित्तीय तथा लीजिंग कंपनियों को भी अपने माल डिब्बे रखने की अनुमति दी गई है। अब इस योजना के अंतर्गत निजी स्वामित्व में रखे जा सकने वाले माल डिब्बों की संख्या के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है।

स्टेट फोरस्ट सर्विस कालेज, बर्नीहाट

2693. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ फोरेस्ट सर्विस कालेज, बर्नीहाट, असम बंद होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कालेज की वर्तमान ढांचागत सुविधाओं का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राज्य वन सेवा कालेज, बर्निहाट को बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, राज्यों में सहायक वन संरक्षकों की भर्ती में आई कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस कालेज में कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं। राज्य वन सेवा कालेज, बर्निहाट की क्षमताओं का उपयोग न किए जाने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कालेज की सुविधाओं के वैकल्पिक उपयोग के बारे में विचार किया जा रहा है।

एरण्ड के तेल का उत्पादन

2694. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एरण्ड के बीजों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और एरण्ड के तेल का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) एरण्ड के तेल का निर्यात किस किस देश को किया गया और इसका देशवार विवरण क्या है;

(ग) क्या हाल के वर्षों में विदेशों में भारतीय एरण्ड के तेल की मांग में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो मांग में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशों में एरण्ड के तेल की मांग में हुई भारी वृद्धि से देश में विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में एरण्ड के बीज से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू तेल बाजार के लिए अन्य तेल बीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अरण्ड के बीजों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

(मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	अरण्ड बीज का उत्पादन
1990-91	7.2
1991-92	5.8
1992-93	6.2

(ख) अरण्ड के तेल के निर्यात के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय अरण्ड के तेल की मांग में तेजी, अरण्ड के बीजों का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों जैसे ब्राजील, चीन इत्यादि में अरण्ड के बीजों के उत्पादन अरण्ड के तेल के अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी मूल्यों पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) अरण्ड के तेल की औद्योगिक उपयोग हेतु अच्छी मांग है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके अच्छे मूल्य मिलते हैं। इसलिए अरण्ड के तेल के निर्यात में वृद्धि होने से स्वदेशी बाजार में अरण्ड के बीजों के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।

आदमखोर बाघ

2695. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सारे बूढ़े बाघ गढ़वाल के बाघ सुरक्षित क्षेत्र में या बाहर से आ रहे हैं अथवा प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा अन्य वनों में भेजे जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे बाघ आदमखोर हो गए हैं;

(ग) क्या बाघ सुरक्षित क्षेत्र से बाहर आने वाले बूढ़े बाघों के बारे में ही आदमखोर बाघ होने की शिकायत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लखनऊ में लोकोशेड

2696. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे का छोटी लाइन का लोकोशेड बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे स्थानों पर समायोजित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चारबाग लोको शेड बंद होने के कारण जो कर्मचारी फालतू हो गए थे,

उनमें से 65 आदिमियों को छोड़कर सभी को पुनः तैनात कर दि ' गया है। इन 65 व्यक्तियों को भी शीघ्र ही तैनात किया जायेगा।

कोयले की चोरी

2697. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आज तक रेलवे सुरक्षा बल ने कोयले की चोरी करने वालों के विरुद्ध प्रतिवर्ष अपने छापे मारे/अभियान चलाए;

(ख) अब तक कोयले की चोरी करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोगों को दंड दिया गया तथा कोयले की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने में ढिलाई बरतने के लिए कितने रेलवे सुरक्षा गार्डों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए क्या विशेष उपाए किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मारे गये छापों/ चलाए गये अभियानों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		रे.सु.ब. के कर्मियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई/शुरू की गई
		गिरफ्तार किए गए	दण्डित किए गए	
1992	1379	1750	865	69
1993	1072	1415	645	94

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गये हैं :-

1. सशस्त्र रे.सु.ल द्वारा भेद्य क्षेत्रों में कोयले के ब्लाक भार का यथासंभव मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. कोयला चोरों की गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए रे.सु.बल के अपराध आसूचना कर्मियों की तैनाती की जाती है और उसके बाद उनके सुरागों का पता लगाया जाता है।
3. बड़े यार्डों में गश्त लगाने की ड्यूटी तेज कर दी गई है
4. भेद्य क्षेत्रों में रे.सु.बल द्वारा बार-बार छापे मारे जाते हैं तथा तलाशी ली जाती है।
5. अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेद्य खंडों, ंत्रों तथा बदनाम स्थलों पर मौके पर जांच की जाती है।

6. भेद्य यार्डों तथा बदनाम स्थलों पर गश्त लगाने के लिए कुत्ता दस्तों का उपयोग किया जाता है। अचानक छापे मारे जाने, तलाशी लेने और दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए मुख्यालयों द्वारा विशेष कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

7. क्षेत्रों में गश्त लगाने तथा शरारती तत्वों को निष्क्रिय करने के लिए भेद्य खंडों में अक्सर विशेष सशस्त्र बल (रे.सु.वि.ब.) तैनात किए जाते हैं।

8. स्थानीय पुलिस तथा रा.रे. पुलिस के समन्वय से अपराधियों को निष्क्रिय करने के लिए अक्सर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा धन का अन्यत्र उपयोग किया जाना

2698. **डा. आर. मल्लू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तिलहन और डेरी कार्यक्रमों के असंतोषजनक कार्यान्वयन और बोर्ड द्वारा धन का अन्यत्र उपयोग किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन असंतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। निधियों का उपयोग भी वित्त पोषण अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों द्वारा शिकायतें

2699. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को, विशेष रूप से सतर्कता विभाग को गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के ठेकेदारों के विरुद्ध प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलवे ठेकेदारों के विरुद्ध संसद सदस्यों से रेलवे के सतर्कता विभाग को प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1991	3
1992	1
1993	5

(ख) 6 मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं हो पाए, एक मामले में निविदा रद्द कर दी गई और शेष दो मामलों में जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झींगा पालन हेतु बीजा और चारा

2700. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा पालन के विकास हेतु तटीय क्षेत्रों में मत्स्य कृषकों को बीज और चारा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) मछली तथा झींगा का उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य स्रोतों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) विदेशी मछुआरों द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में झींगा तथा अन्य मछलियों को अंधाधुध तरीके से पकड़े जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) झींगा पालन के लिए चारे का आयात करने पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) श्रिम्प पालकों को बीजों और आहार की सप्लाई करने के लिए किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) श्रिम्प बीज हैचरियों की स्थापना;

(2) निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में श्रिम्प बीज हैचरियों तथा आहार मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करना;

(3) श्रिम्प आहार के शुल्क रहित आयात को अनुमति देना।

(ख) पांच चुनिन्दा राज्यों में श्रिम्प एंव मत्स्य पालन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 283.63 करोड़ रुपये की ऋण सहायता को मंजूरी दे दी है। कुवैत फण्ड फॉर अरब इकॉनॉमिक डवलपमेंट ने केरल राज्य में झींगा पालन विकास के लिए 35 करोड़ रुपये की ऋण सहायता को मंजूरी दी है।

(ग) भारत के समुद्रतटीय क्षेत्रों में विदेशी जहाजों द्वारा मछलियों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि झींगा आहार के आयात के लिए प्रतिवर्ष 20 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।

लखनऊ में क्षेत्रीय खेल केंद्र

2701. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक केंद्रीय जोन क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) के शासी निकाय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रीय जोन क्षेत्रीय केंद्र को दिल्ली से लखनऊ स्थानान्तरित करने का निर्णय पहले ही कर लिया है राज्य सरकार ने इसके लिए गोमती नगर, लखनऊ में 100 एकड़ भूमि निर्धारित कर दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्थल पर निरीक्षण कर लिया है और इसे उपयुक्त पाया है। केंद्र का निर्माण कार्य केवल वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर ही आरंभ किया जायेगा।

हरित क्रांति के प्रतिमान पर व्यापक कार्यक्रम

2702. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेंहू में हरित क्रांति के प्रतिमान पर चावल, तिलहन, दलहन तथा कपास के उत्पादन में क्रान्ति लाने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी क्रान्ति के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) चावल, गेंहू, तिलहन और कपास के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने संबंधी थ्रस्ट कार्यक्रम चुनिन्दा राज्यों में पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का उद्देश्य फील्ड प्रदर्शन आयोजित करके उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रचार प्रसार करना, कृषकों को प्रशिक्षित करना और आदानों का दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए कृषकों को प्रेरित करना है।

पत्राचार द्वारा एम.ए. की परीक्षाएं

2703. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से विश्वविद्यालय प्राइवेट/पत्राचार माध्यम से लोक प्रशासन विषय में एम.ए. की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, जिनके परीक्षा केंद्र दिल्ली में स्थित हैं;

(ख) क्या इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार लोक प्रशासन विषय की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए इस विषय में पत्राचार माध्यम से एम.ए. की परीक्षा आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (भा.वि.सं.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय पत्राचार पठ्यक्रम के माध्यम से लोक प्रशासन में एम.ए. की परीक्षाएं संचालित करते हैं और उनके परीक्षा केंद्र दिल्ली में स्थित हैं :

(1) अन्नामलै विश्वविद्यालय,

(2) आंध्र विश्वविद्यालय,

(3) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,

(4) मद्रास विश्वविद्यालय, और

(5) पंजाब विश्वविद्यालय

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से लोक प्रशासन में एम.ए. कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में न तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने किसी प्रस्ताव की कोई सूचना दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में चीनी मिलें

2704. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तरी बिहार में गन्ने की खेती को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कुछ और चीनी मिलें स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये मिलें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह उस समय लागू लाइसेंस

नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है। चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार में पूर्वी चम्पारन जिले में ढाका में एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए मै. हरीसन मलयालम लि. को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में खुदाई

2705. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले में चरमानगडू में महापाषाणयुगीन खुदाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई में पाई गई सामग्रियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केरल के त्रिचूर जिले के चरमानगडू में खुदाई की गई है खुदाई में जिन पांच प्रकार के महापाषाण युग की कब्रों का पता चला है, वे हैं छत्र-पाषाण, टोपीकल, बहु-फण-पाषाण, प्रस्तर वृत्त और नातराश ग्रेनाइट प्रस्तर की आच्छादन-शिला। खुदाई में निम्नलिखित चीजें मिली हैं :-

मिट्टी के घड़े, कटोरे और सजावटी वर्तन जो सादे लाल रंग और गेरुये रंग से लेपित चित्रित हैं; तथा पुरा-सामग्रियां, जैसे मनके, तांबे के कटोरे, लोहे की चीजें तथा सोने के छोटे छोटे टुकड़े एवं बहुत ही टूटी-फूटी मानव अस्थियों के कुछेक टुकड़े।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

2706. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल हैं और कहां-कहां हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उनमें से अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 16 कामकाजी महिला होस्टलों के स्थान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है

(ख) एक

(ग) एक। 30,87,283 रु. की अनुमानित लागत से 80 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण हेतु 18 दिसम्बर, 1992 को 23,15,462 रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया। सहायता अनुदान की पहली किस्त के रूप में 7,71,821 रु. की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	होस्टल का स्थान	होस्टलों की सं.
1.	भगवान दास रोड	2
2.	चेम्जफोर्ड रोड, नई दिल्ली	1
3.	कर्जन रोड, नई दिल्ली	1
4.	हौज खास, नई दिल्ली	1
5.	जोर बाग, नई दिल्ली	1
6.	ओखला, नई दिल्ली	1
7.	राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	1
8.	आर.के. पुरम,	2
9.	शेख सराय, नई दिल्ली	1
10.	साऊथ आफ आई.आई.टी. , नई दिल्ली	1
11.	तीस हजारी, दिल्ली	2
12.	तुगलकाबाद, नई दिल्ली	1
13.	बिरला मन्दिर रोड, नई दिल्ली	1
		16

[अनुवाद]

प्रयोगशाला से भूमि तक कार्यक्रम

2707. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों तक कृषि विज्ञान के लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग शाला से भूमि तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम को अत्यधिक सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में अपनाए गए परिवारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में देखा जा सकता है। राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के तहत प्राप्त सफलता संलग्न विवरण-II में देखी जा सकती है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम को कृषि विज्ञान केंद्रों की योजना में मिला दिया गया, ताकि जिला स्तरों पर बेहतर तालमेल हो सके और उससे अच्छी सफलता प्राप्त की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत देश में 183 कृषि विज्ञान केंद्रों में से प्रत्येक को 50 से 100 फार्म परिवार काम करने के लिए दिए गए हैं।

विवरण-I

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित खेतीहर परिवारों की राज्यानुसार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटित परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	हरियाणा	4300
2.	नई दिल्ली	1400
3.	हिमाचल प्रदेश	4650
4.	पश्चिम बंगाल	3400
5.	उत्तर प्रदेश	10120
6.	बिहार	6100
7.	महाराष्ट्र	4950
8.	मध्य प्रदेश	5000
9.	मेघालय	900

1	2	3
10.	तमिलनाडु	2800
11.	उड़ीसा	3100
12.	अंडमान	100
13.	अरुणाचल प्रदेश	200
14.	मणिपुर	300
15.	नागालैंड	100
16.	त्रिपुरा	500
17.	सिक्किम	400
18.	गुजरात	4750
19.	राजस्थान	5250
20.	कर्नाटक	3050
21.	आंध्र प्रदेश	2000
22.	केरल	4025
23.	गोवा	250
24.	पंजाब	4150
25.	जम्मू एवं कश्मीर	800
26.	असम	2450
27.	हैदराबाद	6100
28.	पांडिचेरी	200
29.	मिजोरम	50
30.	मणिपुर	100
31.	दादर और नगर हवेली	100

विवरण-II

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्षेत्र-I (जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली) : इस क्षेत्र में कृषि फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप गेंहू, जौ, चना तिलहन, दलहन, मिर्च, बरसीम तथा आलू की उपज में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया है। नीली हरी काई का 500 खेतों में तथा दलहन कल्चर का 250 खेतों में प्रयोग किया गया। कम संतुलित खपत के जरिए उर्वरकों के निवेश लागत को कम करने का प्रयत्न किया गया था। मुर्गीपालन उत्पादों तथा दूध के विपणन के अपनाए गये परिवारों में सहयोग की भावना पैदा करने के प्रयत्न किये गये।

क्षेत्र-II (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों सहित पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा) : नयी प्रौद्योगिकियों की व्यापक श्रृंखला शुरू की गई। उदाहरण के लिए उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा) में 71 परिवारों ने "जया" धान किस्म से 33 क्विंटल प्रतिहैक्टर औसत उपज प्राप्त की। विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय हरिनघट्टा (पश्चिम बंगाल) में कई बहुत गरीब किसानों द्वारा गैर-प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के तहत 20 से 24 क्विंटल की बुलना में औसतन 30 से 40 क्विंटल प्रति हैक्टर गेंहू की उपज प्राप्त की है। इसी प्रकार जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम में शामिल परिवारों द्वारा जूट रेशे की किस्म रूपाली की 20 से 25 क्विंटल प्रति हैक्टर औसतन उपज प्राप्त की गई। केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थान, कटक (उड़ीसा) में शामिल परिवारों ने स्थानीय किस्म से 25 क्विंटल प्रति हैक्टर की तुलना में खरीफ परिवारों के धान की एच.वाई.वी. से 4.4 टन प्रति हैक्टर उपज प्राप्त की। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि.प्र.) द्वारा आलू की 135 क्विंटल प्रति हैक्टर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आलू की नई किस्मों को उपयोग में लाया गया।

इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में परम्परागत किस्मों से 25 क्विंटल प्रति हैक्टर की तुलना में लवण सहिष्णु धान की किस्म से 41.93 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज प्राप्त की गई।

केंद्रीय अनतः स्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के 12 केंद्रा द्वारा मछली प्रजनन के लिए एक नई प्रौद्योगिकी शुरू की गई। इसके चलते खेत से प्रयोगशाला तक कार्यक्रम में अपनाये गये किसानों द्वारा करीब 10 मिलियन भारतीय देसी मछली के अंड समूहों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार पशुधन तथा कृषि के साथ समेकित मछली पालन (मछली तथा बत्तख पालन, मछली तथा सूअर पालन और धान तथा मछली पालन) की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। मछली तथा बत्तख पालन के तहत तालाबों से 3000 से 3,500 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर प्रति वर्ष तथा मछली तथा सूअर पालन के तहत तालाबों से 1000 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर 5 महीनों में उत्पादन प्राप्त हुआ। धान तथा मछली पालन में 10 महीनों में 971.85 कि.ग्रा. मछली प्रति हैक्टर तथा 47.42 क्विंटल प्रति हैक्टर धान प्राप्त किया गया। कम लागत की प्रौद्योगिकियों से किसान परिवारों की आय 2 से 4 गुना तक बढ़ गयी।

क्षेत्र III (उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों) : सुधरी हुई किस्मों और अन्य कृषि कार्यों के कारण सब्जी उत्पादन में पर्याप्त सुधार देखे गये। सुधरी हुई किस्मों से प्राप्त उपज इस प्रकार थी मटर, 27 क्विं/हैक्टर; गाजर, 778 क्विं/हैक्टर, फूलगोभी, 234 क्विंट/हैक्टर; और सेम, 152 क्विं/हैक्टर क्षेत्र में शामिल किये गये खेतिहार परिवारों में उन्नत कृषि औजार जैसे लम्बे हत्थे वाले यांत्रिक खर पतवार गोड़क, मुठिया छीलने के हस्तचालित शंक डायलेटलर टबलर और जापानी दरांती दिए गए। सूअर, मुर्गी और बत्तख पालन में भी सुधार किए गए। सुधरी हुई किस्म के चारे भी शामिल किए गए। झूम खेती विकल्प के रूप में किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रणाली के प्रदर्शन किए गए। उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भा.कृ.अ. परिषद अनुसंधान कम्पलैक्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को किसानों द्वारा अपनाकर धान के डण्ठलों पर खुम्भी की खेती भी की गयी।

अनुसूचित जाति समुदाय की 10 श्रमिक महिलाओं को जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) द्वारा अपनाया गया और कार्यक्रम के तहत प्रत्येक को एक-एक हाबी-लूम दिया गया। ये औरतें शहर में नौकरानी का काम करके सामान्यत : 360 से 540 रु. प्रति वर्ष कमाती थीं, लेकिन हॉबी-लूम के जरिये अब वे 1,800 से 2,160 रु. प्रति वर्ष कमा सकती हैं।

क्षेत्र IV (उत्तर प्रदेश एवं बिहार) : फार्म उत्पादकता में 48 से 112 प्रतिशत तक का पर्याप्त सुधार हुआ जब गर्मियों में मूंग, गेंहू, मूंगफली, धान, चना, तिलहन और अरहर का इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार कानपुर जिले के 32 हरिजन परिवारों की ऊसर जमीन पर पाइराइट का उपयोग करने पर धान की उपज में 113 प्रतिशत, गेंहू की उपज में 100 प्रतिशत और चने की उपज में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्षेत्र V (आन्ध्र प्रदेश) : अदरक, मूंगफली, दाल और सब्जियों सहित विभिन्न फसलों की अल्पकालीन सुधरी किस्मों के इस्तेमाल करके सिंचित क्षेत्रों में फसल तीव्रता में वृद्धि करने की मुख्य नीति थी। कुछ अन्य क्षेत्रों में शुष्क खेती तकनीकों में सुधार, मिट्टियों में सुधार और मिट्टी में जस्ते का उपयोग किया गया। क्षेत्र में चारे की सुधरी किस्मों और नीम के लेप वाला यूरिया को भी शामिल किया गया।

क्षेत्र VI (गुजरात और राजस्थान) : सुधरे हुए फार्म के महत्वपूर्ण निवेशों (क्रिटिकल इनपुट्स) को शामिल करने के अलावा 360 किसानों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम में पुन: अनुकूल कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्र VII (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश की झबुआ आदिवासी क्षेत्र में, उदाहरण के लिए, अपनाये गए 400 परिवारों ने चने की उपज में औसतन 515 के स्थान पर 942 कि.ग्रा./हैक्ट. की उपज प्राप्त की। ओहिम (छिन्दवाड़ा जिले) में कार्यक्रम के तहत छोटे व सीमान्त कृषकों ने बारानी गेंहू की जिला स्तर पर 5.48 क्विंट/हैक्ट. की औसत उपज की तुलना में 10.63 क्विंट/हैक्ट. की औसत उपज प्राप्त की।

क्षेत्र-VIII (केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु) : कर्नाटक के शुष्क क्षेत्रों में रागी (एल्यूसिन करकाना) "इण्डो" किस्म को शामिल करने से उपज में 3-6 गुनी वृद्धि हुई कोयम्बटूर

(त.ना.) क्षेत्र में, उर्वरकों को शामिल करने से इसकी उपज में 14-24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र के आदिवासी परिवारों में "सीओ-24 वास" चने की सुधरी किस्म शामिल करने पर इसकी उपज में 1.3 से 6.0 कि./है. की नाटकीय वृद्धि हुई। इसी प्रकार दाल, तिलहन, कंद रेशे और गन्ने की फसलों में उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए। कोचीन के पास हरिजन कालोनी में 122 परिवारों द्वारा झींगे की खेती करने से झींगे का अधिक उत्पादन हुआ तथा उनकी आय में सुधार हुआ।

बंडेल रेलवे स्टेशन

2708. **श्री रूप चंद पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंडेल सड़क उपमार्ग में जल भराव की स्थिति में बंडेल रेलवे स्टेशन के पूर्व तथा पश्चिम के बीच संचार व्यवस्था कई दिनों तक ठप्प रही;

(ख) यदि हां, तो इस उपमार्ग की मरम्मत और नवीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या रेलवे, बंडेल रोड में उपरि पुल अथवा फ्लाई ओवर के निर्माण पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी नहीं, उप मार्ग में केवल आस-पास के क्षेत्रों में भारी वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है जो निम्नतर सतह तक होता है। इस पानी को निकाल दिया जाता है। बहरहाल, वर्षा के पानी की तेज़ी से निकासी के लिए उप मार्ग के बाजारपाड़ा छोर से ह्यूम पाइप ड्रेन की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सड़क यातायात की समस्या का विषय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो नियमानुसार निक्षेप शर्तों पर आधारित होगा।

राउरकेला स्टेशन पर प्लेटफार्म

7209. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राउरकेला स्टेशन पर चौथा और पांचवां प्लेटफार्म बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा रखी गई है ?.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) 1993-94 में 33 लाख रुपये

(ग) 31-3-1995

क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशक

2710. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशकों को निम्न दर्जा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कितने प्रकाशकों ने भाग लिया था ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, क्षेत्रीय भाषा प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को एक एक स्टाल/स्टैंड के लिए 50 प्रतिशत रियायत प्रदान की गई थीं। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रदर्शन तथा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इन भाषाओं के प्रकाशक तथा विक्रेता संघों को निःशुल्क स्टाल तथा आवास की सुविधा प्रदान की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशी भाषाओं में कार्य करने वालों सहित अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के सहभागियों की संख्या क्रमशः 704 तथा 280 थी।

[हिन्दी]

मोबाइल वैन

2711. **श्री प्रेम चंद राम : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत मोबाइल वैन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में चलती फिरती उचित दर दुकानों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए वाहनों की खरीद हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीम में संशोधन किया गया है तथा संपुष्ट सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी ब्लॉकों में इसे लागू कर दिया गया है। संशोधित योजना में यह प्रावधान है कि इन वाहनों का उपयोग उचित दर दुकानों के दरवाजे तक वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए भी किया जा सकता है। इसमें प्रति वाहन 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के आधार पर 4.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ख) इस प्रकार मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वाहनों की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

(राशि लाख रु. में)
(वाहन संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	
		राशि	वाहन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	5
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम		
4.	बिहार		
5.	गुजरात		
6.	हरियाणा		
7.	हिमाचल प्रदेश	48.00	12
8.	जम्मू व कश्मीर		
9.	कर्नाटक		
10.	केरल		

1	2	3	4
11.	मध्य प्रदेश	80.00	20
12.	महाराष्ट्र	60.00	15
13.	मणिपुर	24.00	6
14.	मेघालय		
15.	मिजोरम		
16.	नागालैण्ड		
17.	उड़ीसा	40.00	10
18.	राजस्थान	40.00	35
19.	सिक्किम	16.00	4
20.	तमिलनाडु	32.00	8
21.	त्रिपुरा		
22.	उत्तर प्रदेश	00.00	25
23.	पश्चिम बंगाल	28.00	7
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
25.	दादरा व नगर हवेली		
26.	दमण व दीव		
27.	लक्षद्वीप		
	योग :	588.00	147

आमान परिवर्तन

2712. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यवतमाल मूर्तजापुर अचलपुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने एवं वर्धा यवतमाल पुसाद नांदेड सेक्शन के बीच नई लाइन बिछाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) यवतमाल मुर्तजापुर अचलपुर एक प्राइवेट लाइन है और करार के अनुसार मध्य रेलवे द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस लाइन के आमान परिवर्तन पर विचार तभी किया जा सकता है अगर इस लाइन का रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए।

संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण वर्धा यवतमाल पुसाद नांदेड के बीच प्रस्तावित नई लाइन का निर्माण व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

सियालदाह-डानकुनी सेक्शन

2713. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाली स्टेशन पर लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों को ठहराने पूर्वी रेलवे के सियालदाह डानकुनी सेक्शन पर नई रेल गाड़ियां शुरू करने तथा चल रही रेलगाड़ियों के आवागमन को बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) मांगों की जांच की गयी लेकिन फिलहाल उन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

वातानुकूलित 3-टियर कोचों में बेड रोल

2714. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**
श्री हाराधन राय :
डा. सुधीर राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एवं अन्य प्रस्तावित गाड़ियों के वातानुकूलित 3 टियर कोचों में बेड रोल न मिलने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेका) : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। सवारी डिब्बे में लिनिन रखने के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण बिस्तरों की सप्लाई करना व्यावहारिक नहीं है।

केंद्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक

2715. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों के योग शिक्षकों की सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने का मामला अभी भी सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संगठन ने अपने क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को संबंधित स्कूलों में उन योग शिक्षकों की सेवाओं की पुष्टि करने के लिए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं जो निर्धारित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। योग शिक्षक पहले ही अन्य कर्मचारियों को लागू अन्य सेवा लाभों जैसे भविष्य निधि, सामूहिक बीमा, चिकित्सा लाभ, छुट्टी आदि के पात्र हैं।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

2716. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय, वेंकट सदन रीवा के भवन की मरम्मत की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए नया भवन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। स्कूल का वर्तमान भवन केवल अस्थायी आवास है जिसे स्थायी भवन बन जाने के बाद तुरन्त खाली किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। केंद्रीय विद्यालय, रीवा के लिए स्कूल भवन के निर्माण का कार्य निर्माण अभिकरण, रीवा सुधार न्यास को सौंप दिया गया है। अनुमानों का अनुमोदन और अन्य प्रारंभिक कार्रवाईयों संबंधी कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

करनाल में खुदाई

2717. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चंडीगढ़ सर्किल को करनाल में बौद्ध स्थल की खुदाई की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा-विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन

2718. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी दूरी तक रेल लाइनें विछायी गयीं;

(ख) क्या देश में रेल विस्तार में कोई क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) सूचना इस प्रकार है :

राज्य	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	9 कि.मी.	11 कि.मी.
कर्नाटक		89 कि.मी.
केरल	67 कि.मी.	
मध्य प्रदेश	52 कि.मी.	
उड़ीसा	18 कि.मी.	18 कि.मी.
राजस्थान		79 कि. मी.
उत्तर प्रदेश	51 कि.मी.	42 कि.मी.
तमिलनाडु	44 कि.मी.	

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुरानी/नई रेल लाइनें

2719. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान कितनी नई रेल लाइनें बिछायी गईं तथा कितनी पुरानी लाइनों की मरम्मत की गई;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1993-94 में इस कार्य हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) (1) 1992-93 के दौरान 10 नई लाइनें/खंडों (241 कि.मी. का निर्माण किया गया था।

(2) 1992-93 के दौरान कुल 2938 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया गया था।

(ख)	नई लाइनें	275.18 करोड़ रुपये
	रेलपथ नवीकरण	1324.87 करोड़ रुपये
		1600.05 करोड़ रुपये
(ग)	नई लाइनें	239 कि.मी.
	नवीकरण	2430 कि.मी.

[अनुवाद]

पर्यावरण न्यायालय/न्यायाधिकरण

2720. **श्री राजेश कुमार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पर्यावरण न्यायालय/न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत समय से लम्बित पड़ा है; और यदि हां, तो कब से

(ख) इन न्यायालयों/न्यायाधिकरणों की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह न्यायालय/न्यायाधिकरण कब से कार्य करना आरंभ करेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) परिसंकटमय पदार्थों के हथालन के समय होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के

लिए राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने, जान-माल और पर्यावरण की क्षति तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए राहत और मुआवजा देने के लिए उद्देश्य से 18 अगस्त, 1992 को लोक सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(ख) इस विधेयक को जांच के लिए संसद के पिछले मानसून सत्र में विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति को भेजा गया था।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण विधेयक, 1992 के अधिनियमित होने के बाद छः महीने के भीतर की जाएगी।

[हिन्दी]

तेल और दालों का आयात

2721. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों, विशेष रूप से तेल और दालों के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं, दालों और तिलहनों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) भारत गेहूं और चावल का नियमित आयातक नहीं है। 1993-94 के दौरान, गेहूं और चावल का आयात करने के लिए कोई ठेका नहीं किया गया है। तेल के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों से तेलों के आयात में कमी आयी है। जहां तक दालों का संबंध है, इनका आयात मुक्त रूप से करने की अनुमति है और इसलिए वर्ष प्रति वर्ष आयात भिन्न-भिन्न हाता है। 1992-93 के दौरान लगभग 326 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 5.79 लाख मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया था। 1993-94 के दौरान नवम्बर, 1993 तक लगभग 330 करोड़ रुपये की लगभग 3.71 लाख मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया।

(ग) और (घ) सरकार ने गेहूं, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई एक उपाय किए हैं। इनमें 1988-89 से 7 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा केंद्रीय क्षेत्र विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं, 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना और सभी तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों का विलय करने के बाद 1990-91 के दौरान आरम्भ किया गया केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन कार्यक्रम शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

2722. **श्री तारा सिंह :**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्राणी उद्यान, प्राधिकरण का विचार ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिकों की सहायता से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का प्राणी उद्यान में सुधार करने हेतु और क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से ब्रिटिश प्राणी विज्ञानिकों की सहायता से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के सुधार के लिए एक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चिड़िया घर के सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ प्रमुख उपाय जिन पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है इस प्रकार हैं :-

(1) चिड़ियाघर की चारदिवारियों का पुनः प्रवर्तन और सुरक्षात्मक वाड़ा अवरोधों का सुधार।

(2) पीने के लिए अलग से फिल्टर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था।

(3) चिड़ियाघर के परिसर से आवारा कुत्तों को समाप्त करना।

(4) चिड़ियाघर में सुरक्षा को मजबूत बनाना।

(5) मोट्सों और सेलों का सुधार।

(6) बैटरी चालित वाहनों का संचालन।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलें

2723. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कितने आशय पत्र स्वीकृति और जारी किये गये हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 15 आशय-पत्र जारी किये गये हैं। इन मिलों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों की स्थान-वार स्थिति

क्रम सं.	आवेदक का नाम	स्थान
1.	कोस्टल पेपर्स लि.	कोरसवाडा, जिला श्रीकाकुलम
2.	श्री वासवी जूट वाईन मिल्स प्रा.लि.	वीरगाथम, जिला श्रीकाकुलम
3.	श्री एन.वी.बी. चल्लामईया	कोथाकोटा, जिला विशाखापटनम
4.	आन्ध्रा शुगर्स लि.	बुटायागुडम, जिला पश्चिम गोदावरी
5.	श्री वी. शोभान्डरी	कान्चीकचेरिया, जिला कुष्णा
6.	श्रीमती जी.एस. रमानी	अदुरूपल्ली, जिला नेल्लूर
7.	श्री डी. रामकृष्ण रेड्डी	एस.आर. पुरम, जिला चित्तूर
8.	श्री एस. जयराम चौधरी	बुचीनायडूखन्डरीगा, जिला चित्तूर
9.	श्री बी. संजीव राव	थंगाल्लैपल्ली, जिला करीमनगर
10.	श्री वशिष्ट शुगर्स एंड कैमीकल्स लि.	हुजूराबाद, जिला करीमनगर
11.	तिरूमल्ला शुगर्स लि.	कादम, जिला अदीलाबाद
12.	एन.सी.एस. एस्टेटस प्रा. लि.	भूमपल्ली, जिला निजामाबाद
13.	श्रीमती के. ज्योति रेड्डी	बिच्छकोन्डा, जिला निजामाबाद
14.	अम्माना शुगर्स लि.	परगनापुर, जिला मेढक
15.	गणपती डवलपर्स प्रा. लि.	दौलताबाद, जिला मेढक

सिंधी पढ़ाया जाना

2724. **श्री राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंधी भाषा पढ़ाने वाले सिंधी स्कूलों और कालेजों को बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या स्कूल स्तर पर सभी सिंधी विद्यार्थियों के लिए सिंधी को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारत सरकार को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने शुरू से राज्य सरकारों/केंन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन की सिफारिश की है। माध्यमिक स्तर पर सूत्र में हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी तथा गैर–हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानतः दक्षिण भाषाओं में से एक भाषा के शिक्षण का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार की सामान्य नीति यह है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए।

स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है और त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केंद्रीय सरकार की भूमिका केवल सिफारिश करने की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल-लाइन का दोहरीकरण

2725. **श्री देवी बक्स सिंह**
श्री बलराज पासी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने जिले राज्य की राजधानी के साथ दोहरी रेल लाइन से जुड़े हैं;

(ख) किन-किन जिलों से राज्य की राजधानी के लिए कोई रेल संपर्क नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों को राजधानी के साथ रेल लाइन से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में अन्तरशहरी रेलगाड़ियां

2726. **श्री सत्यानारायण जटिया :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर इंदौर और उज्जैन तथा इंदौर और भोपाल के बीच अन्तरशहरी रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) यातायात का औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और ससाधनों की उपलब्धता।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाट तौल और माप संस्थान

2727. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाट तौल और माप संस्थान, रांची भारत में अपनी तरह का अकेला ऐसा संस्थान है जिसमें बाट तौल और माप के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में एक ऐसा संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी मानदण्ड

2728. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण के संबध में विकसित देशों में निर्धारित मानदंडों को अपनाने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भारत सरकार से इस संबंध में विकसित देशों के मानदंडों को स्वीकार करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में सामान्य सवारी डिब्बे

2729. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री अमर रायप्रधान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में स्लीपर श्रेणी आरंभ किये जाने से सामान्य यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में सामान्य यात्रियों को हो रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) जनसामान्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जिन रेलगाड़ियों के साथ जिस श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़े जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) 1-4-1993 से भारतीय रेलों पर लम्बी दूरी को यात्रियों को अधिकाधिक आरामदेह तथा सुविधाजनक यात्रा सुलभ कराने के लिए पूर्णतः आरक्षित डिब्बों में "शयनयान दर्जा" चलाया गया था। जिन यात्रियों के पास इस दर्जे के टिकट हैं, वे शयनयान दर्जे में यात्रा कर सकते हैं। उन सभी गाड़ियों, जो सारी रात चलती हैं और जिनमें दिन में चलने वाले जोड़ी रेक लगे होते हैं, में कुछ शयनयानों को अनारक्षित रखा गया है ताकि दूसरे दर्जे के यात्री इनमें दिन में यात्रा कर सकें।

(ग) 72 जोड़ी गाड़ियों में 157 सवारी डिब्बे लगा करके दूसरे दर्जे के अतिरिक्त अनारक्षित सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है।

रेलवे स्टेशनों पर विश्रामगृह तथा चिकित्सा सुविधाएं

2730. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कतिपय रेलवे स्टेशनों पर विश्रामगृह तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो डिविजन-वार ऐसे कौन से स्टेशन हैं;

(ग) राज्य में ऐसे कौन से स्टेयान हैं जहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) सरकार ने सभी स्टेशनों पर विश्रामगृह तथा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

2731. **श्री अंकुशराव टोपे :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **खाद्य मंन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान मौसमवार प्रत्येक खाद्यान्न की कितनी खरीद की है;

(ख) क्या इस खरीद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूरी हो जायेगी;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 1993 के दौरान और जनवरी, 1994 तक कितने खाद्यान्न की खरीद की; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन खरीदों पर कितना धन खर्च किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ग) 1992-93 और 1993-94 के विपणन मौसमों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य वसूली एजेन्सियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्राएं वसूल की गई हैं :-

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

जिन्स	1992-93 (अनन्तिम)	1993-94 (अनन्तिम) (31-1-1994 को स्थिति के अनुसार)
चावल	117.93	107.63
गेंहू	63.80	128.34

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए केंद्रीय पूल से आंबटित की गई मात्राएं निम्नानुसार हैं :-

(आकंड़े हजार मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1992-93	9249.0	7430.1	11435.4	9361.8
1993-94*	9494.5	4781.2	12356.54	7550.8

*(1993-94 के लिए उठान जनवरी, 1994 तक का है)

(घ) 1993-94 के अनुमानों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय पूल के लिए विभिन्न एजेंसियों से खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	जिन्स	राशि
1.	गेहूं	3703
2.	चावल	6469

स्वयंसेवी कल्याणकारी संगठन

2732. **श्री मुमताज अंसारी :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी कल्याणकारी संगठनों के लेखाओं का लेखा परीक्षण कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनमें पायी गयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सिन्धी अकादमी

2733. **श्री सज्जन कुमार** : क्या मानव संाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सिन्धी अकादमी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उस सरकार ने सिंधी अकादमी की स्थापना के लिए 10.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है और वे इस प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

2734. **श्री राम टहल चौधरी** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए रेल लाइनों को दोहरीकरण के काम को अधूरा छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन **वर्षों** के दौरान ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किन किन स्थानों के लिए हैं;

(ग) इनको पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया था और इसमें कितना विलंब हो रहा है और इस विलंब के परिणामस्वरूप इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) इनको शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल प्रणाली

2735. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषतः उड़ीसा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसल प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को फसल उत्पादन के लिए एक आकस्मिक योजना परिचालित की है जिसका उद्देश्य प्रतिकूल जलवायुवीय स्थितियों के कारण कृषि जिंसों के उत्पादन में आने वाली कमी को फसलों की उपयुक्त किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के चयन द्वारा न्यूनतम बनाना है। यह योजना मानसून के उतार चढ़ाव अर्थात् उसके देर से आने, बीच बीच में लम्बी शुष्क अवधियों, शीघ्र वापसी तथा भारी वर्षा, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना के आधार पर राज्य सरकारें स्थान विशिष्ट फसल उत्पादन कार्यनीतियां तैयार करती हैं।

[हिन्दी]

वैगनों के क्रयादेश

2736. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में पृथक पृथक यूनिट वार वैगन निर्माण क्षमता कितनी है;

(ख) 1992-93 के दौरान वास्तव में कितनी वैगन निर्माण क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) सरकारी क्षेत्र के एककों को वैगनों की खरीद हेतु कितने प्रतिशत आदेश दिए जाने की संभावना है; और

(घ) निजी एवं सरकारी क्षेत्र के एककों को चालू वर्ष के दौरान एककवार कितने वैगनों के क्रयादेश दिए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सरकारी और निजी क्षेत्र की इकाइयों, जो नियमित विनिर्माता है, की वर्तमान माल डिब्बा निर्माण क्षमता को यूनिटवार और 1992-93 के दौरान वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल और 1993-94 में दिए गए आर्डरों का ब्यौरा, यूनिटवार नीचे दर्शाया गया है :

(आंकड़े चौपहियों में)

क्षेत्र/इकाई	प्राप्त करने योग्य क्षमता	1992 93 में वास्तविक इस्तेमाल क्षमता (वास्तविक उत्पादन पर आधारित)	1993 94 में योजित लक्ष्य
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र			
बी.डब्ल्यू.ई.एल./	997	1375	985

1	2	3	4
मुजफ्फरपुर बी.डब्ल्यू.ई.एल./	1107	1710	1235
मोकामा ब्रेथवेट	3494	3707.5	2120
बर्न/बर्नपुर	3783	3500	2420
बर्न/हवड़ा	4270	1507.5	2005
जेस्सप	653	580	485
जोड़ सरकारी क्षेत्र	14304	12380	9250
निजी क्षेत्र			
सिमको	2920	2875	2065
एच.जी.आई.	1269	1257.5	950
मार्डन	1227	1360	1110
टेक्समैको	5738	4710	3200
एच.डी.सी.	2042	2678.5	1925
जोड़ निजी क्षेत्र	13196	12881	9250
कुल जोड़	27500	25261	18500

(ग) सरकारी क्षेत्र इकाइयों को दिए गए आर्डरों की प्रतिशतता 50 प्रतिशत है। यद्यपि 1992-93 में उत्पादन का उनका भाग 50 प्रतिशत से कम था। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है।

सेब का उत्पादन

2737. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान सेब का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सेब का उत्पादन बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने उष्णकटिबंधी, शुष्क तथा शीतोष्ण क्षेत्र के फलों, जिनमें सेब भी शामिल हैं, के समेकित विकास की एक योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में नर्सरियों और टिशु केल्चर, इकाईयों की स्थापना के जरिए रोपण सामग्री की सप्लाई, पुराने फलोद्यानों के पुनः नवीकरण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन को बन्द करना

2738. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन को घाटे में चलने के कारण बन्द करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे लाभप्रद बनाने के लिए इसका विस्तार बोधगया तक करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) फिलहाल इस खंड को बंद करनें का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) राजगीर-गया लाइन का सर्वेक्षण किया गया था और यह प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद आंका गया था। फिलहाल इस लाइन के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कुलपतियों की बैठक

2739. **श्री चित्त बसु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बैठक में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण साक्षरता अभियान

2740. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में "पर्यावरण साक्षरता अभियान" के अन्तर्गत कराये गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 63 जोन प्रदूषण के खतरे से प्रभावित हैं; और

(ख) यदि हां तो इन जोनों के क्या नाम हैं और सरकार ने इन जोनों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि लखनऊ में विकिरण परिसंकट बढ़ता जा रहा है। यह खबर पर्यावरणीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो राजीव गांधी फाउण्डेशन द्वारा वित्त पोषित पर्यावरणीय साक्षरता परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। तथापि, आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड और भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में इस बात का खंडन किया गया है। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लखनऊ में विकिरण के स्तर इन क्षेत्रों में सामान्यतया पाए जाने वाले स्तर की सीमा में है जिसका कारण प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण का होना है। आणविक ऊर्जा विनियामक बोर्ड के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने विकिरण का जो उच्च स्तर बताया है उसका कारण विकिरण मापी उपकरणों की खराबी है न कि किसी बाहरी विकिरण की वास्तविक मौजूदगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

2741. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विश्व विद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी राशि सहायता अनुदान के रूप में आवंटित की गई;

(ख) क्या अनुदान राशि का सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अप्रयुक्त अनुदान राशि को लौटाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र को वित्तीय आवंटन के संबंध में कोई नई योजना मंजूर की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विकास अनुदान के अन्तर्गत 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों को 216.55 लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का भण्डार

2742. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गेहूं और चावल की कितनी मात्रा में खरीद की; और

(ख) क्या की गई खरीद इन राज्यों की वास्तविक मांग के बराबर है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में केन्द्रीय पूल के लिए 1993-94 के दौरान वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा और 1993-94 के दौरान इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इन खाद्यान्नों के लिए की गई वास्तविक मांग की स्थिति नीचे दी गई है :

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1993-94 मौसम* के दौरान (9-3-94 को स्थिति के अनुसार) वसूल की गई मात्रा		1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए की गई वास्तविक मांग	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
उत्तर प्रदेश	2127.55	1283.98	1295.4	738.4
राजस्थान	495.92	20.54	1158.0	84.7

*गेहूं की वसूली रबी विपणन मौसम 1993-94 में और चावल की वसूली खरीफ विपणन मौसम 1993-94 में की गई है।

[अनुवाद]

चीनी विकास कोष

2743. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के प्रयोजन से चीनी विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों के राज्यवार नाम क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन सी चीनी मिलों में आधुनिकीकरण और पुर्नवास का काम किया गया; और

(ग) चीनी विकास कोष की सहायता से आगामी में कौन-कौन सी चीनी मिलों में विकास कार्य किया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान 15 मामलों में और 1993-94 के दौरान (28 फरवरी, 1994 तक) 12 मामलों में चीनी प्रतिष्ठानों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/विस्तार करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए थे। 19 मामलों में ऋण की किस्तें रिलीज कर दी गई हैं और आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन कार्य के अन्तिम रूप से पूर्ण होने से संबंधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/विस्तार करने से संबंधित शुरू किया जाने वाला कार्यक्रम प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। इस समय तीन आवेदन-पत्र, अर्थात् शाहबाद को-आपरेटिव शुगर मिल्स, शाहबाद (हरियाणा), कन्नड, एस.एस.के. लिमिटेड, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और संजीवनी एस.एस.के. लिमिटेड, अहमदनगर (महाराष्ट्र) के आवेदन-पत्र, विचार करने के लिए लम्बित हैं। तथापि, कन्नड़, एस.एस.के. लिमिटेड और संजीवनी एस.एस.के. लिमिटेड के आवेदन पत्र अपूर्ण हैं।

विवरण

उन चीनी प्रतिष्ठानों की राज्यवार सूची, जिन्हें 1992-93 और 1993-94 (28 फरवरी, 1994 तक) के दौरान आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/विस्तार करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं।

(28-2-1994 को स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	चीनी मिल का नाम	धनराशि (लाख रुपयों में) मंजूरी की तारीख	कैफियत
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	मै. निजाम शुगर फैक्ट्री लि., यूनिट बोब्बिली-सीतानगरम	690.73 14-9-92	690.76 लाख रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4
2.	मै. श्री सर्वराय शुगर लि., चेल्लुरू, जिला ईस्ट गोदावरी	**640.0** 28-5-93	320 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।
3.	मै. निजाम शुगर फैक्ट्री लि., बोब्बिली सीतानगरम	**98.68** 28-5-93	अतिरिक्त ऋण अभी रिलीज किया जाना है।
	बिहार		
4.	मै. हरिनगर शुगर मिल्स लि., पी.ओ. हरिनगर, जिला पश्चिमी चम्पारन	**387.00** 13-12-93	ऋण अभी रिलीज किया जाना है।
	गुजरात		
5.	मै. सयान विभाग खांड उद्योग मंडली लि., सयान, सूरत	**236.00** 17-3-93	236.00 लाख रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
6.	मै. खेदूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., बारदोली, सूरत	**611.76** 17-3-93	ऋण रिलीज करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।
	कर्नाटक		
	मै. रायबाग एस.एस.के. नियमित लि. रायबाग, जिला बेलगाम	**747.60** 17-3-93	चीनी विकास निधि से ऋण की 373.80 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज की गई है। कार्य प्रगति पर है।
	मध्य प्रदेश		
8.	मै. ग्वालियर शुगर कम्पनी लि., डबरा, जिला ग्वालियर	**53.95** 13-11-92	अतिरिक्त ऋण की राशि अभी रिलीज की जानी है।
9.	मै. भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि., सिहोरे	**373.76** 17-3-93	चीनी विकास निधि से ऋण रिलीज कर दिया गया है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
10.	मै. रावलगांव शुगर फार्मस् लि., रावलगांव, जिला नासिक	**466.30** 13-11-92	-वही-
11.	मै. सहादी एस.एस.के. लि., जिला सतारा	**222.43** 28-5-93	-वही-
12.	मै. जवाहर एस.एस.के. लि., हुपारी, जिला कोल्हापुर	**811.90** 28-5-93	-वही-
13.	मै. छत्रपति साहू एस.एस.के. लि., कागल, जिला कोल्हापुर	**442.88** 13-12-93	ऋण अभी रिलीज किया जाना है।
14.	मै. भागवती एस.एस.के. लि., साहूनगर, जिला कोल्हापुर	**188.992** 4-2-94	-वही-
15.	मै. वृद्धश्वर एस.एस.के. लि., आदिनाथ नगर	**853.00** 17-2-94	ऋण रिलीज करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।
	उड़ीसा		
16.	मै. अस्का को-ओपरेटिव शुगर इण्डस्ट्रीज लि., अस्का जिला गंजम	**767.264** 13-12-93	चीनी विकास निधि से 383.632 लाख रुपये के ऋण की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है। चीनी विकास निधि के पहले ऋण का उपयोग करने के बाद दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी।
	तमिलनाडु		
17.	मै. सलेम को-ओपरेटिव शुगर मिल्स लि., मोहानुर, जिला सलेम	**400.00** 14-9-92	चीनी विकास निधि से ऋण रिलीज कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4
18.	मै. मदुरांतकम को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., पडालम, जिला चेंगलपट्टू	**671.20** 14-9-92	-वही-
19.	मै. तिरूतनी को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., तिरूकानगडु, जिला चेंगलपट्टू	**502.40** 14-9-92	-वही
20.	मै. कल्लाकुरिची को-आपेरटिव शुगर मिल्स लि., जिला साउथ अरकाट	**693.60** 14-9-92	चीनी विकास निधि के ऋण की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है। पहली किस्त का
21.	मै. एन.पी.के.आर.आर. को-आपरेटिव शुगर मिलस लि., मइलाधुथुरई	**811.22** 17.3.93	उपयोग कर लेने के बाद दूसरी किस्त रिलीज की जाएगी।
	उत्तर प्रदेश		
22.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., घोसी, जिला मऊ	**524.00** 8-5-92	-वही-
23.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर, जिला गोंडा	**60.00** 12-11-92	60 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण रिलीज कर दिया गया है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
24.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., घोसी, जिला मऊ	**76.00** 12-3-93	(क्रम संख्या 22 में यथा उल्लिखित स्थिति)
25.	मै. दि सेकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., बिसवां, जिला सीतापुर	**170.60** 13-12-93	ऋण अभी रिलीज किया जाना है।
26.	मै. दि खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा.लि., खलीलाबाद, जिला बस्ती	**942.00** 8-2-94	ऋण रिलीज करने के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

1	2	3	4
27.	मै. लक्ष्मी जी शुगर मिल्स लि., यूनिट अजुध्या शुगर मिल्स लि., राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद		चीनी विकास निधि से 678.60 लाख रुपये का ऋण मंजूर करने के लिए मिल को जून, 1993 में स्वीकृति दी गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) से यूनिट के पुनर्स्थापन के बारे में अन्तिम रूप से अनुमोदित स्कीम के प्राप्त न होने के कारण औपचारिक मंजूरी जारी नहीं की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्कीम अब प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की समीक्षा

2744. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खरीद, बिक्री, रख रखाव और भण्डारण पर भारी खर्च करने के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की समीक्षा करायी जाएगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) गेहूं और धान के वसूली मूल्यों में की गई वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप वसूली लागत में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से खपाने की दृष्टि में गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में पहली फरवरी, 1994 से वृद्धि कर दी गई है।

(ख) इस वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से)		प्रति क्विंटल वृद्धि
	1-2 94 से पूर्व	1 2 94 से	
गेहूं	330.00	402.00	72.0
चावल			
साधारण	437.00	537.00	100.00
बढ़िया	497.00	617.00	120.00
उत्तम	518.00	648.00	130.00

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की समय-समय पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षक

2745. **डा. सुधीर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में संगीत शिक्षकों तथा अन्य विषयों के शिक्षकों के वेतनमानों में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों और साथ ही संघ राज्य क्षेत्र के विद्यालयों में सभी कोटियों के अध्यापकों के वेतनमान, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 12 अगस्त, 1987 को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वकोश का प्रकाशन

2746. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने समाज विज्ञान के हिंदी विश्वकोश के प्रथम खण्ड के प्रकाशनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार इस समय अन्य किन-किन विषयों के लिए वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) क्या ऐसे कामों की सूची में तेलुगू भाषा में कोई प्रकाशन भी शामिल है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री) (कुमारी शैलजा) : (क) समाज विज्ञान के हिंदी विश्वकोश के प्रकाशन के लिए वर्ष 1991-92 में 75,000 रुपये तथा वर्ष 1992-93 में 37,500 रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया।

(ख) भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, संदर्भ पुस्तकों, संग्रहों तथा संकलन, ग्रन्थ सूचियों तथा शब्दकोशों, दुर्लभ पाण्डुलिपियों के विवरणात्मक सूचीपत्र, स्व शिक्षकों, मूल लेखनों, साहित्यिक (कथा साहित्य, नाटक तथा कविता को छोड़कर) भारत-विद्या संबंधी, सामाजिक, मानव शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाशन के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए वित्तीय अनुदान स्वीकार्य हैं।

(ग) जी, हां। इस योजना के अंतर्गत, प्रकाशन के लिए, तेलुगू भाषा शामिल है।

[अनुवाद]

आई.एस.आई. मार्कयुक्त उत्पाद

2747. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आई.एस.आई. मार्क वाले उत्पाद, गुणवत्ता नियंत्रण के सभी मानदण्ड पूरा करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं कि बाजार में आई.एस.आई. मार्क वाले उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण का कड़ाई से पालन करें;

(ग) 1991-92 और 1992-93 और जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान मानक सूची में कितनी मदों को जोड़ा गया/सूची से कितनी मदों को निकाला गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) लागू नहीं।

(ग) और (घ)

	1991-92	1992-93	1993 से 31-1-94 तक
वर्ष के दौरान मंजूर किए गए लाइसेंस	1213	1238	1161
व्यपगत/रद्द किए गए लाइसेंस	615	500	983
नई जोड़ी गई मदों की संख्या	23	28	11

गुजरात में ऊपरि पुल

2748. **श्री हरिलाल ननजी पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कितने ऊपरि पुल हैं;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत की आवश्यकता है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) राज्य में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन पुलों की मरम्मत पर कितना धन खर्च किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 44

(ख) कुछ नहीं।

(ग) खर्च का लेखा-जोखा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

वन्य प्राणियों की संख्या कम होना

2749. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालटेनगंज जिले के बेतला और बिहार के अन्य क्षेत्रों में बाघ, हाथी और हिरण जैसे वन्य प्राणियों की संख्या में दिनानुदिन कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ राय) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में बिहार राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) संकटापन्न वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) अनुसूचित वन्यजीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(2) चोरी छिपे शिकाररोधी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(4) वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणीजगत के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाता है।

(7) वन्य जीवों के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांशतः प्रमुख निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(8) चोरी छिपे शिकार करने वालों तथा अवैध व्यापार करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस, सीमा सुरक्षाबल, तटरक्षक और सेना का सहयोग भी लिया जाता है।

(9) ऐसी सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है, जिससे अन्य बातों के अलावा, वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(10) पलामू (बेतला) बाघ रिजर्व के आस-पास पारि विकास की एक स्कीम शुरू की गई है ताकि उस क्षेत्र पर जैवीय दबाव को कम किया जा सके और वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

काजू का उत्पादन

2750. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में काजू का वर्ष-वार और राज्य-वार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा में काजू का निर्यात हुआ; और

(ग) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काजू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के द्वारा, काजू की उन्नत किस्म विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मोटे अनुमान के अनुसार, 1990-91 से 1992-93 की अवधि के दौरान कच्चे काजू का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है :

राज्य	उत्पादन (मीटर टन)		
	1990-91	1991-92	1992-93
केरल	1,42,100	1,43,200	1,51,600
कर्नाटक	25,770	26,750	31,260
गोवा	14,100	14,490	33,810
महाराष्ट्र	29,510	31,960	25,590
तमिलनाडु	12,470	12,710	19,190
आन्ध्र प्रदेश	37,770	40,360	44,880
उड़ीसा	29,100	31,840	39,060
पश्चिम बंगाल	3,438	3,660	3,660
अन्य	331	340	340
कुल	2,94,589	3,05,310	3,49,390

(ख) 1990-91 से 1992-93 के दौरान निर्यात की गई काजू की गिरी की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (टन)
1990-91	49,812
1991-92	64,692
1992-93	53,241

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में एक राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र और काजू उगाने वाले प्रमुख राज्यों में अखिल भारतीय समन्वित काजू अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत 8 अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। अब तक किए गए अनुसंधान से 25 किस्मों का विकास किया गया है जिसमें 16 किस्में निर्यात योग्य श्रेणी के अनुरूप हैं।

[अनुवाद]

नौपदा गुनुपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2751. **श्री के. प्रधानी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नौपदा गुनुपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।

(ग) जून, 1994

कृषि उत्पादन

2752. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का दर्जा क्या है ;

(ख) ऐसी मदों के नाम और उत्पादन मात्रा कितनी है जिनमें भारत का दर्जा विश्व के प्रथम तीन देशों में आता है;

(ग) क्या भारत का प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन विश्व उत्पादन की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत खाद्यान्न उत्पादन में, विश्व में चीन और अमरीका के बाद तीसरे क्रम पर है।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार की गई प्रोडक्शन ईयर बुक 1992 के मुताबिक भारत निम्नलिखित फसलों के उत्पादन में विश्व में पहले तीन देशों में आता है :

फसल	भारत में उत्पादन (1992) (मिलियन टन)	क्रम
धान	109.5	द्वितीय
गेहूं	55.1	तृतीय
दलहन	12.9	प्रथम
गन्ना	249.3	द्वितीय
छिलके सहित मूंगफली	8.2	प्रथम
रेपसीड	5.8	द्वितीय
कपास लिंट	2.20	तृतीय
पटसन	1.3	प्रथम
सब्जियां	59.2	द्वितीय
फल	30.0	द्वितीय
नारियल	7.4	तृतीय
चाय	0.70	प्रथम

(ग) उपर्युक्त फसलों में वर्ष 1992 में भारत में केवल गन्ने और चाय की प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व औसत से अधिक रही।

(घ) फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर धनराशि के निर्धारण के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो फसल के अन्तर्गत आने वाले अधिकतम क्षेत्र हैं, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का कार्यान्वयन जोरशोर से किया जा रहा है। कृषकों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की घोषणा संबंधी नीति भी फसल उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक प्रोत्साहन है। फसल उत्पादन की दृष्टि से अब तक पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

2753. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में स्थापित की गई चीनी मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन चीनी मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन चीनी मिलों के लिए वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) हाल में अर्थात् चालू 1993-94 मौसम (अक्तूबर से सितंबर) 28 फरवरी, 1994 तक के दौरान उत्पादन शुरू करने वाली चौनी मिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए।

(ग) केन्द्र सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1993-94 मौसम के दौरान पहली बार पेराई कार्य शुरू करने वाली चीनी मिलों के नाम

क्र. सं.	मिलों के नाम	स्थान
1	2	3
1.	मै. वीनस शुगर्स लि.	मझावाली (भरतरा) तहसील संभल जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
2.	मै. विल्लर्ड इंडिया लि.	अगोता, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
3.	मै. राणा शुगर्स लि.	बाबा-बाकला, जिला अमृतसर पंजाब
4.	श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना लि.	शेलगांव-भालवानी, डा. जेयूर, तालुका करमाला जिला शोलापुर, महाराष्ट्र
5.	मै. जय किसान एस.एस.के.लि.	बॉरबादी, तहसील दरवाह, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र
6.	मै. शक्ति शुगर्स लि.	हरिपुर गांव, तहसील धेनकनाल सदर जिला धेनकनाल, उड़ीसा

1	2	3
7.	मै. पोन्नी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि.	बोलनगीर, उड़ीसा
8.	मै. वैस्टर्न इंडिया शुगर्स एंड कैमीकल्स इंडस्ट्रीज लि.	धर्मगढ़, तहसील धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, उड़ीसा

[अनुवाद]

चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन

2754. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़-लुधियाना के बीच एक नई रेल लाइन निर्माण करने की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साक्षरता

2755. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने जिलों में साक्षरता का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित कराया है; और

(ग) यदि हां, तो यह जांच किस एजेंसी द्वारा कराई गई है और इस जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" (रा.सा.मि.) का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। रा.सा. मिशन ने जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान की पद्धति को अपनाया है क्योंकि इस कार्यक्रम की मुख्य नीति, वर्ष 1995 तक लक्षित आयु वर्ग के 8 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करना है। अतएव फरवरी, 1994 तक पूर्ण साक्षरता अभियान, 258 जिलों में (पूर्ण या आंशिक कवरेज) आरंभ किए गए। इनमें से 80 जिलों में, नवसाक्षरों की साक्षरता दक्षता को समेकित करने वाले उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं।

"पूर्ण साक्षरता" का तात्पर्य जिले की कुल जनसंख्या के सभी आयु वर्गों की शत-प्रतिशत कवरेज नहीं है। इन कारणों से, यह मानना संभव नहीं है कि किसी भी जिले को एक निश्चित समय पर "पूर्ण साक्षर" नहीं कहा जा सकता।

पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत, पठन/पाठन प्रक्रिया की अवधि के माध्यम से शैक्षिक उपलब्धियों के अनुवीक्षण तथा आवर्ती आन्तरिक मूल्यांकन को युक्तिसंगत बनाया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय, प्रबन्ध/समाज विज्ञान संस्थानों आदि जैसी स्वतंत्र स्वायत्त एजेंसियों से एक बाह्य मूल्याकंन भी कराया गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदण्डों के अनुसार, साक्षरता के निर्धारित स्तरों के संबंध में शिक्षार्थियों/सहभागियों में साक्षरता अभियानों के निष्कर्षों का पता लगाने संबंधी विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रो. अरुण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया।

[अनुवाद]

पूर्व रेलवे में दोहरी लाइन का निमार्ण

2756. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में बरूईपुर और डायमंड हार्बर के बीच दोहरी रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

"बाघ परियोजना" का आंकलन

2757. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1993 में "बाघ परियोजना" के बीस वर्ष पूरे होने पर इसके पहले चरण की सफलता का कोई आंकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आंकलन का ब्यौरा क्या है और यह परियोजना किन-किन स्थानों पर असफल रही ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। "बाघ परियोजना" के 20 साल पूरे होने पर देश में बाघ रिजर्वों के प्रबन्ध की उनमें प्राप्त

सफलता/महसूस की गई असफलताओं का अन्दाज लगाने के लिए समीक्षा की गई इस परियोजना ने बाघों के संरक्षण के अपने लक्ष्य को व्यापक तौर पर पूरा किया है जिसमें बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि भी आती है और इसने बाघ वासस्थलों में वनस्पति जातीय और प्राणिजातीय प्रजातियों के व्यापक क्षेत्र की सुरक्षा करने में भी सहायता की। जैवीय दबाव में वृद्धि के कारण कुछ परिधीय वासस्थलों का अवक्रमण, बाघ के व्युत्पादों के लिए चोरी-छिपे शिकार के खतरों में वृद्धि कुछ बाघ रिजर्वों अर्थात् मानस इन्द्रावती, नागार्जुन सागर, दुधवा, बाल्मीकी आदि में हथियारबन्द डाकुओं का शरण लेना कुछ समस्याओं में से हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी विश्व अभियान

2758. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1993 में नई दिल्ली में 79 देशों के 30 मिलियन से अधिक लोगों में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और इसके संरक्षण हेतु प्रथम "क्लीन अप. द वर्ल्ड" अभियान में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अभियान से लोगों में पर्यावरण के मुद्दे से जुड़े अपशिष्टों के बारे में जागरुकता पैदा हुई है तथा स्थानीय पर्यावरण संबंधी कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में समुदायों को शिक्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "क्लीन अप द वर्ल्ड" का विकास क्लीन अप आस्ट्रेलिया नामक एक समुदाय आधारित पर्यावरणीय संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया गया। "क्लीन अप द वर्ल्ड का" उद्घाट न 17-19 सितम्बर, 1993 के सप्ताहांत में हुआ। इस अभियान में अस्सी देशों के 30 मिलियन से भी अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की खबर है।

(ख) और (ग) इस अभियान में अपने जीवन स्तर में सुधार करने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निम्नतम स्तर पर लोगों को प्रेरित करके विकासशील और विकसित दोनों श्रेणियों के राष्ट्रों में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट उत्पादन और अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए। पता चला है कि भारत से भी कुछ दलों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

वन भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना

2759. **डा. वसंत पवार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा 1993-94 में देश में विभिन्न परियोजना स्थलों

से विस्थापित लोगों को पुर्नवास हेतु परियोजनावार कुल कितने-कितने क्षेत्र की वन भूमि का उपयोग किया गया; और

(ख) कौन-कौन से राज्य ऐसे लोगों के पुनर्वास हेतु वन भूमि का उपयोग करना चाहते हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) सरदार सरोवर परियोजना के बेदखल लोगों के पुनर्वास के लिए दिनांक 28-6-1990 एवं 22-2-1994 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत महाराष्ट्र में क्रमशः 2700 है. एवं 1500 है, अतिरिक्त वन भूमि के अंतरण के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) 28-2-1994 की स्थिति के अनुसार, परियोजना के बेदखलों को बसाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रदान करने के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं था।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि अनुसंधान/विकास केन्द्र

2760. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि विकास केन्द्र और कृषि अनुसंधान केन्द्र कहां-कहां हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी विशेष उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और कृषि विकास केन्द्र और अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान के उक्त केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के अन्य भागों में इस प्रकार की संस्थाओं पर किए गए व्यय की तुलना में उन पर कितने प्रतिशत व्यय किया गया;

(च) क्या सरकार ने राज्य में कृषि के क्षेत्र में शुरू करने हेतु कुछ विशेष योजनाएं बनायी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (छ) सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और उसे यथा समय सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के अनुसंधान केन्द्र

2761. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाली अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा ये कहां कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों और परियोजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन अनुसंधान कार्यों का महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और उसे यथा समय सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शिकार परमिट

2762. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हिरणों का शिकार करने के लिए शिकार परमिट देने का अनुरोध किया है जिनकी संख्या में राज्य में गत दस वर्षों में तीन सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। हिरण के शिकार के लिए आखेट की अनुमति प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में अनुसंधान केन्द्र

2763. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कौन-कौन-सी अनुसंधान परिषदें, अनुसंधान केन्द्र और परियोजनाएं हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) 1992 93 के दौरान और अब तक उक्त केन्द्रों और परियोजनाओं पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) राज्य में इन अनुसंधान कार्यों का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या राज्य सरकार ने राज्य में और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना का अनुरोध किया है, और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रभावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत गुजरात में कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थानों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के नाम और स्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उस राज्य में खाद्य फसलें, तिलहनों, दालों और बागामी फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के विकास से खाद्यान्नों, तिलहनों और बागानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(घ) जी, नहीं।,

(ङ) प्रश्न नहीं नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्थान	व्यय 1992-93
1	2	3	4
1.	तम्बाकू पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	11.92
2.	कीटनाशी अवशिष्टों पर अ.भा.सम.अ.प्रा.	आनन्द	2.75
3.	खरपतवार नियंत्रण पर अ.भा.स.अ.प्र.	आनन्द	4.08
4.	औषधीय और शोभाकारी पौधों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	5.78
5.	जैविक नियंत्रण पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	1.99
6.	आर्थिक पक्षी विज्ञान पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	1.86
7.	सूक्ष्म पोषक तत्व पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	3.36

1	2	3	4
8.	चारे पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	3.78
9.	बारानी कृषि पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	8.28
10.	गोलकृमि पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	2.25
11.	जूनागढ़ पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	1.17
12.	चावल पर अ.भा.स.अ.प्रा.	नवागाम	5.10
13.	मक्का पर अ.भा.स.अ.प्रा.	गोधरा	4.82
14.	ज्वार पर अ.भा.स.अ.प्रा.	सूरत	6.12
15.	ज्वार पर अ.भा.स.अ.प्रा.	दीसा	2.09
16.	गन्ना पर अ.भा.स.अ.प्रा.	नवसारी	2.52
17.	जल प्रबन्ध पर अ.भा.स.अ.प्रा.	नवसारी	8.16
18.	एक्रोलाजी पर अ.भा.स.अ.प्रा.	नवसारी	1.45
19.	कपास पर अ.भा.स.अ.प्रा.	सूरत	12.48
20.	कपास पर अ.भा.स.अ.प्रा.	तालोद	2.65
21.	कपास पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	3.85
22.	कपास पर अ.भा.स.अ.प्रा.	चारोड	2.01
23.	मोटे अनाज पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जमनागढ़	4.99
24.	तिलहन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	13.09
25.	तिलहन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	अमरेली	3.69
26.	तिलहन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	6.95
27.	तिलहन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	3.35
28.	कृषि मौसम विज्ञान पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	2.83
29.	शुष्क क्षेत्र के फलों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	3.58
30.	शुष्क क्षेत्र के फलों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	मुन्द्रा	3.63

1	2	3	4
31.	गेहूं पर अ.भा.स.अ.प्रा.	विजापुर	6.71
32.	गेहूं पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	3.34
33.	आलू पर अ.भा.स.अ.प्रा.	दीसा	4.44
34.	मसाले पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जगुदान	2.04
35.	सस्य परीक्षण पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	7.87
36.	-वही-	जूनागढ़	3.17
37.	-वही-	नवसारी	4.23
38.	-वही	जगुदान	5.92
39.	-वही-	घोदरा	5.11
40.	-वही-	परघादिया	5.69
41.	कटाई के बाद प्रोद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	12.83
42.	सोयाबीन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	1.73
43.	सब्जी पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	2.97
44.	कृन्तक नियंत्रण पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	11.18
45.	ग्वार सुधार पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	2.40
46.	उष्णकटिबन्धीय फलों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	गांधवी	4.65
47.	उपोष्णकटिबन्धीय फलों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	परिया	1.67
48.	जल संसाधन विकास पर अ.भा.स.अ.प्रा.	तारगडिया	5.28
49.	बारानी कृषि पर अ.भा.स.अ.प्रा.	राजकोट	9.87
50.	राष्ट्रीय बीज प्रयोजना पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जामनगर	5.36

1	2	3	4
51.	भेड़ प्रजनन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	3.30
52.	कृषि वानिकी पर अ.भा.स.अ.प्रा.	-वही-	6.75
53.	भेड़ प्रजनन (ऊन) पर अ.भा.स.अ.प्रा.	-वही-	21.00
54.	व्रन चरागाह पर अ.भा.स.अ.प्रा.	बचाऊ	3.15
55.	मुर्गीपालन पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	12.00
56.	कृषि उपोत्पाद पर अ.भा.स.अ.प्रा.	-वही-	3.30
57.	दालों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	14.47
58.	दालों पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	4.49
59.	यू.यू. एवं यू.यू.पी. पर अ.भा.स.अ.प्रा.	एस.के. नगर	2.45
60.	बीज से पैदा होने वाली बीमारी पर अ.भा.स.अ.प्रा.	आनन्द	4.30
61.	मूंगफली पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प. संस्थान) पर अ.भा.स.अ.प्रा.	जूनागढ़	92.78

अ.भा.स.अ.प्रा. - अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना।

रा.अ.के. - राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

2764. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई है;

(ख) इस निगम की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रत्येक मौसम के फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारे किसानों को सहायता देने में इस निगम की वास्तविक भूमिका क्या है; और

(घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक

गतिविधियों के सुधार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) संसद द्वारा कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री तथा कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं के सहकारी सिद्धान्तों पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भण्डारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके संवर्धन के प्रयोजन हेतु बनाए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 (1962 का 26वां) के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किसानों की सहकारी समितियों की संख्या के संवर्धन, सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए उत्तरदायी है ताकि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और किसानों की आय को बढ़ाने और किसानों के उत्पाद की कीमत बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद के कार्यकलापों को शुरू किया जा सके।

(घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 (28-2-94 तक) के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 340.31 करोड़ रुपये और 197.59 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

उड़ीसा में नई रेल लाइन

2765. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लान्जी गढ़-जूनागढ़ नई रेल लाइन परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी निधि का नियतन किया गया है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 100.00 करोड़ रुपये,

(ख) 1993-94 के लिए एक करोड़ रुपये,

(ग) और (घ) प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य शुरू करना उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि सौंप दिए जाने पर निर्भर करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा अभी तक उपलब्ध कराए गए भूमि के एक मात्र टुकड़े पर भवानी पटना में स्टेशन इमारत का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

लिलुआ रेल फाटक पर फ्लाई ओवर

2766. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिलुआ रेल फाटक पर फ्लाई ओवर बनाने की काफी लंबे समय से मांग की जा रही है;

(ख) क्या इसके निर्माण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1988-89 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम का यह एक अनुमोदित काम है। सामान्य विन्यास आरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। अनुमान और नक्शे राज्य सरकार के अनुमोदाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्कस के जानवर

2767. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्कस में जानवरों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार, सरकार ने भालुओं, बन्दरों, कुत्तों, बाघों और चीतो के प्रशिक्षण और प्रबन्ध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस मामले को भारत सर्कस संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया गया और उच्चन्यायालय द्वारा मामले के निपटारे तक के लिए आदेशों पर रोक लगा दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों को रियायत

2768. **श्री एन. डेनिस** :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वातानुकूलित कुर्सीयानो में विकलांगों को रेल यात्रा में रियायत प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) नीति विषयक मामले के रूप में, वातानुकूल दर्जों के किरायों में कोई रियायत नहीं दी जाती है। अतः, वातानुकूल कुर्सीयान में यह रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लौंग की खपत

2769. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लौंग का कुल कितना उत्पादन होता है और इसकी कितनी खपत होती है, और;

(ख) लौंग उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है और इसका बाजार मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) देश में लौंग के कुल उत्पादन तथा खपत का अद्यतन अनुमान नीचे दिया गया है :

(मी. टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	अनुमानित खपत
1990-91	1500	806	2306
1991-92	1500	1594	3094

(ख) सरकार द्वारा लौंग के उत्पादन की लागत के अनुमान एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। 1993-94 (जनवरी 1994) के दौरान कोचीन बाजार में लौंग का मूल्य 97 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया था।

[हिन्दी]

साइबेरियाई सारस

2770. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारतीय पक्षी अभयारण्यों में साइबेरियाई सारस नहीं आये हैं;

(ख) क्या सरकार उनके न आने के कारणों का पता लगा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस दुर्लभ पक्षी तथा अन्य प्रवासी पक्षियों को भारत में आकर्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। वे नहीं आये हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार साइबेरियाई क्रेनों के न पहुंचने के कारणों को जानने

के प्रयास कर रही है और रूस, अमरीका तथा जापान के विशेषज्ञों के सहयोग से केवल देव राष्ट्रीय उद्यान के इस प्रजाति पर एक परीक्षण चल रहा है।

(ग) भारत में इस दुर्लभ पक्षी तथा अन्य प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने और सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित अन्य कदम उठाए जा रहे हैं :

1. सर्दी के मौसम में भारत में आने वाले साइबेरियाई क्रेनों की घटती बढ़ती आबादी के मुद्दे को प्रवासी प्रजातियों संबंधी कन्वेंशन (बोन कन्वेंशन) के साथ उठाया गया है तथा इस रेंज के देशों तथा इस पक्षी के प्रवास मार्गों और बैठने के ग्राउण्डों में पड़ने वाले देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

2. साइबेरियाई क्रेन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनूसूची I में रखा गया है जिसके द्वारा इस प्रजाति को अधिकतम कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

3. इस पक्षी तथा अन्य अनूसूचित पक्षियों के शिकार पर कानून के तहत पूर्ण प्रतिबंध है।

4. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात का संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन का सदस्य होने के नाते संकटापन्न प्रजातियों के किसी भी अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत इसके सभी विनियमों का पालन करता है।

5. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को उनके विकास और सुरक्षा के लिए सहायता दी जाती है।

6. पक्षियों तथा अन्य संकटापन्न प्रजातियों के किसी भी प्रकार के अवैध शिकार को रोकने के लिए फील्ड कर्मचारियों को मजबूत संचार नेटवर्क सहित अस्त्र शस्त्र और हथियार प्रदान किए जाते हैं।

जब्त की गई वन्य जीवों की खालें और हड्डियां

2771. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हाल ही में वन्य जीवों की खालें और हड्डियां बड़े पैमाने पर जब्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हाल में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में वन्यजीवों की खालें एवं हड्डियां नहीं पकड़ी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी बैठक

2772. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ग्यारह देशों के पर्यावरण मंत्रियों की आगरा में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(ग) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(घ) इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर हुई सहमति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण से संबंधित और सामाजिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आगरा में 24-25 फरवरी 1994 को 10 देशों के पर्यावरण मंत्रियों और तीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यपालक निदेशक, विश्व पर्यावरण सुविधा के अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

(ख) इस बैठक में ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, मलेशिया, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था।

(ग) भाग लेने वाले मंत्रियों ने चार बड़े मामलों पर चर्चा की अर्थात् सतत् विकास आयोग की भूमिका, विश्व पर्यावरण सुविधा की पुनःसंरचना, रियो सम्मेलन में अपनाए गए वानिकी सिद्धांतों का कार्यान्वयन तथा व्यापार और पर्यावरण के बीच सम्पर्क।

(घ) विचारों के आदान-प्रदान के दौरान गरीबी उन्मूलन की हमारी पहली प्राथमिकता के दृष्टिकोण को दोहराया गया। इस बात पर आम सहमति थी कि यदि कार्रवाई कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाना है तो सतत् विकास आयोग की भूमिका को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

परीक्षा सुधार

2773. **मेजर जनरल (रिटायर्ड)** :
भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 28 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 और 3066 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मूल्यांकन और परीक्षा' पर कृतिक बल की सिफारिश क्रियान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) कृतिक बल की सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) मूल्यांकन और परीक्षा सुधार पर गठित कार्यबल ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक औपचारिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपनाए जाने के लिए अनेक मौलिक परिवर्तनों और कार्यनीतियों की सिफारिश की है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा राष्ट्रीय स्तर के संसाधन संस्थानों से सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। कार्यवल द्वारा की गई सिफारिशें दीर्घकालीन प्रकृति की हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन

2774. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नैनपुर जंक्शन (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1993 में रेल लाइन बदलकर बड़ी रेल लाइन बिछाने संबंधी आमान परिवर्तन के कार्यक्रम को स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कार्यक्रम को पुनः कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) अक्तूबर/नवम्बर, 1993 में नैनपुर में किसी बड़ी लाइन के आमान परिर्वतन कार्य को शुरू करने की कोई योजना नहीं थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों के कल्याण का संरक्षण

2775. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों के कल्याण के सरंक्षण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और 1993-94 में इन योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार और राज्य-वार तथा वर्ष-वार की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) आठवीं योजना अवधि के लिए 4200 लाख रुपये के परिव्यय से "मछुआरों के कल्याण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के निम्नलिखित घटक हैं :–

(1) **समूह दुर्घटना बीमा** : इस घटक के अंतर्गत सक्रिय मछुआरों की मौत अथवा स्थायी अपंगता के प्रति 25,000 रुपये और एक आंख अथवा एक अंग के खराब हो जाने के कारण आंशिक अपंगता के लिए 12,500 रुपये का बीमा किया जाता है।

(2) **मॉडल मछुआरा गांवों का विकास** : इस घटक के अंतर्गत मुहैया कराई गई सुविधाओं में 100 मकानों के मॉडल गांव के लिए 37.50 लाख रुपये की अधिकतम लागत पर मकानों, नलकूपों और सामुदायिक भवनों का विनिर्माण शामिल हैं।

(3) **सामुद्रिक मछुआरों के लिए बचत-एवं-राहत** : इस घटक के अंतर्गत 8 मत्स्यन महीनों की अवधि के लिए सक्रिय समुद्री मछुआरों से 45 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से एकत्र की गई राशि में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इतनी ही राशि मिलाई जाती है और संचित निधि को मत्स्यन की कमी वाले 4 महीनों के दौरान लाभानुभोगियों में वितरित किया जाता है।

तीनों घटकों के तहत राजसहायता केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर बराबर वहन की जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990–91, 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान ''मछुआरों के कल्याण'' की प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

राज्य	1990–91		1991–92			1992–93			1993–94 (अब तक)		
	समूह बीमा	गांवों का विकास	समूह बीमा	गांवों का विकास	बचत एवं राहत	समूह बीमा	गांवों का विकास	बचत एवं राहत	समूह बीमा	गांवों का विकास	बचत एवं राहत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	5.00	–	5.00	–	–	–	50.00	–	–	25.00	–
असम	–	5.59	–	–	–	–	6.08	–	–	–	–
बिहार	0.43	9.00	2.41	2.58	–	–	–	–	2.00	10.00	–
गोवा	–	–	0.25	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	1.35	–	1.63	7.00	–	1.38	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	0.02	–	0.10	–	–	0.10	–	–	0.11	–	–
कर्नाटक	2.70	15.35	3.25	11.97	–	–	–	28.60	3.38	78.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल	6.45	19.24	8.74	35.00	180.00	8.74	–	288.40	7.19	–	95.66
मध्य प्रदेश	1.00	–	2.38	–	–	2.00	–	–	2.06	8.00	–
महाराष्ट्र	0.81	–	2.56	–	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	0.09	3.21	0.10	–	–	–	15.00	–	–	–	–
उड़ीसा	2.70	–	3.60	–	1.00	4.34	15.00	3.60	4.88	–	7.20
तमिलनाडु	7.50	11.47	9.02	37.54	–	10.93	30.00	306.00	10.17	138.54	429.73
त्रिपुरा	0.45	–	1.00	–	–	–	–	–	0.71	–	–
उत्तर प्रदेश	1.22	10.50	1.52	11.57	–	1.31	14.65	–	0.77	10.31	–
पश्चिम बंगाल	0.84	25.65	4.85	–	–	6.00	–	–	7.00	–	–
अण्डमान और निकोबार	0.09	–	0.22	–	0.72	0.27	–	–	0.28	–	0.72
लक्षद्वीप	0.03	–	0.03	–	–	0.03	–	–	–	–	–
पाण्डिचेरी	1.29	–	1.62	–	–	1.77	3.50	43.10	1.83	–	50.94
योग	31.97	100.00	48.43	105.66	181.72	36.87	134.23	669.70	40.38	270.55	584.25

''बचत–एवं–राहत'' नामक घटक 1991–92 में आरम्भ किया गया।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस हेतु मानदंड

2776. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चीनी मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस मानदंडों में छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस छूट से सरकार तथा चीनी मिलें लगाने वाले आवेदकों को लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) चीनी मिलों को लाइसेंस मुक्त करने के वैकल्प सहित चीनी मिलों की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति विचाराधीन है।

हुबली-होसपेट बड़ी लाइन

2777. **श्री जी. माडेगौडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान हुबली-होसपेट बड़ी लाइन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या परियोजना के लिए आबंटित धनराशि का पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है अथवा उसे किसी अन्य राज्यों को दे दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 8 करोड़ रुपये।

(ख) उसी राज्य में सन्निकट खंड के आमान परिवर्तन के लिए निधि के भाग का उपयोग किया गया था।

दालों का निर्यात

2778. **डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बतामे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के निर्यात के मामले में नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा उसके मंत्रालय के बीच वैचारिक मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जन-साधारण के हित में मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) निर्यात-आयात नीति के अनुसार, सभी प्रकार की दालों और संसाधित दालों के लाइसेंस के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाती है। 1993-94 के दौरान, 50,000 मी. टन तक का निर्यात करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। कर-मुक्त योजना के तहत अथवा ई.ओ.यू./ई.पी. जैड. की इकाई द्वारा आयातित दालों में से संसाधित दालों का निर्यात करने की अनुमति किसी भी लाइसेंस के बगैर ही दी जाती है।

बोगियों को बदलना

2779. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चलने वाली रेलगाड़ियों में लगी अधिकांश बोगियां जर्जर स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान पर नई और अच्छी बोगियां लगाने के लिए उठाए जा रहे समुचित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

2780. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने हाल ही में अपनी अड़सठवीं बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या उक्त बैठक में अनुसंधान और शिक्षा के बीच के बढ़ते अन्तर को कम करने का सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में संयुक्त स्थाई समिति गठित करने का दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, भा.वि.सं. की 68वीं बैठक नई दिल्ली में 18 दिसम्बर, 1993 को आयोजित की गई।

(ख) इस बैठक में वैज्ञानिक एंव अनुसंधान परिषद -- "विश्वविद्यालय के बीच पारस्परिक प्रभाव तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच संरचनात्मक संबंधों की आवश्कता" नामक दो प्रस्तावों पर विचार किया गया।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासभा ने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच पारस्परिक प्रभावों को प्रोन्नत और सुदृढ़ करने संबधी तरीके ढूंढने के लिए एक लघु दल गठित करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी-बोंगाईगांव रेल लाइन का विद्युतीकरण

2781. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी-बोंगाईगांव रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार/केंद्रीय भंडार

2782. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और केंद्रीय भण्डार सप्लायरों को ब्याजमुक्त जमाराशि देने के लिए बाध्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ग) सरकार ने जमाराशि की वापसी के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भीतरकनिका अभयारण्य

2783. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के भीतर कनिका अभयारण्य से होकर तलचर से राजनगर तक लम्बी सड़कें/पुल/पुलियों के निर्माण के संबंध में शिकायतें तथा अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को भित्तरकनिका अभयारण्य से होकर राजनगर से तलचुआ तक सड़कों और पुलों के निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस संबंध में किए गए किसी पर्यावरणीय मूल्यांकन के बारे में सूचना नही दी है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने मौके पर अध्ययन करने के लिए अभयारण्य का दौरा करने के वास्ते अधिकारियों का एक दल भेजा था दल की रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाओं के हताहतों को मुआवज़ा

2784. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की वर्तमान राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्री यातायात के स्तर और वसूल किए जाने वाले किराये को देखते हुए क्षतिपूर्ति की मौजूदा दरें पर्याप्त समझी जाती हैं।

[अनुवाद]

गन्ने का एकरूप मूल्य का भुगतान

2785. **श्री राम नाईक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लि. ने गन्ने के एकरूप मूल्य के भुगतान के संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है/की जाएगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) हाल ही में इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथापि, इस मामले पर 5-2-1994 को हुए राज्यों के चीनी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि गन्ने की युक्तियुक्त एक समान मूल्य निर्धारण नीति के बारे में सिफारिश करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय को लाना

2786. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले का अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है कि डाक्टर एवं अस्पताल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सीमा के तहत नहीं आएंगे, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की रिपोर्ट अखबारों में छपी है। सरकारी सूचना की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार के मामले अन्य उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं।

नारियल विकास बोर्ड

2787. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान नारियल विकास बोर्ड के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान इस आबंटन में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नारियल की खेती करने वालों को सामान्यतः और जिनकी फसल मारी गई है, उनको विशेष सहायता देने हेतु बोर्ड द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993-94 के दौरान नारियल विकास बोर्ड को 1840 लाख रुपये आबंटित किये गये थे।

(ख) और (ग) जी, हां। 1994-95 के दौरान 2032 लाख रुपये बोर्ड को आबंटित किये गये हैं।

(घ) नारियल विकास बोर्ड ने उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए नारियल उत्पादकों को मदद देने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किया है

1. गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण।
2. नारियल के तहत क्षेत्र-विस्तार।
3. उत्पादकता सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित फार्मिंग।
4. पत्ती खाने वाले कैटरपिलर का समेकित नियंत्रण।
5. नारियल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना।
6. विस्तार तथा प्रकाशन क्रियाकलाप।
7. राष्ट्रीय नारियल सूचना तथा प्रलेखन केंद्र की स्थापना।

प्रत्येक कार्यक्रम में चुने हुए आदानों पर सब्सिडी के रूप में विशेष सहायता दी जाती

है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिकों के उपयोग संबंधी योजना के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है।

2. उपरोक्त सूची में से "नारियल जोतों में समेकित फार्मिंग" और "पत्ती खाने वाले कैटरपिलर का समेकित नियंत्रण" संबंधी योजनाएं रोगग्रस्त बागान की उत्पादकता में सुधार करना है। पहली योजना के तहत रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक पामों की कटाई करने तथा हटाने, पुनर्रापण करने तथा पौध रक्षण व उर्वरक उपयोग के लिये सहायता दी जाती है। दूसरी योजना के अन्तर्गत कीटों से प्रभावित राज्यों में कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला एककों की स्थापना की जाती है।

भोपाल और इन्दौर के बीच रेल लाइन

2788. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल और इंदौर के बीच रेल लाइन को दोहरा बनाने के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) 1993-94 के लिए कितने मार्ग को दोहरा करने का लक्ष्य था और उसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और अब तक कितनी रेल लाइन को दोहरा किया जा चुका है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए कौन-कौन-सी विकास योजनाएं हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए इस पूरे खंड के दोहरीकरण का औचित्य नहीं है। बहरहाल, कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाकर इस खंड को उत्तरोत्तर दोहरा किया जा रहा है, जो इस प्रकार है:-

भोपाल और बैरागढ़ तथा उज्जैन और मक्सी के बीच पहले ही दोहरी लाइन है। बोलाई-अकोदिया के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है जबकि बैरागढ़ और बकानियां भौंरी तथा बकानियां भौंरी फंदा के बीच यह कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 1993-94 के लिए 10.64 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से दिसम्बर, 1993 तक 3.51 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं।

(ग) 1994-95 के बजट में 3.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

पंचरत्न से गुवाहाटी रेल लाइन

2789. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंचरत्न से गुवाहाटी तक रेल लाइन बिछाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 31-1-1994 को 57.5 प्रतिशत,

(ख) ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी पर पुल का निर्माण करने जैसा कठिन कार्य तथा संसाधनों की तंगी।

(ग) 31-12-1996।

गोदामों का निर्माण

2790. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **खाद्य मंत्री** 1 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपेश्वर और सतपुली में भारतीय खाद्य निगम और श्रीनगर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय भांडागार निगम के गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है और वे कार्य करने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन गोदामों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) केंद्रीय भंडारण निगम का पौढ़ी गढ़वाल जिले में स्थित श्रीनगर में 5000 मीटरी टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस गोदाम का निर्माण करने का कार्य जनवरी, 1994 में सौंप दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुमान है कि निर्माण कार्य दिसंबर, 1994 तक पूरा हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम का 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गोपेश्वर और सतपुली में प्रत्येक में 2500 मीटरी टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है इन गोदामों का वास्तविक निर्माण धनराशि, भूमि, आदि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

तृतीय श्रेणी के रेल कर्मचारी

2791. **श्रीमती शीला गोतम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि कुछ कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी का माना जाय और तदनुरूप वेतन दिया जाय परंतु विभाग, उन्हें अभी भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मान रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें कब से तृतीय श्रेणी का कर्मचारी माना जायेगा; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रांची रोड रेलवे स्टेशन की घटना

2792. **श्री ललित उरांव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनवाद को रेलवे गुप्तचर शाखा ने सितंबर, 1993 के दौरान रांची रोड रेलवे स्टेशन पर छापा मारने के बाद लौह/तस्करों को चुराये गये लोहे के साथ रंगे हाथ पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे छापे किस-किस समय और किन-किन स्थानों पर मारे गये तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों तथा जब्त रेलवे की सम्पत्ति (लोहे) का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी, हां रेल सुरक्षा बल, धनवाद मंडल पूर्व रेलवे की अपराध आसूचना शाखा ने 1-9-93 की रात को धनवाद मंडल के रांची रोड रेलवे स्टेशन और हसला गेट के बीच मारे गये छापे के दौरान 5 शरारती व्यक्तियों को 29000 रु. मूल्य की रेल संपत्ति (लोहा) सहित पकड़ा था। इस संबंध में, रेल सुरक्षा बल चौकी/पतरालू ने रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3(क) के अंतर्गत 2-9-93 को मामला सं. 34/93 दर्ज किया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	मारे गये छापे का स्थान	दिनांक और समय	बरामद की गयी संपत्ति का मूल्य	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1991-92				
1.	पुलिस स्टेशन और पहाड़पुर अधिकार क्षेत्र के बीच	19-6-91 14.30 बजे	1,000 रुपये	8
2.	कोडोवाडी गांव की दुकान/ गोदाम, पुलिस स्टेशन कुंडा जिला-गरीडी	27-7-91	4,000 रुपये	4
3.	रंगोली मार्केट, पुलिस स्टेशन रंगोली, जिला-नोआदा	20-8-91 11.30 बजे	100 रुपये	1

1	2	3	4	5
4.	अजय स्टील इंडस्ट्री में, महूदा मोड, जिला धनबाद	2-9-91 11.00 बजे से 13.00 बजे तक	12,000 रुपये	2
1992-93				
5.	कटिहार का चौक	18-7-92 13.00 बजे	1,500 रुपये	1
6.	पोंगाबाद में, पुलिस स्टेशन रामगढ़, जिला-हजारीबाग	8-2-93 19.00 बजे	4,800 रुपये	1
7.	पारसनाथ रेलवे स्टेशन	2-3-93 04.30 बजे	800 रुपये	2
1993-94 (28-2-94 तक) :				
8.	कटिहार की पानी टंकी	4-4-93 11.30 बजे	800 रुपये	4
9.	गंगापुल पर, धनबाद	23-7-93 09.15 बजे	150 रुपये	1
10.	लियामोड़, जिला-धनबाद	12-8-93 16.30 बजे	250 रुपये	1
11.	कोचिंग यार्ड बरकाखाना	16-8-93 17.30 बजे	7,374 रुपये	1
12.	रांची रोड, हसाला गेट के बीच कि.मी. 93/10 पर	1/2-9-93 00.40 बजे	20,000 रुपये	5
13.	हजारीबाग रेलवे स्टेशन	29-9-93 15.00 बजे	6,000 रुपये	2
14.	धनबाद बनियापुर मार्ग पर	7-11-93 13.00 बजे	10,700 रुपये	कुछ नहीं
15.	पाथडीह वस्सरी	16-12-93 04.00 बजे	4,400 रुपये	कुछ नहीं

1	2	3	4	5
16.	चन्द्रपुरी रेलवे स्टेशन	18-12-93 04.30 बजे	19,000 रुपये	1
17.	रफूरका मार्केट में दुकान/ गोदाम, रामनगर, धनबाद	20-12-93 16.00 बजे से 17.30 तक	3,000 रुपये	1
18.	केसावाड़ी और चौबे	28-12-93 07.30 बजे	3,600 रुपये	7
19.	टेलो रेलवे स्टेशन	6-1-94 04.45 बजे	2,000 रुपये	3

[अनुवाद]

भद्रा नदी में प्रदूषण

2793. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कूद्रेमुख लौह अयस्क लिमिटेड द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों से भद्रा नदी प्रदूषित हो गयी है, जिससे भारी संख्या में जलचर मारे गए;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि बालेहन्नौर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों की यह शिकायत है कि जल पीने योग्न नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कर्नाटक लौह अयस्क कंपनी से नीचे की ओर भद्रा नदी के किनारे लौह अयस्क जमा किया जाता है जिससे जल प्रदूषण हो सकता है। तथापि, भद्रा नदी में मछलियों के मरने के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) कंपनी ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सहमति में यथानिर्धारित अवरोध बन्धों और उचित वनीकरण उपायों की व्यवस्था करके भद्रा में लौह अयस्क और गाद के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

औषधीय पौधे

2794. **डा. असीम बाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी औषधीय पौधों की कोई एक राष्ट्रीय सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत को औषधीय पौधों के क्षेत्र में पेटेन्ट संबंधी दावे को प्रतिपादित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय प्रणाली वर्तमान में तैयार की जा रही है।

प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र

2795. **श्री रामबदन :**
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री शिवाजी पटनायक :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री छेदी लाल पासवान :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री अन्ना जोशी :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1993 के दौरान देश में सूखा बाढ़, तूफान, अकाल, भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों, जहां ऐसी आपदाएं प्रायः आती रहती हैं का पता लगाने हेतु कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) 1993 के दौरान इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितने लोगों की जानें गईं तथा फसल, पशुधन और संपत्ति का अनुमानतः कितना नुकसान हुआ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आपदा राहत कोष से पुनर्वास तथा राहत कार्य हेतु राज्य-वार कितनी केंद्रीय सहायता दी गई;

(ङ) बार-बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं की समस्या का सामना करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित कौन-कौन-से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा इसके अन्तर्गत राज्य-वार कितनी सहायता दी गई; और

(च) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस समस्या का सामना करने हेतु दी जा रही सहायता राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (च) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टर

2796. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समय कितने क्वार्टर हैं तथा कितने और क्वार्टरों के निर्माण की आवश्यकता है; और

(ग) इन क्वार्टरों का निर्माण कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में 71349 क्वार्टर हैं। आवास की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए, अतिरिक्त क्वार्टरों की व्यवस्था करने से संबधित कार्य हर वर्ष शुरू किए जाते हैं लेकिन यह धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों में एम.आई.ओ.

2797. **श्री रवि राय :**
डा. आर. मल्लू :
श्री जे. चोक्का राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल के संबंध में मार्किट इंटरवेन्शन आपरेशन (एम.आई.ओ.) को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तिलहन उत्पादकों एवं खाद्य तेल उपभोक्तओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तिलहनों/खाद्य तेलों के मामले में मंडी हस्तक्षेप क्रियाकलापों की शर्तें अप्रैल, 1989 से मार्च, 1994 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए हैं।

(ग) विगत कुछ वर्षों में तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि सहाकारी विपणन संघ (नैफेड) को तिलहनों की संकटकालीन बिक्री रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तिलहनों का उत्पादन तथा उपभोक्ताओं को खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 21 राज्यों के 325 तिलहन उत्पादक जिलों में बीज, मुख्य प्रदर्शन, राइजोबियम कल्चर, फार्म उपकरण, छिड़काव यंत्र, पौध रक्षण रसायनों आदि जैसे घटकों संहित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। खाद्य तेलों के मूल्यों तथा उपलब्धता की सतत् समीक्षा की जा रही है। जमाखोरी रोकने के लिए समय-समय पर तिलहनों तथा खाद्य तेलों के स्टॉक की सीमाएं निर्धारत की जाती हैं। तिलहनों के उत्पादन, मांग तथा उपलब्धता की स्थिति के आधार पर खाद्य तेलों के आयात के संबंध में निर्णय लिये जाते हैं।

वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विज्ञान परियोजना

2798. **श्री शांताराम पोतदुखे** :
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज तक राज्य वार कितने जिलों में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वनधारा विकास परियोजना चलाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि, प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पौध सामग्री के उत्पादन हेतु इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य वार आज तक कितनी कम्पोजिट/किसान और सरकारी पौधशालाएं बनायी गईं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में और अधिक पौधशालाएं बनाने का है;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार ने कोई संदर्शी योजना बनायी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 25 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 363 जिले सम्मिलित किये गये हैं। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये जिलों को राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1990-91, 1991-92 और आठवें प्लान के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपचार किये जाने वाले वर्षा सिंचित क्षेत्रों के आधार पर धनराशि का आबंटन किया गया है। इस परियोजना के तहत आबंटित 1310.37 करोड़ रुपये की राशि में से सहभागी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 469.01 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। क्षेत्र कार्मिकों, मित्र किसानों (संपर्क किसानों) गोपालों (भूमिहीन श्रमिकों) और अन्य लाभानुभोगियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पुस्तिकाओं/निर्देशिकाओं के रूप में, जिसमें परियोजना का सामान्य रूप में मूलभूत अवधारणा तथा कार्यनीति स्पष्ट की गई है, विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अनुसंधानात्मक पहलुओं के बारे में तथा नर्सरियों की स्थापना के लिए भी विशिष्ट तथा विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं और इन्हें सहभागी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की अवधारणा, कार्यनीति तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र कार्मिकों को स्पष्ट करने तथा इस परियोजना का प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्र दौरा सहित राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्र स्तरीय समीक्षायें भी की जा रही है।

(घ) आज तक स्थापित सरकारी नर्सरियों तथा संयुक्त/किसान नर्सिरियों की संख्या 2028 है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य-वार स्थापित नर्सरियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रत्येक सूक्ष्म पनधारा क्षेत्र में एक संयुक्त नर्सरी की स्थापना करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह नर्सरी पनधारा समुदाय को उनकी पसन्द तथा अपेक्षाओं के अनुसार पौद तथा अन्य रोपण सामग्री को आपूर्ति करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम कर सकें।

(छ) जी, नहीं।

(ज) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के पनधारा विकास के लिए 25 वर्षीय संदर्शी योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आगे समुचित कार्यवाही करने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

विवरण -I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत शामिल किये गये जिलों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शामिल किये गये जिलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	22
4.	बिहार	35
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	18
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	20
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	44
13.	महाराष्ट्र	29
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	13
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	27
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	14
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	35
25.	पश्चिम बंगाल	15

1	2	3
26.	दादर एवं नगर हवेली	1
27.	दमन एवं दीव	2
28.	अंडमान और निकोबार	1
	कुल	363

विवरण-II

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत दी गई धनराशि तथा वित्तीय परिव्यय का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण

(रुपये करोड में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1990 91 1991 92 तथा आठवें प्लान के दौरान वित्तीय परिव्यय	आज तक निर्मुक्त किया गया कोष
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	91.61	43.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.33	0.44
3.	असम	28.43	13.31
4.	बिहार	65.05	13.03
5.	गोवा	02.93	0.28
6.	गुजरात	97.32	29.53
7.	हरियाणा	18.84	3.94
8.	हिमाचल प्रदेश	06.46	2.00
9.	जम्मू और कश्मीर	05.59	1.54

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	118.37	54.98
11.	केरल	24.54	11.14
12.	मध्य प्रदेश	215.17	48.40
13.	महाराष्ट्र	211.38	65.86
14.	मणिपुर	01.01	0.94
15.	मेघालय	01.86	0.64
16.	मिजोरम	0.80	1.81
17.	नागालैंड	01.75	1.38
18.	उड़ीसा	64.15	29.28
19.	पंजाब	07.53	3.81
20.	राजस्थान	159.05	71.22
21.	सिक्किम	01.91	1.53
22.	तमिलनाडु	41.51	15.12
23.	त्रिपुरा	02.91	1.36
24.	उत्तर प्रदेश	97.51	45.05
25.	पश्चिम बंगाल	44.84	9.05
26.	अंडमान और निकोबार	0.30	0.25
27.	चंडीगढ़	0.30	
28.	दादर नगर हवेली	0.32	0.02
29.	दिल्ली	0.10	
30.	दमन और दीव	0.17	0.02
31.	लक्ष्यद्वीप	0.15	
	कुल	1310.37	469.01

विवरण-III

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन स्थापित संघ शासित क्षेत्र-वार संयुक्त/किसान/सरकार के अधीन नरसरियां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थापित की गई नर्सरियों की संख्या			समग्र योग
		संयुक्त	किसान	सरकारी	
1	2	3	4	5	6
1.	आध प्रदेश	45	49	10	104
2.	अरुणाचल प्रदेश	–		–	–
3.	असम	57	124		181
4.	बिहार	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	76	12	88
7.	हरियाणा		–		–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	
9.	जम्मू और कश्मीर	6	–	–	6
10.	कर्नाटक	–	87	15	102
11.	केरल	1	232	1	234
12.	मध्य प्रदेश	275	40	16	331
13.	महाराष्ट्र	41	–	–	41
14.	मणिपुर	5	51	–	56
15.	मेघालय	8	3	–	11
16.	मिजोरम	40	–	20	60
17.	नागालैंड	7	–	–	7

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	194	–		194
19.	पंजाब			8	8
20.	राजस्थान	–	230	24	254
21.	सिक्किम	12	140	–	152
22.	तमिलनाडु		–		
23.	त्रिपुरा			13	13
24.	उत्तर प्रदेश	186			186
25.	पश्चिम बंगाल			–	
26.	दादर और नगर हवेली			–	
27.	दमन और दीव			–	
28.	अंडमान और निकोबार				–
	कुल	877	1032	119	2028

खुदाई कार्य

2799. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में की गयी खुदाई में किन-किन स्थानों पर महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्रियां प्राप्त हैं;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान उड़ीसा एवं अन्य राज्यों में किसी प्रकार की खुदाई कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जिन स्थानों पर पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री पाई गई हैं; उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 1994-95 के दौरान, विभिन्न राज्यों में जो उत्खनन-कार्य किए जाएंगे;

उनका निर्णय तभी लिया जाएगा, जब केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थायी समिति को विभिन्न एजेंसियों से उत्खनन-कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे।

विवरण

1. **असम**

   दशभुजा देवस्थान, जिला गोलपाड़ा।

   श्री श्री सूरजपहाड़, जिला गोलपाड़ा।

2. **बिहार**

   दुल्भी, जिला सिंहभूम।

   कोल्हुआ वैशाली, जिला मुजफ्फरपुर।

3. **दिल्ली**

   लालकोट, दिल्ली (अब दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी)

4. **गोवा**

   सेंट आगस्टाइन चर्च।

5. **गुजरात**

   धोलावीरा, तहसील बचुआ, जिला कच्छ।

   अन्वेषण और बम्बई के निकट सोपड़ा में छोटी खाइयां।

6. **हरियाणा**

   उत्तर में दिल्ली के बीच का क्षेत्र और गुड़गांव (हरियाणा) का हिस्सा।

7. **हिमाचल प्रदेश**

   दत्त नगर, जिला शिमला।

8. **कर्नाटक**

   हम्पी, जिला बेल्लारी।

   सन्नति, कंगनहाली हसरगुंडगी, जिला गुलबर्गा।

   गुदनापुर, तालुक सराय, जिला उत्तर कन्नड़।

9. **महाराष्ट्र**

   हीनयान गुफाएं, तहसील कराड़ जिला सतारा।

   वैनगंगा घाटी और इसकी सहायक नदियां, जिला नागपुर और भंडारा।

आदम, जिला नागपुर।

कचारगढ़ जिला भंडारा।

पौनी, जिला भंडारा।

10. **तमिलनाडु**

मामल्लपुरम, तालुक चेगे-एम.जी.आर. चिंगलपुट।

आदिछनाल्लुर, तालुक श्री वैकुण्ठम, जिला वी. ओ. चिदम्बरनार तिरुनेलवेल्ली।

11. **उत्तर प्रदेश**

गांव इनायपुर स्थित सराह-वराह, तहसील फतेहाबाद, आगरा।

माहेथ श्रावस्ती, जिला बहराइच/गोंडा।

सारनाथ, वाराणसी।

12. **उड़ीसा**

बाराबती किला, जिला कटक।

गोलबाई सासन, जिला पुरी।

महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें

2800. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने बीड-अहमदनगर-परली और मनमाड-मालेगांव-धूलिया-नरदामा के बीच एक नए रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) धुले और नरदाना के बीच नयी रेल लाइन (37 कि. मी.) के लिए टोह-सर्वेक्षण का काम 1994-95 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2801. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के चुनिंदा पिछड़े ब्लॉकों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई पुनरीक्षा की गई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने ब्लॉकों को राज्य-वार शामिल किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना, जिसे राज्यों जिनमें आन्ध्र प्रदेश शामिल है, में अभिज्ञात पिछड़े ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है, के कार्य की समय समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की बैठकों में और साथ ही राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय बैठकों में समीक्षा की जाती है सामान्य तौर पर संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में खाद्यान्नों के आबंटन तथा उनके उठान और संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य बातों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है 28-2-1994 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में 362 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोले जाने 133756 अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए जाने तथा 115000 मी. टन की गोदाम क्षमता को भाड़े पर लिए जाने की सूचना मिली है। इसके अलावा, अभिज्ञात क्षेत्रों में सभी उचित दर की दुकानें, दरवाजे पर सुपुदर्गी को प्रणाली के तहत आती हैं। उचित दर की दुकानों के लिए खाद्य सलाहकार, समितियां गठित किए जाने की भी सूचना दी गई है।

(ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले ब्लॉकों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात ब्लॉकों की संक्षिप्त सूची

मरुस्थल विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/समेकित आदिवासी विकास परियोजना/निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र के ब्लॉकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लॉकों की कुल संख्या	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम	समेकित आदिवासी विकास परियोजना	निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र	घाटा ओवर लैपिंग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	330	—	69	51		—	120
अरुणाचल प्रदेश	48		—	48	—	—	48
असम	174	—		69		—	69

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	591	–	54	112		10	156
गोवा	11	–		–			
गुजरात	218	9	43	50		5	97
हरियाणा	108	35	9	–		–	44
हिमाचल प्रदेश	69	2	–	7		2	7
जम्मू और कश्मीर	119	12	22	–			34
कर्नाटक	175		71	23			94
केरल	151	–	–	21	–		21
मध्य प्रदेश	459	–	49	220		46	223
महाराष्ट्र	298		52	68		6	114
मणिपुर	31		–	22	–		22
मेघालय	30		–	30		–	30
मिजोरम	20		–	20			20
नागालैंड	28			28			28
उड़ीसा	314	–	39	118		14	143
पंजाब	118					–	–
राजस्थान	236	85	30	23		16	122
सिक्किम	4			4			4
तमिलनाडु	384		43	9	4	–	56
त्रिपुरा	18			18			18
उत्तर प्रदेश	897	–	87	4	56	2	145
पश्चिम बंगाल	341		34	119	9	34	128
अंडमान और निकोबार द्वीप	5		–	2		–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
दादरा व नगर हवेली	1	–	–	1	–	–	1
दमण व दीव	2	–	–	1	–	–	1
दिल्ली	5	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	5	–	–	5	–	–	5
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
योग	5196	143	602	1073	69	135	1752

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ब्लाकों की संख्या 145 बताई गई है, आंध्र प्रदेश ने पुष्टि की है कि भूतपूर्व ब्लाकों की संख्या जो मंडलों के समकक्ष है, केलव 120 है, सिक्किम में जिलों को ब्लाकों के समकक्ष माना गया है, जो आंशिक रूप से समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आते हैं।

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

2802. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री एम. कृष्ण स्वामी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? :

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी मिलों को लाइसेंस मुक्त करने के वैकल्प सहित चीनी मिलों की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति विचाराधीन है।

चावल की अधिक पैदावार देने वाली नई किस्में

2803. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल उत्पादक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की खेती होती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चावल की अधिक पैदावार देने वाली नई किस्में विकसित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) चावल की खेती करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1992-93 के दौरान चावल की खेती का रकबा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में चावल की औसत पैदावार निम्नानुसार रही :-

	(किलोग्राम/हैक्टेयर)
1990-91	1740
1991-92	1751
1992-93	1744

(ग) जी, हां।

(घ) केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चावल की उच्च पैदावार देने वाली छः नई किस्में विकसित की हैं : हीरा, लूनीसी, सी आर 1002, सीमा स्नेहा एवं वन्दना।

विवरण

चावल के अन्तर्गत कुल रकबा

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	1992-93 के दौरान रकबा (हजार हैक्टेयर)
1	2
आंध्र प्रदेश	3561.7
अरुणाचल प्रदेश	115.3
असम	2522.6
बिहार	4383.2
गोवा	54.8

1	2
गुजरात	575.6
हरियाणा	703.0
हिमाचल प्रदेश	81.9
जम्मू और कश्मीर	282.2
कर्नाटक	1275.0
केरल	537.7
मध्य प्रदेश	5071.5
महाराष्ट्र	1542.5
मणिपुर	149.7
मेघालय	102.3
मिजोरम	61.3
नागालैंड	134.0
उड़ीसा	4443.4
पंजाब	2065.0
राजस्थान	141.6
सिक्किम	16.1
तमिलनाडु	2272.8
त्रिपुरा	241.6
उत्तर प्रदेश	5478.0
पश्चिम बंगाल	5768.2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.2
दादरा और नगर हवेली	12.1

1	2
पाण्डिचेरी	26.8
दमन और दीव	2.7
दिल्ली	2.0
अखिल भारत	41636.8

कृषि के विकास के लिए आबंटन

2804. **श्री नीतीश कुमार :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजनावधि की तुलना में आठवीं योजना के दौरान कृषि के विकास के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजनावधि के अन्त में प्रति हेक्टेयर कितना औसत कृषि उत्पादन दर्ज किया गया और आठवीं योजनावधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना अवधि के लिए कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के वास्ते 22,467 करोड़ रुपये परिव्यय रखा गया है जबकि इसकी तुलना में सातवीं योजना के दौरान 10,574 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था।

(ग) सातवीं योजना के अन्त में मुख्य फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार और आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)

	1989-90 (सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष)	1996-97 (आठवीं योजना का अन्तिम वर्ष)
1	2	3
चावल	1745	2023

1	2	3
गेहूं	2121	2722
मोटे अनाज	922	1033
दालें	549	694
तिलहन	742	939
गन्ना	65612	70513
कपास	252	317

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा टेन्टों की खरीद

2805. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1993 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कानपुर की 'आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री' से 12 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य के 110 टेन्टों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टेन्टों के खरीद के लिए कोई निविदायें आमंत्रित की गई थीं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ये टेन्ट आर्डिनेन्स फैक्टरी, कानपुर से खरीदे गए हैं, जो एक रक्षा संगठन है, इसीलिए निविदाएं आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

2806. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय-वार विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है और उसका प्रयोजन क्या है; और

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों विशेष रूप से केरल कृषि विश्वविद्यालय को कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को उनके विकास और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सीमित धन उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 8वीं योजना/चरण I एवं II कुल आबंटन इन शीर्षों के तहत निम्न प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

1.	27 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास एवं उसे सुदृढ़ करना।	7500.00
2.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास।	4100.00
3.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजना चरण I और II (1979-86 एवं 1986-95)।	18928.35

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों के अनुसार आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण I एवं II में दिया गया है।

(ख) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की योजना राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विकास एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए आठवीं योजना में किए गए आबंटनों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है वर्ष 1994-95 के दौरान केरल कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक विश्वविद्यालय को योजना आबंटन का औसतन पांचवां हिस्सा मंजूर किये जाने की संभावना है जो वर्ष 1994-95 के दौरान उनकी मांग और जारी की गयी राशि तथा गत वर्षों के दौरान वास्तव में खर्च की गयी राशि तथा लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाण-पत्र कराने पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास तथा उन्हें सुदृढ़ करना नामक योजना के तहत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान

क्र.सं.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	जारी की गई राशि (रु. लाख में) 1992-93	1993-94*	आठवीं योजना का आबंटन
1	2	3	4	5
1.	ए.पी.ए.यू., हैदराबाद	60.00		375.00

1	2	3	4	5
2.	ए.ए.यू., असाम	60.00	50.00	325.00
3.	आर.ए.यू., पूसा	27.00		300.00
4.	जी.ए.यू, दांतीवाडा	33.00		375.00
5.	बी.ए.यू., रांची	25.00		225.00
6.	एच.ए.यू., हिसार	63.00	70.00	350.00
7.	एच.पी.के.वी.वी., पालमपुर	54.00	50.00	250.00
8.	डा॰ वाई.एस॰ परमार विश्वविद्यालय ऑफ एच.एफ., सोलन	54.00	25.00	200.00
9.	यू.ए.एस., बंगलौर	56.00	30.00	300.00
10.	यू.ए.एस, धारवाड़	25.00	30.00	275.00
11.	जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर	27.00		300.00
12.	आई.जी.के.वी.वी., रायपुर	शून्य		200.00
13.	के.ए.यू., मनुथी	66.00	163.50	375.00
14.	एम.ए.यू., परभनी	20.00		200.00
15.	एम.पी.के.वी.वी., राहुरी	20.00		200.00
16.	के.के.वी., ढपोली	20.00		175.00
17.	पी.के.वी., अकोला	20.00		200.00
18.	आर.ए.यू., बीकानेर	33.00		375.00
19.	पी.ए.यू.बी., लुधियाना	60.00	70.00	350.00
20	ओ.यू.ए. एंड टी. भुवनेश्वर	33.00		350.00
21.	टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर	28.00	49.00	300.00
22.	सी.एस.ए.यू. एंड टी., कानपुर	23.00		200.00

1	2	3	4	5
23.	जी.बी.पी.यू.ए. एंड टी., पन्तनगर	53.00	42.00	275.00
24.	एन.डी.यू.ए. एंड टी., फैजाबाद	43.00	44.00	175.00
25.	बी.सी.के.वी.वी., नाडिया	33.00		325.00
26.	एस.के.यू.ए. एंड टी., श्रीनगर	30.00		275.00
27.	टी.एन.वी.ए.एस.यू. मद्रास	27.00	28.00	250.00
	कुल रु.	993.00*	621.50	7500.00

*केवल 11 विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 1993-94 के लिए अनुदान जारी किया जा सका क्योंकि विद्यालयों से मांग/विवरण/लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, अथवा उनके पास पर्याप्त मात्रा में पहले से ही धन उपलब्ध था जिसे वे खर्च नहीं कर पाए थे।

विवरण-II

नार्प II के तहत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	राज्य	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	1992-93	1993-94 से 21-12-93 तक
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	एच.ए.यू., हिसार	94.30	60.29
2.	आंध्र प्रदेश	ए.पी.ए.यू., हैदराबाद	232.50	68.54
3.	गुजरात	जी.ए.यू., अहमदाबाद	66.53	148.08
4.	कर्नाटक	यू.ए.एस., बंगलौर	154.07	27.98
		यू.ए.एस., धारवाड़	28.07	68.00
5.	पंजाब	पी.ए.यू., लुधियाना	115.62	36.68
6.	तमिलनाडु	टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर	296.77	17.87
7.	उड़ीसा	ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर	88.28	105.31

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	एच.पी.के.वी.वी. पालमपुर	64.42	2.86
		डा. वाई.एस.पी.यू. एंड टी., सोलन	116.89	45.71
9.	उत्तर प्रदेश	सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर	42.94	61.42
		जी.बी.पी.यू.ए. एंड टी., पन्तनगर	78.86	95.51
		एन.डी.यू.ए. एंड टी. फैजाबाद	117.64	147.07
10.	महाराष्ट्र	एम.पी.के.वी., राहुरी	102.92	75.33
		पी.के.वी. अकोला	90.70	21.65
		एम.ए.यू. परभनी	31.98	11.24
		के.के.वी., डपोली	39.38	13.71
11.	मध्य प्रदेश	जे.एन.ए.वी.वी., जबलपुर	179.48	233.20
		आई.जी.के.वी.वी., रायपुर	25.06	60.53
12.	केरल	के.ए.यू., त्रिचुर	75.90	21.70
13.	राजस्थान	आर.ए.यू., बीकानेर	156.38	221.28
14.	असम	ए.ए.यू., जोरहट	87.89	82.97
15.	बिहार	आर.ए.यू., रांची, पूसा	43.38	48.22
		बी.ए.यू., रांची,	17.95	47.23
16.	पश्चिम बंगाल	बी.सी.के.वी.वी., कल्याणी	114.61	157.69
17.	जम्मू व कश्मीर	एस.ई.के.यू.ए. एंड टी., शालीमार, श्रीनगर	160.21	54.22
		कुल	2630.26	1929.01

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन के ढांचे संबंधी समझौता

2807. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन के ढांचे संबंधी समझौते के संबंध में भारत की क्या स्थिति है;

(ख) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केवल दिखावा मात्र है या सरकार इसको और अधिक प्रभावी बनाना चाहती है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने ढांचे संबंधी समझौते को लागू करने के लिए क्या प्रभावी नीति बनाई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन की भारत ने 1 नवम्बर, 1993 को अभिपुष्टि कर दी। इस कन्वेंशन में हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार देशों पर जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने, उसे रोकने या कम करने तथा उसके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस कन्वेंशन और पर्यावरण से संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के प्रति भारत का दृष्टिकोण पर्यावरण और विकास संबंधी राष्ट्रीय संरक्षण नीति और नीति विवरण (1992) नामक नीतिगत घोषणाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटरों के विनियमन के लिए प्रदूषण उपशमन संबंधी नीतिगत वक्तव्य (1992) के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, 1987 में संशोधित वायु, प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, 1988 में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1939 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कई अन्य अधिनियमों का जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने में काफी असर पड़ता है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुपालन के लिए काफी कठोर उपाय अपनाए जाने की व्यवस्था है तथा इस अधिनियम में विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार की ओर सांविधिक नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को कानूनी बना दिया गया है और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (1991) में तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये दिशा निर्देश दिये गये हैं।

टेकरी रोड पर ऊपरिपुल

2808. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के गया में टेकरी रोड रेल फाटक संख्या-1 पर एक ऊपरिपुल का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानसी-सहरसा-फरबिसगंज छोटी लाइन

2809. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान मानसी-सहरसा-फरबिसगंज छोटी लाइन को बडी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू हो जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) मानसी-सहरसा फारबिसगंज मीटर लाइन को बडी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिये गये हैं। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान

2810. **डा. कै.वी.आर. चौधरी** : क्या **मानव संसाधन और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शोध कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1994-95 में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टमाटर के बीजों का मूल्य

2811. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय किसानों को विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा बचे जा रहे आयातित टमाटर के बीजों के मूल्य पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो बीजों का किस मूल्य पर आयात किया जाता है तथा देश में उत्पादित समतुल्य बीजों के मूल्य क्या हैं; और

(ग) बीजों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) टमाटर के आयातित

बीज के मूल्य तथा विदशी स्वामित्व वाली या भारतीय स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा इसकी बिक्री के मूल्यों को मॉनिटर नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड स्वदेशी रूप से उत्पादित संकर टमाटर के बीज 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है।

(ग) वर्ष 1988-89 से 1991-92 के बीच आयातित टमाटर के बीज की मात्रा 2.778 मीटरी टन है।

विशाखापटनम से तूनी तक रेलगाड़ी

2812. **श्री रामकृष्ण कोन्ताला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे पर विशाखापटनम से तूनी तक एक शटल रेलगाड़ी अथवा डी.एम.यू. चलाने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाए जाने पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

भाषा संस्थाओं को सहायता

2813. **श्री दिलीपभाई संघाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन-सी संस्कृत, गुजराती, अरबी और फारसी शिक्षा संस्थाओं को सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन संस्थाओं को अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सहयोग

2814. **श्री राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में आधारभूत शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद "दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए सेवाकालीन प्राथमिक स्कूल शिक्षकों हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण" नामक परियोजना पर इ.गा.रा.मु.वि. के साथ सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्राइमरी स्कूल शिक्षकों, माता-पिताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों आदि में बाल विकास की समझ पैदा करना, प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के मार्ग दर्शन के लिए अवधारणाएं तथा प्रक्रिया विकसित करना, उन बच्चों का पता लगाना जिनकी विशेष आवश्यकताएं तथा समस्याएं हैं, और उनके सम्पूर्ण विकास के लिए कार्य करने हेतु नीतियां तैयार करना है।

(ग) जिन स्कूलों में ये शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन स्कूलों के शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में सुधार तभी होगा जब उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले दिशा-निर्देश के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण की नई कार्य नीतियों में प्रबोधन प्रदान किया जाएगा। इन शिक्षकों द्वारा बाल केन्द्रित और कार्यकलाप आधारित दृष्टिकोण के अपनाने से उनके प्रभार के अंतर्गत बच्चों की उपलब्धि के स्तर में सुधार होगा।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

2815. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने गत दो वर्षों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित करने के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों, जिला मंचों तथा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को गठित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2816. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह जनेवा में "विकासशील देशों को परिप्रेक्ष्यः पर्यावरण और व्यापार" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें भारत ने भाग लिया था, आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार को पर्यावरण के साथ जोड़ने के प्रमुख विषय पर भारत ने क्या रुख अपनाया; और

(घ) इस सम्मेलन में विशेषकर पर्यावरण के नाम पर अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के विरुद्ध अनुचित व्यापार प्रतिबंध लगाने के बारे में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 17 फरवरी, 1994 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के सहयोग से व्यापार और पर्यावरण पर एक गोल-मेज बैठक का आयोजन किया था।

(ख) इस बैठक में जिसमें अनेक देशों के पर्यावरण मंत्री आमंत्रित थे, व्यापार उदारीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत् विकास तथा विशेष रूप से विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ग) व्यापार और पर्यावरण के संबंधों के बारे में भारत की स्थिति यह है कि उसके समक्ष मुख्य मुद्दा गरीबी निवारण है और गरीबी के रहते सतत् विकास नहीं हो सकता है। उदारीकृत व्यापार नीति से उन्हें ऐसे संसाधन उपलब्ध होंगे कि जिनसे विकासशील देश में निर्मित माल को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली पर्यावरणीय सुरक्षा की प्रक्रिया सुविधाजनक बनेगी। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर विकसित देशों द्वारा टैरिफ मुक्त व्यापार प्रतिबंधों के लगाने पर भी आशंका व्यक्त की थी।

(घ) जेनेवा में आयोजित बैठक अनौपचारिक परामर्श के रूप में आयोजित की गई थी। व्यापार और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर आयोजित विचार विमर्श के अन्य मंचों पर भी जारी रहने की संभावना है जिनमें मुख्य रूप से व्यापार और पर्यावरण दोनों से ही संबंधित मुद्दे होंगे।

[हिन्दी]

भूमिगत जल का उपयोग

2817. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "डार्क" श्रेणी के विकास खंडों में कृषि और भू-जल विकास के अध्ययन के लिए उपग्रह आंकड़ों पर आधारित कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नौतनवा से सोनौली तक आमान परिवर्तन

2818. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने नौतनवा से सोनौली तक नई बडी रेल लाइन तथा घुघली से महाराजगंज तक छोटी लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) नौतनवा से सोनौली तक नई लाईन के निर्माण से संबंधित परियोजना के बारे में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार यह अलाभप्रद पायी गयी थी और साथ ही संसाधनों की तंगी भी थी। घुघली से महाराजगंज तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

बीज अपने अधिकार में रखना

2819. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसान को एक फसल से दूसरी तक की अवधि में बीजों को अपने अधिकार में रखने के अधिकार की गारंटी देने हेतु एक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कानून किसानों के लिए कहां तक सहायक होगा;

(ग) उक्त कानून कब लाया जाएगा.

(घ) प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या कृषि राजसहायता पेटेंट अधिकारों और कृषि उत्पाद के निर्यात से संबद्ध प्रारूप के प्रावधान भारत को प्रभावित नहीं करेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) . (क) और (ख) तैयार किए जा रहे मसौदा विधेयक में, गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा गैर-वाणिज्यिक आधार पर बीजों की बचत, उपयोग, विनिमय करने, शेयर करने और बिक्री करने संबंधी कृषको के पारम्परिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित विधेयक इसके लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् लागू किया जाएगा।

(ङ) कृषि संबंध गैट समझौते के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत से कृषि सब्सिडी तथा आयात के लिए न्यूनतम मण्डी प्रवेश के प्रावधानों सहित घरेलू कृषि नीतियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जाती है। एकस्वों तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सम्बन्ध में सदस्य देशों को उचित कानून बनाने की छूट दी गई है। हमने सइ-जनरिस सिस्टम के माध्यम से अपनी पादप किस्मों की सुरक्षा का विकल्प अपनाया है।

जनजातीय महिलाओं के लिए योजना

2820. **श्री के. प्रधानी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय महिलाओं की सहायता हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अन्तर्गत अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे क्वार्टर

2821. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार बिहार में रेलवे विभाग के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि नहीं तो कर्मचारियों की आवश्यकता की तुलना में क्वार्टरों की वर्तमान संख्या कितनी कम है; और

(ग) यह कमी कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना एक सतत् प्रक्रिया है और इससे संबंधित निर्माण कार्य प्रत्येक वर्ष शुरू किए जाते हैं लेकिन यह धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष जरूरतों पर निर्भर करता है।

मुम्बई-पुणे के बीच लोकल रेलगाड़ियां

2822. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और पुणे के बीच लोकल रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और अधिक रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) ई.एम.यू. गाड़ियां बम्बई से करजत तक और पुणे से लोनावला तक चल रही हैं। लेकिन, परिचालनिक कठिनाइयों के कारण बम्बई और पुणे के बीच ई.एम.यू. गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

गाड़ियों की समय-सारणी

2823. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस और पुरी-नीलांचल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों के समय में कब तक परिवर्तन कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इनकी जांच की गयी है और परिचालनिक कठिनाइयां तथा परस्पर विरोधी मांगों के कारण इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

मध्य प्रदेश में इन्दौर से सागर तक नई रेल लाइन

2824. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में इन्दौर से सागर तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ख) जी नहीं, बहरहाल, पश्चिम रेलवे में इन्दौर और बुधनी स्टेशनों के बीच नयी बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिला विकास निगम

2825. **श्री अरविंद तुलशीराम काम्बले** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला विकास निगम कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 में प्रत्येक राज्य में इन निगमों को कार्य करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इन निगमों की उपलब्धियां क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) महिला विकास निगम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू व काश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं।

(ख) राज्य सरकार को 31 मार्च, 1992 तक निर्मुक्त शेयर पूंजी की तुलना में केन्द्र सरकार के इक्विटी शेयर पूंजी अंशदान की बकाया राशि चुकाने के लिए वर्ष 1993-94 में 5.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

(रुपये लाखों में)

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30.32
2.	गुजरात	112.12
3.	हरियाणा	78.28

1	2	3
4.	कर्नाटक	191.12
5.	केरल	26.70
6.	मध्य प्रदेश	39.00
7.	पंजाब	35.89
		513.43

(ग) महिला विकास निगम मुख्यतः आर्थिक कार्यकलापों में लगी महिलाओं को सहायता और ऋण उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देने, महिलाओं को संगठित करने और उनके कौशल और संचेतना प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, महिलाओं के विकास के लिए बड़ी बड़ी महिला विकास परियोजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन करने, कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण और इन महिलाओं की बेहतरी के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करने के कार्यों में संलग्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार इन निगमों को सहायता देने की स्कीम वर्ष 1992-93 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई है।

ई.एम.यू. सवारी डिब्बे

2826. **डा. सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे को ई.एम.यू. सवारी डिब्बों द्वारा पूर्व रेलवे से जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे को ई.एम.यू. सेवाओं से जोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे स्टेशन

2827. **श्री एम.जे. राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने रेलवे स्टेशनों पर पश्चिम रेलवे द्वारा जनवरी, 1993 से अक्तूबर 1993 तक प्रतीक्षालयों का निर्माण एवं विस्तार किया गया;

(ख) गुजरात में जून, 1993 तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विश्रामगृहों की नगर-वार संख्या कितनी थी;

(ग) उक्त विश्रामगृहों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, और इन सुविधाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान गुजरात में नए रेलवे-विश्रामगृहों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी उत्पादन का मूल्यांकन

2828. **श्री गुमानमल लोढा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की उत्पादन लागत का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) सभी व्ययों को मिलाकर चीनी के उत्पादन की औसत लागत क्या है;

(ग) क्या गन्ने की पेराई के बाद बची खोई का प्रयोग कागज बनाने के लिए गूहे या ईंधन के रूप में किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो एक कुन्टल चीनी के उत्पादन पर गन्ने की कितनी खोई प्राप्त होती है और उसका औसत मूल्य कितना होगा,

(ङ) क्या चीनी मिलों को शीरे पर से नियंत्रण हटाने के बाद वित्तीय लाभ हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी उद्योग के लागत ढांचे की जांच का काम समय-समय पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) को सौंपा जाता है।

(ख) 1993-94 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य और बी.आई.सी.पी. की अंतरिम रिपोर्ट में दिए गए पैरामीटरों के आधार पर अखिल भारतीय औसत एक्स फैक्ट्री लेवी मूल्य 734.08 रुपये प्रति क्विंटल बनता है।

(ग) जी, हां।

(घ) गन्ने से रिकवरी प्रतिशत 10 मानकर चीनी के प्रति क्विंटल पर उत्पादित खोई लगभग 3.3 क्विंटल होगी। खोई का मूल्य उसकी पूर्ति और मांग पर निर्भर करता है तथा अलग अलग क्षेत्रों में यह अलग-अलग होता है।

(ङ) और (च) चीनी के उत्पादन की अधिसूचित लागत की गणना करते समय शीरे सहित

सह-उत्पादों की बिक्री से होने वाली अतिरिक्त आय को भी ध्यान में रखा जाता है। उपर्युक्त उत्पादन लागत के आधार पर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा की गई अधिक वसूली गन्ना उत्पादकों तथा चीनी फैक्ट्रियों के बीच बांटी जानी अपेक्षित होती है जैसा कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 क के तहत प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

कोटकपुरा-फिरोजपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2829. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोटकपुरा-फिरोजपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्य शुरू हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) कोटकपुरा-फिरोजपुर के बीच पहले से ही बड़ी लाइन है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ज्वार-बाजरा की खेती

2830. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी भूमि पर ज्वार-बाजरा और मक्का की खेती की जाती है;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य में ज्वार-बाजरा और मक्का का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार ज्वार-बाजरा और मक्का के अधिक उत्पादन को देखते हुए ज्वार-बाजरा विकास निदेशालय को मद्रास से जयपुर स्थानान्तरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1992-93 के दौरान राजस्थान में कदन्नों तथा मक्का की खेती के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र 67.50 लाख हेक्टेयर था।

(ख) 1992-93 और 1993-94 (संभावित) के दौरान राजस्थान में कदन्नों तथा मक्का का उत्पादन क्रमशः 42.36 और 35.92 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) विकास निदेशालय के पुनर्गठन के तहत एक प्रस्ताव है कि विद्यमान कदन्ना विकास निदेशालय को मद्रास से जयपुर ले आया जाए। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा इस बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही कदन्ना विकास निदेशालय को वास्तव में स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय में समितियां

2831. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की अपनी प्रबंधन समिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की क्षेत्रीय सलाहकार समितियां ठीक से काम कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या नियमित समीक्षा हेतु रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यालय प्रबन्धक समिति में एक अध्यक्ष तथा बारह सदस्य होते हैं, जिसमें विख्यात शिक्षाविद, बच्चों के दो अभिभावक, शिक्षकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से एक-एक प्रतिनिधि, उस क्षेत्र का एक मैडिकल डाक्टर तथा प्रिंसिपल सदस्य-सचित होता है। सामान्य तौर पर अध्यक्ष, रक्षा क्षेत्र में स्कूलों के मामलों में रक्षा बलों का एक वरिष्ठ अधिकारी तथा सिविल क्षेत्र के स्कूलों के लिए उस क्षेत्र का जिला कलक्टर होता है।

(ग) जी, नहीं। 1987-88 में गठित की गई क्षेत्रीय सलाहकार समिति सक्रिय नहीं रही है। क्षेत्र के प्रभारी सहायक आयुक्त, जो समितियों के सदस्य-सचिवों के रूप में कार्य करते हैं, को हिदायतें दी जा रही है कि वे समिति की बैठकें आयोजित करें।

(घ) क्षेत्रीय सलाहकार समितियों को अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटर आधारित पूछताछ प्रणाली

2832. **श्री मनोरंज भक्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया रेलवे ने जनसाधारण तथा पर्यटकों के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ व्यंजन-सूची पैकेज वाली एक वैयक्ति कंप्यूटर आधारित विश्व स्तरीय पूछताछ प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) इस पद्धति से यात्रा सूची योजना तैयार करने में सहायता मिलती है, पर्यटन महत्व के स्थानों की सूचना और स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित सूचना प्राप्त होती है।

नई दिल्ली स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ब्यूरों में इस प्रकार की पद्धति से कार्य हो रहा है।

[हिन्दी]

खान-पान स्टाल

2833. **श्री गोविन्द चंद्र मुंडा :**
श्री स्वरूप उपाध्याय :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में निजी ठेकेदारों को आवंटित किये गये खान-पान तथा अन्य स्टालों का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन लोगों को स्टालों का आवंटन किया गया उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या कितनी है,

(ग) क्या ठेकेदारों से लिये जा रहे लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"नेल्स" ठेके

2834. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल लाइनों के बीच "नेल्स" लगाने का ठेका निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुभवहीन आपूर्तिकर्ताओं को उक्त ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं। रेलों ने ऐसा कोई ठेका नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भाप-इंजन शेड को बंद किया जाना

2835. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप इंजन शेडों, यार्डों के बंद किये जाने, माल की उतराई चढ़ाई कार्य छोड़ देने और बीच के रेलगाड़ी परीक्षण स्थानों को समाप्त कर देने से अनेक रेलकर्मी फालतू हो गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक पुनः नियुक्त किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोल्ड-पेंटिंग

2836. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोल्ड पेंटिंग की कला को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि, गोल्ड पेंटिंग की कला को बढ़ावा देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तथापि, गोल्ड-पेंटिंग की कला सहित हस्तशिल्पों के विकास की विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें प्रशिक्षण, विपणन, डिजाइन, विकास, बाजार विकास सहायता, प्रदर्शनी व प्रचार निर्यात प्रोत्साहन, इत्यादि शामिल हैं।

रेल नेटवर्क

2837. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान रेल-नेटवर्क के सुधार और विस्तार के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त धन की आवश्यकता को आन्तरिक और वाह्य ऋणों से पूरा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) आठवीं योजना के लिए 27,202 करोड़ रुपये के प्रस्तावित योजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से 900 करोड़ रुपये नेटवर्क के विस्तार तथा 4500 करोड़ रुपये सुधार के लिए हैं जिसमें यातायात सुविधा संबंधी कार्य, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल है। नौवीं योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के लिए बजटीय समर्थन से वित्तीय सहायता 5375 करोड़ रुपये होगी जिसमें बाहर से लिये जाने वाले ऋण शामिल हैं और शेष 21,827 करोड़ रुपये आंतरिक स्रोत से जुटाए जाएंगे जिसमें बांडों द्वारा जुटाये जाने वाला ऋण भी शामिल है।

गैर-सरकारी संगठन

2838. **डा. आर. मल्लू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी संगठनों का गत दो वर्षों के दौरान पैनल बनाया गया है और यह बताया गया है कि कितने आवेदन प्राप्त हुए और लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पाठ्य सामग्री/वीडियो तैयार करने और परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रस्तावित जनता की सुनवाई में भाग लेने के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों में निपुण गैर सरकारी संगठनों और लोगों का पता लगाने संबंधी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय में आवेदनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों के पैनल बनाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के तहत साहित्य सृजन और वीडियो फिल्म निर्माण के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देता आया है जो पर्यावरणीय मुद्दों की अच्छी जानकारी रखते हैं। जहां भी संभव होता है उनकी विभिन्न समितियों में भागीदारी के साथ-साथ उन्हें मंत्रालय के कार्यक्रमों/परियोजनाओं में भी शामिल किया जाता है।

बगनान फ्लाई ओवर

2839. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत मौड़ी स्टेशन पर बगनान में फ्लाई-ओवर का निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) बागनान और मौड़ीग्राम में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनन्नास का उत्पादन

2840. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार अनन्नास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में अनन्नास की खेती, राज्य वार, कुल कितने क्षेत्र में की जाती है;

(ग) अनन्नास के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उसकी खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस समय लागू की जा रही केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और वर्ष 1994-95 में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) 1992-93 और 1993-94 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1991-92 के क्षेत्र और उत्पादन संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दे दिये गये हैं।

(ग) शीतोष्ण उष्ण कटिबंधी और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समन्वित विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलायी जा रही है जिसमें अनन्नास के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नागालैण्ड और मध्य प्रदेश राज्य को अनन्नास उत्पादन के लिए सहायता दे रहा है।

(घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है;

(लाख रुपये में)

1. **शीतोष्ण उष्ण कटिबंधी और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समन्वित विकास संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित योजना**

1992-93	1993-94	1994-95
–	5.65	3.39

2. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड**

(i) नागालैण्ड में बागवानी के विकास के माध्यम से झूम की खेती का उन्मूलन

1992-93	1993-94	1994-95
5.82	11.39	12.72

(ii) मध्य प्रदेश में अनन्नास के क्षेत्र का विस्तार

1992-93	1993-94	1994-95
×	×	41.66

*1991-92 में बचे 6.15 लाख रुपये का इन वर्षों के दौरान उपयोग किया गया।

विवरण

अनन्नास के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 क्षेत्र	क्षेत्र हैक्टर में उत्पादन मीटरी टन में उत्पादन
1.	अरुणाचल प्रदेश	3363	12899
2.	असम	12129	177594
3.	बिहार	2842	39330
4.	गोवा	440	6600
5.	कर्नाटक	3202	112848
6.	केरल	4724	46265
7.	मणिपुर	6450	5970
8.	मेघालय	8502	74203
9.	मिजोरम	737	4105
10.	नागालैण्ड	1017	2415
11.	उडीसा	490	8000
12.	तमिलनाडु	883	36194
13.	त्रिपुरा	3580	30500
14.	पश्चिम बंगाल	8850	210800
15.	अंडमान और निकोबार	70	490
	अखिल भारत	57059	768513

पिछले वर्ष के आंकड़े

स्रोत : सम्बन्धित राज्यों के बागवानी निदेशालय

उचित दर दुकानें

2841. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उचित दर दुकानों का आवंटन हेतु अपनाये जाने के लिए कुछ मानदंड जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को केरल राशन व्यापारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उचित दर दुकानें खोलने, आवंटन हेतु पात्रता के मानदंड नियत करने तथा लाइसेंसों का वास्तविक चयन करने के बारे में निर्णय करने का कार्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है। केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे नई उचित दर दुकानें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खोलने के लिए सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगमों को प्राथमिकता दें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे उचित दर दुकानों के आवंटन में कुछ प्रतिशत महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखने पर विचार करें। केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी है कि वे जनसंख्या के घनत्व, किसी क्षेत्र के भू भाग आदि की दृष्टि से आपवादिक मामलों को छोड़कर प्रत्येक 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान के मानदंड को अपनाएं तथा इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि किसी उपभोक्ता/कार्डधारी को उचित दर दुकान तक पहुंचने में 3 किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े।

(ग) केन्द्र सरकार को 1993-94 में इस संबंध में केरल राशन डीलर्स एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा की लम्बित परियोजनाएं

2842. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास पर्यावरण और वन मंजूरी हेतु लम्बित गोवा की विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) यह कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं पर कार्रवाई पूर्ण आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है। पूर्ण ब्यौरों के साथ भेजी गई परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर और वन भूमि के उपयोग के मामले में एक महीने के भीतर निर्णय ले लिया जाता है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकार और/अथवा परियोजना प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

विवरण

28-2-94 को गोआ की लम्बित परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित है	लंबित होने के कारण
क.	**पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भेजी गई परियोजनाएं**		
1.	कर्मचारियों की आवास कालोनी का निर्माण-गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	दिसम्बर, 92	समिति द्वारा विचार किया जा चुका है।
2.	वारसा में पर्यटक कुटीरों का निर्माण पायनियर डेबलपर	फरवरी, 94	23-2-94 को प्राप्त हुई।
3.	वास्को, गोवा में पी.ओ.एल. की स्थापना-भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	अक्तूबर, 93	परियोजना प्रस्तावक से वैकल्पिक स्थान पर विचार करने को कहा गया है जिसका जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
ख.	**वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए भेजी गई परियोजनाएं**		
1.	चपोली लघु सिंचाई टैंक	नवम्बर, 93	कार्रवाई की जा रही है।
2.	श्री रमेश बी. शेट्टी के नाम पर बासल्ट स्टोन्स के खनन पट्टे का नवीनीकरण	नवम्बर, 93	कार्रवाई की जा रही है।

मध्य प्रदेश में रेलवे फाटक

2843. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले कितने रेल फाटक हैं; और

(ख) इन रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 1842.

(ख) रेलों द्वारा बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जाती है, यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार लागत को वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ इनके लिए प्रस्ताव प्रायोजित किये जाएं, देश भर में बिना चौकीदार वाले अधिक भेध समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए, 1994-95 के रेलवे बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

फिरोके में नए पुल का निर्माण

2844. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझिकोडी जिले के फिरोके में चलियम नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य अपने कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी नहीं, धारा के बीच में नदी तल की असामान्य स्थिति के कारण पूर्व-निर्धारित निर्माण पद्धति व्यावहारिक नहीं पायी गयी है।

(ग) और (घ) निर्माण की वैकल्पिक व्यावहारिक विधि के संबंध में निर्णय करने के लिए रेलवे द्वारा विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया जा रहा है। लागत में वृद्धि निर्माण की वैकल्पिक व्यावहारिक विधि पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को शामिल करना

2845. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाईयां पेश आ रही हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) यह अधिनियम प्रतिफल पर प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर, चाहे वे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी समितियों, संयुक्त या निजी क्षेत्रों के किसी के भी द्वारा दी गई हों, लागू होता है। तथापि, यह अधिनियम उन सेवाओं पर लागू नहीं होता है जो निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा के किसी करार के तहत प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नार्थ इस्ट एक्सप्रेस की गति

2846. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली नार्थइस्ट एक्सप्रेस समान दूरी तय करने में अन्य सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की तुलना में अधिक समय लेती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल गाड़ी की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) 5621/5622 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है। बहरहाल, गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जहां तक ऐसा करना व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाया जाएगा।

तिरूपुर रेलवे पुल

2847. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तिरूपुर कुनाथुर सड़क पर उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तिरूपुर रेलवे पुल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) किलोमीटर 442/3 2 पर मौजूदा ऊपरी सड़क पुल संख्या 426 ए के बगल में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण तथा मौजूदा ऊपरी सड़क पुल (कार्य की अनुमानित लागत 123.95 लाख रुपये है) की पुनः डेकिंग।

(ग) समूची लागत तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(घ) जनवरी, 1995 तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में हुई मौत

2848. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली परिसर के अनेक छात्रों को हाल ही टीके लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप कितने छात्रों की मौत हुई हैं; और

(घ) सरकार ने इसकी जांच के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सन्देह है कि परिसर से बाहर रहने वाले एक छात्र की, हाल में जलांतक (कुत्ता के काटने) से मृत्यु हो गई है। सावधानी के उपाय के रूप में, उन 38 छात्रों को टीके लगा दिए गए हैं जो किसी न किसी प्रकार मृत छात्र के सम्पर्क में आए थे।

(घ) टीका लगाने के अलावा, संस्थान द्वारा जो अन्य उपाय किए गए हैं, वे हैं छात्रों को चिकित्सा सम्बंधी सलाह देना, मुद्रित सामग्री के जरिए जलांतक के बारे में जागरूकता पैदा करना और आवारा कुत्तों को निर्जन स्थानों पर छोड़ आना।

सुपर बाजार में डीलरशिप

2849. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार द्वारा पूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) कितने पूर्तिकर्ताओं का भुगतान विलम्ब से किया जाता है;

(ग) क्या कमीशन लेने के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मामले पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि बैंक विवरण के अनुसार नकदी की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए, स्टोर के विभिन्न विभागों को निधि का आवंटन, संबंधित विभागों के पास वास्तविक नकदी/उनके द्वारा ऋण की वसूली को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता की भुगतान संबंधी समय-सारणी के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी भुगतान करने में देरी हो जाती है। आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना एक निरन्तर चलने वाली तथा नियमित प्रक्रिया है और किसी-न-किसी समय सभी आपूर्तिकर्ता इससे प्रभावित होते हैं।

(ग) सुपर बाजार द्वारा ऐसी किन्हीं भी शिकायतों की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उपयुक्त रूप में निर्धारित प्रणाली तथा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

2850. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रहे वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना पर कुल कितना धन खर्च किया गया और सरकार ने 1991 92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी वित्तीय सहातया दी है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के रज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का वन उत्पादकता संस्थान बिहार के राची में स्थित है। इस संस्थान को बिहार और पश्चिम बंगाल के वानिकी अनुसंधान और संबद्ध विषयों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का दायित्व सौंपा गया है।

भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अपने संस्थानों को चलाने के लिए सहायता अनुदान देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा वन उत्पादक संस्थान को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार से है :

वर्ष	व्यय
	(लाख रुपये)
1991-92	40.49
1992-93	42.06
1993-94	52.97

इस अवधि के दौरान इस संस्थान की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित से संबंधित रही है :

(1) अवक्रमित मखरैली भूमि का सुधार।

(2) बीज उत्पादन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण तथा सुधरे बीजों और जर्मप्लाज्म के संग्रह हेतु उत्तम नस्ल के वृक्षों का चयन।

(3) कच्छ वनस्पति पारि-प्रणाली की उत्पादकता में सुधार।

(4) परती भूमि पर पादपरोपण प्रदर्शनी लगाना।

(5) बिहार और पश्चिम बंगाल में 10 आदिवासी गांवों की दर से 20 आदिवासी गांवों में कृषि वानिकी विस्तार कार्य।

(6) लाक की खेती, संग्रहण और विपणन की सुधरी पद्धति का प्रदर्शन। और

(7) जैव उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों के प्रयोग में राज्य वन विभागों के कार्मिकों, कृषकों और गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

आमों को हुई क्षति

2851. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में तेजगति की हवाओं और रोगों से आमों को बड़ी मात्रा में क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) क्या शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सरकार का विचार विमान से छिड़काव करके आमों की रक्षा करने समबन्धी कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश तथा देश में दूसरे भागों में तीव्र गति को आंधी तथा रोगों के कारण आम की बड़े पैमाने में हुई क्षति के

बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, आन्ध प्रदेश के 3 जिलों कृष्णा, पश्चिम गोदावरी तथा गुन्टूर में आम के लगभग 2000 मी.टन की बहुत छोटी क्षति के बारे में सूचना दी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन

2852. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस अधिनियम में संशोधन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 ऐसा प्रधान कानून है जो राज्यों द्वारा वनों के प्रबन्ध को विनियमित करता है। कुछ राज्यों में यह अधिनियम यथावत लागू होता है जबकि कुछ अन्य राज्यों में अपने अधिनियम बना लिये हैं जो सारातः भारतीय वन अधिनियम, 1927 के ही अपनाए गये अंश हैं। इस अधिनियम को अपनाए जाने के बाद वानिकी प्रबन्धन में बहुत से संकल्पनात्मक परिवर्तन आए हैं जिनके परिणामस्वरूप नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 बनाई गई। परिणामस्वरूप एक संशोधित और अधिक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें नई राष्ट्रीय वन नीति और वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण तथा राष्ट्र की जैव-विविधता के परिरक्षण के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) प्रस्तावित उपबन्ध/संशोधन मौटे तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं।

(1) वर्तमान उपबन्धों का संशोधन ताकि उनको अधिक प्रभावी बनाया जा सके;

(2) ऐसे उपबन्धों को शामिल करना जो कुछ राज्यों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 को संशोधन करके अथवा राज्यों द्वारा नये अधिनियम बनाकर पहले ही विद्यमान हैं;

(3) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में की गई घोषणाओं को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित नए प्रावधान।

(ग) और (घ) कानून को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए संशोधित कानून के मसौदे को परिचालित किया गया है। विधेयक के मसौदे की राज्य सरकार से प्राप्त टिप्पणियों की रोशनी में समीक्षा की जाएगी और अंतःराज्य परिषद मे संयुक्त और सामूहिक विचार विमर्श के जरिये उस पर विचार किया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, प. बंगाल, मिज़ोरम, पंजाब, उ. प्र. आंध प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन और दीव और नगरहवेली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, म. प्र., तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा और दिल्ली राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

[अनुवाद]

'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की प्रदूषण संबंधी नीति'

2853. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी ने कोई नई प्रदूषण नियंत्रण नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने प्रदूषण नियंत्रण में दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्तमान विनियामक व्यवस्था के साथ बाजार आधारित उपस्करों, वित्तीय प्रोत्साहनों तथा अन्य उपायों के एकीकरण की सिफारिश की है। एकीकरण की अवधारणा कोई नई प्रदूषण नियंत्रण नीति नहीं है बल्कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के वर्तमान नीति विवरण के एक प्रावधान का विस्तार और पुनरावृत्ति मात्र है जिसमें यह कहा गया है कि "आर्थिक उपायों की उपचारात्मक उपायों के बदले निवारक उपायों को अपनाने, प्रदूषण और संसाधनों विशेषकर जल के संरक्षण की लागतों के अभ्यंतरिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जांच की जाएगी। पर्यावरण में छोड़े गये बहिःस्रावों की किस्म और मात्रा के आधार पर एक बहिःस्राव प्रभार द्वारा प्रत्यक्ष आर्थिक संकेत की पेशकश की जाती है। शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु शोधन की लागत और विसर्जन के बहाव पर इसका स्तर आधारित होगा। इन प्रभारों का कार्यक्षेत्र उत्सर्जनों और ठोस अपशिष्टों पर भी लागू किया जाएगा। ये प्रभार इष्टतम रिलीजों के लिए निरन्तर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

मध्य प्रदेश में ऊपरि-पुल

2854. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने रेलवे ऊपरि-पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है और इन ऊपरि-पुलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा;

(ख) मध्य प्रदेश में इस समय किन-किन स्थानों पर रेलवे ऊपरि पुलों का निर्माण हो रहा है;

(ग) इन पुलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, और अब तक इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) इन पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में ऊपरी पुल

(क) से (घ) 21 ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उनमें से 17 पुल इस समय निर्माणधीन हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

मध्य प्रदेश में निर्माण के लिए अनुमोदित/इस समय निर्माणधीन ऊपरी सड़क पुलों की संख्या और स्थान	लागत		92-93 के अंत तक प्रत्याशित खर्च	93-94 के दौरान परिव्यय की व्यवस्था	प्रगति		पूरा करने की लक्ष्य तिथि	
	रेलवे का भाग	राज्य सरकार का भाग			रेलवे का भाग	राज्य सरकार का भाग	रेलवे	राज्य सरकार
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 ऊपरी/निचले सड़क पुल ब्यौरा नीचे दिया गया है :–								
1. अशोक नगर में ऊपरी सड़क पुल	74.81	131.73	21.50	25.00	100%	60%	पूरा हो गया	नवं, 94
2. गुना में ऊपरी सड़क पुल	63.54	147.00	56.82	4.17	98%	25%	जून, 94	जून, 94
3. होशंगाबाद में ऊपरी सड़क पुल	104.32	104.33	00.01	4.31	–	–	निधारित नहीं	निर्धा. नहीं
4. इटारसी में ऊपरी सड़क पुल	210.00	280.00	195.54	14.40	100%	61%	पूरा हो गया	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	खंडवा में ऊपरी सड़क पुल	144.95	144.95	00.01	32.07	यह कार्य योजना स्तर पर है		निर्धा. नहीं	निर्धा. नहीं
6.	दमोह में ऊपरी सड़क पुल	127.92	127.93	00.01	29.00	वही	–	"	"
7.	जबलपुर में ऊपरी सड़क पुल	162.51	411.56	–		100%	74%	पूरा हो गया	जून, 94
8.	ग्वालियर में ऊपरी सड़क पुल	176.54	181.60	–		100%	100%	उ.स.पु.	यातायात के लिए खोल दिया गया
9.	बेतुल में ऊपरी सड़क पुल	100.12	118.46	35.00	24.00	45%	10%	निर्धा. नहीं	निर्धा. नहीं
10.	सिथौली मे ऊपरी सड़क पुल	58.09	97.58	–	–	100%	90%	उ.स.पु.	यातायात के लिए खोल दिया गया
11.	सैलाना रोड में ऊपरी सड़क पुल	(रतलाम) 80.80	193.42	72.97	7.83	80%	80%	निर्धा. नहीं	निर्धा.नहीं
12.	जावरा रोड में ऊपरी सड़क पुल	(रतलाम) 142.00	239.30	10.87	10.00	निर्माण कार्य की योजना तैयार की जा रही है।		निर्धा. नहीं	निर्धा. नहीं

13.	इंदौर में ऊपरी सड़क पुल	150.27	586.33	15.00	10.00	—वही—	—वही—	—वही—		
14.	मक्सी में ऊपरी सड़क पुल	51.05	11.88	10.11	00.01	—वही—	—वही—	—वही—		
15.	नागदा में ऊपरी सड़क पुल	102.88	141.74	15.00	5.00	कार्य आरंभ कर दिया गया है	पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया	—वही—	—वही—	
16.	देवास में ऊपरी सड़क पुल	143.43	22.42	23.00	00.01	निर्माण कार्य की योजना तैयार की जा रही है		—वही—	—वही—	
17.	विदिशा में ऊपरी सड़क पुल	53.93	51.70	—	-	उ.स.पु.—यातायात के लिए खोल दिया गया				
18.	छिंदवाड़ा में ऊपरी सड़क पुल	112.94	136.99	21.65	91.29	कार्य आरंभ कर दिया गया है।	कार्य पहुंच मार्गों में शुरू कर दिया है।	निर्धा. नहीं	निर्धा. नहीं	
19.	भिलाई पावर हाउस में ऊपरी ऊपरी सड़क पुल	197.15	410.38	55.93	30.00	4%	—	दिस., 94	दिसं., 94	
20.	मनेन्द्रगढ़ में ऊपरी सड़क पुल	18.44	18.44	—	-	100%	75%	पूरा हो गया	निर्धा. नहीं	
21.	सतना में निचला सड़क पुल	141.57	388.93	-	5.00	निर्माण कार्य की योजना तैयार की जा रही है।		निर्धा. नहीं	निर्धा. नहीं	

जीर्ण–शीर्ण रेल लाइन

2855. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः उड़ीसा में कुछ पुरानी तथा जीर्ण–शीर्ण रेल लाइनें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाइनों के नवीकरण की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ङ) जी नहीं, चूंकि रेलपथ का नवीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए रेल लाइनों का वर्गीकरण पुरानी तथा जीर्ण–शीर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। आयु एवं हालत के आधार पर अपेक्षित रेलपथ का नवीकरण नियमित रेलपथ नवीकरण कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है जिसमें प्राथमिकता कमजोर खंड़ों को दी जा रही है।

बहरहाल, भारतीय रेलों द्वारा रेलपथ के सभी बकाया कार्यों को समाप्त करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं और यह आंकड़ा सातवीं योजना के आरम्भ में 19500 कि.मी. से घटकर आठवीं योजना के प्रारंभ में 9600 कि.मी. रह गया है।

1993–94 के दौरान देश में 2420 कि.मी. के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 190 कि.मी. उड़ीसा में है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों की पैदावार

2856. **श्री नीतीश कुमार** :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान केंद्र में उगाए गए कृषि उत्पादों से प्राप्त प्रति हैक्टर पैदावार को औसत में तथा किसानों द्वारा अपने खेतों से प्राप्त प्रति हैक्टर पैदावार को औसत में अब भी बहुत बड़ा अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो देश में वैज्ञानिकों तथा किसानों द्वारा प्राप्त की गई औसत पैदावार का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मदुरै–तिरुनेलवेलि एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाना

2857. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै–तिरुनेलवेलि एक्सप्रेस सं. 727–728 को त्रिवेन्द्रम तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण 727/728 पैसेंजर को तिरुवनंतपुरम तक बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

बिहार में रेलवे बुकिंग कार्यालय

2858. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया में पटना–गया प्लेटफार्म के पश्चिम में रेलवे कालोनी सेंटर में खोला गया रेलवे बुकिंग कार्यालय बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे बुकिंग कार्यालय पुनः खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार में चतरा में एक रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) गया में एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय खोला गया था और टिकटों की कम बिक्री के कारण इसे बंद कर दिया गया तथा फिलहाल इसे पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

बागवानी के लिए धनराशि

2859. **डा. के.वी.आर. चौधरी** :
श्री बीर सिंह महती :
डा. साक्षी जी :

श्री बापू हरि चौरे :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी धनराशि बागवानी तथा बागवानी -आधारित उद्योगों के विकास के लिए आबंटित की गई;

(ख) 31 जनवरी, 1994 तक वर्ष -वार तथा राज्य--वार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि दी गई; और

(ग) राज्यों से बागवानी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) बागवानी के विकास के लिए राज्यवार निधियों का आवंटन तथा इस प्रयोजन के लिए 1992 93 तक (आज की तारीख तक जारी किए गए निर्मुक्ति आदेशों के अनुसार) निर्मुक्त की गई राशि संलग्न विवरण –I में दर्शायी गयी है। जहां तक बागवानी आधारित उद्योगों के लिए निधियों का संबंध है, चालू योजना में राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया गया है। इस कार्यकलाप के लिए सहायता, परियोजना आधार पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दी जाती है, जो राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त होती है। 1992- 93 तथा 1993 -94 (जनवरी 1994 तक) के दौरान राज्यवार विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II "क" तथा "ख" में दिया गया है।

(ग) संलग्न विवरण–II (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता के अलावा हाल ही में प्राप्त 14 और प्रास्तावों पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

विवरण–I

बागवानी योजनाओं के लिए राज्यों का आबंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	आठवीं योजना का परिव्यय	1992-93 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि	1993-94 के दौरान 31-1-94 तक निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5727.47	383.61	391.86

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	660.37	54.145	38.47
असम	833.07	92.35	49.57
बिहार	1360.72	108.28	137.44
गोवा	847.18	58.389	80.98
गुजरात	2066.23	434.62	164.83
हरियाणा	927.03	94.18	101.23
हिमाचल प्रदेश	1202.98	206.005	128.02
जम्मू व कश्मीर	872.83	110.295	101.23
कर्नाटक	6472.93	614.834	431.18
केरल	11723.22	1048.233	516.10
मध्य प्रदेश	1992.46	235.425	195.36
महाराष्ट्र	5985.85	372.720	545.12
मणिपुर	316.86	46.258	22.68
मेघालय	344.98	19.318	20.50
मिजोरम	283.22	20.708	21.23
नागालैंड	304.47	57.315	21.88
उड़ीसा	2666.85	82.690	261.10
पंजाब	913.11	131.830	103.54
राजस्थान	1166.48	171.370	97.06
सिक्किम	435.46	27.380	30.75
तमिलनाडु	4414.61	452.672	317.31
त्रिपुरा	412.03	38.295	22.62
उत्तर प्रदेश	2536.64	244.000	229.04

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	1458.26	68.824	127.77
अंडमान व निकोबार	315.29	38.945	16.47
चंडीगढ़	115.62	1.500	36.70
दादर व नगर हवेली	118.81	6.600	13.21
दिल्ली	201.13	22.175	41.54
दमन व दीव	100.90	6.600	13.21
लक्षद्वीप	158.98	13.342	13.14
पाण्डिचेरी	193.03	14.955	14.73

विवरण –II (क)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1992–93 के दौरान की गई सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	राशि (लाख रुपये)
1	2	.3
1.	आंध्र प्रदेश	150.932
2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	असम	18.258
4.	बिहार	9.000
5.	गोवा	12.700
6.	गुजरात	25.000
7.	हरियाणा	86.000
8.	हिमाचल प्रदेश	44.000
9.	जम्मू व कश्मीर	---

1	2	3
10.	कर्नाटक	111.300
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	38.335
13.	महाराष्ट्र	57.720
14.	मणिपुर	0.675
15.	मेघालय	
16.	मिजोरम	113.110
17.	नागालैंड	36.750
18.	उड़ीसा	6.000
19.	पंजाब	146.000
20.	राजस्थान	–
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	25.000
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	62.060
25.	पश्चिमी बंगाल	35.770
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
27.	चंडीगढ़	
28.	दादर और नगर हवेली	–
29.	दमन एवं द्वीप	–
30.	दिल्ली	5.732
31.	लक्षद्वीप	
32.	पांडीचेरी	
अन्य	संगठन/संस्थाएं	89.180

विवरण–II (ख)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित योजना स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के लिए 1993–94, जनवरी 1994 तक दी गई सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	राशि (लाख रुपये)
1.	कर्नाटक	40.500
2.	पंजाब	115.300
3.	महाराष्ट्र	58.770
4.	तमिलनाडु	1.621
5.	मणिपुर	3.500
6.	आन्ध्र प्रदेश	7.000
7.	बिहार	10.350
8.	मध्य प्रदेश	5.900
9.	राजस्थान	3.000
10.	उत्तर प्रदेश	2.750
11.	पांडिचेरी	1.500
12.	असम	37.400
13.	हिमाचल प्रदेश	61.440

पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर कार्य योजना की समीक्षा

2860. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने जून, 1992 की पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुवर्ती कार्य योजना की समीक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, एजेण्डा 21 तथा वनों के प्रबंधन, संरक्षण एंव सतत् विकास संबंधी गैर विधिक रूप से बाध्यकर सिद्धान्तों को जून, 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा सर्व-सम्मति से अपनाया गया था। जैविक विविधता कन्वेंशन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचा कन्वेंशन पर भी सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत ने इन महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेण्डा 21 के सरोकारों को आयोजना और विकास प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत वानिकी मामलों पर बहस को नया रूप देने तथा वन सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है।

रियो करारों में प्रतिबिम्बित, पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख हाल ही में पर्यावरण कार्य कार्यक्रमों के प्रलेख में किया गया है। इसमें सतत् शहरी प्रबंधन, उत्पादन की स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढावा देने, संस्थागत अवसंरचनाओं के विकास, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैविक विविधता के संरक्षण के विषयों पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

वापसी–दमन सड़क पर रेलवे ऊपरिपुल

2861. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वापी दमन सड़क पर चल रहे रेलवे ऊपरिपुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कोई समय बद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पुल खास (रेलवे भाग) के लिए निविदाएं अगस्त, 93 में खोली गई थीं और ठेका आबंटित किया गया था। अस्थायी मार्ग चालू कर दिया गया था।

(ख) निर्माण कार्य को पूरा करना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्य पूरा कर दिए जाने पर निर्भर करेगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर–नोटनवा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2862. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्वी रेलवे ने गोरखपुर–नोटनवा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इस कार्य को कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) इस सर्वेक्षण के अनुसार परियोजना के अलाभप्रद होने और संसाधनों की तंगी के कारण इसे छोड़ दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनधिकार शिकार करना

2863. **श्री के. प्रधानी :**
डा. खुशीराम बुंगरोमल :
डा. साक्षीजी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनधिकार शिकार, जाल बिछाने और जाल में शिकार फंसाने का काम गैर–कानूनी रूप से लगातार जारी है;

(ख) यदि हां, तो 1992–93 और 1993–94 के दौरान अभ्यारण्य–वार, राष्ट्रीय उद्यान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गैर–कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। तथापि, अलग–अलग राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में चोरी–छिपे शिकार की रिपोर्टें समय–समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त होती रही हैं।

(ख) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वन्य जीवों के चोरी–छिपे शिकार और उन्हें जाल में फंसाने की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. अनुसूचित वन्यजीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है;
2. चोरी–छिपे शिकाररोधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. बाघों, हाथियों, और गैण्डों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

5. शिकारी छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापार करने वालों को पकडने के लिए पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक तथा सेना का सहयोग भी लिया जाता है।

6. वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अंतराष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाता है।

7. वन्यजीवों के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकाश प्रमुख निर्यात केंद्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

8. ऐसी सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के अलावा वन्य जीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

दो–गछिया स्टेशन पर हाल्ट

8264. **डा. असीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह–बोगांव सेक्शन के दो–गछिया स्टेशन पर हाल्ट बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) बोंगांव और चांदपाड़ा स्टेशनों के बीच एक हाल्ट के निर्माण को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन, इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि दो स्थानीय ग्रुप तथा दोगचिया मनमोहनपुर स्टेशन संग्राम परिषद तथा कालपुर उरई रेल स्टेशन समिति हाल्ट स्टेशन के प्रस्तावित स्थल के बारे में एक मत नहीं हैं।

[हिन्दी]

टिकटों का आरक्षण

2865. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे टिकटों का यात्रा करने की तिथि से केवल एक सप्ताह पहले आरक्षण करने हेतु कोई नीति बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि किए गए विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया था कि अधिकांश यात्री 45 दिन पहले तक ही अग्रिम आरक्षण का अनुरोध करते हैं। इसलिए 1-10-93 से अग्रिम आरक्षण अवधि को पहले ही 60 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गयी है।

[अनुवाद]

आपरेशन फ्लड-3 हेतु समयावधि बढ़ाने की मांग

2866. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक से आपरेशन फ्लड-3 हेतु समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि की मांग की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) भारत सरकार तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने कुल 1151.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आपरेशन फ्लड-3 परियोजना को मार्च, 1996 तक बढ़ाने के लिए, विश्व बैंक से अनुरोध किया है। विश्व बैंक द्वारा आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सहमति देने के साथ कर्नाटक परियोजना को भी मार्च, 1996 तक बढ़ाया जाएगा। आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम को मार्च, 1996 तक बढ़ाने का अनुरोध मुख्य रूप से चल रही तथा कुछ नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया है ताकि परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए दूध के रख-रखाव हेतु पर्याप्त दुग्ध प्रशीतन, प्रसंस्करण और विपणन क्षमता सृजित की जा सके।

[हिन्दी]

ग्वार और मोठ की खेती

2867. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्वार और मोठ की खेती अलग-अलग कुल कितने क्षेत्रफल भूमि में होती है;

(ख) देश के अन्य भागों की तुलना में उक्त राज्य में 1992-93 और 1993-94 में इन दो फसलों की पैदावार कितनी हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दो फसलों की समर्थन मूल्य की घोषणा करने का है ताकि किसानों को इनके लाभाकारी मूल्य मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 के दौरान राजस्थान में ग्वार और मोठ की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्रमशः 18.23 और 12.80 लाख हेक्टेयर है।

(ख) निम्न सारणी में 1992-93 के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में होने वाले ग्वार और मोठ के उत्पादन को दर्शाया गया है :-

("000" मीटरी टन में)

	ग्वार	मोठ
राजस्थान	584	351
राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्य	214	90
अखिल भारत	798	441

1993-94 से संबंधित ऐसे आंकड़े अभी तक राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) इस समय ग्वार और मोठ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य तेल

2868. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्य तिलहनों के हुए रिकार्ड उत्पादन के बावजूद खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू तेल वर्ष के दौरान, बंबई, हापुड़, और दिल्ली में चुनिन्दा खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य निम्नवत हैं :–

(रुपए प्रति क्विंटल)

	28 10–19993 को	8–3–1994 को
मूंगफली का तेल (बंबई)	3590	3060
सरसों का तेल (हापुड़)	2525	2350
सोयाबीन तेल (दिल्ली)	2450	2420
बिनौले का तेल (दिल्ली)	2580	2520

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है : नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अन्तर मंत्रालयिक समिति द्वारा खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता की नियमित आधार पर समीक्षा करना, तिलहनों और तेलों के उत्पादकों, विनिर्माताओं और व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमाओं को घटाना, पामोलीन का आयात करना तथा तिलहनों और तेलों के प्रति बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन धनराशि को बढ़ाना।

[हिन्दी]

रेलवे कुली

2869. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुलियों को स्थाई तौर पर लाइसेंस देने का है जो रेलवे पुलिस से गठजोड़ के बिना लाइसेंस के तदर्थ तौर पर काम कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) लाइसेंसधारी भारिकों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर नहीं की जाती है। जब कभी रिक्तियां उत्पन्न होती हैं स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित करके तथा स्टेशनों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करके आवेदन मांगे जाते हैं। इसके बाद इन आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की जाती है और चुने गये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड को स्थानान्तरित करना

2970. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तरी ज़ोन के रेलवे भर्ती बोर्ड को चण्डीगढ़ से श्रीनगर स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजू अनुसंधान और विकास केंद्र

2871. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में कुछ काजू अनुसंधान और विकास केंद्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे केंद्र किन राज्यों में स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार उड़ीसा में भुवनेश्वर, बरहामपुर और सम्बलपुर जिलों में ऐसे केंद्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुत्तूर, कर्नाटक में काजू पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। इसके अलावा भा.क.अ.प. की काजू पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के सौजन्य से झारगेम, (प. बंगाल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), बापातला (आ. प्र.), वृधाचलम (त.न.) मडाकाकथरा (केरल), चिन्तामणी (कर्नाटक), बेंगुरला (महाराष्ट्र), और जगदलपुर (म.प्र.) विश्वविद्यालयों में 8 काजू अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) चूंकि उड़ीसा में पहले ही एक केंद्र कार्य कर रहा है, इसलिए उड़ीसा राज्य में किसी नए केंद्र को खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सागौन और चन्दन के पौधे

2872. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को सागौन और चन्दन के पौधे मुफ्त देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

थाणे स्टेशन पर हाल्ट

2973. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों से थ्रू रनिंग ट्रेनों के लिए ठाणे स्टेशन पर हाल्ट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

2874. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विश्वविद्यालयों का विस्तार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1993 94 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृति की; और

(ख) राज्य के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 1993 94 पूरा होने के बाद ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए केरल के पात्र विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों की कुल राशि का पता चलेगा।

उत्तरी कोयम्बतूर रेल पुल

2875. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कोयम्बतूर रेल पुल कई वर्षों से अधूरा पडा है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और अब तक कितनी लागत आयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी नहीं। रेलों के हिस्से का काम (पुल खास) अक्तूबर, 1994 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है और राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे पहुंच मार्गों के काम पर अच्छी प्रगति हो रही है।

(ग) वहन की जाने वाली नवीनतम अनुमानित लागत नीचे दी गई है :

रेलों द्वारा	119.24 लाख रुपये
राज्य सरकार द्वारा	148.81 लाख रुपये

रेलो के हिस्से के काम के लिए 1993 94 के दौरान 95.61 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और अब तक इस पर 64 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारक

2876. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थान, विभिन्न राजप्रसादों और मंदिरों के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके रख-रखाव पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सरक्षणाधीन बिहार के ऐतिहासिक स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके रख रखाव पर जो धन व्यय किया गया, उसका विवरण इस प्रकार है :

1990-91	रु. 23,67,143.00
1991-92	रु. 48,39,141.00
1992-93	रु. 17,17,859.00

(ग) चालू वर्ष में, रख रखाव के लिए रु. 30,52,000.00 आबंटित किया गया है।

विवरण

(बिहार)

क्रम सं.	स्थान	स्मारक/स्थान का नाम
1	2	3
		औरंगाबाद जिला
1.	शमशेर नगर	शमशेर खान का मकबरा
		भागलपुर जिला
2.	अन्तिवक माधोरामपुर और ओरीउप	विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल

1	2	3
3.	गोलगोंग	शैल मंदिर
4.	माधोरामपुर	पठारघाट पहाड़ी पर बटेश्वर गुफा के पास की भूमि
5.	पठार घाट	शैल प्रतिमाएं
		पूर्व चम्पारण जिला
6.	बंकी	ध्वस्त गढ़ी, चंकीकढ़
7.	मढ़िया	नन्दनगढ़ स्थित किले का परकोटा
8.	—वही—	नन्दनगढ़ स्थित ध्वस्त गढ़ी
9.	—वही—	वैदिक अंत्येष्टि टीले
10.	पकरी	वैदिक अत्येष्टि टीले
11.	सागरडीह	किले के खंडहर
12.	ताजपुर देउर	बौद्ध स्तूप
		पश्चिम चंपारण जिला
13.	लौरिया अरेराज	अशोक स्तंभ, जो लौर स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है
14.	लौरिया	अशोक स्तंभ
15.	वही	वैदिक अंत्येष्टि टीले
16.	रामपुर्वा	अशोक स्तंभ
		दरभंगा जिला
17.	पचस्खी	प्राचीन किला या गढ़ के अवशेष जो स्थानीय रूप से "राजा बली का गढ़" के नाम से प्रसिद्ध है।
		गया जिला
18.	बारबर और नागार्जुनी पहाड़ियां	गोपी गुफा
19.	—वही	कर्ण चौपड़ गुफा

1	2	3
20.	बारबर और नागार्जुनी पहाड़ियां	लोमस ऋषि गुफा
21.	—वही—	सुदामा गुफा
22.	—वही—	वादा ठीक गुफा
23.	—वही—	वापीयाका गुफा
24.	—वही—	विश्व झोपा गुफा
25.	बकरोर बोध मेहेर	प्राचीन स्तूप और अन्य अवशेष, जो स्थानीय रूप से सुजातागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हैं
26.	धेन्जन	प्राचीन बौद्ध प्रतिमा और मूर्तियां, जो एक शेड के नीचे संग्रहीत हैं।
27.	गुनेरी	प्राचीन बौद्ध प्रतिमा और अन्य प्रतिमाएं तथा मूर्तियां, जो एक शेड के नीचे संग्रहीत हैं।
28.	बिशुनपुर तर्वान हसरा	घाटी में प्राचीन टीले, जो "हसरा कोल" के नाम से प्रसिद्ध हैं।
29.	—वही—	पहाड़ी पर प्राचीन टीले, जो "सोबनाथ" के नाम से प्रसिद्ध हैं।
	नालन्दा जिला	
30.	बिहार	परकोटों और टीले के अवशेष, जो "किल्ला" के रूप में प्रसिद्ध पुराने किले में साधारणतया "रानी का महल" के नाम से प्रसिद्ध हैं।
31.	—वही—	मलिक इब्राहिम बेया का मकबरा
32.	घोड़ाकटोरा	प्राचीन अवशेष, जो गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है
33.	नालन्दा (बड़गांव)	समस्त टीले, संरचनाएं और इमारतें, जो अधिगृहीत क्षेत्र के अंदर हैं।
34.	गांव अहियापुर मनेर	प्राचीन टीला और ईंटों की ध्वस्त दीवारें
35.	—वही—	—वही—

1	2	3
36.	राजगीर	1. इन क्षेत्रों के अंदर की समस्त प्राचीन संरचनाएं और अन्य स्मारक या अवशेष, जो दीवारों से घिरे हैं।
		2. समस्त प्राचीन संरचनाएं और समस्त कृत्रिम गुफाएं एंव टीले, जिनमें प्राचीन अवशेष हैं, जो प्राचीन और नवीन राजगृह के नाम से प्रसिद्ध दो पुराने नगरों से आधे मील की दूरी के अंदर स्थित हैं।
		3. प्राचीन और नवीन राजगृह के नाम से प्रसिद्ध दो प्राचीन नगरों की दीवारें।
	नवादा जिला	
37.	कुरीसराय	कौआडोल पहाड़ी की कुछ चट्टानों और शिलाखंडों के दक्षिणी और पूर्वी सिरों पर उत्कीर्ण की हुई विभिन्न हिन्द देवी देवताओं की मूर्तियां
38.	—वही—	कौआडोल पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे से 12 फुट की दूरी पर पड़े अलग-थलग गोल शिलाखंड के अग्रभाग पर उत्कीर्ण की गई विभिन्न हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियां।
39.	—वही—	कौआडोल पहाड़ी की कुछ चट्टानों के उत्तरी और पूर्वी अग्रभागों पर उत्कीर्ण की गई विभिन्न हिन्दू देवी–देवताओं की मूर्तियां।
40.	—वही—	कौआडोल पहाड़ी के पूर्व में एक आयताकार एकाकी शिलाखंड के हर ओर चार हिन्दू देवी—देवताओं की मूर्तियां।
41.	—वही	समस्त प्राचीन अवशेष, जिन पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति, कुछेक बिखरी मूर्तियां और बलुआ पत्थर के तेरह खम्भे हैं।
42.	कुर्कीहार	वह क्षेत्र, जो साधारणतया गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है

1	2	3
43.	लाट	प्राचीन एकाश्म स्तंभ, जो लाट के नाम से प्रसिद्ध है
		मुजफ्फरपुर जिला
44.	कोल्हुआ	अशोक स्तंभ
		पटना जिला
45.	बुलन्दीपुर	बाग, जो बुलन्दी बाग के नाम से प्रसिद्ध है
46.	छोटी पहाड़ी	टीला या स्तूप, जो छोटी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है।
47.	कुम्हाराहार	अशोक के प्रासाद का अनुमानित स्थल
48.	महल्ला सन्दलपुर	लकड़ी की नीवों और प्राचीन मौर्यकालीन दीवारों के अवशेष
49.	मनेर	तालाब
59.	--वही---	शाह मखदूम, दौलत मनेरी और इब्राहीम खान के मकबरे
51.	पहाड़ी डीह	टीले, जो पांच स्तूप या "पंच पहाड़ी" के नाम से प्रसिद्ध हैं।
52.	पटना	1. स्नान--ताल 2. मीर अशरफ की जुम्मा मस्जिद 3. पक्का कुंआ
		रांची जिला
53.	हंसा	असुर स्थल
54.	कठारटोली	--वही--
55.	खेकपट्टा	प्राचीन प्रस्तर--मंदिर जिसमें एक छोटा शिवलिंग है
56.	खुन्टी टोला	असुर स्थल

1	2	3
57.	कुंजला	—वही
58.	सारीदकेल	—वही—
		रोहतास जिला
59.	आशिकपुर	चन्दन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख
60.	बक्सर	प्रावीन टीला
61.	कोटा	1. उत्कीर्णित चट्टान जिसमें नागरी लिपि में छह पंक्तियों का उत्कीर्ण लेख है, जो संवत 1225 की है, जो तारा चंदी मंदिर के निकटस्थ गुफा में बने शैलाश्रय में है। 2. सं॰ 1 के सामने ऊपरी वर्णित उसी आश्रय में इससे पूर्व की तिथि की नागरी लिपि में लिखे उत्कीर्ण लेख की दो अन्य पंक्तियां 3. शैलाश्रय के ऊपर तीन पंक्तियों का [illegible] लिपि में अन्य शिलालेख जिसमें प्रारम्भ [illegible] ही स्पष्ट—सा में दायां हाथ खुदा है।
62.	मलिक सराय	बख्तयार खान का मकबरा
63.	पौरा	मुंडेश्वरी का मंदिर
64.	रोहतासगढ़	रोहतासगढ़ किला
65.	सासाराम	हसन शूरशाह का मकबरा
66.	सासाराम	1. शेरशाह का मकबरा 2. तालाब 3. इसकी दीवारें 4. घाट 5. पार्श्व की छतरिया, उत्तरी प्रवेश द्वार और वीथिकाएं

1	2	3
		6. शेरशाह के मकबरे के पश्चिम में प्रवेश-द्वार (दिल्ली दरवाजा)
		सहरसा जिला
67.	बनगांव और महेशी	प्राचीन टीला, जो स्थानीय रूप से "गौराडीह" के नाम से प्रसिद्ध है।
		संथाल परगना जिला
68.	आरजी मुकीमपुर	बारादरी इमारतों के खंडहर, जिनमें संभवतः भूमिगत कोठरियां और रास्ते हैं।
69.	हडफ	जुम्मा मस्जिद
		सारण जिला
70.	मांझी	(1) समस्त प्राचीन इमारतें और अन्य स्मारक या अवशेष तथा समस्त कृत्रिम गुफाएं और टीले, जिनमें पूर्वोक्त प्राचीन मांझी शहर की सीमाओं के अंदर प्राचीन अवशेष हैं (2) प्राचीन मांझी शहर के अवशेष
		सिंहभूम जिला
71.	बेनीसागर	1. बेनीसागर तालाब 2. उपर्युक्त तालब के दक्षिण पूर्व किनारे पर मंदिर और मूर्तियों के पुराने अवशेष
72.	रुअम	पुराने किले का स्थल
73.	ईटागढ़	प्राचीन टीला
		वैशाली जिला
74.	बसाढ़	राजा बैसल का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध टीला
75.	हाजीपुर	जुमा मस्जिद
76.	हरपुर बसोनी और चक्रमदास गांव	खेदकर निकाले गए स्तूप के अवशेष
		सीवान जिला
77.	जीरादेई	स्व. डा. राजेन्द्र प्रसाद का पैतृक मकान।

[अनुवाद]

मान्ट्रिअल प्रोटोकोल

2877. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्ट्रिअल प्रोटोकोल्ज के कार्यान्वयन हेतु भारत की मुआवजे की मांग की स्थिति क्या है;

(ख) कितनी राशि का अनुमान है; और

(ग) भुगतान की प्रत्याशित साथ-सीमा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मांट्रियल प्रोटोकोल के उपबन्धों के तहत, मांट्रियल प्रोटोकॉल की कार्यकारी समिति ने ओजोन को क्षीण न करने वाले पदार्थों को अपनाने से संबंधित प्रस्तावों की बढ़ती हुई लागतों को निधिकरण के लिए अनुमोदित कर दिया है। अब तक मांट्रियल प्रोटोकॉल की कार्यकारी समिति ने 49,77,520 अमेरिकी डालर की राशि के ऐसे 15 प्रस्तावों की अनुमोदित कर दिया है। 99,33,801 अमरीकी डालर के दस प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं। प्रसतावों को तैयार करना और प्रस्तुत करना एक सतत् प्रक्रिया है। निधियां कार्य की प्रगति के आधार पर उद्यमों को किश्तों में बंटित की जाएंगी।

[हिन्दी]

गन्ने की पिराई

2878. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गन्ना मिलों में जितनी मात्रा में गन्ने की पिराई की गई है, वह बिहार मे उत्पादित गन्ने से कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने के उत्पादन और पेराई का वर्ष-वार तुलनात्मक आंकड़ा क्या है;

(ग) क्या गन्ने की खरीद कम मात्रा में करने के कारण गन्ने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित आकंड़े निम्न प्रकार हैं :-

चीनी वर्ष (अक्तूबर--सितंबर)	गन्ना उत्पादन ('000 टन)	पेरा गया गन्ना ('000 टन)
1990--91	7805	4576
1991--92	7077	5298
1992 93	6032	3494

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की कम खरीद किया जाना, गन्ने के उत्पादन को प्रभावित करने का एक कारण है।

(घ) बिहार में तथा देश के अन्य भागों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना खरीद की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :--

(1) लाइसेंस शुदा क्षमता/संस्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं को आशय--पत्र जारी किए जा रहे हैं।

(2) जल्दी, मध्य तथा देर तक पेराई अवधियों के लिए उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहनों की घोषणा कर दी गई है।

(3) 10--3--1993 को एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषण की गई है जिसके तहत चीनी फैक्ट्रियां "उच्च रिकवरी क्षेत्रों" में 8 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी तथा "अन्य रिकवरी क्षेत्रों" में 9 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत तथा 10वें वर्ष में 66 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी।

(4) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को देय गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

(5) राज्य सरकारों से गुड़ व खांडसारी युनिटों की ओर गन्ने के विपथन को रोकन के विभिन्न उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(6) 1992--93 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के 31 रुपये प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम मूल्य की तुलना में 1993--94 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 34.50 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा कर दी गई है। 1994--95 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 37 रुपये प्रति क्विंटल की अग्रिम घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के लिए माल डिब्बों का चलन

2879. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने केरल में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए माल डिब्बों के चलन में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भारतीय खाद्य निगम के लिए माल डिब्बों के चलन को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पादप प्रजाति संरक्षण प्राधिकरण

2880. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विचार राष्ट्रीय पादप प्रजाति संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्राधिकरण का दर्जा क्या होगा;

(ग) इसके कार्यकरण की अवधि लगभग कितनी होगी; और

(घ) इस प्राधिकरण से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) पौधों की किस्मों के रक्षण हेतु किसी अभिकरण अथवा प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रश्न केवल पोधों की किस्मों के रक्षण के संबंध में विधान का प्रारूप, जोकि तैयार किया जा रहा है, बनाने पर ही उठेगा।

(ग) और (घ) विधान का प्रारूप, जिसके अधिनियम से अभिकरण अथवा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा, अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् लाया जायेगा। विधान के इस प्रारूप में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था की गई है ताकि वे बीजों की बचत, उनका इस्तेमाल, शेयरों का आदान प्रदान तथा उनकी बिक्री गैर-वाणिज्यिक आधार पर कर सकें।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे

2881. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के 33 मामले ध्यान में आए। रेल सतर्कता द्वारा जांच की गई थी। इन जांचों के परिणामों के आधार पर दोषी रेल पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की प्रकृति	पदाधिकारी, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है	
	राजपत्रित	अराजपत्रित
बड़ी शास्ति	10	4
छोटी शास्ति	6	9
चेतावनी आदि जैसी प्रशासनिक कार्रवाई	8	1

[अनुवाद]

प्रेषित माल की बुकिंग

2882. **डा. आर. मल्लू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर प्रेषित माल की बुकिंग की अव्यवस्था संबंधी रिपोर्टों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) क्या इस प्रकार की स्थिति कई अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी व्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) नई दिल्ली से प्रकाशित 4-2-94 के इकॉनामिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है

(ग) जी नहीं, बहरहाल, एक आमान प्रणाली के कारण, यातायात की प्राप्ति/संचलन में अस्थायी रूप से कुछ व्यवधान पड़ना अनिवार्य है।

विवरण

माल की बुकिंग

रेवाड़ी–दिल्ली के बीच एक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के बाद, दिनांक 12–8–93 की अधिसूचना द्वारा पालन और गुड़गावं स्टेशनों पर बड़ी लाइन के यातायात की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। तथापि बाद में 17–9–93 को गुड़गांव से/तक बड़ी लाइन यातायात की बुकिंग पर अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा देना पड़ा था क्योंकि बड़ी लाइन के लिए सम्हलाई सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य अभी निर्माणाधीन थे। बाद में, उपर्युक्त कार्य पूरे कर दिए जाने पर, 4–10–93 से गुड़गांव में फुटकर आवक और जावक यातायात की बुकिंग शुरू कर दी गई थी क्योंकि इस स्टेशन पर केवल 25 माल डिब्बों की सम्हलाई करने की सुविधा है।

इस समय गुड़गांव में बड़ी लाइन पर फुटकर आवक और जावक यातायात की बुकिंग की जाती है जबकि पालम में रेक भार और फुटकर दोनों किस्म के यातायात की बुकिंग की जाती है।

रेलवे के लिए हेलीकॉप्टर

2883. **श्री तारा सिंह :**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार रेलवे के लिए विमान तथा हेलीकॉप्टर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो विमान तथा हेलीकॉप्टर किस प्रयोजनार्थ खरीदे जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार बचत उपायों को देखते हुए इस प्रस्ताव के रद्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां। एक विमान खरीदने का प्रस्ताव है न कि हेलिकाप्टर।

(ख) दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने तथा अल्प सूचना पर कर्मियों को दूरस्थ स्थलों पर तात्कालिक कार्य करने हेतु ले जाने और लाने आदि जैसे अत्यावश्यक कार्यों में उपयोग के लिए।

(ग) और (घ) जी नहीं। विमान प्रशासनिक हित में खरीदने का प्रस्ताव है।

ब्रैकिशवाटर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज

2884. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्रैकिशवाटर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज" और "फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज" की स्थापना/स्वीकृति सरकार द्वारा की गई है/दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार बी.एफ.डी.ए. एस. और एफ.एफ.डी.ए. के कार्यकरण का संचालन करती है, और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार और 1993 के दौरान उसको कितनी प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) खाराजल मछली पालक विकास एजेंसियां तथा मछली पालक विकास एजेंसियां केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की जाती हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ)

			1991–92	1992–93	1993–94 (अ.)
	कवर किया गया जल क्षेत्र (हैक्टेयर)	एफ.एफ.डी.ए.	42,183	33,829	40,000
		बी.एफ.डी.ए.	2,864	1,680	2,136
	प्रशिक्षित किए गए कृषक (संख्या)	एफ.एफ.डी.ए.	38,653	29,488	40,000
		बी.एफ.डी.ए.	--	2,810	4,148

(अ.) अनन्तिम

विवरण

खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियां तथा मछली पालक विकास एजेंसियां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खाराजल मछली पालक विकास एजेंसियों की संख्या	मछली पालक विकास एजेंसियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	22

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	2
3.	असम	–	23
4.	बिहार		49
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	3	17
7.	हरियाणा	–	16
8.	हिमाचल प्रदेश		2
9.	जम्मू और कश्मीर		2
10.	कर्नाटक	1	18
11.	केरल	6	14
12	मध्य प्रदेश		45
13.	महाराष्ट्र	4	29
14	मणिपुर		8
15.	मेघालय		1
16.	मिजोरम		3
17.	नागालैंड		3
18.	उड़ीसा	7	27
19.	पंजाब	–	14
20.	राजस्थान		15
21.	सिक्किम		1
22.	तमिलनाडु	5	17
23.	त्रिपुरा		3
24.	उत्तर प्रदेश		56

450

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	3	18
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	
27.	चण्डीगढ़	--	
28.	दादर, नगर और हवेली	--	--
29.	दमन और दीव	--	
30.	दिल्ली	--	
31.	लक्ष्यद्वीप	-	
32.	पाण्डिचेरी		1
	कुल :	37	407

मात्सियकी में शिक्षा और प्रशिक्षण

2885. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने लोगों को समुद्र में मत्स्य-ग्रहण संबंधी प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मात्स्यिकी की शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में अध्ययन दल भेज कर तथा देश के भीतर मछुआरों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो 1993 में ऐसे कितने अध्ययन दल भेजे गये और जिन मछुआरों ने इनमें भाग लिया उनकी राज्य वार संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) मछली पालकों को प्रशिक्षित करने के लिए सन् 1963 में सरकार ने केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी और अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। के.स.अ.प्र.स. (केन्द्रीय समुद्री और अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान), मेट फिशिंग वेसेल पाठ्यक्रम और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इंजन ड्राईवर फिशिंग वेसेल कोर्स पर प्रशिक्षण आयोजित करता है नियमित और अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है जिनमें फिशिंग टैक्नोलॉजी, समुद्री विज्ञान और समुद्री अभियांत्रिकी शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत निम्न संस्थान मात्सियकी और मछली पालन डिग्री/डिप्लोपा और/अथवा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं;

(1) केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, बंबई, महाराष्ट्र।

(2) केंद्रीय स्वच्छ जल मछली पालन संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

(3) केंद्रीय खारा जल मछली पालन संस्थान, मद्रास, तमिलनाडु।

(4) केंद्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान, कोची, केरल।

इसके अलावा संबद्ध राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर मछली पालक विकास एजेंसियां मात्स्यिकी और मछली पालन में शिक्षा और/अथवा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुणवत्ता नियंत्रण

2887. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **नागरिक आपूर्ति मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विभिन्न उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण संस्थाओं को सीधे उत्पादन के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना वस्तुओं के मानकीकरण, चिहनांकन तथा गुणता प्रमाणन की गतिविधियों और उनसे संबंधित या उनसे प्रासंगिक मामलों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत की गई थी। सरोकार रखने वाले सभी संबंधित समूहों को, जिनमें प्रमुख उद्योग एसोसिएशनें, गुणता नियंत्रण संस्थाएं, सरकारी विभाग शामिल हैं, ब्यूरो में प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा इसके अध्यक्ष, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं।

राष्ट्रीय मानक, तकनीकी समितियों के जरिए विकसित किए जाते हैं, जिनमें विनिर्माता तथा गुणता नियंत्रण संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक सभी संबंधित क्षेत्रों में लगभग 16500 मानक तैयार किए हैं। उत्पाद मानकों के अनरूप हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह योजना भी चला रहा है, जिसके तहत विनिर्माताओं को लाइसेंस दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ मैदान, झीलों का मात्स्यिकी विकास

2888. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ मैदान झीलों के सतत् मात्स्यिकी विकास के लिए वृहत्--स्तर की योजनाएं तैयार की गई हैं या की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान झीलें मात्स्यिकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है; और

(घ) इस क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) 1992--93 में शुरू की गयी विश्व बैंक की सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्देशीय मात्स्यिकी घटक के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल 5,350 हेक्टेअर क्षेत्र को शामिल करके 55 जल निकायों का विकास किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 1500 लाख रुपये है।

असम में बीलों का विकास करने के लिए ऐसे 16 जलाशयों के विकास हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से चलने वाली एक योजना को अगस्त, 1992 में पूरा कर दिया गया है और इसी राज्य के 102 बीलों का विकास करने के लिए इसके दूसरे चरण की भी शुरूआत कर दी गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपग्रह से प्राप्त होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी झीलों के 105 मानचित्रों के आधार पर तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से सर्वाधिक उपयुक्त जल निकायों का पता लगाने के लिए 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र का पता लगाया गया है। राज्यों को इन जल निकायों के आस-पास मत्स्य बीज पालन तालाबों का निर्माण करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों को यह सलाह दी गयी है कि वे ऐसे जल निकायों के विकास के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सम्भव योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करें।

उड़ीसा में रेक स्थल

2889. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में अभी कितने पूरे और आंशिक रेक स्थल हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इन स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पूर्ण रेक स्थलों की संख्या 15 है। अर्ध रेक स्थलों की संख्या 10 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काकिनाडा रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाना

2890. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के उर्वरक शहर काकिनाडा के रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) काकीनाड़ा टाउन स्टेशन पर सभी सुविधाएं सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले से ही मुहैया करायी जा चुकी है। आगे विकास के उपायों के रूप में 6 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षालय के सुधार से संबंधित शुरू किया जा चुका है।

राष्ट्रीय नीति संबंधी रिपोर्ट

2891. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :
श्री द्वारका नाथ दास :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण नीति संबधी मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने सुझाव दे दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय नीति पर मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था, ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया कि मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद के मंच के जरिए राज्य सरकारों के साथ आगे परामर्श करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद–जयपुर सेक्शन

2892. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद - जयपुर सेक्शन पर आमान परिवर्तन, पुलों के निर्माण खनन कार्य और नई बड़ी रेल लाइनों को बिछाने का काम कब तक आरंभ किया जाएगा;

(ख) उक्त कार्य पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) बड़ी रेल लाइन पर रेलगाड़ियां कब से चलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ख) लगभग 320 करोड़ रुपये।

(ग) अप्रैल 1996 तक।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

2893. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों और 1993 के दौरान सेंट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलोजी, कालीकट और सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इन्सटीट्यूट कोचीन की मुख्य गतिविधियों और उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनकी गतिविधियों के क्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1993 में केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के कालीकट केन्द्र की कुछ प्रमुख गतिविधियां तथा उपलब्धियां वर्षवार निम्न प्रकार है :

1991–92

(I) अभिसाधित मछली के लिए एन्टी - रैड उपचार।

(II) व्यावसायिक दृष्टि से अभिसाधित मछली का परिष्करण।

(III) अभिसाधित मछली में कीट संक्रमण को रोकना।

(IV) पैकिंग में प्राकृतिक तेल तथा पइरीथरम का उपयोग।

(V) व्यावसायिक मछली के अभिसाधन संबंधी टैंकों के लिए कीट प्रतिरोधी कवच।

(VI) अभिसाधित मछली के खुदरा विपणन पर सर्वेक्षण।

1992–93

(I) मेसमिन से चटनी चूर्ण।

(II) पकी, धूमित तथा सूखी मैकरेल पट्टी

(III) वर्ष 1991–92 की मद संख्या I, II, III, V तथा VI में दी गई गतिविधियां जारी हैं।

1993–94

1991–92 की मद संख्या VI तथा 1992–93 की मद संख्या I और II में दी गई गतिविधियां जारी हैं।

वर्ष 1991–92 के दौरान केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उद्योग/मछुआरा समुदाय को अनुसंधान की उपलब्धियों तथा परिणामों के बारे में जानकारी देकर लाभ पहुंचाया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1993 में केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान, कोचीन की कुछ प्रमुख गतिविधियां तथा उपलब्धियां निम्न हैं :

1991–92

(I) ठीक समय तथा स्थान पर पिलागिंक्स तथा डिमरसल्स सहित समुद्री फिनफिश तथा शैल फिश पर अध्ययन।

(II) तटीय, मैगरोव तथा आइलैण्ड की इको–प्रणाली का पर्यावरण संबंधी अध्ययन।

(III) मोलस्क्स तथा समुद्री ककम्बर का मैरीकल्चर।

(IV) समुद्र में झींगा पालन (रैचिंग)।

(V) समुद्री फिनफिश तथा शैलफिश का दैहिकी, पोषण, रोग निदान तथा आनुवंशिकी सम्बन्धी अध्ययन।

(VI) केवल आर्थिक दृष्टि से प्रचुर मछली वाले नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पोत आधारित अनुसंधान।

(VII) समुद्री मात्स्यिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा प्रशिक्षण।

(VIII) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा परामर्श देना।

1992–93

उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, समुद्री खरपतवार पालन तथा मिश्रित समुद्री पालन शुरू किया गया।

1993–94

उपरोक्त गतिविधियां जारी हैं।

केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान उपलब्धियों की सहायता से समुद्री मछली वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया और उनका भरपूर लाभ उठाया गया, जिससे वर्ष 1992–93 के दौरान 2.57 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। मछली संबंधी उद्योगों ने मैरीकल्चर प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर उनका लाभ उठाया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम विश्वविद्यालय

2894. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम विश्वविद्यालय की सम्बद्ध करने संबंधी शक्तियों के संबंध में असम में तीव्र आक्रोश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रावधान में परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) 15 जनवरी, 1994 को और उसके बाद असम विश्वविद्यालय अधिनियम के लागू होने से, कछार, करीमगंज, उत्तरी कछार पर्वतीय एवं करबी अंगलांग के जिलों में स्थित सभी कालेज असम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गए हैं। असम विश्वविद्यालय की सम्बंधन शक्तियों के विरोध में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं।

(ग) से (घ) असम सरकार ने सूचित किया है कि इस अपेक्षित मामले की जांच करने के लिए विद्वानों, कुलपतियों तथा संबंधित संगठनों से बातचीत करने का प्रस्ताव है, ताकि एकमत पर पहुंचा जा सके।

[हिन्दी]

कलैंडरों की छपाई

2895. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने छपवाए गए लाखों कलैंडर नष्ट कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे बुक स्टाल

2896. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री ताराचंद खण्डेलवाल :
श्री तारा सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के बुक स्टालों पर विभिन्न ठेकेदार साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता विरोधी पुस्तकें रखते हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर उद्देश्यपरक पुस्तकों की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन करने हेतु कोई समिति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है, और

(घ) रेलवे स्टेशनों के बुक स्टालों पर अच्छी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) बुक स्टाल के लाइसेंस, रेलों के साथ किए गए करारों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। करार के अनुसार, उपबंधों में यह शर्त भी शामिल है कि कोई भी अश्लील अथवा आपत्तिजनक साहित्य न तो प्रदर्शित किया जाएगा और न ही बेचा जाएगा।

हाल ही में रेलवे बुक स्टालों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के मानकों की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है। समिति द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की शिकायतें

2897. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा भूख हड़ताल" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में कथित विसंगतियों और उनके भविष्य निधि खातों में अनियमितताओं की जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में लगाये गए आरोपों के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय से टिप्पणियां मांगी गई हैं और इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई इन टिप्पणियों के प्राप्त होने के बाद ही सम्भव हो सकेगी।

शीशे की गुणवत्ता

2898. **डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वाहनों में प्रयोग किए जा रहे घटिया स्तर के शीशों की गुणवत्ता में सुधार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस शीशे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने सड़क परिवहन के लिए सेफ्टी ग्लास हेतु विशिष्टियां तैयार की हैं (आई.एस. 2553 (भाग 2) : 1992)।

(ख) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में यह प्रावधान हैं कि प्रत्येक मोटर वाहन के बगल की खिड़कियों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले शीशे भारतीय मानव ब्यूरो की विशिष्टियों के अनुरूप होंगे तथा एक निश्चित अवधि के बाद, सामने के विन्ड स्क्रीन का शीशा लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास का बनाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद मानकों के अनुरूप हों, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह योजना भी चला रहा है जिसके तहत विनिर्माताओं को लाइसेंस दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

गंगा और यमुना में प्रदूषण

2899. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों पर गंगा और यमुना का वर्तमान प्रदूषण स्तर क्या है;

(ख) सरकार ने इन नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गंगा और यमुना के संदर्भ में प्रदूषण के विरुद्ध कितने मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन मामलों के निपटारों की क्या स्थिति है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) यमुना एवं गंगा में 1993 में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदूषण के औसत स्तर, जो नदी जल में जैव रसायन आक्सीजन मांग तथा घुलित आक्सीजन के आधार पर दर्शाया गया है, को क्रमश: संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत गंगा के किनारे बसे श्रेणी–1 के 25 नगरों (जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक है) में प्रदूषण निवारण के कार्य शुरू किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के प्रदूषण के कुछ भागों को शामिल किया गया है। कानपुर में शेष कार्य गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में हाथ में लिए जाएंगे। सरकार द्वारा यमुना के प्रदूषण निवारण की कार्य योजना अनुमोदित कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा के 6 नगरों और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों में कार्य आरंभ किए जाएंगे। दिल्ली में दिल्ली की अपनी योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। केवल 2 छोटे सीवेज उपचार संयंत्र यमुना कार्य योजना के हिस्से हैं। सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा यमुना कार्य योजना पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण–I

यमुना में 1993 में महत्वपूर्ण स्थानों पर अधोप्रवाह में प्रदूषण का स्तर

क्र. सं.	नगर	नदी जल (मि.ग्रा. प्रतिलीटर) में जैव–रसायन आक्सीजन मांग		नदी जल (मि.ग्रा. प्रतिलीटर) में घुलित आक्सीजन	
		1993 औसत	वांछित स्तर	1993 औसत	वांछित स्तर
1.	दिल्ली अधोप्रवाह	35.78	3.0 (अधिकतम)	0.01	5.0 (न्यूनतम)

2.	मथुरा अधोप्रवाह	7.78	—वही—	5.2	वही
3.	आगरा अधोप्रवाह	14.6	—वही—	0.0	—वही—

विवरण—II

गंगा में 1993 में महत्वपूर्ण स्थानों पर अधोधारा में प्रदूषण का औसत स्तर

क्र. सं.	नगर	नदी जल (मि.ग्रा. प्रतिलीटर) में जैव-रसायन आक्सीजन मांग		नदी जल (मि.ग्रा. प्रतिलीटर) में घुलित आक्सीजन	
		1993 औसत	वांछित स्तर	1993 औसत	वांछित स्तर
1	ऋषि केश	1.32	3.0 (अधिकतम)	9.06	5.0 (न्यूनतम)
2.	कानपुर	24.46	वही	5.15	वही
3.	इलाहाबाद	1.88	वही	7.16	वही
4.	वाराणसी	0.95	वही	7.58	वही
5.	पटना	1.50	वही	8.04	वही

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

2900. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु इसके विस्तार सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तभी आता है जब कार्मिक विभाग उसे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अधिसूचित करता है। कार्मिक विभाग ने शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न पीठों में कार्य भार को ध्यान में रखते हुए वे फिलहाल केन्द्रीय विद्यालय संगठन को शामिल करने की स्थिति में नहीं है।

।हिन्दी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खरीद संबंधी विनियम

2901. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के खरीद संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद के लिए तीन सदस्यों की समिति का होना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्टोर की खरीद सहित सभी वस्तुओं की खरीद के लिए आमतौर पर भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करता है। स्कूलों के लिए प्रधानाचार्या द्वारा खरीद के लिए संगठन ने विद्यालयों के लिए एक खरीद सलाहकार समिति भी निर्धारित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत–बुल्गेरिया समझौता

2902. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बुल्गेरिया के संयुक्त आयोग के दसवें अधिवेशन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण "ग्रीन हाऊस" प्रौद्योगिकी , डेयरी उत्पादों तथा मत्स्यकी उद्योगों को स्थापित करने हेतु भारत और बुल्गेरिया के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बुल्गेरिया सरकार ने भारत की भागीदारी हेतु किन–किन क्षेत्रों में रुचि दिखाई है; और

(ग) सरकार द्वारा यदि खाद्य प्रसंस्करण "ग्रीन हाऊस" प्रौद्योगिकी डेयरी उत्पादों तथा मत्स्यकी उद्योग में विदेशी प्रवेश करते हैं तो स्थानीय उद्योगों की रक्षा करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत–बुल्गेरिया संयुक्त आयोग के 10वें सत्र में दोनों देशों के मध्य कृषि, कृषि अनुसंधान, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन तथा खाद्य संसाधन, ग्रीन हाउस टेक्नालॉजी, डेरी व मात्स्यिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति प्रकट की गयी। बहरहाल, बुल्गारिया और भारत के मध्य खाद्य संसाधन, ग्रीन हाउस टेक्नालॉजी, डेरी उत्पादों तथा मात्स्यिकी से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष समझौता सम्पन्न नहीं किया गया था।

(ख) बुल्गारिया सरकार ने सुअर प्रजनन, मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादों, कुक्कुट क्षेत्र, रेशम उद्योग, कृषि यंत्रीकरण, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के निर्यात; बुल्गारिया में भारतीय रेस्तरां/होटलों के निर्माण में निवेश, सब्जियों/पुष्पों के उत्पादन में ग्रीन हाउस प्रभाव, मत्स्य संसाधन के संयुक्त उद्यम आदि जैसे क्षेत्रों में भारत की भागीदारी के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की है।

(ग) चूंकि खाद्य संसाधन, डेरी उत्पाद और मात्स्यिकी उद्योग में भागीदारी के बारे में बुल्गारिया से अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, अतः इन क्षेत्रों के किसी स्थानीय उद्योगों को रक्षा सम्बन्धी उपायों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

खतरनाक रसायनिक एकक

2903. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री छीतू भाई गाभोत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात एवं अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में अत्याधिक खतरनाक औद्योगिक एककों के होने की जानकारी है जिनसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र ने देश में इन औद्योगिक केन्द्रों द्वारा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भोपाल जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात तथा अन्य राज्यों में प्रमुख परिसंकटमय प्रतिष्ठानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी विभागों के सम्बन्धित प्राधिकारी सुरक्षा नामों के कार्यान्वयन के बारे में प्रमुख दुर्घटना परिसंकटमय यूनिटों का निरीक्षण करते हैं।

(ङ) प्रमुख रासायनिक परिसंकटों के निवारण के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 अधिसूचित की है तथा इन नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य नियमों में निर्दिष्ट प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है।

(2) इस मंत्रालय द्वारा परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 के बारे में दिशा-निर्देश और आपात तैयारी योजना संबंधी दिशा--निर्देश तैयार किए गए हैं।

(3) फैक्टरी निरीक्षणालन द्वारा दोषी उद्योगों को सुधार के लिए नोटिस दिए जाते हैं जिनको उद्योगों द्वारा इन उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(4) राज्य फैक्टरी निरीक्षणालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक यूनिटों के प्रतिनिधियों जैसे क्षेत्र एजेंसियों के कार्मिकों के लिए सुरक्षा और आपात तैयारी से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(5) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के विभिन्न उत्सर्जनों से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक कार्य के लिए विभिन्न निगरानी उपस्करों तथा गश्ती सुविधाओं से फील्ड एजेंसियों को सुसज्जित किया गया है।

(6) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण और हथालन करने वाली यूनिटों की अधिकता वाले विभिन्न जिलों में माडल ऑफ–साइट आपात योजनाओं को तैयार करने के संबंध में एक पहले से चल रहा कार्यक्रम शुरू किया गया है। चुनिन्दा जिलों में जिलेवार परिसंकट विश्लेषण शुरू किया गया है।

(7) परिसंकटमय उद्योगों की अधिकता वाले चुनिन्दा राज्यों में आपात अनुक्रिया स्थापित करने के लिए भी एक स्कीम शुरू की गई है।

(8) रासायनिक विपदाओं से निपटने के लिए प्रयासों के समन्वय हेतु एक केन्द्रीय सतर्कता प्रणाली स्थापित की गई है।

विवरण

परिसंकटमय प्रतिष्ठानों और प्रमुख दुर्घटना परिसंकट प्रतिष्ठापनों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिसंकटमय यूनिटों की संख्या	एम.ए.एच. यूनिटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	204	36
2.	असम		7
3.	बिहार	740	34
4.	गोवा	30	8
5.	गुजरात	2447	110
6.	हरियाणा	35	29
7.	हिमाचल प्रदेश	163	60

1	2	3	4
8.	जम्मू व कश्मीर	7	7
9.	कर्नाटक	600	27
10.	केरल	23	23
11.	मध्य प्रदेश	517	39
12.	महाराष्ट्र	1850	101
13.	मेघालय	2	--
14.	उड़ीसा	29	13
15.	पंजाब	186	14
16.	राजस्थान	61	61
17.	तमिलनाडु	51	51
18.	उत्तर प्रदेश	1298	119
19.	पश्चिम बंगाल	124	42
20.	दिल्ली	128	22
21.	नागालैंड	1	1
22.	पांडिचेरी	3	3
		8499	807

[हिन्दी]

किराए के गोदाम

2904. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान गोदामों के किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) तत्संबधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराये पर लिये गये इन गोदामों का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा

1991–92 और 1992–93 के दौरान गोदामों के किराये के रूप में क्रमशः 5903.79 लाख रुपये और 4393.05 लाख रुपये अदा किए गए हैं।

(ख) इन गोदामों के अदा किए गए किराये का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	1991–92	1992–93
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	–	–
2.	पंजाब	1245.30	1373.04
3.	हरियाणा	2960.14	212.34
4.	उत्तर प्रदेश	877.16	642.24
5.	राजस्थान	148.44	55.25
6.	दिल्ली	23.33	20.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.24	11.64
8.	आन्ध्र प्रदेश	1324.92	539.99
9.	तमिलनाडु	116.97	100.65
10.	कर्नाटक	177.50	118.84
11.	केरल	16.04	5.54
12.	पी.ओ. मद्रास	16.14	16.14
13.	पी.ओ. विजाग	–	0.24
14.	मध्य प्रदेश	430.96	297.64
15.	महाराष्ट्र	390.75	318.65
16.	गुजरात	224.53	184.66
17.	पी.ओ. कांडला	1.05	

1	2	3	4
18.	पी.ओ. कलकत्ता	112.20	96.05
19.	असम	49.57	36.72
20.	बिहार	122.27	73.72
21.	उड़ीसा	151.49	187.32
22.	पश्चिम बंगाल	118.23	68.08
23.	एन.ई.एफ.	43.56	34.30
	जोड़	5903.79	4393.05

[हिन्दी]

सीटों का आरक्षण

2905. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यात्रियों को रेलगाड़ियों में अपनी सीटें आरक्षित कराने तथा उनकी पुष्टि हो जाने के बाद भी उन्हें वे सीटें नहीं मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलगाड़ियों में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को उनकी बर्थ/सीटें दिलाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) यात्रियों को अपनी पुष्टीकृत सीट/शायिका न मिलने की कुछ घटनाएं नोटिस में आई हैं।

(ख) सामान्यतया ऐसे मामले "खराब" मार्क किए गए सवारी डिब्बों के बदले नये सवारी डिब्बे उपलब्ध न होने, अपेक्षित किस्म के सवारी डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण गाड़ियों को निर्धारित से भिन्न संरचना के साथ चलाने या दुर्घटना होने अथवा अनाधिकृत यात्रियों के, विशेषकर मेला/रैलियों आदि के दौरान, जबरदस्ती बैठ जाने के कारण होते हैं।

(ग) क्षतिग्रस्त सवारी डिब्बों के स्थान पर अच्छे डिब्बे लगाकर और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती किए गए कब्जे को रा.रे.पु./रे.सु.ब. की सहायता से सवारी डिब्बे/शायिकाओं को खाली कराकर ऐसे मामलों की घटना से बचने के प्रयास किए जाते हैं। अधिकाधिक स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू करने के परिणामस्वरूप आरक्षण करने वाले कर्मचारियों की ओर से लिपिकीय त्रुटि के अवसरों में भी काफी कमी आई है। ऐसी चूकों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विरुद्ध न्यायालय में दायर मामले

2906. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विरुद्ध न्यायालय के निर्णयों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली और अन्य स्थानों पर न्यायालय की अवमानना संबंधी कितनी याचिकाएं दायर की गयी हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गत तीन वर्षों के दौरान सेवा संबंधी मामलों पर दायर याचिकाओं की पैरवी करने में कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायलयों में जाने संबंधी मामलों की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फिलहाल केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में सात सिविल अवमानना याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि न्यायाधिकरण के निर्णय/आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

(ख) रुपये 16.00 लाख (लगभग)।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों का अनुसरण करती है। जहां भा.कृ.उ.प. अपने नियमों/विनियमों को तैयार करती है वहां जरूरी होने पर भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से और परिषद के शासी निकाय (गवर्निंग बाड़ी) और भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष की हैसियत से कृषि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं कि परिषद द्वारा जारी आदेशों पर न्यायिक कठिनाइयां पैदा न हों। यदि, परिषद की तरफ से पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से न्यायालय में जाते हैं तो परिषद के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता कि वह न्यायालय में अपने पक्ष का बचाव करें।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न की कथित चोरी

2907. **श्री जर्नादन मिश्र** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से पहली जनवरी, 1994 से 10 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की चोरी होने का कोई मामला उनके नोटिस में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आलू का उत्पादन

2908. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आलू और शलजम के उत्पादन के लिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये;

(ख) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान आलू और शलजम का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या यह लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अन्त में उपलब्ध होने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेट्रोल का विकल्प

2909. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील ने पेट्रोल के विकल्प के रूप में एल्कोहल का प्रयोग करने संबंधी, जानकारी तथा प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को अब तक स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) रूवेन्स रिकुपेरी, पर्यावरण मंत्री और भारत में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के राजदूत की हाल की यात्रा के दौरान, दोनों देश ईंधन के विकल्प के रूप में और गैसोलीन के लिए सीसे के विकल्प के रूप में अल्कोहल के प्रयोग में ब्राजील के अनुभव के संबंध में परियोजनाएं प्रतिपादित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। विचारार्थ विषयों तथा शर्तों के ब्यौरों पर कोई चर्चा नहीं हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) परियोजना के ब्यौरों का पता इसको विकसित किए जाने के बाद चलेगा।

(व्यवधान)

12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक कर बोलें।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बासासौर) : महोदय, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अब कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कहने को आपके पास बात होगी, पर औरों को भी तो कहना है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपकी अनुमति से एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला उठाने का असवर मुझे प्राप्त हुआ। देश की खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को जिस साजिश के अन्तर्गत समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

सिन्दरी में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान पी.डी.आई.एल. की मत प्रायः स्थिति सरकार की नीतियों के कारण हो रही है कल बी.आई.एफ.आर. के सामने इसकी पेशी है और इस बात की घोर आशंका है कि कहीं इसको बन्द करने का निर्णय सरकार न ले ले। अभी कुछ दिन पहले मैंने नियम 377 में भी इस मामले को उठाया था तो सरकार ने जिस तरह से अपने कानों को बन्द कर लिया है, इसके कारण मेरे क्षेत्र में बहुत बैचेनी है। पी.डी.आई.एल. खाद कारखाना को आकार देने वाला भारत में अपनी तरह का अकेला प्रतिष्ठान है। यह प्रतिष्ठान खाद कारखानों को आकार देने के अलावा सर्वोत्तम किस्म के उत्प्रेरक और हैवी काटर के निर्माण में भी कामयाबी हासिल कर चुका है। फिर भी उच्च स्तरीय साजिश के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा खर्च करके सारे काम विदेशी कम्पनियों को दिए जाते हैं। स्नैम प्रगति और हकदार टोप्सों को काण्ट्रैक्ट दिया जाता है। पी.डी.आई.एल. की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उसका काम बहुत अच्छा है, उसके कोटेशंस बहुत नीचे रहते हैं, फिर भी उसको काम नहीं दिया जाता। हालांकि बाद में सब काण्ट्रेक्टर बनाकर उसी से यह काम कराया जाता है। इसके उत्प्रेरकों की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसको खरीदकर के नहीं, विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से उत्प्रेरकों की खरीदारी की जाती है। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आपको इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : जब थाल प्रोजेक्ट बन रहा था तो उस समय 1 करोड़ रुपये से टैक्नोलोजी ट्रांसफर पी.डी.आई.एल. को किया गया था लेकिन टैक्नोलोजी ट्रांसफर के बाद भी विदेशी कम्पनियों को ही कान्ट्रेक्ट दिया जाता है। उनको अलग से 150 करोड़ रुपये कन्सलटेंसी के लिए दिये गये और उसको इस तरह की टैक्नोलोजी ट्रांसफर के बाद भी काम नहीं दिया जाता बल्कि इसको बन्द किया जा रहा है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और पी.डी. आई.एल. जैसे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के संस्थान हैं, उनको साजिश के अन्दर बन्द न किया जाए, इससे देश की जो औद्योगिक क्षमता है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि मिनिस्टर साहब इस मामले में स्टेटमेंट देकर जो तरह-तरह की आशंकाएं फैली हैं, उनको दूर करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। आप इस सभा के अध्यक्ष हैं, और यह सभा लोकतंत्र की रक्षक है।

यदि किसी मुख्य मंत्री ने उग्र शब्दों का प्रयोग किया हो और अपनी पार्टी के लोगों या देश के किसानों को हिंसक बनने को कहा हो, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे हो सकती है।

महोदय, 12 मार्च, 1994 को राज्य की राजधानी में किसानों की एक रैली को सम्बोधित करते हुए उड़ीसा के माननीय मुख्य मंत्री ने किसानों को कांग्रेसजनों को पीटने को कहा था। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : यह तो अत्यंत गम्भीर विषय है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, पर आपके बयान से इसका पता सभी को चल जाएगा। आप इसे समझते हैं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : यह बात उन्होंने किसानों की रैली में कही है। सरकार को इस देश में कट्टरपंथियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपने सहयोगियों को अपनी बात रखने दीजिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री को सभा में बयान देने को कहें। **(व्यवधान)** सभा को यह बात मालूम रहनी चाहिए। **(व्यवधान)** बाबरी मस्जिद की तोड़–फोड़ से इस देश पर बहुत खराब असर पड़ा है। **(व्यवधान)** इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा आवश्यक है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : (देवगढ़) : महोदय, मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने काफी कुशाग्रता से इस विषय पर कहा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, उड़ीसा सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है। लोग निराशा महसूस कर रहे हैं। वे खुश नहीं हैं। वे नाराज हैं। **(व्यवधान)** उड़ीसा के मुख्य मंत्री कहीं आ जा नहीं सकते। सभी स्थानों पर उनका स्वागत काले झंडों के प्रदर्शनों से होता है। कांग्रेसजन पूरे राज्य में लोगों को यह बताते घूम रहे हैं कि चुनाव के समय उन्होंने क्या कहा था। **(व्यवधान)**अब वह कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए 12 मार्च की किसान रैली में उन्होंने खुला आह्वान किया है कि लोग कांग्रेसियों को पीटें। क्या यह प्रोत्साहन नहीं है ? **(व्यवधान)** उन्होंने ऐसा कहा है। मुख्य मंत्री, जो एक सांविधिक अधिकारी हैं, स्वयं हिंसा भड़का रहा है। **(व्यवधान)** पूरी मशीनरी ही भंग हो गई है। अब बहुत हो गया। अतः अब भारत सरकार के लिये मूक दर्शक बने रहने का समय नहीं है।

उड़ीसा गरीब राज्य है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप जो यहां बयान दे रहे हैं, उस पर गवाही देने जैसी कोई बात नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृपया लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। **(व्यवधान)** देश के एक हिस्से में लोकतंत्र खतरे में है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब बैठ जाइए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी संसद के मेधावी सदस्य हैं। आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ढंग से रखी है। सरकार और अन्य सदस्य आपकी बात को समझने में समर्थ हैं। इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है। अतः कृपया दोहराये नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को इस मुद्दे पर बयान देने को कहें। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र हमारा गर्व है और विश्व में हमारा सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उड़ीसा में लोकतंत्र खतरे में है। यह लोकतंत्र का प्रश्न है। महोदय ! **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाएं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत स्वयं है और जनता इसका फैसला करेगी। डरिये मत। चिंता न करें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, यह हिंसा का प्रश्न है। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कांग्रेसजन शांत बैठे रहेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव के बोलने के बाद यदि सरकार चाहे तो कुछ कह सकती है। कृपया बैठ जाइए। हमें समझना चाहिए कि जो सत्ता में है, उन्हें अधिक अत्तरदायी होना पड़ता है। चाहे वह यहां हो या राज्यों में हों। अतः हम थोड़ा और जिम्मेदार बनें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यदि कोई पूर्णतः उत्तरदायित्वविहीन हो जाए, तब क्या होगा, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस बात को उठाया है, मैं मानता हूं कि यह गंभीर बात है, लेकिन उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने रैली में जिस तरह से अपना बयान दिया है, उसमें यह संदर्भ नहीं है, जिस तरह से माननीय सदस्य यहां पर बता रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का संदर्भ इतना ही था कि डंकल और गैट प्रस्तावों पर जो दस्तखत हो रहे हैं, उसके चलते बेरोजगारी और बरीबी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसके चलते हिन्दुस्तान की जनता के पास और कोई रास्ता नहीं होगा ...**(व्यवधान)**... इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी कि हिन्दुस्तान की जनता के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन यहां पर माननीय सदस्य इसको दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगजीत सिंह पुर) : दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हमें यह देखना चाहिए कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कोई मुख्य मंत्री न दे। ऐसे बयानों की भर्त्सना की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा राज्य की विधान सभा में उठाये जाएं यहां नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं तो इस पर सदन में पूरी बहस होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही मैं ऐसी टिप्पणियों पर आपके खेद को समझ सकताहूं। और आपने अपना गुस्सा इस पर व्यक्त किया है। अब, कृपया बैठ जाएं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उड़ीसा के माननीय मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य उतना ही निंदनीय और लोकतंत्र का विरोधी है जितना कि श्री दिग्विजय सिंह कांग्रेसी लोगों को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीटने के लिए कहें या उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव अपने लोगों को उस राजय के जनता दल के व्यक्तियों को पीटने के लिए कहें। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सरकार जानबूझकर इन्स्टीगेड कर रही है। ...**(व्यवधान)**... भारत सरकार ने क्या उड़ीसा सरकार से यह पूछा है और उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने क्या कहा है ? ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर सदस्यों का गुस्सा स्वाभाविक है। आपने काफी उपयुक्त और उचित टिप्पणियां की हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान : क्या आपने राज्य सरकार से पता कर लिया है ? **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : किसी असमर्थनीय कार्य को समर्थन देने की कोशिश न करें।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : आपको इन टिप्पणियों की भर्त्सना करनी चाहिए यदि आप लोकतंत्र के सच्चे समर्थक हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहे। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शहाबुद्दीन कृपया चुप रहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से पूछना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह बिल्कुल सच है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही यदि आप नहीं बैठेगें तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। आप सदन में ही कानून और व्यवस्था की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया बैठ जायें। मैंने श्री शहाबुद्दीन को बुलाया है। अन्य सभी सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्रीमती सुशीला गोपालन चिरायिंकिल : मैं इससे सहमत हूं कि यदि इन तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, तो हम उनकी निंदा अवश्य करें इस बात की अनदेखी करते हुए कि हम किस पार्टी से सम्बद्ध हैं। बहुत से राज्यों में भी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल वही है जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाय। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठे जांय। आप जो भी कह रही हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आप जो भी कह रही हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर साहब, मैं बड़े दुख के साथ बड़े दर्द के साथ और बड़े अफसोस के साथ एक मामला आपके सामने और हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। एक सियासी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने जो रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकोगनाइज्ड पार्टी है जिसने कान्स्टीट्युशन की शपथ खाई है, उसने महात्मा गांधी का बहुत बड़ा अपमान किया है।

महात्मा गांधी सिर्फ हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं हैं, वे सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, महात्मा गांधी का मुकाम पूरी इन्सानियत की तारीख में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बयान से लाखों--करोड़ों हिन्दुस्तानियों के दिलों पर चोट पहुंची है, हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं। गांधीजी की एक हैसियत है जिसने हिन्दुस्तान को बनाया है और हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई है। हिन्दुस्तान का जो पिछड़ा और नीचे का वर्ग था, उन लोगों को इज्जत की जगह दी, और उन्हें ऊंचा उठाया। आज उनको वाई–इम्प्लीकेशन कहा जा रहा है–

[अनुवाद]

"शैतान का बच्चा।" महोदय, यह अपमानजनक है और सदन इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। सदन, एक मत से, इस झूठे आरोप का विरोध करे।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

हाउस के तमाम सदस्यों को मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। गांधीजी का इन्सल्ट हमारी इन्सल्ट है। उनकी इज्जत हिन्दुस्तान की इज्जत है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार पूरी ताकीद करे और इसके ऊपर कानून की नजर से भी देखा जाए कि कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाये। इससे पूरे हिन्दुस्तान की जनता के दिलों पर ठेस और चोट लगी है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाही की जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, देश के व्यापक हित में सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री इस सदन में उपस्थित हैं। उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरह के वक्तव्य जो देश की एकता को खत्म करते हैं, को देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से एक विशेष पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को कहा है पूरे देश में चिन्ता व्याप्त है। एक बार जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू यहां बैठे थे तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी एक शब्द कहा था, लेकिन तब चारों तरफ से तालियां बजाई गई थीं। सब लोगों ने उस शब्द का स्वागत किया था। लेकिन मायावती ने जिस शब्द को कहा है वह अत्यन्त अपमानजनक शब्द है। सारा हिन्दुस्तान उससे दुखी और प्रताड़ित है। उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों पर इस शब्द को लेकर आग लगी हुई है। प्रतिदिन अखबारों में यह बात आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे कहा जाये कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करें। गृह मंत्रीजी को यहां पर इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी राष्ट्रपिता का अनादर किया था, अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने गांधीजी का अनादर किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में एक सदस्य को उठकर बोलना चाहिए। एक बोल रहा होता है तो दूसरा खड़ा होकर बोलने लग जाता है और फिर तीसरा भी बोलने लग जाता है तो कुछ रिकार्ड नहीं होता है। क्या इतनी छोटी-सी बात हमारे ध्यान में नहीं है ? इससे किसी को सुनाई नहीं देता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप थोड़े में अपनी बात समाप्त करें, काफी हो गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता के बारे में जो टिप्पणी की गयी हे, यह निहायत ही गंभीर मामला है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस वक्तव्य को लेकर चारों तरफ लोगों के मन में एक कटुता उत्पन्न हो गयी है। इतना ही नहीं, जो शब्द मायावती जी ने बयान किये हैं, इसके बारे में भारत सरकार को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से पूछना चाहिए। और इसी कारण वहां पर सवर्ण और अनुसूचित जाति के लोगों में कटुता उत्पन्न हो गयी है और कल उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने प्रदर्शन, धरना और अनशन होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको चांस दिया है और आप बराबर बोलते चले जा रहे हैं, मैं आपको नीचे बैठा दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वहां पर प्रदर्शन और धरना होने जा रहा है और अगर इस पर भी हाउस में चर्चा नहीं की गयी, इसका परिणाम बुरा होगा। इसको रोकने के लिए और इस पर चिन्ता प्रकट करने के लिए यहां पर बहस होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शहाबुद्दीन जी ने जो सवाल यहां पर उठाया है...

अध्यक्ष महोदय : क्या उसको रिपीट करना जरूरी है ?

श्री नीतीश कुमार : नहीं, मैं इसमें केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अत्यंत निंदनीय है लेकिन महात्मा गांधी आसमां हैं और इस प्रकार से जो छुटभैय्ये बयान देते हैं वह आसमां की तरफ सिर करके, मुंह करके थूकने के समान हैं उनकी वही दुर्गति होगी जैसी आसमान की तरफ थूकने वालों की होती है। इसलिए ऐसे लोगों के बयान की निन्दा करनी चाहिए लेकिन साथ-ही-साथ उनको इतना महत्व भी नहीं देना चाहिए कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से एक और सवाल इस सदन के सामने रखना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : आप दो रख रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम दूसरी बात रख रहे थे हम एक मिनट में कहना चाहते थे। आये दिन अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की वारदातें हो रही हैं।

इस सवाल को सदन में भी उठाया गया है। अभी-अभी मेरठ में भी हुआ है। एक हरिजन युवक को जिन्दा जला दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि Prevention of Atrocities Act, 1989 का सही इस्तेमाल सरकारें नहीं कर रही हैं और न उनके बारे में थानों को सूचना दी गयी है कि इस प्रकार का कानून है और उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। National Commission on SCST भी अपनी प्रक्रिया के बारे में तय नहीं कर सका है कि कौन-सा प्रोसीजर अडाप्ट करना चाहिए और उसके चलते यह Defunct सा पड़ा हुआ है। इस मामले में जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षिक करूंगा कि उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द निर्धारित हो और हर थाने में Prevention of Atrocities on SC/ST Act के बारे में सूचना दी जाये कि इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने इस मुद्दे पर एक से ज्यादा बार विचार किया है। हमने यह निर्णय किया है कि सदन में इस पर वाद–विवाद होना चाहिए और सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर वाद–विवाद कराने के इस प्रस्ताव का पूरी

तरह से समर्थन दिया है। हम कुछ समय निकालने की कोशिश करेंगे ताकि इस मुद्दे पर हम सदन में आपके मार्ग-निदेश में चर्चा कर सकें। तब, पूरे मामले का उचित केन्द्रण किया जा सकेगा और देश के विभिन्न भागों में उपचारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रायः हमें सभी प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय इस बारे में अवश्य प्रामाणिक सूचना प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन, सरकार के मत में, जितनी जल्दी समय मिले इस विषय पर वाद विवाद करना एक अच्छा विचार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम कुछ समय निकालने की कोशिश करेंगे। श्री जोशी।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : पूरा सदन गुस्से में है। कम से कम, मंत्री को कुछ कहना चाहिए, अन्यथा, ऐसा मालूम होगा मानों केन्द्र इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहता है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मंत्री महोदय अन्य मामलों पर कुछ कहने के लिए स्वेच्छा से भाग लेते हैं। अभी वे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यह उनका सरकारी दायित्व है कि वह इस विषय पर कुछ कहें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. जोशी प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोटा संभाग में हुई एक संवेदनशील दुर्घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। 28 गरीब परिवारों के जो लोग चिमनी चलाकर अपना जीवन-यापन करते हैं ऐसे व्यक्ति आज प्रातःकाल तक मर चुके हैं और उसका एकमात्र कारण है इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की लापरवाही की पराकाष्ठा। मेरा निवेदन है कि 15-2-94 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का एक टैंकर कोयली रिफाइनरी से कोटा के लिए आया था। दुर्भाग्य से वह पेट्रोल टैंकर नंबर 2 में डाल दिया और 75 हजार लीटर पैट्रोल घासलेट में मिल गया और उसके बाद सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों को पता लग गया है कि इसमें पैट्रोल मिल गया है उसके बावजूद उस पेट्रोल की कोई जांच नहीं हुई। 15-2-94 से लेकर 18-2-94 तक यह दो लाख मीटर पेट्रोल मिश्रित घासलेट पूरे कोटा संभाग में वितरित किया गया। इसमें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की लापरवाही के कारण 28 लोग मर गए और 185 लोग घायल तथा 15 लोग जयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे कामों के लिए सरकार कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से चार लाख रुपये से अधिक अनुदान राशि दी है लेकिन प्रधान मंत्री महोदय ने किसी तरह की अनुग्रह राशि नहीं दी है।...(व्यवधान)...

25 लाख रुपये वह देंगे जो पर्याप्त नहीं है। एक उच्च स्तरीय टीम वहां जाए और जा कर सारे मामले को देखे। साथ ही मेरा निवेदन है कि इस सारे घटनाक्रम को लेकर जो कोटा संभाग में उद्वेलित लोग हैं, उनकी सहायता के लिए दिल्ली से कोई स्पेशल टीम जाए जिससे जो लोग मर रहे हैं और 15 लोग जयपुर के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हैं, उन सब लोगों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सहयोग देने के लिए अत्यंत धन्यवाद करता हूं। हम अगली मद पर जा रहे हैं क्योंकि हमें अध्यादेश पारित करने हैं। सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.32 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) श्री ए०के० एन्टोनी की ओर से : मैं नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5523/94]

खाद्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं खाद्य मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5524/94]

खान मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[हिन्दी]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं खान मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5525/94]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) श्री के०पी० सिंह देव की ओर से : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5526/94]

डाक विभाग और संचार मंत्रालय की वर्ष 1994-95 हेतु अनुदान की विस्तृत मांगें

संचार मंत्रालय के राजय मंत्री (श्री सुख राम) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) डाक विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5527/94]

(2) संचार मंत्रालय (दूर-संचार विभाग सहित) की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5528/94]

भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5529/94]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5530/94]

उर्वरक (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश 1994 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा वार्षिक रिपोर्ट आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1994, जो 14 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या का० आ० 163 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5531/94]

(2) (एक) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-आपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1992-93 के वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-आपरेटिव लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5532/94]

(4) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5533/94]

वित्त मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वित मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5534/94]

गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड की वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं श्री एस० कृष्णा कुमार की ओर से

गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5535/94]

नियम 377 के अधीन मामले

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(एक) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर बने पुल को मजबूत किए जाने की आवश्यकता

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में होनावर में काली नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल को अनुसुरक्षित घोषित कर दिया गया है। यहां से केवल हल्के वाहनों को ही गुजरने दिया जाता है तथा भारी और मध्यम दर्जे के भारवाही वाहनों को वहीं से वापस मुड़ना पड़ता है तटीय राज्यों के लोगों से पिछले पांच वर्षों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं दिखाई देता है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर बने पुल को मजबूत बनाया जाए।

(दो) विश्व भर में स्वीकृत नदी तटीय सिद्धान्त के अनुसार पंजाब में रावी-व्यास जल के बंटवारे हेतु नीति तथा किए जाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : पंजाब को आजकल जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब कृषि विश्व विद्यालय के विशेषज्ञों और सरकारी प्राक्कलनों के अनुसार सामान्य धान-गेहूं फसल के चक्रानुक्रम हेतु एक एकड़ भूमि की फसल को तैयार करने के लिए वार्षिक आधार पर 5 से छः फुट जल की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से, जोत योग्य कुल क्षेत्र की न्यूनतम जरूरत 52.5 एम० ए० एफ० (मिलियन एकड़ फुट) बनती है। पंजाब की नदियों में वार्षिक के आधार पर कुल 32.5 एम० ए० एफ० पानी बहता है।

गैर-तटीय राज्यों को पानी दिए जाने की वजह से पंजाब को यहां के कुल उपलब्ध पानी से वंचित कर दिया गया है। सतलुज यमुना लिंक नदी के निर्माण से पंजाब के किसानों को एक और आघात पहुंचेगा। मेरा यह अनुरोध है कि स्थिति की पुनरीक्षा की जाए, जिससे विश्व भर में स्वीकृत नदी तटीय सिद्धांत के अनुसार रावी और व्यास के जल का बंटवारा किया जा सके।

(तीन) पश्चिम बंगाल में एक स्वायत्त "जनजातीय विकास परिषद" के गठन की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मिदनापुर पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों के

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिकतम है। मिदनापुर जिले में झारग्राम उपमंडल में 70% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों की है। परन्तु विकास कार्यक्रमों के अभाव के कारण, इन जिलों के आदिवासी लोगों को परायेपन का अनुभव होता है। मैंने स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा किया था और लोगों के कष्टों को देखा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को उन क्षेत्रों में स्वायत्तशाशी 'आदिवासी विकास परिषद' की स्थापना करनी चाहिये जिनमें 70 लोग आदिवासी समुदायों के हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हतों की रक्षा करने के लिये ऐसी परिषद के आवश्यक रूप से गठन हेतु सरकार इस मामले पर राज्य सरकार के साथ चर्चा कर सकती है। इसी के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों की घोषणा की जा सकती है, नहीं तो अन्य पिछड़ी जातियां सरकार की नीतियों से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जायेंगी।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर विचार करने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) कानपुर के निकट गंगाघाट कस्वा क्षेत्र को "गंगा कार्य योजना" के अंतर्गत शामिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के गंगाघाट नगर की आबादी बहुत ज्यादा लगभग 5 लाख है, लेकिन इस क्षेत्र से जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी के लिये कोई उपयुक्त रास्ता नहीं है और यह पानी गंगा नदी में गिरता है जो कि काफी हानिकारक होता है। इसी प्रकार से अन्य कई नगरों का गंदा पानी गंगा नदी में गिर रहा है जिससे कि पूरी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी के पानी को पीने वाले लाखों लोगों को यह प्रदूषित पानी पीने को मिल रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार के नगर हैं, उनके पानी की निकासी के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जाये और गंगाघाट नगर के पानी की निकासी के लिये इस पूरे क्षेत्र को गंगा सफाई योजना में शामिल किया जाये।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तामेश्वर नाथ, कोपिया तथा सिद्धार्थ नगर का पुरातत्व वेताओं द्वारा सर्वेक्षण कराने तथा इन स्थानों का बौद्ध महत्व के पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, तामेश्वर नाथ विकास खंड खलीलाबाद जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त अति महत्वपूर्ण स्थान है। एक और जहां हिन्दू धर्म मानने वालों के लिए शिवलिंगों में से एक शिवलिंग इस स्थान पर है वहीं अनेक प्रमाण मिले हैं। कि भगवान बुद्ध जब अपना राजकाज छोड़ संन्यास के लिए

[श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल]

चले थे, तो इसी स्थान पर उन्होंने अपना राजसी वस्त्र और सवारी त्याग कर सिर मुंडा कर संन्यास के लिए आगे बढ़े थे। वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर इस स्थान पर मेला लगता चला आ रहा है जो आज भी लगता है। इस मेले में हिन्दू धर्म भक्त, मेला प्रेमी तथा बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में आते हैं।

इस स्थान के साथ ही खलीलाबाद विकास खंड जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश के कोपिया में अनेक प्रमाण मिलते हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में कपिलवस्तु यही है। इस स्थान पर पोखरे के दाहिने ओर का स्तुप इसे और प्रमाणित करता है। इसी प्रकार धर्म सिंहवा के विकास खंड जनपद सिद्धार्थ नगर में भी एक प्राचीन धर्म स्तुप है जो यह प्रमाणित करता है कि यह बौद्ध भिक्षुओं का धर्मस्थल था जो धर्म संघ के नाम से जाना जाता था।

इन तीन स्थानों पर पोखरे के दाहिने तरफ के स्तूप एवं खेत की जुताई तथा खनन के समय ईंट, अवशेष तथा बहुमूल्य वस्तुएं ठीक उसी प्रकार मिलती रहती हैं जिस प्रकार से पिपरहवा, सारनाथ और कसया में पाई जाती हैं।

ये तीनों स्थान इतिहासकारों एवं पुरातत्व विभाग के शोध के विषय हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इतिहासकारों तथा पुरातत्व विभाग की एक समिति शोध के लिए नियुक्त करें तथा इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र (बौद्ध धर्म स्थल) के रूप में विकसित करने हेतु एक योजना तैयार कर धन उपलब्ध करायें।

(छह) भारत में 'एड्स' के प्रकोप को रोकने के लिये "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन" के अंतर्गत सरकार द्वारा तुरन्त उपाय किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक (मथुरापुर) : मैं सदन का ध्यान देश में एड्स के गंभीर खतरे के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। देश के लगभग प्रत्येक कोने से, प्रमुख रूप से महानगरों से एड्स तथा एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों के मामलों के चौंकाने वाले समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में आते रहते हैं। एड्स तथा एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। विभिन्न ऐजेंसियों तथा स्रोतों के अनुसार विश्व में एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक करोड़ बीस लाख तथा 1993 में बीस लाख थी यदि इसे रोका नहीं गया तो यह सन् 2000 में बढ़ कर विश्व में दस करोड़ तथा भारत में पांच करोड़ हो जायेगी। भारत के 1986 में एड्स के मामलों की संख्या छह तथा 1991 में साठ थी। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो सन् 2000 में एड्स के मामलों की संख्या बढ़ कर तीस लाख हो सकती है। इसलिये इस शत प्रतिशत घातक रोग पर नियंत्रण करने के लिये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अंतर्गत तत्काल योजनाएं, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिये।

सरकार निम्नलिखित कदम तत्काल उठा सकती है :

(i) शिक्षा तथा जन संचार प्रचार माध्यमों के द्वारा एड्स के संबंध लोगों की जानकारी बढ़ाना;

(ii) वेश्यालयों में कंडोमों का वितरण सुनिश्चित करना;

(iii) सभी रक्त दाताओं तथा रक्त विक्रेताओं का परीक्षण सुनिश्चित करना;

(iv) रक्त तथा रक्त उत्पादों की जांच तथा परीक्षण सुनिश्चित करना;

(v) सभी ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करना;

(vi) एच० आई० वी० परीक्षण के हेतु विशेष गोपनीय क्लीनिक शुरू करना;

(vii) सभी को वैज्ञानिक शिक्षा देकर सुरक्षित सैक्स आचरण पर बल देना;

(vii) एड्स रोगियों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करना।

12.44 म०प०

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचरण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन तथा विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक संबंधी सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश तथा संबंधित विधेयक के संबंध में मद संख्या 14 तथा 15 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को 14 प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन, अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

[प्रो० रासा सिंह रावत]

मैं यह सांविधिक संकल्प सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, उससे एक दिन पहले लोकतंत्र की रहनुमा कहलाने वाली यह सरकार अध्यादेश का सहारा लेती है जबकि फरवरी माह में ही संसद आयोजित होने वाली थी। सरकार की ओर से पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि वह अध्यादेश में इतना विश्वास नहीं करती, इसके बावजूद चाहे कैसा भी कानून क्यों न हो, इससे संसद की अवहेलना और उदासीनता दृष्टिगत होती है। यही कारण है कि गणतंत्र के पूर्व दिवस पर इस प्रकार का अध्यादेश लाकर सरकार ने वास्तव में यह सिद्ध कर दिया है कि जहां वह संसद के प्रति उदासीनता बरतने में तनिक मात्र भी पीछे नहीं रहना चाहती, वहीं यह भी नहीं चाहती कि संसद में उस पर विचार-विमर्श हो। कानून चाहे कितना ही उपयोगी हो, लाभकारी हो, बैंकों के अपराधी को रोकने के लिए आवश्यक हो, यदि उस पर सारे पक्षों के लोग भली प्रकार से विचार-विमर्श करते और उसके बाद सरकार कानून बनाती तो जनता को भी राहत मिलती। लेकिन यह सरकार जिस उतावलेपन में अध्यादेश लाकर हर कार्य करती है, उसे देखते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि यह अध्यादेशी सरकार है।

जब भारत के संविधान के बारे में चर्चा हो रही थी तो लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने कहा था, जब कोई संकटकालीन स्थिति हो या देश में कोई इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए और सदन बुलाना सम्भव न हो तो ऐसे समय में सरकार अध्यादेश का सहारा ले सकती है। लेकिन 25 जनवरी को ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ता। उससे पहले दिसम्बर में ही संसद का सत्र हो चुका था। यदि यह सरकार जागरूक होती कि बैंकों में नाना प्रकार के ऐसे षड्यंत्रपूर्ण कार्य हुए हैं जिससे देश की जनता का खून-पसीने से जमा किया हुआ धन चन्द लोगों के हाथों में गलत ढंग से चला गया है तो इसे उस समय ला सकती थी, पारित करवा सकती थी। लेकिन सरकार जानबूझकर उस समय यह बिल नहीं लाई और जब सदन सम्पन्न हो गया, उसके बाद जनवरी में सदन की अवहेलना करते हुए इसे लाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी पक्षों से अनुरोध करूंगा कि सरकार की अध्यादेश लाने की दुष्प्रवृति की निन्दा की जानी चाहिए और इस आधार पर इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाए क्योंकि सरकार राष्ट्रपति के द्वारा नित्यप्रति अध्यादेश लाती है परिणामस्वरूप सदन में जैसा विचार-विमर्श होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

आज एक तरफ तो बैंकों में होने वाले अपराधों का निराकरण करने के लिए और जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, उन सबको रोकने के बारे में सरकार न्यायालय स्थापित कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं सरकार बैंकों की कई शाखायें बंद कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें थीं जिन से किसानों को लाभ मिलता था, लोन मिलता था और वहां जो

अपनी धनराशि वे जमा कराते थे, ऐसी शाखाओं को बंद करने का आपने नोटिस दे दिया है। हम भी उदारवादी दृष्टिकोण के नाम पर विदेशी पूंजी और विदेशी बैंकों को आप आमंत्रित कर रहे हैं। हम भी उदारवादी नीति के समर्थक हैं लेकिन उदारवाद के नाम पर अमेरीकी या दूसरे विदेशी बैंकों को खुला छोड़ दिया जाये और वे मनमानी करते रहे, कानून की धज्जियां उड़ाते रहें, यह देश में हम चलने नहीं देंगे। हम सभी चाहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार आये लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो उनके सोशयो-इकोनोमिक उद्देश्य थे, वे पूरे होने चाहिये थे। वे आज तक पूरे नहीं हो पाये हैं। सरकार दुबारा प्राइवेटाजेशन की ओर दौड़ रही है। नतीजा यह हो रहा है कि कर्मचारियों में सेवा की भावना खत्म हो रही है और उनके काम में शिथिलता आ गई है। आपने न्यू बैंक आफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक से मिला दिया है। इस कारण न्यू बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये वह एल० आई० सी० के बारे में हो या बैंकों के बारे में हो या आर्थिक आधारभूत संस्थाओं के बारे में हो।

अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति अलोकतांत्रिक है, तानाशाहीपूर्ण है और सदन की अवहेलना करने वाली है। इसलिये इस प्रवृत्ति की निन्दा की जानी चाहिये। इसके निरनुमोदन के लिये यह प्रस्ताव मैं अपनी ओर से प्रस्तावित करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि इस सदन को जानकारी है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रतिभूति लेन-देनों में हुई कुछ अनियमिततायें वर्ष 1992 में ध्यान में आई थी और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा इन अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा निधियों के विपथन को रोकने की दृष्टि से एक विशेष कानून अर्थात विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया जाये। उक्त अधिनियम में, प्रतिभूति संबंधी लेन-देनों से संबंधित अपराधों के मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों के विचारण के लिए बम्बई में एक विशेष न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है और विशेष न्यायालय को कुर्की के अधीन आने वाली संपत्तियों का निपटारा करने की शक्ति विहित की गई है।

विशेष न्यायालय के समक्ष दायर किये मामलों के विचारण के दौरान, यह बताया गया कि पर्याप्त अधिकार-क्षेत्र तथा शक्तियों के अभाव के कारण उसे सिविल मामलों के निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष न्यायालय को सिविल मामलों के सम्बन्ध में विशिष्ट अधिकार

[डा० अबरार अहमद]

क्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह प्रावधान मूल अधिनियम में नहीं था। विशेष न्यायालय द्वारा मामलों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिये एक विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की गई जिससे विशेष न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई प्रक्रिया से प्रतिबंधित नहीं होगा बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करेगा और उसे स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को तय करने का अधिकार होगा। विशेष न्यायालय के सम्भावित आदेशों की अवमानना के लिये दंड देने के वास्ते उसे शक्तियां देना भी आवश्यक हो गया ताकि न्यायालय कारगर ढंग से काम कर सके। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के पदधारी की, गैर हाजिरी अथवा अवकाश के कारण पद रिक्त होने की सूरत में वैकल्पिक व्यवस्था करना भी आवश्यक हो गया है ताकि न्यायालय के समक्ष लंबित अपराधों का तत्काल विचारण सुनिश्चित किया जा सके।

चूंकि सरकार अनियमितताओं और धोखाधड़ी के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा देना चाहती थी और यह भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की फंसी हुई निधियों को वसूल किया जाये। इसलिये ऊपर बताये गये अनुसार विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को शीघ्र ही मजबूत करना आवश्यक था। तदनुसार विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने के लिये 25 जनवरी, 1994 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

इन शब्दों के साथ मैं विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश को बिल द्वारा प्रतिस्थापित करने और इस पर विचार करने तथा इसे एकमत से और शीघ्र पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किये गये :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण अधिनियम 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विचार किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में एक संशोधन है। रासा सिंह रावत जी, क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं?

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं संशोधन नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैंने अध्यादेश का निरनुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे यह प्राथमिकता देने के लिये आपका धन्यवाद।

यह विधेयक, अपने इस रूप में बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं लगता है परन्तु अन्य अनेक ऐसी बातें हैं जो इस विधेयक के संबंध में कही जानी आवश्यक हैं। शुरू में ही मैं अन्य बातों में जाने से पहले, मंत्री महोदय का ध्यान विधेयक की ही एक दो बातों की ओर आकर्षित करूंगा क्योंकि वित्त मंत्री, जो असम से राज्य सभा के सदस्य हैं, अनुपस्थित हैं, इसलिये मैं नहीं जानता कि क्या उनके लिये इन सुझावों को समायोजित करना संभव होगा।

महोदय, आप यह कह सकते हैं कि यह केवल नारी मुक्ति वाद है, परन्तु विधेयक में स्थान-स्थान पर यह कहा गया है कि वह केवल पुल्लिंगवाचक 'उस' के लिये होना चाहिये। उदाहरणार्थ, राजपत्र के पृष्ठ 3 को देखें, धारा 9 ए (5) में कहा गया है : " ····· " आजकल हम पुल्लिंगवाचक 'उस' अथवा स्त्रीलिंग वाचक 'उस' का प्रयोग देश में पुरुषों और महिलाओं के समाज स्तर के संबंध में अपने बोध को दर्शाने के लिये करते हैं। इसलिये, इन चीजों का प्रारूप बनाते समय हमें सावधान रहना चाहिये और इन्हें इसी प्रकार लिखना चाहिये। इससे यह कह कर नहीं बचना चाहिये कि पुल्लिंग वाचक 'वह' में स्त्रीलिंग वाचक 'वह' भी शामिल है। एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह एक विशेष अवधि के उल्लेख को लेकर ही मैं इस संबंध में अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा परन्तु इस विधेयक में 1 अप्रैल, 1991 से लेकर जून, 1992 तक की अवधि का उल्लेख है। जैसा कि हम जानते हैं कि घोटाले की शुरूआत 1991 में नहीं हुई थी। मैं आपको बाद में अपनी टिप्पणियों के दौरान बताऊंगा कि किस प्रकार राष्ट्रीय आवास बैंक जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग संगठन अप्रैल, 1991 से भी पहले कतिपय प्रकार के मामलों में लिप्त थे। अतएव, मैं अनुभव करता हूं कि अधिक के संबंध में इस सीमा पर विचार किया जाये और उसे समाप्त किया जाये। उदाहरणार्थ, पृष्ठ 2 पर, धारा 9 ए (1) (बी) में कहा गया है :

> "1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् तथा 6 जून, 1992 को या उससे पूर्व किये गये प्रतिभूति संव्यवहार, जिसमें धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचित कोई व्यक्ति एक पक्षकार, दलाल, बिचौलिये अथवा किसी अन्य रूप में संलिप्त हो, से उद्भुत।"

महोदय, मुझे जून, 1992 के बाद की घटनाओं का ज्ञान नहीं है। परन्तु निश्चित रूप से 1

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

अप्रैल, 1991 से पहले की अवधि के दौरान इसमें अनेक व्यक्ति संलिप्त हैं जिन्हें इस अदालत में पेश किया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी अपना भाषण भोजनावकाश के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

1. म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.08 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.08 म०प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

और

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : विधेयक में एक या दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। एक ऐसा प्रावधान है कि उपखंड में उल्लिखित दावे के किसी भी मामले के संबंध में विशेष अदालत के अलावा किसी भी अन्य अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार, शक्तियों अथवा प्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस में यह भी प्रावधान है कि विशेष अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता 1968 द्वारा निर्देशित नहीं होगी बल्कि नैसर्गिक न्याय द्वारा जो इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा विशेष अदालत द्वारा अपनी प्रक्रिया के नियमित करने हेतु बनाए गए किसी भी नियम से नियंत्रित होगा। ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

विधेयक के उद्देश्यों और कारण में यह कहा गया है कि अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए तथा बैंकों के कोषों में अनियमितताओं एवं हानि के लिए दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति के अतंरण को रोकने हेतु अध्यादेश जारी किया गया है। यदि सरकार का यह इरादा है तो वह यह बताए कि आखिर किस तरह श्री हर्षद मेहता की सम्पत्ति को कुर्क किया गया जबकि वह अब भी ऐशों आराम

की जिंदगी गुजार रहे हैं। यह कौन बताएगा? आपको यह भी बताना होगा कि 17 लाख करोड़ के कारोबार पर और आपके अद्यतन बजट आंकलन के आधार पर कारोबार पर 9 प्रतिशत का लाभ, इस अवधि के दौरान अर्जित आय और उसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान अर्जित धन लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का होगा ध्यान रहे कि इस 1 लाख रुपये और उसी आय से वर्तमान कर दर के आधार पर आप 40,000 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते थे और आपने जो बजट पेश किया है इसमें जहां तक प्रत्यक्ष कर प्राप्त का संबंध है उसमें भी कमी आई है। क्या आप यह बताएंगे कि ये बातें किस तरह संगत है? एक ओर तो आप यह कहते हैं और दूसरी ओर विशेष अदालत में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उनके प्रति आपके व्यवहार का यह स्तर है।

केवल यह एक मुद्दा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं यह घोटाला दुनिया का आठवां आश्चर्य है जो भारत में ही घटित हुआ है, फैला है और चरमबिन्दु पर पहुंचा है।

यदि मैं कहूं कि ऐसी प्रक्रियाएं स्वागत योग्य हैं और मैं अध्यादेश का समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो अन्य प्रकार के लोगों –एक कर चोरी करने वाले और दूसरे बैंकों के बकायादारों के लिए आय अब तक विशेष अदालतों की स्थापना क्यों नहीं कर पाए हैं। आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर आपका नियंत्रण नहीं रहा है। आपका बजट दस्तावेज यही बताता है और आप कहते हैं कि आपको वित्तीय क्षेत्र एव वाणिज्यिक बैंकों को करीब 5,000 करोड़ रुपये पूंजी के रूप में देने हैं। आपने चालू वर्ष के लिए यह राशि दी है और आगामी वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपये देने हैं और हम सभी यह जानते हैं कि इस राशि से कहीं अधिक ऋण राशि बैंकों के देनदारों से उगाही जानी है जो अब अशोध्य ऋण बन चुका है। यदि इच्छा शक्ति होती और ऐसे लोगों से व्यवहार करने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना की जाती तो पर्याप्त पूंजी जुटाई जा सकती थीं। कानूनी प्रावधानों के बावजूद आपने प्रत्यक्ष कर संबंधी अदालत की स्थापना नहीं की है। आप वायदे पर वायदा किए जा रहे हैं परन्तु फिर भी आप देनदारों को किसी विशेष अदालत में नहीं ला पा रहे हैं। घोटाले के मामले में आप लापरवाह थे और इसलिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए थी और यही आप जनता के सामने यह दिखावा करना चाहते थे कि आप विशेष अदालत की स्थापना के संबंध में बड़े गंभीर हैं।

ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर देना है और जनता आपसे उनका उत्तर मांगती है। इसके अतिरिक्त जिन्हें दोषी ठहराया जा चुका है, जिन लोगों के नामों का उल्लेख संयुक्त संसदीय समिति और जानकीरमण समिति ने किया है इन लोगों के समूह को सरकार दोषमुक्त छोड़ रही है और इसके कुछ ठोस कारण हैं जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा। बड़े अध्यादेशों अथवा विधेयक के संदर्भ में जो कि हमारे समक्ष है। आप 1 अप्रैल, 1991 से जून 1992 तक की अवधि तक ही समिति क्यों रहे? संयुक्त संसदीय समिति अलावा भी मुझे कुछ कहना है।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय आवास बैंक आप जानते ही हैं कि यह आपकी देन है। राष्ट्रीय आवास बैंक के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आवास बैंक में भी सर्वश्री पार्थसारथी, हंतगड़ी और रवि कुमार आदि सभी जाने पहचाने लोग हैं, जिन्होंने 10 जनवरी 1991 को क्रय द्वारा वापस लेने का कारोबार (बाई बैंक डील) शुरू किया। और इतना ही नहीं, और भी कई घटनाएं 1990 के अंत में शुरू हो गयी थीं। आप इसे सीमित क्यों करना चाहते हैं। आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि उन सभी पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है, उन पर लगाई गई यह लगाम बेहतरीन है। लेकिन फिर भी नहीं संयुक्त संसदीय समिति ने नाम लिया है– संयुक्त संसदीय समिति (जे० पी० सी) ने बहुत से लोगों का नाम नहीं लिया था–राष्ट्रीय आवास बैंक की तो कहानी यह है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और वित्त मंत्रालय ने आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दी है। आप यह कैसे स्पष्ट करेंगे? जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है–मैं एक अवधि की बात कर रहा हूं अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक में श्री फेरवानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व–आपने ध्यान नहीं दिया। इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रों को वित्त मंत्रालय ने ही स्वीकृति नहीं दी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यह उन्होंने किस तरह किया, इसकी पूरी सूची मेरे पास है। मैं असम से राज्य सभा के सदस्य को इस संबंध में अलग से लिखकर दूंगा।

अतः जिन लोगों का नाम सूची में था उनके विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सी० बी० आई० और सी० बी० डी० टी० के आसूचना विभाग ने भी इस जांच के प्रति अधिक रुचि नहीं दिखाई है। वे उनके विरुद्ध मुकदमा भी नहीं चलाने जा रहे हैं। यह संयुक्त संसदीय रिपोर्ट के सर्वसम्मत भाग में कहा गया है। जब इन उपायों को उन सबों के विरुद्ध कठोर बनाया जा रहा है जो दुर्भाग्य से संयुक्त संसदीय रिपोर्ट की टिप्पणी से नहीं बच पाए, इससे यह पता चलता है कि और भी बहुत से लोग हैं जिन पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति और सी० बी० आई० तथा सी० बी० डी० टी० को जो भी जानकारी है उसके आधार पर गहन जांच करने की आवश्यकता है। हम जानना चाहते हैं कि आपने इस संबंध में क्या किया है। यह स्पष्ट है कि कुछ भी नहीं किया गया है।

हाल में यह मांग की गई है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर आपको कार्यवाही रिपोर्ट देनी होगी। कोई नहीं जानता कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की धोखाधड़ी की जांच के लिए जो भारतीय अर्थव्यवथा को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार को बर्बाद कर रहे हैं और वित्त मंत्री की योग्यता का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके लिए विशेष

अदालत की स्थापना के संबंध में सरकार विफल रही है जैसा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताया गया है। दूसरे, संयुक्त संसदीय समिति के रिपोर्ट के संदर्भ में आप उस तरह कार्य नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपको करना चाहिए था। तीसरे, अन्य पहलुओं का क्या हुआ? एक पहलु उनसे जुड़ा है जिन्होंने ये आर्थिक अपराध किए हैं। आज ही या कल समाचार पत्रों में श्री चतुर्वेदी के नाम का उल्लेख हुआ है। श्री चतर्वेदी ने हर्षद मेहता और अन्य लोगों को भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नाम पर स्थापित देश के किसी महत्वपूर्ण कोष में पचास लाख रुपये दान करने के लिए कहा था। उन्होंने बंगलौर में एक समारोह आयोजित किया जिसमें केन्द्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। अब श्री चतुर्वेदी ने यह कहा है कि विशेष अदालत ने उन्हें यह स्वीकार करने पर मजबूर किया है कि उन्होंने करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया है। बंगलौर में आयोजित उक्त समारोह में इस व्यक्ति के कई संपर्क थे।

आज या कल के प्रेस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह विचित्र बात है कि हर्षद मेहता के संबंध में क्या कुछ किया गया है उसकी भी सूचना उसे अथवा दलाल को मिल जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी एजेन्ट चाहे वे राजनीति क्षेत्र में हों या बैंकिंग सेवा में से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन सरकार जांच करने तथा सी० बी० आई० को चुस्त बनाने से इंकार करती है। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा टिप्पणी किए जाने के बावजूद भी सी० बी० आई० की थोड़ी भी निंदा नहीं की गई है। हर्षद मेहता ने कहा है कि जब वह संसद भवन आया करते थे, वह कुछ वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों को "हाय" कहकर सम्बोधित किया करते थे।

[अनुवाद]

मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : क्यों नहीं? क्या यह रिपोर्ट में है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं नहीं जानता! मुझे औरों ने बताया है। वे ही इससे इंकार करें!

मुझे संयुक्त संसदीय समिति (जे० पी० सी०) की रिपोर्ट के अतिरिक्त नए साक्ष्य मिले हैं। मुझे यह साक्ष्य लिखने दीजिए और सरकार को इसका जवाब देने दीजिए! कम से कम जे० पी० सी० लगभग आत्मालोचना करते हुए इससे सहमत हैं कि हम पूरी घटना के एक अंश का ही पता लगा सके हैं। पूरी व्यवस्था को साफ-सुथरी बनाने हेतु नहीं, परन्तु भविष्य में ऐसी इतनी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए बहुत कुछ कहना है।

हम जानते हैं कि अभी भी हर्षद मेहता को जो जानकारियां मिल रही हैं वे बिना राजनीतिक प्रश्रय के संभव नहीं था। हमें यह सब पता है। इसलिए विधेयक के इन प्रावधानों की प्रशंसा करते समय हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। पहला यह कि–आप अन्य आर्थिक

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

अपराधियों, जो हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे; दूसरा, आप उन लोगों के विरुद्ध एक कार्यवाही करेंगे जिनके नाम लिए गए हैं और फिर भी आप उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं जैसा कि राष्ट्रीय आवासीय बैंक के मामले में हुआ है, तीसरे–आपने उस राजनीतिक सम्पर्क का पता लगाने, जिसका प्रतिनिधित्व एक ओर श्री चतुर्वेदी कहते हैं और दूसरी ओर उनके माध्यम से अन्य राजनीतिक लोग करते हैं, के लिए आगे क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है? जे० पी० सी० के अनेक मंत्रियों के वादों का उल्लेख किया है। क्या इसका मतलब यह है कि इसमें अन्य लोग नहीं शामिल हैं? ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे? यह बात भी आपको सदन के समक्ष बतानी पड़ेगी।

हम चाहते हैं कि आप अन्य लोगों के लिए ऐसी विशेष अदालतें बनवाएं और हमें और लोगों को बताएं कि आप देश के इन सभी अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक साधारणतया स्वागत योग्य है। 1992 से स्पेशल कोर्ट में जितने भी प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मुकदमे थे उनका निर्णय शीघ्र लेने के लिए व तकनीकी सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा जो विलंब होता है उसको समाप्त कर नैसर्गिक न्याय के द्वारा स्पेशल कोर्ट अपनी कार्यवाही करे, यह अधिकार 1992 में जब इस ऐक्ट को बनाने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही की गई थी उसी समय दिया जाना चाहिए था।

श्रीमन् विशेष बात यह है कि हमारे यहां पर जे० पी० सी० की रिपोर्ट में बताया गया था और माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि भारत की जनता का मेहनत की कमाई का जो आठ हजार करोड़ रुपया बैंकों में जमा था उसमें से स्पेशल कोर्ट में अब तक कितनी रकम की वसूली के लिए क्या-क्या किया गया है। जे० पी० सी० की रिपोर्ट में अपैन्डिक्स लगाया गया है, उसके पैरा 17.5 में स्पष्ट किया गया है कि इनवेस्टिगेटिंग ऐजेन्सी न इस समय जितने मुकदमे रजिस्टर कर लिये हैं उन में 29-5-92 को मुकदमा रजिस्टर किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 669 करोड़ रुपए का हर्ष मेहता का गबन घोटाला सामने आया है। उसके बाद अब तक क्या हुआ? 11.6.92 को यूको बैंक का 90 करोड़ रुपए का हर्षद मेहता का घोटाले का मामला सामने आया है। इसी तरह से इसके 16 मुकदमे हैं जो 1992 में रजिस्टर किये गए थे। वह सब मई, 1992 से लेकर अगस्त, 1992 तक और कुछ 1993 में रजिस्टर किये गए। यह 5089 करोड़ रुपए के मुकदमे थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन में से कितनी रकम वसूल हुई, कितनी करम के बारे में अटेचमेंट किया गया

और किसके विरुद्ध अटेचमेंट करके क्या-क्या प्रोपर्टी आज कस्टोडियन के पास है। कस्टोडियन ने अपनी ओर से इस कार्यवाही के अंदर अब तक क्या स्टेप्स लिये और स्पेशल कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

इसी प्रकार से केटागरी 2 है जिसमें 3294 करोड़ रुपए के मामले बताये गए हैं। इसमें 23 मुदकमे रजिस्टर किये गए थे और इन में भी हर्षद मेहता वगैरह दूसरे दलाल हैं जिनका नाम लेकर मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। केटागरी 3 में 6 मुकदमे हैं जो ऐण्टी करप्शन के नीचे दर्ज किये गए और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने तक इनमें से जहां तक बताया गया है केवल दो मुकदमों में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, सारा राष्ट्र इस बात पर चिन्तित है कि इतना बड़ा गबन-घोटाला हुआ। 8000 करोड़ रुपए तो बैंकों के द्वारा गबन किये गए तथा शेयर दलालों द्वारा जिनके नाम प्रतिभूति घोटाले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है और करीब 36 हजार करोड़ रुपए जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ के थे उनकी रकम को डाइवेस्ट किया गया, उसके अंदर कितने मुकदमे रजिस्टर हुए? मैं जानना चाहूंगा कि स्पेशल कोर्ट में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं? आज आवश्यकता इस बात की है कि सदन की मार्फत सारे राष्ट्र को बताया जाए कि यह आठ हजार करोड़ रुपए का शेयर घोटाला और शेयर्स के डिस इनवेस्टमेंट का 36,000 करोड़ का है, यह सब मिला कर करीब 45 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, उसमें से कितनी रकम अब तक अटेचमेंट के द्वारा सुरक्षित कर ली गई है और किस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है? राष्ट्र यह भी जानना चाहता है कि यह जो डिसइनवेस्टमेंट किया गया, इसमें से कितनी रकम अभी सरकार के पास आने लायक है और कितनी बट्टे खाते में चली गई है, इसका वर्गीकरण यहां पर मंत्री जी को करना चाहिए।

श्रीमन् यह भी एक मुख्य बात है कि स्पेशल कोर्ट के माध्यम से आज तक एक भी अभियुक्त को सज़ा नहीं मिली है। नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? दो-चार साल के बाद चार्जशीट प्रस्तुत होने के दो वर्ष तक यदि स्पेशल कोर्ट भी मुकदमे का फैसला नहीं कर सके तो इसके क्या कारण हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की ओर से जो पोसीक्यूशन किया जा रहा है, इस घोटाले में बड़े-बड़े लोगों का जिस प्रकार पहले हाथ रहा, उसी प्रकार से फिर हर्षद मेहता और उनके साथियों को इन मुकदमों के अंदर कोई सज़ा न मिले और धीमे-धीमे जिस प्रकार से राष्ट्र के अंदर इस कांड के विरोध में एक चेतना आयी थी वह शांत हो जाये और उसके पश्चात इन लोगों को बरी कर दिया जाये। यदि ऐसा कोई षड्यंत्र है तो स्पेशल कोर्ट्स बनाने का अभिप्राय, स्पेशल कोर्ट्स बनाने का उद्देश्य और ऑब्जैक्ट फस्ट्रेट हो जाता है यदि ऐसे केसेज में दो-तीन साल तक कोई फैसला नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 100 के करीब मुकदमों में या तो चालान किया गया है या वे

[श्री गुमान मल लोढा]

इंवैस्टीगेशन स्टेज पर है। राष्ट्र आज यह जानना चाहता है कि इन मुकदमों में अब तक क्या कार्यवाही हुई है या हो रही है। मैं चाहता था कि मंत्री महोदय इस बिल को सदन में लाते समय इस बात को बताते, हाउस को कांफीडेंस में लेते कि इसके अंदर अमुक कारणों से विलम्ब हो रहा है। सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड लगाने से विलम्ब होता है और इसलिये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में संशोधन लाने के लिये बिल यहां पर लाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में अमेंडमेंट लाना उचित है यदि उस अमेंडमेंट के जरिये शीघ्रतम न्याय हो, समुचित न्याय हो, सार्वभौम न्याय हो। ऐसा आवश्यक है, लेकिन क्या शीघ्र न्याय इसी प्रकार का होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्टस का जो प्रावधान है, जिस प्रकार से 12 तारीख को बम्बई में हुए बम-विस्फोट में सैकड़ों व्यक्ति मारे गये थे, मद्रास में हुए बम-विस्फोट में अनेकों व्यक्ति मारे गये थे या अन्य स्थानों पर जिस प्रकार से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, क्या उन सब मामलों में भी सरकार स्पेशल कोर्टस बनाकर, जो एजेंसी भारत में इस प्रकार के बम-विस्फोट की श्रृंखला के लिये जिम्मेदार है, चाहे उसमें पाकिस्तान का हाथ हो, आई० एस० आई० का हाथ हो या अन्य कोई उसके लिये जिम्मेदार हो, उनका पर्दाफाश करके, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार रखती है।

उपाध्यक्ष जी, आज इस देश में दो प्रकार के संकट हैं–एक ओर तो हमारे यहां आर्थिक संकट हैं और दूसरी और हमारी सीमाओं पर चारों ओर से दुश्मन घात लगाये बैठे हैं। यहां जिस प्रकार से आई० एस० आई० या दूसरी एजेंसीज की गतिविधियां चलती हैं, उनके कारण भी हमारे सामने एक संकट है। क्या इन संकटों को देखते हुए भी सरकार स्पेशल कोटर्स बनाकर उन एजेंसीज के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। हमें यह देख कर अफसोस होता है कि इन स्पेशल कोर्टस का कोई निर्णय नहीं आता है, कोई नतीजा नहीं निकलता है और जिस प्रकार से पुरानी पद्धति चली आ रही है कि 5-10 या 20 साल तक केस चलते रहते हैं और उनके बारे में सुन-सुनकर जनता थक जाती है, उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। आप आवाम के दिमाग में ऐसे स्कैडलों को लेकर आज जिस प्रकार की भावना है, वह भावना खत्म हो जाये और उसके बाद दोषी लोग छूटकर, बरी होकर आ जायें, यह भी इस राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन में स्पष्ट तौर से बतायें कि स्पेशल कोर्टस में मुकदमे जिस स्टेज पर हैं, क्या उनमें किसी एक भी व्यक्ति को आज तक कोई सजा हुई है, कितने व्यक्तियों को अब तक चार्जशीट किया गया है, कितने व्यक्तियों को प्रोपर्टी अटैच की गयी है और प्रोपर्टी अटैच होने के कारण कितनी रकम उससे वापस सरकार को मिली है?

उपाध्यक्ष जी, इस बिल का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन सरकार जिस तरह से कागजी स्पेशल कोर्टस बनाकर और कागजी अमेंडमेंट लाकर, जनता को गुमराह करके, जिस तरह का काम कर

रही है, मैं चाहता हूं कि अब किसी हर्षद मेहता या दूसरे दलाल को कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा और जनता के मन में इसको लेकर जो संदेह है, सरकार का कर्तव्य है कि जनता के उस संदेह को दूर करे और विश्वास दिलाये कि किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा चाहे उसे कहीं पर भी कितना ही राजनैतिक संरक्षण पहले क्यों न दिया गया हो, या अब भी वैसी ही स्थिति हो, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति को रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शिकंजे से बाहर नहीं निकलने दिया जायेगा, तभी इन स्पेशल कोर्टस को बनाने का उपयोग होगा। अन्यथा अमैडमेंट तो हम फिर भी कर लेंगे लेकिन स्पेशल कोर्टस बनाकर यदि इफैक्टिव कार्यवाही नहीं की जायेगी तो उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति का स्पष्टीकरण करें और इन शब्दों के साथ मैं इस स्पेशल कोर्टस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, का उद्देश्य 25 जनवरी, 1994 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेना है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विषय-अर्थात् प्रतिशत कारोबार, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त ही सरल और पूर्णतः गैर-वित्रादास्पद है। इस विधेयक के किसी प्रावधान पर कोई आपत्ति नहीं है।

मेरे विचार से आने वाले दिनों में, हो सकता है कल से ही हम सामान्य बजट पर चर्चा शुरू कर दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विषय आम चर्चा के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इससे माननीय सदस्यों को प्रतिभूति कारोबार, दलाली, दलालों के कदाचार तथा इस प्रकार के अन्य सभी विषयों पर सामान्य चर्चा करने का अवसर मिलेगा। परन्तु यह निश्चित रूप से विधेयक के कार्यक्षेत्र अथवा इसकी सीमा से परे है।

मेरा यही कहना है। जहां तक इस प्रतिभूति घोटाले का सवाल है यह हमारे देश का अथवा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है परन्तु दुर्भाग्य से यह हमारे गरीब देश में हुआ है जिसमें हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और जिसमें गरीबों की भी पूंजी लगी हुई थी।

इसलिए मेरा कहना है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। इसीलिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई जिसने इस पर कड़ी मेहनत की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछले दिनों यहां तक कि प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते समय इस बात का संकेत दिया था कि बजट संबंधी चर्चा का उत्तर देते समय वित्त मंत्री जे० पी० सी० की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बतायेंगे।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

इसलिए लोग और माननीय सदस्यगण जे० पी० सी० रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।

सुधार तथा अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार तथा वित्त मंत्रालय ने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कार्यवाही की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) दलालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। सेबी दलालों की गतिविधियों और स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के नियंत्रित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। उसने कार्यवाही करना आरंभ कर दिया है और ऐसा नहीं है। कि वे चुप बैठे हैं। प्रत्येक प्रयास यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाना है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। घोटाला बड़े ही दुःख की बात है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर कलंक है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

अब इस विधेयक की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें तीन प्रावधान हैं। इसकी अपनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब विशेष न्यायालय का विचार बना तो आरम्भ में ही इसे अधिकार क्यों नहीं दिये गए।

हमारे देश में विशेष अदालत पहली बार गठित नहीं की गई है। आप जानते हैं कि हमारी न्यायाकि प्रणाली में विलम्ब तो होता ही है। जब भी आवश्यक हो और जब भी मांग की जाती है और मांग उपयुक्त हो तो मामले के शीघ्र निपटान हेतु एक विशेष न्यायालय गठित किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से यह कदम स्वागत योग्य है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। इसका निहितार्थ उद्देश्य अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली करना तथा दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति को कुर्क करना है ताकि ये दोषी व्यक्ति इन सम्पत्तियों को इधर-उधर न कर सकें। इसके कार्यकरण के दौरान कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। इनका सामना करना है। उनकी शक्तियों को चुनौती दी जा रही है। जन शिकायतों के सम्बन्ध में प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही है। इसलिए इस विधेयक को पारित करने और उससे इस समस्या के समाधान के लिए विशेष न्यायालय द्वारा अपनी प्रक्रिया बनाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरे इसे इस न्यायलय की अवमानना का प्रयास करने वालों को दण्डित करने के अधिकार मिल जायेंगे। ऐसा हो सकता है कि न्यायालय को आर्थिक अपराधों से निपटना पड़े। अनेक प्रकार के प्रभावशाली व्यक्ति समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। वे इसमें शामिल हैं। जब तक इस विशेष न्यायालय को पर्याप्त अधिकार नहीं दिये जाते तब तक स्वाभाविक ही यह आशंका रहेगी कि इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने तथा इसकी अवमानना आदि के प्रयास किये जायेंगे। जब पीठासीन अधिकारी को लम्बी छुट्टी पर जाना हो अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित होना पड़े तो निस्सन्देह उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरे विचार से प्रथम वक्ता ने इस बात की कुछ आलोचना की है कि अध्यादेश क्या लाया गया है। मैं समझता हूं कि अध्यादेश जारी करना अच्छा ही था। संसद के समक्ष इस आशय का विधेयक भी लाया जा सकता था। परन्तु जब तक अध्यादेश नहीं जारी किया जाता अथवा जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो जहां तक सदन की कार्य सूची का प्रश्न है इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में प्राथमिकता नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में समय लगता है।

सी० बी० आई० ने हर्षद मेहता, उसके रिश्तेदारों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की है। बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से या ऐसा कहें सरकार से प्रश्रय मिल रहा हो। कभी-कभी जिस प्रकार हम यहां वहां बोलते हैं उससे ऐसा आभास होता है कि हर्षद मेहता को कुछ प्रश्रय मिल रहा है। न्यायालय ने पहले ही हर्षद मेहता ग्रुप के बेनामी शेयरों के अन्तरण पर रोक लगा रखी है। न्यायमूर्ति एस० एन० वरियावा के विशेष न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश द्वारा हर्षद मेहता ग्रुप के 21 प्रतिवादियों को 690 बेनामीदारों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज शेयरों के स्थानान्तरण पर रोक लगा रखी है। कार्यवाही की जा रही है और मामला आगे बढ़ रहा है। परन्तु साथ ही इसमें फंसे धन की वसूली भी अत्यन्त आवश्यक है। मेरे विचार से जे० पी० सी० रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। पैसा चाहे जहां गया हो पर इसकी वसूली हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए। इसमें सी० बी० आई, प्रवर्त्तन निदेशालय और आयकर विभाग शामिल हैं और इस प्रकार यह बहुत ही उलझा हुआ मामला है। जहां तक विलम्ब की बात है, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न एजेंसियों के बीच पूरा समन्वय हो और इनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों। चाहे जो भी कठिनाइयां हों, जांच पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि न्यायाधीश लोढा ने कहा है कि कोई भी मामला नहीं निपटाया गया है क्योंकि उनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं परन्तु साथ ही यह अच्छा होगा कि यदि ऐसे मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। कम से कम इसके लिए तो गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ये मामले लगभग डेढ़-दो वर्ष की समय-सीमा में निपटाए जा सकें। इन सभी मामलों को उपयुक्त समय सीमा के अन्दर निपटाया जाना चाहिए। मैं यह और बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ अड़चनें और कठिनाइयां हैं, तथा जांच एजेंसियों को इन मामलों की जांच के लिए विभिन्न देशों में जाना पड़ता है। वे अपना कार्य कर रही हैं परन्तु इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परस्पर समन्वय होना बहुत जरूरी है और इसमें जो भी कठिनाइयां आती हैं सरकार को इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिए ताकि उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। जिन लोगों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास किया और गरीबों के धन का दुरुपयोग किया उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में अधिकांश चीजें विरोध करने लायक नहीं हैं। विशेष अदालतों में जजों की खाली जगह को भरने और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने का जहां तक सवाल है, कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं करेगा। अदालतों का काम साधारण और सामान्य ढंग से ठीक चलना चाहिये। इंडियन एविडैंस ऐक्ट 1872, उसमें थोड़ा-सा संशोधन और स्पैशल कोर्ट आरबिटेशन ऐक्ट 1940, कोड आफ सिविल प्रोसिजर 1908 तथा इसी तरह से 1971 का जो उच्च न्यायालयों को मिला कंटैम्पट का अधिकार है, उन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। अन्य मित्रों की तरह मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये सारे अधिकार लेने के बाद जब तक सरकार से संकल्प शक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक वह आम जनता को न्याय देने की स्थिति में नहीं होगी। इसमें संलग्न जो अपराधी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये। आखिर यह हमारी न्यायपालिका की विडम्बना है कि दो साल पहले जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, मौजूदा हमारी न्यायपालिका का जो फ्रेम वर्क है, उसमें इस काम को जल्दी और त्वरित गति से हम पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिये विशेष अदालतें बनायी गईं। आपने जो विशेष अदालतें बनायीं, वे अपने दायित्व को तेजी से पूरा नहीं कर पायीं। इसलिये एक-डेढ़ साल के भीतर एक अतिरिक्त संशोधन उन अदालतों को अधिकार देने के बारे में आपको लाना पड़ा। इसके बावजूद मेरी आशंका है और मैं इस निश्चित मत का हूं कि यह सारे अधिकार देने के बावजूद जब तक सरकार का रुझान इन मामलों के शीघ्र निपटारे की तरफ नहीं होगा, उनको वह शीघ्र निपटा नहीं सकेगी। भारत सरकार आज की तारीख तक क्योंकि वे सारे अभियुक्त जिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हैं, और जो इस मामले में मुख्य रूप से सहयोगी थे, उनको आपने ब्लैक लिस्ट किया लेकिन आज की तारीख में भी उन्हीं के साथी सहयोगी छद्म नाम से उसी काम को स्टाक एक्सचेंज में कर रहे हैं और उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर पा रही।

जो विदेशी बैंक इस स्कैम में सबसे बड़े प्लेयर थे, उनके खिलाफ आज की तारीख तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, माने किसी भी विदेशी बैंक का लाइसेंस जब्त करने और खत्म करने के बारे में वित्त मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, मैं आज की तारीख तक इसको नहीं जान पाया।

उसमें एक प्रमुख अधिकारी फेरवानी का नाम मौटे तौर पर आया, जो हाउसिंग डवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे, केवल इसलिए वह अभियुक्त नहीं बनाये गये, क्योंकि वह किन्ही खास परिस्थितियों में दिवंगत हो गये। उन्होंने इस स्कैम से जमा हुई पूंजी, अपने परिवार, अपने वारिस, अपने घर में जोड़कर रखी, आपने उस पूंजी, उस सम्पत्ति को जब्त करने के बारे में और जिनकी पूंजी डूबी हुई थी, उस पूंजी को फिर से उन इन्वेस्टर्स को लौटाने के बारे में आज की तारीख तक क्या कार्रवाई की, यह एक प्रश्न चिन्ह है।

भारत सरकार की जो प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी सी० बी० आई० है, उसके बारे में हर मामले में निरन्तर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में जितने भी प्रोसीक्यूशन के केसेज हैं, अधिकांश सी० बी० आई० की ओर से जाते हैं, 4-4 वर्ष से एक केस सिर्फ इन बैंक एकाउण्ट के बोगस मामलों का जो सी० बी० आई० के सुपुर्द है, आज की तारीख तक उस जालसाजी में कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन-किन का उसमें सहयोग और हाथ था, सी० बी० आई० उस चार्जशीट को उजागर करने के बारे में, उस स्कैम को उजागर करने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो भारत सरकार की जो प्रमुख प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी है, उसकी गतिविधियों के बारे में और उसके ऊपर भारत सरकार का जिस तरह का दबाव है, उसके चलते राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण उसकी गतिविधियां बांधित और प्रतिबन्धित होती रहती हैं। वह प्रोसीक्यूशन को तत्वरित गति देने में असमर्थ है।

मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं लेकिन भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस बैंक स्कैम, इस घोटाले में शामिल जो भी अभियुक्त है, उनके विरुद्ध किसी न किसी रूप में भारत सरकार अपनी गतिविधि की, कार्यप्रणाली को त्वरित बनायें और उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई हो। जो पीड़ित लोग हैं, उनको उसमें मदद करने का काम भारत सरकार करे।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान यह कहना कठिन है कि हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं तथा मेरे दल के पूर्व वक्ता ने भी ऐसा ही कहा है परन्तु मुख्य आपत्ति यही है कि इसका व्यापक प्रभाव नहीं है। देश में आर्थिक अपराध हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है परन्तु हमारे देश में इस प्रकार के ही घोटले नहीं हुए हैं। परन्तु अब सरकार आर्थिक अपराधियों को दंड देने में बड़ी निष्ठुर, लापरवाह और बड़ी दोषपूर्ण है। वस्तुतः हजारों नहीं बल्कि लाखों छोटे-बड़े आर्थिक अपराधी हैं परन्तु इससे छोटे अपराधी आर्थिक अपराध कर सकते हैं क्योंकि बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। अब प्रत्येक के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार इसे गम्भीरता से नहीं लेती है। जहां तक आर्थिक अपराधों से निपटने का संबंध है, दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए तथा वस्तुतः इसके लिए ऐसे लोगों का पता लगाना जरूरी है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपने ही अनेक आर्थिक अपराधों को छिपाती रही है। इसलिए इस विधेयक से उन लोगों को ही कुछ राहत मिलेगी जिन पर इस घोटाले के फर्जी लेन-देन का प्रभाव पड़ा है परन्तु इसका प्रभाव व्यापक नहीं होगा। हम यह भली-भांति जानते हैं। हम यह जानते हैं कि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है और उन्हें कुछ ऐसे सिविल अधिकार देना चाहती है जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं थे। इससे पहले उन्हें आपराधिक अधिकार प्राप्त थे। इन सिविल अधिकारों के द्वारा अब उन सम्पत्तियों से संबंधित कुछ विवादों को हल कर

[श्री अमल दत्त]

सकते हैं जिनकी पहले कुर्की की जा चुकी है और वह अपराधिक प्रक्रिया का ऐसा मामला हो गया जो कि विशेष अदालत के विचाराधीन होता है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस देश में आर्थिक अपराधों से निपटने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। जिससे पता लगे कि वह वास्तव में इसे गम्भीरता से लेती है और आर्थिक अपराधियों को दंड देना चाहती है, इस प्रयोजनार्थ सरकार को स्टाक एक्सचेंज और अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं, धोखाधड़ी से कर अपवंचन करने वाली कम्पनियों तथा अधिक आय वाले व्यक्तियों, जो असली आय छिपाकर कम कर अदा करते हैं, के संबंध में और कड़े नियम बनाने चाहिए। उन लोगों की और अधिक जिम्मेदारी तथा दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए जो कम्पनियों और अन्य संगठनों के कारोबार तथा गतिविधियों के प्रभारी हैं। परन्तु हमने इस प्रकार के कड़े नियम नहीं बनाए हैं।

मैं ऐसे दूसरे देशों का उदाहरण देना चाहता हूं जहां बड़े कड़े कानून हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। परन्तु हम यह नहीं जानते कि उन देशों में, जो हम से अन्तर्राष्ट्रीयकरण की पहल कर रहे हैं, कितने कड़े कानून हैं। हाल में अमरीका के राष्ट्रपति के साथ जो कुछ हो रहा है उसका पता हमें समाचार पत्रों से चल सकता है। सत्तर के दशक में अमरीका के राष्ट्रपति ने व्हाइटवाटर प्रोजेक्ट नामक अचल सम्पत्ति परियोजना में कुछ निवेश किया था। 1987 या इसके आस-पास तक उस परियोजना में एक व्यक्ति सम्बद्ध था जो एक प्राइवेट बैंक का मालिक भी था बाद में वह दिवालिया हो गया। इस प्रक्रिया में अमरीकी सरकार को 50 मिलियन डालर का नुकसान हुआ। 1974 या 1975 में राष्ट्रपति क्लिंटन और उनकी पत्नी ने यह धनराशि उस विशेष व्यक्ति को दी। उसके बाद 1987 में यह बैंक दिवालिया हो गया जिसके कारण अमरीकी राजकोष को 50 मिलियन डालर का नुकसान हुआ। इस रहस्योद्घाटन से यह भी संकेत मिलता है कि उस बैंकर ने अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव का खर्च भी दिया होगा। अब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को इस पर जो कानूनी खर्च करना पड़ेगा उससे वह भी दिवालिया हो जायेंगे। ऐसा भारतीय समाचार पत्रों में कहा जा रहा है तथा अमरीकी समाचार पत्र भी यही कह रहे हैं। यह आशंका है कि यह मुकद्दमा लड़ने पर राष्ट्रपति क्लिंटन का कानूनी खर्च 2 विलियन अमरीकी डालर से कम नहीं आएगा जबकि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार थे उस समय उनकी सम्पत्ति अनुमानतः 600 मिलियन डालर थी। इसलिए इस कानूनी प्रक्रिया में वह और उनकी पत्नी दिवालिया हो सकते हैं। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि उस देश में कड़े कानून हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा उदाहरण राष्ट्रपति निक्सन का है, जब उनके विरुद्ध किसी घोटाले में उनके शामिल होने के विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा था तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। उनके विरुद्ध व्यापक जांच हुई इसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर पाए। परन्तु इसके विपरीत इस देश में यदि किसी व्यापारी को आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार करने अथवा उसके परिसरों में छापा मारने का प्रयास किया जाता है तो वह

बड़ी आसानी से दंड से बच सकता है। सर्वप्रथम आयकर विभाग अपनी विवशता व्यक्त करता है। अधिकारी कहते हैं कि छापों में उन्हें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। जब वे किसी छापे की योजना बनाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से पहले ही संबंधित लोगों को पता चल जाता है और छापे सक से एक-दो घंटा पहले नहीं बल्कि एक-दो दिन पहले सब कुछ इधर-उधर कर दिया जाता है विभाग को छापे की योजना बनाने में कुछ समय लगता है परन्तु संबंधित व्यक्तियों को इसका निश्चित रूप से पता चल जाता है। यदि संयोगवश उन्हें छापे की पूर्व सूचना नहीं मिलती तो वे मंत्रियों अथवा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और छापे रुकवाने में सफल हो जाते हैं। वे हमेशा विभिन्न राजनैतिक और अन्य स्तरों पर सम्पर्क बनाए रखते हैं और मंत्री तथा अन्य राजनैतिक व्यक्ति छापे रुकवाने के लिए आयकर विभाग को टेलीफोन कर देते हैं। यदि किसी अन्य देश में ऐसा होता तो वहां इस प्रकार के व्यक्ति की सहायता करने वाले राजनीतिक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

3.00 म०प०

ऐसा नहीं होता है। आप हमें कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें संयोगवश किसी कम्पनी पर छापा मारा गया हो और अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया हो अथवा उनकी सम्पत्ति राजकोष या अन्य व्यक्तियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए जब्त कर ली गई हो? इस प्रकार का एक भी मामला नहीं है।

हम इन विशेष अदालतों से क्या आशा कर सकते हैं? सरकार का अब तक का रिकॉर्ड देखिए हम इससे किसी प्रकार की आशा नहीं रखते हैं। सरकार ने अब तक कितनी सम्पत्ति कुर्क की है? सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। अब तक जो कार्यवाही की गई है उसके लिए सरकार भी संसद सदस्यों को विश्वास में नहीं लेना चाहती है। 1992 से कार्यवाही चल रही है परन्तु सरकार की अब तक क्या उपलब्धि रही है? दो वर्ष बीत गए लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह आशा थी कि सरकार इस विधेयक पर मतदान से पहले सदस्यों को कम से कम यह तो सूचित करेगी कि विशेष न्यायालयों के माध्यम से कस्टोडियन द्वारा कुर्की किये जाने से इसको क्या उपलब्धि मिल सकेगी? हम यही चाहते हैं कि जहां तक दीवानी अदालतों का संबंध है, तो सरकार यही करे। आखिर हमें इन शक्तियों की आवश्यकता क्यों है?

यदि हम पाणिग्रही जी द्वारा उल्लेख किये गये ऐसे एक मामले को मानें जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्थगन आदेश दिए गए थे, तो क्या वास्तव में ऐसा आदेश देना अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि मेरे विचार से उसकी सम्पत्ति तो पहले ही कुर्क कर ली गई थी। यदि कोई कुर्क की गई सम्पत्ति का हस्तांतरण कर रहा है, तो इसका आशय यह है कि वह कुछ भी हस्तांतरण नहीं कर रहा क्योंकि सम्पत्ति तो सरकार के पास है, न कि उसके दिखावटी स्वामी के पास। मेरे विचार से कोई

[श्री अमल दत्त]

निष्फल कार्यवाही की गई होगी जो बिल्कुल आवश्यक नहीं था। अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में मंत्री महोदय को इस आशय का बयान देना चाहिए था कि कुर्क की गई सम्पत्ति के संबंध में विवाद विचाराधीन है। इतनी शीघ्रता से मामलों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। अब तो उन्होंने कर लिया और मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता। पर सरकार को भविष्य में स्वयं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना होगा।

हमें उम्मीद थी कि घोटाले से सरकार हिल उठेगी और वह कर संबंधी अपराधों का उन्मूलन करने के लिए वित्तीय व्यापार को नियंत्रित करने की दिशा में अत्यंत कठोर अधिनियम और नियम बनाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशेष न्यायालय उन्हीं पुराने अधिनियमों के आधार पर काम करेंगे जिनके उल्लंघन से न तो किसी को जेल भेजा जा सकता है और न ही उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है। यहां ऐसा कोई नियम नहीं है पर ऐसे नियम उन सभी देशों, यथा, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन में हैं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। ये वे देश हैं जिनके अनुसरण का हम प्रयास कर रहे हैं, पर क्या हम यह नहीं देखते कि उनके यहां इस संबंध में अत्यंत कठोर नियम हैं? इन सभी देशों में पूछताछ के लिए प्रधान मंत्री को न्यायालय में बुलाया जा सकता है? क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि पूछताछ के लिए भारतीय प्रधान मंत्री को न्यायालय में बुलाया जा सकता है?

15.03 प०प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

परंतु ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती थैचर और यहां तक कि श्री मेजर को प्रति-परीक्षा के लिए न्यायालय में आना पड़ा। उसके विपरीत यहां हमारे दश में मंत्रीगण संसदीय समिति के सामने आने में कतराते हैं। यह संसद और जिस प्रणाली के हम अंश हैं, के लिए भारी शर्म और अपमान का विषय है। महोदय, इसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है। सरकार कुछ शक्तियां ले रही है और हम सरकार को ऐसी सभी शक्तियां दिए जाने के पक्ष में हैं, पर हमें आशा नहीं है कि सरकार वास्तव में पूर्ण उपभोग के साथ इनका प्रयोग कर पाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की नीयत का विरोध करता हूं। यह बिल अपने-आप में बहुत मजबूत है, इसमें ज्यादा कमियां नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बिल से कितना कंट्रोल किया जाता है सरकार

कितने ही कानून बनाए, यदि सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, तो अपराधों पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय, इस कानून के अलावा और कानून भी हमारे देश में पहले से हैं। आई० पी० सी० है, एवीडेंस एक्ट है, सी० पी० सी० है, इन तमाम कानूनों के द्वारा भी अपराधों पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आई० पी० सी० के मुताबिक अपराधों पर जो एवीडेंस आया, उसके मुताबिक सरकार ने कितना अपराधों के कंट्रोल किया। देहातों में 379 के तहत क्राइम कंट्रोल करने के नाम पर किसी को भी बिना एफ० आई० आर० के 10-15 दिन के लिए में बंद कर दिया जाता है। इस बारे में थानेदार एस० पी० से कह देता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए यह काम किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने लोगों को जेल में बंद किया है। अगर किया है तो क्या यह बात ठीक है कि बिना एवीडेंस के लोग रिहा हो गए। जब सरकार के पास एवीडेंस नहीं है तो किस आधार पर मुजरिम को जेल में रखा जा सकता है। इसलिए पहले सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। जिस मुजरिम को आप पकड़ते हैं, एवीडेंस एक्ट के मुताबिक आपके पास उसके खिलाफ क्या एवीडेंस है। हम लोग कचहरी में देखते हैं, भूतपूर्व चीफ जस्टिस यहां बैठे हैं, वे भी बता सकते हैं कि सरकार का जो मुकदमा होता है, उसकी क्या हालत होती है। उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। गवाह कटघरे में चढ़ता है, मुदालय का वकील पूछता है कि आप इस केस के विषय में कुछ जानते हैं, गवाह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब सरकारी गवाह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो कुर्सी पर बैठा हुआ उसे छोड़ने के लिए जज बाउंड हो जाता है। मैं समझता हूं कि इस रोग से यह सरकार भी ग्रसित है।

आपने संसदीय समिति बनाई, जांच करवाई, एवीडेंस आया, आपके दल का व्यक्ति उसका चेअरमैन था, तो आपने कितने लोगों को पकड़ा? संसदीय समिति के एवीडेंस के मुताबिक आपने किसी को नहीं पकड़ा, तो आप और कौन-सा एवीडेंस चाहते हैं। एवीडेंस एक्ट के मुताबिक फौजदारी केस में अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वह स्टेटमेंट वेलिड माना जाता है और उसके आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज गवाह के बयान के आधार पर फांसी की सजा सुना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गांव का ग्रामीण फांसी पर झूल जाता है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। गांव का गरीब एवीडेंस एक्ट के तहत फांसी पर झूलने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार में बैठने वाला आदमी एवीडेंस एक्ट के मुताबिक सजा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार कितने ही कानून बनाए, जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी, इस तरह के कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदय, हम सब लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन देखना यह है कि कितनी जल्दी आप मामलों का निपटारा करते हैं, हर्षद मेहता आदि लोगों को गिरफ्तार करते हैं, अभी

[श्री तेज नारायण सिंह]

तक का अनुभव तो यही है कि आप किसी को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, केवल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि यह घोटाला हुआ है, इसके बारे में हम न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, गुजरिम को जेल भेजना चाहते हैं, इसलिए कानून में परिवर्तन कर रहे हैं।

आपने सी० पी० सी० में अमेडमेंट की बात की। सी० पी० सी० में अगर किसी ने सरकार की संपत्ति का गबन किया है तो सूट दायर कर के उसकी संपत्ति से राशि वसूल की जा सकती है, इसमें देरी हो सकती है, लेकिन यह प्रावधान अवश्य है। इसलिए आप यह बहाना बना सकते हैं कि मामले को जल्दी निपटाने के लिए आप यह बिल लाए हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि इसके बिना आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मेरे जैसा आदमी या कानून की जानकारी रखने वाला समझ जाएगा कि आप बहाना बना रहे हैं, कानून लागू नहीं करना चाहते हैं।

आप जल्दी से जल्दी मुकदमों को निपटाने के लिए इस बिल को लाए हैं तो हम इसका समर्थन करते हैं और इसके साथ हम यह भी आग्रह करते हैं कि कार्यवाही ठीक ढंग से हो और मजबूत एवीडेंस आए। ऐसा न हो कि जो भी गवाह कठघरे में खड़ा हो वह यह कहे कि हम इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं, यह तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत हो जाएगी। मुझे सरकार की नीयत पर शक है और मैं समझता हूं कि हर्षद मेहता का हिसाब नहीं हुआ है। देहातों में पंजाब नेशनल बैंक या ग्रामीण बैंक होते हैं। वहां पर ग्रामीण सिगनेचर कर देता है तो बैंक मैनेजर रुपया निकाल लेता है और कहता है कि मैंने रुपया नहीं लिया। जांच होने के बाद मामला निल हो जाता है। इस तरह की घटनाएं कई राज्यों में देखने को मिलती हैं कि गरीबों को रुपया नहीं मिल पाता है। मैं मांग करता हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आप नीयत साफ कीजिए और जो अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको दंड देने के लिए नीयत साफ कीजिए। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, स्पेशल कोर्ट के बिल के संबंध में जो अध्यादेश क्रमांक-तीन प्रस्तुत किया गया है तो मैं उसका घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ-साथ जो बिल प्रस्तुत किया है तो उस पर अपने विचार रखकर मोटे तौर पर इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरा विरोध इस बात को लेकर है जिसका उल्लेख श्री बंसल जी ने किया था। वे कांग्रेस के सदस्य हैं और अभी यहां पर नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि अध्यादेश इसलिए निकाला जाता है कि यदि बिल आते हैं तो बिल को पास करने में बहुत समय लगता है और होता है या नहीं होता और कितने बिल पेन्डींग हैं तो इस तरह की बात उन्होंने की थी। लेकिन ऐसी जब कोई विशेष परिस्थिति बनती है और इस सदन का क्या रुख होता है, वे इस बारे में भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए। अध्यादेश निकालने की खराब

आदत है। संविधान में उसकी सुविधा होती है। वह कोई योग्य पद्धति नहीं है ऐसा संविधान कहता है। किसी भी समय पर निकालने की बात आए तो वह बात दूसरी है। जिस विधेयक को लेकर यहां अध्यादेश निकाला है तो उस विधेयक की जानकारी मेरे पास है। 1992 में ग्यारह अगस्त को इन्ट्रोड्युस हुआ, बारह तारीख को मंजूर किया और सत्रह तारीक को राज्य सभा ने मंजूर किया और 18 तारीख को राष्ट्रपति जी ने उसको मान्यता दे दी। कोई सही बात को लेकर सरकार आती है और अपना बिल प्रस्तुत करती है तो लोकसभा किस तरह से ऐसी बातों में संवदेना व्यक्त करती है और उसका महत्व समझती है, यह बंसल जी को समझना चाहिए था। इस विधेयक के बारे में उनको पता चल सकता है इसलिए यह अध्यादेश निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? 30-31 दिसम्बर तक यह सदन चल रहा था। हम इंटरसेशन छुट्टी होने के कारण यहां काम नहीं कर रहे थे और 25 जनवरी को आपने अध्यादेश निकाला। यह बताईए कि 25 तारीख को निकालने की कौन-सी जरूरत थी? आपने जो बातें बताई हैं उनमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जिससे यह मालूम हो कि सदन नहीं चल रहा था इसलिए हम अध्यादेश को निकालना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात ऐसी थी जिसकी वजह से आपने यह अध्यादेश निकाला। मुझे लगता है कि अध्यादेश निकालना सरकार की आदत और मजबूरी हो गई है, 'हैबिट्स डाई हार्ड' इसलिए आप अध्यादेश निकाल देते हैं। लोगों को भी लगे कि सरकार कोई काम कर रही है, लेकिन आप किस गम्भीरता से इस मामले को देख रहे हैं, मैं समझता हूं यह देखने की बात है।

25 जनवरी के बाद, अध्यादेश निकालने के बाद से आज तक आपने इस अध्यादेश का कौन-सा उपयोग किया, इसके बारे में सदन को बताइये? हमने ओरिजनल बिल यहां पर एक दिन की चर्चा करके पास किया। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति बनी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसकी इस मामले में जो सिफारिशें थीं उन पर आपने क्या एक्शन लिया, यह भी सदन आपसे जानना चाहता है? आपने बहस के समय कहा था कि तीन महीने के अंदर हम एक्शन लेंगे, सदन को विश्वास में लेंगे। सिक्योरिटी स्कैम पर स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में जो समिति ने सिफारिशें की हैं उसके सम्बन्ध में क्या किया है, यह भी सदन को बताइये? गुमान मलजी ने बहुत से केसेज के बारे में बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं जे० पी० सी० की रिपोर्ट के दो आबजर्वेशन पढ़ना चाहता हूं। पैरा 17.11 में कहा है :

[अनुवाद]

"17.11 मामलों को दर्ज न किया जाना। समिति ने प्रारंभिक जांच के संबंध में हुए अनावश्यक विलंब की घटनाओं तथा इनके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध रहने पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नियमित मामलों को दर्ज नहीं किये जाने की घटनाओं का अवलोकन किया है। कैनरा बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री बी० रत्नाकर से संबंधित मामला इसका ज्वलन्त उदाहरण है।"

[श्री राम नाईक]

[हिन्दी]

अन्त में फाइनल चैप्टर में समिति कहती है :

[अनुवाद]

"समिति इस चिन्ताजनक स्थिति पर अपना खेद प्रकट किए बिना नहीं रह सकती। समिति यह आशा करती है। कि अब यह तीनों एजेंसियां, सी० बी० आई०, सी० बी० डी० टी० और प्रवर्तन निदेशालय कम से कम घोटाला संबंधी मामलों की अत्यधिक समन्वय तत्परतापूर्ण एवं कारगर ढंग से जांच सुनिश्चित करेंगी।"

[हिन्दी]

आप बताइये कि इस बात को लेकर रिपोर्ट सब्मिट होने के बाद से आज तक क्या किया और आर्डिनेस निकालने के बाद क्या किया? मुझे लगता है कि यदि आप ऐक्शन रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे, इसका मतलब यह होगा कि आप कुछ छिपाना चाहते हैं, दाल में कितना काला है यह सारे देश को मालूम हो गया है।

दूसरी बात यह है कि केस बहुत धीमी गति से चल रहा है, लगभग डेढ़ साल हो गया है, उसमें एक भी केस नहीं आया। यह जज का कसूर नहीं है, दोष सरकार की मशीनरी का है। हर्षद मेहता हो या निरंजन शाह हो, सबको नाम मालूम है। लेकिन वहां सरकारी वकील ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं है। कहां तो राम जेठमलानी और भट्ट जैसे वकीलों की क्रीम है और कहां आपके वकील हैं जो उनका डटकर मुकाबला कर सकें। जो केसेज सी० बी० आई० और सी० बी० डी० टी० ने चलाये हैं, उनके लिए ऐसे वकील हों जो शक्ति से उनका जवाब दे सकें। ऐसा न हो कि हम एक और कानून पास कर लें और लाइब्रेरी में जमा हो जाये और लगे कि एक संशोधन और कर लिया। मुझे तो अभी तक ऐसा ही लगता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि कुछ अभियुक्त हैं, वे उसका गैर-लाभ लेते हैं। लेकिन सरकार इस बात को किस प्रकार ले रही है, मैं वह बताना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र का ग्रामीण बैंक है–बैंक आफ कराड। इस बैंक का सारा मामला लिक्वीडेशन में गया। हजारों लोगों का करोड़ों रुपया डिपाज़िट में समाप्त हो गया, लगभग 2-ढाई हजार कर्मचारी बेरोज़गार हो गये। इस कारण जे० पी० सी० और वहां के लोगों ने मांग की है कि बैंक आफ कराड का बैंक आफ इंडिया में अमालगमेंशन किया जाये ताकि सभी डिपाज़िटर्स को लाभ हो। इससे बेरोज़गार कर्मचारियों को रोज़गार मिलेगा, इस बात को जे० पी० सी० ने भी कहा है। बैंक आफ इंडिया सामने आये और उसको इस प्रकार से करना चाहिये इसकी मंजूरी कोर्ट ने दे दी है लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि इसे बैंक आफ कराड के डिपाज़िटर्स को फायदा मिलेगा। ऐसे समय में

आपकी सरकार के 100% कैपीटल हैं, रिस्क इन्श्योरेंस कारपोरेशन है, स्पेशल कोर्ट के सामने आयेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का अमालगमेशन होगा और बैंक आफ कराड ने इसमें सम्मिलित होकर काम करने की प्रक्रिया हुई थी, उसमें रोक लगाने का काम सरकार ने किया है। इसलिय मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या नीति है?

सभापति महोदय, एक जगह कहा गया है कि जो दोषी लोग हैं, उसका गैर-लाभ ले रहे हैं, इस कारण से मैं मांग करता हूं कि जो फैसला बैंक आफ कराड के अमालगमेशन का किया गया है, स्पेशल कोर्ट के जरिये यह रुकावट लाये हैं, उसे वापस लेने का आपको आदेश देना चाहिये तभी वहां के लोगों का ईमानदारी से विकास हो सकता है। उसी प्रकार दूसरे मैट्रोपोलिटन कोआप्रेटिव बैंकों के अमालगमेशन करने की प्रक्रिया सरकार ने आज तक शुरू नहीं की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। कोआप्रेटिव बैंक के बारे में आप उनको निर्देश दे सकते हैं कि यदि वे इस प्रकार का काम करते हैं तो इसका मतलब भी यही होगा तो इस भूमिका पर आपको विचार करना चाहिये नहीं तो यह लाईब्रेरी में रखे अमेंडमेंट-सा काम होगा। अत: आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक 2-3 धारायें डालकर अमेंडमेंट करने का प्रावधान है, उसमें कोई बहुत ज्यादा विरोध करने की बात नहीं है। जैसा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है कि यदि वह छुट्टी पर गये हैं तो दूसरी नियुक्ति करना है और प्रशासनिक तौर पर यह जरूरी है तो इसमें सहयोग करना चाहिये। प्रशासकीय कार्य ठीक प्रकार से चलना चाहिये, इसके लिये धारा-3 का सुझाव लेकर आये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से धारा-5 में आपने न्यायालय के अधिक्षेप के बारे में कहा है, इसमें लागू होना चाहिये। यह एक समर्थनीय कार्य है क्योंकि न्यायालय हमारे जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है और उसकी रक्षा करना अपना काम है। तो इस धारा का समर्थन करना भी योग्य समझता हूं।

सभापति महोदय, सिविल पोसीजर कोड की धारा-3 के सैक्शन 9ए 9बी में अमेंडमेंट लाने का सुझाव लाये हैं तो उसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार का एक अधिनियम बना हुआ है और इस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत हम उनको अधिक अधिकार देने की बात करते हैं और इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड पूरा लागू न हो। लेकिन न्यायसंगत नैसर्गिक न्याय करने का अधिकार हम कोर्ट को दे रहे हैं यह विशेष बात है। उस कोर्ट में जो जज हैं उन का भी एक व्यक्तित्व, चारित्र्य और काम करने की एक पद्धति होने के कारण उन्होंने विश्वास पाया है, और उनको अधिकार देने के लिए मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन आज वह अधिकार हम व्यक्ति-विशेष को देने की बात कर रहे हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी से क्यों पीछे हटें? अब यह केसेज़ चलेंगे और यह दो-चार साल भी चल सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि नैसर्गिक न्याय करें लेकिन ऐसे केसेज़ के लिए क्या मार्गदर्शक तत्व हम रख सकते हैं, इस प्रकार के कौन से बाय-लोज़ या नियम

[श्री राम नाईक]

बना सकते हैं, वह हमारी जो नियम समिति है उनका काम कुछ नहीं है यह मानकर हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। यह बिल हम यहां मंजूर करेंगे लेकिन नैसर्गिक न्याय का मतलब लोक सभा क्या समझती है तो फिर वही बात आएगी कि बैंक ऑफ कराड को चालू करना हमें नैसर्गिक न्याय लगता है लेकिन वित्त विभाग को ऐसा नहीं लगता है तो फिर नैसर्गिक न्याय क्या है यह कहने का अधिकार लोक सभा को होना चाहिए और वह अधिकार दूसरों को देने के लिए हम तैयार नहीं हैं लेकिन काम में कोई रुकावट न आए, उस भूमिका में जब तक अपने नियम नहीं बनते हैं तब तक हम यह कर सकते हैं।

एक अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ये जितने केसेज़ लगाए हैं और जितने केस लगाने की आवश्यश्कता है, सरकार अपनी निष्क्रियता के कारण लगा नहीं पा रही है। सी० बी० आई० को जिस तरह से काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है। जो केस फाइल किये हैं, उनका जिस तरह से फौलो अप होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। वे केस फाइल करने में जिस तरह से स्पेशल कोर्ट के सामने पेशगी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है और इसलिए इन सारी बातों में सुधार लाकर समय की कीमत ध्यान में रख कर लोगों के करोड़ो रुपए जो इसमें गए हैं, आज भी उस में से कुछ वापस लिया जा सकता है। जो प्रोपर शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स दिये जा सकते हैं। ये सारी बातें देख कर आवश्यक कदम सरकार को उठाना चाहिए, यह मुझे आग्रह से कहना है और इस भूमिका में यह जो न्यायाधीश को सिविल कोर्ट को किनारे रख कर काम करना हो, लेकिन नैसर्गिक न्याय के अधीन होकर काम करना हो यह परिपाटी नहीं बननी चाहिए। बाद में यह बात न आए कि इस केस के लिए अधिकार दिया था तो कोई टाडा का केस हो तो उसमें भी इसी प्रकार का अधिकार दे दो और बाकी कानूनों को किनारे रखने की कोशिश करो। यह ऐसा उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए कि हम इस प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। सरकार इस बारे में ख्याल करे और जैसे मैंने कहा है कि आखिर सिक्यूरिटीज़ के बारे में क्या ऐक्शन लिया है वह अपने उत्तर में मंत्री जी सदन को बताएं और यदि आप यहां नहीं बताते हैं तो फिर आप लोगों का विश्वास प्राप्त करने का काम नहीं कर रहे हैं। केवल एक नये कानून का आप निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार की बात होगी और इसलिए दोबारा आप ऑर्डिनेन्स निकालने की कोशिश मत करें। इसको तुरंत पास कर सकते हैं और ऑर्डिनेन्स निकालने की जो आदत है वह समाप्त होनी चाहिए, इन शब्दों के साथ मोटे तौर पर मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासात) : सभापति महोदय, वास्तव में इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध किया जाए। लेकिन इस विधेयक का समर्थन करने से पहले में कुछ कहना चाहता हूं।

मेरे विचार से सरकार ने अब तक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की वास्तविक

जटिलताओं को समझ लिया होगा। मेरी शिकायत यह है कि यह विधेयक प्रस्तुत कर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की गम्भीर जटिलताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आपकी अनुमति से मैं संयुक्त संसदीय समिति की कुछ टिप्पणियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह सिद्ध करने के लिए कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की जटिलताओं को अच्छी तरह नहीं समझा है, विस्तार से उद्धरण नहीं दूंगा। उन्होंने एक कदम उठाया है जो केवल एकदम छोटा ही नहीं, बल्कि संकोच से भरा है और उसमें भी पूरे विषय और रिपोर्ट के महत्व और जटिलताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सर्वप्रथम कृपया रिपोर्ट का पैरा 28 देखें जिसमें घोटाले के कई आयामों को प्रकाश में लाया गया है। अतन्तः कुछ टिप्पणियां की गई हैं जिनकी तीन चार पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

> "कोई भी प्रणाली केवल विनियमों से ही नहीं चल सकती। वस्तुतः यदि उसका उल्लंघन किया जाए तो यह चल नहीं सकता। उसके अतिरिक्त यदि उसमें नैतिक अंश नहीं हैं, सही को गलत से अलग करने की सामान्य समझ नहीं है, विशेष रूप से सार्वजनिक निधि सुपुर्द किए जाने पर सार्वजनिक कर्तव्य की भावना नहीं है तो यह काम नहीं कर सकता।"

इस मामले में, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर बहस के दौरान सरकार द्वारा यह रुख अपनाया गया कि इन संदिग्ध मामलों में कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध नहीं है। अतः यह मंत्रियों के उत्तरदायित्व का मामला नहीं है। यह बिलकुल नई बात है। वास्तव में, यह संसदीय लोकतंत्र के सुस्थापित मानदंड से हटने वाली बात है। वाद-विवाद के दौरान यह रिकार्ड पर है कि एक के बाद एक मंत्री खड़े होते गए और कहते गए कि यह मंत्रियों के उत्तरदायित्व का मामला नहीं है; यह प्रणाली का दोष है। सभापति महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि यह प्रणाली का दोष है या मंत्रियों का उत्तरदायित्व, इससे संसदीय लोकतंत्र का एक अत्यंत गम्भीर प्रश्न आ खड़ा होता है। मैं इन सब पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के त्यागपत्र पर कहा था। मेरे विचार में इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे मालूम नहीं, कि क्या उनमें इसे सुनने का साहस है, पर पंडित नेहरू ने निम्न कहा था :

> "इस देश में जो कुछ भी होता है उसका अंतिम उत्तरदायित्व निश्चित रूप से भारत सरकार का होता है। हम उस उत्तरदायित्व से हटना नहीं चाहते। यह सच है कि हम प्रकृति और अन्य बहुत सारी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन यह सरकार का उत्तरदायित्व है, हम इस बात को पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि रेलवे में जो कुछ होता है उसका विशेष

[श्री चित्त बसु]

उत्तरदायित्व रेल मंत्रालय का है, हालांकि उत्तरदायित्व की भागीदारी भारत सरकार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से होती है।"

अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार के अपराध या धोखाधड़ी के लिए–इस परिमाण या अनुपात के लिए नहीं जिसे किसी ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा है–सरकार सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इस मामले में सरकार ने अपने उत्तरदायित्व से कोताही बरती है। विधेयक भी उस जिम्मेदारी से बचने का एक और उदाहरण है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह एक छोटा-सा, संकोच भरा कदम है। शांत तरीके से उठाया गया कदम है जो सामूहिक निकाय के रूप में सरकार के उत्तरदायित्व के अनुरूप नहीं है। मुझे प्रधान मंत्री की वह टिप्पणी याद है जो उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति के समय प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय की थी। उन्होंने कहा था और यह रिकार्ड में है कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं यह आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि यह यहां-वहां कुछ कमजोरियों और अनियमितताओं का पता लगाने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह संसद की सर्वोच्चता और साथ ही मंत्रियों उत्तरदायित्व का मूलभूत प्रश्न है।

[अनुवाद]

मैं यह चाहता हूं कि सरकार को यह देखना चाहिए और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप सही तथा शीघ्रता से कदम उठाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो मेरे विचार से सब कुछ बेकार हो जाएगा और यह संसद तथा सभा के लिए अपमानजनक होगा। मुझे यह आशय है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह बतायेंगे कि इस लघु विधेयक के अतिरिक्त क्या विशेष उपाय किए गए हैं और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है। ऐसा करके वे संसद की सर्वोच्चता के सिद्धान्त और सभी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सरकार की इमानदारी प्रदर्शित करेंगे।

घोटाले में शामिल कम से कम चार बैंकों का नाम लिया गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। इसके विपरीत हमें प्रेस से यह जानकारी मिली है कि इन चारों बैंकों नामतः सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक आफ अमेरिका और ग्रांडलेज बैंक, को देश में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में भी सभा को सूचित करें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, मैं विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से

संबंधित दोषों का परीक्षम) संशोधन विधेयक, 1994 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक विशेष किस्म का मामला है और इस पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। इस घोटाले में इस सरकार के विरुद्ध कई बातें थीं। इस बात की इस सभा और देश के प्रायः सभी भागों में रहने वाले लोगों को जानकारी थी कि क्या कुछ हो रहा था। किन्तु हमारी सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। यही कारण है कि उसने यह अध्यादेश जारी किया और इस अध्यादेश के पश्चात् इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

महोदय आपको यह जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच के दौरान सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के लेन-देन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और कदाचारों का पता चला था जिसमें विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ दलाल शामिल थे। सरकार का प्रमुख उद्देश्य दोषियों का पता लगाना और उन्हें दण्ड देना था। इसी वजह से भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 6 जून, 1992 को पहला विशेष न्यायालय अध्यादेश 1992 जारी किया था। और उसके एक महीने पश्चात् संयुक्त संसदीय, समिति गठित की गई थी और सरकार द्वारा की गई यह पहली कार्यवाही थी। सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार के दृष्टिकोण में किसी प्रकार का घालमेल नहीं है। सरकार किसी को छिपाना नहीं चाहती; वह सरकारी तंत्र के अंतर्गत किसी भी दोषी को नहीं छुपाना चाहती। यह बात स्पष्ट है। यही कारण है कि इस स्थिति से निपटने और विशेष रूप से इसमें अंतर्ग्रस्त भारी राशि की शीघ्र वसूली और दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाना सुनिश्चित किए जाने और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता और साख बनाए रखने हेतु यह विधेयक लाया गया है। इसी वजह से विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन देन से संबंधित अपराधों का परिणाम अध्यादेश, 1992 जारी किया गया था।

महोदय यहां यह बात कही गई है कि अध्यादेश लाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संशोधन को लाए जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और किसी अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष अथवा बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। सरकारी धन के किसी दुखी नियोजन के लिए इस देश के लोग सरकार को ही जिम्मेदार ठहरायेंगे। इसी कारणवश इस अध्यादेश का उद्देश्य विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीणाम) अधिनियम के संबंधित खण्डों में संशोधन करना है। शीघ्र परीणाम के उद्देश्य से ही अध्यादेश जारी किया गया था। इसके पश्चात् संशोधन विधेयक लाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य घोटाले से संबंधित मामलों से निपटने के लिए न्यायालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि करना था। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ।

सभापति महोदय : आपके क्या सुझाव हैं? क्या आपके पास कोई नई बातें हैं?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यह विधेयक बिल्कुल सही है। जब इन मामलों की जांच न्यायमूर्ति एस० एम० वरियावा द्वारा की जा रही थी तब उनके द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। विशेष न्यायालय के गठन में कुछ कमियां हैं।

वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार विरोधक अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन उस अधिनियम द्वारा इन मामलों से सही ढंग से नहीं निपटा जा सका।

सभापति महोदय : ये सब बातें मंत्री महोदय बताएंगे। आपके पास कोई नई बात कहने के लिए हैं?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यहां पर सरकार का दृष्टिकोण ही प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक में सरकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और विधेयक में दोषी व्यक्तियों को पकड़ने तथा उनकी सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए कई प्रावधान हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस विधेयक को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह को बधाई देता हूं।

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता और संक्षेप में बोलूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं चूंकि यह प्रतिभूति लेन-देनों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए दोषी व्यक्ति को सजा देने के उद्देश्य से लाया गया है। मैं सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहूंगा कि वह पूरी इमानदारी और तेजी के साथ कार्यवाही करे जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने के पश्चात् दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और अन्य वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें विदेशी बैंक, राष्ट्रीय अवास बैंक और कई सरकारी उपक्रमों द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर किया है और इस प्रतिवेदन में धन के दुरुपयोग की प्रणाली का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है।

विशेष न्यायालय को न केवल दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए आवश्यक कदम ही उठाने चाहिएं बल्कि उच्च पदों पर आसीन जिम्मेदार व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी करनी चाहिए जिन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देशों और अनुदेशों की जानबूझकर अनदेखी करके करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन, मध्यम श्रेणी के निवेश कर्त्ताओं और कर्मचारियों के धन को इस प्रकार से कुछ ही व्यक्तियों द्वारा लूटे जाने की अनुमति दी। ऐसे सभी उच्च पदस्थ व्यक्तियों, चाहे वे कुछ भी क्यों न हों, के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और लोगों के दिमाग में यह विश्वास जमाया जाना चाहिए जिससे लोगों को यह लगे कि इस न्यायालय ने सभी दोषियों को दण्डित किया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है। केवल तभी निदेश कर्त्ताओं के दिमाग में विश्वास को बहाल किया जा सकता है।

अब हाल में, वर्तमान प्रणाली के आधार पर कई वाणिज्यिक बैंक पकड़ में आ गए हैं। कुछ ही महीने पहले तक वे यह कह रहे थे कि उन्हें कोई हानि नहीं हो रही है। किन्तु कई बैंकों को भारी हानि वहन करते हुए पाया गया है। इससे जमाकर्त्ताओं का विश्वास उठ जाएगा। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि दोषियों को सजा मिले और इस देश के लोगों के मन में विश्वास पुनः बहाल हो।

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। जिन्होने इस विधेयक की बहस में हिस्सा लिया और इसका समर्थन किया।

3.49 म०प०

(श्री पीटर जी० सरबिनआंग पीठासीन हुए)

यह बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विधेयक है और सभी माननीय सदस्य इस विधेयक की भावना से भलीभांति अवगत हैं, जैसा उन्होने स्वयं ने कहा। खास तौर से इस आर्डिनेंस को लाने का जो मकसद था और आर्डिनेंस के माध्यम से जो प्रावधान रखे गये, उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि इस स्पेशल कोर्ट की कार्यविधि जिस प्रकार से चल रही थी और उसमें जो अड़चनें आ रही थीं, उनको दूर करके शीघ्रातिशीघ्र उनको किसी निर्णय तक कैसे पहुंचाया जा सके, उसको पूरा करने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया। यह बहुत संक्षिप्त प्रावधान इसमें रखे गये और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने स्वयं इसके उद्देश्यों के बारे में बोला है कि जो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर थे, उस प्रक्रिया के अन्दर जो बाधा आ रही थी तो उसके अंदर सिविल कोर्ट प्रक्रिया संहिता 1908 की जो प्रक्रिया है उस बाधा को दूर करने के लिए वह लागू न हो करके नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत को इसमें एप्लाई किया जाए। उसके लिए इसमें प्रावधान रखा और खास तौर से जब इसमें कार्य करने वाले जज छुट्टी पर चले जाएं या न हों तो उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, केटेम्पट आंफ कोर्ट का प्रावधान है। मगर कुछ ऐसी बातें जिससे हम उसको जिस प्रकार गति देना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी निर्णायक स्थिति में पहुंचे, मात्र वही बातें संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप में इसके अन्दर रखी गई हैं।

मान्यवर, इस विधेयक के अलावा माननीय सदस्य ने जो अन्य प्रश्न उठाए और बातें पूछीं। सभी माननीय सदस्य लगभग जे० पी० सी० की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सभी सदस्यों ने अपनी बातों से जे० पी० सी० रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या कार्यवाही हो रही है, कब तक हो रही है, किस रूप में हो रही है इस प्रकार की जानकारी जानने चाही है मैं माननीय सदस्यों को बड़े निम्न शब्दों

[डा० अबरार अहमद]

में कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने इस सदन के अंदर बहुत साफ शब्दों के अंदर कहा है और निर्धारित समय भी उन्होंने बताया है कि उसके अंदर जो सभी एक्शन प्लान हैं, उस रिपोर्ट के अंदर जो भी लिखा है उस सबको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि उसको देखा जा रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं एक केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति कार्य कर रही है जिसमें अन्य 6 सचिव भी हैं जो अन्य मंत्रालयों के अंदर उस पर कार्यवाही करने के लिए कोआर्डिनेट कर सकें, वित्त मंत्रालय के अंदर भी एक समिति बनाई गई है स्पेशल सैक्रेट्री बैंकिंग उसके संयोजक हैं उसमें फाइनेंस सैक्रेट्री भी हैं, रेवेन्यू सेकेट्री भी हैं तथा उसके अंदर अन्य सदस्य भी हैं इसमें हर चीज को देख करके, कि इसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है उस बारे में बड़ी तीव्र गति से कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से इस सदन के अंदर क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही प्रस्तावित है उसके संबंध में यहां वे रखा जाएगा जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : आप कहते हैं, "हम इसे समयबद्ध कार्यक्रम के तथ्य कर रहे हैं।" समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं? आप कृपया हमें यही बताएं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : मैं पहले भी आपको बता चुका हूं उन बातों को मैं वापस दोहराऊं तो मैं नहीं समझता कि उनको दोहराने से उसका कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन आपने जो जानना चाहा कि इस रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही चल रही है, किस रूप में चल रही है क्या वह रिपोर्ट दे रखी है तो मैंने बिल से हट कर, बिल में जो बातें हैं वह तो आप सब को मालूम हैं लेकिन उससे हट कर आपने जो सवाल जानने चाहे हैं उसमें मैंने यह जानकारी आपके सवालों के जवाब में देना आवश्यक समझा कि उसमें बड़ी तेजी के साथ कार्यवाही की जा सके उसके लिए अलग-अलग समितियां उसमें कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से जल्दी ही उसके परिणाम इस सदन के सामने आएंगे। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने अपनी बातों के दौरान बहुत से सवाल पूछे हैं जो इन दोनों बातों से हट कर थे उसमें रासा सिंह जी पहली बार बोल रहे थे, अध्यादेश क्यों लाए, यही सवाल किया था और मैंने सबसे पहले उसके बारे में बताया कि उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि इनमें जो कठिनाइयां आ रही थीं उनको दूर करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया। माननीय रासा सिंह जी कुछ बैंक की शाखाएं बंद करने का निर्णय जो रिजर्व बैंक ने लिया है उसके बारे में भी आपने कहा कि कुछ शाखाएं बंद की जा रही हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि वैसे तो सारे देश में कुल 60

हजार से अधिक बैंकों की ब्रांचें हैं लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 30 हजार शाखाएं हैं इनमें से इस समय देश के अंदर लगभग 10 हजार शाखाएं घाटे में चल रही हैं। ··· **(व्यवधान)** ···

[हिन्दी]

··· **(व्यवधान)** ··· आप मेरी बात सुनिए। 10000 शाखाएं हैं, उनमें से 102 शाखाओं को बंद करने की सिफारिश आर० बी० आई० ने की है।

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को सुविधा प्रदान करना और निजी व्यक्तियों द्वारा कर्ज देने को रोकना था।

डा० अबरार अहमद : आप पहले मेरी बात सुनिए। आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सिर्फ 102 शाखाओं को आर० बी० आई० ने बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें भी 3 बातों का विशेषतौर पर ध्यान रखा गया है। एक तो ग्रामीण बैंक की कोई शाखा बंद नहीं की जाएगी, भले ही वह घाटे में क्यों न चल रही हो।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मेरे क्षेत्र में एक और मुकुल वासनिक के क्षेत्र में दो शाखाएं बंद हो रही हैं। और आप यहां पर इस तरह से बात करके मामले को टाल जाते हैं। ··· **(व्यवधान)** ···

डा० अबरार अहमद : मेरी इस बारे में मुकुल वासनिक जी से भी बात हो गई है। अभी मैंने सिर्फ एक बात बताई है, दो बातें और सुन लीजिए, तो आप स्वयं समझ जाएंगे। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में दो शाखाएं हैं और दोनों घाटे में चल रही हैं तो उन दोनों शाखाओं की आपस में बात करवा के, उनमें से किसी एक को बंद किया जाएगा और उसमें कोई रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। इन तीन बातों के आधार पर 102 शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बाकी शाखाओं में सुधार लाने के लिए नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सतत् रूप से केपीटल एडीक्वेसी सही करने, मैनेजमेंट ठीक करने, रिकवरी करने आदि के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। रासा सिंह रावत जी ने इससे हट कर बैंक शाखाओं के बारे में जो बात की थी, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : मैं एक अन्य प्रश्न की बात कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने लोगों को इस बोझ में राहत दिलाने के लिए बड़े जोर-शोर से कार्यक्रम चलाया और कर्ज राहत अधिनियम भी रखा। आज जो कुछ भी हो रहा है यदि हम उससे अलग रास्ता नहीं बना सकते हैं तो

[श्री ओस्कर फर्नांडीज]

हम अपने लोगों को ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में पहुंचा देंगे। अतः, मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसे नोट करें और यह देखें कि ग्रामीण लोगों को इस तरह की परेशानी न हो।

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : ओस्कर फर्नान्डीज ने जो बात कही है, निश्चित रूप से इसका ध्यान रखा जाएगा।

इसके साथ-साथ रासा सिंह जी ने सोशल परपज पूरा करने के बारे में बैंकों की भूमिका के बारे में बात की, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रियारिटी सेक्टर सैडिंग पर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है और 40 प्रसेंट प्रियारिटी सेक्टर रखा गया है, ताकि बैंक सिर्फ अमीरों तक ही सीमित न रह जाएं, प्रियारिटी सेक्टर में भी पैसा लगाएं। फारेन बैंकों के प्रियारिटी सेक्टर को 15 परसेंट से बढ़ाकर 32 परसेंट गत वर्ष किया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि फारेन बैक्स इस प्रियारिटी सेक्टर को पूरा नहीं कर पाते तो इस पैसे को "सिडबी" को दें, ताकि उस पैसे को प्रियारिटी सेक्टर में दिया जा सके। इस तरह से बैंकों के सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

श्री निर्मल कांत जी ने विधेयक के पृष्ठ 3 के बारे में "हिम" और "हर" की तथा "ही" और "शी" की बात की है। मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन कुछ देर पहले लोढा जी से इस बारे में बात हो रही थी तो वो भी यही बता रहे थे कि लीगल प्रोसीजर में "ही" और "शी" इसमें शामिल होने हैं।

4.00 म०प०

[अनुवाद]

इसलिए 'ही' और 'शी' और 'हिम' और 'हर' ··· (व्यवधान) ···

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां तक 'ही' का संबंध है, वह तो सामान्य बात है। परन्तु, वर्तमान वातावरण के कारण, मैंने यह चाहा कि अब हमें 'शी' के लिए भी स्पष्ट रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने यही तो सुझाया था।

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : आपने दूसरी बात कही थी कि स्पेशल कोर्ट के लिए निर्धारित अवधि रखी गई है अप्रैल, 1991 और उसके बाद के बारे में तो उसके पहले वालों का क्या होगा? मैं आदरणीय चटर्जी जी से कहना चाहूंगा कि स्पेशल कोर्ट बनाने का जो मकसद था वह समय अवधि के अनुरूप होता है। अगर उसके अंदर स्पेशल अवधि या मकसद रखें तो स्पेशल कोर्ट बनने या न बनने

का कारण ही नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं है कि जो समय अवधि में कवर न हो और कोई नजर में आए और ये छूट आए लेकिन उनके लिए कानून है। उस प्रक्रिया के अंदर कोई नजर में आया तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। स्पेशल कोर्ट जो बनाया गया है तो उसके लिए समय अवधि या मकसद रखना आवश्यक है। नेचुरल जस्टिस की बात मैंने पहले ही क्लीयर की है माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। बैंक डिफाल्टर के बारे में आपने कहा था। इससे पहले वाले सैशन में हमने यह बिल पास किया था कि 10 लाख रुपए से ज्यादा वाले डिफाल्टर होंगे तो ट्रिब्युनल बनेंगे और आप सबने मिलकर बिल पास किया था। इस एपीलिएट ट्रिब्युनल बनाए जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया जारी है और वे शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगे और कुछ जजेस की नियुक्ति की जा रही है जो शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग दस लाख से ज्यादा का पैसा लेकर बैठे होते हैं लेकिन लिटिगेशन में 10-15 साल लग जाते हैं और बैंक का पैसा जिस प्रकार से घूमना चाहिए तो उस वजह से वह जाम हो जाता है इसलिए ऐसे डिफाल्टर्स के लिए ट्रिब्युनल का प्रावधान रखा है। छह महीने के अंदर ट्रिब्युनल अपना निर्णय करेंगे और उसके बाद डिफाल्टर पैसा नहीं देता है तो उसको अरेस्ट करेंगे ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : क्या आप यह गारण्टी देने की बात कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल सभा के मामले छह माह के भीतर निपटा दिए जायेंगे ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सी० बी० आई० द्वारा उनके खिलाफ दिए आरोप पत्र के बारे में क्या हुआ ? क्या आप एन० एच० बी० पर आरोप पत्र देने के बारे में कुछ कहेंगे ?

[हिन्दी]

डा० अख्तर अहमद : जे० पी० सी० के बारे में भी आपने सवाल पूछे थे तो मैंने उसका कामन उत्तर दे दिया है और इसके अलावा जो आपने बैंक के बारे में पूछा था तो मैं उसका अलग से उत्तर दे रहा हूं। जे० पी० सी० की रिपोर्ट के बारे में और किस तरह से उनके केस आने वाले हैं और क्या कार्यवाही होगी तो उसका मैंने कामन उत्तर दे दिया है। माननीय गुमान मलजी ने यह जानना चाहा था कि स्पेशल कोर्ट के माध्यम से अब तक कितनी सम्पत्ति जब्त हुई तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुझे जो कास्टोडियन से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 16.11.93 तक 41 नोटिफाइड केसेज में 2115.34 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अटैच की गई है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हर्षद मेहता की सम्पत्ति क्यों जब्त कर ली गई जबकि उनके विरुद्ध आयकर का दावा लंबित है ?

डा० अबरार अहमद : आप इस मामले में काफी अनुभवी हैं। किसी व्यक्ति की सारी सम्पत्ति जब्त कर लें और शाम को वह आपके घर खाना खाय, या गुमान मल जी की कार इस्तेमाल करें, या नाईकजी के बेहतरीन कपड़े पहनें। लोढा जी के नाम से घर लेकर रहें या किसी और के नाम से ली हुई गाड़ी में घूमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : बेनामी ट्रांज़ेक्शन के बारे में क्या किया ?

डा० अबरार अहमद : आपके नाम से किसी अच्छे घर में रहता है तो उसका क्या कर सकते हैं। सरकार बहुत कुछ करना चाहती है इसीलिए अध्यादेश और विधेयक आपके सामने लाये हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करना चाहती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से सिविल कोर्ट में और मामले चलते हैं और समय लगता है, वैसे ही इसमें भी होता है लेकिन सरकार शीघ्र निर्णय की स्थिति में पहुंचना चाहती है इसीलिए अध्यादेश निकाला गया और हमने इसीलिए इसमें यह प्रावधान रखे हैं।

आपने यह भी जानना चाहा था कि स्पेशल कोर्ट में कितने केस फाइल किये गये हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 47 केस फाइल हुए हैं और सभी का इंवेस्टीगेशन स्पेशल कोर्ट द्वारा विभिन्न स्टेजों पर है, निर्णय किसी का नहीं हुआ है।

इसके अलावा पाणिग्रही जी ने, मोहन सिंह जी ने, अमल दत्ताजी ने और तेज नारायण सिंह जी ने जे०पी०सी० के बारे में और विधेयक के प्रावधानों के बारे में सवाल किये थे। मैंने उनका उत्तर अपने जवाब में शुरू में ही दे दिया है। राम नाईकजी अध्यादेश के बारे में जानना चाहते थे, मैंने बताया कि निकालने के क्या कारण थे। आपने यह भी पूछा था कि इस अध्यादेश को निकालने के बाद क्या हुआ और, अगर यह अध्यादेश न आता तो 25 जनवरी और आज की तारीख में क्या अंतर रहता ! यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वास्तव में इसके जवाब से ही इस अध्यादेश को लाने का मकसद जाहिर होता है। मैं नाईकजी को बताना चाहूंगा कि इसके बाद हर्षद मेहता ने 600 करोड़ रुपये के बेनामी शेयर्स की डिटेल स्पेशल कोर्ट को दी है। जब उसे मालूम पड़ गया कि सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के राइट स्पेशल कोर्ट को मिल गये हैं तो उसने ऐसा किया। इससे हमें बड़ी मदद मिली है। जो हमारा उद्देश्य है जल्दी से जल्दी निर्णय तक पहुंचने का, उसमें हम किसी हद तक सफल हुए हैं।

बैंक ऑफ कराड के बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा था। यह मामला रिजर्व बैंक के एक्टिव कंसिडरेशन में है और कोर्ट के पास भी लम्बित है। जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा, रिजर्व बैंक इसके विलय के बारे में निर्णय लेगा।

श्री राम नाईक : बैंक क्रेडिट इंशोरेंस आफ कारपोरेशन रिजर्व बैंक की सब्सिडियटी कंपनी है। सरकार की संस्था है, वह डिले कर रही है।

डा० अबरार अहमद : आप जानते हैं कि बैंकिंग और इन्श्योरेंस के अंदर किस हद तक आटोनमी है और इस अटोनमी के बावजूद हर एक को अपना हानि लाभ देखने का अधिकार है और यदि किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है और जब उसका निर्णय हो जायेगा और वह दोनों पक्षों के हितों को देखकर फैसला कर देगी तो रिज़र्व बैंक उस पर अपना निर्णय दे देगी।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इसमें सरकारी निदेशक हैं, अन्य निदेशक भी हैं परन्तु, वे अपने फायदे का भी ध्यान रखेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : बोर्ड में सरकारी निदेशक हैं और यह अपनी कुल शत-प्रतिशत पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगिक इकाई है। परन्तु अभी भी आप यह नहीं कह सकते कि ...

श्री राम नाईक : उनके अपने हित क्या हैं? राष्ट्रीय हितों का क्या होगा? यह तो बात नहीं है जिसका सरकार ने निर्णय लिया है अथवा जो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सिफारिश की थी कि यह किया जाना चाहिए। परन्तु अब आप बीमा कंपनियों और इस तरह की अन्य बातों के बारे में कह रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : अगर इन्श्योरेंस कंपनी को कोई नुकसान हुआ है या उसका राईट हर्ट होता है तो उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है। उसके अधिकार को सिर्फ इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यहां तक कि थोड़ी राशि के लिए कई बैंक कर्मचारी निलंबित किए गए हैं अथवा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है जबकि बैंकों के कई उच्च अधिकारी सैंकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेवार होने पर भी अभी भी सेवारत हैं।

अतः, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सभी अधिकारियों को निलंबित करके इसकी जांच कराने वाली है। अन्यथा, वे विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव डालने और उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

डा० अबरार अहमद : महोदय, माननीय सदस्य श्री चिंता बसु ने अपने भाषण में चार विदेशी बैंकों में जिनके नाम हैं, उनके बारे में कार्यवाही किये जाने की बात कही है तो मैं बताना चाहता हूं कि उन चारों विदेशी बैंकों की अनियमितताओं में शामिल थे, उनको ब्रांचेज़ खोलने के लिये कोई नये लाईसेंस नहीं दिये जा रहे हैं और जो उनको दे भी दिये गये हैं तो वे ब्रांचेज़ नहीं खुली हैं। उनका तुरंत स्टे कर दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बाकी के बारे में विभिन्न कमेटियां काम कर रही हैं। मैंने प्रयास किया है कि जिन माननीय सदस्यों ने जे० पी० सी० विधेयक और बैंकिंग के बारे में जो सवाल पूछे हैं, उनको जानकारी देकर संतुष्ट किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब इस बिल का समर्थन करें।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैंने निरनुमोदन के संदर्भ में कहा था कि इस अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पैदा हो गयी या संविधान के अंदर यह प्रावधान किया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने जो बात सोची थी कि कोई आपातकालीन परिस्थिति या कोई विशिष्ट परिस्थिति पैदा हो जाये तो यह लाना अत्यंत आवश्यक है। जब जे० पी० सी० ने अपनी रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी थी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन के अंदर यह घोषणा की थी कि इस रिपोर्ट में जो दोषी पाया जायेगा, उसे बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह कितना भी ताकतवर, प्रभावशाली या प्रबल क्यों न हो। इतना सब होने के बाद भी जब माननीय सदस्यों ने बार-बार यह पूछा कि अध्यादेश लागू होने के बाद कितने लोगों से वसूली हुई या कितने लोगों की सम्पत्ति कुर्क की गयी तो ऐसा लगता है कि सब आंकड़े मिलाकर दे दिये गये हैं। इस अध्यादेश को लागू करने की तारीख से लेकर आज की स्थिति तक कितनी कुर्कियां हुईं; कितनी वसूली हुई ?

सभापति महोदय, संसदीय प्रजातंत्र का सबसे बड़ा स्थान यह पवित्र सदन है। इस सदन की अवमानना, उदासीनता, इसकी उपेक्षा बरतना और सीधे ही अध्यादेश लाना, इसको इंप्लीमेंट कर देना, अगर यही होता रहा तो इस सदन की कितनी उपयोगिता रह जायेगी। प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण का महत्व रहना चाहिये, वह नहीं रह पायेगा क्योंकि यह सरकार पिछले कुछ महीनों से जोड़-तोड़ कर अपना बहुमत बना पायी है। और नशे में चूर होकर सदन की अवहेलना करके इस प्रकार से यह सरकार अध्यादेश ला रही है। पिछले एक-डेढ़ महीने में चार-पांच अध्यादेश आ चुके हैं इसलिए मैंने निरनुमोदन की बात कही थी। मैंने प्रारंभ में कहा था कि कानून का उद्देश्य बहुत अच्छा है। न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो मैं समझता हूं कि कानून के द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित करने की जो बात है वहां तक तो किसी को इस पर मतभेद नहीं है।

मान्यवर, सभी पक्षों के वक्ताओं ने इस भावना का आदर किया लेकिन इसका परिणाम निकलना चाहिए कि हम सरकार के हाथों में शक्ति सौंप रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं और कुछ करने की छूट दे रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाती और उसका परिणाम सामने नहीं आता। तो ऐसे अक्षम और अयोग्य हाथों में अधिकार सौंपने का क्या लाभ है? मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि अध्यादेश लाने की ऐसी कौन-सी बात आ गई थी कि जिसके कारण उसी दिन यह अध्यादेश लाना पड़ा और विश्व के महानतम गणतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व 25 जनवरी को यह अध्यादेश लाया गया। मैंने निरनुमोदन का प्रस्ताव सरकार की अध्यादेश लाने की वृत्ति और सरकार की तनाशाही वृत्ति का विरोध करने के लिए सरकार के समक्ष रखा है।

डा० अबरार अहमद : महोदय, मैंने जो विस्तार से अध्यादेश लाने का कारण बताया, माननीय रासा सिंह रावत जी शायद सुन नहीं पाए या ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने अपनी बात वहीं से शुरू की थी कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और अंत में राम नाईक जी के जवाब में मैंने कहा कि अध्यादेश लाने की तिथि और आज की तिथि में क्या अंतर है और उसकी सार्थकता को भी बताया है और वह बताते हुए मैंने कहा था कि खुद हर्षद मेहता ने बताया कि अब ये राइट भी सिविल कोर्ट को मिल गए हैं। मैं समझता हूं कि रावत जी को भी इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए और अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यादेश लाने की वृत्ति का तो मैं विरोध ही करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 की संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए)

डा० अबरार अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.19 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) चीनी का आयात

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : सरकार खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर निरन्तर नज़र रखती है। वर्तमान चीनी मौसम के शुरू में अक्तूबर, 1993 और उसके बाद चीनी के मूल्यों में वृद्धि की जो प्रवृत्ति देखने में आई थी उस पर फरवरी, 1994 तक काबू पाया जा सका था। वर्तमान मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन पिछले मौसम के 106 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में गिरकर लगभग 104 लाख मीटरी टन हो जाने का अनुमान है। वर्तमान मौसम की शेष अवधि के दौरान और अगले मौसम के प्रारम्भ में चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने और चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी का आयात करने की इज़ाजत देने का निर्णय किया गया है। इस आयात पर कोई सीमा शुल्क और कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आशा है कि इस उपाय से स्वदेश में चीनी की आपूर्ति में वृद्धि करने और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

4.20 म०प०

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
कॉफी (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा आज की कार्यसूची के मद संख्या 17 और 18 पर एक साथ विचार आरम्भ करेगी।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 की संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, अध्यादेश के डिस-एप्रूवल का प्रस्ताव हमने इसलिये रखा है क्योंकि हम ऑर्डिनैंस जारी करने की परिपाटी के खिलाफ हैं। विशेष परिस्थितियों में सरकार कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकती है लेकिन बार-बार यह जो एक बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है, उसी कारण सिद्धांततः हमने इस अध्यादेश के निरनुमोदन का प्रस्ताव सदन में रखा है। जहां तक सरकार की तरफ से लाये गये बिल का संबंध है, उसको लाने के पीछे जो उद्देश्य और कारण बिल के ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन में बताये गये हैं, उनसे बौडली किसी की असहमति नहीं हो सकती लेकिन हमारे मन में इसको लेकर कई प्रकार की शंकाएं हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

कॉफी उत्पादकों की काफी समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए ही सरकार इस बिल को सदन में लेकर आयी है। उनकी एक मांग थी कि फ्री सेल का कोटा बढ़ाया जाये और सरकार ने उसे अब 50 प्रतिशत कर दिया है। पहले उनको अंदरूनी बाजार में बेचने की अनुमति थी लेकिन अब कॉफी ग्रोअर्स को कॉफी का निर्यात करने की भी इजाजत होगी। सुनने में तो यह बात अच्छी लगती है और जब कॉफी ग्रोअर्स ने इसकी मांग रखी थी तथा कॉफी ग्रोअर्स ने इस प्रावधान का स्वागत किया है तो हम लोग सिर्फ कॉफी पीने वाले हैं, उनकी इच्छा के प्रतिकूल हम कोई बात नहीं कहना चाहते । फिर भी हमारे मन में जो शंका है कि सुनने में तो यह बात अच्छी लगती है कि अब कॉफी के किसान या उत्पादक अपने उत्पाद यानी कॉफी का निर्यात कर पायेंगे, यहां वाणिज्य मंत्री जी मौजूद हैं, वे मुझे एन्लाइटन करेंगे कि कैसे कॉफी ग्रोअर सीधे अपनी पहुंच विदेशी बाजार तक स्थापित कर सकेंगे। निश्चित रूप से एक्सपोर्ट करने के लिये कोई न कोई एजेंसी होगी। अब तक

[श्री नीतीश कुमार]

यह सारा काम कॉफी बोर्ड के जिम्मे था और कॉफी बोर्ड का काम नफा कमाना नहीं था बल्कि उसका काम कॉफी का प्रचार करना था, कॉफी का विदेश में निर्यात करना था और कॉफी के क्षेत्र में अनुसंधान की जितनी संभावनाएं थीं, उसके विकास का काम करना था। अब तक यह सारा काम कॉफी बोर्ड करता था जो हमारे देश में एक पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के रूप में कार्य करता था लेकिन अब धीरे-धीरे कॉफी बोर्ड बंद होने के कगार पर पहुंच जायेगा क्योंकि अब कॉफी बोर्ड का कम्पटीशन का सामना करना पड़ेगा। वैसे कम्पटीशन कोई बुरी चीज नहीं है और खासकर आज के दौर में जब कि सरकार उन्मुक्त व्यापार की ओर बढ़ती चली जा रही है, हम उदारीकरण की नीति अपना चुके हैं फिर इसमें कम्पटीशन लाजिमी है, खासकर जब कि यह सरकार ही अपना मन बना चुकी है कि हम अपने सभी प्रतिष्ठानों को मार देंगे तो फिर उनको कौन बचायेगा। यदि मां ही ऐसा संकल्प कर ले कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगी तो उसका बच्चा जी ही नहीं सकता है। जब सरकार ने ही ऐसा तय कर लिया है कि जितने उसके अंडरटेकिंग्स हैं, धीरे-धीरे करके उनको खत्म कर दिया जाये, इसके कारण कॉफी बोर्ड में आज जितने एम्पलाईज हैं, उनमें से दो-तिहाई से ज्यादा अब हटा दिये जायेंगे। उनको हटाने के बारे में कहा यह जा रहा है कि उनको जितने पैसे देने होंगे, उसमें काफी उत्पादक भी कंट्रीब्यूट करेंगे जिसका मतलब हुआ कि धीरे-धीरे करके सारे एम्पलाईज को हटा दिया जायेगा।

अभी सरकार ने जो ऑर्डिनैंस निकाला है, उसके कारण कॉफी के दाम कुछ बढ़े हैं। मंत्री जी आप जरा ध्यान से सुनिये ... **(व्यवधान)**

मंत्री जी से हमारे बहुत आध्यात्मिक संबंध हैं इसलिये हमें कहने दीजिये। कॉफी ग्रोअर्स तथा कॉफी यूजर्स के मन में इसको लेकर आज जो चिन्ता है, मैं उसी को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। मंत्री जी आप स्वयं कॉफी ग्रोअर नहीं हैं, मैं जानता हूं क्योंकि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कॉफी यूजर हो सकते हैं। ज्यादा कॉफी पीने से हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको डायबिटीज हो जाये, इसलिये अपना वजन कुछ कम करने की आप कोशिश कीजिये।

सभापति जी, अब कॉफी ग्रोअर्स को फ्री ट्रेड के कारण शायद कुछ दाम मिल जायें, फिलहाल उनको इस बात की खुशी है लेकिन जो शंका मैंने प्रकट की है कि वे सीधे कॉफी को एक्सपोर्ट नहीं कर पायेंगे, इस काम में, किसी न किसी एजेंसी का प्रवेश कराया जायेगा। मेरी मूल शंका है कि जब कोई मल्टी-नेशनल कम्पनी इस क्षेत्र में आ जायेगी, इसके एक्सपोर्ट के काम में बीच में आ जायेगी तो कॉफी बोर्ड समाप्त प्रायः हो जायेगा और उस कम्पनी की मोनोपोली कायम हो सकती है। जब उस कम्पनी की मोनोपोली कायम हो जायेगी तो आज कॉफी ग्रोअर्स का जो सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है, फिर उन्हें कॉफी के एक्सपोर्ट का भविष्य अंधकारमय दिखायी देने लगेगा। आज कॉफी के जो दाम उन्हें मिलने की संभावना है, वे दाम मिलने की संभावनाएं भी खत्म हो

जायेंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि कॉफी के प्राईस के रैगुलेशन के लिये किसी-न-किसी प्रकार की व्यवस्था उसे अवश्य रखनी चाहिये। जहां तक डॉमैस्टिक मार्केट का ताल्लुक है, जब इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी के दाम बढ़ जायेंगे तो लोग बाहर कॉफी ज्यादा भेजेंगे जिसका असर डामैस्टिक मार्केट पर भी पड़ेगा और यहां भी कॉफी के दाम बढ़ जायेंगे। वैसी स्थिति में कहीं-न-कहीं कोई रैगुलेटरी मैकेनिज्म अवश्य रहना चाहिये। इस बिल के संबंध में, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कॉफी की प्राईस को रैगुलेट करने के लिये कोई-न-कोई मैकेनिज्म अवश्य होना चाहिये। अब तक का अनुभव यही बताता है कि जब हम इसे खुला छोड़ देंगे, उन्मुक्त कर देंगे तो प्राईसेज पर जो हमारा नियंत्रण है, वह एक बारगी में ही समाप्त हो जायेगा जिसके कारण कॉफी ग्रोअर्स का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उपभोक्ता को तो नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिये आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी-न-किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का प्रावधान सरकार को इसमें अवश्य करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जब बाहर कॉफी के दाम गिर जायेंगे और लोग बाहर अपनी कॉफी को बेचना मुनासिब नहीं समझेंगे, लाभप्रद नहीं समझेंगे तो वैसी स्थिति में फिर कॉफी बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब नुकसान का साल आयेगा तो कॉफी का व्यापार करने के लिये फिर कॉफी बोर्ड को आगे आना पड़ेगा और जब फायदे का साल आयेगा तो कॉफी बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर लोग उस तरफ नहीं जायेंगे। वैसी स्थिति में कॉफी बोर्ड का अहित होगा और जब कॉफी बोर्ड का अहित होगा तो अल्टीमेटली सरकार का ही अहित होगा। इस तरह सरकार एक प्रकार से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेगी, यदि सरकार इस प्रकार का कोई काम करती है, अगर कॉफी के निर्यात को वह बिल्कुल निर्मुक्त कर देती है और किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है ...

इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि किसी-न-किसी प्रकार नियंत्रण का प्रावधान होना चाहिए। एक तरफ तो कॉफी ग्रोअर्स को दाम मिलना चाहिए, उनकी बाहर कॉफी बेचने के लिए बाहर तक पहुंच होनी चाहिए। उनको देश के अंदर भी बेचने की इजाजत होनी चाहिए और दूसरी तरफ कॉफी का प्रचार-प्रसार तथा विकास होना चाहिए एवं जो कॉफी के उपभोक्ता हैं उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हम चूंकि सैद्धांतिक तौर पर इस ऑर्डिनेंस को लाने के पक्षधर नहीं हैं, इसलिए हम इसका निरनुमोदन करते हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काफी अधिनियम, 1942 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं प्रस्तावना के समय लम्बा भाषण करना नहीं चाहूंगा। मैं तो केवल यही बताना

[श्री प्रणब मुखर्जी]

चाहूंगा कि इस वक्तव्य और विधेयक में यह बताया गया है कि इस अध्यादेश को किन परिस्थितियों में लाया गया था।

मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करने हेतु सूचना दी है और यह बात कही है कि आमतौर पर ऐसे विधान, जिसकी अति तत्काल और अतिशीघ्र आवश्यकता न हो, को अध्यादेश के माध्यम से न लाया जाए और यह कि इसे विधान की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से लाया जाए। इस पहलू के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। यदि मैं इसे अध्यादेश के माध्यम से लाने से रोक पाता तो मुझे इस बात की खुशी होती। परन्तु, इसे उक्त माध्यम से लाने के लिए वैध कारण है।

जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने वर्ष 1992-93 के लिए आधिकारिक कोटे की शुरूआत की है। माननीय सदस्यों को कॉफी के लम्बे इतिहास और इस बात की जानकारी भी है इस व्यापार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। पहला अध्यादेश 1940 में पारित किया गया था; पहले दो वर्षों–1040-41 और 1941-42 में लगभग 40 प्रतिशत का आधिकारिक कोटा था। तत्पश्चात् 1942-43 में, यह 10 प्रतिशत के करीब था। इसके बाद आंतरिक बिक्री कोटा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और 1990-91 तक यह पूरी तरह से कॉफी बोर्ड के नियंत्रणाधीन रहा। हम इस पहलू पर थोड़ी देर बाद, जब दूसरी मांग होगी तब विचार करेंगे। वर्ष 1992-93 में, हमने लगभग 30 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे को पट्टे पर देने के प्रयोग की शुरुआत की; बाजार में इसे अच्छी सफलता मिली; और कॉफी उत्पादकों ने इसकी मांग की। तत्पश्चात् श्री आई० के० गुजराल की अध्यक्षता में स्थायी संसदीय समिति ने इस मुद्दे की जांच की; उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि इसे लाया जाए और यदि आवश्यक हो तो इसे अध्यादेश के माध्यम से भी लाया जाए। इसके अलावा, इसका मौसम भी शुरू हो गया है।

मुझे अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा क्योंकि यदि मैंने अध्यादेश का सहारा न लिया होता तो और यदि मैंने सामान्य विधान संबंधी प्रक्रिया की प्रतीक्षा की होती तो संसद का यह सत्र समाप्त हो गया होता। निश्चय ही उस मामले में तर्क यह होता कि हमें समय पूर्व यथेष्ठ कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु हम इस अध्यादेश का विभिन्न दृष्टिकोणों से और विशेष रूप से 30 प्रतिशत सरकारी कोटे के जारी करने की क्या प्रतिक्रिया थी, इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे प्रणाली में कैसे स्वीकार किया गया, उत्पादनकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी इत्यादि की पूरी रिपोर्ट से अध्ययन कर रहे हैं। हमने इन सभी बातों का अध्ययन किया, हमने विकास का निरीक्षण किया; अतः समय सारणी ऐसी थी कि हमारे सामने विकल्प या तो एक सत्र या सत्र के अधिकतर समय के व्यर्थ चले जाने या अध्यादेश का सहारा लेने का। मुझे आशा थी कि मैं अध्यादेश का सहारा लेने में माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर लूंगा ताकि उत्पादकों को कुछ राहत मिल सके।

श्री नीतीश कुमार जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मैं समझता हूं कि चर्चा का उत्तर देते समय, मेरे लिए उचित होगा कि मैं कुछ मुद्दों का उत्तर दूं।

इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 14 जनवरी, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्राख्यापित कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री वी० धनंजय कुमार बोलेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, मैं इस सदन के सामने विधेयक द्वारा लाए गए प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं इन प्रस्तावों से पूर्णतया सहमत नहीं हूं लेकिन तब भी मैं इनका स्वागत करता हूं। चर्चा के दौरान मैं मंत्री महोदय को राजी करने का प्रयास करूंगा कि वे कैसे कॉफी उत्पादकों को अपनी कॉफी को स्वयं बेचने की पूरी स्वतंत्रता दे सकते थे। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि कॉफी अधिनियम की सम्पूर्ण योजना में कॉफी के विपणन का ही प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें अन्य कार्य भी शामिल हैं जैसे अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता नियंत्रण कीट नियंत्रण और कॉफी के विपणन प्रचार को आगे बढ़ाना इत्यादि।

अधिक उदारीकरण संबंधी मेरे तर्क को समझने के लिए, कॉफी उद्योग की पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी होना आवश्यक है। हम औसतन कॉफी का 2 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन करते हैं। विश्व में कॉफी का उत्पादन 60 लाख टन प्रतिवर्ष है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मुख्य कॉफी उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक में 70 प्रतिशत, केरल में 20 प्रतिशत और तमिलनाडु में 10 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन होता है। देश में कॉफी की खपत लगभग 50-60,000 टन प्रतिवर्ष है। अतएव; देश में उत्पादित 1.4 लाख टन या 1.5 लाख टन कॉफी को बेचने के लिए हमें देश से बाहर बाजार तलाशना पड़ेगा।

जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी हम छोटे कॉफी निर्यातक हैं इसलिए बेहतर मूल्य के लिए सौदेबाजी करना भी हमारे वश में नहीं है। ब्राजील और अर्जेन्टीना जो कि बड़े कॉफी उत्पादक देश हैं क्रमशः 30 लाख टन और 10 लाख टन कॉफी प्रतिवर्ष उगाते हैं। ये देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं। सभी प्रकार के झगड़ों और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन का गठन किया गया था। हम भी हम इस संगठन के एक सदस्य रहे हैं। आज भी, हम इसके सदस्य हैं। इस क्षेत्र में आम समझौते पर पहुंचने की परम्परा रही है। ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, मूल्य

[श्री वी० धनंजय कुमार]

स्थिर रह सकें, अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके और प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के विपणन की बराबरी की साझेदारी मिल सके और छोटे से छोटे प्रत्येक कॉफी उत्पादक देश को उसके द्वारा उगाई गई कॉफी का उचित मूल्य मिल सके।

दुर्भाग्य से पिछले तीन-चार वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन आम समझौते पर नहीं पहुंच सका है। अतः अनुचित प्रतिस्पर्धा गुम हो गई है। हमारे देश में उत्पादित कॉफी उचित मूल्य पर नहीं बिक रही थी। महोदय, कुछ समय पूर्व, श्री नीतीश कुमार तर्क दे रहे थे कि हमें कॉफी उत्पादकों को अच्छा मूल्य दिलाने के साथ उपभोक्ताओं के साथ भी न्याय करना चाहिए कॉफी बोर्ड जो कॉफी का विपणन करता है, को साथ ही साथ कॉफी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण पर भी गौर करना चाहिए। जहां तक उन कर्मचारियों का प्रश्न है कोई-न-कोई हल तो निकालना ही होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि कॉफी बोर्ड के कारण उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिला है। कॉफी उत्पादकों को कॉफी का लाभप्रद और उचित मूल्य न मिलने के लिए राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी उत्तरदायी हैं। आजकल कर्नाटक सरकार 8 प्रतिशत क्रय कर वसूल कर रही है। सम्पूर्ण कर कॉफी बोर्ड से वसूला जाता है। इसके अलावा कुल बिक्री पर 2.5 प्रतिशत लिया जाता है। कर्नाटक सरकार इस धन को कॉफी बोर्ड से आसानी से लेती रही है तथा कॉफी बोर्ड इस धन को कॉफी उत्पादकों द्वारा अधिनियम की योजना के अनुसार उपलब्ध की गई कॉफी की बोर्ड द्वारा की गई नीलामी से प्राप्त करता है। इसके अलावा, 1978 से 1982 के मध्य ब्राजील के ऊपर छाई धुन्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्य में तेजी आई है और तमाम दुनिया मे कॉफी के उत्पादन में कमी आई है ऐसे समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की मांग में वृद्धि हुई है। इस मौके पर कॉफी उत्पादकों को 46 से 48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सर्वाधिक कीमत मिली थी। ऐसे समय, सरकार ने इसके एक अंश को निकालना ठीक समझा। उन्होंने भारी सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क लगाए। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस अवसर पर कॉफी उत्पादकों से इन दो करों के माध्यम से 600 से 800 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। अन्यथा, इस अवसर पर यह लाभ कॉफी उत्पादकों को मिला होता। आज, लघु कॉफी उत्पादकों की बड़ी संख्या है। कल 1,20,000 कॉफी उत्पादकों में से 95,000 लघु उत्पादक हैं जो 2 से 5 एकड़ भूमि पर कॉफी उगाते हैं और कुल उत्पादकों में से बड़े उत्पादकों का प्रतिशत बहुत कम है। इन दोनों वर्गों का कॉफी अधिनियम सम्पूर्ण योजना से मोह भंग हो चुका है। कॉफी बोर्ड के कार्यकरण को जाने बिना और कॉफी बोर्ड पर लगाने वाले करों की जानकारी न होने के कारण, उन्होंने कॉफी बोर्ड पर आरोप लगाने शुरू कर दिये हैं। उनका मानना है कि कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के कारण उनको लाभप्रद मूल्यों की तो बात तो छोड़िए उचित मूल्य भी नहीं मिल पाते हैं। जैसाकि कुछ समय पूर्व मैं कह रहा था कि इसका कारण कॉफी बोर्ड का कार्यकरण नहीं बल्कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा लाए भारी कर हैं और इसी कारण उत्पादकों को लाभ नहीं मिलता है। आज की तिथि के अनुसार, कुल उगाई गई कॉफी के 50 प्रतिशत मुक्त कोटे की अनुमति के बाद

आज, उत्पादक को बाजार में कॉफी का 1600 रुपये प्रति टन भाव मिल रहा है जबकि कॉफी बोर्ड 1200 रुपये प्रति टन ही देने की हालत में है इससे अधिक नहीं है क्योंकि कॉफी बोर्ड को कर देने होते हैं और प्रचार और विपणन पर खर्च करना होता है।

आज, कॉफी बोर्ड में लगभग 3000 कर्मचारी कार्यरत हैं और सरकार कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल भी न सोचते हुए अधिनियम में यह संशोधन लाई है क्योंकि कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉफी बोर्ड ने ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव किया था लेकिन कॉफी बोर्ड ने इसके साथ-साथ एक प्रस्ताव किया था कि एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार की जाएगी ताकि जो कर्मचारी फालतू होते हैं उन्हें क्षतिपूर्ति भत्ता दे दिया जाएगा।.पर वे वैकल्पिक रोजगार पा सकते हैं और स्वयं का रोजगार कर सकते हैं।

मुझे इस मुद्दे को इस महान सभा के ध्यान में लाते हुए खेद है। यद्यपि सरकार इस संशोधन को लाने में कुछ जल्दबाजी में थी, तथापि उन्होंने अब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी नहीं दी है। यह सरकार के लिए बड़ी अजीब बात है कि यद्यपि उत्पादक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली धनराशि का 50% भाग तक देने को तैयार है, मैं समझता हूं कि प्रस्तावित स्वैच्छिक योजना में प्रतिवर्ष तीन माह के वेतन की दर से प्रतिपूर्ति देने का विचार है। कॉफी उत्पादकों ने यह तय किया है कि वे 'पूल फंड' का 50% भाग तक की धनराशि का खर्च वहन करेंगे और सरकार को प्रतिपूर्ति की शेष राशि केवल प्रतिवर्ष डेढ़ महीने के वेतन की दर से देनी होगी। यह बात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करते समय सामान्य परिस्थिति में मान्य होगी।

तथापि, सरकार इस मुद्दे पर निष्क्रियता दिखा रही है। मुझे नहीं पता कि इस योजना को मंजूरी क्यों नहीं मिली। इससे दहशत फैल गई है। जैसी स्थिति है, उसमें अधिनियम की योजना के अन्तर्गत खुली बिक्री कोटा शुरू किए जाने के पश्चात्, धारा 17 में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक उत्पादक एक ऋतु में कुल उत्पादन का सही आंकलन करे और कॉफी बोर्ड को इस बारे में अवश्य सूचित करे तथा लाइसेंस के लिए आवेदन करे और फिर कॉफी बोर्ड के पास स्वयं उत्पादित कॉफी का 50% भाग जमा करे। केवल तभी उत्पादकों को शेष 50% कॉफी खुली बिक्री कोटा के अन्तर्गत बेचने की अनुमति दी जाएगी। वे इसे देश के अन्दर या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं।

मूल्य में भारी अंतर होने के कारण, ऐसी स्थिति हो गई है कि उत्पादक कॉफी बोर्ड के पास अपने उत्पाद जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर, उत्पादक ऐसा अनुभव करते हैं कि कॉफी बोर्ड या सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन पर यह दबाव डाल रही है कि वे अपने उत्पाद सस्ते तथा अत्यंत कम मूल्य पर दें स्वाभाविक रूप से, यह सवाल उठता है कि कॉफी उत्पादक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए क्यों घाटा सहे, जो इस तरह के भारी कर थोपते हैं। मैं भारत सरकार से सविनय यह अनुरोध करूंगा कि वह कॉफी को केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत लाए ताकि उस पर बिक्री कर 4% से अधिक न हो। यह संभव है, क्योंकि यह एक से अधिक राज्यों से

[श्री वी० धनंजय कुमार]

सम्बन्धित है। कॉफी का उत्पादन तीन राज्यों में होता है और अन्य क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और आप परिचित हैं कि पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कॉफी उत्पादन के प्रचास किए गए हैं। कॉफी को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सभा के ध्यान में यह बात लाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यद्यपि भारत एक छोटा खिलाड़ी है और यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में हमारा कॉफी का उत्पादन बहुत कम है, तथापि भारतीय कॉफी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय कॉफी की जबरदस्त मांग है परन्तु परिस्थिति का लाभ उठाने और यह देखने में कि लाभांश उत्पादकों तक पहुंचे, हम असमर्थ हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुणवत्ता नियंत्रण रखा जाए। हमें उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी का उत्पादन करने की आवश्यकता है। तब हम स्वाभाविक रूप से और कहीं बाजार तलाश कर पाएंगे। जैसा कि नीतीश जी बता रहे थे, यह प्रश्न हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है कि क्या प्रत्येक उत्पादक की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच है और क्या छोटे उत्पादक अपना उत्पादन, जिसकी मात्रा काफी कम है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेच पाएंगे। वर्षों से, हमें एक विशिष्ट स्थान पर कॉफी जमा कराने और फिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लिए अच्छे मूल्य खोजने का अनुभव रहा है। मैं नहीं सोचता हूं कि उत्पादक इस मुद्दे पर घाटे में रहेंगे। यदि वे अपने द्वारा उत्पादित कॉफी को बिना कॉफी अधिनियम की योजना में गए बेचने को स्वतंत्र हों, तो उन्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। साथ ही साथ, मैं नीतीश कुमार जी को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि कॉफी बोर्ड सदा-सदा के लिए भंग नहीं किया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कॉफी बोर्ड को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खोज और विकास, कीट-नियंत्रण से निबटना, प्रचार कार्य जारी रखना आदि जैसे कुछेक बढ़िया काम करने होते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : कॉफी बोर्ड को छोटे उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रश्रय देने का कार्य करना है।

सभापति महोदय : क्या मैं सभा को याद दिलाऊं कि इस कार्य हेतु तय किया गया व आबंटित समय एक घंटे का है? मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप यथासंभव संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री वी० धनंजय कुमार : माननीय मंत्री जी मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि कॉफी एक ऐसी जिन्स है, जो प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। हालांकि हमारा उत्पादन मात्र लगभग दो लाख टन प्रतिवर्ष है, फिर भी यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण फसल है। जहां तक कि दूसरी नकद फसलों यथा तम्बाकू और चाय का प्रश्न है, उनके लिए क्रमशः तम्बाकू बोर्ड और चाय बोर्ड हैं, जो बाजार में अपने उत्पादकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

चाय बोर्ड और तम्बाकू बोर्ड इन उत्पादकों की नीलामी के समय नीलामी केन्द्रों पर निगाह रखते हैं और वे उत्पादकों को समुचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि कॉफी बोर्ड भी वैसी ही भूमिका अदा करे। हम नीलामी केन्द्र जैसी एक नई प्रणाली का विकास करें, जिसमें उत्पादक अपनी कॉफी का एक पूल बना सकें। तब, कॉफी बोर्ड नीलामी का निरीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जिससे कि मध्यस्थों तथा व्यापारियों की पुरानी भूमिका खत्म की जा सके। इस तरह, यह भय कि उत्पादकों का शोषण किया जाएगा, यह भी कम हो जाएगा।

कॉफी बोर्ड निश्चित रूप से उत्पादकों को समुचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। साथ ही साथ, हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कॉफी के लिए अच्छे बाजारों का पता लगाकर और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चाय तथा कॉफी का परिष्करण करने में कोई अंतर नहीं है।

श्री वी० धनंजय कुमार : कॉफी को परिष्करण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जबकि चाय के मामले में आप केवल चाय की पत्तियां चुनते हैं, उनका मितान करते हैं तथा बेच देते हैं। चाय के परिष्करण की प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं है। कॉफी का परिष्करण और कॉफी का मिलाना एक वृहत् प्रक्रिया है जबकि तरल कॉफी तैयार करना एक और बड़ी प्रक्रिया है। यह एक कला है। हमारे कई उत्तर भारतीय मित्र कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि कॉफी किस तरह तैयार की जाती है। मैं आपके सामने कॉफी उत्पादकों द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों को रखने की कोशिश कर रहा हूं।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि कॉफी बोर्ड की इस विचित्र परिस्थिति में जब दोहरी बाजार प्रणाली चलाना बहुत कठिन कार्य है। कॉफी बोर्ड कॉफी को पूल करने में काफी कठिनाई का अनुभव कर रहा है, जो कि आज के कॉफी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिबद्धता है। लेकिन, साथ ही कॉफी बोर्ड के लिए यह कठिन कार्य होगा कि इन प्रावधानों को लागू किया जाये, क्योंकि इसके पास लागू करने का कोई तंत्र नहीं है। यह प्रत्येक उत्पादक की खोज में नहीं जा सकता है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत कॉफी बोर्ड को कॉफी जब्त करने या कॉफी निर्यात करने हेतु आज्ञा देने से मना कर देने की शक्ति प्राप्त है। कॉफी बोर्ड के अधिकारी किसी डीलर या अन्य किसी व्यापारी के पास जा सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं तथा कॉफी जब्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किया जाना आखिरकार कॉफी उत्पादकों को ही हानि पहुंचाएगा।

इसका एकमात्र विकल्प यह है कि इस 50% भाग के बन्धन को समाप्त किया जाये और हर चीज मुक्त कर दी जाये। उत्पादकों को समुचित मूल्य मिले। साथ ही, कॉफी बोर्ड भी कॉफी उद्योग की इस तरह सेवा करके सक्रिय रह सकता है। यह काफी उत्पादकों को और अधिक कॉफी का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जिससे जवाब में हमारे देश के लिए और ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

[श्री वी० धनंजय कुमार]

अतएव, मैं यह सच्चे दिल से मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन को विनयपूर्वक स्वीकार करें। यह एक बहुत ही छोटा-सा संशोधन है जो 50% के बन्धन को तोड़ने से सम्बन्धित है, ताकि कॉफी उत्पादक और अधिक स्वतंत्रता पाएं तथा यह बात हमारे देश को भी और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो।

5.00 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) संदिग्ध प्रदूषित मिट्टी के तेल (एस०के०ओ०) के प्रयोग के कारण राजस्थान में कुछ भागों में हुई मौतें

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : दुख के साथ मैं सदन को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं जिसमें राजस्थान के कुछ भागों में मिलावटी मिट्टी के तेल के प्रयोग के फलस्वरूप अब तक 27 व्यक्तियों की जानें चली गईं तथा अनेक लोग घायल हो गए।

2. राजस्थान सरकार से 9 मार्च, 1994 की शाम को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जिसमें राजस्थान के झालावाड़ तथा बरन जिलों में कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अपने घरों आदि में मिट्टी के तेल के प्रयोग की वजह से हुई दुर्घटनाओं के कारण कुछ मौतों के बारे में सूचना दी गयी। इंडियन आयल कारपोरेशन के उत्तरी क्षेत्र के मुख्यालय दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के एक अधिकारी को शीघ्र ही राजस्थान जाने तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से मामले की जांच करने तथा आगे ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए संदिग्ध रूप से मिलावटी एस० के० ओ० को हटाने के लिए कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया था। इंडियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) के उत्तर क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक तथा आई० आई० सी० के मुख्य कार्यालय, बम्बई से भी अधिकारीगण कोटा पहुंचे तथा जांच किया। आई० ओ० सी० ने महा प्रबंधक (विपणन प्रचालन), उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जांच करने तथा दुर्घटनाओं की कारणों एवं एस० के० ओ० में मिलावट आदि का पता लगाने के लिए एक आन्तरिक समिति गठित की। चूंकि बाद में और मौतों की रिपोर्ट प्राप्त हुई अतः एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त करना जरूरी समझा गया। तदनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को मिलाकर एक जांच समिति गठित की गई है :

(1)	निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	अध्यक्ष
(2)	विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक के एक प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	श्री एस० के० खोसला, महाप्रबंधक (ओ० एंड एम०) आई० बी० पी० बम्बई :	सदस्य

(4) श्री आर० के० मुल्ला, महाप्रबंधक (प्रचालन)
मुख्यालय, एच० पी० सी० एल० बम्बई सदस्य

(5) राज्य सरकार राजस्थान का एक प्रतिनिधि : सदस्य

2. जांच समिति को जांच के संबंध में सौंपे जाने वाले कार्य निम्नानुसार होंगे :

(1) मिट्टी के तेल के प्रयोग के कारण हुई दुर्घटना में हुई मौतों और घायलों के बारे में कारणों को स्थापित करना।

(2) दुर्घटना की प्रकृति और कारणों को निर्धारित करना।

(3) दुर्घटना के तेल जिससे दुर्घटना हुई उसकी आपूर्ति का स्रोत और उसके परिवहन वितरण तथा उपभोक्ताओं को विक्रय करने के माध्यम क्या हैं?

(4) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिकारियों द्वार गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा सावधानियों तथा अन्य प्रक्रियाओं प्रचालन नियम पुस्तक में विहित उन निर्देशों का अनुसरण किया गया जो विशेषकर कोचीन में हुई दुर्घटना के मद्देनजर जारी किये गये थे।

(5) उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना जिनकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई।

(6) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं और घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाना।

(7) तत्संबंधित अन्य कोई बात

4. राज्य सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मिलावटी मिट्टी के तेल (एस० के० ओ०) का प्रयोग करने हुई दुर्घटना के कारण 27 व्यक्तियों के मरने की रिपोर्ट है। 225 व्यक्ति जलने से जख्मी हुए जिनमें से 85 अभी भी अस्पतालों में हैं। प्रभावित जिलों में झालावाड़, बरन, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं।

5. राजस्थान राज्य की पुलिस द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन के कोटा डिपो जहां से मिट्टी का तेल जारी किया गया था, को चलाने वाले इंडियन आयल का० के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ डिपो प्रबंधक सहित इंडियन आयल कारपोरेशन के तीन अधिकारियों और इंडियन आयल कारपोरेशन कोटा में प्रचालनों का प्रबन्ध करने वाले एक खलासी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने अपनी चूक और डिपो से मिलावटी मिट्टी के तेल के जारी किये जाने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है।

6. मिलावटी मिट्टी के तेल की पुनः प्राप्ति तथा मानक युक्त मिट्टी के तेल के वितरण कार्य को पुनः आरंभ करने संबंधी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव को भी राजस्थान के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। जहां तक पता चल सका है इंडियन आयल कारपोरेशन के कोटा

[कैप्टन सतीश कुमार शर्मा]

स्थित डिपो में रेलवे टैंक वैगनों से मिट्टी के तेल तथ पेट्रोल उंडेलने संबंधी प्रचालनों के समय मिट्टी के तेल में पेट्रोल की कुछ मिलावट हुई है। एक खुदरा डीलर के परिसर में मिट्टी के तेल की संभाल के दौरान हुई मौतों के बारे में दिनांक 18 फरवरी, 1994 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि घटना को तर्क सम्मत न पाते हुए तथा इसे एक दुर्घटना मानते हुए तत्संबंधित मामले पर कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक गलती तथा मौतों से संबंधित रिपोर्ट के उपरांत कोटा में इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों ने 15 फरवरी से 18 फरवरी, 1994 के बीच उंडलने संबंधी प्रचालनों में की गई गलती को छुपाने की कोशिश की है तथा उत्पादों को अलग करने तथा इसे निर्गत न करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य पुलिस द्वारा की जा रही मामलों की छानबीन में पूर्णतया सहयोग देगा तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए तथा निर्धारित सुरक्षा सावधानियों आदि पर अमल न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगा।

7. राज्य सरकार की सहायता व परामर्श से इंडियन आयल कारपोरेशन खुदरा व थोक विक्रेताओं से मिट्टी का तेल वापस ले रही है और आगे जांच हेतु इसका अलग से भंडारण किया जा रहा है। अब तक कुल 190 कि० लि० मिलावटी मिट्टी का तेल प्राप्त कर लिया गया है। कोटा डिपो में मिट्टी के तेल के नए स्टाक उपलब्ध हैं और राज्य सरकार के कर्मचारियों के निर्देशों पर थोक विक्रेताओं को यह जारी किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कुछ अनुग्रह राशि दी है। मैंने इंडियन आयल कारपोरेशन को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अपनी देयता व घायलों हेतु अन्य उचित राशियों के अतिरिक्त, मृत व्यक्ति के निकट संबंधी को 1 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। तेल कम्पनियां सुरक्षा विनियमों व जांच बिन्दुओं तथा गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में बनाए गस निर्देशों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करके ऐसी घटनाओं व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक उपाय कर रही है।

8. चूंकि 10 से 14 मार्च, 1994 के बीच संसद में अवकाश था, इसलिए सदन को पहले सूचित नहीं किया जा सका।

5.05 म०प०

संदिग्ध प्रदूषित मिट्टी के तेल के प्रयोग के कारण राजस्थान के कुछ भागों में हुई मौतों के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ओस्कार फर्नान्डीज बोल रहे थे। कृपया नियमों को समझें। अब

पूछने की मनाही है। अब आप किसी स्पष्टीकरण के लिए नहीं कह सकते। स्पष्टीकरण आप बाद में मांग सकते हैं। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम लोग कुछ नियमों के तहत काम करते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कृपया हम पर लागू नियमों को मानने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको स्पष्टीकरण मांगने का हक है, लेकिन इस समय नहीं। नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत कुछ निषेध हैं। आप यह अभी नहीं कर सकते; आप बाद में स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ओम्कार फर्नान्डीज जी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत जी, नियमों के अन्तर्गत निषेध है। अब आप किसी स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। प्रो० रासा सिंह रावत जी, आप भी नियमों को अच्छी तरह जानते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 372 इस प्रकार है :

"लोक-महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

नियम बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, कृपया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : जो मैं नहीं करना चाहता उसे करने के लिए कृपया मुझे मजबूर न करें।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : हम लोगों को संयमित व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप जो कहते आ रहे हैं, मंत्री जी ने नोट कर लिया है?

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से बाद में मिल सकते हैं।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आपको उनसे मिलने का हक है।

(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यदि मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पवित्र सभा के कार्यसंचालन में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान) *

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, आपने बहुत सही कहा है कि सभा में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है . . . **(व्यवधान)** ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि विपक्ष में बैठे सदस्यों को ही लोगों की चिंता है।

यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि केवल विपक्ष में बैठे सदस्यगण ही लोगों के हित के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम अपनाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां बहस हो रही है। मंत्री महोदय, निश्चय ही इसका ध्यान रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि सही प्रक्रिया अपनाई जाए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : क्या आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं? क्या आपकी यही करने की मंशा है?

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : हम आपसे नियम को समाप्त करने की मांग करते हैं।

सभापति महोदय : मैं नियम को समाप्त नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे और वे आपको बाद में इसकी अनुमति दे सकते हैं। मैं अब आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पास नियमों के अन्तर्गत काफी अवसर हैं। श्री नीतीश कुमार जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज, आप अपनी बात कहना जारी रखें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं श्री ओस्कार फर्नान्डीज से अपनी बात जारी रखने का अनुरोध करता हूं। कोई दूसरी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप माननीय अध्यक्ष को यथोचित सूचना दे सकते हैं। अब मैं अनुमति भी नहीं दूंगा।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री ओस्कार फर्नान्डीज जी का ही वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है?

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है। आप उन्हें भी यह अनुमति नहीं दे सकते। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे केवल दो कान हैं। श्री चार्ल्स, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन्हें अनुमति नहीं दे सकते। जब आप हम लोगों को अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें अनुमति कैसे दे सकते हैं? मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। आप हम लोगों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको निष्पक्ष भी होना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मेरा पॉइंट ऑफ ऑडर यह है कि यह सैकड़ों लोगों की जिन्दगी का सवाल है वहां सैकड़ों लोग मौत से जूझ रहे हैं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किस नियम के तहत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हां, श्री नीतीश कुमार जी मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

श्री चार्ल्स।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, आप का कहना सही है। माननीय मंत्री द्वारा अपनी तरफ से वक्तव्य जारी कर दिए जाने के बाद सभा में स्पष्टीकरण मांगने का नियम नहीं है। लेकिन ऐसा पहले कई बार हुआ है। सदस्यगण इस पर उत्तेजित हैं। वे कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। आपको उन्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसी बीच माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा। उन्होंने विपक्षी दल की आलोचना की, जो कि कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया गया। आप लगातार कह रहे हैं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मंत्री महोदय बोल रहे थे, तो वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा था।

सभापति महोदय : नहीं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : यदि मंत्री महोदय का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है तो दूसरे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इनमें से किसी की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, पूर्वोदाहरणों को देखते हुए, आप कुछ सदस्यों को कतिपय स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे दें यह आप पर है। महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मानवीय समस्या है। मंत्री महोदय उत्तर देने के इच्छुक थे। वह उठ ही रहे थे। मैं आपसे आपकी पूर्व व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। महोदय, मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं कि आपको अपनी पहले की व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिये और कुछ सदस्यों को कतिपय प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे देनी चाहिये।

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत किया जाता है।

श्री वसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अनेक पूर्वोदाहरण हैं।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, नियम 272 के अन्तर्गत, अनेक पूर्वोदाहरण हैं।

सभापति महोदय : इसमें तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस सदन में, कोटा में हुई घटना जैसी घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति महोदय ने विगत समय में कुछ बातों पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति हमेशा दी। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस मुद्दे

[श्री बसुदेव आचार्य]

पर 27 व्यक्तियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है उस पर आपको इतना अनम्य नहीं होना चाहिये। घटना की गंभीरता को देखते हुए, आप हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें और दस या पन्द्रह मिनट में पूरी बात समाप्त हो जायेगी।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है।

श्री ए० चार्ल्स : यदि चर्चा आवश्यक है तो वह किसी नियम के अंतर्गत होनी चाहिये। मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की मांग करता हूं। यदि और सूचना चाहिये ··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स, यदि मुझे आपकी सलाह की जरूरत पड़ी तो वह मैं बाद में लूंगा। अभी मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें नियमों से पता लगाने को कहा है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने विपक्ष पर कुछ आरोप लगाये हैं। मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने विपक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। मैंने केवल यह कहा कि वे यह न समझें कि लोगों के कल्याण की चिन्ता केवल उनको ही है। मैंने केवल इतना ही कहा था। **(व्यवधान)** *

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति जी, मंत्री जी ने कैरोसिन में पेट्रोल की मिलावट के बारे में जो वक्तव्य यहां पर दिया है, उसमें जिम्मेदारी को माना है, जिसके कारण 27 लोगों की मौतें हो गयी हैं। मेरी मांग है कि इस काण्ड के लिये दोषी लोगों को अब तक सस्पैंड क्यों नहीं किया गया, आप उन्हें सस्पैंड करिये। इस बारे में सदन में उन्हें कुछ कहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले ऐसे अवसर भी आये हैं जब अपवाद हुए हैं। मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद, स्पष्टीकरणों की बारी भी आती थी। परन्तु वे अपवादस्वरूप होते थे। माननीय सदस्यों ने हाल ही में कई अवसरों पर यह चित्रित करने का प्रयास किया है मानों अब से आगे यह अपवाद मात्र नहीं रह जायेगा बल्कि यह एक नियम बन जायेगा कि मंत्री द्वारा दिये गये प्रत्येक वक्तव्य के बाद, स्पष्टीकरण मांगे जायेंगे। मैं आपके द्वारा दी गयी इस व्यवस्था की वास्तव में कदर करता हूं कि ऐसे तौर-तरीके, नियम तथा प्रक्रियाएं हैं जिनके अनुसार चर्चा की जा सकती है और विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता की भी कद्र करते हैं।

मंत्री महोदय जो यहां पर उपस्थित हैं ने इसे नोट कर लिया है। क्योंकि उन्हें राज्य सभा

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

जाना है जहां पर उन्हें एक वक्तव्य देना है, मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय राज्य सभा चले जायें और हम अपनी चर्चा जारी रखें ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री ओस्कार फर्नान्डीज ...

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप बैठ जायें ...

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : हम अब विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं ...

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, सदन को बंधक न बनायें। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न, श्री चार्ल्स के व्यवस्था के प्रश्न तथा अन्य व्यक्तियों के व्यवस्था के प्रश्नों को भी सुन लिया है ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम भी जसवन्त सिंह की बात सुनें। हो सकता है कि उन्हें कोई नयी बात कहनी हो।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, हमारी शिकायत आप द्वारा जा रही व्यवस्था अथवा उस बात से नहीं है जिसे आप सदन की परम्परा बता रहे हैं। हमारी शिकायत उस संयोजित दण्डात्मक कार्यवाही के तर्क से उत्पन्न होती है जो इस सदन के समुच्चय तथा जैसाकि सभी मानेंगे, सत्ता पक्ष से भी, संबंधित विषय है। परन्तु हमें निराशा इस बात से है कि सत्ता पक्ष से संबंधित विषय होने के बावजूद उत्तरदायी मंत्री महोदय उस समय चले जाते हैं जब सदन उस पर विचार कर रहा है।

सभापति महोदय : उन्हें राज्य सभा में भी वक्तव्य देना है।

श्री जसवन्त सिंह : मुझे दोनों सदनों की मर्यादाओं के प्रति सचेत हूं। मुझे संसद कार्य मंत्री के इस सुझाव पर आपत्ति है कि केवल इस कारण कि मंत्री महोदय को अन्य सदन में वक्तव्य देना है, इस सदन की चिन्ता कोई महत्व नहीं रखती है। मैं आपके प्रति यथोचित सम्मानपूर्वक यह कहता हूं हम सदन का संचालन इस प्रकार नहीं कर सकेंगे। यह मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्री जी को भी चिन्ता है तथा सदन भी उत्तेजित है। आप स्पष्टीकरण पूछे जाने की अनुमति देते हैं अथवा नहीं, वह एक बिल्कुल अलग मामला है। यह आपका विशेषाधिकार है। हो सकता है कि हम इस पर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जसवन्त सिंह]

खिन्न हों अथवा नहीं भी हों। दण्डात्मक कार्यवाही पर दृष्टिपात् करें। सत्ताइस लोग मारे गये, लगभग तीन सो व्यक्ति जलाये गये, उनमें से पिच्चासी व्यक्तियों की दशा गंभीर है। यह प्रश्न मिट्टी के तेल और पेट्रोल को मिलाने का है ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप एक और वक्तव्य न दें। आप ठीक-ठीक पूछना चाहते हैं?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्षपीठ के प्रति यथोचित सम्मानपूर्वक, मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री महोदय को सदन से उस समय चले जाने की अनुमति देना जबकि सदन इस पर विचार कर रहा था, मैं इसे सत्ता पक्ष तथा सरकार का एक अत्यंत आपत्तिजनक कदम मानता हूं और महोदय मैं, जो कि भाजपा से हूं, निश्चय ही सदन से चले जाने की आपसे अनुमति चाहूंगा।

5.33 म०प०

इस समय पर श्री जसवन्त सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मंत्री जी ने यह गलत वक्तव्य दिया है, जांच नहीं करायी गयी है और आपने हमें कोई स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी है। इसलिये, हम भी सदन से उठकर बाहर चले जायेंगे ... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय सदन से चले गये हैं। हम इस मंत्री द्वारा सदन के प्रति किया गया निरादर समझते हैं ... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अब भी प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है। ठीक है, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा पहला उल्लेख नियम 372 को लेकर है, जिसका जिक्र आपने भी किया है। नियम 372 कहता है :

> "सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर वक्तव्य पर मंत्री जी वक्तव्य दे सकते हैं परन्तु वक्तव्य दिये जाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

यह नियम 372 है। अब मैं नियम 388 का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें कहा गया है :

> "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से, यह प्रस्ताव रख सकता है कि सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव के संबंध में किसी नियम को लागू करना स्थगित कर दिया जाये और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उक्त नियम को तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया जायेगा।"

इसीलिए मैं नियम 372 को निलम्बित करने हेतु प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : आपको अध्यक्ष महोदय को सूचना देनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपकी अनुमति ले रहा हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप ही अध्यक्ष हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व उपयुक्त सूचना दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे आपके अनुभव के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सभा में ऐसा हुआ है जब हमने ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और इस प्रस्तावों को अनुमति दी गई है।''' **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप मंत्री महोदय को सभा में आने के लिए और उनके द्वार दिए गए स्पष्टीकरणों पर उत्तर देने के लिए कहेंगे।

सभापति महोदय : मैं नहीं कहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने सभा का अनादर और अपमान किया है, इसलिए हम वाक आऊट कर रहे हैं।

17.34 म०प०

इस समय बसुदेव अचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मंत्री महोदय सभा से बाहर चले गए हैं। उन्होंने सभा का अनादर किया है। इसलिए हम भी वाक आऊट कर रहे हैं।

इस समय श्री नीतीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने सभा का अनादर किया है, अतः हम भी वाक आऊट कर रहे हैं।

5.34 $\frac{1}{2}$ म०प०

इस समय श्री भोगेन्द्र झा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

5.35 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

कॉफी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और कॉफी (संशोधन) विधेयक---जारी

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** (उडुपी) : सभापति महोदय, यह पहले ही कहा गया है कि कॉफी बोर्ड ने पिछले पांच दशकों के दौरान देश और उत्पादकों की उत्कृष्ट सेवा की है। कॉफी अधिनियम के इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने कॉफी उत्पादकों को अपने उत्पादन का 50% खुले बाजार में बेचने का अवसर प्रदान किया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इसे 30% से वृद्धि करके 50% कर दिया गया है। हमारे देश में विश्व में कॉफी के कुल उत्पादन का 3 से 4 प्रतिशत के लगभग समग्र उत्पादन होता है। कॉफी बोर्ड ने इन सभी वर्षों में कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा की है। इससे कॉफी उत्पादक केवल देश के अंदर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कॉफी के अच्छे मूल्य प्राप्त कर सके हैं। अब हमारी सरकार से खुले बाजार के कोटे में वृद्धि करके इसे 50% करने की पहल की है। सरकार ने कॉफी पर उत्पाद-शुल्क में भी छूट प्रदान की है।

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति हेतु घंटी बजाई जाए। अब सभा में गणपूर्ति हो चुकी है। श्री ओस्कार फर्नान्डीज अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** : माननीय मंत्री महोदय द्वारा लए गए इस विधेयक का काफी उत्पादकों द्वारा स्वागत किया गया है। हमारे समक्ष देश में कॉफी उत्पादकों द्वारा अधिक कॉफी का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रश्न है। हमें कॉफी उत्पादकों को सभी सुविधाएं प्रदान करनी है और यही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

मेरे मित्र श्री धनंजय कुमार ने बाजार में बेचे जाने वाले कॉफी उत्पादन के प्रतिशत के संबंध में इस सम्मानीय सभा में एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा जो 50% तक की छूट प्रदान की है उसे बढ़ाकर 100% कर देना चाहिए। वास्तव में माननीय सदस्य का सुझाव कॉफी उत्पादकों के हित में बहुत अच्छा है। कॉफी बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करना था। तदनुसार, कॉफी बोर्ड ने कॉफी उत्पादकों के कल्याण के संबंध में गहन रुचि दिखाई है। किन्तु उत्पादनों ने यह बात महसूस की है कि उत्पादकों के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उत्पादकों के ऊपर ही होनी चाहिए। मैं भी इसी विचार के साथ सहमत हूं। कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के संबंध में समाचार-पत्र में भी समाचार प्रकाशित हुआ है।

एक माननीय सदस्य : माननीय फर्नान्डीज महोदय, आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते ?

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्द रूपांतर

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** : महोदय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चूंकि, मैं कर्नाटक के कॉफी उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता हूं, अतः मेरे विचार से मुझे कन्नड़ में ही बोलना चाहिए।

अन्य माननीय सदस्य : जी हां, ठीक है। यह बात ठीक है।

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** : हमारी सरकार को कॉफी उत्पादकों को विचार-विमर्श के लिए बुलाना चाहिए और वह केवल तभी उन्हें कुछ प्रेरणा दे सकती है और अंतिम निर्णय ले सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी उत्पादन की अच्छी गुंजाइश है। केरल, तमिलनाडु आदि में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। हमें नए क्षेत्रों में कॉफी के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना है। इसके लिए हमें किसानों के साथ विचार-विमर्श करना होगा तभी उनके सुझाव प्राप्त करने होंगे। 3 से 4% के लगभग जो उत्पादन हैं वह विश्व के कुल उत्पादन का कम से कम 10% होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की मांग है। इसके साथ-साथ हमने यह भी सुना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

कॉफी के संसाधन की गतिविधियां मंगलौर, मैसूर और कुर्ग में ठीक-ठाक से चल रही है। इन्हें प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। कॉफी उत्पादकों के लाभ हेतु इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। कॉफी उत्पादकों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन संबंधी अन्य गतिविधियां भी चलाए जाने की आवश्यकता है। कॉफी बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा था। किन्तु कॉफी उत्पादकों ने कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के बारे में शिकायत की है। कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके लिए में माननीय मंत्री महोदय और हमारी सरकार को बधाई देता हूं। हमने कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें अधिक कॉफी उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाने हेतु केन्द्र से यह विधेयक लाने की मांग की थी। महोदय, मैं बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिलीप भाई संघाणी : महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाए।

5.38 म०प०

अब सदन में कोरम पूरा हो गया है। श्री ओस्कर फर्नान्डीज अपनी बात जारी रखें।

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं काफी (संशोधन) विधेयक, 1994 में निहित खतरों को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बाद में कॉफी उत्पादकों पर इसके

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्द रूपांतर

[श्री थाइल जॉन अंजलोज]

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। सरकार ने कहा है कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने का उद्देश्य कॉफी उत्पादकों की सहायता करना है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें वास्तविकता नहीं है। सरकार की मंशा केवल बड़े उत्पादकों और व्यापारियों की सहायता करने की है।

महोदय, फिलहाल छोटे उत्पादक ठीक वैसे ही खुश हो रहे हैं जिस तरह उदारीकरण नीति के लागू होने के समय हमारे उद्योगपति खुश हुए थे। अब हमारे उद्योगपतियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः अब अप्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। ठीक इसी तरह इस क्षेत्र के बड़े व्यापारी जब छोटे उत्पादकों के गले का शिकंजा कसेंगे, तब उन्हें कष्ट होगा।

1942 के विधेयक का उद्देश्य उत्पादकों की रक्षा करना था। 1992-93 तक केवल कॉफी बोर्ड ही कॉफी का एकमात्र ग्राहक रहा। 1992-93 में उत्पादकों को अपने उत्पादों का 30 प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। आरम्भ में उत्पादकों के मन में एक ऐसी भावना थी कि यदि खुले बाजार में उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिले, तो इससे उन्हें अधिक लाभ होगा। पर यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि इस मोड़ पर केवल व्यापारियों को मुनाफा होगा और उत्पादकों को उसकी उपयुक्त कीमत भी नहीं मिलेगी।

महोदय, एक अहम मुद्दा यह है कि यदि कीमतें कम होती जाएंगी, तो कॉफी बोर्ड की ओर से बाजार में हस्तक्षेप करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं होगा। ऐसी असहाय स्थिति से बचा जाना चाहिए। यदि कॉफी उत्पादकों द्वारा किसी प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव किया जाता है तो बोर्ड के पास हस्तक्षेप करने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय होना चाहिए।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संशोधन बिल और कुछ नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में निजी पार्टियों को आने देने की सरकार की नीति का एक हिस्सा है। कॉफी बोर्ड रु० 400 करोड़ मूल्य की कॉफी का निर्यात कर रहा था। जब सरकार ने पूर्व में 30 प्रतिशत मुक्त विक्रय की अनुमति दी, तब निर्यात क्षेत्र में निजी पार्टियां पहले ही इस चरण तक पहुंच चुकी थीं। अब निजी पार्टियां कॉफी की प्रमुख निर्यातक होंगी जिससे कि कॉफी बोर्ड को कुछ विशेषाधिकार मिलने बंद हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप बोर्ड की भूमिका में कमी होने के अतिरिक्त सरकारी निर्णय से यदि शीघ्र नहीं तो भविष्य में उत्पादकों पर बुरा असर पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय के कारण कॉफी बोर्ड के लगभग एक हजार कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। कई गोदाम पहले ही बंद हो चुके हैं। सरकार के निर्णय से कॉफी श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी पहलुओं पर विचार करे और विधेयक में ही प्रभावी संशोधन लाए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केरल की अर्थव्यवस्था के संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नकदी फसलों, जैसे नारियल, रबर, काली मिर्च आदि के मूल्यों में गिरावट के कारण राज्य को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह नई आर्थिक नीति का परिणाम है। मैं

सरकार से विशेषतः केरल के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निजी पार्टियों से छोटे उत्पादकों और कॉफी श्रमिकों के हितों की रक्षा करे।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस पर बाजार पर शीघ्र प्रभाव भी पड़ा है। मैं नहीं समझता कि बाद में कठिनाइयां होंगी क्योंकि विधेयक में ही कुछ संरक्षात्मक उपाय दिए हुए हैं। केवल 50 प्रतिशत खुला कोटा दिया गया है। इसके विषय में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए यह कोई आवश्यक नहीं कि आप इन सभी खुले कोटे का लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है कि विधेयक से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

पूल के कारण जो कीमत रु० 15 प्रति कि० ग्रा० थी जिसमें से किसानों को केवल रु० 12 प्रति कि० ग्रा० मिलता था, वह अब रु० 28.50 से होते हुए रु० 40 तक बढ़ गई है। मेरी समझ से, उत्पादकों को इससे लाभ मिलेगा। वस्तुतः कुछ संरक्षात्मक उपाय तो होनी ही चाहिएं। मैं नहीं समझता कि बोर्ड या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जो मूल्यों की निगरानी कर सके या मूल्य तय कर सके या बाजार में प्रभावी ढंग से प्रवेश कर सके। हमारे सामने कुछ बोर्डों के उदाहरण हैं। मैं समझता हूं कि बाजार में हस्तक्षेप करने संबंधी मसाला बोर्ड के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि मुझे बताया गया है कि मसाला बोर्ड के सदस्यों और मसालों की खेती में लगे कुछ लोगों ने मंत्री जी को पहले ही सूचित कर दिया है कि ऐसे किसी भी कदम का प्रभाव घातक होगा।

कॉफी बोर्ड के श्रमिकों के बारे में एक बात कहनी है। मैं समझता हूं, इस कार्यवाही से 1800 से अधिक श्रमिक अपना काम खो बैठेंगे। ऐसा नए विधेयक के कारण होगा और वहां बहुत सारे श्रमिक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बोर्ड के कार्य कम होने वाले हैं। यदि ऐसा है, तो मैं समझता हूं तथा मै मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्रमिकों के मामले में कुछ सकारात्मक उपाय लिए जाएं ताकि इन श्रमिकों को जो विकास के लिए काफी लगन से काम कर रहे थे, ऐसा न लगे कि उन्हें इस विधेयक के कारण अलग-थलग कर दिया गया है और उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सहायता किये बिना अलग छोड़ दिया गया है। मेरा सुझाव है कि एक ऐसा प्रस्ताव तैयार हो जिसमें नए विधेयक से प्रभावित होने वाले कॉफी बोर्ड के श्रमिकों को तीन महीने का वेतन और कुछ पेंशन लाभ का प्रावधान हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेस्ले जैसी बड़ी कम्पनियों ने वर्तमान नीति का गलत प्रयोग किया है। गत वर्ष यह आरोप लगाया गया था कि इस कम्पनी ने निर्यात दायित्व को निभाने की बजाय घरेलू बाजार में 2,000 टन कॉफी डम्प कर दी थी। इस प्रवृत्ति का बाजार पर बड़ा भारी असर रहा है। ऐसा कुछेक कॉफी के मामले में ही नहीं हो रहा बल्कि ऐसी कई अन्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उत्पादों के मामले में भी हो रहा है, जिसका हम उत्पादन करते हैं। यही अवसर लौंग और कुछ अन्य उत्पादों पर भी देखने को मिल रहा है। जब तक सरकार इस बात की निगरानी नहीं कर पाती कि निर्यात दायित्व, कानून द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूरे हों, मेरे विचार से तब

[श्री पी० सी० थामस]

तक उनके कारण भारी कठिनाइयां होती रहेंगी। मैं समझता हूं कि यदि बोर्ड के पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता है, तो सरकार के पास इन पहलुओं से संबंधित नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए क्योंकि ये वे पहलू हैं जो बाद में न केवल कॉफी उद्योग बल्कि बड़ी सीमा तक मुख्यतः उत्पादकों को प्रभावित करेंगे।

केरल में मुख्यतः बायनाड और इडुक्की जिलों में कॉफी की खेती होती है परन्तु थोड़ी-थोड़ी मात्रा में केरल के सभी स्थानों पर कॉफी की खेती होती है। केरल द्वारा लगभग एक चौथाई कॉफी उत्पादन किया जाता है।

अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कॉफी बोर्ड में केरल को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। मेरी समझ से वर्तमान प्रतिनिधित्व काफी कम है।

मैं पेश किये गये विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसे स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश करता हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री द्वारा अभी-अभी उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट की गयी परिस्थितियों से संतुष्ट हूं। उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से हमें अस्थायी लाभ मिलेगा। मेरे विचार से यह विधेयक सभा द्वारा पारित कर दिया जायेगा। इस विधेयक में कॉफी उत्पादकों के साथ-साथ निर्यातकों को भी अधिक लाभ देने का प्रस्ताव है।

मैं समझता हूं कि यह उपभोक्ताओं के लिए भी लाभप्रद है। इस तथ्य को देखते हुए कि यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभप्रद है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक उपयुक्त है और इसका प्रयोजन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

मूल कॉफी अधिनियम, 1942 बहुत पुराना है। इसे बदली हुई परिस्थितियों अथवा बदले हुए संदर्भ में संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। आज, कॉफी पीने का फैशन चल पड़ा है। उस समय केवल कुलीन व्यक्ति ही कॉफी पीते थे। अब तो कितने ही लोगों की कॉफी पीने की आदत पड़ गई हैं अतः, बदली हुई परिस्थितियों में, मैं महसूस करता हूं कि 1942 के मूल अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए जैसा कि माननीय मंत्री, जो विधेयक प्रभारी हैं, ने प्रस्ताव किया है।

इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कॉफी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार ने कॉफी के लिए मुक्त बिक्री कोटा शुरू करने के लिए स्वीकृति देने का विचार है। यह बात प्रशंसनीय है। अतः, मैं, वे सब मुद्दे, जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, नहीं दोहराऊंगा। अतः, चर्चा में भाग लेने का लाभ उठाते हुए, मैं माननीय मंत्री, जो

इस विधेयक के प्रभारी हैं और आयोजना और विकास कार्य देख रहे हैं, से यह अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य में कॉफी उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाने के संबंध में विचार करें। मणिपुर को कॉफी की पैदावार के लिए उपजाऊ क्षेत्र समझा जाता है। उस क्षेत्र में कॉफी उगाने का प्रयास करने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए और कई बातों पर विचार किया गया। मणिपुर राज्य में ऐसी काफी अधिक भूमि उपलब्ध है जहां कॉफी का उत्पादन किया जा सकता है। केवल कठिनाई इसके लिए उपयुक्त बाजार ढूंढ़ने की है। यदि माननीय मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र, जोकि कॉफी उत्पादन की दृष्टि से काफी उपजाऊ क्षेत्र है, पर अधिक ध्यान देंगे, तो हमें अधिक पूंजी लगानी होगी जिससे वहां बेरोजगारी की समस्या भी हल की जा सकेगी। इस उद्योग को शुरू करने से कई युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। इन बातों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से जोकि इस विधेयक के प्रभारी हैं, अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मणिपुर में इस परियोजना को वित्त घोषित करने के बारे में विचार करें, ताकि वहां कॉफी का उत्पादन किया जा सके। वे मणिपुर राज्य में कॉफी का अधिक मात्रा में उत्पादन करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एच०डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करता हू कि उसने उस अध्यादेश को लाकर कॉफी उत्पादकों को लाभ पहुंचाया है। माननीय मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में यह कहा है कि मौसम भी उपयुक्त और अच्छा था और इंतजार करने के लिए समय नहीं था। अतः सरकार ने कॉफी उत्पादकों को थोड़ी सहायता देने के लिए इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का प्रयास किया।

6.00 म०प०

दुर्भाग्य से इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के पश्चात् कॉफी उत्पादकों और कॉफी बोर्ड के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यही समस्या का मूल कारण है।

जहां तक विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का संबंध है, इस मामले में उसके गुण और दोष की जांच करने के पश्चात् निर्णय लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात् आपको अंतिम निर्णय लेना चाहिए और फिर कॉफी बोर्ड अधिनियम में आवश्यक व्यापक संशोधन ले। इस समय इससे इसका मूल उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों के बीच नियमित रूप से संबंध चल रहा है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, 6 बजे गये हैं, अब हाउस को एडजोर्न करें।

श्री दिलीप भाई संघाणी : इस बिल को कल लिया जाये अब 6 बज गए हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति ने पहले ही निर्णय ले लिया है। इसके लिए कृपया दिनांक 2 मार्च, 1994 के बुलेटिन भाग दो में देखें। आगे इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि सभा की कार्यवाही के शीघ्र निपटाने के लिए सभा की बैठक 2 मार्च, 1994 से 19 मार्च, 1994 तक 8.00 म० प० तक होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस बारे में निर्णय लिया है और सभा ने इसे स्वीकृति दे दी है। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

प्रो० प्रेम धूमल : हम इस बात से सहमत नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० प्रेम धूमल : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजा दी जाए।

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री देवगौड़ा अपना भाषण जारी रखें।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं अतः मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा कि धारा 22 के अंतर्गत 50 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटा प्रदान करने का प्रावधान किए जाने के बावजूद, अधिकारी पहले आंतरिक बिक्री कोटा का 50 प्रतिशत लौटाने पर जोर दे रहे हैं और जब तक यह नहीं किया जाता वे मुक्त बिक्री कोटा के लिए अनुमति नहीं देंगे। इसमें कॉफी उत्पादकों और कॉफी बोर्ड दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। कॉफी उत्पादक ऐसा करने से पीछे हट रहे हैं। मुक्त बिक्री कोटा पर खुले बाजार में मूल्य थोड़े अधिक हैं। इसलिए, अत्यधिक भ्रष्टाचार, उत्पीड़न विरोध व्याप्त है और जिस उद्देश्य से आप इस अध्यादेश को ले आए वह पूरा नहीं हो सका है जबकि यह किसानों के साथ के लिए था। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह संघर्ष दूर हो जाये और कॉफी उत्पादकों को, कॉफी बोर्ड के अधिकारियों की ओर से बिना किसी रुकावट के, अपना मुक्त बिक्री कोटा पाने की अनुमति दी जाये।

महोदय, धारा 22 में यह व्यवस्था है जिसके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति है कि वह बोर्ड की सिफारिश पर, यदि आवश्यक हो तो, मुक्त बिक्री कोटा को और बढ़ा सकती है बशर्ते कि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से; ऐसे कोटा का उक्त कुल संभावित उत्पादन से से 50% प्रतिशत अधिक आवंटन कर सके। अतः, इस विद्यमान उपबंध में संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र श्री धनंजय कुमार ने सुझाया है और मेरी भी यही राय है कि यह आवश्यक नहीं है।

आपने एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्वयं इस शक्ति को प्राप्त किया है जिससे आप कॉफी

बोर्ड की सिफारिश से मुक्त बिक्री कोटा बढ़ा सकते हैं। आपको यह अधिकार इस अध्यादेश के अन्तर्गत मिल गया है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कॉफी बोर्ड के अधिकारियों और कॉफी उत्पादकों के बीच झगड़े को समाप्त किया जाए। सम्पूर्ण कार्य वहीं का वहीं रुक गया है, उनको यह लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को सहायता पहुंचाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है।

मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति द्वारा इस विषय में कोई सिफारिश करने से पहले सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया है। जब कर्नाटक के कॉफी उत्पादकों का शिष्टमंडल मंत्री महोदय से मिला, तो उन्होंने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया था परन्तु दुर्भाग्य से पूरा उद्देश्य ही विफल हो गया है। मैं आपसे विशिष्ट विषय पर अनुरोध करता हूं कि अर्थात् आप यह देखें कि कैसे यह झगड़े समाप्त हो। जहां तक अन्य मुद्दे जैसे कॉफी बोर्ड का कार्यकरण, भ्रष्टाचार किस प्रकार किया जा रहा है, शोषण और अन्य सभी बातों का संबंध है, मैं उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर विचार करने का यह सही समय नहीं है।

मैं वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति का एक सदस्य हूं। हम इन सभी बातों की जांच कर रहे हैं और हम उत्पादकों के दृष्टिकोण से अन्तिम रिपोर्ट देने जो रहे हैं।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप देखें कि उत्पादकों को कुछ राहत मिले और जहां तक मुक्त बिक्री कोटे का प्रश्न है तो कॉफी बोर्ड के अधिकारियों और उत्पादकों के बीच का झगड़ा समाप्त हो जाये।

मैं पीठासीन अधिकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अध्यादेश पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस अध्यादेश पर अपने विचार और विरोध को प्रकट किया है।

मुझे प्रसन्नता है कि ज्यादातर सदस्यों ने, लगभग सभी ने विधेयक के मुख्य उद्देश्य का समर्थन किया है। श्री नीतीश कुमार जी का विरोध अन्य कारणों से है। वे नहीं चाहते थे कि यह अध्यादेश के जरिये आए; वे चाहते थे कि इसको सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा लाया जाना चाहिए था और सरकार को कानून बताने के लिए अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणियों में बताया था कि किस दबावपूर्ण परिस्थिति में यह अध्यादेश लगाया गया था और कैसे इससे परिस्थित में थोड़ा-सा सुधार हुआ। इस अधिनियम का लम्बा इतिहास है। 50 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की शुरुआत करके कॉफी के उत्पादन, नीलामी और व्यापार–दोनों आन्तरिक और बाहरी बिक्रियों में–उदारीकरण की प्रक्रिया को एक तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया था कि 50 प्रतिशत के स्थान पर एक ही बार में इसे 100 प्रतिशत मुक्त कर दिया जाये। हम स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे क्योंकि यह बताया गया है कि कॉफी के कुल उत्पादन का लगभग तीन चौथाई भाग का निर्यात किया

[श्री प्रणब मुखर्जी]

जाएगा। दुर्भाग्य से विश्व बाजार में स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते, 1959 में कॉफी कोटे के समाप्त होने के बाद मूल्यों में भारी गिरावट आई और उत्पादन से सभी लोगों को हानि उठानी पड़ी। इसके पश्चात् से अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन भी नहीं उबर सका है।

जहां तक कॉफी बोर्ड की भूमिका का प्रश्न है तो यह अनुसंधान, विकास और उत्पादकों को ज[illegible] विस्तार सेवाओं को प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। जिस विशेष बिन्दु पर हमें ध्यान देना होगा वह यह है कि यदि हमें कॉफी की दो किस्मों–अरबीका और रोबुस्टा–में प्रतिस्पर्धा बनाना चाहते हैं तो हमें प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ानी होगी। केवल क्षैतिज विस्तार के बजाय हमें गुणवत्ता का विस्तार करना चाहिए। कॉफी की खेती को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने के बजाय नई प्रौद्योगिकी और खेती के नए तरीके अपनाना उचित होगा जिससे हम प्रति हेक्टेयर पैदावार को बढ़ा सकें और किसानों को अधिक लाभ हो सके।

श्री देवगोड़ा ने हमारा ध्यान कुछ मुद्दों की ओर दिलाया है। मैं झगड़े शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा लेकिन जो स्थिति पैदा हुई है वह वांछनीय नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारा प्रयास होगा कॉफी बोर्ड और कॉफी उत्पादकों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम रहे। कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों में आशंका है कि जब इन संगठन की भूमिका कम हो जाएगी तो उनका भविष्य क्या होगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इतना समय क्यों लिया जाता है अथवा मामलों को सुलझाने में विलम्ब क्यों होता है यद्यपि यह सत्य है कि किसान पूल निधि में से मुआवजा देने पर समाप्त हो गए है। इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है क्योंकि मुआवजे को आगणित करने की सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह कुछ अधिक है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। परन्तु इसे किसानों के हितों और मुक्त बिक्री कोटा के विस्तार और साधारणीकरण में बाधा नहीं बनना चाहिए।

दूसरे माननीय सदस्य ने दोहरी नीलामी से पैदा होने वाली समस्या के बारे में प्रश्न उठाया है। अब से आगे दोहरी नीलामी नहीं होगी। पुरानी परम्परानुसार एक नीलामी घरेलू बिक्री हेतु और दूसरी निर्यात हेतु होती थी। अब ऐसा नहीं है।

तीसरा प्रश्न उत्पादकों को निर्यात हेतु सुविधाएं मुहैया कराने के सम्बन्ध में है, यह सत्य है कि लघु उत्पादक सीधे निर्यात नहीं कर सकते हैं परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान व्यवस्थाओं को ओर आगे बढ़ाया जा सकता है और उन्हें जोड़ा जा सकता है। हमारा प्रयास सभी सम्बन्धितों का सहयोग प्राप्त करने का होगा। यह सत्य है कि उत्पादन के विचार से 50 प्रतिशत के आधार पर यथानुपात यह पूल में आ गया होता। यह गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्तियों की तुलना में कम है। परन्तु हम इसे प्रेरक उपायों के माध्यम से प्राप्त करने के प्रयास करेंगे और हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं नहीं समझता हूं कि जो अन्य मुद्दे लाए गए हैं इस क्षेत्र से पूरी तरह सम्बन्धित है।

मैं सदन का ध्यान एक ओर बिन्दु की ओर दिलाना चाहता हूं वह है, ऐतिहासिक कारणों और कुछ विचित्र परिस्थितियों के कारण भारतीय कॉफी बोर्ड अकेला कॉफी बोर्ड है जो काफी खरीदता था। अन्यथा, दुनिया के अन्य भागों में विशेष रूप से कॉफी उत्पादक देशों में कॉफी बोर्ड की भूमिका एक प्रकार की शीर्ष मोडल ऐजेंसी के रूप में रखना था। उन्होंने बाजार में ठीक से हस्तक्षेप नहीं किया। बाजार की शक्तियों को अपना कार्य स्वयं करने दें और बाजार में कुछ गम्भीर विकृतियां थी।

एक समय, हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया गया था और हस्तक्षेप किया गया।

मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि अध्यादेश उत्पादकों के विशेष आग्रह पर लाया गया था। कॉफी बोर्ड के अभ्यावेदन देने से पूर्व, उत्पादकों ने हमारे पास आकर अभ्यावेदन दिया था। हमने उचित उपाय करने के प्रति सहमति दी थी। हमने उस कार्य को किया है।

शुल्क के सम्बन्ध में, यह सच्य है कि कुछ स्थानीय शुल्क है। क्रय कर और कुल बिक्री कर से कॉफी महंगी हुई है। यह सभी निधि से एकत्र की जाती है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 1993-94 के बजट से कॉफी पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिए गए हैं और 1992-93 की उगाही लगभग 3 करोड़ रुपये थी। अतः उस हद तक, अब 3 करोड़ रुपयों का कराधान नहीं है। और कॉफी पूल धन से अब उसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। क्रय कर के मामले में भी कुछ कमी हुई है। यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने 8 प्रतिशत का क्रय कर लगाया है। मूलतः यह 13 प्रतिशत था। अब यह 13 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कर दिया गया है। कभी-कभी यह कठिन होता है। निर्यात और उत्पादक दोनों के विचार से हमारा मानना है कि ऐसे कर नहीं होने चाहिए परन्तु सकल संसाधनों के विचार से जिन पर राज्यों से झगड़ा होता है तथा किसी अन्य क्षमता में जब मुझे उनसे बातचीत करनी होती है तो मैं उनसे अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास करने के लिए निवेदन करता हूं तो स्वाभाविक ही वे कतिपय क्षेत्रों पर निर्भर करना चाहेंगे और यह ऐसा ही क्षेत्र है जिस पर वे निर्भर कर रहे हैं। परन्तु साथ ही हमें संतुलन बनाए रखना होगा ताकि इन मामलों में कोई गम्भीर गड़बड़ी पैदा न हो ?

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि इन बातों से किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो। एक माननीय सदस्य ने कुछ गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी की खेती शुरू किए जाने का उल्लेख किया है। रबड़ के समान इस खेती को भी आवश्यक समर्थन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती शुरू करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलायी जा रही है और हम इसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु कॉफी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर पैदावार में सुधार करने पर हमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि यह हम सबके लिए लाभकारी होगा।

निस्संदेह अपने प्रयासों में हमें उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना होगा ताकि मूल्यों

[श्री प्रणब मुखर्जी]

में अत्यधिक वृद्धि न हो। इसलिए हम एक साथ पूर्ण उदारीकरण के लिए सहमत नहीं हुए थे। खुली बिक्री कोटा के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और विधेयक में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि घरेलू और निर्यात बाजार में इसकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निर्यात बाजार में प्रवेश हेतु उन्हें जो भी आवश्यक सहायता चाहिए, कॉफी बोर्ड सहायता को उपलब्ध कराएगा।

महोदय, मेरे विचार से सभा के सभी पक्षों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री नीतीश कुमार ने भी यह कहा है कि अध्यादेश की बात को छोड़कर वह इसका समर्थन करते हैं। यदि उनको अध्यादेश पर आपत्ति है तो उस पर मैं पहले से ही सहमत हो चुका हूं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) इस समय 50 प्रतिशत तक उदारीकरण हुआ है इसको 100 प्रतिशत करने की मंशा है? उस स्थिति में छोटे उत्पादक का क्या होगा?

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा कि आप जानते हैं कि इससे छोटे उत्पादकों का नुकसान नहीं होगा। केवल यही समस्या है कि कभी-कभी नियंत्रित प्रणाली में छोटे उत्पादकों को रियायतें देने के नाम पर उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए, हम यह तरीका अपना रहे हैं। ऐसा होता है। मैं यहां किसी प्रकार की समानता पैदा नहीं कर रहा हूं अथवा मैं किसी ट्रेड यूनियन का दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर रहा हूं। जो धनराशि बफर स्टॉक और भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक के रखरखाव पर खर्च की जाती है यदि वह धनराशि सीधे उत्पादकों को दे दी जाए तो शायद उनको अधिक लाभ मिल सकता है।

जहां तक सरकारी निधि का संबंध है, राज सहायता के रूप में यह राजकोष से दी जा रही है। परन्तु इसका पूरा लाभ न तो उपभोक्ताओं को मिल रहा है और न ही उत्पादकों को। इसलिए नियंत्रित प्रणाली में आप यह देखेंगे कि कभी-कभी ऊपरी खर्च उत्पादकों पर डाल दिया जाता है; उस स्थिति में छोटे उत्पादकों को कठिनाई होगी। इसलिए 50 प्रतिशत आवंटन न्यायसंगत है।**(व्यवधान)** अब हमें वाद-विवाद में न पड़कर इस चर्चा को समाप्त करना चाहिए?

श्री एच०डी० देवगौड़ा : छोटे किसानों का "कॉमरैक" नामक सहकारी संगठन है। यह संगठन छोटे उत्पादकों से, जो इसके सदस्य हैं, खरीद करता और यह उनकी देखभाल करता है। इसलिए उस दृष्टि से इनका शोषण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं यह जानता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस मामले में यह मेरी अन्तिम राय नहीं है। यदि किसी समय मुझे यह महसूस हुआ कि 100 प्रतिशत उदारीकरण करना लाभप्रद होगा तो मैं ऐसा करने में विचार नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब संकल्प के प्रस्तावक, श्री नीतीश कुमार जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, हमने जिस आधार पर डिस-एप्रूवल का मोशन सदन में रखा था, उसके पीछे कुछ बातें थीं, जिनका मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि किन परिस्थितियों में अमैंडमेट लाने की इन्हें जरूरत पड़ी और कॉफी के सीजन को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इस अमैंडमेट को सदन में लाये ऐसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है, उसने भी इस मामले में रेकमेड किया था कि सरकार को इस सवाल पर ऑर्डिनैंस लाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही इस बात को यहां पर रखा था। कॉफी ग्रोअर्स के साथ-साथ कॉफी बोर्ड के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात भी मंत्री जी ने कही। कॉफी बोर्ड में यदि कोई गड़बड़ी थी तो सरकार का दायित्व बनता है कि कॉफी बोर्ड की उस गड़बड़ी को दूर करे लेकिन यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है कि यदि कहीं कोई इन-एफीशियेंसी है तो उसके चलते ऐसी नीति अपनाई जाये कि उससे संबंधित संस्था को ही समाप्त कर दिया जाये।

यह ठीक है कि कॉफी ग्रोअर्स आज इसके पक्ष में है और इस डिबेट में भाग लेने वाले अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन ही किया है, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री देवगौड़ ने तो यह भी बताया कि स्माल ग्रोअर्स के हितों का भी ख्याल किया जाये। अपने मोशन को लाते समय, मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस क्षेत्र में आयेंगी और धीरे-धीरे कॉफी बोर्ड इस काम से बाहर हो जायेगा और कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में यह पूरे का पूरा काम चला जायेगा और कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथ में वह पूरे का पूरा काम चला जायेगा तो उससे कुछ बड़ी कम्पनियों को ही लाभ होगा लेकिन आज जितनी भी बातें कॉफी ग्रोअर्स की तरफ से कही जा रही है, जो भी व्यक्ति इस काम में लगे हैं, क्या उन सबके हितों की रक्षा इस बिल के पास होने के बाद होगी, साथ-साथ कन्ज्यूमर्स के हितों की रक्षा भी होगी, हम माननीय मंत्री जी से इसको स्पष्ट करने की जरूर उम्मीद करेंगे।

पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने स्टैट्यूरी रिजौल्यूशन को वापस ले लूंगा। लेकिन मंत्री जी की तरफ से उत्तर के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप अपने रिजौल्यूशन को वापस ले लीजिये ··· **(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप अपने रिजौल्यूशन को वापस ले लीजिये। एक बार नहीं दो-तीन बार कहता हूं कि अपने रिजौल्यूशन को वापस ले लीजिये।

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो बातें कही हैं, इसकी कीमतों को नियमित करने के बारे में कि उनको रैगुलेट करने का मैकेनिज्म रखा जायेगा, ऐसी बात उन्होंने कही है तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने जो सैद्धांतिक विरोध किया था ···

सभापति महोदय, इन तमाम बातों को देखते हुए और जो मैंने सैद्धांतिक विरोध किया था, उसका भी कारण यही था कि ऑर्डिनेंस के द्वारा राज नहीं चलना चाहिए बल्कि संसदीय प्रजातंत्र में जो

[श्री नीतीश कुमार]

मान्य प्रणाली है, बिल के द्वारा या एक्ट के द्वारा उसको पार्लियामेंट के सामने रखकर कोई बिल बनाया जाना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन इस खास मामले में जिस प्रकार की अर्जेंसी थी, जैसा मंत्री जी ने बताया है और स्टेडिंग कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए और मंत्री जी द्वारा तीन बार वापस लेने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने रिजौल्यूशन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करूंगा। मंत्री जी ने इस पर बहस का उत्तर देते हुए बताया कि कैसे उदारीकरण की नीति के संदर्भ में यह सारा जो काम हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है यह बात दिया। यह हकीकत है कि यह जो यहां पर कानून आया है, यह कोई कॉफी एक्ट में क्या कमजोरियां रही फिर सेल आदि को लेकर क्या समस्याएं रही, उसको लेकर इतना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का, जो अधिक नीति का सिलसिला चला है उसके साथ यह जुड़ा हुआ विधेयक है। इसलिए सभापति जी, मेरी आपत्ति इस विधेयक पर इसलिए है कि इस विधेयक के जरिए अन्ततोगत्वा जो फायदा पाने वाली जमात होगी वह मुख्यतः विदेशी कम्पनियां होगी और हम इससे इंकार नहीं कर सकते कि आज हिन्दुस्तान में कॉफी को विदेशों में निर्यात करना हो या देश के अंदर बेचना हो, यह काम अधिक से अधिक विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। नैस्ले कम्पनी स्विस नैशनल है जिसके पास अभी कॉफी पाउडर की मार्केटिंग है, लेकिन अब इसके पास हो जाने के बाद संभव है कि हमारे कॉफी एस्टेट पर भी उनका कब्जा हो जाए और मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इन कम्पनियों के हाथों में कॉफी के बगान देने का काम सरकार करने जा रही है। आप नहीं भी कहें, तो भी यह अनिवार्य है, हमें तो दिखाई दे रहा है। चूंकि मेरी इस नई उदारीकरण की नीति से सभापति जी को आपत्ति है, इसलिए मैं इस विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति को यहां पर दर्ज करना चाहता हूं। हमें बहुत ज्यादा समय तक इन्तजारी नहीं करनी होगी। नैस्ले और अन्य विदेशी कम्पनियां जो हमारे कॉफी के व्यापार को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, इस विधेयक के चलते वे ही इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाने वाली होंगी। इसलिए इस विधेयक को लेकर मैं अपना विरोध यहां पर दर्ज करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापटनम) : सभापति महोदय, यह संशोधन अंततः उत्पादकों के हित की रक्षा करेगा। जब प्रत्येक क्षेत्र में हमने बहुत सी रियायतें दी हैं और उद्योग के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं तो कॉफी उत्पादकों के मामले में भी ऐसा ही क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि पहले कॉफी उत्पादक पूर्णतः कॉफी बोर्ड की दया पर निर्भर थे। मेरा यह दृढ़ सुझाव है कि उन्हें शत प्रतिशत निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा, कॉफी बोर्ड इस बात पर बल दे रहा है कि सबसे पहले उन्हें 50 प्रतिशत दिया जाए और इस प्रकार उन्हें

[श्री एम० वी० वी० मूर्ति]

परेशान किया जाता है तथा उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है। अतः हमारा यह दृष्टिकोण है कि अधिक निर्यात की अनुमति दी जाए। और यदि यह स्थिति है तो वाणिज्य मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए और जो लोग शत प्रतिशत निर्यात करना चाहते हैं उन्हें अनुमति दी जाए और ऐसा करने से उत्पादकों की रक्षा हो सकेगी और उत्पादन में काफी सुधार होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उत्तर देते समय इसके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं केवल दो बातों का उल्लेख करूंगा। जिन बातों का श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उल्लेख किया वह वृहद नीति संबंधी मामला है कि अर्थव्यवस्था के शुरू में उदारीकरण बेहतर है या नहीं। इस पर चर्चा के लिए हमें मौका अवश्य मिलेगा। पहले भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को शुरू के संबंध में वैचारिक भिन्नता निश्चित रूप से होती है। यह निरंतर जारी रहने वाली चर्चा है और इस चर्चा में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन रिकार्ड के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक निवेश का संबंध है यह संप्रभु सरकार का निर्णय है कि वह किस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए अनुमति देगी और किसे नहीं। किसी क्षेत्र विशेष को अनुमति देने के लिए कोई दबाव या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अथवा व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले एक अवसर पर चर्चा का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि यह मात्र कॉफी बोर्ड की सिफारिश ही नहीं है बल्कि कॉफी बोर्ड में शामिल कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधियों का भी सुझाव है। इसके अतिरिक्त कॉफी बोर्ड सिफारिश प्राप्त होने से पहले बड़ी संख्या में उत्पादकों के प्रतिनिधि आए और उन्हें यह सुझाव दिया। इस मुद्दे पर मैंने इसका पहले ही उल्लेख किया है, मैं इस मामले में निष्पक्ष हूं। हमने इसे स्वदेशी बाजार के लिए मात्र 30 प्रतिशत की अनुमति दी थी। अब हमने स्वदेशी और विदेशी बाजारों के लिए 50 प्रतिशत की अनुमति दी है। अतः यह प्रक्रिया चल रही है और धीरे-धीरे जब आवश्यकता होगी तो 100 प्रतिशत की भी अनुमति दी जा सकती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और कॉफी बोर्ड की भूमिका आवश्यक विस्तार सेवाओं को उपलब्ध कराने और विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए किसी भी अन्य वस्तु बोर्ड के समान हो जाएगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

6 34 प०प०

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1994 को प्रख्यापित खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा चर्चा जारी रखना चाहती है।

अनेक माननीय सदस्य : हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.35 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 16 मार्च, 1994/25 फाल्गुन 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/29/13/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।